वार्षिक रिपोर्ट | 2024-25

www.oil-india.com

ऑयल इंडिया
OIL INDIA

ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता के साथ बढ़ते हुए





“ भावी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हम न केवल इसे प्राथमिकता मानते हैं, बल्कि अपने नागरिकों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी भी मानते हैं। उपलब्धता, सुगम्यता, सामर्थ्य और स्वीकार्यता के मूल सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए, भारत ने समावेशी विकास का मार्ग चुना है। ”

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री





ओआईएल
का नेतृत्व



बाएं से दाएं : डॉ. अंकुर बरुआ, निदेशक (मानव संसाधन); श्री सलोमा योमदो, निदेशक (अन्वेषण एवं विकास), डॉ. रंजीत रथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; श्री अभिजीत मजूमदार, निदेशक (वित्त); श्री त्रैलोक्य बरगोहांई, निदेशक (प्रचालन)



ओआईएल की दृष्टि (विज़न)

उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से भारत की संधारणीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी और भविष्य के लिए तैयार एकीकृत ऊर्जा कंपनी बने रहना।



ओआईएल के मूल्य

विरासत

ऑयल इंडिया लिमिटेड की सौ साल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, हम देश की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को कायम रखने का प्रयास करते हैं।

सत्यनिष्ठा

सत्यनिष्ठा हमारी सफलता की आधारशिला है। हमारा लक्ष्य व्यावसायिक गतिविधियों को निष्पादित करते समय नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखना है।

संधारणीयता

एक संधारणीय भविष्य की अभिकल्पना करते हुए, हम सकारात्मक परिवर्तन लाने और हमारे हितधारकों, समाज और पृथ्वी के निमित्त दीर्घकालिक मूल्य का संवर्धन करने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासकीय (ईएसजी) सिद्धांतों को अपनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

ज्ञान

हम निरंतर सीखने और विकास करने को महत्व देते हैं और अपने कर्मचारियों को बेहतर बनने और उनके कौशल को बढ़ाने में सहायक रहते हैं। हम अपने संगठन को सफलता के उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए अपने कर्मचारियों में निवेश करने का प्रयास करते हैं।

प्रतिबद्धता

हम प्रदर्शन-उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से देश की बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित हैं और अपने शेयरधारकों को बेहतर मूल्य सृजन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विषय सूची

भाग 01
निगमित सिंहावलोकन

10 अध्यक्ष का संदेश

16 निदेशक मंडल

21 सामान्य सूचना

22 प्रमुख उपलब्धियां

भाग 02
सांविधिक रिपोर्ट

28 66वीं एजीएम का नोटिस

48 5 वर्षों का प्रदर्शन- एक झलक में

50 निदेशकों की रिपोर्ट

90 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

109 सीएसआर गतिविधि संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

118 निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

व्यापार उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

भाग 03
वित्तीय विवरण

146 एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

168 एकल वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियां

169 एकल वित्तीय विवरण

300 समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

313 समेकित वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियां

315 समेकित वित्तीय विवरण

466 शब्दावली



भाग
01

निगमित सिंहावलोकन



- अध्यक्ष का संदेश
- निदेशक मंडल
- सामान्य सूचना
- प्रमुख उपलब्धियां



डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष का संदेश

"ओआईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 6.710 एमएमटीओई का अब तक का सर्वाधिक ओ+ओईजी उत्पादन और 3,252 एमएमएससीएम का अब तक का सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन दर्ज किया, जिससे इसकी परिचालन उत्कृष्टता और क्षमता की पुष्टि हुई।"

प्रिय मूल्यवान शेयरधारकों,

मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक वर्ष है जो रिकॉर्ड उत्पादन, रणनीतिक सफलताओं और 2040 के विजन के अनुरूप ओआईएल को एक अग्रणी अपस्ट्रीम कंपनी से एक विविध, एकीकृत ऊर्जा उद्यम में बदलने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए। यह वर्ष क्षमता, सुदृढ़ विकास और भारत के ऊर्जा ढांचे के समर्थन में निरंतर प्रगति के लिए जाना जाता है। 1959 में हमारी स्थापना के बाद से छह दशकों से भी अधिक समय तक की हमारी यात्रा, जो 1889 में डिगबोई में भारत की पहली कच्चे तेल की खोज की विरासत पर आधारित है, दर्शाती है कि हम किस मुकाम पर पहुँच गए हैं - एक पारंपरिक अन्वेषण और उत्पादन कंपनी से एक एकीकृत ऊर्जा उद्यम तक। ऑयल इंडिया की अदम्य भावना देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और सभी हितधारकों के लिए दीर्घविधिक मूल्य सृजन में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।

विज़न 2040 के साथ संरेखित आपकी कंपनी की दीर्घविधिक रणनीति छह रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है: i) घरेलू अन्वेषण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ घरेलू तटवर्ती अन्वेषण और उत्पादन को मजबूत करना ताकि अधिक सी अधिक रिकवरी हो सके और विकास को बनाए रखा जा सके। ii) गहरे पानी की खोज और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से अपतटीय क्षमताओं का विस्तार करना। iii) नवीकरणीय, ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन और सीबीजी में निवेश के साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाना। iv) महत्वपूर्ण खनिजों और प्राकृतिक हाइड्रोजन और गैस हाइड्रेट्स जैसे नए अवसरों में उद्यम करना। v) प्रचालनात्मक दक्षता और लचीलापन बढ़ाने और संधारणीयता को एम्बेड करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों और नवोन्मेष का लाभ उठाना। vi) दीर्घविधिक मूल्य सृजन के मुख्य प्रवर्तक के रूप में एचएसई उत्कृष्टता और सामुदायिक जुड़ाव। ये सभी स्तंभ मिलकर ओआईएल को एक विविधीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालित ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थापित करते हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ भविष्य में सार्थक योगदान दे रही है।

वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में अस्थिरता के बावजूद, आपकी कंपनी ने प्रचालन और वित्तीय दोनों मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया है और साथ ही हितधारकों के लिए निरंतर मूल्य सृजन भी किया है। मुझे अपने लोगों के अथक समर्पण पर बहुत गर्व है, जिनकी उत्कृष्टता की खोज ने हमें ये परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। मैं यह भी दोहराना चाहता हूँ कि ओआईएल कॉर्पोरेट अभिशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करता है कि हितधारकों के हित हमेशा सर्वोपरि रहें।

देश की प्रमुख राष्ट्रीय तेल कंपनियों में से एक के रूप में, ओआईएल ने न केवल हितधारकों के लिए मूल्य सृजन किया है, बल्कि भारत के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने शुल्कों, करों और लाभांश के रूप में सरकार को कुल ₹11,231.86 करोड़ का योगदान दिया - जिसमें केंद्रीय कोष में ₹6,922.51 करोड़ और राज्य कोष में ₹4,309.35 करोड़ शामिल हैं। मैं सभी हितधारकों के निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए उनका तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ, जो हमारी प्रगति का आधार बने हुए हैं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, आपकी कंपनी ने अपनी निरंतर प्रगति जारी रखी। ओआईएल ने ₹23,987.07 करोड़ (एकल) और ₹37,830.04 करोड़ (समेकित) की कुल आय दर्ज की। निवल लाभ ₹6,114.19 करोड़ (एकल) और ₹8,845.91 करोड़ (समेकित) रहा, जिसमें क्रमशः 27.64% और 19.47% का अच्छा मार्जिन रहा। समेकित आधार पर, पूंजीगत व्यय ₹18,169.67 करोड़ रहा, जिसमें हमारी अनुषंगी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) द्वारा ₹9,108.82 करोड़ का निवेश शामिल है, जो इसके 3 से 9 एमएमटीपीए तक के निरंतर विस्तार के लिए है। इसके अलावा, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में ओआईएल के पूंजीगत व्यय के हिस्से के रूप में ₹1,859.37 करोड़ का निवेश किया गया। ये परिणाम बाजार में अस्थिरता के बावजूद ओआईएल के अंतर्निहित मजबूती को दर्शाते हैं और सभी हितधारकों को स्थायी मूल्य प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

> **कच्चे तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है - पिछले तीन वर्षों में 14.9% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में 3.458 एमएमटी तक पहुंच जाएगा।**

प्रचालनात्मक उत्कृष्टता के आधार पर, आपकी कंपनी ने बाजार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई रिकॉर्ड ऊंचाइयां हासिल कीं। ओआईएल ने स्थापना के बाद से अब तक का अपना सर्वाधिक 6.710 एमएमटीओई तेल और तेल-समतुल्य गैस (ओ+ओईजी) उत्पादन दर्ज किया, साथ ही 3,252 एमएमएससीएम का अब तक का सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन भी दर्ज किया। कच्चे तेल के उत्पादन में भी साल-दर-साल निरंतर वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.01 एमएमटी से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.458 एमएमटी हो गया - तीन वर्षों में लगभग 15% की वृद्धि। वित्तीय वर्ष 25 के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2.95% वृद्धि हुई और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.458 एमएमटी उत्पादन हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 3.359 एमएमटी था। आपकी कंपनी उन्नत उत्पादन वृद्धि उपायों के माध्यम से परिपक्व क्षेत्रों का अनुकूलन जारी रखे हुए है – जिसमें छूटे हुए अवसर विश्लेषण, ख़ोजों का तेजी से मुद्रीकरण, पीटीएल, जीएपी विश्लेषण, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग, प्लंजर लिफ्ट और आईओआर/ईओआर तकनीकें शामिल हैं – जिससे निरंतर उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित होती है और भारत की दीर्घावधिक ऊर्जा सुरक्षा में विश्वास मजबूत होता है। इस वर्ष, हमने 294 वर्कओवर कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित करके एक महत्वपूर्ण प्रचालन उपलब्धि हासिल की है—स्थापना के बाद से हमारी उच्चतम संख्या, अच्छी तरह से उत्पादकता में उल्लेखनीय रिजर्वायर वृद्धि और निरंतर भविष्य के उत्पादन के लिए प्रबंधन का अनुकूलन। उल्लेखनीय रूप से, वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस से राजस्व में 6.2% की वृद्धि हुई, हालांकि कच्चे तेल के राजस्व पर वैश्विक कीमतों में कमी का मामूली प्रभाव पड़ा। कुल मिलाकर, ये परिणाम अस्थिर ऊर्जा वातावरण में लचीलापन बनाए रखते हुए उत्पादन और दक्षता को लगातार बढ़ाने की ओआईएल की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

आपकी कंपनी ने भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्रों में अपने प्रचालनात्मक फुटप्रिंट का लगातार विस्तार किया है, जिससे देश के ऊर्जा आधार को मजबूत करने में इसकी भूमिका सुदृढ़ हुई है। आज, ओआईएल की उपस्थिति ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे प्रमुख राज्यों में है और साथ ही अंडमान, केरल-कोंकण और केजी उथले जल में अपतटीय प्रचालनों में भी है। 31 मार्च 2025 तक, ओआईएल 1 पीईएल और 25 पीएमएल नामित क्षेत्रों में प्रचालन कर रहा था और 52,298 वर्ग किलोमीटर में फैले 26 ओएएलपी ब्लॉकों में अन्वेषण कर रहा था। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने नामित पीएमएल और ओएएलपी ब्लॉकों में 444.46 लाइन-किलोमीटर (एलकेएम) 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण और 1,150.82 वर्ग किलोमीटर 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण किए, जो ओएएलपी राउंड I से VIII के तहत प्रदान किए गए थे।

आपकी कंपनी ने अपने लगातार तीसरे एयरबोर्न ग्रैविटी ग्रैडियोमेट्री और ग्रैविटी-मैग्नेटिक (एजीजी-जीएम) अभियान को आगे बढ़ाया है, जिसमें मुख्य उत्पादन क्षेत्र, उत्तर पूर्व में ओएएलपी एकड़ और आसपास के खुले ब्लॉकों में बेसिन संरचना, तलछट की मोटाई और बेसमेंट वास्तुकला को परिष्कृत करने के लिए लगभग 5,000 लाइन-किलोमीटर का अधिग्रहण किया गया है। यह सर्वेक्षण चालू वर्ष में भी जारी है, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग और पिछले अभियानों के साथ एकीकरण असम-अराकान बेसिन की अन्वेषण क्षमता के बारे में गहन जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार है।

अपने व्यापक अन्वेषण फुटप्रिंट का लाभ उठाते हुए, ओआईएल घरेलू परिसंपत्तियों और संयुक्त उद्यमों में अपने भंडार आधार को मजबूत करना जारी रखे हुए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने 5.8714 एमएमटीओई (2पी) भंडार जोड़ा। 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, हमारे गैस भंडार 29.7160 बीसीएम (1पी), 53.7330 बीसीएम (2पी) और 63.7830 बीसीएम (3पी) थे, जो दीर्घावधिक आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार के मिशन अन्वेषण के तहत, आपकी कंपनी ने भारत के अपस्ट्रीम ज्ञान आधार को मजबूत करने के लिए भूकंपीय डेटा अधिग्रहण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी ने राजस्थान बेसिन में 1,250 एलकेएम और गंगा-पंजाब बेसिन में 1,353 एलकेएम 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इसके अलावा, पूर्वी अपतट के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ में 7,362 एलकेएम 2डी भूकंपीय डेटा प्राप्त किया गया है, जो गहरे पानी में अन्वेषण क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नए क्षेत्रों का रणनीतिक अधिग्रहण आपकी कंपनी का प्रमुख फोकस क्षेत्र बना हुआ है। ऑयल इंडिया पूर्वोत्तर के नए और अधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अन्वेषण कर रहा है, साथ ही कैम्बे जैसे संभावित बेसिनों में विस्तार कर रहा है और महानदी, केजी और अंडमान बेसिनों सहित अति-गहन सीमाओं में अपनी अपतटीय उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहा है। इसी गति को जारी रखते हुए, आपकी कंपनी ने ओएएलपी बोली दौर IX के तहत सभी नौ ब्लॉक सफलतापूर्वक हासिल कर लिए हैं। इनमें से, छह ब्लॉक - 40,590 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए - ऑयल इंडिया को ऑपरेटर के रूप में दिए गए (महानदी और केजी अति-गहन अपतटीय में दो-दो और गुजरात तटवर्ती और मेघालय में एक-एक)। शेष तीन ब्लॉक - 10,965 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए - ओएनजीसी के साथ संयुक्त रूप से दिए गए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन ब्लॉकों के लिए राजस्व साझाकरण संविदाओं पर 15 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे।

आपकी कंपनी ने मौजूदा क्षेत्रों के निकट नई खोजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निकट-क्षेत्र अन्वेषण को आगे बढ़ाया है, जिससे तेजी से मुद्रीकरण संभव हो सके और परिपक्व परिसंपत्तियों से उत्पादन को बढ़ाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, ओआईएल ने असम में मेचाकी पीएमएल में दो खोजें कीं—मेचाकी-6 कूप में एक तेल खोज और मेचाकी-7 कूप में एक गैस खोज। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, ओआईएल ने असम में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर अन्वेषणात्मक कूप कोबोचापोरी-1 के माध्यम से पहली बार हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति भी स्थापित की है। इस खोज से हमारे चल रहे उत्तरी तट अन्वेषण अभियान को मज़बूत गति मिलने और भविष्य के विकास के लिए एक नया द्वार खुलने की उम्मीद है।

वेधन के मोर्चे पर, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 57 कूपों को पूरा किया, जिसमें 22 अन्वेषण कूप और 35 विकास कूप शामिल हैं, जो असम, राजस्थान, महानदी और अंडमान अपतटीय में संचालित 21 रिगों के मजबूत बेड़े द्वारा समर्थित हैं। एकीकृत वेधन सेवाओं (आईडीएस) की शुरूआत ने दक्षता में काफी वृद्धि की है, जिससे गहरे कूपों को तेजी से पूरा किया जा सके। आने वाले वर्षों में वेधन गतिविधि में वृद्धि की उम्मीद के साथ, ओआईएल भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने रिग बेड़े का विस्तार करने की योजना बना रहा है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा मान्य मजबूत भूवैज्ञानिक अध्ययनों के मार्गदर्शन में, कंपनी ने पहले ही अपने सभी सक्रिय बेसिनों में वेधन स्थानों की पहचान कर ली है। भविष्य को देखते हुए, आपकी कंपनी भूमि की कमी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए असम के विपुल बारेकुरी क्षेत्र में बहुपक्षीय वेधन को लागू करने की तैयारी कर रही है

आपकी कंपनी दो अनुसंधान एवं विकास केंद्र संचालित करती है - दुलियाजान में अनुसंधान एवं विकास विभाग और गुवाहाटी में ऊर्जा अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र (सीओईईएस) - जो तत्काल और भविष्य की अनुसंधान अपेक्षाओं, दोनों को पूरा करते हैं। दुलियाजान में आपकी कंपनी का अनुसंधान एवं विकास केंद्र तेल और गैस मूल्य श्रृंखला में नवीन, क्षेत्र-उन्मुख समाधान प्रदान करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है। प्रमुख डोमेन में अन्वेषण और पेट्रोलियम भू-रसायन, प्रवाह आश्वासन रणनीतियाँ, तेल क्षेत्र रसायनों का विकास, पेट्रोलियम जैव प्रौद्योगिकी और बढ़ी हुई रिकवरी के उद्देश्य से कूप स्टिमुलेशन तकनीक शामिल हैं। ये पहल परिचालन चुनौतियों का समाधान करने, दक्षता में सुधार लाने और परिपक्व और नए दोनों क्षेत्रों से रिकवरी को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो एक प्रौद्योगिकी-संचालित अपस्ट्रीम खिलाड़ी के रूप में ओआईएल की स्थिति को मजबूत करती हैं। विशेष रूप से, अनुसंधान एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एक पेटेंट अनुदान प्राप्त किया है।

गुवाहाटी स्थित ऊर्जा अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र (सीओईईएस) उन्नत अनुसंधान के एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जो परिपक्व क्षेत्रों से बेहतर रिकवरी और कंपनी के ऊर्जा परिवर्तन एजेंडे, दोनों को गति प्रदान कर रहा है। रिजर्वायर मॉडलिंग, बेसिन विश्लेषण, ईओआर प्रयोगशाला अध्ययन और पेट्रोलियम प्रणाली मॉडलिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ, सीओईईएस कार्बन कैप्चर और अनुक्रम, भूतापीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्राकृतिक हाइड्रोजन और गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन का भी नेतृत्व कर रहा है। हाइड्रोकार्बन और महत्वपूर्ण खनिज अनुसंधान को और मज़बूत करने के लिए एक उन्नत भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला के साथ एकीकृत एक अत्याधुनिक कोर रिपॉजिटरी विकसित की जा रही है। शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और उद्योग निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से, सीओईईएस आपकी कंपनी को प्रौद्योगिकी-संचालित अन्वेषण, उत्पादन उत्कृष्टता और नेट ज़ीरो के मार्ग पर अग्रणी स्थान पर स्थापित कर रहा है।

आपकी कंपनी संयुक्त उद्यमों के माध्यम से रूस, वेनेजुएला और मोजाम्बिक में विदेशी उत्पादन और विकास परिसंपत्तियों में एक मजबूत उपस्थिति बनाए रखती है। ये परिसंपत्तियाँ ओआईएल के भंडार और उत्पादन पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जिनका वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संचयी उत्पादन 2.097 एमएमटीओई है। वर्ष का एक मुख्य आकर्षण रूसी परिसंपत्तियों से प्राप्त 942 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मजबूत लाभांश प्रवाह था - जो वानकोनेफ्ट और तास युरयाख में हमारे मूल निवेश का 91% से अधिक है, और आने वाले वर्ष में पूर्ण वसूली की उम्मीद है। मोजाम्बिक में, ओआईएल ने विश्व-स्तरीय गोल्फिन्हो-अतुम एलएनजी परियोजना में निवेश किया है, जो 13.12 एमएमटीपीए कम कार्बन, एकीकृत दो-ट्रेन एलएनजी सुविधा स्थापित करेगी। बेहतर सुरक्षा स्थितियों के साथ, इस परियोजना के 2025 में फिर से शुरू होने की उम्मीद है और यह भारतीय गैस बाजार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। हमारा विदेशी पोर्टफोलियो जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे भारत के लिए दीर्घावधिक ऊर्जा सुरक्षा और हमारे हितधारकों के लिए स्थिर वित्तीय लाभ दोनों मिलते हैं।

भारत के निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप, आपकी कंपनी ने 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन, भू-तापीय ऊर्जा के साथ-साथ प्राकृतिक हाइड्रोजन और गैस हाइड्रेट जैसे क्षेत्रों में अध्ययन और पहल को आगे बढ़ा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऑयल इंडिया ने 2025 तक नियमित रूप से होने वाली फ्लेयरिंग को समाप्त करने को प्राथमिकता दी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन प्रयासों के पहले ही महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ चुके हैं, और वित्तीय वर्ष 2024-25 में आग की लपटों की मात्रा घटकर 0.125 एमएमएससीएमडी रह गई है। ये पहल ऑयल इंडिया की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं और कंपनी को भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करती हैं।

आपकी कंपनी लक्षित उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने जीरो फ्लेयरिंग 2025 लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। – विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 में कम दबाव वाली फ्लेयर गैस को रिकवर करने और उपयोग करने के लिए 11 गैस संपीड़न सुविधाओं की स्थापना। प्रतिदिन 0.07 एमएमएससीएम उच्च दाब वाली गैस को संभालने वाली कुमचाई-कुसिजन लाइन सहित नई निकासी पाइपलाइनों के पूरक के रूप में, इन पहलों ने नियमित फ्लेयरिंग को काफी कम कर दिया है, गैस का उपयोग बढ़ाया है और उत्सर्जन को कम किया है।

किफायती, टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन का समर्थन करते हुए, ओआईएल ने देश भर में 25 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस रोडमैप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 2 अक्तूबर 2024 को हासिल की गई, जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने असम में चार सीबीजी संयंत्रों - तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट और गुवाहाटी में भूमिपूजन का उद्घाटन किया। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने अपनी संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) पहल में उल्लेखनीय प्रगति की है। असम और ओडिशा में छह रणनीतिक स्थानों पर भूमि अधिग्रहण हो चुका है। पाँच सीबीजी संयंत्रों के लिए निविदा और बोली मूल्यांकन पहले ही चल रहा है, जबकि अतिरिक्त स्थलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा, सीबीजी डेवलपर्स के साथ संयुक्त उद्यमों का गठन भी प्रक्रिया में है, जो स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए ऑयल इंडिया की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ऑयल इंडिया के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप में एक महत्वपूर्ण कदम है और राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में अपने प्रयासों में, आपकी कंपनी न केवल ऊर्जा परिवर्तन के अनुकूल हो रही है; हम इसे सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। 2040 तक 5-5.5 गीगावाट के हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर 188.1 मेगावाट के मजबूत आधार से हमारी यात्रा इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ओजीईएल के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। 645 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए एपीजीसीएल के साथ हमारा ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम असम के ऊर्जा परिदृश्य को बदल देगा। इसके समानांतर, हम अपने मुख्य प्रचालनों में संधारणीयता को एकीकृत कर रहे हैं, जिसमें अब 1,989 किलोवाट क्षमता के आंतरिक कैप्टिव सौर संयंत्र शामिल हैं। इस वर्ष स्थापित 833 किलोवाट की रूफटॉप सौर बस शुरुआत है, हमारी परिसंपत्तियों में 1,500 किलोवाट अतिरिक्त स्थापित करने की योजना है। आपकी कंपनी ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के सहयोग से ये उपलब्धियाँ सतत ऊर्जा नवाचार के प्रति ओआईएल की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती हैं और भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने के राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप हैं।

ओआईएल ने अपनी संधारणीयता और डीकार्बोनाइजेशन एजेंडे को गति देने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों के साथ महत्वपूर्ण सहयोग किया है। तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर (ओजीडीसी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, कंपनी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक उद्योग कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, ओआईएल लगातार एक विविध ऊर्जा कंपनी के रूप में परिवर्तित हो रही है, संपीड़ित बायोगैस, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और महत्वपूर्ण खनिजों

> वित्त वर्ष 2024-25 में, OIL ने फ्लेयरिंग में 59% की कमी हासिल की, जिससे लगभग 2,79,000 tCO_2 की कमी हुई - जो 2025-26 तक शून्य नियमित फ्लेयरिंग की ओर हमारी यात्रा में एक मील का पत्थर है।

में पहलों को आगे बढ़ा रही है, जिससे विकास सुनिश्चित हो रहा है जो टिकाऊ और भविष्य के लिए उपयुक्त दोनों है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कच्चे तेल की पाइपलाइन ने 7.145 एमएमटी कच्चे तेल की रिकॉर्ड परिवहन मात्रा हासिल की, जो पिछले वर्ष के 6.712 एमएमटी को पार कर गई और अब तक का सर्वोच्च थ्रूपुट दर्ज किया। डिगबोई-नहारकटिया बोंगाईगांव सेक्टर ने कंपनी के लिए 3.306 एमएमटी और ओएनजीसी के लिए 1.024 एमएमटी कच्चे तेल का परिवहन किया। बरौनी-बोंगाईगांव सेक्टर ने बोंगाईगांव रिफाइनरी के लिए 2.789 एमएमटी आयातित कच्चे तेल का परिवहन किया। आपकी

> वित्त वर्ष 2025 में कुल खरीद का 57% से अधिक हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से आया, जो स्थानीय उद्यमिता के लिए हमारे समर्थन की पुष्टि करता है।

कंपनी ने नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से 91.46% पाइपलाइन उपयोग के साथ 1.574 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन भी किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवहन व्यवसाय से अर्जित कुल राजस्व पिछले वर्ष के ₹533.66 करोड़ की तुलना में ₹572.23 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने संबंध पोर्टल पर कुल ₹3,114.37 करोड़ की खरीद दर्ज की, जिसमें से ₹1,790.30 करोड़ - जो 57.49% है - सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से प्राप्त हुई, जो लगातार तीसरे वर्ष निर्धारित 25% लक्ष्य से कहीं अधिक है। आपकी कंपनी को महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के मानक को पार करने पर भी गर्व है, जिससे समावेशी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। विक्रेता

> एनआरएल तेल-संचालित रिफाइनिंग, जैव ईंधन, एसएएफ और हरित हाइड्रोजन का विकास इंजन बना हुआ है, तथा इसकी क्षमता 9 एमएमटीपीए तक विस्तार की प्रक्रिया में है।

विकास कार्यक्रमों, एमएसएमई अधिकारियों के साथ सहयोगात्मक कार्यशालाओं और सहायक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से, ओआईएल समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सशक्त बनाने का कार्य जारी रखे हुए है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, हमारी सामग्री सहायक कंपनी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने एक बार फिर 100% से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त करके उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, 3,066 टीएमटी कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया - पिछले तीन वर्षों में यह दूसरी ऐसी उपलब्धि है। 86.7% की उच्च डिस्टीलेट उत्पादक के साथ, भारत में पीएसयू रिफाइनरियों में सबसे अधिक और डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग और हाइड्रोक्रैकर जैसी प्रमुख इकाइयां क्षमता से ऊपर काम कर रही हैं, एनआरएल ने प्रचालनात्मक दक्षता में नए मानक स्थापित किए हैं। रणनीतिक परियोजना के मोर्चे पर, प्रमुख रिफाइनरी विस्तार परियोजना - जो 3 से 9 एमएमटीपीए तक क्षमता को तीन गुना कर देगी - लगातार प्रगति कर

रही है। नुमालीगढ़ में फीडस्टॉक के रूप में बांस का उपयोग करने वाला 2 जी बायो-इथेनॉल संयंत्र वित्तवर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में चालू होने वाला है, जबकि पारादीप में 600 टिकेएल कच्चे तेल आयात टर्मिनल के साथ 1635 कि.मी. लम्बी पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड ऑयल पाइपलाइन (पीएनसीपीएल) कच्चे तेल के रसद को व्यापक रूप से सुदृढ़ करेगी। इसके अलावा, पारादीप में एचईएफए तकनीक पर आधारित 200 केटीपीए क्षमता वाली सतत विमानन ईंधन (एसएएफ़) परियोजना, ओआईएल को विमानन क्षेत्र के लिए स्वच्छ ईंधन उत्पादन में अग्रणी कंपनियों में शामिल करेगी। एनआरएल स्वच्छ ऊर्जा समाधानों और 2.4

> महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ऑयल इंडिया का प्रवेश नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी और रक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है।

केटीपीए क्षमता वाले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के विकास में भी अग्रणी है, जिसे 2025 में चालू करने का लक्ष्य है। ये पहल ओआईएल के लिए एक सच्चे विकास इंजन के रूप में एनआरएल की भूमिका को रेखांकित करती हैं, जो हमारे शोधन, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन एजेंडे का नेतृत्व कर रही है।

स्वच्छ ऊर्जा के युग में महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, ओआईएल ने हाइड्रोकार्बन से परे एक सार्थक विविधीकरण शुरू किया है। यह कदम न केवल ओआईएल के पोर्टफोलियो को मजबूत करता है बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी और राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करके सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, आपकी कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट और वैनेडियम से समृद्ध अपना पहला महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हासिल किया, जो भविष्य के लिए तैयार संसाधनों के खनन में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने राजस्थान में जोकियन-सतीपुरा-खुंजा समामेलित (अमलगमेटेड) पोटाश और हैलाइट ब्लॉक के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लिया। जबकि 31 मार्च 2025 तक परिणामों की प्रतीक्षा थी, उसके बाद ओआईएल ने ब्लॉक हासिल कर लिया, जो इसके पोर्टफोलियो में एक रणनीतिक वृद्धि को दर्शाता है। ये साझेदारियां भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करती हैं और देश की उन्नत प्रौद्योगिकियों और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य में परिवर्तन में ओआईएल की भूमिका की पुष्टि करती हैं।

घरेलू बाजार में क्रिसिल और केयर रेटिंग्स से प्राप्त सर्वोच्च दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग आपकी कंपनी की वित्तीय मजबूती और विवेकशीलता की पुष्टि करती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मूडीज (बीएए3 स्थिर) और फिच (बीबीबी- स्थिर) ने ऑयल इंडिया को भारत की सॉवरेन रेटिंग के समान रेटिंग दी है, जो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में हमारी वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।

डिजिटल परिवर्तन आपकी कंपनी के विकास और दक्षता का एक प्रमुख संबल बना हुआ है। हमारी प्रमुख पहल 'इाइव - ई और पी में नवाचार और मूल्य के लिए डिजिटल तत्परता' के पहले चरण के तहत, आपकी कंपनी ने 11 डिजिटल पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिनमें एआई-सक्षम ड्रोन निगरानी, वेधन और उत्पादन कार्यों की वास्तविक समय निगरानी और बेहतर निर्णय लेने के लिए उन्नत विश्लेषण शामिल हैं। इसी आधार पर, इाइव 2.0 को एक अत्याधुनिक कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर स्थापित करने, एक सुदृढ़ आईटी-ओटी एकीकरण ढांचा बनाने, मजबूत साइबर जोखिम प्रबंधन और उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया है जो दक्षता, सुरक्षा और संधारणीयता को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। ये पहल प्रचलानात्मक उत्कृष्टता और भविष्य के लचीलेपन के मुख्य चालक के रूप में डिजिटल नवाचार का उपयोग करने की आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

आपकी कंपनी मूल्य सृजन के मुख्य प्रेरक के रूप में लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हमने एक संलग्न और सशक्त कार्यबल के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन प्रथाओं को अपनाया है। हमारे विविधता, समानता और समावेश (डीईआई) सिद्धांतों के अनुरूप, आज ओआईएल में सभी भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या कार्यबल का 7.8% है। कंपनी ने हमारे दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप एक संरचित प्रशिक्षण कैलेंडर, तकनीकी योग्यता ढाँचे और उत्तराधिकार नियोजन प्रक्रियाओं जैसे रणनीतिक मानव संसाधन हस्तक्षेपों को शामिल करके अपने संगठनात्मक परिवर्तन को भी गति दी है। हम एक विविध और दक्ष कार्यबल के पोषण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से ओआईएल को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएगा।

हमारे कर्मचारी कल्याण और सामुदायिक विकास प्रयासों के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक आधुनिक, टिकाऊ और डिजिटल रूप से एकीकृत रहने का वातावरण प्रदान करने के लिए दुलियाजान टाउनशिप में मिनी स्मार्ट सिटी पहल शुरू की है। स्मार्ट बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा दक्षता, हरित पहल और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर आधारित, इस परियोजना का उद्देश्य कर्मचारी कल्याण टाउनशिप में एक मानक स्थापित करना है और साथ ही ओआईएल की स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है।

आपकी कंपनी ने ईएसजी को अपने मूल दर्शन के रूप में अंगीकार करते हुए, 2040 तक निवल-शून्य ऊर्जा कंपनी बनने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, हमने परियोजना संतुलन के शुभारंभ, 26 डीकार्बोनाइजेशन पहलों को अपनाने और अपस्ट्रीम क्षेत्र में भारत की पहली क्लाइमेट अकादमी की स्थापना, और 40 से अधिक अधिकारियों को क्लाइमेट चैंपियंस के रूप में प्रशिक्षण देकर इस रोडमैप को आगे बढ़ाया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ओआईएल ने पिछले वर्ष की तुलना में फ्लेयरिंग में 59% की कमी हासिल करके अपनी डीकार्बोनाइजेशन यात्रा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई - जो 2,78,899 टीसीओ2 उत्सर्जन में कमी के रूप में सामने आई। इस उपलब्धि ने आधार वर्ष 2023-24 की तुलना में कुल उत्सर्जन में 12.55% की कमी की, जो कंपनी की निवल-शून्य लक्ष्यों की दिशा में दृढ़ प्रगति को दर्शाता है। इस उपलब्धि के पूरक के रूप में, ऊर्जा दक्षता पहलों ने 1,704 टीसीओ2ई उत्सर्जन में कमी लाई और 2.38 मिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत की। नियमित फ्लेयरिंग को कम करने, जैव विविधता और जल संरक्षण को मज़बूत करने और स्थायी आपूर्ति श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाने के उपायों के माध्यम से और प्रगति हुई। तेल और गैस डीकार्बोनाइज़ेशन चार्टर सहित वैश्विक साझेदारियों ने हमारे स्थिरता एजेंडे को और मज़बूत किया। कंपनी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 601 हेक्टेयर भूमि भी पंजीकृत की और अपनी अंतरराष्ट्रीय ईएसजी स्थिति में सुधार किया, जिससे एस एंड पी ग्लोबल ईएसजी स्कोर 22 से दोगुना होकर 44 हो गया। ये पहल हमारे एकीकृत दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं - जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी,

सामाजिक प्रभाव और मजबूत शासन के साथ प्रचलनात्मक उत्कृष्टता को संतुलित करती है।

आपकी कंपनी शहरी गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का सक्रिय रूप से विस्तार कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुँच को मज़बूत कर रही है। एचपीसीएल के साथ हमारा संयुक्त उद्यम, एचपीओआईएल, अंबाला-कुरुक्षेत्र में 30 सीएनजी स्टेशनों का संचालन करता है और 21,005 पीएनजी कनेक्शनों की सेवाएँ प्रदान करता है, साथ ही कोल्हापुर में 29 सीएनजी स्टेशनों और 38,914 पीएनजी कनेक्शनों का प्रबंधन भी करता है। पूर्व भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड (पीबीजीपीएल) ने घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू करके और कछार, असम में चार सीएनजी स्टेशनों और कामरूप में 11 सीएनजी स्टेशन को चालू करके असम में ऊर्जा की पहुँच को बढ़ाया है। नॉर्थ-ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनईजीडीसीएल), जो ओआईएल और असम गैस कंपनी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, असम के उत्तरी तट और त्रिपुरा के उत्तरी और दक्षिणी भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। 12वें सीजीडी बोली दौर में, आपकी कंपनी ने दो भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को सुरक्षित किया - एचपीसीएल (एचओजीपीएल) के साथ अपने संयुक्त उद्यम के माध्यम से नागालैंड और बीपीसीएल के साथ अपने आगामी संयुक्त उद्यम के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश। इन अतिरिक्त के साथ, ओआईएल, अपनी संयुक्त उद्यम संस्थाओं के साथ, अब देश भर के नौ भौगोलिक क्षेत्रों में अधिकृत हो गई है, जिनमें से प्रत्येक के पास समय पर कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट कार्य कार्यक्रम हैं, जिससे भारत के शहरी गैस वितरण परिदृश्य में इसकी उपस्थिति और मजबूत होगी। ये पहल स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने और घरों, व्यवसायों और उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस को सुलभ बनाने के लिए ओआईएल की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं।

आपकी कंपनी अपने परिचालन क्षेत्रों और उसके आसपास के समुदायों के साथ साझेदारी में समावेशी और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साझा समृद्धि के सिद्धांत पर आधारित, ऑयल इंडिया की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, ग्रामीण खेल, कला, संस्कृति और विरासत का संरक्षण, साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता और राहत एवं पुनर्वास शामिल हैं। ये पहल न केवल महत्वपूर्ण सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में ऑयल इंडिया की भूमिका को भी सुदृढ़ करती हैं।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) के प्रति आपकी कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता हमारे कॉर्पोरेट मूल्यों की आधारशिला बनी हुई है, जो कर्मचारियों, ठेकेदारों, समुदायों और पर्यावरण की भलाई सुनिश्चित करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में 0.071 का अब तक का सर्वश्रेष्ठ एलटीआईएफआर (जरा सी चूक वाली घटनाएं फ्रीक्वेंसी रेट) ई और पी संचालन में एक मज़बूत सुरक्षा संस्कृति को दर्शाता है। आपकी कंपनी ने अपनी एचएसई परिवर्तन योजना का चरण-I पूरा कर लिया है, जिसमें धारणा सर्वेक्षण, जीएपी विश्लेषण और योग्यता मूल्यांकन शामिल है और अब चरण-II के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका ध्यान बेहतर सुरक्षा और पर्यावरण अनुपालन के लिए एक मज़बूत एचएसई प्रबंधन प्रणाली को लागू करने पर केंद्रित है।

एक उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढाँचा संस्थागत रूप दिया गया है, जो रणनीतिक, प्रचालन, वित्तीय और पर्यावरणीय जोखिमों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, बाजार की अस्थिरता के प्रति लचीलापन बढ़ाता है और सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन सुनिश्चित करता है। साथ ही, ओआईएल अपनी प्रमुख स्टार्ट-अप पहल, एसएनईएच के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एसएनईएच के तहत समर्थित यूग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के दौरान अविन्या'25 - ऊर्जा स्टार्टअप चैलेंज में भारत के शीर्ष 5 स्टार्टअप्स में शामिल किया गया और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग प्रदर्शनी, इलेक्ट्रामा के दौरान इलेक्ट्रावर्स में शीर्ष 3 स्टार्टअप्स में स्थान दिया गया।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत संतोष हो रहा है कि आपकी कंपनी ने लगातार मजबूत प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन प्रदर्शित किया है, जैसा कि भारत सरकार से लगातार तीन वर्षों – वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त 'उत्कृष्ट' समझौता ज्ञापन रेटिंग में परिलक्षित होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है और हमें इस प्रदर्शन को बनाए रखने का पूरा विश्वास है। यह मान्यता राष्ट्रीय ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुरूप दक्षता, विकास और मूल्य सृजन के प्रति ऑयल इंडिया लिमिटेड की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं केंद्र और राज्य सरकारों के अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने ऊर्जा क्षेत्र में आपकी कंपनी की अग्रणी स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के दृढ़ समर्थन, रचनात्मक मार्गदर्शन और सद्भावना के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिसने तेल और गैस उत्पादन में निर्बाध प्रगति को संभव बनाया है। मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और खान मंत्रालय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारी सततता और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। मैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों के साथ-साथ केजी, केरल-कोंकण और अंडमान अपतटीय क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमारे कार्यों को सुगम बनाने में निरंतर सहयोग दिया है।

मैं अपने निवेशकों और शेयरधारकों को ऑयल इंडिया के विजन और रणनीति में उनके अटूट विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपके विश्वास और हमारे कर्मचारियों के समर्पण के साथ-साथ सरकार के प्रबल समर्थन के साथ, आपकी कंपनी भारत के ऊर्जा रोडमैप का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है – तेल और गैस से लेकर स्वच्छ, टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत ऊर्जा समाधानों तक। हम सब मिलकर देश के विकास को गति देते रहेंगे, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मज़बूत करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी मूल्य का सृजन करेंगे।

जय हिंद!

हस्ता./-

डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संक्षिप्त परिचय

डॉ. रंजीत रथ,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. रंजीत रथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र रहे हैं।

डॉ. रथ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के गौरवान्वित प्राप्तकर्ता हैं।

भूविज्ञान के क्षेत्र में 28 वर्षों से अधिक के गहनअनुभव और विशेषज्ञता वाले एक भूवैज्ञानिक, डॉ. रथ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख बनने से पहले, खान मंत्रालय के अधीन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक; खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी; भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे और भारत सरकार के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल चुके हैं। डॉ. रथ के पास रणनीति निर्माण, व्यवसाय विकास और अपस्ट्रीम परिसंपत्ति प्रबंधन से लेकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भूविज्ञान और अन्वेषण भूविज्ञान के अनुप्रयोग तक विविध भूमिकाओं का एक समृद्ध पोर्टफोलियो है, जिसमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) का निर्माण भी शामिल है, जो भारत सरकार की अपनी तरह की पहली पहल है जिसमें कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण के लिए भूमिगत चट्टानी गुफाएँ शामिल हैं - ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अंतर्क्षेप।

निदेशक मंडल

कार्यात्मक निदेशक



श्री सलोमा योमदो

निदेशक (अन्वेषण एवं विकास)

श्री सलोमा योमदो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यालय), धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वे वर्ष 1994 में ऑयल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। 19 जुलाई, 2024 को कंपनी के निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) के रूप में पदोन्नत होने से पहले, वे कार्यकारी निदेशक की क्षमता में कंपनी के अन्वेषण एवं विकास निदेशालय का नेतृत्व कर रहे थे, तथा भारत और विदेशों में ईएंडडी गतिविधियों की देखरेख कर रहे थे। श्री योमदो ने ऑयल इंडिया के तेल और गैस क्षेत्रों में विभिन्न अन्वेषण, विकास और रिजर्वायर प्रबंधन प्रथाओं को सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया, चुनौतियों का समाधान किया और उद्देश्यपूर्ण प्रौद्योगिकी और भू-वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से सफलताएँ प्राप्त कीं। उनके प्रयासों ने उत्पादन स्तर को बनाए रखने और तेल और गैस क्षेत्रों के जीवन को बढ़ाने में योगदान दिया है।

उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर तकनीकी शोधपत्र भी प्रस्तुत और प्रकाशित किए हैं और सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स (एसपीई), अमेरिका और एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट्स (एपीजी) के सक्रिय सदस्य हैं।



श्री अभिजीत मजूमदार

निदेशक (वित्त)

श्री अभिजीत मजूमदार ने 20 नवंबर, 2024 को ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र, विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, तथा फॉरेक्स प्रबंधन, आईसीएफएआई में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और आईआईसीए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है।

32 से अधिक वर्षों के शानदार करियर के साथ एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ वित्तीय पेशेवर हैं। इनकी विशेषज्ञता में वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, कॉर्पोरेट व्यवसाय विकास आदि शामिल हैं।

एक वित्त पेशेवर के रूप में उनकी यात्रा 1992 में शुरू हुई। वे 1998 में ओआईएल में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ओआईएल की खाड़ी अन्वेषण परियोजना में परियोजना वित्त विभाग का नेतृत्व किया, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (देश का अपस्ट्रीम नियामक), में प्रतिनियुक्ति पर और ओआईएल के क्षेत्रीय मुख्यालय, दुलियाजान के वित्त एवं लेखा विभाग में कार्य किया। उन्होंने ओआईएल और एचपीसीएल की एक संयुक्त उद्यम सीजीडी (शहरी गैस वितरण) इकाई, एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निदेशक मंडल

कार्यात्मक निदेशक



श्री त्रैलोक्य बरगोहांई

निदेशक (प्रचालन)

श्री त्रैलोक्य बरगोहांई एक तेल एवं गैस अन्वेषण एवं उत्पादन पेशेवर हैं, जिन्होंने आईआईटी, रुड़की से अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में एम.एससी. और टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय, टेक्सारकाना, अमेरिका से ऊर्जा नेतृत्व में एमबीए किया है। वे मार्च 1995 में ऑयल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए।

निदेशक (प्रचालन) के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, वे मुख्य महाप्रबंधक (भूविज्ञान एवं जलाशय) के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने ऊपरी असम में ऑयल इंडिया के परिचालन क्षेत्रों में तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे असम, राजस्थान और गैबॉन में कई तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज से जुड़े रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई तकनीकी पत्र भी प्रस्तुत किए हैं और 36 से अधिक अन्वेषण मूल्यांकन रिपोर्टें लिखी हैं।

अपनी पेशेवर भूमिका के अलावा, वे एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट (एपीजी इंडिया), अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट (एएपीजी) और सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स (एसपीई) में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के अलावा, उनकी उपलब्धियों में टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय, टेक्सारकाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में एमबीए के दौरान शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए डेल्टा-मु-डेल्टा की सदस्यता भी शामिल है।



डॉ. अंकुर बरुआ

निदेशक (मानव संसाधन)

इंजीनियर से मानव संसाधन लीडर बने डॉ. अंकुर बरुआ के पास मानव संसाधन में एमबीए, व्यवसाय प्रशासन में पीएचडी और आईपीएमए परियोजना प्रबंधन एवं साइकोमेट्रिक परीक्षण प्रमाणन सहित प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र हैं।

मानव संसाधन और कॉर्पोरेट नेतृत्व में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, वे जनशक्ति नियोजन, प्रतिभा अधिग्रहण, कार्यनिष्पादन प्रबंधन, स्टेकहोल्डर सहभागिता और परिवर्तन प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। उनकी कार्यनीतिक और अभिनव पहलों की बदौलत मानव संसाधन उत्कृष्टता में उद्योग के अग्रणी के रूप में ऑयल इंडिया की स्थिति सुदृढ़ हुई है।

एक सम्मानित विचारक, डॉ. बरुआ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुख्य भाषण दिए हैं और उच्च-स्तरीय पैनल में भाग लिया है, जिसके लिए उन्हें सबसे प्रतिष्ठित मानव संसाधन नेता, एशिया में सर्वोच्च मानव संसाधन नेता और मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं। कुशल नगर, जोरहाट, असम के निवासी, वे बेहतर कार्यस्थलों और संगठनों के निर्माण के लिए मानव-केंद्रित नेतृत्व के प्रबल समर्थक हैं।

निदेशक मंडल

सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री रोहित माथुर
सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं
संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री रोहित माथुर, संयुक्त सचिव (सामान्य), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एवं एनजी), थापर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटियाला से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वित्त एवं नियंत्रण में स्नातकोत्तर (एमएफसी) का भी पाठ्यक्रम पूरा किया है। इससे पहले, वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक (एस, सीसी एवं एफपी) के पद पर कार्यरत थे और वे रिफाइनरी क्षेत्र, जैव ईंधन, पेट्रोकेमिकल्स, कच्चे तेल की आपूर्ति और प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित मामलों को संभालते थे। उन्होंने अन्य मंत्रालयों जैसे कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग), जैव प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया है।



श्री विकास सिंह
सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं
निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

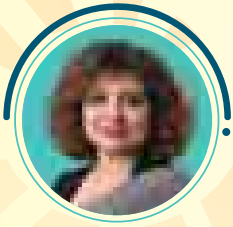
श्री विकास सिंह, निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (भारतीय राजस्व सेवा- 2007 बैच), के पास समृद्ध एवं विविध कार्य अनुभव है।

उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) में स्नातक, आईआरएमए, आणंद से प्रबंधन, नालसार विश्वविद्यालय से व्यावसायिक कानून एवं कराधान में स्नातकोत्तर और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि केंद्र-1 से एलएलबी शामिल हैं।

उन्होंने आयकर विभाग, आयकर जाँच शाखा, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कार्य किया है और वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक (जीपी-I) के पद पर कार्यरत हैं।

निदेशक मंडल

स्वतंत्र निदेशक

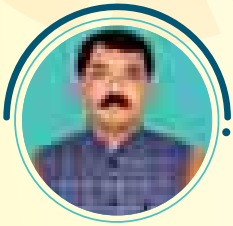


सुश्री पूजा सूरी

स्वतंत्र निदेशक

सुश्री पूजा सूरी 2006 से दिल्ली उच्च न्यायालय में एक प्रतिष्ठित वकील हैं और उनके पास बीए एलएलबी की डिग्री है। वर्तमान में वह पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रबंध समिति की नामित सदस्य हैं। उन्हें सिविल कानून, कंपनी कानून, संवैधानिक कानून, सेवा कानून वैकल्पिक विवाद समाधान/पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र और आपराधिक कानून के क्षेत्रों को कवर करने वाली मुकदमेबाजी से निपटने का 18 वर्ष का अनुभव है। उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी कानून, जघन्य अपराधों और सफ़ेदपोश अपराध: उपभोक्ता संरक्षण कानून और वाणिज्यिक विवाद के कानूनी मामलों को संभालने में भी विशेष विशेषज्ञता प्राप्त है। उनकी कानूनी कुशाग्रता और दूरदर्शिता जटिल कानूनी विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करती है।

सुश्री पूजा सूरी कंपनी की महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं।



श्री राजू देवाणकर

स्वतंत्र निदेशक

श्री राजू देवाणकर ने बसवेश्वर विज्ञान महाविद्यालय, बागलकोट से बी.एससी. की डिग्री प्राप्त की है। ये स्व-व्यवसायी हैं और आभूषण एवं निर्माण क्षेत्र में अपना व्यवसाय करते हैं। ये बागलकोट जिले के एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 33 वर्षों से वंचितों के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं।



श्री बलराम नंदवानी

स्वतंत्र निदेशक

श्री बलराम नंदवानी वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं। इन्हें लेखांकन, लेखापरीक्षा, वित्तीय प्रबंधन परामर्श और भारतीय कराधान कानूनों में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, ये पानीपत स्थित प्रैक्टिसिंग फर्म मैसर्स बलराम एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ भागीदार हैं। ये सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक नीति गतिविधियों के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न ट्रस्टों से जुड़े हैं। इसके अलावा, ये विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े हैं। वह आईसीएआई द्वारा गठित लोक एवं सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति के सदस्य भी थे (फरवरी 202-मार्च 2021)।



श्री मोती लाल मीना

स्वतंत्र निदेशक

श्री मोती लाल मीना स्नातक उपाधि प्राप्त हैं और कृषि एवं लघु उद्योग से जुड़े हैं। ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, लोक नीति और विभिन्न स्थानीय कल्याणकारी संस्थाओं के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न ट्रस्टों से भी जुड़े हुए हैं। ये धौलपुर और आसपास के जिलों के एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले कई वर्षों से किसानों, गरीबों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं।

सामान्य सूचना

सीआईएन: L11101AS1959GOI001148

कार्यात्मक निदेशक

डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सलोमा योमदो
निदेशक (अन्वेषण एवं विकास)
(दिनांक 19.07.2024 से)
श्री अभिजीत मजूमदार
निदेशक (वित्त)
(दिनांक 20.11.2024 से)
श्री त्रैलोक्य बरगोहांई
निदेशक (प्रचालन)
(दिनांक 17.12.2024 से)
डॉ. अंकुर बरुआ
निदेशक (मानव संसाधन)
(दिनांक 16.04.2025 से)
श्री अशोक दास
निदेशक (मानव संसाधन)
(दिनांक 31.12.2024 तक)
श्री पी के गोस्वामी
निदेशक (प्रचालन)
(दिनांक 30.09.2024 तक)
स्व. श्री हरीश माधव
निदेशक (वित्त)
(दिनांक 30.06.2024 तक)
डॉ. मानस कुमार शर्मा
निदेशक (अन्वेषण एवं विकास)
(दिनांक 30.06.2024 तक)

सरकार नामित निदेशक

श्री रोहित माथुर
(दिनांक 13.05.2024 से)

श्री विकास सिंह
(दिनांक 24.06.2025 से)

श्री जॉर्ज थॉमस
(दिनांक 13.05.2024 से 21.03.2025 तक)

श्री विनोद शेषन
(दिनांक 10.05.2024 तक)

स्वतंत्र निदेशक

सुश्री पूजा सूरी
(दिनांक 07.11.2024 तक)
एवं (28.03.2025 से)

श्री राजू देवाणकर
(दिनांक 07.11.2024 तक) एवं
(28.03.2025 से)

श्री बलराम नंदवानी
(दिनांक 28.03.2025 से)

श्री मोती लाल मीना
(दिनांक 17.05.2025 से)

मुख्य वित्त अधिकारी
श्री अभिजीत मजूमदार
(दिनांक 18.12.2024 से)
श्री रूपम बरुआ
(दिनांक 01.07.2024 से 17.12.2024 तक)
स्व. श्री हरीश माधव
(दिनांक 30.06.2024 तक)

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी
श्री अभिजीत दास
(दिनांक 01.04.2025 से)
श्री सचिदानंद महाराणा
(दिनांक 31.03.2025 तक)

कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी
श्री ए के साहू

आवासी मुख्य कार्यकारी
श्री रूपज्योति फुकन
(दिनांक 01.09.2024 से)
श्री अनफोर अली हक
(दिनांक 31.08.2024 तक)

पंजीकृत कार्यालय

ऑयल इंडिया लिमिटेड
पर्सा इवान्स रोड, पीओ दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़
असम - 786602
वेबसाइट – www.oil-india.com
ईमेल - oilindia@oilindia.in, webmaster@oilindia.in

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: ऑयल इंडिया लिमिटेड) सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट - 31 और 32,
वित्तीय जिला नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत 500 032
दूरभाष सं.: 1-800-309-4001(टोल फ्री), फैक्स नं. 0402300153
ईमेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट- www.kfintech.com

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
आईडीबीआई बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
कार्यालय नं. 9 जीके टावर, एटी रोड़, भाटलुमुख,
गुवाहाटी, असम 781001
मैसर्स आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
परमेश्वरी, 508, 5वां तल, छत्रीबारी रोड़ गुवाहाटी 781001

लागत/सचिवीय लेखापरीक्षक

लागत लेखाकार
मैसर्स शोम एंड बैनर्जी
59 ए, कंसारीपाड़ा रोड़, फ्लैट नं. 1, प्रथम तल,
कोलकाता – 700025, पश्चिम बंगाल
सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव
एच – 63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092

प्रमुख उपलब्धि

2025

- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तेल एवं गैस उत्पादन 6.710 एमएमटीओई तेल+तेल समतुल्य गैसें (ओ+ओईजी) है, जो स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक ओ+ओईजी उत्पादन है।
- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड' का निगमन

2024

- 04.08.2023 को महारत्न सीपीएसई का दर्जा प्राप्त
- 6.541 एमएमटीओई का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन तेल+तेल समतुल्य गैसें (ओ+ओईजी)

2023

- अब तक का सर्वाधिक राजस्व एवं कर पश्चात लाभ (पीएटी) प्राप्त किया
- वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन प्राप्त किया

2022

- राजस्थान में आरजे-ओएनएचपी -2017/9 ब्लॉक (ओएएलपी-I) में प्रथम कूप सूरसार-1 की खुदाई करके ओएएलपी ब्लॉकों में वेधन अभियान की शुरुआत की।
- जोरहाट, असम में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की पहली पायलट परियोजना शुरू की गई।
- ऑयल इंडिया और असम गैस कंपनी लिमिटेड के कंसोर्टियम ने सीजीडी बोली के 11वें दौर के तहत तीन भौगोलिक क्षेत्रों (गैस) में असम एक त्रिपुटा में दो सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए बोलियाँ जीतीं।

2013

- अमेरिका में नियोब्रारा शेल तेल एवं गैस परिसंपत्ति में फ़ार्मिंग की।
- राजस्थान में 54 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना चालू की गई।

2012

- राजस्थान में 13.6 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना चालू की गई।

2011

- गुवाहाटी में ऊर्जा अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई।
- 250 किलोमीटर लंबी दुलियाजान नुमालीगढ़ गैस पाइपलाइन सफलतापूर्वक चालू की गई।

2010

- भारत सरकार द्वारा "नवरत्न" का दर्जा दिया गया।

2009

- स्वर्ण जयंती वर्ष: राष्ट्र के प्रति अथक सेवा के 50 वर्षों का जश्न मनाया।
- सितंबर 2009 में आईपीओ लॉन्च कर 2770 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। यह निर्गम 32 गुना ओवरसब्स क्राइब हुआ।
- इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध।
- प्रोजेक्ट कैराबोबो के साथ वेनेजुएला में प्रवेश।

2008

- 660 किलोमीटर लंबी नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी पाइपलाइन सफलतापूर्वक चालू हुई।
- डीएनपी लिमिटेड में 23% इक्विटी शेयरधारिता अधिग्रहित की।

2007

- एनआरएल में शेयरधारिता बढ़ाकर 26% और बीसीपीएल में 10% हिस्सेदारी प्राप्त करके डाउनस्ट्रीम उपस्थिति का सुदृढ़ीकरण।

2006

- वैश्विक स्तर पर बढ़ने की दिशा में पहला कदम - नाइजीरिया में ब्लॉक ओपीएल 205 और गैबॉन में ब्लॉक शक्ति में फ़ार्मिंग की ।

2005

- तकनीकी उन्नयन - विविध कार्यों को एकीकृत करके तालमेल बिठाने के लिए ईआरपी पैकेज के रूप में एसएपी आर/3 को अपनाया गया।

2004

- "अनुसूची-क" पीएसयू का दर्जा प्राप्त हुआ।
- विविध कार्यों को एकीकृत करके कच्चे तेल का उत्पादन 3 एमएमटी को पार किया।

2000

- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में 10% इक्विटी शेयरधारिता अधिग्रहित की।

2021

- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में अतिरिक्त 54.16% स्वामित्व प्राप्त किया, परिणामस्वरूप ओआईएल एनआरएल की प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी बन गई।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मधुबन, डिब्रूगढ़, असम में सेकेंडरी टैंक फार्म और माकुम, तिनसुकिया, असम में गैस कंप्रेसर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया।
- ओएएलपी राउंड-V में 4 ब्लॉक अधिग्रहित किए, जिससे रकबे में13% की वृद्धि हुई।

2020

- संयुक्त उद्यम कंपनी एचपी ओआई एल गैस प्राइवेट लिमिटेड (एचओ जीपीएल) के माध्यम से कोल्हापुर में 4 सीएनजी स्टेशनों और अंबाला-कुरुक्षेत्र में 3 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन शुरू किया।
- ओएएलपी-II (6 संख्या) और III (6 संख्या) के अंतर्गत 34,230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले 12 (बारह) ब्लॉक अधिनिर्णीत किए गए, जिनका क्षेत्रफल ओडिशा, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, राजस्थान और अंडमान तथा केरल-कोंकण के अपतटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है।
- रोवुमा अपतटीय क्षेत्र- 1 मोज़ाम्बिक में प्रारंभिक दो एलएनजी ट्रेन परियोजनाओं के विकास हेतु अंतिम निवेश निर्णय लिया गया।

2019

- अपनी 60 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाया।
- 10 वर्षों के लिए 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रेगुलेशन एस बॉण्ड जारी किए।
- आईएसएम, एलएसई पर अपने बॉण्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली तेल एवं गैस कंपनी।
- ओआईएल, असम गैस कंपनी लिमिटेड और गेल गैस लिमिटेड के कंसोर्टियम ने सीजीडी बोली के 9वें दौर के तहत कामरूप महानगरीय जिलों और कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए बोलियाँ जीतीं।
- भारत और अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान और रूस सहित अन्य देशों में दो आविष्कारों के लिए पेटेंट अनुदान प्राप्त किया।
- ओएएलपी राउंड-1 के तहत 7907 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल को कवर करने वाले 9 (नौ) ब्लॉक अधिनिर्णीत किए गए।
- अन्वेषित लघु क्षेत्र राउंड-II के अंतर्गत त्रिपुरा (47.23 वर्ग किमी) और केजी अपतटीय (93.902 वर्ग किमी) में से प्रत्येक में 2 (दो) संविदा क्षेत्र अधिनिर्णीत किए गए।

2014

- मोज़ाम्बिक में अपतटीय क्षेत्र 1 रोवुमा फील्ड में 4% हिस्सेदारी अधिग्रहित की।
- बांग्लादेश में अपतटीय बोली दौर में ब्लॉक एसएस04 और एसएस09 अधिग्रहित किए।
- म्यांमार में बोली दौर में ब्लॉक एम-4 और वाईईबी अधिग्रहित किए।
- रूस में लाइसेंस 61 में 50% हिस्सेदारी अधिग्रहित की।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 5% हिस्सेदारी अधिग्रहित की।
- मूडीज़ और फिच रेटिंग्स से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की।
- रेगुलेशन एस बॉण्ड के आरंभिक निर्गम से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाई गई, निर्गम 9 गुना अधिक ओवरसब्सक्राइब हुआ।

2015

मध्य प्रदेश और गुजरात में क्रमशः 38 मेगावाट और 16 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित कीं।

2016

राजस्थान में 9 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की।

2017

आईओसीएल और बीपीआरएल के साथ कंसोर्टियम में रूस में सीजेएससी वैंकोरनेफ्ट में 23.90% और तास-युर्याख नेफ्टेगाज़ोडो बायचा में 29.90% हिस्सेदारी हासिल की। कंसोर्टियम में ओआईएल की हिस्सेदारी 33.5% है।

2018

- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रेगुलेशन एस बॉण्ड निर्गत किया, जो पिछले दशक में किसी भी भारतीय निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त न्यूनतम स्प्रेड दर पर था।
- गुजरात और मध्य प्रदेश में 18.9 मेगावाट क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजनाएँ चालू की गईं।
- ऑयल इंडिया और एचपीसीएल के कंसोर्टियम ने पीएनजीआरबी की शहरी गैस वितरण (सीजीडी) बोली के आठवें दौर के तहत कोल्हापुर और अंबाला-कुरुक्षेत्र नामक दो भौगोलिक क्षेत्रों में जीत हासिल की।

1982

टर्बो एक्सपेंडर का उपयोग करके एलपीजी संयंत्र की स्थापना।

1981

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम बना

1963

कच्चे तेल की पाइपलाइनों की संस्थापना, कमीशनिंग और अनुरक्षण के क्षेत्र में प्रवेश किया

1961

बर्मा ऑयल कंपनी और भारत सरकार के बीच बराबर भागीदारी वाली संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित

1959

ऑयल इंडिया लिमिटेड, 18 फरवरी, 1959 को बर्मा ऑयल कंपनी (2/3 शेयर पूंजी धारक) और भारत सरकार (1/3 शेयर पूंजी धारक) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित हुई।

ओआईएल के अंतर्देशीय रकबे (प्रचालित)



प्रचालनरत	ब्लॉकों की संख्या	रकबा (वर्ग किमी)
पीएमएल (नामांकन)	25	4,829
पीईएल (नामांकन)	1	23
एनईएलपी	1	396
डीएसएफ़	3	208
ओएएलपी	26	46,842
कुल	**56**	**52,298**

5387 वर्ग किमी के 4 नं. गैर प्रचालित ब्लॉक

वित्त वर्ष 2024-25 में, ओआईएल ने ओएएलपी IX के तहत 51,555 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले 9 ब्लॉक (3 गैर-प्रचालित सहित) हासिल किए, आरएससी पर 15.04.2025 को हस्ताक्षर किए गए।

ओआईएल की अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियां

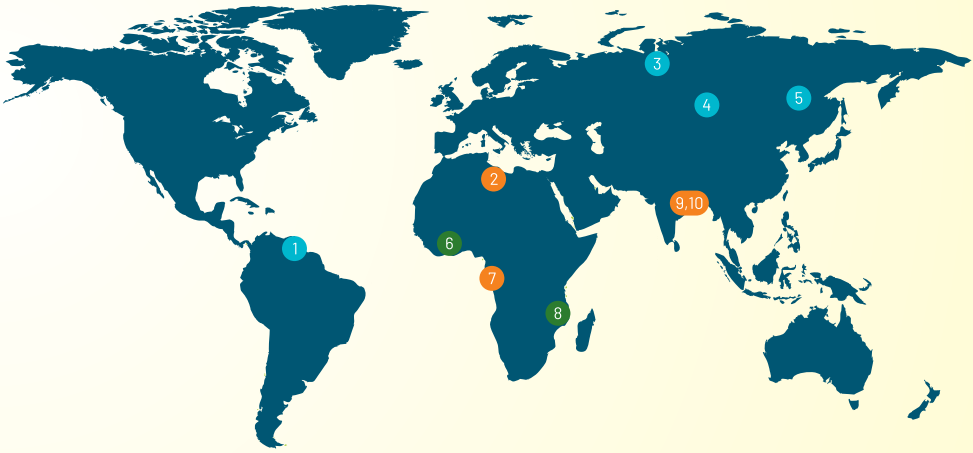
1 वेनेजुएला कारोबोबो (3.5%) 383 वर्ग किमी

2 लीबिया क्षेत्रफल 95/96 (25%) 6,629 वर्ग किमी

3 रूस जेएसजी वैंकोरनेफ्ट (8.0065%) 1,869 वर्ग किमी

4 रूस लाइसेंस-61 (50%) 4,991 वर्ग किमी

5 रूस एलएलसी टीवाईएनजीडी (10.0165%) 1,424 वर्ग किमी



6 नाइजीरिया ओएमएल 142 (17.5%) 1,295 वर्ग किमी

7 गैबॉन शक्ति (50%) 3,761 वर्ग किमी

8 मोज़ाम्बिक क्षेत्रफल 1 (4%) 4,977 वर्ग किमी

9 बांग्लादेश एसएस-04 (45%) 7,269 वर्ग किमी

10 बांग्लादेश एसएस-09 (45%) 7,026 वर्ग किमी

अन्वेषणात्मक परिसंपत्ति | विकासात्मक परिसंपत्ति | उत्पादक परिसंपत्ति

देशों की संख्या: 7 | परियोजनाओं की संख्या: 10 | कुल क्षेत्रफल: 39,624 किमी वर्ग



भाग 02

सांविधिक रिपोर्टें



- 66वीं एजीएम की सूचना
- 5 वर्षों का प्रदर्शन- एक झलक में
- निदेशकों की रिपोर्ट
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट
- सीएसआर गतिविधि संबंधी वार्षिक रिपोर्ट
- कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट
- व्यापार उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

ऑयल इंडिया
OIL INDIA
सीआईएन: L11101AS1959GOI001148
ई-मेल: investors@oilindia.in, वेबसाइट: www.oil-india.com
पंजीकृत कार्यालय : पीओ दुलियाजान, जिला : डिब्रूगढ़, असम - 786 602

ऑयल इंडिया लिमिटेड की 66वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों की 66वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरूवार, 18 सितंबर 2025 को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यवाहियों का संचालन किया जाएगा। एजीएम की कार्यवाहियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़, असम-786602 में आयोजित मानी जाएगी।

(क) साधारण व्यवसाय

66.01. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

66.02. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश [प्रति शेयर ₹1.50 अर्थात् प्रदत्त पूंजी का 15 प्रतिशत] की घोषणा करना।

66.03. श्री सलोमा योमदो (डीआईएन: 10696034) नए निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) के स्थान पर की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हुए और जिन्होंने इस पद के योग्य होने के कारण स्वयं की पुनः नियुक्ति की पेशकश की है।

66.04. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के वेतन/फीस का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

(ख) विशेष व्यवसाय

64.05. श्री अभिजीत मजूमदार [डीआईएन:10788427] की कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाये जाते हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित और उसके अधीन बनाए गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित धारा 152 और 161 के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए किसी अन्य दिशा-निर्देशों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, श्री अभिजीत मजूमदार [डीआईएन:10788427], जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 20.11.2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और निदेशक (वित्त) के रूप में नामित किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अधीन एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक (वित्त) नियुक्त किया जाता है और उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार होगी।"

66.06. श्री त्रैलोक्य बरगोहांई [डीआईएन:10788428] की कंपनी के निदेशक (संचालन) के रूप में नियुक्ति

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाये जाते हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित और उसके अधीन बनाए गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित धारा 152 और 161 के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए किसी अन्य दिशा-निर्देशों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, श्री त्रैलोक्य बरगोहांई [डीआईएन:10788428], जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 17.12.2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और निदेशक (संचालन) के रूप में नामित किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अधीन एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक (वित्त) नियुक्त किया जाता है और उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार होगी।"

66.07. डॉ. अंकुर बरूआ [डीआईएन : 10927299] की कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्ति

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाये जाते हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित और उसके अधीन बनाए गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित धारा 152 और 161 के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए किसी अन्य दिशा-निर्देशों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार, डॉ. अंकुर बरूआ [डीआईएन : 10927299], जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 16.04.2025 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नामित किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अधीन एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, को एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक (वित्त) नियुक्त किया जाता है और उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार होगी।"

66.08. श्री बलराम नंदवानी [डीआईएन : 00356119] की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाये जाते हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित और उसके अधीन बनाये गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमक सहित) के अन्य प्रावधानों यदि कोई हो, के साथ पठित की धारा 149, 150, 152 और 161, अनुसूची IV तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों (जैसा कि समय-समय पर संशोधित या पुनः अधिनियमित किया गया हो), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और विनियम 25(2A), संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किसी अन्य दिशा-निर्देशों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अंतर्गत, श्री बलराम नंदवानी [डीआईएन: 00356119], जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 28.03.2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहेंगे, तथा जिनके संबंध में कंपनी को धारा 160 के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है – उन्हें कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो एक वर्ष की अवधि के लिए [28.03.2025 से 27.03.2026 तक] पद पर रहेंगे और उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार नहीं होगी।"

66.09. श्री राजू देवाणकर [डीआईएन : 09398201] की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाये जाते हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित और उसके अधीन बनाये गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमक सहित) के अन्य प्रावधानों यदि कोई हो, के साथ पठित की धारा 149, 150, 152 और 161, अनुसूची IV तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और विनियम 25(2A), संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किसी अन्य दिशा-निर्देशों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अंतर्गत, श्री राजू देवाणकर [डीआईएन: 09398201], जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 28.03.2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहेंगे, तथा जिनके संबंध में कंपनी को धारा 160 के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है – उन्हें कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो एक वर्ष की अवधि के लिए [28.03.2025 से 27.03.2026 तक] पद पर रहेंगे और उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार नहीं होगी।"

66.10. सुश्री पूजा सूरी [डीआईएन : 03077515] की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाई जाती हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित और उसके अधीन बनाये गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमक सहित) के अन्य प्रावधानों यदि कोई हो, के साथ पठित की धारा 149, 150, 152 और 161, अनुसूची IV तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और विनियम 25(2A), संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किसी अन्य दिशा-निर्देशों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अंतर्गत, सुश्री पूजा सूरी [डीआईएन: 03077515], जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 28.03.2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहेंगे, तथा जिनके संबंध में कंपनी को धारा 160 के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है – उन्हें कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो एक वर्ष की अवधि के लिए [28.03.2025 से 27.03.2026 तक] पद पर रहेंगी और उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार नहीं होगी।"

66.11. श्री मोती लाल मीना [डीआईएन : 11111214] की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाये जाते हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित और उसके अधीन बनाये गए नियमों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमक सहित) के अन्य प्रावधानों यदि कोई हो, के साथ पठित की धारा 149, 150, 152 और 161, अनुसूची IV तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और विनियम 25(2A), संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी किसी अन्य दिशा-निर्देशों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अंतर्गत, श्री मोती लाल मीना [डीआईएन: 11111214], जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 17.05.2025 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था, इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहेंगे, तथा जिनके संबंध में कंपनी को धारा 160 के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है – उन्हें कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए [17.05.2025 से 08.05.2028 तक] पद पर रहेंगी और उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार नहीं होगी।"

66.12. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाई जाती हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 की धारा 148 और अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, जिसमें वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षक, मैसर्स शोम एंड बनर्जी, लागत लेखाकार को पारिश्रमिक [जैसा कि इस बैठक को बुलाने की सूचना के साथ संलग्न विवरण में निर्धारित है] की पुष्टि की जाती है।"

66.13. मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों की कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति

इस संबंध में विचार करना और यदि वे योग्य पाई जाती हैं, तो किसी परिवर्तन(नों) या उसके बिना निम्नलिखित प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, जिसमें वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है और कंपनी के निदेशक मंडल की सिफारिश पर, मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव [फर्म पंजीकरण संख्या- P2023UP098500] को इस बैठक के आयोजन की सूचना के साथ संलग्न विवरण में निर्धारित पारिश्रमिक पर पाँच वर्ष की अवधि [वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30] के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को ऐसे सभी कार्य करने और आवश्यक कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे जाएं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ऑयल इंडिया लिमिटेड

हस्ता/-
(ए. के. साहू)
कंपनी सचिव
एम.सं.एसीएस 12835

स्थान: नोएडा
दिनांक: 24.08.2023

टिप्पण

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडीसीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफ़डी/सीएफ़डी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 जिसे इसके आगे सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया गया है, कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएमआयोजित करने की अनुमत है। अतः, परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। 66वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़, असम-786602 में आयोजित मानी जाएगी।

2. एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य स्वयं के स्थान पर किसी परोक्षी को भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार होता है। इस तरह के परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तथापि, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की छूट प्रदान करते समय परोक्षी नियुक्त करने की आवश्यकता से भी छूट दी है। इसलिए, इस एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा परोक्षी नियुक्त करने की सुविधा नहीं दी जा रही है। तदनुसार, परोक्षी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और स्थल का मार्ग मानचित्र भी इस सूचना के साथ नहीं दिए जा रहें हैं। सदस्यों से अपने अपने स्थान से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से इस एजीएम में प्रतिभागिता करने का अनुरोध किया जाता है।

3. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 और सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) विनियमावली 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, तथा सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी एजीएम में कार्यवाही निष्पादित करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कपनी ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में एनएसडीएल के साथ करार किया है। रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा और साथ ही साथ एजीएम की तिथि को स्थल वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी (एलओडीआर) के साथ पठित अधिनियम की धारा 101 और 136 के अनुसार और सेबी और एमसीए द्वारा यथा अनुमत, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है।

   सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.oil-india.com पर अपलोड की गयी है और साथ ही साथ इसे स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट कमशः www. bseindia.com और www.nseindia.com पर और साथ ही साथ एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है। नोटिस और/या वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति संबंधित सदस्य(यों) के विशिष्ट अनुरोध पर प्रदान की जाएगी।

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

6. सदस्य वीसी/ओएवीएम पद्धति के माध्यम से इस बैठक में इसके शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक इस सूचना में उल्लिखित प्रकिया का अनुपालन करते हुए शामिल हो सकते हैं।

7. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता की सुविधा पहले आएं पहले पाएं के आधार पर दी जाएगी।

8. इस बैठक में सम्पादित की जाने वाली विशेष कार्यवाहियों से संबंधित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में महत्वपूर्ण/तात्विक तथ्यों संबंधी एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

9. नियुक्त/पुनर्नियुक्ति निदेशक(कों) का एक संक्षिप्त प्रोफाइल और उनसे संबंधित सूचना इसके साथ संलग्न की गई है।

10. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि यदि बैठक में वे संयुक्त धारकों के तौर पर भाग लेने वाले हैं तो, केवल ऐसे संयुक्त धारक, जिनके नाम क्रम में सबसे पहले हैं, वे ही वोट करने के हकदार होंगे।

11. संलग्न सूचना में संदर्भित संगत दस्तावेज, सदस्यों द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए बिना किसी शुल्क के इस सूचना के परिचालन की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तारीख अर्थात् 18 सितंबर 2025, अर्थात् वार्षिक आम बैठक की तिथि को प्रातः 10:00 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों को देखने के इच्छुक सदस्य ई-मेल 16 सितम्बर, 2025 तक अथवा उससे पहले आईडी investors@oilindia.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

12. इक्विटी शेयरों पर देय लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित

किया जाता है, उन सदस्यों के नाम से किया जाएगा, जिनके नाम कंपनी सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे और यह भुगतान 04 सितम्बर 2025 (रिकॉर्ड तारीख) को कार्य घंटों की समाप्ति पर एनएसडीएएल और सीडीएसएल से प्राप्त लाभकारी स्वामियों की स्थिति के अनुसार होगा। अंतिम लाभांश, एजीएम में एक बार सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, घोषणा के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर पात्र सदस्यों को भुगतान कर दिया जाएगा।

13. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य नोट कर लें कि कंपनी द्वारा उनके संबंधित डिपॉजिटरी खातों के लिए पंजीकृत बैंक विवरण का उपयोग लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। लाभांश प्राप्त करने में विलंब से बचने के लिए सदस्यों से अपने बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने का अनुरोध किया जाता है।

14. सदस्य अपने पता, बैंक खाता विवरण, ई-मेल पता, नामांकन इत्यादि बदलने/अद्यतित करने के लिए अपने अनुरोध निम्नवत भेज सकते हैं :

    (i) **अभौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए -** अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत/अद्यतित करें।

    (ii) **भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए -** निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म ISR-1, फॉर्म ISR-2 और फॉर्म SH-13 (नामांकन फॉर्म) या फॉर्म ISR 3, दिए गए निर्देशों के अनुसार विधिवत भरा हुआ, मूल रद्द किए गए चेक सहित सहायक दस्तावेजों के साथ, दस्तावेजों की मूल प्रति कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, Kfin Technologies Ltd. के पते पर भेजकर।

15. सेबी ने भारतीय प्रतिभूतियों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक साझा ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल") स्थापित किया है। आरटीए/कंपनी के साथ सीधे और मौजूदा स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान करने के विकल्प का उपयोग करने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल अर्थात https://smartodr.in/login के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी ने अंतरिम लाभांश 2017-18 तक घोषित सभी अदावाकृत लाभांश और आंशिक शेयरों-बोनस इश्यू-2018 की बिक्री से प्राप्त राशि को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ़) में अंतरित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, जिन शेयरों पर पिछले सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ़ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में अंतरित कर दिया गया है। अदावाकृत अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2017-18 और अंतरिम लाभांश वित्त वर्ष 2018-19 के साथ-साथ संबंधित अदावाकृत शेयरों को भी संबंधित समय-सीमा के भीतर आईईपीएफ़ प्राधिकरण को अंतरित कर दिया जाएगा।

17. (क) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य :

    (i) सूचित किया गया कि संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियाँ किसी डिपॉजिटरी के पास अभौतिक रूप में न धारित की गई हों। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण या स्थानांतरण केवल अभौतिक रूप में ही किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को अभौतिक रूप में परिवर्तित कर लें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

    (ii) भविष्य में लाभांश की तत्काल और सुरक्षित प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) मोड को चुनने का अनुरोध किया;

    (iii) फॉर्म एसएच13 में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने की सलाह दी;

    (iv) सेबी द्वारा 2 जुलाई 2025 के परिपत्र के अनुसार, केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो उपलब्ध होगी, जो 1 अप्रैल 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य किसी कमी के कारण रद्द/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया, 6 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेंगे। सभी पहलुओं से पूर्ण पुनः दाखिल किए गए दस्तावेज 6 जनवरी 2026 को या उससे पहले कंपनी/आरटीए के पास जमा किए जाने चाहिए। उक्त तिथि के बाद कोई पुनः दाखिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल की गई प्रतिभूतियाँ केवल अभौतिक मोड में जारी की जाएँगी, बशर्ते कि ऐसे हस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से संपर्क करें।

    दो या दो से अधिक फोलियो के तहत शेयर होने की स्थिति में, आरटीए को समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध किया;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्य:

(i) जो अपना डीमैट अकांउट, परिवर्तन सहित यदि कोई हो, जैसा कि सेबी द्वारा आदेशित है, बनाकर रखे हुए उनसे संबंधित डीपी के पास अपने पते, बैंक खाते का विवरण, ई-मेल और पेन कार्ड जमा कराने का अनुरोध किया जाता है; और

(ii) उन्हें नामांकन की सुविधा का लाभ उठाने हेतु संबंधित डीपी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

18. केवाईसी विवरण अद्यतित करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण निर्धारित प्रपत्रों, अर्थात् आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3 या एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करें। ये फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://www.oilindia.com (निवेशक > निवेशक सेवाएँ > 'फॉर्म' टैब के अंतर्गत) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण, यदि कोई हो, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) को प्रस्तुत करें।

19. सेबी के अधिदेश के अनुसार, भौतिक प्रतिभूति धारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। तदनुसार, यदि सदस्यों के फ़ोलियो नंबर के निमित्त केवाईसी विवरण जैसे पैन, नामांकन का विकल्प, मोबाइल नंबर सहित संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर आदि उपलब्ध नहीं हैं, तो भुगतान रोक दिया जाएगा।

20. कंपनी ने वर्ष 2024 में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं, जहाँ भौतिक शेयरधारकों के पात्र बोनस शेयर एक अलग एस्क्रो खाते, अर्थात् "ऑयल इंडिया लिमिटेड बोनस इश्यू 2024 भौतिक शेयरधारक" में जमा किए गए हैं।

इस संबंध में, ऐसे सभी शेयरधारकों का विवरण और इन शेयरों पर दावा करने की प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विवरण के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पथ www.oil-india.com => निवेशक => निवेशक सेवाएँ => अदावाकृत लाभांश/शेयर देखें।

इस संबंध में, कृपया हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या कंपनी से einward.ris@kfintech.com और कंपनी से investors@oilindia.in पर संपर्क करें।

21. प्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी रजिस्ट्रार (केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) को सूचित करें

(क) स्थायी निवास के लिए भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में बदलाव।

(ख) भारत में अपने बैंक खाते का विवरण, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या और बैंक का पता पिन कोड सहित, अगर पहले ये विवरण नहीं दिए गए हैं।

22. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के उपबंधों के अनुपालन में सदस्यों को इस नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से सभा स्थल से अलग किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप (रिमोट ई-वोटिंग) से अपना मत देने की सुविधा प्रदान की गई है। एजीएम हेतु वोटिंग का संचालन कराने के मैसर्स ए एन कुकरेजा एंड कं., कंपनी सचिव को स्क्रूटनाइज़र के रूप में किया गया है।

23. सदस्यों को मतदान का अधिकार अंतिम तिथि अर्थात् 11 सितंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की तुलना में उनके शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती संबंधी अनुदेश :

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर ("टीडीएस") काटने की आवश्यकता होगी। लागू टीडीएस दर निर्धारित करने में हमें सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए लाभांश पर टीडीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में दी गई समय सीमा के अनुसार संगत दस्तावेज प्रस्तुत करें। [लाभांश पर टीडीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए वेब लिंक: https://www.oilindia.com/files/investor_services_documents/TDS%20on%20dividend.pdf]

इसके अलावा, नमूना फॉर्म सहित फॉर्म 15G/15H/10F जमा करने के लिए वेब-लिंक कंपनी की वेबसाइट www.oil-india.com => निवेशक => निवेशक सेवाएँ => लाभांश पर टीडीएस पर भी उपलब्ध है। शेयरधारक उक्त फॉर्म जमा करने के लिए वेबलिंक पर क्लिक करने के बाद Kfin वेबसाइट पर जा सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में शामिल होने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं :-

रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 14 सितंबर, 2025 को प्रातः 10.00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 17 सितंबर, 2025 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को 30 दिनों के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन

सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 11 सितंबर, 2025 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए मैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे मतदान करूँ ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने का तरीका में "दो कदम" शामिल हैं, जिनके नीचे उल्लेख किया गया है :

कदम 1 : एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश

क) **<u>अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।</u>**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड (अभौतिक रूप में) में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) और निक्षेपागार प्रतिभागियों (डिपॉजिटरी प्रतिभागी) के साथ धारित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक एक्सेस के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

अभौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉग इन विधि

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग इन विधि
एनएसडीएल में अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की ग्राहक आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। 2. मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-वेबसाइट अर्थात् https://eservices.nsdl.com पर विज़िट कर सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के अंतर्गत "लाभार्थी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएस' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, यह आपको अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रोम्प्ट करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप वैल्यू एडेड सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेज को देख सकेंगे। कंपनी के नाम पर या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहां आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान एवं बैठक के दौरान वोटिंग में अपने वोट डाल सकते हैं। 3. यदि आप आईडीईएस सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो पंजीकरण का विकल्प निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध होगा https://eservices.nsdl.com. रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आईडीईएस पोर्टल को सेलेक्ट करें या नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक करें- https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें। एक बार जब ई-वोटिंग प्रणाली का मुख्य पृष्ठ आ जाएगा, "लॉग इन" आयकॉन पर क्लिक करें, जो 'शेयरहोल्ड/मेंबर' के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना प्रयोक्ता आईडी (एनएसडीएल में धारित 16 अंकों वाला डिमैट खाता संख्या) और पासवर्ड/ओटीपी डालना होगा और स्क्रीन पर दिखाया गया प्रमाणीकरण कोड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकेंगे। कंपनी के नाम पर ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान एवं बैठक के दौरान वोटिंग में अपने वोट डाल सकते हैं।

	5. शेयरधारक/सदस्य निर्विघ्न वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यू आर कोड स्कैन कर **"एनएसडीएल स्पीड"**, एनएसडीएल मोबाइल एप्प भी डाउनलोड कर सकते हैं। 
सीडीएसएल में अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा प्रयोक्ता जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/इजियेस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। आगे बिना और किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध होगा। ईजी/इजियेस्ट लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन और नए सिस्टम मायईजी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा मायईजी यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईजी/इजियेस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ईवोटिंग प्रगति पर है। ईवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/इजियेस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम मायईजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज पर जा सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां ईवोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों (डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट्स) के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉग-इन करने पर आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निदेशित कर दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निदेशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना : जो सदस्य अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं उस ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध उन्हें फोरगेट यूजर आईडी और फोरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

व्यक्तिगत शेयरधारक जो अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारित करते हैं, के लिए डिपॉजिटरी, अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉग इन से संबंधित किसी तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग इन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क से evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर संपर्क कर सकते हैं या 022 - 48867000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल में अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-21-09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) अभौतिक रूप में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

एनएसडीएल ई वोटिंग वेबसाइट पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एक बार जब ई-वोटिंग प्रणाली पर मुख्य पृष्ठ खुल जाता है, "लॉग इन" आइकॉन को क्लिक करें, जो 'शेयरधारक/सदस्य' खंड के अंतर्गत मौजूद है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सर्विसेज यानी आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग-इन करने के बाद ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप कदम 2 पर आगे बढ़ें अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।
4. आपका यूजर आईडी विवरण इस प्रकार है :

अभौतिक (डीमैट) रूप में (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप में शेयर रखने का तरीका	**आपकी यूजर आईडी इस प्रकार से है :**
(क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के डिमैट खाते में शेयर धारित करते हैं	8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी DP ID IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है।
(ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के डिमैट खाते में शेयर धारित करते हैं	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी यूजर आईडी 12**********
(ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या बाद आने वाली सम संख्या उदाहरणार्थ यदि फोलियो संख्या 001*** है और समसंख्या 101456 है तो यूजर संख्या 101456001** होगी

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :
   - क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर लॉग इन कर सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं।
   - ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार कर रहें हैं तो आपको "प्रारंभिक पासवर्ड" निकालने की जरुरत होगी, जो आपको संसूचित किया जाएगा। एक बार जब आपको आपका "प्रारंभिक पासवर्ड" मिल जाता है, तब आपको अपने "प्रारंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की जरुरत होगी और सिस्टम आपको अपने पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
   - ग) अपना प्रारंभिक पासवर्ड कैसे प्राप्त करें ?
     - (i) यदि आपकी ई-मेल आइडी आपके डिमैट खाते के साथ पंजीकृत है या आपकी कंपनी में पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपके ई-मेल आइडी पर संसूचित किया जाएगा। आप अपने मेल बॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजी गई मेल का पता लगाएं। ई-मेल खोलें और संलग्नक को खोलें अर्थात् पीडीएफ फाइल को खोलें। पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड एनएसडीएल खाते का आपका 8 अंकों वाला ग्राहक पहचान है और सीडीएसएल के लिए ग्राहक पहचान का 8 अंकों वाला ग्राहक पहचान है या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए खाता या फोलियो संख्या है। पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होगा।
     - (ii) यदि आपकी ई-मेल आइडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया इन प्रोसेस फॉर दोज शेयरहोल्डर्स व्हूज़ ई-मेल आईडीज आर नोट रजिस्टर्ड के तहत नीचे उल्लिखित कदमों का अनुपालन करें।
6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" निकालने या प्राप्त करने में सक्षम नहीं है या यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं :

क) वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगोट यूजर डिटेल्स/ पासवर्ड" पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के डिमैट खाते में शेयर धारण करते हैं)

ख) वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड? (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारित कर रहें हैं)

ग) यदि आप फिर भी ऊपर उल्लिखित दोनों तरीकों से पासवर्ड प्राप्त करने में सक्षम नही हो रहें है तो आप अपने डिमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, आपका पैन, आपका नाम और आपके पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट देने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के उपरांत चेक बॉक्स मे चयन कर "टर्म्स एंड कंडीशन्स" पर सहमति जताने के लिए चिन्हित करें।
8. अब आपको 'लॉग इन' बटन पर क्लिक करना होगा।
9. 'लॉग इन' बटन पर क्लिक करने पर, ई-वोटिंग का मुख्य पृष्ठ (होम पेज) खुल जाएगा।

कदम 2 : इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में शामिल हों?

1. कदम 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "इवेन" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी का "इवेन" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, जॉइन जनरल "मीटिंग में शामिल हों" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. वोटिंग पृष्ठ खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप अभिपुष्टि (कन्फर्मेशन) पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तिगत के अलावा हिन्दू अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय आदि) को भी बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र, अधिकृत प्रतिनिधियों के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित (पीडीएफ फॉर्मेट) में भेजना आवश्यक है। इसे स्क्रूटनाइज़र को ई-मेल kukreja1964@gmail.com पर भेजा जाना चाहिए और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in पर प्रेषित की जानी चाहिए। संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यष्टि के अलावा हिन्दू अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय आदि) अपने लॉग इन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र" पर क्लिक करके भी अपने बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामा/ प्राधिकार पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।
2. अपने पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने और अपने पासवर्ड को गोपनीय हेतु अधिक से अधिक ध्यान देने की पुरजोर सिफारिश की जाती है। ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग इन को सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको अपने पासवर्ड पुनः निर्धारित करने के लिए वेबसाइट www.evoting.nsdl.com "फॉरगेट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड?" या "फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड?" के माध्यम से जाने की ज़रूरत होगी।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध देख सकते हैं या evoting@nsdl.co.in में वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में हो: निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म ISR-1, फॉर्म ISR-2 और फॉर्म SH-13/SH-14/ISR-3 (नामांकन फॉर्म) को उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार विधिवत भरकर, मूल रद्द किए गए चेक सहित सहायक दस्तावेजों के साथ, दस्तावेजों की मूल प्रति

कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, केफ़िन टेक्नोलोजीज़ लिमिटेड के पते पर भेज दें।

2. यदि शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं: अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल आईडी को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत/अपडेट करें।

   सदस्य नोट करें कि सेबी के संगत परिपत्रों के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए पैन, पता, ईमेल आईडी, बैंक खाता विवरण (केवाईसी विवरण) और शेयरधारकों के नामांकन विवरण, जिन्होंने इसे अद्यतन नहीं किया है, को रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) के साथ अद्यतन करना अनिवार्य है। कंपनी का आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, संचरण, लाभांश आदि के संबंध में शेयरधारकों के सभी सेवा अनुरोधों को अभिलेखों में उपरोक्त विवरण को अद्यतन करने के बाद ही पूरा करेगा। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे कंपनी के आरटीए को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करके केवाईसी विवरण को अद्यतन करें।

3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, अभौतिक(डीमैट) रूप में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार है :

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए निर्देश वही है जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देश हैं।

2. केवल वे सदस्य/ शेयरधारक जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए हैं और ऐसा करने के लिए अन्यथा वर्जित नहीं हैं, ईजीएम/ एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए पात्र होंगे।

3. वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट दिए हैं, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम में मत देने के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा के संबंध में किसी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों के विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित वही व्यक्ति होंगे।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं :

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के लिए उल्लिखित कदमों का अनुपालन करते हुए प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद आप कंपनी नाम के सामने "ज्वॉयन जेनरल मीटिंग" के अंतर्गत रखे गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक देख सकते हैं। आपसे "जॉइन जनरल मीटिंग" के अंतर्गत रखे गए "वीसी/ ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करने का अनुरोध किया जाता है। "वीसी/ओएवीएम" का लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन पर उपलब्ध होगी जहाँ कपनी का इवेन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय में भाग-दौड़ से बचने के लिए इस सूचना (नोटिस) में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करते हुए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. बेहतर अनुभव हेतु सदस्यों को लैपटॉप के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी विघ्न से बचने के लिए कैमरा की अनुमति देना और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से जुडने वाले प्रतिभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो व्यवधान का अनुभव हो सकता है। इसलिए यह शिफारिश की जाती है कि उपर्युक्त व्यवधानों के उपशमन करने के लिए स्थिर वाईफाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।

5. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/फोलियो नंबर, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए वक्ता के रूप में अपने को पंजीकृत करने संबंधी अनुरोध 14 सितंबर, 2025 तक ई-मेल आईडी investors@oilindia.in पर भेज सकते हैं।

6. वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही बैठक के दौरान अपनी राय व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में स्पष्टीकरण विवरण

मद संख्या. 66.05

श्री अभिजीत मजूमदार [डीआईएन-10788427] को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या सीए-31014/2/2022-पीएनजी (43580) दिनांक 18 नवंबर, 2024 द्वारा कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 20.11.2024 से अतिरिक्त निदेशक [निदेशक (वित्त) के रूप में नामित] के रूप में शामिल किया गया। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है। श्री अभिजीत मजूमदार, यदि नियुक्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार होगी। नियुक्ति को विनियमित करने वाले निबंधन और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

श्री अभिजीत मजूमदार को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 66.06

श्री त्रैलोक्य बरगोहांई [डीआईएन- 10788428] को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या सीए-31014/2/2022-पीएनजी (44593) दिनांक 16 दिसंबर, 2024 द्वारा कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 17 दिसंबर 2024 से अतिरिक्त निदेशक [निदेशक (प्रचालन) के रूप में नामित] के रूप में शामिल किया गया। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है। श्री त्रैलोक्य बरगोहांई, यदि नियुक्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार होगी। नियुक्ति को विनियमित करने वाले निबंधन और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

श्री त्रैलोक्य बरगोहांई को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 66.07

डॉ. अंकुर बरुआ [डीआईएन- 10927299] को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या सीए-31014/2/2023-पीएनजी (45461) दिनांक 16 अप्रैल 2025 द्वारा कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 16 अप्रैल 2025 से अतिरिक्त निदेशक [निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नामित] के रूप में शामिल किया गया। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है। डॉ. अंकुर बरुआ, यदि नियुक्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार होगी। नियुक्ति को विनियमित करने वाले निबंधन और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

डॉ. अंकुर बरुआ को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 66.08

श्री बलराम नंदवानी [डीआईएन- 00356119] को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या सीए 31033/2/2021-पीएनजी (39069) दिनांक 28 मार्च 2025 द्वारा गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए 28 मार्च 2025 से अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित) के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है। श्री बलराम नंदवानी, यदि नियुक्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार नहीं होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

श्री बलराम नंदवानी को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 66.09

श्री राजू देवाणकर [डीआईएन- 09398201] को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या सीए 31033/2/2021-पीएनजी (39069) दिनांक 28 मार्च 2025 द्वारा गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए 28 मार्च 2025 से अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित) के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है। श्री राजू देवाणकर, यदि नियुक्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार नहीं होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

श्री राजू देवाणकर को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 66.10

सुश्री पूजा सूरी [डीआईएन- 03077515] को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या सीए 31033/2/2021-पीएनजी (39069) दिनांक 28 मार्च 2025 द्वारा गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए 28 मार्च 2025 से अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित) के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है। सुश्री पूजा सूरी, यदि नियुक्त होती हैं, तो उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार नहीं होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

सुश्री पूजा सूरी को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 66.11

श्री मोती लाल मीना [डीआईएन- 11111214] को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या सीए 31033/2/2021-पीएनजी (39069) दिनांक 09 मई 2025 द्वारा गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार इस वार्षिक आम बैठक तक पद धारण करने के लिए 17 मई 2025 से अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित) के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है। श्री मोती लाल मीना, यदि नियुक्त होते हैं, तो उनकी सेवानिवृति रोटेशन के अनुसार नहीं होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

श्री मोती लाल मीना को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 66.12

निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा एवं आचरण समिति की सिफारिश पर मैसर्स शोम एंड बनर्जी, लागत लेखापरीक्षक को कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जिसे 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए कुल 3,00,000/- रुपये (मात्र तीन लाख रुपये) प्रति वर्ष एवं लागू कर और वास्तविक उपरिव्ययों के लिए मंजूरी प्रदान की है। कंपनी बोर्डिंग, लॉजिंग और यात्रा

व्यय प्रदान करेगी। शुल्क में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करना और एक्सबीआरएल मोड में अनुलग्नकों के साथ लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के रूपांतरण और उसकी ई-फाइलिंग की लागत शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पोरेट अवलोकन निदेशकों की रिपोर्ट वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि हेतु एक साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है/ सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 66.13

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 24ए के अनुसार, एक सूचीबद्ध संस्था निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, किसी व्यक्ति को सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में, लगातार पांच वर्षों के एक कार्यकाल से अधिक के लिए या एक सचिवीय लेख परीक्षा फर्म को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में, वार्षिक आम बैठक में अपने शेयरधारकों के अनुमोदन से, लगातार पांच वर्षों के दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त या पुनर्नियुक्त करेगी।

तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने 12 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव [फर्म पंजीकरण संख्या P2023UP098500] को पांच साल की अवधि [वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30] के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है, जिसमें करों को छोड़कर 1,08,900/- रुपये का पारिश्रमिक [21,780/- रुपये प्रति वर्ष] दिया जाएगा।

मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव एक समकक्ष समीक्षा प्राप्त फर्म है, जो 2014 से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के साथ पंजीकृत है, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में और शाखा कार्यालय नई दिल्ली में है।

मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव ने कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है और पुष्टि की है कि उनकी उपरोक्त नियुक्ति (यदि की जाती है) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगी। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि वे सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराए गए हैं और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों और अन्य लागू नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

इसके अलावा, कंपनी समय-समय पर आवश्यकतानुसार मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों से संविधिक विनियमों के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती है और अन्य अनुमेय सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं है/ सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफ़ारिश करता है।

नियुक्त / पुनःनियुक्त किए गए निदेशक(कों) का संक्षिप्त प्रोफाइल / जानकारी

निदेशक का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	योग्यता (एं) और विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	भारत के बाहर निगमित कंपनियों सहित अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	सभी कंपनियों जिनमें वे निदेशक हैं, की बोर्ड समितियों में धारित सदस्यता / अध्यक्ष पद
श्री सलोमा योमदो	23.06.1972	19.07.2024	1,125	श्री सलोमा योमदो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यालय), धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्नातक हैं। वे वर्ष 1994 में ऑयल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। 19 जुलाई, 2024 को कंपनी के निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) के रूप में पदोन्नत होने से पहले, वे कार्यकारी निदेशक की क्षमता में कंपनी के अन्वेषण एवं विकास निदेशालय का नेतृत्व कर रहे थे, तथा भारत और विदेशों में ईएंडपी गतिविधियों की देखरेख कर रहे थे। श्री योमदो ने ऑयल इंडिया के तेल और गैस क्षेत्रों में विभिन्न अन्वेषण, विकास और रिजर्वायर प्रबंधन प्रथाओं को सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया, चुनौतियों का समाधान किया और उद्देश्यपूर्ण प्रौद्योगिकी और भू-वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से सफलताएँ प्राप्त कीं। उनके प्रयासों ने उत्पादन स्तर को बनाए रखने और तेल और गैस क्षेत्रों के जीवन को बढ़ाने में योगदान दिया है।	ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	**ऑयल इंडिया लिमिटेड में सदस्यता** • जोखिम प्रबंधन समिति • स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण समिति • व्यवसाय विकास समिति
श्री अभिजीत मजूमदार	05.03.1967	20.11.2024	1,530	श्री अभिजीत मजूमदार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र, विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, तथा फॉरेक्स प्रबंधन, आईसीएफएआई में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और आईआईसीए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है।	• ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड, मॉरीशस	**ऑयल इंडिया लिमिटेड में सदस्यता** • कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास समिति

निदेशक का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	योग्यता (एं) और विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	भारत के बाहर निगमित कंपनियों सहित अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	सभी कंपनियों जिनमें वे निदेशक हैं, की बोर्ड समितियों में धारित सदस्यता / अध्यक्ष पद
				32 से अधिक वर्षों के शानदार कैरियर के साथ एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ वित्तीय पेशेवर हैं। इनकी विशेषज्ञता में वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, कॉर्पोरेट व्यवसाय विकास आदि शामिल हैं।	• ऑयल इंडिया स्वीडन एबी स्वीडन • ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड • असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड	• जोखिम प्रबंधन समिति • स्टेकहोल्डर संबंध समिति • व्यवसाय विकास समिति • परियोजना मूल्यांकन समिति **ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड में अध्यक्षता :** • लेखापरीक्षा एवं आचरण समिति
श्री त्रैलोक्य बरगोहांई	01.12.1969	17.12.2024	63	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई एक तेल एवं गैस तथा ईएंडपी पेशेवर हैं, जिन्होंने आईआईटी, रुड़की से अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में एम.एससी. और टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय, टेक्सारकाना, अमेरिका से ऊर्जा नेतृत्व में एमबीए किया है। निदेशक (प्रचालन) के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, वे मुख्य महाप्रबंधक (भूविज्ञान एवं रिजर्वायर) के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने ऊपरी असम में ओआईएल के प्रचालन क्षेत्रों में तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने की दिशा में काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे असम, राजस्थान और गैबॉन में कई तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज से जुड़े रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई तकनीकी पत्र भी प्रस्तुत किए हैं और 36 से अधिक अन्वेषण मूल्यांकन रिपोर्टें लिखी हैं।	ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	**ऑयल इंडिया लिमिटेड में सदस्यता** • जोखिम प्रबंधन समिति • स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण समिति • परियोजना मूल्यांकन समिति • व्यवसाय विकास समिति

निदेशक का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	योग्यता (एं) और विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	भारत के बाहर निगमित कंपनियों सहित अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	सभी कंपनियों जिनमें वे निदेशक हैं, की बोर्ड समितियों में धारित सदस्यता / अध्यक्ष पद
डॉ. अंकुर बरुआ	03.02.1968	16.04.2025	1,873	इंजीनियर से मानव संसाधन लीडर बने डॉ. अंकुर बरुआ के पास मानव संसाधन में एमबीए, व्यवसाय प्रशासन में पीएचडी और आईपीएमए परियोजना प्रबंधन एवं साइकोमेट्रिक परीक्षण प्रमाणन सहित प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र हैं। मानव संसाधन और कॉर्पोरेट नेतृत्व में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, वे जनशक्ति नियोजन, प्रतिभा अधिग्रहण, कार्यनिष्पादन प्रबंधन, स्टेकहोल्डर सहभागिता और परिवर्तन प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। उनकी कार्यनीतिक और अभिनव पहलों की बदौलत मानव संसाधन उत्कृष्टता में उद्योग के अग्रणी के रूप में ऑयल इंडिया की स्थिति सुदृढ़ हुई है।	शून्य	**<u>ऑयल इंडिया लिमिटेड में सदस्यता</u>** • कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास समिति • जोखिम प्रबंधन समिति • स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण समिति • स्टेकहोल्डर संबंध समिति
श्री बलराम नंदवानी	21.01.1967	28.03.2025	शून्य	ये वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के फेलो सदस्य हैं। इन्हें लेखा, लेखापरीक्षा, वित्तीय प्रबंधन परामर्श और भारतीय कराधान कानूनों में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, ये पानीपत स्थित प्रैक्टिसिंग फर्म मैसर्स बलराम एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ भागीदार हैं। ये सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक नीति गतिविधियों के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न ट्रस्टों से जुड़े हैं। इसके अलावा, ये विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े हैं। वह आईसीएआई द्वारा गठित लोक एवं सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति के सदस्य भी थे।	स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन	**<u>ऑयल इंडिया लिमिटेड में अध्यक्षता</u>** • लेखापरीक्षा एवं आचरण समिति • व्यवसाय विकास समिति <u>सदस्यता:</u> • स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण समिति • स्टेकहोल्डर संबंध समिति • परियोजना मूल्यांकन समिति

निदेशक का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	योग्यता (एं) और विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	भारत के बाहर निगमित कंपनियों सहित अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	सभी कंपनियों जिनमें वे निदेशक हैं, की बोर्ड समितियों में धारित सदस्यता / अध्यक्ष पद
श्री राजू रेवाणकर	10.07.1971	28.03.2025	शून्य	श्री राजू रेवाणकर ने बसवेश्वर विज्ञान महाविद्यालय, बागलकोट से बी.एससी. की डिग्री प्राप्त की है। ये स्व-व्यवसायी हैं और आभूषण एवं निर्माण क्षेत्र में अपना व्यवसाय करते हैं। ये बागलकोट जिले के एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 32 वर्षों से वंचितों के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं।	शून्य	**ऑयल इंडिया लिमिटेड में अध्यक्षता** • कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास समिति • नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति • स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण समिति सदस्यता : • लेखापरीक्षा एवं आचरण समिति • जोखिम प्रबंधन समिति
सुश्री पूजा सूरी	05.06.1973	28.03.2025	शून्य	सुश्री पूजा सूरी 2006 से दिल्ली उच्च न्यायालय में एक प्रतिष्ठित वकील हैं और इनके पास बीए एलएलबी की डिग्री है। इन्हें सिविल लॉ, कंपनी लॉ, संवैधानिक कानून, सेवा कानून, वैकल्पिक विवाद समाधान/मुकदमेबाजी-पूर्व तंत्र और आपराधिक कानून जैसे क्षेत्रों में मुकदमेबाजी के क्षेत्र में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्हें भ्रष्टाचार विरोधी कानून, जघन्य अपराधों और सफेदपोश अपराधों के कानूनी मामलों को संभालने, उपभोक्ता संरक्षण कानून और वाणिज्यिक विवादों में भी विशेषज्ञता प्राप्त है। इनकी विधिक कुशाग्रता और दूरदर्शिता जटिल कानूनी विवादों के समाधान में सहायक है।	• नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड • शहीद नानक सिंह फाउंडेशन	**ऑयल इंडिया लिमिटेड में अध्यक्षता** • जोखिम प्रबंधन समिति • परियोजना मूल्यांकन समिति • स्टेकहोल्डर संबंध समिति

निदेशक का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	योग्यता (एं) और विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	भारत के बाहर निगमित कंपनियों सहित अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	सभी कंपनियों जिनमें वे निदेशक हैं, की बोर्ड समितियों में धारित सदस्यता / अध्यक्ष पद
						सदस्यता : • लेखापरीक्षा एवं आचरण समिति • कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास समिति **नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में अध्यक्षता :** • लेखापरीक्षा समिति • जोखिम प्रबंधन समिति
श्री मोती लाल मीना	06.11.1971	17.05.2025	शून्य	श्री मोती लाल मीना स्नातक उपाधि प्राप्त हैं और कृषि एवं लघु उद्योग से जुड़े हैं। ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, लोक नीति और विभिन्न स्थानीय कल्याणकारी संस्थाओं के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न ट्रस्टों से भी जुड़े हुए हैं। ये धौलपुर और आसपास के जिलों के एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले कई वर्षों से किसानों, गरीबों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। उन्होंने 2005 से 2009 तक बड़ी पंचायत समिति में सभासद के रूप में भी कार्य किया है।	शून्य	**ऑयल इंडिया लिमिटेड में सदस्यता** • लेखापरीक्षा एवं आचरण समिति • स्टेकहोल्डर संबंध समिति • जोखिम प्रबंधन समिति • व्यवसाय विकास समिति • नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 के अनुसार अन्य मौजूदा विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट में दिए गए हैं।


OILINDIALIMITED

पाँच वर्षों का प्रदर्शन

एक नजर में

जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, राशि करोड़ रुपए में

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
तुलन पत्र					
इक्विटी					
शेयर पूंजी	1,626.61	1,084.41	1,084.41	1,084.41	1,084.41
अन्य इक्विटी	43,808.29	43,038.04	33,280.85	28,806.10	25,126.23
कुल इक्विटी	45,434.90	44,122.45	34,365.26	29,890.51	26,210.64
कुल कारोबार (नेट वर्थ)	39,530.52	35,449.32	31,601.41	26,978.52	24,499.64
अचल आस्तियां (निवल)	22,721.36	19,056.97	17,069.99	15,573.58	15,145.22
कुल आस्तियां	69,437.35	65,103.79	54,163.28	49,807.58	50,624.42
निवल कार्यशील पूंजी	2,686.12	123.38	3,968.56	1,395.78	71.04
उधार *	12,073.82	11,340.98	11,161.33	11,635.64	15,718.03
लाभ एवं हानि					
प्रचालनात्मक राजस्व	22,117.22	22,129.79	23,259.61	14,530.18	8,618.38
अन्य आय	1,869.85	2,384.49	1,498.24	1,897.47	1,943.07
कुल राजस्व	23,987.07	24,514.28	24,757.85	16,427.65	10,561.45
ईबीआईटीडीए	10,635.95	11,643.30	11,176.09	7,266.38	3,208.49
ब्याज	866.32	760.08	724.19	783.10	498.71
मूल्यह्रास, नि:शेषण एवं परिशोधन	1,918.68	1,775.10	1,594.86	1,496.78	1,537.68
अपवादात्मक मदें	-	2,362.72	-	-	449.03
कर पूर्व लाभ	7,850.95	6,745.40	8,857.04	4,986.50	723.07
कर पश्चात लाभ	6,114.19	5,551.85	6,810.40	3,887.31	1,741.59
लाभांश**	1,870.60	1,707.94	2,168.81	1,545.27	542.20
योजनागत व्यय	8,467.33	5,906.92	5,534.42	4,366.52	4,654.66
राजकोष में योगदान	11,231.87	11,418.19	12,330.17	6,674.74	3,690.45
नकद प्रवाह					
नकद एवं नकद समतुल्य	4,150.15	3,070.17	1,351.15	656.72	1,066.82
निवल सृजित / (में प्रयुक्त) नकद					
- प्रचालन गतिविधियां	8,171.38	7,715.12	7,660.43	6,005.18	1,801.32
- निवेश गतिविधियां	(5,232.87)	(4,945.29)	(3,592.76)	(446.38)	(7,232.26)
- वित्तपोषण गतिविधियां	(2,782.44)	(2,776.23)	(4,220.14)	(6,217.92)	5,981.91

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
लाभप्रदाता संकेतक					
ईबीआईडीटीए/राजस्व	44.34%	47.50%	45.14%	44.23%	30.38%
पीबीटी/राजस्व	32.73%	27.52%	35.77%	30.35%	6.85%
पीएटी/राजस्व	25.49%	22.65%	27.51%	23.66%	16.49%
आस्ति उत्पादकता संकेतक					
राजस्व / अचल आस्तियां (गुना में)	1.06	1.29	1.45	1.05	0.70
राजस्व / कुल आस्तियां (गुना में)	0.35	0.38	0.46	0.33	0.21
कार्यशील पूंजी संकेतक					
वर्तमान आस्तियां / वर्तमान देयताएं	1.30	1.01	1.94	1.32	1.01
पूंजी जुटाने का संकेतक					
कर्ज/ इक्विटी	0.27	0.26	0.32	0.39	0.60
मूल्यांकन संकेतक					
प्रति 10 रुपए के शेयर लाभांश ** (₹)	11.50	15.75	20.00	14.25	5.00
प्रति 10 रुपए के शेयर पर आय*** (₹)	37.59	34.13	41.87	23.90	10.71
लाभांश भुगतान अनुपात	30.59%	30.76%	31.85%	39.75%	31.13%
10 रुपए के प्रत्येक शेयर का बही मूल्य*** (₹)	279.32	406.88	316.90	275.64	241.71

* इसमें अल्पकालिक उधार (यदि कोई हो) शामिल है

** वर्ष के लिए घोषित लाभांश वास्तविक लाभांश (अंतरिम और अंतिम) हैं (2024-25 के लिए ₹ 11.50 प्रति शेयर)

*** पिछले सभी वर्षों के लिए प्रति शेयर अर्जन को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोनस जारी करने पर विचार करते हुए पुनर्गठित किया गया है और यह बोनस के बाद के आधार पर है।

**** 2024-25 के लिए प्रति शेयर बही मूल्य बोनस के बाद के आधार पर है और पिछले वर्षों के बही मूल्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोनस जारी करने पर विचार करते हुए पुनर्गठित नहीं किया गया है।

टिप्पण :- जहाँ भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है।

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
उत्पादन की गई मात्रा					
कच्चा तेल (एमएमटी)	3.46	3.36	3.18	3.01	2.96
प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएम)	3,252	3,182	3,180	3,045	2,642
एलपीजी ('000 एमटी)	30.53	31.55	32.10	33.24	33.91
बिक्री की गई मात्रा					
कच्चा तेल (एमएमटी)	3.35	3.29	3.08	2.92	2.88
प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएम)	2,668	2,521	2,507	2,471	2,269
एलपीजी ('000 एमटी)	30.50	31.45	32.23	33.09	34.08
भौतिक संकेतक					
अन्वेषणात्मक और विकासात्मक वेधन ('000 मीटर)	174	170	146	145	91
2डी भूकंपीय सर्वेक्षण (जीएलकेएम)	445	379	1,333	2,105	13,103
3डी भूकंपीय सर्वेक्षण (एसक्यूकेएम)	1,151	242	680	1,098	2,104

निदेशकों की रिपोर्ट

2024-25

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मुझे आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर 66वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (एकल और समेकित) के साथ-साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

वर्ष के दौरान ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, आपकी कंपनी निरंतर प्रयासों से भौतिक और वित्तीय, दोनों ही मानकों पर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करने में सफल रही। आपकी कंपनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन का एक और वर्ष अपने नाम किया है और अधिकांश प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्य प्रस्ताव सृजित करते हुए, देश की ऊर्जा सुरक्षा में

1. महत्वपूर्ण विशेषताएं

क. वित्तीय विशेषताएं

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष 24,514.28 करोड़ रुपये (एकल) और 37,646.48 करोड़ रुपये (समेकित) की तुलना में 23,987.07 करोड़ रुपये (एकल) और 37,830.04 करोड़ रुपये (समेकित) की कुल आय अर्जित की है। वित्तीय वर्ष (वित्त) 2024-25 के लिए कंपनी का निवल लाभ मार्जिन 27.64% (एकल) और 19.47% (समेकित) था, जबकि पिछले वर्ष यह 25.09% (एकल) और 19.23% (समेकित) था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹ 7,850.95 करोड़ (एकल) और ₹ 9,436.43 करोड़ (समेकित) रहा, जबकि पिछले वर्ष पीबीटी ₹ 6,745.40 करोड़ (एकल) और ₹ 8,845.91 करोड़ (समेकित) था। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर-पश्चात लाभ (पीएटी) ₹ 6,114.19 करोड़ (एकल) और ₹ 7,039.63 करोड़ (समेकित) दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 5,551.85 करोड़ (एकल) और ₹ 6,980.45 करोड़ (समेकित) था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कच्चे तेल की औसत कीमत प्राप्ति 78.09 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही है, जबकि पिछले वर्ष यह 83.03 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त दोनों वर्षों के लिए प्राकृतिक गैस की औसत कीमत 6.50 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर अपरिवर्तित रही।

i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एकल वित्तीय विवरण के प्रमुख वित्तीय आंकड़े नीचे संक्षेप में दिए गए हैं :

(` करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
प्रचालनों से आय	22,117.22	22,129.79
अन्य आय	1,869.85	2,384.49
ईबीआईटीडीए	10,635.95	11,643.30
वित्तीयपोषण लागत	866.32	760.08
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन	1,918.68	1,775.10
अपवादात्मक मदें	-	*2,362.72
कर पूर्व लाभ	7,850.95	6,745.40
कर पश्चात लाभ	6,114.19	5,551.85

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
विनियोग		
अंतरिम लाभांश	1,626.61	1,301.29
पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश	406.65	596.42
अन्य व्यापक आय से अंतरित निवल परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	18.26	45.68

*₹ 2,362.72 करोड़ की राशि 31 मार्च 2023 तक रॉयल्टी पर संचित सेवा कर/जीएसटी (ब्याज सहित) के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में को एक अपवादात्मक मद के रूप में प्रतिवेदित किया गया। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हमारे समूह प्रदर्शन [समेकित] के प्रमुख वित्तीय आंकड़े नीचे संक्षेप में दिए गए हैं :

(` करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
प्रचालनों से आय	36,163.75	36,303.62
अन्य आय	1,666.29	1,342.86
ईबीआईटीडीए	12,823.92	14,304.12
वित्तीयपोषण लागत	1,069.26	963.67
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन	2,318.23	2,128.98
अपवादात्मक मदें	-	* 2,365.56
कर पूर्व लाभ	9,436.43	8,845.91
कर पश्चात लाभ	7,039.63	6,980.45
विनियोग		
अंतरिम लाभांश	1,626.61	1,301.29
पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश	406.65	596.09
अन्य व्यापक आय से अंतरित निवल परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	16.18	49.22

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2365.56 करोड़ रूपये की अपवादात्मक मदों में 31 मार्च 2023 तक रॉयल्टी पर संचित सेवा कर/जीएसटी के रूप में 2,362.72 करोड़ रूपये (ब्याज सहित) शामिल हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और नुमालीगढ़ रिफाइनरी में आग लगने के कारण हुई 2.84 करोड़ रूपये की हानि शामिल है।

iii) हमारी प्रमुख सहायक कंपनी – नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड – का वित्तीय प्रदर्शन

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1,607.77 करोड़ रूपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह 2,160.11 करोड़ रूपये था। इसने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिचालन से 25,146.68 करोड़ रूपये का राजस्व भी दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह 23,730.61 करोड़ रूपये था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के 2,912.37 करोड़ रूपये की तुलना में 23.94% कम होकर 2,215.28 करोड़ रूपये रहा। कम पीबीटी और कर-पश्चात लाभ, वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिक उत्पादों के लिए कम स्प्रेड के कारण था। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद से कर-पश्चात लाभ (पीएटी) के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 18.73% रही। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) 10.24 रूपये रहा।

iv) पूंजीगत व्यय प्रदर्शन

समूह स्तर पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹18,169.67 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया है, जिसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा मुख्य रूप से रिफाइनरी क्षमता को 3 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए करने के लिए किया गया ₹9,108.82 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऑयल इंडिया के संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के पूंजीगत व्यय में आनुपातिक हिस्सेदारी के लिए ₹1,859.37 करोड़ का निवेश किया गया।

₹18,169.67 करोड़ के उपरोक्त निवेश में एकल स्तर पर अन्वेषण और विकास गतिविधियों के लिए ₹4,298.33 करोड़ का निवेश भी शामिल है।



v) राजकोष में योगदान

कंपनी शुल्कों, करों और लाभांश के रूप में सरकारी राजकोष में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹11,418.19 करोड़ के मुकाबले सरकारी खजाने में ₹11,231.86 करोड़ का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष के ₹7,206.67 करोड़ और ₹4,211.53 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष केंद्रीय राजकोष में ₹6,922.51 करोड़ और राज्य खजाने में ₹4,309.35 करोड़ का भुगतान किया गया। केंद्र और राज्य राजकोष में योगदान का विवरण इस प्रकार है:

(` करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
निगमित कर	2,325.37	2,153.51
एसएईडी	773.49	1,405.10
उपकर	2,567.04	2,482.00
लाभांश और जीएसटी	1,256.62	1,166.06
केंद्र सरकार	**6,922.51**	**7,206.67**
रॉयल्टी	2,986.84	2,923.97
वैट और अन्य	1,322.51	1,287.56
राज्य सरकार	**4,309.35**	**4,211.53**
कुल योगदान	**11,231.86**	**11,418.19**

ख. प्रचालनात्मक संबंधी मुख्य विशेषताएं

(i) कच्चा तेल:

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य की उभरती गतिशीलता को पहचानते हुए, आपकी कंपनी सतत विकास सुनिश्चित करने और प्रचालनात्मक लचीलापन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक व्यापक परिवर्तन कार्यनीति को क्रियान्वित कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन पिछले वर्ष के 3.359 एमएमटी के उत्पादन की तुलना में 3.458 एमएमटी था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2.95% की वृद्धि है। पिछले वर्ष के 3.288 एमएमटी की तुलना में कच्चे तेल की बिक्री 3.346 एमएमटी थी। आपकी कंपनी ने आईओआर/ईओआर तकनीकों की तैनाती, मुद्रीकरण और नई खोजों के तेजी से विकास, उत्पादन अनुकूलन, नई तकनीक को शामिल करने, छूटे हुए अवसरों की वसूली, इनफिल ड्रिलिंग, रूग्ण कूपों के मुद्रीकरण, चक्रीय भाप उत्तेजना (राजस्थान में) और सतही सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के माध्यम से परिपक्व क्षेत्रों में गिरावट को रोककर उच्च उत्पादन हासिल किया।

पर्यावरण और एनजी (संबद्ध) की एलएमडी (कम बाजार मांग) के प्रभाव जैसे विभिन्न कारणों से, 0.002773 एमएमटी कच्चे तेल का नुकसान हुआ, जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है।

इस तथ्य के बावजूद कि कच्चे तेल के उत्पादन में 2.95% की वृद्धि हुई है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कच्चे तेल की कीमत में कमी के कारण कच्चे तेल से राजस्व में मामूली कमी आई है। कच्चे तेल के संबंध में मूल्य प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 में 78.09 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि पिछले वर्ष यह 83.03 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी, जिसमें 4.94 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की कमी दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमत बेंचमार्क अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बास्केट के मासिक औसत मूल्य को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर निर्धारित की जाती है और गुणवत्ता अंतर के लिए इसे आगे समायोजित किया जाता है।

(ii) प्राकृतिक गैस

अपनी प्रचालनात्मक उत्कृष्टता के आधार पर, आपकी कंपनी ने बाजार की चुनौतियों का सामना करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कई रिकॉर्ड ऊँचाइयाँ हासिल कीं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 3252 एमएमएससीएम था, जो पिछले वर्ष के 3182 एमएमएससीएम उत्पादन की तुलना में स्थापना के बाद से अब तक का उच्चतम स्तर था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राकृतिक गैस की बिक्री पिछले वर्ष के 2521 एमएमएससीएम की तुलना में 2668 एमएमएससीएम थी। तथापि, एलएमडी (कम बाजार माँग) और प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा कम उठाव के कारण प्राकृतिक गैस उत्पादन में कुल अवसर हानि 137 एमएमएससीएम है, जो कंपनी के कारण नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक गैस से राजस्व 5514.09 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 5189.98 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक गैस की औसत कीमत 6.50 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रही, जो पिछले वर्ष के समान ही थी। प्राकृतिक गैस की कीमत अप्रैल 2023 में संशोधित "नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश 2014" के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसमें नामित क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा अधिसूचित भारतीय क्रूड बास्केट मूल्य के 10% पर मासिक आधार पर तय की जाती है, जिसका न्यूनतम मूल्य 4 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है और अधिकतम मूल्य 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए लागू है। इसके बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम मूल्य में 0.25 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की वृद्धि होगी।

(iii) कुल उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तेल एवं गैस उत्पादन 6.710 एमएमटीओई ओ+ओईजी (तेल एवं तेल गैस समतुल्य) है, जो कि स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक ओ+ओईजी उत्पादन भी है।

तेल उत्पादन में साल-दर-साल लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो 2021-22 में 3.01 एमएमटी से बढ़कर 2024-25 में 3.458 एमएमटी हो गया है। यह इस अवधि में लगभग 14.9% की वृद्धि दर्शाता है। आपकी कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से, प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का 2पी रिकवरी कारक 33-50% तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का अनुमान है।

गैस उत्पादन 2021-22 में 3.05 बीसीएम से बढ़कर 2024-25 में 3.252 बीसीएम हो गया है। इस अवधि में समग्र वृद्धि लगभग 6.6% है। रणनीतिक पहलों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में फ्लेयरिंग में 0.125 एमएमएससीएमडी की कमी आई है, जिससे बिक्री में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(iv) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एलपीजी रिकवरी प्लांट ने 99.89% की उपलब्धता दर्ज की, जबकि ब्यूटेन रिकवरी के मामले में प्लांट की दक्षता 98.62% रही, जबकि डिजाइन विनिर्देश 98%



था। प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में फीड गैस में 1.01% (v/v) के औसत ब्यूटेन के साथ औसतन 1.83 एमएमएससीएमडी (66.18 एमएमएससीएफडी) गैस संसाधित की। एलपीजी रिकवरी प्लांट 337 दिनों के लिए परिचालन में था और वर्ष के दौरान 30,525 मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन किया गया था। एलपीजी के साथ, 20,375 मीट्रिक टन कंडेनसेट भी उप-उत्पाद के रूप में पुनर्प्राप्ति किया गया था, जिसे कंपनी के कच्चे तेल के उत्पादन में जोड़ा गया था। एलपीजी फिलिंग प्लांट 275 दिनों के लिए परिचालन में था। एक ठोस रणनीति के तहत, आपकी कंपनी ने 01.04.2024 से एलपीजी फिलिंग प्लांट के बॉटलिंग कार्यों को बंद कर दिया है और अब उत्पादित एलपीजी की पूरी मात्रा बल्क टैंकरों में आईओसीएल को भेजी जा रही है। एलपीजी सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट के बंद होने से वार्षिक अनुमानित बचत लगभग ₹9 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंडेनसेट की निवल प्राप्ति ₹30.45 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹34.13 करोड़ थी।

(v) पाइपलाइन प्रचालन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कच्चे तेल की पाइपलाइन ने 7.145 एमएमटी कच्चे तेल की रिकॉर्ड परिवहन मात्रा हासिल की, जो पिछले वर्ष के 6.712 एमएमटी को पार कर गया और अब तक का उच्चतम थ्रूपुट दर्ज किया। डिगबोई-नहारकटिया- बोंगाईगांव सेक्टर ने कंपनी के लिए 3.306 एमएमटी कच्चे तेल और ओएनजीसी के लिए 1.024 एमएमटी कच्चे तेल का परिवहन किया। बरौनी-बोंगाईगांव सेक्टर ने बोंगाईगांव रिफाइनरी के लिए 2.789 एमएमटी आयातित कच्चे तेल का परिवहन किया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोंगाईगांव रिफाइनरी को अब तक का सर्वाधिक 2.789 एमएमटी आयातित कच्चा तेल दिया। आपकी कंपनी ने नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से 91.46% पाइपलाइन उपयोग के साथ 1.574 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन भी किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवहन व्यवसाय से अर्जित कुल राजस्व 572.23 करोड़ रुपये (दूरसंचार व्यवसाय से अर्जित 9.28 करोड़ रुपये को छोड़कर) था, जबकि पिछले वर्ष यह 533.66 करोड़ रुपये (दूरसंचार व्यवसाय से अर्जित 11.82 करोड़ रुपये को छोड़कर) था।

कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और संबंधित उत्पादों के उत्पादन और निकासी के लिए सतही सुविधाओं का विकास:

तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने में सहायता के लिए, आपकी कंपनी उन्नत सतही सुविधाओं का विकास कर रही है, जिन्हें कच्चे तेल, उत्पादित जल और प्राकृतिक गैस की मात्रा में अनुमानित वृद्धि का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **नदुआ और पूर्वी खगोरिजन क्षेत्र (डिब्रूगढ़ जिला, असम):** वर्तमान में त्वरित उत्पादन व्यवस्था (क्यूपीएस) के माध्यम से संचालित, दोनों क्षेत्र तेल और गैस उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार हैं।

  इसके लिए, नादुआ में एक अत्याधुनिक तेल संग्रहण केंद्र (ओसीएस) स्थापित किया जा रहा है, जबकि पूर्वी खगोरिजन में एक समूह संग्रहण केंद्र (जीजीएस) का विकास किया जा रहा है । इन सुविधाओं को उन्नत द्रव और गैस प्रबंधन क्षमताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। दोनों प्रतिष्ठानों में अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) शामिल होंगे, जहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए उपचारित जल को तेल कुओं में पुनः प्रवाहित किया जाएगा।

- **बाघजन फील्ड (तिनसुकिया जिला, असम):** इस उच्च उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्र की पूर्ण उत्पादन क्षमता का दोहन करने के लिए, एक आधुनिक फील्ड गैस गैदरिंग स्टेशन (एफजीजीएस) का निर्माण किया जा रहा है। यह सुविधा गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस के संग्रहण, प्रसंस्करण और परिवहन का कार्य संभालेगी। यह गैस निर्जलीकरण इकाइयों, अपशिष्ट उपचार प्रणालियों और गैर-चमकदार फ्लेयर स्टैक से सुसज्जित होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल क्षेत्र सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगी। चालू होने पर, एफजीजीएस से गैस उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने तथा डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों के लिए आपूर्ति की जाने वाली गैस की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

- **लकवागांव फील्ड (शिवसागर जिला, असम):** आपकी कंपनी लकवागांव फील्ड में एक एकीकृत समूह संग्रहण केंद्र (जीजीएस) भी विकसित कर रही है , जिसमें एक तेल संग्रहण केंद्र (ओसीएस), अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी), और एक जल इंजेक्शन स्टेशन (डब्ल्यूआईएस) शामिल होगा। चालू होने के बाद, यह सुविधा क्षेत्र को इष्टतम उत्पादन क्षमता पर संचालित करने में सक्षम बनाएगी, जिससे कुशल संसाधन प्रबंधन और बेहतर पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित होगी।

- **नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन (एनएसपीएल) की क्षमता वृद्धि :** आपकी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के उत्पादों, जैसे मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और सुपीरियर केरोसीन ऑयल (एसकेओ) के परिवहन के लिए 654 किलोमीटर लंबी और 1.72 एमएमटीपीए की मौजूदा क्षमता वाली 16 इंच की क्रॉस-कंट्री नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन (एनएसपीएल) का स्वामित्व और संचालन करती है। एनएसपीएल क्षमता वृद्धि परियोजना मौजूदा पाइपलाइन थ्रूपुट को 1.72 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 5.5 एमएमटीपीए करने के लिए शुरू की गई है, ताकि एनआरएल की रिफाइनरी क्षमता 3 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए करने के बाद अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी की जा सके। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) का प्रदर्शन हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और एचएसई को मजबूत करने के लिए इस परियोजना में भी कई पहलों को क्रियान्वित किया गया है, जैसे सभी स्थलों पर सुरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क की स्थापना, सभी परियोजना श्रमिकों के लिए नियमित मासिक प्रेरणा कार्यक्रम, सुरक्षा दीर्घाओं की स्थापना, निकट-चूक घटना की रिपोर्टिंग को अधिकतम करने पर विशेष ध्यान आदि।

अन्य महत्वपूर्ण कदम / पहल

- **ओआईएसडी सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन और क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों का सुदृढ़ीकरण:**

  उच्चतम सुरक्षा मानकों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के समाधान हेतु एक व्यापक अध्ययन किया गया। सिफारिशों के आधार पर, शमन उपायों को टर्नकी आधार पर व्यवस्थित रूप से लागू किया जा रहा है। यह पहल न केवल पुरानी कमियों को दूर करेगी, बल्कि सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों की प्रचालनात्मक सुरक्षा और विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ करेगी।

- **पुरानी सुविधाओं का नवीनीकरण और केंद्रीकरण**

  ओएमआर 2017, ओआईएसडी मानकों और पीएनजीआरबी, सीईए, डीजीएमएस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के दिशानिर्देशों सहित विकसित हो रहे विनियामक ढाँचों के अनुरूप, कंपनी ने अपनी पुरानी सुविधाओं का विस्तृत मूल्यांकन शुरू किया है। वर्तमान उत्पादन प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए, नवीनीकरण और केंद्रीकरण की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता, दोनों का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। अध्ययन में एक ग्रीनफील्ड कंडेनसेट रिकवरी प्लांट की स्थापना की भी संभावना तलाशी गई, जिससे कंपनी पुराने बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने में सक्षम हो सके।

- **परिपक्व क्षेत्रों में उत्पादन अनुकूलन हेतु अंतराल विश्लेषण**

  असम और अरुणाचल प्रदेश में अपनी परिपक्व परिसंपत्तियों से अधिकतम वसूली की आवश्यकता को समझते हुए, कंपनी ने वर्तमान प्रदर्शन के सापेक्ष उत्पादन क्षमता का आकलन करने के लिए एक अंतराल विश्लेषण किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रणालीगत बाधाओं की पहचान करना, लक्षित शमन कार्यनीतियों का प्रस्ताव करना और क्षेत्र में उनके कार्यान्वयन में सहायता करना है। इस पहल से प्रचालन दक्षता में सुधार, प्रदर्शन अंतरालों को कम करने और वृद्धिशील उत्पादन को गति देने की उम्मीद है, जिससे दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

- **बेहतर रिकवरी के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग:** हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एक स्थापित रिजर्वायर उत्तेजना तकनीक है जिसका उद्देश्य रिजर्वायर की चट्टान के भीतर प्रवाहकीय चैनल बनाकर उत्पादक कुओं के उत्पादकता सूचकांक में सुधार करना है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने ऊपरी असम क्षेत्रों में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग परिचालन सफलतापूर्वक निष्पादित किए, जिनके उत्पादकता वृद्धि के संदर्भ में उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इन परिणामों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कार्यों का एक संरचित कार्यक्रम नियोजित किया गया है। यह पहल परिपक्व क्षेत्रों से उत्पादन को अधिकतम करने और दीर्घावधिक उत्पादन रणनीतियों के अनुरूप रिजर्वायर के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए उन्नत रिकवरी तकनीकों को लागू करने पर कंपनी के फोकस पर जोर देती है।



- **रूग्ण कुओं का परिसमापन:** पुराने क्षेत्रों से उत्पादन में गिरावट को रोकने और उत्पादन बढ़ाने के लिए रूग्ण कुओं के परिसमापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। 2024-25 में रूग्ण कूपों के परिसमापन के लिए कुल 166 वर्कओवर कार्य पूरे किए गए, जिनमें रिगलेस (लाइव कंडीशन परफोरेशन) और रिग सहित, दोनों शामिल हैं, और 31.03.2025 तक 430 केएलपीडी (279 एमटीपीडी) की ऑनस्ट्रीम संभावित वृद्धि के साथ 66 कुओं को उत्पादन में लाया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रूग्ण कूपों के परिसमापन के लिए कुल 30 वर्कओवर रिग तैनात किए गए, और रूग्ण कूपों के परिसमापन से संभावित लाभ को अधिकतम करने के लिए इन-हाउस टीमों द्वारा अध्ययन के अलावा 25 रूग्ण कुओं के विश्लेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सलाहकार डी एंड एम को नियुक्त किया गया।
- **प्लंजर लिफ्ट सिस्टम:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमारे तीनों क्षेत्रों - पूर्वी, मध्य और पश्चिमी - में प्लंजर लिफ्ट सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह प्रणाली समग्र उत्पादन प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कारगर साबित हुई है।
- **रेडियल ड्रिलिंग:** रेडियल ड्रिलिंग तकनीक सीमांत और परिपक्व तेल एवं गैस क्षेत्रों से हाइड्रोकार्बन की वसूली बढ़ाने के लिए एक तेज़ और लागत-प्रभावी तरीका प्रदान करती है। इस तकनीक का उपयोग करके उत्पादक संरचनाओं में जल निकासी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, वर्ष के दौरान कई कूपों की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में सुधार हुआ।

वर्कओवर संसाधन:

31 जुलाई 2025 तक, कुल 29 वर्कओवर रिग प्रचालनरत हैं और वर्तमान में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में तैनात हैं। इनके अलावा, दो इन-हाउस वर्कओवर रिग वर्तमान में कमीशनिंग चरण में हैं, जो बेहतर फील्ड प्रचालनों के लिए उपलब्ध बेड़े को और संवर्धित कर रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा, राजस्थान फील्ड में एक वर्कओवर रिग प्रचालनरत है। प्रचालन दक्षता बढ़ाने और कूपों के हस्तक्षेप को अनुकूलित करने के हमारे कार्य नीतिक उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी ने पहले ही अतिरिक्त वर्कओवर रिग और स्नबिंग यूनिट की खरीद और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन प्रयासों का उद्देश्य हमारी कूपों की सर्विसिंग क्षमताओं को मजबूत करना और परिसंपत्ति उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए वर्कओवर प्रचालनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करना है।

क्षमता बढ़ाने के लिए 7 (सात) नए वर्कओवर रिग की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य बेड़े का आधुनिकीकरण करना, पुराने उपकरणों से जुड़े संभावित डाउनटाइम और सुरक्षा जोखिमों को कम करना और समग्र इन-हाउस रिग उपलब्धता और उत्पादकता को बढ़ाना है।

इसके अलावा , चालू कैलेंडर वर्ष के अंत में हटाए जाने वाले छह मौजूदा रिगों की जगह, सात वर्षों की अवधि के लिए 6 (छह) नए वर्कओवर रिगों को चार्टर-हायर करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस पहल से रखरखाव की ज़रूरतें कम होने, डाउनटाइम कम करने और समग्र उत्पादकता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, चालू कैलेंडर वर्ष के अंत में हटाए जाने वाले छह मौजूदा रिगों की जगह, सात वर्षों की अवधि के लिए 6 (छह) नए वर्कओवर रिग किराए पर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पहल से रखरखाव की अपेक्षाओं में कमी, डाउनटाइम न्यूनतम होने और समग्र उत्पादकता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

इन खरीदों के बाद, इस वित्तीय वर्ष में वर्कओवर रिगों की संख्या 33 और अगले दो वर्षों में 39 हो जाएगी।

(vi) नवीकरणीय ऊर्जा

स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, आपकी कंपनी ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार जारी रखा है और हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 188.1 मेगावाट थी, जिसमें पवन ऊर्जा से 174.1 मेगावाट और सौर ऊर्जा से 14.0 मेगावाट शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से ₹111.74 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।

इसके अलावा, देश के पूर्वोत्तर भाग में हरित ऊर्जा अवसंरचना विकसित करने के लिए, कंपनी ने असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीजीसीएल) के सहयोग से 21 फरवरी 2025 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी, अर्थात् एपीजीसीएल ओआईएल ग्रीन पावर लिमिटेड (एओसीएल)) का गठन किया, जिसमें एपीजीसीएल की 51% हिस्सेदारी और ओआईएल की 49% हिस्सेदारी है। एओजीपीएल ने असम राज्य में मुख्य रूप से 645 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पहचान की है। असम के नामरूप में प्रारंभिक 25 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला 14 जून 2024 को असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई है।

(vii) एनआरएल का प्रचालनात्मक प्रदर्शन

एनआरएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 3000 टीएमटीपीए की अपनी डिजाइन क्षमता के मुकाबले 3066 टीएमटी कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया, जो मजबूत प्रचालन दक्षता और निरंतरता को दर्शाता है। वर्ष के दौरान ओआईएल और ओएनजीसी से प्राप्त घरेलू कच्चा तेल 3033 टीएमटी था, जो एक वर्ष में रिफाइनरी द्वारा प्राप्त अब तक का सबसे अधिक घरेलू कच्चा तेल है। घरेलू कच्चे तेल के अलावा, रिफाइनरी ने ब्रुनेई से 22 टीएमटी चैंपियन ग्रेड आयातित कच्चे तेल और वेदांता लिमिटेड द्वारा संचालित निकटवर्ती हजारीगांव फील्ड (डीएसएफ) से थोड़ी मात्रा में कच्चे तेल संघनित (0.147 टीएमटी) का भी प्रसंस्करण किया।

घरेलू कच्चे तेल की उपलब्धता और रिफाइनरी यूनिटों की बेहतर विश्वसनीयता के कारण रिफाइनरी की उच्च क्षमता का उपयोग

बनाए रखा जा सका। द्वितीयक प्रसंस्करण यूनिटें, डीजल हाइड्रोट्रीटर (डीएचडीटी) और हाइड्रोक्रैकर यूनिट (एचसीयू) क्रमशः 108% और 102% के उच्च थ्रूपुट पर संचालित की गईं।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एनआरईपी) :

एनआरएल में निर्माणाधीन प्रमुख नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना, एक ब्राउन फील्ड पहल है जिसका उद्देश्य मौजूदा 3 एमएमटीपीए संयंत्र के निकट प्रक्रिया यूनिटों की एक स्वतंत्र श्रृंखला स्थापित करना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंअंतरराष्ट्रीय कच्चे तेलों के प्रसंस्करण हेतु नवीनतम शोधन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह परियोजना एनआरएल की कच्चे तेल की प्रसंस्करण क्षमता को 3 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 9 एमएमटीपीए कर देगी। पारंपरिक यूनिटों के अलावा, परियोजना के रिफाइनरी घटक में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल एकीकरण के लिए पेट्रो फ्लुइडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट (पीएफसीसी) और बॉटम रेसिड्यू अपग्रेडेशन को अधिकतम करने के लिए रेसिड्यू प्रोसेसिंग एंड ट्रीटिंग यूनिट (आरपीटीयू) शामिल हैं। 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, कुल भौतिक प्रगति 71.9% और वित्तीय प्रगति 68.4% है।

पारादीप नुमालीगढ़ कच्चा तेल पाइपलाइन (पीएनसीपीएल):

रिफाइनरी विस्तार परियोजना के एक भाग के रूप में, एनआरएल ओडिशा के पारादीप से असम के नुमालीगढ़ तक एक कच्चे तेल की पाइपलाइन परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। यह कच्चे तेल की पाइपलाइन पाँच राज्यों ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुज़रेगी। पाइपलाइन की लंबाई 1,635 किलोमीटर और क्षमता 9 एमएमटीपीए है। कच्चे तेल के भंडारण और पंपिंग की सुविधा के लिए पारादीप में बीओओटी (निर्माण, स्वामित्व, संचालन, हस्तांतरण) आधार पर कच्चे तेल आयात टर्मिनल (सीओआईटी) का भी निर्माण किया जा रहा है। टर्मिनल में 60,000 टीकेएल क्षमता वाले 10 कच्चे तेल के टैंक होंगे। 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, कुल भौतिक प्रगति 83.8% और वित्तीय प्रगति 80.8% है।

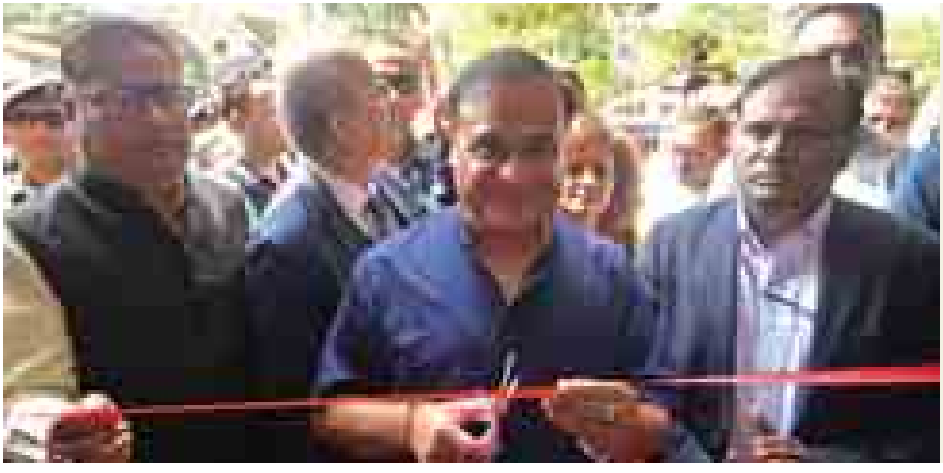
असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (एबीईपीएल):

एनआरएल ने दो अन्य विदेशी कंपनियों के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम कंपनी, अर्थात् "असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड" का गठन किया है, जो गैर-खाद्य ग्रेड फीड स्टॉक बांस से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए असम के नुमालीगढ़ में दूसरी पीढ़ी की जैव-रिफाइनरी स्थापित कर रही है। अनुमोदित लागत ₹ 4,930 करोड़ है। बांस को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। परीक्षण के दौरान, बांस को डाइजेस्टर, बांस धुलाई अनुभाग, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस और किण्वन (फरमेंटेशन) अनुभागों के माध्यम से सफलतापूर्वक संसाधित किया गया। परियोजना को अगस्त, 2025 के अंत तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, समग्र भौतिक प्रगति 99.2% और वित्तीय प्रगति 99.64% है।

ग. अन्वेषण की मुख्य विशेषताएं

i) अन्वेषण पर जोर: रकबा अधिग्रहण

डिगबोई तेल क्षेत्र के जंगलों से आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी ने देश के विभिन्न राज्यों और भौगोलिक क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हुए अपना विस्तार किया है। आज कंपनी की प्रचालनात्मक उपस्थिति असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों और अंडमान, केरल-कोंकण और केजी के उथले जल क्षेत्रों में है। कंपनी असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में नामांकन व्यवस्था के तहत आवंटित 01 (एक)



पीईएल और 25 (पच्चीस) पीएमएल क्षेत्रों में कार्यरत है। अधिक संभावित अवसादी बेसिनों तक पहुँच प्राप्त करने के अपने प्रयास के तहत, आपकी कंपनी ओएएलपी बोली दौरों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है और नई खोजों के लिए अज्ञात क्षेत्रों में अन्वेषण हेतु ओएएलपी ब्लॉकों का एक बड़ा पोर्टफोलियो हासिल किया है। कंपनी वर्तमान में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड (पीईएल अनुदान प्रतीक्षित), ओडिशा, राजस्थान और अंडमान एवं केरल-कोंकण के अपतटीय क्षेत्रों में 26 ओएएलपी ब्लॉकों (4 त्यागे गए ब्लॉकों को छोड़कर, अर्थात् राजस्थान में 2 और असम एवं ओडिशा में 1-1 ब्लॉक) में अन्वेषण गतिविधियाँ कर रही है। कंपनी 31 मार्च, 2025 तक 03 (तीन) एनईएलपी ब्लॉकों में भागीदारी हित (पीआई) भी रखती है, जिसमें 01 (एक) ब्लॉक में ऑपरेटरशिप और शेष 02 (दो) ब्लॉकों में गैर-ऑपरेटर है। कंपनी के पास ऑपरेटर के रूप में 3 (तीन) डीएसएफ ब्लॉक भी हैं, डीएसएफ-II बोली दौर के तहत त्रिपुरा और कृष्णा-गोदावरी शैलो ऑफशोर में एक-एक ब्लॉक और डीएसएफ-III बोली दौर के तहत राजस्थान में एक ब्लॉक है।

31 मार्च, 2025 तक कुल प्रचालन क्षेत्रफल 56 ब्लॉकों में 52,298 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।

गति को बरकरार रखते हुए, आपकी कंपनी ने ओएएलपी बोली दौर IX के तहत छह (6) ब्लॉकों में बोलियां प्रस्तुत की थीं, जिनमें से महानदी और केजी अल्ट्रा-डीप ऑफशोर में 2-2 ब्लॉक और गुजरात ऑनशोर और मेघालय में ऑपरेटर के रूप में 1-1 ब्लॉक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 40,590 वर्ग किलोमीटर है और 3 ब्लॉक (मेघालय, गुजरात ऑनशोर और महानदी अल्ट्रा-डीप ऑफशोर में 1-1 ब्लॉक) ओएनजीसी के साथ संयुक्त रूप से ऑपरेटर के रूप में हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 10,965 वर्ग किलोमीटर है। ओआईएल और ओएनजीसी संबंधित ब्लॉकों में अग्रणी बोलीदाता थे और उसके बाद, सभी 9 ब्लॉक (कुल क्षेत्रफल 51,555 वर्ग किमी) सफलतापूर्वक हासिल कर लिए गए और 15.04.2025 को राजस्व साझाकरण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।

नए क्षेत्रों का कार्यनीतिक अधिग्रहण आपकी कंपनी के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है और यह पूर्वोत्तर के नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अन्वेषण करने, कैम्बे जैसे अन्य संभावित बेसिनों में प्रवेश करने और महानदी, केजी और अंडमान बेसिन जैसे अतिगहरे सीमाओं में धीरे-धीरे अपने अपतटीय पदचिह्न को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस तरह की पहल भारत के विभिन्न तलछटी बेसिनों में अन्वेषण को तेज करने और घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप मौजूदा घरेलू भंडार पोर्टफोलियो को पूरक बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं।

ii) अन्वेषण एवं विकास गतिविधियाँ और खोजें

भूकंपीय एपीआई और वेधन गतिविधियाँ अन्वेषण चक्र की प्रारंभिक महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं जिन्हें निकट से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नामित पीएमएल और ओएएलपी ब्लॉकों में 444.46 एलकेएम 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण और 1150.82 वर्ग किमी 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण किया है। अब तक, ओएएलपी राउंड I से VIII के तहत प्रदान किए गए वैध पीईएल वाले 29 ओएएलपी ब्लॉकों में से, कंपनी ने 28 ओएएलपी ब्लॉकों में प्रतिबद्ध भूकंपीय अधिग्रहण पूरा कर लिया है। लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण एक ब्लॉक में भूकंपीय प्रतिबद्धता आंशिक रूप से पूरी की जा सकी। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 22 (बाईस) अन्वेषण कूपों और 35 (पैंतीस) विकास कूपों का वेधन किया, जिससे कुल 57 कूपों का वेधन हुआ। ओआईएल के भूवैज्ञानिकों की आंतरिक टीम द्वारा किए गए मजबूत जीएंडजी विश्लेषण और अध्ययन के आधार पर, प्रतिष्ठित





अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई, आपकी कंपनी ने उन सभी बेसिनों में वेधन स्थानों की पहचान की है जहां यह वर्तमान में काम कर रही है।

आपकी कंपनी निकट क्षेत्र अन्वेषण कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें मौजूदा तेल/गैस क्षेत्रों के निकट नई खोज करना और वाणिज्यिक भंडार स्थापित करना शामिल है, जिनका तेजी से मुद्रीकरण किया जा सकता है और इस प्रकार पुराने क्षेत्रों से तेल और गैस उत्पादन को पूरक बनाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने असम में मेचाकी पीएमएल में 2 (दो) खोजें की हैं , अर्थात मेचाकी-6 कूप में तेल की खोज और मेचाकी-7 कूप में गैस की खोज। दोनों कूपों को 5700 मीटर से अधिक पेलियोसीन-लोअर इओसीन प्ले को लक्षित करते हुए ड्रिल किया गया था, जो गहरे और चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक लक्ष्यों तक पहुंचने में ओआईएल के प्रचालनात्मक कौशल और विशेषज्ञता को दर्शाता है। मेचाकी-6 कूप कंपनी के प्रचालन क्षेत्र में सबसे गहरा उत्पादक ऑनलैंड कूप है। मेचाकी-7 कूप के मुद्रीकरण की भी योजना है। मेचाकी-6 कूप से उत्पादन शुरू होने के साथ, मेचाकी पीएमएल को गैर-उत्पादक श्रेणी से सफलतापूर्वक उत्पादक स्थिति में अपग्रेड किया गया है।

एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में, कंपनी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर ओएएलपी-I दौर के तहत अवॉर्ड किए गए ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2017/10 में वेधित किए गए अन्वेषणात्मक कूप कोबोचापोरी-1 में पहली बार हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति दर्ज की है। ब्रह्मपुत्र का उत्तरी तट दशकों से अन्वेषकों के लिए केंद्र बिंदु रहा है, जो एक रहस्य बना हुआ था, तथापि, कोबोचापोरी क्षेत्र में तेल की खोज के साथ, असम शेल्फ बेसिन के इस हिस्से में एक कार्यशील पेट्रोलियम प्रणाली की उपस्थिति अंततः स्थापित हो गई है। यह खोज उत्तरी तट पर चल रहे अन्वेषण प्रयासों को प्रबल गति प्रदान करेगी। ये परिणाम कंपनी के एकीकृत दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम हैं, जिसमें निकट-क्षेत्र अन्वेषण को रैंक अन्वेषण पहलों के साथ जोड़ा गया है, जो घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ाने और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

ओएएलपी व्यवस्था के अंतर्गत, कंपनी ने सात (7) अन्वेषण कूपों जैसे राजस्थान में जम्मेश्वर-1 (आरजे-ओएनएचपी-2019/2), असम में दीमा हसाओ-1 (एए-ओएनएचपी-2018/3), कोबोचापोरी-1 (एए-ओएनएचपी-2017/10) और नामरूप बोरहाट-2 (एए-ओएनएचपी-2017/20), ओडिशा में पुरी-3 (एमएन-ओएनएचपी-2018/2) और कटक-2 (एमएन-ओएनएचपी-2018/5) और अंडमान अपतटीय में विजयपुरम-1 (एएन-ओएसएचपी-2018/2) का वेधन पूरा कर लिया है । अन्य तीन (3) कूपों असम में मैजन-1 (एए-ओएनएचपी-2017/18), ओडिशा में भद्रक-1 (एमएन-ओएनएचपी-2018/3) और अंडमान ऑफशोर में विजया पुरम-2 (एएन-ओएसएचपी-2018/1)। का वेधन जारी है।

डीएसएफ परिसंपत्तियों का शीघ्रता से मुद्रीकरण करने के अपने प्रयास में, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान, प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के अनुसार, राजस्थान में डीएसएफ ब्लॉक आरजे/ओएनडीएसएफ / बखरी टिब्बा / 2021 में प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए 03 विकास कूपों की सफलतापूर्वक खुदाई की है। निकासी अवसंरचना तैयार है और ब्लॉक से गैस उत्पादन शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार, आपकी कंपनी त्रिपुरा राज्य में डीएसएफ ब्लॉक एए / ओएनडीएसएफ/तुलमारा/2018 में अपने पहले कूप की खुदाई शुरू करने की भी तैयारी कर रही है।।

आंतरिक स्तर पर किए गए गहन जी एंड जी अध्ययनों के अलावा, वेधन के लिए पहचानी गई वेधन योग्य संभावनाओं पर स्वतंत्र राय प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्मों के माध्यम से कई विशिष्ट तकनीकी अध्ययन किए गए हैं। इसमें पेट्रोलियम सिस्टम मॉडलिंग (पीएसएम) अध्ययन शामिल हैं, जो महानदी, असम शेल्फ, अंडमान, केरल, कोंकण और बीकानेर,

नागौर बेसिन में क्षेत्रीय पेट्रोलियम प्रणाली तत्वों को समझने और अन्वेषण जोखिमों को कम करने के लिए किए गए हैं। इससे देश के विभिन्न अवसादी बेसिनों में कंपनी द्वारा वेधन के लिए नियोजित अन्वेषण और विकास स्थलों की पुनः पुष्टि करने में मदद मिली है।

ओएएलपी बोली दौर-IX के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लॉकों की तकनीकी जाँच भी आंतरिक रूप से की गई, जिसे तृतीय पक्षकार के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा विधिमान्य किया गया।

इसके अतिरिक्त, उत्पादक क्षेत्रों से तेल/गैस की अधिकतम प्राप्ति हेतु रिजर्वायर संबंधी अध्ययनों के फलस्वरूप असम के लकवागाँव, दिकोम-चबुआ, हापजान और अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ राजस्थान के बाघेवाला भारी तेल क्षेत्र में क्षेत्र विकास अभियानों के तहत इनफिल विकास स्थलों की पहचान की गई।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने असम, राजस्थान, महानदी और अंडमान अपतटीय क्षेत्रों में अपने प्रचालन क्षेत्रों में नियोजित वेधन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुल 21 वेधन रिग (10 इन-हाउस और 11 चार्टर्ड हायर) का एक मजबूत बेड़ा तैनात किया। आगामी वर्षों में वेधन आवश्यकताओं में वृद्धि के अनुमानों के साथ, आपकी कंपनी अगले कुछ वर्षों में अतिरिक्त रिग खरीदने/किराए पर लेने के लिए काम कर रही है।

एकीकृत वेधन सेवाओं (आईडीएस) की शुरुआत से, खासकर गहरे कूपों में, प्रचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बेहतर बिट प्रदर्शन और समन्वित सेवा वितरण के साथ, अब कूपों का वेधन काफी कम समय में हो जाता है।

बारेकुरी क्षेत्र में एक प्रचुर तेल क्षेत्र में बहुपक्षीय वेधन शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि भूमि की कमी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। इस ड्रिलिंग तकनीक से एक ही कूप से कई शाखाएँ बनाई जा सकेंगी, जिससे सतही फुटप्रिन्ट में उल्लेखनीय कमी आएगी, रिजर्वायर तक पहुँच बढ़ेगी, उत्पादन दर में सुधार होगा और बुनियादी ढाँचे व पर्यावरणीय लागत में कमी आएगी।

बढ़ती वेधन मांग को पूरा करने और प्रचालन दक्षता में सुधार के लिए, चार्टर हायर सेवाओं की अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। 2000 एचपी और 3000 एचपी रिगों के मिश्रण को कार्यनीतिक रूप से शामिल करने से गहरे और अधिक चुनौतीपूर्ण के लिए अधिक लचीलापन आया है। इस नियोजित विस्तार से उपलब्ध रिग बेड़े में भी वृद्धि होगी, जिससे कम समय सीमा में वेधन लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। नई पीढ़ी के रिगों की खरीद से वेधन प्रदर्शन में और सुधार होगा, अनुत्पादक समय कम होगा, और कूपों का निर्माण तेज़ और अधिक लागत प्रभावी ढंग से संभव होगा।

आपकी कंपनी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक स्थिति और गतिविधियों का पता लगाने के लिए एजीजी और जीएम डेटा अधिग्रहण अभियान शुरू किया है, जिसमें ओएएलपी क्षेत्र, पीएमएल और काजीरंगा व मिकिर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, जिनकी कुल मात्रा 34,190 फ्लाइट एलकेएम है। अधिग्रहण अभियान 16 फरवरी, 2025 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2025 तक कुल 5,711 फ्लाइट एलकेएम का अधिग्रहण किया जा चुका है।

कंपनी के उपर्युक्त 2डी, 3डी और एजीजी एवं जीएम सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूरा किया गया कुल समतुल्य भूकंपीय सर्वेक्षण 4203 वर्ग किमी है।







भारतीय अवसादी बेसिनों के व्यापक मूल्यांकन हेतु, भारत सरकार द्वारा मिशन अन्वेषण के अंतर्गत 7 स्थलीय अवसादी बेसिनों में 2D भूकंपीय प्रोफाइल की योजना बनाई गई है। 20,275 एलकेएम 2D भूकंपीय एपीआई की कुल आवंटित परियोजना मात्रा में से, आपकी कंपनी को राजस्थान और गंगा-पंजाब बेसिन के अप्रकाशित क्षेत्रों में लगभग 9,400 एलकेएम भूकंपीय एपीआई का कार्यान्वयन करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को शामिल करते हुए नियोजित प्रोफाइल शामिल हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश (आजमगढ़ और बदायूं) और बिहार (मुजफ्फरपुर) में 2D भूकंपीय अधिग्रहण शुरू हो गया है और 31 मार्च 2025 तक कुल 2602.92 एलकेएम 2D भूकंपीय डेटा अधिग्रहित किया जा चुका है।

देश के पश्चिमी और पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में ईईजेड सीमा से परे महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन क्षमता का पता लगाने हेतु मूल्यवान जानकारी प्रदान करने हेतु अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु, भारत सरकार ने 2डी भूकंपीय एपीआई के लिए विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ईसीएस) सर्वेक्षण शुरू किया है। पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में कुल 30,000 एलकेएम 2डी भूकंपीय एपीआई (ओएनजीसी द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में 15,500 एलकेएम और ऑयल इंडिया द्वारा पूर्वी क्षेत्र में 14,500 एलकेएम) का सर्वेक्षण प्रस्तावित है। कंपनी द्वारा 2डी भूकंपीय डेटा अधिग्रहण अभियान शुरू हो गया है और 31 मार्च, 2025 तक कुल 7362.55 एलकेएम का अधिग्रहण किया जा चुका है।

कंपनी ओएएलपी ब्लॉकों में अपने अन्वेषण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपना रही है। गतिविधियाँ न केवल प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, बल्कि जहाँ भी आवश्यक हो, अतिरिक्त/पूरक कार्य कार्यक्रमों के माध्यम से हाइड्रोकार्बन की संभावनाओं की समझ को बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों के माध्यम से एक समग्र अभियान पर केंद्रित हैं। इस उद्देश्य से, कंपनी ने चल रहे अन्वेषण अभियान को सहयोग देने के लिए महानदी बेसिन में ओएएलपी ब्लॉकों में पूरक भूकंपीय एपीआई का संचालन किया है।

iii. तेल और गैस भंडार

क. घरेलू

आपकी कंपनी के पास संयुक्त उद्यमों सहित घरेलू परिसंपत्तियों में सुदृढ़ तेल और गैस भंडार आधार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अर्जित भंडार 5.8714 एमएमटीओई (2पी) है । 01 अप्रैल, 2025 तक की स्थिति के अनुसार तेल और गैस भंडार का विवरण नीचे दिया गया है:

भंडार	1पी	2पी	3पी
तेल + कंडेनसेट भंडार (एमएमटी)	29.4271	69.3852	90.0790
शेष दोहन योग्य गैस (बीसीएम)*	88.9198	139.0337	180.1169
ओ+ओईजी (एमएमटीओई)	106.9778	190.2508	246.8594

*विभिन्न बिक्री अनुबंधों के तहत गैस की अनुमानित मात्रा के आधार पर, 1पी, 2पी और 3पी गैस भंडार क्रमशः 29.7160, 53.7330 और 63.7830 बीसीएम हैं।

ख. विदेश

1 अप्रैल 2025 तक, 04 (चार) विदेशी उत्पादक परिसंपत्तियों (कंपनी का आनुपातिक हिस्सा) अर्थात्, वानकोर्नेफ्ट (रूस), तास युर्याख (रूस), पेट्रो कारावोबो (वेनेजुएला) और गोल्फिन्हो-अतुम (मोजाम्बिक) के तेल और गैस भंडार की स्थिति नीचे दी गई है:

भंडार	1पी	2पी	3पी
तेल + कंडेनसेट भंडार (एमएमटी)	8.7083	20.5084	33.2024
गैस (बीसीएम)	11.6373	20.3940	24.2794
ओ+ओईजी (एमएमटीओई)	20.3456	40.9024	57.4818

2. पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 2000 करोड़ है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹ 1626.61 करोड़ [जिसमें ₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के 162.66 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं] थी। वर्तमान में, कंपनी की प्रवर्तक, भारत सरकार, कंपनी की कुल चुकता पूंजी का 56.66% हिस्सा रखती है। शेष 43.34% इक्विटी पूंजी सार्वजनिक और अन्य लोगों के पास है, जिनमें कॉर्पोरेट निकाय, म्यूचुअल फंड, बैंक, विदेशी पोर्टफोलियो कॉर्पोरेट, निवासी व्यक्ति आदि शामिल हैं। कंपनी ने 30 अगस्त 2024 को ₹ 1,24,907.21 करोड़ का उच्चतम बाजार पूंजीकरण हासिल किया।

3. लाभांश

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹3.00 प्रति शेयर (अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 30%) की दर से पहला अंतरिम लाभांश ₹487.98 करोड़ और `7.00 प्रति शेयर (अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 70%) की दर से दूसरा अंतरिम लाभांश ₹1,138.63 करोड़ का भुगतान किया है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹1.50 प्रति शेयर (अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 15%) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो कंपनी की 66वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

4. क्रेडिट रेटिंग

कंपनी की वित्तीय समझदारी नीचे दी गई रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई वर्तमान क्रेडिट रेटिंग में परिलक्षित होती है:

वर्ग	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	टिप्पणी
अंतरराष्ट्रीय			
दीर्घावधिक	मूडीज निवेशक सेवा	बीएए 3 (स्थिर)	भारत की संप्रभु रेटिंग के बराबर
दीर्घावधिक	फिच रेटिंग्स	बीबीबी- (स्थिर)	भारत की संप्रभु रेटिंग के बराबर
घरेलू			
दीर्घावधिक	क्रिसिल	क्रिसिल एएए (स्थिर)	उच्चतम रेटिंग
अल्पावधिक	क्रिसिल	क्रिसिल ए 1+	उच्चतम रेटिंग
दीर्घावधिक	केयर एज	केयर एएए (स्थिर)	उच्चतम रेटिंग
अल्पावधिक	केयर एज	केयर ए 1+	उच्चतम रेटिंग

5. ऋण, गारंटी और निवेश/जमा का विवरण

किए गए निवेश, दिए गए ऋण, प्रदान की गई गारंटी और प्रतिभूतियों के विवरण के एकल वित्तीय विवरणों में दिया जाता है, साथ ही प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण, गारंटी या प्रतिभूति का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना प्रस्तावित है, इसका भी उल्लेख किया जाता है। (संदर्भ: एकल वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 6, 8, 46 और 47 देखें)।

6. संबंधित पक्षकार लेनदेन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएँ/लेनदेन सामान्य व्यवसाय क्रम में और निष्पक्ष आधार पर किए गए थे। संबंधित पक्षकार लेनदेन की महत्ता और संबंधित पक्षकार लेनदेन प्रबंध करने संबंधी नीति कंपनी की वेबसाइट www.oil-india.com पर देखी जा सकती है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-46 और इसके साथ संलग्न फॉर्म एओसी-2 पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

7. मानव पूंजी विकास: भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण

आपकी कंपनी मूल्य सृजन के मुख्य प्रेरक के रूप में लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। अपने विज़न 2030 और 2040 के अनुरूप, कंपनी द्वारा भविष्य के लिए तैयार, कार्यरत कार्यबल के निर्माण हेतु सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन प्रथाओं को अपनाया गया।

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 6,412 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें 1,854 अधिकारी और 4,558 संगठित कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारियों छोड़ने की संख्या की दर 0.30% से कम रही, जो सुदृढ़ कर्मचारी जुड़ाव और प्रतिधारण को दर्शाती है। सभी भूमिकाओं में विविधता और समावेशन को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के साथ, कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 7.8% थी। कंपनी ने अपने दीर्घकालिक व्यावसायिक दृष्टिकोण के अनुरूप कार्यनीतिक मानव संसाधन हस्तक्षेपों को शामिल करके एक भविष्य-तैयार संगठन में अपने परिवर्तन को गति दी। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

संरचित प्रशिक्षण कैलेंडर और कौशल उन्नयन पहल

कंपनी ने एमटीडीसी और संबद्ध संस्थानों के माध्यम से संचालित एक सशक्त वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के माध्यम से अपने शिक्षण एवं विकास (एलएंडडी) क्षेत्र का विस्तार किया है। कंपनी का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर भूविज्ञान, ड्रिलिंग और उत्पादन से लेकर पारस्परिक कौशल विकास तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करता है, जिससे विभिन्न विषयों में व्यापक क्षमता निर्माण सुनिश्चित होता है।

तकनीकी सक्षमता फ्रेमवर्क (टीसीएफ)

कंपनी ने सभी प्रमुख विषयों को शामिल करते हुए अपना तकनीकी सक्षमता फ्रेमवर्क पूरा कर लिया है। यह फ्रेमवर्क रिग मूवमेंट समन्वय और वेधन सॉफ्टवेयर दक्षता से लेकर भूकंपीय विश्लेषण और हितधारक प्रबंधन तक, भूमिका-विशिष्ट कौशल को परिभाषित करता है, जिससे प्रचालन के सभी क्षेत्रों में लक्षित क्षमता निर्माण सुनिश्चित होता है।

अपतटीय (ऑफशोर) वेधन क्षमता निर्माण

कंपनी ने प्रमुख संस्थानों में आयोजित बुनियादी समुद्री जीवन रक्षा पाठ्यक्रमों सहित विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी अपतटीय वेधन क्षमताओं को सुदृढ़ किया है। ये अपतटीय वेधन क्षमताओं को बढ़ाने और अपतटीय वेधन गतिविधियों के सुरक्षित एवं दक्ष निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व पाइपलाइन

वरिष्ठ विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति के करीब पहुँचते जनसांख्यिकीय बदलाव को देखते हुए, कंपनी ने एक औपचारिक उत्तराधिकार नियोजन प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है। महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्धारण किया गया और उच्च क्षमता वाली प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन, कार्य-चक्र और कार्यकारी शिक्षा सहित विशिष्ट विकास योजनाएँ लागू की गईं। यह पहल निरंतरता सुनिश्चित करती है और संस्थागत ज्ञान को संरक्षित करती है।

8. खेल-कूद

आपकी कंपनी का मानना है कि खेल मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का एक अभिन्न अंग हैं और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और मनोबल पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए, कर्मचारियों को खेलों में भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी ने पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड (पीएसपीबी), अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल संवर्धन बोर्ड (एआईपीएसएसपीबी) और भारत सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के तत्वावधान में खेलों का सक्रिय रूप से समर्थन और प्रचार किया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट आदि विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लिया।

आपकी कंपनी की निम्नलिखित टीमें खेलों में सुर्खियों में रहीं:

- पैरा टीम ने छठे पैरा गेम्स 2025 में 4 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक जीते।
- 44वें पीएसपीबी अंतर-यूनिट फुटबॉल टूर्नामेंट, 20वें कैप्टन जिंटू गोगोई वीर चक्र स्मारक आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट और 32वें पीएसपीबी अंतर-यूनिट बास्केटबॉल टूर्नामेंट में विजेता।
- एआईपीएसएसपीबी फुटबॉल टूर्नामेंट और बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता।
- महिला युगल टीम और महिला एकल व्यक्तिगत खिलाड़ी 43वें पीएसपीबी अंतर-यूनिट टेबल टेनिस टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता के रूप में उभरीं।
- एआईपीएसएससीबी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला टीमें टीम स्पर्धा में विजेता रहीं। वहीं, पुरुष एकल स्पर्धा और महिला एकल स्पर्धा में, ओआईएल के खिलाड़ी क्रमशः विजेता और उपविजेता रहे। पुरुष, महिला और मिश्रित युगल स्पर्धा में, ओआईएल की टीमें विजेता रहीं।
- 43वें पीएसपीबी अंतर-इकाई लॉन टेनिस टूर्नामेंट में वेटरन टीम ने क्रमशः उपविजेता स्थान हासिल किया।
- 45वें पीएसपीबी अंतर-यूनिट गोल्फ टूर्नामेंट में ओआईएल-ए टीम ने क्रमशः उपविजेता स्थान हासिल किया।
- 5वें पीएसपीबी अंतर-इकाई स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष वेटरन और महिला टीमें विजेता रहीं। वहीं, पुरुष एकल में, ओआईएल के खिलाड़ी क्रमशः उपविजेता रहे।
- 34वें पीएसपीबी अंतर-इकाई शतरंज टूर्नामेंट में प्रथम बोर्ड पुरस्कार हासिल किया। इसके अलावा, ओआईएल टीम ने अनरेटेड श्रेणी में भी प्रथम और द्वितीय पुरस्कार जीता।
- एथलेटिक्स टीम ने 43वीं पीएसपीबी अंतर-यूनिट एथलेटिक्स मीट में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते।
- 43वीं पीएसपीबी अंतर-यूनिट बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला टीम टीम स्पर्धा में विजेता और पुरुष एकल स्पर्धा में कंपनी के खिलाड़ी विजेता रहे।
- 20वीं पीएसपीबी अंतर-यूनिट बिलियर्ड्स एवं स्नूकर टूर्नामेंट में गैर-पेशेवर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्नूकर टीम ने उपविजेता स्थान हासिल किया।

9. प्राथमिकता प्राप्त वर्गों के लिए सरकारी निर्देशों का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी समाज के प्राथमिकता प्राप्त वर्गों के लिए भारत सरकार के निर्देशों का पालन करती है। 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी में कार्यकारी और संगठित कर्मचारी श्रेणियों में विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त वर्गों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक	दिव्यांगजन	महिला
कार्यकारी	273	165	554	125	47	237
संगठित कर्मचारी	406	749	2154	259	121	269
कुल	**679**	**914**	**2708**	**384**	**168**	**506**

10. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन

कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक तंत्र [विभिन्न कार्यालियों में आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसीएस)] गठित की हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत शिकायतों का प्रकटीकरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	एक (01)
2	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	एक (01)
3	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों को सुरक्षित, संरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और कार्यस्थल पर महिलाओं को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। कंपनी का उद्देश्य मातृत्व की गरिमा और कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। तदनुसार, कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी प्रावधानों का अनुपालन करती है।

11. कॉरपोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी का मानना है कि अच्छा कॉरपोरेट अभिशासन एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉरपोरेट अभिशासन पर एक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट और व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है और इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत की गई है।

बोर्ड की बैठकों और संरचना का विवरण, संदर्भ की शर्तों सहित बोर्ड की सांविधिक समितियाँ, निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और कंपनी में उनकी शेयरधारिता पर कंपनी की नीति, व्हिसलब्लोअर तंत्र की स्थापना, वार्षिक आम बैठक और लाभांश से संबंधित जानकारी, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) विवरण और अन्य मामले आदि कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार, पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करने वाली व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। आपकी कंपनी ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व और



स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को मूल्य श्रृंखला के मूल के अनुसार निर्दिष्ट मापदंडों के आश्वासन के साथ प्रकाशित किया है, जो कंपनी की वेबसाइट पर लिंक https://www.oil-india.com/files/investor_services_documents/Business_Responsibility_and_Sustainability_Report_for_FY_2024_25.pdf पर उपलब्ध हैं।

12. आरटीआई अधिनियम, 2005

पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत एक पदनामित सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, कंपनी अपने सांविधिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करती है।

अधिनियम के आदेशों का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने सभी प्रचालन क्षेत्रों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। आरटीआई प्रकोष्ठ भारत सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों का दक्षतापूर्ण निपटान करता है। सरकार के सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर आरटीआई भाग का नियमित अनुरक्षण किया जाता है और उसे सभी प्रासंगिक और प्रकटीकरण योग्य सूचनाओं से अद्यतन किया जाता है।

कंपनी ने आरटीआई आवेदनों और अपीलों का निपटारा 30 दिनों की सांविधिक समय-सीमा के भीतर किया, जो समय पर और जिम्मेदारीपूर्वक सूचना प्रसार पर कंपनी के जोर को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरटीआई आवेदनों/अपीलों की स्थिति इस प्रकार है:

कुल आवेदन	निपटान किए गए आवेदन	लंबित आवेदन	अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील	निपटान की गई अपील	लंबित अपीलें
300*	270	30	36	35	1

(*इन आवेदनों में पिछले वित्तीय वर्ष से अग्रेनीत आवेदन शामिल हैं)

13. राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति/अधिनियम/नियम/आदेशों के अनुरूप सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में सुविधाजनक और दक्षतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती थीं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नगर राजभाषा) के लिए दुलियाजान की अध्यक्षता का दायित्व का निर्वहन भी कंपनी द्वारा किया गया। भारत सरकार के राजभाषा विभाग के कार्यक्रम के अनुसार नगर राजभाषा की छमाही बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी द्वारा तैयार की गई प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेने और हिंदी में अधिक से अधिक शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया । कुल 492 अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजभाषा कार्यशाला के माध्यम से हिंदी का प्रशिक्षण लिया। 76 अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण की और कंपनी के नियमों के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन दिया गया। कर्मचारियों, नगर राजभाषा सदस्यों और छात्रों के बीच राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न साहित्यिक हिंदी माह समारोह के दौरान प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। हिंदी अनुभाग की नई पहल "आज का शब्द" को कंपनी की वेबसाइट पर प्रतिदिन तैयार और प्रकाशित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा हिंदी का वार्षिक कार्यक्रम, कंपनी के सभी क्षेत्रों/ विभागों को प्रसारित किया गया और इसकी विभागीय प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक बैठकों में नियमित निगरानी और समीक्षा की जा रही है। आंतरिक हिंदी पत्रिका "ऑयल किरण" का नियमित रूप से प्रकाशन किया गया। आंतरिक पत्रिका "ऑयल न्यूज़" का प्रकाशन त्रिभाषी रूप में अर्थात असमिया, हिंदी और अंग्रेजी में किया गया।

14. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति

कंपनी एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का पालन करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की बजटीय और वास्तविक खरीद निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की बजटगत खरीद	₹ 820.00 करोड़
वास्तविक खरीद		
2	क) एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	₹ 1790.30 करोड़
3	ख) उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं को छोड़कर कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रतिशत	57.49 %

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार और 'संबंध पोर्टल' में दर्ज वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वस्तुओं

और सेवाओं की कुल खरीद ₹3114.37 करोड़ है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एमएसई के माध्यम से कुल खरीद ₹1790.30 करोड़ है, जो 'संबंध पोर्टल' में उल्लिखित कुल खरीद का 57.49% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एससी/एसटी-एमएसई और महिला एमएसई से कुल खरीद क्रमशः ₹67.77 करोड़ और ₹129.90 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद ₹3,556.52 करोड़ है, जो वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के लिए ₹ 2200.00 करोड़ की जीईएम खरीद योजना का 161.66% है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद ₹ 9557.03 करोड़ (स्टैंडअलोन) है, जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुएँ शामिल हैं।

एनआरएल: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीईएम खरीद ₹ 522.23 करोड़ है, जबकि अनुमोदित योजनबद्ध जीईएम खरीद ₹ 360.00 करोड़ है। इसी प्रकार, एमएसई से खरीद 1658.81 करोड़ रुपये की कुल खरीद योजना के मुकाबले 646.76 करोड़ रुपये थी, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एनआरएल द्वारा एससी/एसटी-एमएसई और महिला एमएसई से कुल खरीद क्रमशः 8.02 करोड़ रुपये और 7.39 करोड़ रुपये है।

15. सतर्कता

सतर्कता विंग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होता है, जो सतर्कता मामलों पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और प्रबंधन और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सतर्कता मूल रूप से तीन पहलुओं के तहत कार्य करती है: (i) निवारक (ii) दंडात्मक और (iii) निगरानी और पता लगाना।

निवारक सतर्कता: इसके अंतर्गत प्रणाली को परिष्कृत और बेहतर बनाने के लिए भूमिकाओं, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की निरंतर समीक्षा की अपेक्षा की जाती है जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो और बेहतर प्रचालन परिणाम प्राप्त हों। सतर्कता ढांचे के इस पहलू को मजबूत करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न संविदाओं और खरीद फाइलों की जांच, संस्थानों की आवधिक और औचक दोनों तरह के निरीक्षण, आंतरिक रूप से किए गए उच्च मूल्य की परियोजनाओं/कार्यों की गहन जांच के आधार पर कई प्रणाली सुधार उपायों की सिफारिश की गई और उन्हें लागू किया गया ई-खरीद, ई-भुगतान, विक्रेता चालान प्रबंधन प्रणाली आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग निवारक सतर्कता के प्रभावी उपकरण के रूप में उभरा है। कंपनी के नियमों और विनियमों के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए, संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जागरूकता कार्यक्रमों में "कीप इन टच" (केआईटी), "कैच देम यंग" (सीटीवाई) और "सतर्कता संवेदीकरण" शामिल थे। इसके अलावा, प्रबंधन को निवारक सतर्कता पर नियमित रूप से प्रेरण और मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान विभिन्न निरीक्षणों के केस स्टडी और अनुशंसित सर्वोत्तम प्रथाओं वाले "दृष्टि" नामक आंतरिक सतर्कता बुलेटिन का दूसरा संस्करण भी जारी किया गया।

निवारक सतर्कता की दिशा में एक प्रमुख कार्यक्रम "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" (वीएडब्ल्यू) का पालन है। वर्ष के दौरान, सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप, वीएडब्ल्यू 2024 की प्रस्तावना के रूप में, कंपनी भर में 16 अगस्त से 15 नवंबर 2024 तक निवारक सतर्कता पर 3 महीने का अभियान चलाया गया। इस अभियान में पाँच क्षेत्रों अर्थात क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअल का अद्यतन, शिकायतों का निपटान, गतिशील डिजिटल उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभियान अवधि के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ हैं, मध्यस्थता और सुलह प्रक्रिया का विमोचन, शैक्षणिक संस्थानों/सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोगात्मक अध्ययन के लिए नीति ढाँचे का विमोचन। क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में, 1,740 से अधिक कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया और नीतियों, निविदाओं और ईआरपी से संबंधित विभिन्न प्रणालीगत सुधार उपाय किए गए।

वीएडब्ल्यू 2024 पूरे कंपनी में 28 अक्तूबर से 3 नवंबर 2024 तक "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" विषय पर मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत सत्यनिष्ठा शपथ के साथ हुई, जिसे कॉरपोरेट कार्यालय में सीएमडी और अन्य कार्यालयों में संबंधित क्षेत्र प्रमुखों द्वारा दिलाया गया। वीएडब्ल्यू 2024 के अवसर पर सतर्कता की आंतरिक पत्रिका "इनटच" का एक विशेषांक भी जारी किया गया। कंपनी के भीतर और बाहर कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इनमें से कुछ गतिविधियों में सुप्रसिद्ध हस्तियों द्वारा वार्ता, प्रशिक्षण, सेमिनार/वेबिनार, कार्यशालाएँ, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आस-पास के स्कूलों और कॉलेजों में कई प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गईं। कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में विक्रेताओं की शिकायत निवारण शिविर/जागरूकता कार्यक्रम और ग्राम सभाएँ भी आयोजित की गईं, जिससे हितधारकों को अपनी समस्याओं का निवारण करने में मदद मिली।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी को ऑनलाइन "सत्यनिष्ठा शपथ" लेने के लिए प्रोत्साहित करके नैतिक आचरण अपनाने के निरंतर प्रयास जारी हैं। ऑनलाइन "सत्यनिष्ठा शपथ" का लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है और कर्मचारी, उनके परिवार, विक्रेता/संविदाकार/हितधारक इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

दंडात्मक सतर्कता: इस कार्य में शिकायतों का निपटान, जाँच, अनुशासनिक मामलों की निगरानी आदि शामिल हैं। संगठन को सीवीसी और संबंधित मंत्रालय सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जाँच की जाती है और उन्हें तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाता है। अनुशासनिक मामलों के प्रभावी और समय पर निपटान के लिए, प्रबंधन को संगठन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के बीच जाँच अधिकारियों और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की भूमिका पर प्रशिक्षण आयोजित करने की सलाह दी गई है। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर, सीबीआई को सौंपे गए मामलों की जाँच में सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

अग्रनीत	प्राप्त	निपटान की गई	लंबित
2	14	15	1

जहां तक सतर्कता मामलों का संबंध है, वर्ष के दौरान, 3 अधिकारियों से संबंधित 1 सतर्कता मामले (अनुशासनात्मक कार्यवाही) का निपटान किया गया।

आवीक्षण और संसूचन : इस कार्य में नियमित और औचक निरीक्षण, परियोजनाओं/कार्यों की सीटीई प्रकार की गहन जांच, वार्षिक संपत्ति रिटर्न, लेखापरीक्षा पैरा आदि की जांच करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के सभी क्षेत्रों में कई निरीक्षण/प्रतीक्षण/जांच की गई और टिप्पणियों या निष्कर्षों को प्रबंधन के साथ उचित रूप से उठाया गया।

16. अनुसंधान और विकास

दीर्घावधि में निरंतर मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी जीवाश्म ईंधन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों विशेष रूप से अन्वेषण और उत्पादन में, का समाधान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ऐसे अभिनव समाधान विकसित करना है जो अन्वेषण जोखिमों को कम करें, चुनौतीपूर्ण इलाकों में भूभौतिकीय विधियों की सीमाओं को दूर करें, परिपक्व क्षेत्रों से घटते उत्पादन की समस्या को हल करें और मोमी कच्चे तेल के लिए प्रवाह आश्वासन को बढ़ाएं। प्रौद्योगिकी और नवाचार पर जोर देते हुए, कंपनी कर्मचारियों, समुदायों और पर्यावरण की भलाई को प्राथमिकता देते हुए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता मजबूत आरएंडडी पहल और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से बढ़ी है। कंपनी वर्तमान में दो अनुसंधान एवं विकास सुविधाएँ संचालित करती है: दुलियाजान स्थित अपने क्षेत्रीय मुख्यालय में अनुसंधान एवं विकास विभाग और गुवाहाटी स्थित ऊर्जा अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र (सीओईईएस), जो तत्काल और भविष्य की अनुसंधान आवश्यकताओं पर केंद्रित है। उल्लेखनीय है कि अनुसंधान एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एक पेटेंट अनुदान प्राप्त किया है।

सीओईईएस कंपनी के परिपक्व क्षेत्रों से रिकवरी बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए वह क्षेत्र विकास योजना, संवर्धित ऑयल रिकवरी, पेट्रोलियम सिस्टम मॉडलिंग, सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडीज, बेसिन विश्लेषण, जियोकेमिकल और ईओआर प्रयोगशाला अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह काम वह इन-हाउस विशेषज्ञता और उद्योग-अकादमिक सहयोग के माध्यम से कर रहा है। भारत के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप, सीओईईएस कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन, जियोथर्मल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के माध्यम से अध्ययनों की अवधारणा और योजना बनाकर और प्राकृतिक हाइड्रोजन और गैस हाइड्रेट अवसरों का दोहन करने के लिए कंपनी के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सीओईईएस हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और क्षेत्र विकास के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों, भूतापीय ऊर्जा और प्राकृतिक हाइड्रोजन के अन्वेषण में अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए एक उन्नत भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला के साथ एकीकृत अत्याधुनिक कोर रिपोजिटरी विकसित कर रहा है।

अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के प्रभाव और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, कंपनी शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप्स, अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योग निकायों के साथ व्यापक रूप से सहयोग करती है। इन साझेदारियों का उद्देश्य एक व्यापक ज्ञान आधार का निर्माण करना है जो आने वाले वर्षों में राष्ट्र को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में अकेले ₹147.30 करोड़ का निवेश किया, जो कि कर पूर्व लाभ का 1.88% है।

एनआरएल ने आईआईटी गुवाहाटी, सीएसआईआर-एनईआईएसटी, आरजीआईपीटी आदि जैसे विभिन्न अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। एनआरएल, कर पूर्व लाभ के 2% के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के आधार पर बजट आवंटित करता है।

ओआईएल-एनआरएल (समेकित) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में ₹174.99 करोड़ का निवेश किया, जो कि समेकित कर पूर्व लाभ का 1.872% है।

17. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास

कंपनी अपने प्रचालन क्षेत्रों के भीतर और बाहर स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ती रहती है, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करती है और तदनुसार विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करती है। इसकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और उसके बाद के संशोधनों के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप हैं। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता), ग्रामीण खेलों को बढ़ावा

देना, कला, संस्कृति और विरासत का संरक्षण, पर्यावरणीय स्थिरता और राहत एवं पुनर्वास आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान की गई प्रमुख सीएसआर पहलों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के एक भाग के रूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 129.53 करोड़ व्यय किए, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.23% है। यह राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार गणना किए गए ₹ 115.98 करोड़ के अनिवार्य सीएसआर व्यय से अधिक है। सीएसआर और संधारणीय विकास समिति का उत्तरदायित्व विवरण, जो पुष्टि करता है कि सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी की सीएसआर नीति और उद्देश्यों के अनुरूप है, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

आपकी कंपनी की सहायक कंपनी - नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 84.50 करोड़ के अनिवार्य व्यय के मुकाबले ₹ 85.16 करोड़ व्यय किए।

18. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण

आपकी कंपनी अपने प्रचालनों के हर पहलू में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) को सर्वोच्च महत्व देती है। एचएसई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमारे कॉरपोरेट मूल्यों का एक मुख्य हिस्सा है, जो हमारे कर्मचारियों, ठेकेदारों, समुदायों और पर्यावरण की भलाई की रक्षा पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने 0.071 की अब तक की सबसे कम (जरा सी चूक वाली घटनाएं) लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी दर (एलटीआईएफआर) के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जो कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को शामिल करने वाले हमारे व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने हमारी सुरक्षा संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जिससे पूरे संगठन में जागरूकता और अनुपालन में सुधार हुआ है।

उत्तरदायी विकास और प्रचालनात्मक उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, हमने अपनी पर्यावरण नीति और एचएसई नीति को संशोधित और मजबूत किया है। सांविधिक प्रशिक्षण के अलावा, विभिन्न एचएसई से संबंधित विषयों जैसे कि खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए), खतरा और संचालनीयता अध्ययन (एचएजेडओपी) और मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन (क्यूआरए), सांविधिक अधिनियमों, नियमों और विनियमों, अग्निशमन और कार्य रोक प्राधिकरण, शून्य सहनशीलता नीति के प्रति संवेदनशीलता पर क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया।

टूलबॉक्स वार्ता, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य करने की अनुमत प्रणाली, कार्य सुरक्षा विश्लेषण और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हानि नियंत्रण प्रबंधन दौरे के सख्त पालन के परिणामस्वरूप एचएसई मानकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

कंपनी में 2023-24 में "कवच - जागरूकता, मूल्य सृजन और परिवर्तन की कुंजी" परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य 11 कार्यनीतिक एचएसई लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से लागू करना है, जिनमें अन्य बातों के अलावा, (i) एचएसई प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रतिष्ठानों की बेंचमार्किंग और आईएसओ प्रमाणन, (ii) प्रौद्योगिकी/डिजिटलीकरण पहलों का एकीकरण, (iii) ईएसजी पहल और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शामिल हैं। कवच के उन्नत चरण में शामिल होने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि संगठन में सुरक्षा संस्कृति में और सुधार होगा।

डिजिटलीकरण में, घटना रिपोर्टिंग और ऑडिट प्रबंधन जैसी पहल एचएसएसई पोर्टल के माध्यम से की गई और हानि नियंत्रण प्रबंधन टूर भी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित एचएसई गैलेरिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक इंटरैक्टिव और शैक्षिक मंच है। एचएसई ब्रांड एंबेसडर का विकास प्रत्येक विभाग में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कंपनी में अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे आईएसओ 9001:2015 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015 - पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 45001:2018 - व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को शामिल करते हुए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत आईएसओ प्रमाणन पूरा कर लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एचएसई मानकों में व्यवस्थित रूप से निरंतर सुधार हुआ है।

एचएसई अभियान: सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार अग्निशमन सेवा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता, सुरक्षा गीत एवं नाटक प्रतियोगिता, ऑफ़लाइन सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और टीमों व व्यक्तियों के प्रदर्शन को मान्यता देने हेतु सुरक्षा पुरस्कार समारोह के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। कर्मचारियों के परिवारों के लिए सुरक्षा अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। साप्ताहिक आधार पर सुरक्षा जागरूकता वीडियो और अग्नि सुरक्षा सुझाव प्रसारित करके और प्रचालन क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई गई।

भविष्य की ओर देखते हुए, हम स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम अपनी उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए, स्वास्थ्य सेवा के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहेंगे। नवाचार, कर्मचारी सशक्तिकरण और हितधारक जुड़ाव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का सामना करते समय हमारा मार्गदर्शन करेगी।

19. जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम और ढाँचे को संस्थागत रूप दिया है ताकि न केवल जोखिम जोखिमों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके, बल्कि इस अत्यधिक अस्थिर व्यावसायिक वातावरण में जोखिम-सूचित

निर्णय लेने में भी सुविधा हो। कंपनी ने कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन को संचालित करने के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण का संयोजन अपनाया है। इस दृष्टिकोण में कंपनी के विभिन्न कार्यों में संबंधित जोखिम स्वामियों द्वारा जोखिमों की पहचान, उनका नियमित मूल्यांकन, और शमन कार्यनीतियों को परिभाषित और निगरानी करना शामिल है।

एक व्यापक जोखिम रजिस्टर विकसित किया गया है, जो संगठन के भीतर जोखिम प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का समर्थन करता है। नए और उभरते जोखिमों को दर्ज करने के लिए इस रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है, जिन पर ओआरएमसी, आरएमएससी और आरएमसी की कई बैठकों के दौरान गहन विचार-विमर्श किया जाता है।

इस प्रकार, सभी क्षेत्रों और संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए एक संरचित जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से उद्यम-स्तरीय जोखिमों की पहचान की जाती है और उन्हें उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उच्च श्रेणी के जोखिमों की सक्रिय रूप से निगरानी और प्रबंधन शमन योजनाओं, नियंत्रणों और नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से किया जा रहा है। शेष जोखिमों को मध्यम या निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उनकी भी उचित शमन योजनाओं के साथ नियमित रूप से निगरानी और प्रबंधन किया जा रहा है।

भविष्य की ओर देखते हुए, हम अपनी जोखिम संस्कृति को मज़बूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और एक गतिशील व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप अपनी जोखिम प्रथाओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

20. स्टार्ट-अप पहलें

भारत सरकार की एक प्रमुख पहल, स्टार्ट-अप इंडिया के विज़न के अनुरूप, कंपनी ने स्टार्ट-अप पोषण, सक्षमता और सहायता (एसएनईएच) कार्यक्रम लागू किया है, जिसने स्टार्टअप्स का एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और नए क्षेत्रों की खोज करते हैं। यह पहल तेल और गैस, बैटरी रीसाइक्लिंग, हाइड्रोजन-चालित परिवहन, ऐप-आधारित ईंधन वितरण, रोबोटिक्स, कार्बन कैप्चर, अपशिष्ट उपचार, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित विविध क्षेत्रों में उद्यमशीलता उपक्रमों का समर्थन करती है।

एसएनईएच (स्नेह) के भाग के रूप में, कंपनी ने इनक्यूबेशन समर्थन के लिए आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी बायोटेक पार्क, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईएम लखनऊ और आईआईटी दिल्ली जैसे 5 (पांच) अग्रणी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के शुरुआती चरणों में, कंपनी ने 15 (पंद्रह) स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है और कंपनी, इनक्यूबेटर और स्टार्टअप के बीच त्रिपक्षीय समझौतों के अनुसार उन्हें ₹ 21 करोड़ वितरित किए गए हैं। आईआईटी दिल्ली के माध्यम से 10 (दस) और स्टार्टअप्स का चयन किया गया है और चरणों में धनराशि वितरित की जा रही है। चालू वर्ष के दौरान, आईआईएम लखनऊ के माध्यम से 15 (पंद्रह) और स्टार्टअप्स का चयन किया गया है और ऑयल इंडिया के वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के शुभारंभ के बाद धनराशि वितरित की जाएगी।

स्नेह पहल के तहत समर्थित स्टार्टअप, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, को देश के प्रमुख वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र कार्यक्रम, इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान आयोजित अविन्या'25 - एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज में भारत के शीर्ष 5 स्टार्टअप्स में शामिल किया गया। यह सम्मान भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, यूग्रीन को इलेक्ट्रावर्स में भी शीर्ष 3 स्टार्टअप्स में शामिल किया गया। यह स्टार्टअप चैलेंज इलेक्रामा के दौरान आयोजित किया गया था, जो भारतीय इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिकल एवं संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। कंपनी ने नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को समर्थन दिया, जिनमें कैलिचे प्राइवेट लिमिटेड (तेल कूपों के लिए जैव रासायनिक रेत प्रवाह नियंत्रण पर केंद्रित) और कार्बोनेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए स्थायी अपशिष्ट समाधान के लिए समर्पित) ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कंपनी द्वारा समर्थित स्टार्टअप, बीटा टैंक रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने पेट्रोलियम टैंकों की सफाई के लिए एक रोबोट विकसित किया है। प्रोटोटाइप का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस टैंक सफाई रोबोट से तेल और गैस उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।

कंपनी ने 3 से 5 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण में सक्रिय रूप से भाग लिया। 'स्टार्टअप इंडिया @ 2047: अन्फ़ोल्डिंग द भारत स्टोरी' विषय के अंतर्गत, इस कार्यक्रम में 2,923 प्रदर्शकों, 103,349 विशिष्ट उपस्थितियों और 2.5 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति के साथ, पूरे भारत के क्रांतिकारी नवाचारों को उजागर किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में कंपनी की भागीदारी ने गहन तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, शुरुआती चरण के उद्यमों को समर्थन देने और महत्वपूर्ण कार्यनीतिक विशेषज्ञता साझा करने में इसकी सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित किया।

21. निवल शून्य लक्ष्य

आपकी कंपनी 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप एक स्वच्छ एवं एकीकृत ऊर्जा कंपनी बनने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस निवल शून्य लक्ष्य के एक भाग के रूप में, कंपनी 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक संरचित, विज्ञान-आधारित रोडमैप लागू कर रही है, जिसमें आधार वर्ष वित्तीय वर्ष

2023-24 की तुलना में 2026 तक लगभग 25%, 2030 तक लगभग 85% और 2035 तक लगभग 95% उत्सर्जन में कमी के अंतरिम लक्ष्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू की गई परियोजना "संतुलन" के माध्यम से, कंपनी ने ग्रीनहाउस गैसों में कमी, पर्यावरणीय स्थिरता और रणनीतिक सक्षमताओं पर केंद्रित 26 उच्च-प्रभावी पहलों का संचालन किया है। कंपनी ने प्रमुख डीकार्बोनाइजेशन लीवरों पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें फ्लेयरिंग में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा, संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी), ग्रीन हाइड्रोजन, पारंपरिक गैस से चलने वाले उपकरणों का विद्युतीकरण, सीसीएस/सीसीयूएस, भूतापीय, ऊर्जा दक्षता उन्नयन, ऊर्जा भंडारण समाधान और वेधन रिग में गतिशील गैस मिश्रण शामिल हैं।

इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, कंपनी ने आधार वर्ष की तुलना में पहले ही जीएचजी उत्सर्जन में - वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.450 एमएमटीसीओ2ई की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.268 एमएमटीसीओ2ई तक 12.5% की कमी हासिल कर ली है यह प्रगति दर्शाती है कि कंपनी अपने अंतरिम लक्ष्यों और दीर्घकालिक निवल शून्य लक्ष्य को पूरा करने की राह पर है।

एलपी फ्लेयर गैस को संपीड़ित करके और उसे गैस नेटवर्क में वितरित करके फ्लेयरिंग को कम करने के लिए एक गैस संपीड़न सुविधा स्थापित की गई है। कुमचाई में उत्पादित गैस की निकासी के लिए कुमचाई-कुसिजान पाइपलाइन के पूरा होने के साथ फ्लेयर गैस में कमी लाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिससे प्रतिदिन 0.07 एमएमएससीएम उच्च दाब गैस की फ्लेयरिंग कम हुई है। कंपनी ने गैस उपयोग में सुधार के लिए गैस निकासी हेतु नई पाइपलाइन अवसंरचनाएँ भी स्थापित की हैं, जिससे उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिली है।

आपकी कंपनी ने 2025 तक शून्य फ्लेयरिंग प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ नियमित फ्लेयरिंग में कमी लाने की पहल की है। एलपी फ्लेयर गैस को संपीड़ित करके और उसे गैस नेटवर्क में वितरित करके फ्लेयरिंग को कम करने के लिए कुल 11 गैस संपीड़न सुविधाएँ स्थापित की गई हैं। कुमचाई में उत्पादित गैस की निकासी के लिए कुमचाई-कुसिजान पाइपलाइन के पूरा होने के साथ फ्लेयर गैस में कमी लाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिससे प्रतिदिन 0.07 एमएमएससीएम उच्च दाब गैस के फ्लेयर में कमी आई है। कंपनी ने गैस उपयोग में सुधार के लिए गैस निकासी हेतु नई पाइपलाइन अवसंरचनाएँ भी स्थापित की हैं, जिससे उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान मिला है।

किफायती, टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन के अनुरूप, और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, आपकी कंपनी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में 25 संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 2 अक्तूबर 2024 को हासिल हुई, जब भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने असम में चार रणनीतिक स्थानों - तिनसुकिया, शिवसागर, जोरहाट और गुवाहाटी - पर सीबीजी संयंत्रों के लिए एक वर्चुअल ग्राउंडब्रेकिंग समारोह आयोजित किया, जो कंपनी के स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप में एक महत्वपूर्ण कदम था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल ने इस पहल के लिए ₹ 3,750 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय को मंजूरी दी। तिनसुकिया (असम) और खोरदा जिले (ओडिशा) के मेहरपल्ली में सीबीजी संयंत्रों के विकास के लिए खुली निविदाएँ जारी की गई हैं, जबकि तीन अतिरिक्त संयंत्रों जोरहाट (असम), अगरतला (त्रिपुरा) और कटक (ओडिशा) के लिए निविदा दस्तावेज तैयारी के उन्नत चरणों में हैं। इसके अलावा, तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर अतिरिक्त सीबीजी संयंत्र स्थानों का मूल्यांकन और प्राथमिकता देने के लिए 19 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए, ऑयल इंडिया बोर्ड ने स्थापित सीबीजी डेवलपर्स मैसर्स जीपीआरएस और मैसर्स एचडब्ल्यूटीपीएल के साथ दो संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों के गठन को भी मंजूरी दी है। संयुक्त उद्यम ढांचे के तहत सीबीजी संयंत्र विकास के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी ने अपनी स्थिरता और डीकार्बोनाइजेशन यात्रा को गति देने के लिए अग्रणी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों के साथ प्रमुख सहयोग स्थापित किए हैं। तेल एवं गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर (ओजीडीसी) पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, कंपनी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और निवल-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उद्योग-व्यापी सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में, आपकी कंपनी ने कंपनी के उत्पादन प्रतिष्ठानों में अस्थायी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का पता लगाने और उसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए टोटल एनर्जीज़ के साथ एक सहयोग करार किया है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का पता लगाने के लिए टोटल एनर्जीज़ की एयूएसईए (पर्यावरणीय अनुप्रयोगों के लिए एयरबोर्न अल्ट्रा लाइट स्पेक्ट्रोमीटर) तकनीक का उपयोग करके ड्रोन आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी एनआरएल के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, जो स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन की क्षमता का दोहन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल के तहत, वर्तमान में 2.4 केटीपीए क्षमता का एक ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जा रहा है और इसके वर्ष 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। सीओ2 उत्सर्जन में कमी की क्षमता 0.024 एमएमटीपीए होगी। अपने हरित पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए, कंपनी अपनी सहायक कंपनी एनआरएल के माध्यम से, संयुक्त उद्यम असम बायो-रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के तहत बांस फीडस्टॉक पर आधारित 50 केटीपीए 2जी इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कर रही है, जो चालू होने के उन्नत चरण में है।

आपकी कंपनी ने निवल-शून्य की दिशा में अपने प्रयासों में, हरित ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से अपने प्रचालनों का विद्युतीकरण करने की पहल की है। हरित ऊर्जा का उपयोग करके विद्युतीकरण बढ़ाकर क्षेत्रीय प्रचालनों में परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपयोगिता-स्तरीय हरित ऊर्जा परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के प्रतिष्ठानों को ग्रिड से जोड़ने की पहल की गई है। प्रचालन आवश्यकताओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणित हरित ऊर्जा उत्पादकों के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) के माध्यम से हरित ऊर्जा की खरीद की संभावना तलाशी जा रही है।

बड़े पैमाने पर भूमिगत निक्षेपण को सक्षम बनाने हेतु कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) की अवधारणा तीव्र जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर लोकप्रिय हो रही है। अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र के दृष्टिकोण से, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थायी भंडारण हेतु उपयुक्त भंडारण परिसर की पहचान, कार्बन मुक्तीकरण और निवल शून्य उत्सर्जन की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इस संबंध में, आपकी कंपनी ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में उपयुक्त रिजर्वायरों/जलभृतों में सीओ2 के संग्रहण, परिवहन और निक्षेपण हेतु डिज़ाइन संबंधी विचारों के साथ-साथ उपयुक्त रिजर्वायरों/जलभृतों की पहचान हेतु एक व्यवहार्यता अध्ययन किया है। अध्ययन का सफल समापन एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में कार्य करेगा और भारत में सीसीयूएस की तैनाती का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कंपनी ने भारत में भू-तापीय ऊर्जा अन्वेषण में कदम रखने की कार्यनीतिक पहल की है, जो इसके ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण के एक स्थायी और विश्वसनीय घटक के रूप में भू-तापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भूतापीय ऊर्जा की दीर्घकालिक क्षमता को पहचानते हुए, कंपनी ने इसे अपनी नवीन ऊर्जा पहलों के अंतर्गत एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में पहचाना है और इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने तथा पायलट पैमाने की परियोजनाओं को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। इस संबंध में, अरुणाचल प्रदेश में भूतापीय क्षमता के लिए पृथ्वी विज्ञान एवं हिमालयन अध्ययन केंद्र (सीईएस एवं एचएस) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के साथ एक सहयोगात्मक अध्ययन किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने परित्यक्त/परित्यक्त होने वाले तेल एवं गैस कूपों के पुनरुद्देश्यीकरण द्वारा भूतापीय ऊर्जा निकालने पर एक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है।

आपकी कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं। इनमें से उल्लेखनीय उपाय कंपनी में पारंपरिक उपकरणों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों से बदलना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की स्थापना से कुल वार्षिक उत्सर्जन में 1,612.46 टीसीओ2ई की कमी आई, जिससे कुल 2.21 मिलियन यूनिट की बचत हुई। इसके अलावा, कंपनी ने सभी गैस से चलने वाले घरेलू वाटर हीटरों को इलेक्ट्रिक गीजर से बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक 3,246.56 टीसीओ2ई उत्सर्जन में कमी आई है।

विद्युत ऊर्जा भंडारण उत्सर्जन कम करने की दिशा में अग्रणी समाधानों में से एक है और आपकी कंपनी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऊर्जा विश्वसनीयता, ग्रिड स्थिरता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने वेधन रिग S-7 में डायनेमिक गैस ब्लेंडिंग (डीजीबी) प्रणाली शुरू की है। डायनेमिक गैस ब्लेंडिंग (डीजीबी) प्रणाली, डीजल इंजनों को डीजल और प्राकृतिक गैस दोनों पर एक साथ संचालित करने की अनुमति देती है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव और प्रचालन लागत कम होती है, और डीजल इंजन की विशेषताओं से कोई समझौता नहीं होता। इससे डीजल की कम खपत के कारण उत्सर्जन में प्रत्यक्ष कमी आई है। निकट भविष्य में इसे अन्य वेधन रिगों में भी लागू करने की योजना है।

कंपनी ने भारत सरकार के हरित क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) के तहत असम, ओडिशा और राजस्थान में 604 हेक्टेयर भूमि भी पंजीकृत की है। इसमें से 438 हेक्टेयर में वृक्षारोपण गतिविधियाँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे कंपनी 2026 तक ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की राह पर है। ये क्रेडिट अवशिष्ट उत्सर्जन को कम करने और भारत के राष्ट्रीय वनरोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

इन बहुआयामी पहलों के माध्यम से, कंपनी न केवल अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर रही है, बल्कि एक मापनीय और सुदृढ़ स्वच्छ ऊर्जा मॉडल भी तैयार कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी का सक्रिय दृष्टिकोण भारत के ऊर्जा परिवर्तन में इसके नेतृत्व को रेखांकित करता है और राष्ट्रीय एवं वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में सार्थक योगदान करते हुए हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

22. डिजिटल और प्रमुख आईटी पहलें

ईएंडपी में नवाचार और मूल्य के लिए डिजिटल तत्परता (ड्राइव) वर्ष 2019 में शुरू की गई कंपनी की एक कार्यनीतिक डिजिटल परिवर्तन यात्रा है। पूरे संगठन में कुल 11 डिजिटल परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। इस सफलता की कहानी को आगे बढ़ाते हुए और नई नवीन डिजिटल परियोजनाओं को बड़े और अधिक प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने के लिए, आपकी कंपनी वर्तमान में ड्राइव 2.0 पहल के तहत कार्यान्वित की जाने वाली डिजिटल परियोजनाओं के एक नए समूह की पहचान करने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

कंपनी की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को प्रदर्शित, निगरानी और नियंत्रित करने के लिए एक अत्याधुनिक कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर (सीसीसी) इस पहल की पहचान होगी। प्रचालन दक्षता, बेहतर

एचएसई, लागत अनुकूलन और बेहतर निर्णय लेने के लिए कंपनी की महत्वपूर्ण गतिविधियों में डिजिटल और 4आईआर आधारित तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआर-वीआर आदि को अधिक समावेशी रूप से अपनाया जाएगा। सितंबर 2027 तक कम से कम 10 डिजिटल परियोजनाओं के क्रियान्वयन की परिकल्पना की गई है।

चल रही डिजिटल पहल के साथ-साथ, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ उल्लेखनीय आईटी सक्षम परियोजना/पहल शुरू की हैं। कंपनी के सेवानिवृत्त/अलग हुए सदस्यों के लिए "OILENAJORI" नाम से एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो सभी मानव संसाधन और वित्तीय मामलों सहित सहयोग, दावा निपटान के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करता है। एंटरप्राइज़ परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए एक एंटरप्राइज़-व्यापी परियोजना प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म "Oracle Primavera" लागू किया गया है। साइबर खतरों को कम करने और आईटी सुरक्षा में पर्याप्त अनुपालन के लिए, कंपनी सीडैक के सहयोग से एक अत्याधुनिक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित कर रही है। इसी प्रकार, कंपनी की संपूर्ण भौतिक परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए, सीडैक के मार्गदर्शन में एक परिष्कृत जीआईएस आधारित एसेट मॉनिटरिंग सूचना प्रणाली (एएमआईएस) की स्थापना शुरू की गई है।

23. साइबर सुरक्षा - सुदृढ़ीकरण उपाय

कंपनी के लिए साइबर सुरक्षा खतरों की निरंतर और विकसित होती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे खतरों के प्रभावी प्रबंधन और शमन के लिए निरंतर, संगठन-व्यापी प्रयासों और निर्बाध समन्वय की आवश्यकता है।

अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए, संगठन ने अपने सूचना सुरक्षा प्रशासन ढांचे में व्यापक बदलाव किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साइबर सुरक्षा संबंधी विचार रणनीतिक रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित हों।

एक व्यापक साइबर सुरक्षा संवर्द्धन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, संगठन ने कई पहल की हैं जैसे कि मुख्य साइबर सुरक्षा समूहों की क्षमताओं के निर्माण के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तैयारियों का परीक्षण करने और नकली हमले परिदृश्यों के तहत प्रतिक्रिया तंत्र को परिष्कृत करने के लिए नियमित साइबर घटना प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं।

साइबर सुरक्षा में अपेक्षाकृत हाल ही में प्रवेश करने के बावजूद, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महत्वाकांक्षी पहल की है, जिसमें रणनीतिक नीति हस्तक्षेप, व्यापक आकलन, मजबूत साइबर आपातकाल और घटना प्रतिक्रिया ढांचे, और 24x7 आईसीटी सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की दिशा में प्रगति शामिल है। महत्वपूर्ण साइबर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए नेतृत्व की अटूट प्रतिबद्धता, विशेष रूप से अस्थिर भू-राजनीतिक वातावरण के संदर्भ में, सक्रिय आत्मरक्षा उपायों और सीईआरटी-इन और एनसीआईआईपीसी द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देशों के कड़े पालन के माध्यम से प्रदर्शित होती है। आपकी कंपनी अपने महत्वपूर्ण सूचना ढाँचे की सुरक्षा के अपने मिशन में दृढ़ है और इसके लिए प्रमुख प्रतिष्ठानों की प्रारंभिक लेखापरीक्षा करती है, जो न केवल संगठन के लिए बल्कि राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। कंपनी साइबर सुरक्षा को एक उच्च-प्रभावी, उच्च-भौतिकता वाली शासन प्राथमिकता मानती है जो उसके संधारणीयता एजेंडे का अभिन्न अंग है। नेतृत्व द्वारा साइबर जोखिम की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है, जिससे सुदृढ़ शासन और निगरानी सुनिश्चित होती है। ये समन्वित प्रयास आपकी कंपनी को भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अपने समकक्षों के बराबर स्थापित करते हैं, और कठोर साइबर सुरक्षा नियंत्रणों द्वारा समर्थित एक महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं।

24. अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियां (फॉर्म एओसी-। और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 49 का संदर्भ लें)

क. प्रमुख अनुषंगी कंपनी

i. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)

एनआरएल एक अनुसूची 'क' मिनीरत्न श्रेणी-। सीपीएसई है, जिसकी असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में 3 एमएमटीपीए क्षमता वाली रिफाइनरी (वर्तमान में 9 एमएमटीपीए तक क्षमता वृद्धि के अधीन) है। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी के पास एनआरएल में 69.63% हिस्सेदारी है और प्रबंधन नियंत्रण उसके पास है। असम सरकार और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पास एनआरएल में क्रमशः 26% और 4.37% हिस्सेदारी है।

ख. अनुषंगी कंपनियां

(1) घरेलू सहायक कंपनी

i. ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (ओजीईएल)

ओजीईएल की स्थापना 31 जनवरी, 2025 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली समर्पित हरित ऊर्जा अनुषंगी कंपनी के रूप में की गई है ताकि कंपनी के लिए हरित और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों में एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो तैयार किया जा सके। यह नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न, जैव ईंधन, कार्बन कैप्चर, उपयोग और पृथक्करण, भूतापीय ऊर्जा और अन्य अवसरों सहित निम्न कार्बन, नवीन, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करेगी, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डी-कार्बोनाइजेशन और ऊर्जा परिवर्तन में सहायक होगी।

(2) विदेशी अनुषंगी कंपनियाँ

i. ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लि. (ओआईआईपीएल)

कंपनी की सिंगापुर स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओआईआईपीएल के पास वेंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(वीआईपीएल), सिंगापुर और तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीआईपीएल), सिंगापुर में 33.5% हिस्सेदारी है, जिनके पास रूसी संस्थाओं, जेएससी वेंकोरनेफ्ट और एलएलसी टीवाईएनजीडी में क्रमशः 23.9% और 29.9% हिस्सेदारी है।

ii. ऑयल इंडिया स्वीडन एबी

ऑयल इंडिया स्वीडन एबी, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी इंडऑयल नीदरलैंड्स बीवी, नीदरलैंड्स में 50% हिस्सेदारी है, जिसके पास वेनेज़ुएला की परिसंपत्ति पेट्रोकाराबाबो एस.ए. में 7.0% भागीदारी हित (पीआई) है।

iii. ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी (ओआईआईबीवी)

ओआईआईबीवी, नीदरलैंड्स, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ओआईआईबीवी की वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, साइप्रस में 50% हिस्सेदारी है, जिसकी रूसी विधिक इकाई एलएलसी स्टिमुल टी में 100% हिस्सेदारी है ।

ग. संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियां

i. ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल)

बीसीपीएल के पास असम के डिब्रूगढ़ के लेपेटकाटा में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पॉलीएथिलीन (एलएलडीपीई और एचडीपीई) और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन, वितरण और विपणन होता है। आपकी कंपनी बीसीपीएल में 10% इक्विटी शेयर पूंजी रखती है। गेल (इंडिया) लिमिटेड, असम सरकार और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पास भी क्रमशः 70%, 10% और 10% इक्विटी शेयर पूंजी है।

ii. डीएनपी लिमिटेड (डीएनपीएल)

डीएनपीएल को प्राकृतिक गैस के अधिग्रहण, परिवहन और वितरण के प्राथमिक उद्देश्य से निगमित किया गया था। आपकी कंपनी के पास डीएनपीएल की 23% इक्विटी शेयर पूंजी है। असम गैस कंपनी लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पास क्रमशः 51% और 26% इक्विटी शेयर पूंजी है।

iii. असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (एपीएल)

आपकी कंपनी के पास एपीएल में 48.80%, असम सरकार और उसकी स्वामित्व वाली संस्थाओं के पास 51.11% और अन्य के पास 0.09% इक्विटी शेयर हैं। यह 200 टीपीडी फॉर्मेल्डिहाइड परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के मध्य तक चालू करने की योजना है।

iv. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल)

आईजीजीएल, ओआईएल, ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल और एनआरएल (प्रत्येक की 20% इक्विटी के साथ) का एक संयुक्त उद्यम है, जो भारत के सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड और क्षेत्रीय स्रोतों से जोड़ने के लिए 1,670 किलोमीटर उत्तर पूर्व गैस ग्रिड (एनईजीजी) को क्रियान्वित कर रहा है।

v. एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड (एचपीओआईएल)

एचपीओआईएल, ओआईएल और एचपीसीएल के बीच समान इक्विटी भागीदारी वाला एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना अंबाला-कुरुक्षेत्र और कोल्हापुर भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एचपीओआईएल ने दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में अपने न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) लक्ष्यों का 100% हासिल कर लिया। मार्च 2025 के अंत तक, एचपीओआईएल अंबाला-कुरुक्षेत्र में 30 सीएनजी स्टेशनों का संचालन कर रहा है और 21,005 पीएनजी कनेक्शन प्रदान कर चुका है। इसके अलावा, कोल्हापुर में 29 सीएनजी स्टेशनों का संचालन कर रहा है और 38,914 पीएनजी कनेक्शन प्रदान कर चुका है। एचपीओआईएल ने अप्रैल 2024 में 12वें सीजीडी बोली दौर में नागालैंड राज्य भौगोलिक क्षेत्र के लिए सीजीडी प्राधिकरण भी प्राप्त कर लिया है।

vi. पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड (पीबीजीपीएल)

पीबीजीपीएल एक संयुक्त उद्यम है जिसमें ऑयल इंडिया और गेल गैस लिमिटेड की 26-26% और असम गैस कंपनी लिमिटेड की 48% इक्विटी भागीदारी है। पीबीजीपीएल का गठन असम के कामरूप और कामरूप महानगरीय जिलों (कामरूप, जीए) और कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों (कछार, जीए) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए किया गया है। कछार, जीए में, कंपनी ने चार सीएनजी स्टेशन चालू किए और 3,235 घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए। कामरूप, जीए में, कंपनी ने 11 सीएनजी स्टेशन चालू किए और 5,900 घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए।

vii. नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनईजीडीसीएल)

एनईजीडीसीएल, ओआईएल (49%) और असम गैस कंपनी लिमिटेड (51%) के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो असम के उत्तरी तट और उत्तरी एवं दक्षिणी त्रिपुरा भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा।

viii. एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड (एओजीपीएल)

एओजीपीएल, ऑयल इंडिया (49%) और असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (51%) का एक संयुक्त उद्यम है। एओजीपीएल का गठन 21 फरवरी, 2025 को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया गया है। एओजीपीएल ने असम राज्य में कुल 645 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पहचान की है।

ix. असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीएल)

एवीएफसीसीएल, असम सरकार (40%), ऑयल इंडिया लिमिटेड (18%), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (18%), हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (13%) और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (11%) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे 25 जुलाई 2025 को असम के नामरूप में नए अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप IV उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए शामिल किया गया था।

ix. सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड

आपकी कंपनी के पास सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड, नाइजीरिया में 25% हिस्सेदारी है (जिसका उद्देश्य नाइजीरिया में

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन और विकास सहित पेट्रोलियम व्यवसाय में संलग्न होना है) जो सनटेरा रिसोर्सेज लिमिटेड, साइप्रस और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ हस्ताक्षरित शेयर खरीद करार (एसपीए) के अनुसार है।

x. ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)

आपकी कंपनी बीआरईएमएल में 40% हिस्सेदारी धारण करती है। बीआरईएमएल के पास मोज़ाम्बिक के रोवुमा क्षेत्र 1 अपतटीय ब्लॉक में 10% भागीदारी हित है।

25. अनुषंगी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म एओसी-1) के अनुसार कंपनी की अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट भी इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी की अनुषंगी कंपनियों की संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

26. सांविधिक अपेक्षाएं

आपके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय आदि की जानकारी इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में दी गई है।

सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के मद्देनजर, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या नियामक प्राधिकरण का कोई आदेश या निर्देश नहीं था जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में स्थिति को प्रभावित करता हो या जिसने कंपनी के व्यावसायिक संचालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया हो।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान न तो कोई आवेदन किया गया और न ही दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित है।

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

27. सांविधिक लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा मैसर्स गोपाल शर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैसर्स आरकेपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है। सीएंडएजी ने कंपनी के वित्तीय विवरण 2024-25 पर "शून्य" टिप्पणियां दी हैं।

मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार द्वारा दी गई वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट सांविधिक समय सीमा के भीतर दाखिल की गई थी। रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल कर दिया जाएगा।

मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, सेबी दिशानिर्देशों और पूंजी बाजार से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करती है, सिवाय बोर्ड संरचना के, जो इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बोर्ड संरचना पर की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार है:

(क) चूंकि कंपनी भारत सरकार का उद्यम है, इसलिए कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) के माध्यम से की जाती है। कंपनी मौजूदा नियमों के अनुपालन हेतु कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध करती रही है।

(ख) वर्ष के दौरान एक निश्चित अवधि के लिए, सांविधिक बोर्ड समितियों की संरचना सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती थी। तथापि, 28.03.2025 को कंपनी के बोर्ड में 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, मौजूदा सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में उक्त समितियों का फिर से पुनर्गठन किया गया।

बेहतर कॉरपोरेट अभिशासन की दिशा में एक कदम के रूप में, हमारी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।

28. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित फॉर्म एमजीटी-7 में वार्षिक विवरणी तैयार की गई है और कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबलिंक https://www.oil-india.com/files/financial_results_documents/Annual_Return_for_the_year_2024_2025_MGT7.pdf पर होस्ट की गई है।

29. पुरस्कार और सम्मान

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी को निम्नलिखित सम्मान और पुरस्कार/प्रशंसा प्रदान किए गए:

1. कंपनी को "ऑयल माइन्स लार्ज" श्रेणी में प्रतिष्ठित माइन सेफ्टी अवॉर्ड 2024; आउटलुक प्लैनेट समिट एंड अवॉर्ड्स 2024 में "सस्टेनेबिलिटी चैंपियन - एडिटर्स चॉइस अवॉर्ड"; "फायर एंड सिक्योरिटी एक्सीलेंस" पर गोल्डन बर्ड नेशनल अवॉर्ड 2023-24 और पेट्रोलियम स्टोरेज एवं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में "एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवॉर्ड 2024 फॉर एनवायरनमेंट एक्सीलेंस" के अंतर्गत 'प्लेटिनम अवॉर्ड' से सम्मानित।
2. कंपनी को दो पुरस्कार भी प्रदान किए गए: i) सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रथाएँ और ii) वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों में सर्वश्रेष्ठ नवाचार।
3. कंपनी के....
   - सेंट्रल टैंक फार्म (सीटीएफ)-दुलियाजान को पेट्रोलियम भंडारण और परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा उत्कृष्टता की श्रेणी में प्रथम ग्रीन-एनवायरो सेफ़्टी गोल्ड अवॉर्ड 2025 प्राप्त हुआ।
   - सेंट्रल टैंक फार्म (सीटीएफ)-मोरान को कार्यस्थल सुरक्षा में उत्कृष्टता के सम्मान में ग्रीनटेक कार्यस्थल सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
   - वेस्टर्न फील्ड्स को "पेट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा उपकरण" श्रेणी, 2024-25 में गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
   - सेकेंडरी टैंक फार्म (एसटीएफ)-मधुबन को ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन के वैश्विक सुरक्षा स्थिरता चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
4. कंपनी के राजस्थान फील्ड - (क) उत्पादन खदान को सांविधिक रिपोर्ट और सुरक्षा सुविधाओं की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। (ख) गैस प्रसंस्करण परिसर, डांडेवाला को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2025 में 'मेरिट विजेता' का पुरस्कार मिला (ग) राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कार्यालयों की 'क' श्रेणी के अंतर्गत प्रथम राजभाषा शील्ड।

30. निदेशकों की नियुक्ति आदि / निष्पादन मूल्यांकन संबंधी नीति

कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक, बोर्ड, समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के वार्षिक मूल्यांकन पर नीति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (इ) और धारा 134 (3)(त) के प्रावधान भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 05 जून, 2015 के राजपत्र अधिसूचना के मद्देनजर लागू नहीं हैं, जिसमें सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है क्योंकि निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय, यानि एमओपीएनजी द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, उक्त अधिसूचना ने सरकारी कंपनियों को धारा 178(2) के प्रावधानों से भी छूट दी, जिसमें नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

31. नियामकों या न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश

वर्ष के दौरान विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया, जो कंपनी की चालू समुत्थान स्थिति और भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करता हो।

32. सतर्कता तंत्र / व्हिसलब्लोअर नीति

आपकी कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है और अवैध या अनैतिक आचरण की सूचना देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कंपनी के पास अधिनियम और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार एक सतर्कता तंत्र और एक व्हिसलब्लोअर नीति है। सतर्कता तंत्र/ व्हिसलब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.oil-india.com/files/investor_services_documents/Whistle_Blower_Policy.pdf पर देखी जा सकती है।

33. निदेशक मंडल में परिवर्तन

क. श्री पंकज कुमार गोस्वामी, पूर्व निदेशक (प्रचालन) [डीआईएन-08716147] 30 सितंबर, 2024 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 1 अक्तूबर, 2024 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे।

ख. सुश्री पूजा सूरी [डीआईएन-03077515] और श्री राजू रेवाणकर [डीआईएन-09398201], स्वतंत्र निदेशक, अपने 3 वर्ष के पूर्व कार्यकाल के पूरा होने के बाद 8 नवंबर, 2024 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे।

ग. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18 नवंबर, 2024 के पत्र संख्या सीए-31014/2/2022-पीएनजी (43580) के अनुसार, श्री अभिजीत मजूमदार [डीआईएन-

10788427] को 20 नवंबर 2024 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।

घ. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16 दिसंबर, 2024 के पत्र संख्या सीए-31014/4/2022-पीएनजी (44593) के अनुसार, श्री त्रैलोक्य बरगोहांई [डीआईएन-10788428] को 17 दिसंबर 2024 से निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया गया।

ङ. श्री अशोक दास, पूर्व निदेशक (मानव संसाधन) [डीआईएन-09631932] 31 दिसंबर, 2024 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 1 जनवरी, 2025 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे।

च. श्री जॉर्ज थॉमस, निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय [डीआईएन- 10625136], पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अपनी कार्यमुक्ति के बाद 22 मार्च 2025 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नहीं रहेंगे।

छ. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी 28 मार्च 2025 के पत्र संख्या सीए-31033/2/2021-पीएनजी-39069 के अनुसार, सुश्री पूजा सूरी [डीआईएन-03077515], श्री राजू रेवाणकर [डीआईएन- 09398201], श्री बलराम नंदवानी [डीआईएन-00356119] को 28 मार्च 2025 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

ज. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 16 अप्रैल 2025 के पत्र संख्या सीए-31014/2/2023- सीए-पीएनजी (45461) के अनुसार, डॉ. अंकुर बरुआ [डीआईएन-10927299] को 16 अप्रैल 2025 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया।

झ. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 9 मई 2025 के पत्र संख्या सीए-31033/2/2021- पीएनजी-39069 के अनुसार, श्री मोती लाल मीणा [डीआईएन -11111214] को 17 मई 2025 से कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

ञ. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 19 जून 2025 के पत्र संख्या सीए-31032/1/2021- पीएनजी-37493 के अनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक श्री विकास सिंह [डीआईएन-11167687] को 24 जून 2025 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री सलोमा योमदो [डीआईएन:10696034], निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पात्र होने पर, आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी पुनर्नियुक्ति प्रस्तावित है। उनका संक्षिप्त परिचय वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिया गया है।

34. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत अपेक्षित अपेक्षाओं के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

i. वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखा चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किए हैं;

v. निदेशकों ने कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं जो पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं; और

vi. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

35. आभारोक्ति

मैं, पूरे निदेशक मंडल की ओर से, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों, लेखापरीक्षकों और बैंकरों को वर्ष के दौरान उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान की विशेष सराहना करते हैं। कंपनी की निरंतर वृद्धि उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही संभव हो पाई है। आपके निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं और उनके मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
हस्ता/-
डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08275277

स्थान: नोएडा
दिनांक: 21.05.2025

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण

क. ऊर्जा संरक्षण

वर्ष 2040 तक परिचालन उत्सर्जन में निवल शून्य बनने की कंपनी की प्रतिबद्धता पर्यावरणीय संधारणीयता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति इसके मजबूत समर्पण को दर्शाती है। एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में, यह अपने निवल शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण और दक्ष तकनीकों को अपनाने के महत्व को पहचानती है। ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करके और नवीन तकनीकों को अपनाकर, कंपनी का लक्ष्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और अपने प्रचालन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को न्यूनतम करना है। ऊर्जा दक्षता कंपनी के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है, क्योंकि यह न केवल निवल शून्य लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देता है, बल्कि लागत बचत, बेहतर प्रचालन प्रदर्शन को भी बढ़ावा देता है और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 12 के अनुरूप है, जो जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देता है। ऊर्जा अवलोकन और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से, कंपनी का लक्ष्य सुधार के अवसरों की पहचान करना और अपने प्रचालन में ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करने के उपायों को लागू करना है

i) प्राकृतिक गैस की फ्लेयरिंग में कमी :

आपकी कंपनी के रणनीतिक प्रयासों से फ्लेयरिंग में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल फ्लेयर मात्रा में 0.125 एमएमएससीएमडी की कमी आई है। इस उपलब्धि को प्रमुख बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं के विकास से बल मिला है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों को गैस नेटवर्क से जोड़ने वाली पाइपलाइनें भी शामिल हैं, जिससे प्रभावी गैस निकासी संभव हुई है और अपव्यय न्यूनतम हुआ है।

फ्लेयरिंग में कमी लाने के लिए किए गए कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

संस्थापना	कम हुई मात्रा (एमएमएस सीएमडी)	कारण
कुमचाई	0.07 (उच्च दाब)	अप्रैल 2024 में कुमचाई-कुसिजान पाइपलाइन (केकेपीएल) का चालू होना।
माकुम एवं हेबेडा	0.03	जीसीएस-5 से हेबेडा तक 1,40,000 एससीएमडी गैस बूस्टर की पुनः स्थापना और हेबेडा में 40,000 एससीएमडी नए इनहाउस कंप्रेसर की स्थापना।
ओगपाड़ा	0.01	ओगपाड़ा में 20,000 एससीएमडी क्षमता वाले नए इन-हाउस कंप्रेसर की स्थापना।
डब्ल्यूएचएस-एचडब्ल्यूडीएच	0.015	नवंबर 2024 में डब्ल्यूएचएस-एचडब्ल्यूडीएच को एजीसीएल पाइपलाइन से जोड़ा जाना ।
कुल	0.125	

कमचाई-कुसिजान पाइपलाइन परियोजना (62.41 किमी) कंपनी के बुनियादी ढाँचे के विकास और निवल शून्य लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस परियोजना ने कुमचाई ईपीएस पर शून्य गैस फ्लेयरिंग को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है और साथ ही 85,000 एससीएमडी प्राकृतिक गैस की निकासी को सक्षम किया है, जिससे नए राजस्व स्रोत खुले हैं और कंपनी की सबसे पूर्वी पाइपलाइन कनेक्टिविटी स्थापित हुई है। इसने न केवल क्षेत्र में अन्वेषण क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि सतत हाइड्रोकार्बन विकास में प्रचालनात्मक उत्कृष्टता को भी प्रदर्शित किया है।

ii). नवीकरणीय विद्युत उत्पादन:

कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और सभी क्षेत्रों में अपने सभी कार्यालयों में रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित और चालू करने का इरादा रखती है। वर्तमान में, कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में 1989 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्रों का उपयोग कैप्टिव उपयोग के लिए किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन निम्नानुसार है –

क्र. सं.	संयंत्र /स्थान	वाणिज्यिक/ कैप्टिव	2024-25 (केडब्ल्यूएच)	2023-24 (केडब्ल्यूएच)
1	राजस्थान फील्ड	वाणिज्यिक	28,45,00,000	27,67,30,000
2	राजस्थान फील्ड	कैप्टिव	4,34,608	2,41,296
3	फील्ड हेड क्वार्टर, दुलियाजान	कैप्टिव	2,80,821	1,33,566
4	पाइपलाइन क्षेत्र – गुवाहाटी	कैप्टिव	2,68,657	3,34,297
5	कॉरपोरेट कार्यालय – नोएडा	कैप्टिव	31,931	24,910
कुल			**28,55,16,017**	**27,74,64,069**

कंपनी ने एपीजीसीएल के सहयोग से असम के नामरूप में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है और संयंत्र निर्माणाधीन है।

iii) एचएसडी/पेट्रोल खपत में कमी:

कंपनी ऊर्जा संरक्षण और ईंधन की खपत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने एचएसडी (हाई-स्पीड डीज़ल) और पेट्रोल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। ऐसी ही एक पहल में बालीजान क्यूपीएस और चबुआ एफजीजीएस में गैस-चालित जेनसेट की स्थापना शामिल है। इससे लगभग ₹21 लाख की लागत बचत हुई है और हाई-स्पीड डीज़ल (एचएसडी) की खपत में 76% की कमी आई है। इसके अलावा, गैस टरबाइन-आधारित जनरेटरों को गैस इंजन जनरेटरों से बदलने से वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट लगभग 9.76% प्राकृतिक गैस की बचत हुई है।

इसी प्रकार, आरएस-13 (ओडलबारी) रिपीटर स्टेशन पर ग्रिड पावर स्थापना और कमीशनिंग 31 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक पूरी हो गई। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 तक कार्बन उत्सर्जन में 4,536 किलोग्राम की कमी के साथ-साथ 1,693 लीटर एचएसडी खपत की बचत हुई है, जो स्थिरता और जलवायु परिवर्तन शमन के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसी प्रकार, भोगपारा, डिकोम, हटियाली, एचजेसी (चबुआ), बरेकुरी, बागजान, मकुम (I+II) में बीओओ संपीड़न सेवा शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 65.09 एमएमएससीएम प्राकृतिक गैस की खपत में बचत हुई।

iv) सक्षम - 2025 :

आपकी कंपनी द्वारा 14 फ़रवरी 2025 से 28 फ़रवरी 2025 तक 'हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण' विषय पर संरक्षण क्षमता महोत्सव 2025 (सक्षम) मनाया गया। यह पखवाड़ा नागरिकों को स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण हेतु ईंधन संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ भारत को कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया था।

इस पूरे आयोजन के दौरान, कर्मचारियों, छात्रों और आम जनता सहित हितधारकों को शामिल करने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। ऊर्जा संरक्षण प्रयासों में जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह, वॉकथॉन, क्विज़, सेमिनार, वाद-विवाद और साइक्लोथॉन जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, इन आयोजनों की सोशल मीडिया पोस्टिंग, सामुदायिक रेडियो प्रसारण और स्कूल-स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों ने जलवायु परिवर्तन और सतत ऊर्जा प्रथाओं पर संदेश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कंपनी ने स्वच्छ ईंधन अपनाने और औद्योगिक एवं घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देकर ऊर्जा संरक्षण के



प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कंपनी का मानना है कि सतत ऊर्जा प्रथाओं की दिशा में सामूहिक प्रयास राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

v) पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था एवं उपकरणों और ड्राइव का प्रतिस्थापन :

नीति के अनुसार, कंपनी अपने प्रतिष्ठानों, कार्यालय भवनों, स्ट्रीट लाइटों और कर्मचारी आवासों में चरणबद्ध तरीके से सभी पारंपरिक ल्यूमिनेयर को ऊर्जा-दक्ष एलईडी लाइटों से बदल रही है। पारंपरिक ऊर्जा-गहन उपकरणों को ऊर्जा-दक्ष उपकरणों से बदलने से 2.21 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत हुई है। इससे प्रति वर्ष लगभग ₹2 करोड़ की बचत हुई है।

vi) ऑल-इन-वन कंप्यूटर की शुरुआत

ये कंप्यूटर सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटरों की तुलना में दो-तिहाई तक बिजली की खपत बचा सकते हैं। ऑल-इन-वन कंप्यूटरों को अपनाकर, हमने ऊर्जा की पर्याप्त बचत की है, जिससे लागत में कमी आई है और साथ ही सतत विकास लक्ष्य 12 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी बनी है - सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना। यह सक्रिय कदम पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और कुशल संसाधन प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 69.60 करोड़ खर्च किए थे।

ख. प्रौद्योगिकी उन्नयन

आपकी कंपनी अपनी नीति के अनुरूप अन्वेषण से लेकर क्षेत्र विकास और उसके बाद भंडार प्रबंधन एवं निगरानी तक, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, उत्पादन और विकास के सभी क्षेत्रों में निरंतर नई तकनीक शामिल कर रही है। निरंतर विकसित हो रहे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और विकास उद्योग के क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत रहने के लिए, कंपनी के पास एक मौजूदा तंत्र है जहां नियमित रूप से प्रौद्योगिकी प्रेरण बैठकें आयोजित की जाती हैं। कंपनी फास्ट-ट्रैक आधार पर अत्याधुनिक और उद्देश्य के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के अपने निरंतर प्रयास में, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को अन्वेषण, विकास और उत्पादन डोमेन को शामिल करते हुए नई प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती है। प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए, कंपनी के पास एक समर्पित वेबपेज है, जहां प्रतिष्ठित सेवा प्रदाता पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी प्रौद्योगिकियों का विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत और विदेश दोनों से प्रतिष्ठित सेवा/प्रौद्योगिकी प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुतियों के साथ प्रतिक्रियाएं बहुत उत्साहजनक रही हैं।

ग. प्रौद्योगिकी आमेलन :

मल्टी-केलिंग थिकनेस डिटेक्टर: यह उपकरण 3 संकेंद्रित ट्यूबलरों - 2 7/8" ट्यूबिंग, 5 1/2" केसिंग और 9 5/8" केसिंग - में जंग और कुल धातु हानि के मात्रात्मक निर्धारण में मदद करता है। यह इसके संचालन के लिए ट्यूबिंग को बाहर निकालने की आवश्यकता को समाप्त करता है और रिग्लेस वातावरण में संचालित हो सकता है, जिससे कूप का काफी समय और लागत बचती है।

डाउनहोल वीडियो: यह वेलबोर का वास्तविक समय दृश्य प्रदान करता है जिससे डाउनहोल फिश, रिसाव, ट्यूबलर जंग, ट्यूबलर क्षति, छिद्र निरीक्षण, जीएलवी निरीक्षण आदि का आकलन संभव होता है, जिससे कूपों की जटिल डाउनहोल स्थिति का निदान करने और तेल एवं गैस कूपों के वर्कओवर संचालन के दौरान प्रभावी रूप से सहायता करने में मदद मिलती है।

नॉइज़ टूल: यह पानी के प्रवेश के स्रोत, असामान्य द्रव गति, वेलबोर और केसिंग के पीछे संचरना या चैनल के बीच क्रॉसफ्लो का पता लगाता है। यह पैकर/प्लग/ट्यूबलर में रिसाव का भी पता लगा सकता है।

डीप कनेक्ट चार्ज के साथ स्टिम गन का अनुप्रयोग: स्टिम गन सहायता प्राप्त 3.3/8" टीएजी -डीप कनेक्ट चार्ज का उपयोग करके छिद्रण, पारंपरिक छिद्रण चार्ज की तुलना में अधिक प्रवेश प्रदान करता है। प्रणोदक-आधारित विस्फोटक कूप के निकट के क्षेत्र को गतिशील रूप से साफ और उत्प्रेरित करते हैं जिससे प्रवाह बढ़ता है।

3डी प्रतिरोधकता: प्रेरण प्रतिरोधकता उपकरण जो 3 अक्षों में प्रतिरोधकता को माप सकता है। अनुप्रयोगों में पतले बिस्तर वाले रेत शेल अनुक्रमों में हाइड्रोकार्बन की पहचान और मात्रा का निर्धारण शामिल है।

कोर-फ्लड सेट-अप/कोर फ्लडिंग सिस्टम: यह एक अत्याधुनिक उपकरण है जिसमें रिजर्वायर और परिवेश दोनों स्थितियों में स्थिर अवस्था और अस्थिर अवस्था सापेक्ष पारगम्यता माप दोनों करने के लिए स्वचालित डिज़ाइन है। प्रणाली को इस तरह से अनुकूलित किया जा रहा है कि यह विभिन्न तरल पदार्थों जैसे अलग-अलग लवणता वाले ब्राइन, पॉलिमर, सर्फैक्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) गैस, खनिज तेल, जीवित कच्चा तेल, मृत कच्चा तेल, एन2 गैस आदि का उपयोग करके कोर फ्लडिंग प्रयोगों के लिए अनुकूल हो सके।

डिजिटल माइक्रोस्कोप (निर्माता: एविडेंट-ओलंपस, जापान, मॉडल संख्या: डीएसएक्स 1000): यह डिजिटल माइक्रोस्कोप नव स्थापित संक्षारण प्रयोगशाला में एक आवश्यक उपकरण है, जिसे तेल क्षेत्र के ट्यूबलर घटकों और वेलहेड फिटिंग्स में संक्षारण के विस्तृत विश्लेषण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन्नत उच्च-परिशुद्धता इमेजिंग प्रणाली, सतह को पॉलिश किए बिना, कम आवर्धन पर गड्ढे, दरार और अंतर-दानेदार संक्षारण सहित

एकसमान और स्थानीयकृत संक्षारण की जाँच करने की अनुमति देती है, जिससे नमूने की अखंडता बनी रहती है। एक गैर-विनाशकारी मूल्यांकन (एनडीई) उपकरण के रूप में, यह नमूनों की मूल स्थिति को बनाए रखते हुए सटीक विफलता विश्लेषण का समर्थन करता है।

जल आधारित मड सिस्टम में नई पीढ़ी के रसायनों की खरीद: इओसीन संरचनाओं में उच्च-कोण विचलित कूपों का वेधन करते समय, उच्च टॉर्क, ड्रैग, अटके हुए पाइप और छेद के धुलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों को कम करने के लिए, रसायन विभाग ने वेधन द्रव प्रणाली को अनुकूलित किया, बेहतर शेल अवरोधन और चिकनाई पर ज़ोर दिया। प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पॉलीमाइन, ईपी ल्यूब, ग्राफीन-आधारित स्नेहक और पोटेशियम सल्फेट जैसे प्रीमियम रसायनों को शामिल किया गया।

जल आधारित मड सिस्टम में नैनो-पॉलीमर उत्पादों का क्षेत्र कार्यान्वयन: ये पर्यावरण-अनुकूल, नैनो-आकार के उत्पाद छेद की सफाई में सुधार, ईसीडी को कम करने, आरओपी को बढ़ाने और डाउनहोल समस्याओं को कम करके जल-आधारित मड सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। ये पाँच पारंपरिक रिग-साइट रसायनों की जगह लेते हुए बहुआयामी लाभ प्रदान करते हैं—जैसे शेल स्थिरीकरण, द्रव हानि नियंत्रण और बिट बॉलिंग रोकथाम।

लैंडमार्क सॉफ़्टवेयर: जटिल संरचनाओं में ड्रिलिंग में शेल प्रतिक्रियाशीलता, वेलबोर अस्थिरता और दबाव में बदलाव जैसी चुनौतियाँ शामिल होती हैं। इनके समाधान के लिए, रसायन विभाग ने मड हाइड्रोलिक्स, सर्ज और स्वैब प्रेशर, और वेल कंट्रोल के रीयल-टाइम विश्लेषण के लिए वेल प्लान सूट के साथ लैंडमार्क सॉफ्टवेयर को अपनाया। यह डिजिटल टूल कुशल निर्णय लेने, बेहतर होल क्लीनिंग, प्रेशर मैनेजमेंट और कम संरचना क्षति के साथ अनुकूलित परिसंचरण में सहायता करता है।

ड्रिलिंग ऑपरेशन की ऑनलाइन रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह कार्यात्मक है और वर्तमान में सभी रिग की निगरानी की जाती है, जिसमें अंडमान ऑफशोर, जोधपुर और महानदी से लाइव डेटा शामिल है। यह मॉनिटरिंग सिस्टम आसान उपयोग के लिए अनुकूलित स्क्रीन में वेल डेटा तक रीयल-टाइम पहुंच प्रदान करता है जो कूप के व्यवहार को समझने में मदद करता है और परिचालन टीम को 24x7 सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है।

जटिल कूपों में, जहां नीचे की ओर प्रचालन संबंधी समस्याएं हैं, वायरलाइन लॉग पोस्ट वेधन पर निर्भरता को कम करने के लिए अत्याधुनिक उच्च स्तरीय **एलडब्ल्यूडी (लॉगिंग व्हाइल ड्रिलिंग) प्रौद्योगिकी को वहां तैनात किया जा रहा है।**

स्टैब-इन सीमेंटिंग: सीमेंटिंग अनुभाग ने 20" आवरण के लिए स्टैब-इन सीमेंटिंग की शुरुआत की, जिससे सटीक छिद्र आयतन अनुमान पर निर्भरता कम हुई और सीमेंट संदूषण न्यूनतम हुआ। सतह के वापस आने तक पम्पिंग की अनुमति देकर, यह विधि विस्थापन दक्षता और सीमेंट बॉन्ड गुणवत्ता में सुधार करती है, जिससे समग्र कूप की अखंडता में वृद्धि होती है।

डीओसी (डीज़ल ऑक्सीकरण उत्प्रेरक) वेधन रिग पर पावरपैक इंजनों से निकलने वाले कण उत्सर्जन को कम करने के लिए, एक डीज़ल ऑक्सीकरण उत्प्रेरक (डीओसी) लगाया गया है। यह प्लैटिनम-लेपित प्रणाली कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक कणों को सीओ2 और पानी में ऑक्सीकृत करती है, जिससे उत्सर्जन का पर्यावरणीय प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है।

डायनेमिक गैस ब्लेंडिंग के सफल कार्यान्वयन के बाद, अधिक रिग इंजनों के लिए डायनेमिक गैस ब्लेंडिंग (डीजीबी) अतिरिक्त किट का प्रस्ताव किया जा रहा है।

प्रोपेलेंट स्टिमुलेशन: तंग रिजर्वायरों से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोपेलेंट स्टिमुलेशन का प्रयोग किया गया है, जिससे उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस तकनीक में ई-लाइन के माध्यम से तैनात ठोस रॉकेट ईंधन कारतूसों का उपयोग किया जाता है, जो लक्ष्य की गहराई पर विस्फोट करके दबाव स्पंदन उत्पन्न करते हैं जो आसपास की चट्टानों को तोड़ते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन प्रवाह में सुधार होता है। चार कूपों में लागू की गई इस तकनीक ने उत्कृष्ट परिणाम दिए।

हाइड्रो-फ्रैक: कंपनी में वर्तमान में हाइड्रो-फ्रैक अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए कई कूपों को चिन्हित किया गया है।

रेडियल ड्रिलिंग: 07 कूपों में रेडियल वेधन अनुबंध किया गया है और 31 मार्च 2025 तक 1100 किलोलीटर कच्चे तेल और 3.4 एमएमएससीएम गैस का संचयी लाभ प्राप्त किया गया है ।

सिंगल स्ट्रिंग मल्टी- ज़ोन कम्प्लीशन: सिंगल स्ट्रिंग मल्टीज़ोन कम्प्लीशन, बिना किसी वर्कओवर रिग की आवश्यकता के, एक ही वेलबोर के माध्यम से कई रिजर्वायरों का क्रमिक परीक्षण और उत्पादन संभव बनाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों से चयनात्मक या मिश्रित उत्पादन की अनुमति देता है , जिससे बहु-रिजर्वायर दोहन के लिए रिग रहित और दक्ष समाधान मिलता है ।

इंजेक्शन मैन्ड्रेल और गैस लिफ्ट सहायता के माध्यम से डाउनहोल लिक्विड फ्लो इम्प्रूवर केमिकल इंजेक्शन के कार्यान्वयन से फ़्लो एश्योरेंस प्राप्त किया गया है। इससे उत्पादन को बनाए रखने में मदद मिली है और उच्च मोम उच्च पोर पॉइंट तेल उत्पादन करने वाले कूपों में यांत्रिक स्क्रैपिंग आवृत्ति कम हुई है। लगभग 2000 मीटर की गहराई पर 2 कूपों में डाउनहोल केमिकल इंजेक्शन मैन्ड्रेल सफलतापूर्वक स्थापित और परीक्षण किया गया।

नवोनमेषी इन-हाउस एमईओआर तकनीक को तीन कूपों (दो ऊपरी असम क्षेत्र में और एक राजस्थान क्षेत्र में) में लागू किया गया। इस तकनीक के सफल कार्यान्वयन के बाद, तीनों कूपों में तेल उत्पादन में वृद्धि देखी गई।

कॉम्पैक्ट वेल-हेड की सफल स्थापना और परीक्षण: यह उन्नत वेल-हेड सिस्टम केसिंग हैंगर, सील और लॉकडाउन तंत्र को एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में एकीकृत करता है, जिससे आकार, वजन

और जटिलता कम हो जाती है। यह स्थापना को सुव्यवस्थित करता है, विभिन्न केसिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है, और ड्रिलिंग कार्यों के दौरान समय, रिसाव पथ, जोखिम और लागत को कम करता है।

नए फिशिंग के उपकरणों का परिचय: मछली की पुनर्प्राप्ति के लिए वर्कओवर ऑपरेशन में पैकर मिलिंग और रिट्रीवल टूल और सुपरफिशियल जार जैसे नए मछली पकड़ने के उपकरण पेश किए गए।

इनोवेशन फैक्टरी सॉल्यूशंस (वेल पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़र): यह नवीन तकनीक उत्पादन अनुकूलन और रिजर्वायर प्रबंधन के लिए एआई/एमएल का लाभ उठाती है। डब्ल्यूपीओ प्रोटोटाइप डेटा को मानकीकृत करने, कूपों की स्क्रीनिंग और रैंकिंग करने, समस्याओं की पहचान करने, हस्तक्षेपों की सिफारिश करने और सफलता की संभावनाओं के साथ-साथ उत्पादन लाभ की भविष्यवाणी करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकीकृत करता है।

एनरकैट तकनीक: यह तकनीक एक पूर्व-चार्ज मिश्र धातु उपकरण का उपयोग करती है, जिसका आकार विभिन्न उत्पादन ट्यूबिंग में फिट होने के लिए होता है, और इसे कूप में छिद्र के पास रखा जाता है। जैसे ही कच्चा तेल एनरकैट उपकरण से होकर प्रवाहित होता है, यह एपीआई और श्यानता जैसे प्रमुख रियोलॉजिकल गुणों को निकटवर्ती रिजर्वायर स्थितियों में पुनर्स्थापित कर देता है, जिससे भारी या अत्यधिक श्यान कच्चे तेल का प्रवाह सतह की ओर बढ़ जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकियाँ

क्र सं.	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से आमेलित हो गई है	यदि पूर्णतः आमेलित नहीं हुई है, तो वे क्षेत्र जहां आमेलन नहीं हुआ है, तथा उसके कारण
1	टफ-ट्रैक तकनीक (वायर-लाइन ट्रैक्टर)	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
2	एनओवी सीटीईएस ओरियन वी डेटा अधिग्रहण प्रणाली	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
3	आर्गस ट्यूब स्पेक	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
4	माइक्रो-फाइन सीमेंट	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
5	एमयूडी सेवाओं के साथ आरएसएस	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
6	व्हिपस्टॉक और विंडो मिलिंग सेवा	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
7	ई-आरटीएमएसी (उन्नत रीयल-टाइम निगरानी और विश्लेषण केंद्र)	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
8	कॉम्पैक्ट वेल हेड	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
9	2 इंच सर्पिल स्कैलप थ्रू ट्यूबिंग वेध प्रणाली	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
10	हाइब्रिड भूकंपीय रिकॉर्डिंग यूनिट	2022-23	जी हाँ	लागू नहीं
11	हाइड्रोलिक सकर रॉड पंपिंग यूनिट	2023-24	जी हाँ	लागू नहीं
12	प्रोपेलेंट स्टिमुलेशन सेवा	2023-24	जी हाँ	लागू नहीं
13	प्रोक्सिमा थ्रू-बिट ओएच लॉगिंग	2023-24	जी हाँ	लागू नहीं
14	मछली पकड़ते समय लॉगिंग (एलडब्ल्यूएफ) उपकरण	2023-24	जी हाँ	लागू नहीं
15	लंबी दूरी के छिद्रण के लिए टीसीपी	2023-24	जी हाँ	लागू नहीं
16	इलेक्ट्रिक डाउनहोल हीटिंग	2023-24	जी हाँ	लागू नहीं
17	प्लंजर लिफ्ट सिस्टम	2023-24	जी हाँ	लागू नहीं
18	डाउनहोल केमिकल इंजेक्शन मैंड्रेल	2024-25	जी हाँ	लागू नहीं
19	पैकर मिलिंग और रिट्रीवल टूल	2024-25	जी हाँ	लागू नहीं
20	इनोवेशन फैक्टरी सॉल्यूशंस (वेल पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़र)	2024-25	जी हाँ	लागू नहीं
21	एनरकैट टेक्नोलॉजी	2024-25	जी हाँ	लागू नहीं

घ. अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी आमेलन

कंपनी की अनुसंधान एवं विकास टीम हमारे तेल क्षेत्रों में लगातार आ रही समस्याओं से निपटने के लिए नवीन, लागत प्रभावी और व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य समाधान प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी ने शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी/विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ भी साझेदारी की है। ये सहयोग अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता तक पहुँचने में मदद करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसंधान एवं विकास टीम द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों/उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:

i. सीओ2 से सिंथेटिक विमानन ईंधन (एसएएफ) उत्पादन पर व्यवहार्यता अध्ययन

सीएसआईआर-आईआईपी, देहरादून के साथ एक सहयोगात्मक अध्ययन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य कार्बन फीडस्टॉक के रूप में सीओ2 से सिंथेटिक विमानन ईंधन (एसएएफ) उत्पादन के लिए एक अनुकूल मार्ग प्रस्तावित करने हेतु उपलब्ध साहित्य में वर्णित सभी मार्गों का अन्वेषण करना है। परियोजना के इस चरण के परिणामों के आधार पर, रूपांतरण के लिए एक विशिष्ट मार्ग तय किया जाएगा और उसके बाद पायलट प्लांट के लिए आगे बढ़ने से पहले सीएसआईआर-आईआईपी की प्रयोगशाला में अवधारणा का प्रमाण विकसित किया जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव के दृष्टिकोण से सिंथेटिक विमानन ईंधन (एसएएफ) पर अनुसंधान आवश्यक है और इसमें पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है, खासकर यदि इसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित किया जाए।

ii. डीजल-मेथनॉल मिश्रण के लिए योजक के विकास पर अध्ययन:

मेथनॉल नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), और कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने में योगदान देता है। इसलिए, कम्प्रेशन इग्निशन (सीआई) इंजनों में उपयोग के लिए डीजल के साथ मेथनॉल मिश्रण करने से कार्बन फुटप्रिंट और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है। सीएसआईआर-आईआईपी, देहरादून के साथ इस सहयोगात्मक परियोजना का मुख्य उद्देश्य डीजल ईंधन के लिए बीआईएस विनिर्देश (आईएस 1460: 2025) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए डीजल में कम से कम 5% मेथनॉल के मिश्रण हेतु उपयुक्त योजक विकसित करना है।

iii. उत्पादित जल उपचार के साथ संसाधन पुनर्प्राप्ति और शून्य द्रव उत्सर्जन (जेडएलडी) रणनीतियाँ

इमल्शन ट्रीटर से निकलने वाले उत्पादित जल (पीडब्ल्यू) का स्थायी उपचार करने के उद्देश्य से आईआईटी बॉम्बे के साथ एक सहयोगात्मक अध्ययन किया गया। इस परियोजना में उत्पादित जल उपचार के लिए विद्युत-रासायनिक और ओजोनीकरण आधारित प्रक्रियाओं का विकास, साथ ही जेडएलडी और संसाधन पुनर्प्राप्ति, पीडब्ल्यू से खतरनाक कार्बनिक घटकों के प्रकाश उत्प्रेरक निष्कासन हेतु कार्बन-आधारित नैनोकंपोजिट का विकास और पीडब्ल्यू उपचार के लिए विद्युत-चालक दूषण प्रतिरोधी नैनोफिल्ट्रेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन झिल्लियों का संश्लेषण शामिल है। सभी उद्देश्यों की पूर्ति के बाद, इससे पर्यावरण में शून्य अपशिष्ट उत्सर्जन होगा।

iv. कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सीओ2 के कुशल अवशोषण और हरित ईंधन में रूपांतरण हेतु 2डी -3डी विषमसंरचना आधारित हरित उत्प्रेरक:



ऊर्जा चुनौतियों और पर्यावरणीय सुधार की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक का समाधान करने के उद्देश्य से आईआईटी जोधपुर के साथ एक सहयोगात्मक अध्ययन किया गया। प्रस्तावित परियोजना, वातावरण से सीओ2 के चयनात्मक और अत्यधिक कुशल अवशोषण, जल विभाजन के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन और सूर्य के प्रकाश से मेथनॉल में प्रत्यक्ष रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए लागत-प्रभावी और ऊर्जा-कुशल टिकाऊ सामग्री और प्रौद्योगिकियों का विकास और अनुकूलन कर रही है। उपलब्ध प्रौद्योगिकियां अभी भी बहुत कम टीआरएल पर हैं और इनमें उच्च पूंजीगत लागत, विविध प्रक्रिया चरणों में गतिज सीमाएँ और ऊर्जा दक्षता का अभाव है।

v. तेल क्षेत्र रसायन (ओएफसी) का विकास

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, व्यापक ओएफसी उत्पाद विकास गतिविधियों के माध्यम से लागू किए गए लागत-बचत उपायों के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय बचत हुई। यह बचत ओएसडी टाइप I, एलटी ओएसडी टाइप II और डीओइलर सहित प्रमुख श्रेणियों में वैकल्पिक उत्पादों और विक्रेताओं के विकास पर केंद्रित निरंतर प्रयासों के माध्यम से प्राप्त हुई। इस रणनीतिक दृष्टिकोण ने न केवल खरीद लागत को कम किया, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला और उत्पाद उपलब्धता को भी बढ़ाया।

vi. आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोड के माध्यम से स्केल अवरोधक (एसआई) रसायन की क्षमता का मूल्यांकन:

कैल्शियम कार्बोनेट स्केल के निर्माण को रोकने के लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यों में स्केल अवरोधक (एसआई) रसायनों का उपयोग किया गया है। प्रयोगशाला स्थितियों में इन रसायनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, कैल्शियम आयन की मात्रा मापने हेतु पहले विस्तृत आर्द्र रसायन प्रयोग किए गए थे, जो रासायनिक दक्षता के आकलन के आधार के रूप में कार्य करते थे।

तथापि, पारंपरिक विधि में अधिक समय लगता था, 10 प्रयोगों को पूरा करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे और इसमें मानवीय त्रुटि की संभावना भी रहती थी। इन सीमाओं को दूर करने के लिए, 2024 में आयन-चयनात्मक इलेक्ट्रोड से सुसज्जित एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीटर खरीदा गया। यह नई तकनीक कैल्शियम आयन सांद्रता का त्वरित और सटीक मापन संभव बनाती है।

इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीटर की मदद से, अब केवल 20 मिनट में 10 प्रयोग पूरे किए जा सकते हैं। यह प्रगति परीक्षण के समय को काफ़ी कम करती है और परिणामों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करती है। एसआई-उपचारित और अनुपचारित, दोनों प्रकार के ब्राइन में कैल्शियम आयन की मात्रा का निर्धारण अब अधिक कुशल, सटीक और कम समय लेने वाला है।

ड़ अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय:

(` करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2024-25	2023-24
पूंजीगत व्यय	47.06	10.57
राजस्व व्यय	100.24	138.65
कुल व्यय	147.30	149.22

च. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(` करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2024-25	2023-24
विदेशी मुद्रा आय	455.08	819.29
विदेशी मुद्रा व्यय	1837.00	1541.23

फॉर्म संख्या एओसी - 2

[अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज)
और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में]

1. आर्म्स लेंथ आधार पर न की गई संविदा या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विवरण।

विवरण	ब्योरा
संबंधित पक्षकार का (के) नाम एवं संबंध की प्रकृति	शून्य

2. आर्म्स लेंथ आधार पर भौतिक संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण।

विवरण	ब्योरा
संबंधित पक्षकार का (के) नाम एवं संबंध की प्रकृति	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड: अनुषंगी कंपनी ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड: सहयोगी कंपनी
संविदाओं /व्यवस्थाओं/लेनदेन की प्रकृति	कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस की बिक्री, कच्चे तेल/रिफाइंड तेल का परिवहन, ओएफसी फाइबर का पट्टा, उपयोगिता शुल्क और एचएसडी की खरीद
संविदाओं /व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	चल रहे
संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	संविदात्मक करारों के अनुसार नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ₹ 11,107.82 करोड़ ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड ₹ 1,212.08 करोड़
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य

अनुलग्नक-II

फॉर्म संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9) के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
ऑयल इंडिया लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़: दुलियाजान
असम-786602

कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं.-19,
सेक्टर-16ए, नोएडा, यूपी-201301
सीआईएन: एल11101एएस1959जीओआई001148

हमने ऑयल इंडिया लिमिटेड (इसमें इसके आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। इसका पंजीकृत कार्यालय दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़, असम-786602 और कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या-19, सेक्टर-16ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में स्थित है। हमने सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की कि हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक युक्तियुक्त आधार प्रदान कर सके।

सचिवीय लेखापरीक्षा कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पंजियों, दाखिल प्रपत्रों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र विद्यमान हैं, जो कि इस प्रकार और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल प्रपत्रों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम।

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 **[लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]**।

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014। **[लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021। [लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015।

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) (संशोधन) विनियम, 2016; **[लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009;

(त्र) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 और उसके अंतर्गत जारी परिपत्र/दिशानिर्देश। **[जहां तक लागू हो]**

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम के संबंध में और जारी की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहकों के साथ संव्यवहार।

(vi) कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी के क्षेत्र/उद्योग के आधार पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य कानून इस प्रकार हैं:

क. खान अधिनियम, 1952 और खान विनियमन, 1984;

ख. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

ग. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 और उसके संशोधनों के साथ पठित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश,

(iii) निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) के कॉरपोरेट पुनर्गठन पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है:

- वर्ष के दौरान, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत यथापेक्षित कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।
- 07.11.2024 को दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के बाद, मौजूदा बोर्ड संरचना से सांविधिक समितियों का पुनर्गठन किया गया। तथापि, 28.03.2025 को कंपनी के बोर्ड में 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर, मौजूदा सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में उक्त समितियों का पुनः पुनर्गठन किया गया।

  चूँकि कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है, इसलिए कंपनी के बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- बोर्ड की बैठकों और एजेंडा के कार्यक्रम की समय-सारणी के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- बहुमत से लिया गया निर्णय लागू किया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के मत कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।
- कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की है जिसका उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी की अनुपालन जिम्मेदारी पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ सकता हो।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

हस्ता/-
सीएस अमित अग्रवाल
(भागीदार)
एम.संख्या एफ5311, सी.पी.संख्या: 3647
यूडीआईएन: F005311G000966678

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 08.08.2025

नोट: इस रिपोर्ट को समतिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसे अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक-क

सेवा में,

सदस्यगण,

ऑयल इंडिया लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़: दुलियाजान असम-786602
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं.-19, सेक्टर-16ए, नोएडा, यूपी-201301
सीआईएन : एल11101एएसा1959जीओआई001148

प्रिय महोदय/ महोदया,

प्रपत्र संख्या एमआर-3 में समतिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ भी अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हस्ता /-
(सीएस अमित अग्रवाल)
व्यवसायरत कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 5311
व्यवसाय प्रमाण पत्र सं. 3647

स्थान: दिल्ली
दिनांक - 08.08.2025

अनुलग्नक-III

फॉर्म संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखा रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9) के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
(सीआईएन: U11202AS1993GOI003893)
122ए, जी.एस.रोड, क्रिश्चियन बस्ती,
गुवाहाटी- 781005, असम

हमने **नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड** (इसमें इसके आगे **"कंपनी"** कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और श्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई है जो हमें कॉर्पोरेट आचरण और सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान कर सकें।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए प्रपत्रों और विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, इस तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन हैं।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए प्रपत्रों और विवरणी और अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) ऑफ उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) कंपनी का ज्ञापन और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स आदि।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों की अनुपालना की भी जाँच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और नमूना-जांच के आधार पर संबंधित प्रणालियों, सॉफ्टवेयर, दस्तावेजों और अभिलेखों की जाँच के आधार पर, कंपनी ने निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं:

क. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 2002;

ख. फैक्टरीज अधिनियम और नियम;

ग. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974;

घ. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001;

ङ. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम;

च. गैस सिलेंडर नियम;

छ. भारतीय बॉयलर विनियम;

ज. खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989;

झ. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

ञ. विस्फोटक अधिनियम, 1884;

ट. वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ठ. विद्युत अधिनियम, 2003; आदि।

जो अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, यद्यपि वे निर्धारित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का हिस्सा हैं, उन पर इस सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को तैयार करते समय विचार नहीं किया गया है।

इसके अलावा, हमने निम्नलिखित के लागू खंडों की अनुपालना की भी जाँच की है:

(i) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशानिर्देश;

(ii) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग और असम सरकार सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों के आदेश, निर्देश, दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के नाते, अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन किया है जो कंपनी पर लागू होते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल और उसकी उप-समितियों की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। तथापि, 8 नवंबर, 2024 से बोर्ड में महिला निदेशक सहित कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा 28 मार्च, 2025 से एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई। इसके बाद, रिपोर्ट की तिथि पर, बोर्ड का गठन दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ हुआ, जिनमें एक महिला निदेशक भी शामिल है, जिन्हें 24 जून, 2025 से नियुक्त किया गया है।

बोर्ड की बैठकों की समय-सारिणी के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और विस्तृत नोट्स पहले ही भेज दिए गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों में लिए गए सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, जैसा कि निदेशक मंडल और बोर्ड समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

अमित पारीक एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता /-
(सीएस अमित पारीक)
एफसीएस प्रोप्राइटर संख्या 5714
सीओपी: 4289

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक – 03.07.2025
यूडीआईएन: F005714G000702036

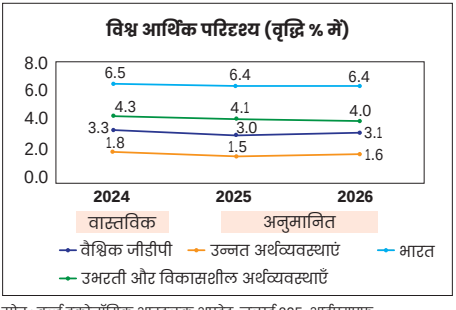
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. आर्थिक परिदृश्य और उद्योग विश्लेषण

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3% की वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर के साथ अनिश्चितता के बीच लचीलापन दिखाया। कठोर मौद्रिक नीति और आपूर्ति पक्ष के दबावों में कमी के कारण, अधिकांश क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में कमी जारी रही। जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ब्याज दरों और राजकोषीय समेकन के कारण धीमी वृद्धि देखी गई, वहीं उभरते बाजारों - विशेष रूप से एशिया और विशेष रूप से भारत में - को मजबूत घरेलू माँग और राजकोषीय समर्थन का लाभ मिला। मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद, उपभोक्ता विश्वास कमज़ोर बना हुआ है और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, व्यापार व्यवधानों और उच्च ऋण स्तरों के कारण आगामी भविष्य पर घनें बादल मंडरा रहे हैं। कुल मिलाकर, यह वर्ष एक सतर्क सुधार का प्रतीक रहा, जिसमें अर्थव्यवस्थाएँ विकास, मुद्रास्फीति नियंत्रण और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक परिदृश्य के जुलाई 2025 के अद्यतन के अनुसार, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सतत वित्तीय स्थितियों और राजकोषीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2025 में 3.0% और 2026 में 3.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तथापि, संभावित व्यापार व्यवधानों, भू-राजनीतिक तनावों और राजकोषीय कमज़ोरियों के कारण जोखिम नीचे की ओर गिरावट के साथ, यह परिदृश्य निरंतर अनिश्चितता से घिरा हुआ है।

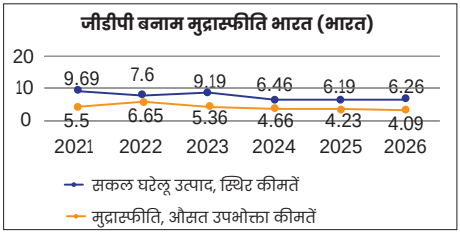


स्रोत : वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जुलाई 205, आईएमएफ

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था अनुमानित 6.4% की दर से बढ़ी, जिससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद यह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। यह विकास मज़बूत निजी खपत, मज़बूत सेवा क्षेत्र के विस्तार और अनुकूल मानसून द्वारा समर्थित स्थिर कृषि उत्पादन द्वारा संचालित है। औद्योगिक विकास दर 6.2% पर मध्यम रही, जिसमें बुनियादी ढाँचे और उपयोगिताओं ने विनिर्माण क्षेत्र में मंदी की भरपाई की। मुद्रास्फीति घटकर 4.9% पर आ गई, जो आरबीआई के लक्ष्य सीमा के अनुरूप है, जबकि सकल एफडीआई प्रवाह 17.9% बढ़ा, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। हालाँकि, भारतीय निर्यात के सामने बढ़ते टैरिफ और बढ़ते व्यापार घाटे सहित बाहरी जोखिम चुनौतियाँ हैं। बुनियादी ढाँचे में निवेश, डिजिटल परिवर्तन और विनियमन पर सरकार के निरंतर ध्यान से गति बनी रहने और दीर्घकालिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2025 के लिए 6.4% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विकास के प्रमुख कारकों में सेवा क्षेत्र का फलता-फूलता विकास, "मेक इन इंडिया" पहल के तहत विनिर्माण का विस्तार, और निवेशकों का बढ़ता विश्वास शामिल है, जैसा कि रिकॉर्ड आईपीओ गतिविधि और शेयर बाजार में बढ़त से स्पष्ट है। व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, संरचनात्मक सुधारों और डिजिटल परिवर्तन के समर्थन से भारत की आर्थिक प्रगति मज़बूत बनी हुई है।



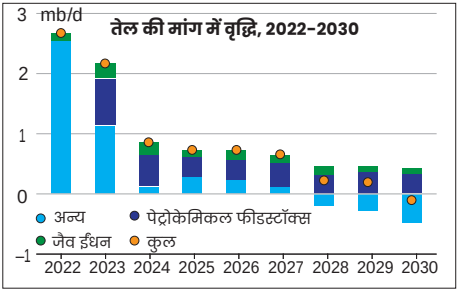
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2025

तेल एवं गैस क्षेत्र : वैश्विक परिदृश्य

तेल और गैस क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024 स्थिर प्रदर्शन वाला रहा, जहाँ ओपेक+देशों द्वारा उत्पादन में कटौती, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के कारण तेल की कीमतें अपेक्षाकृत ऊँची और स्थिर रहीं। उभरती एशियाई

अर्थव्यवस्थाओं के नेतृत्व में वैश्विक तेल मांग में प्रतिदिन 22 लाख बैरल की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा से उत्पादन में वृद्धि के कारण आपूर्ति में मामूली वृद्धि हुई। प्रचालन से नकदी में कमी और निवेश गतिविधियों में कमी के बावजूद, अपस्ट्रीम कंपनियों ने उत्पादन स्तर बनाए रखा, और पेट्रोलियम तरल पदार्थों का उत्पादन साल-दर-साल 2% बढ़ा। ऊर्जा मूल्य श्रृंखला की सभी कंपनियों ने पूंजी अनुशासन, बढ़े हुए शेयरधारक प्रतिफल और निम्न कार्बन परिसंपत्तियों की ओर रुख करके, एक परिवर्तनशील वैश्विक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए खुद को तैयार किया।

2025 की पहली छमाही में तेल की कीमतों में भारी गिरावट और बढ़ती निवेश अनिश्चितता ने दुनिया भर की तेल कंपनियों को अपनी अपस्ट्रीम रणनीतियों का फिर से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर दिया है। वैश्विक अपस्ट्रीम निवेश में गिरावट का अनुमान है, जिसमें सबसे ज़्यादा कटौती अमेरिका के लाइट टाइट ऑयल में देखी गई है। इसके विपरीत, मौजूदा और नई, दोनों तरह की पारंपरिक परियोजनाओं पर खर्च अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है। फिर भी, टैरिफ और बढ़ी हुई सामग्री की कीमतों के कारण कीमतों में जारी अस्थिरता और बढ़ती लागत, निवेश में और कटौती का कारण बन सकती है।



स्रोत: आईएए रिपोर्ट ऑयल 2025 विश्लेषण एवं 2023 का पूर्वानुमान

वैश्विक तेल मांग 2024 और 2030 के बीच 2.5 मिलियन बैरल प्रति दिन (एमबी/डी) बढ़ने का अनुमान है, जो दशक के अंत तक लगभग 105.5 एमबी/डी के शिखर पर पहुँच जाएगी। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ मांग को बढ़ावा देती रहेंगी, इस अवधि में 4.2 एमबी/डी की वृद्धि में योगदान देंगी, जबकि ओईसीडी देशों में 1.7 एमबी/डी की गिरावट दर्ज की गई है। एशिया इस विस्तार का नेतृत्व करेगा, जिसमें अकेले भारत में 1 एमबी/डी की वृद्धि होगी, जो किसी भी एक देश की तुलना में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है।

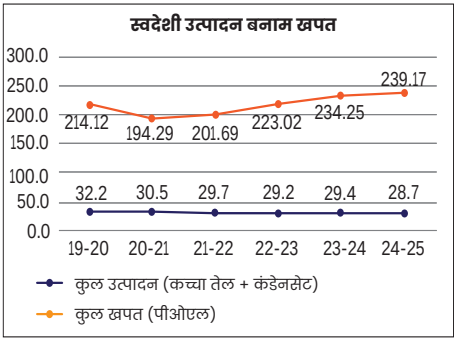
आपूर्ति पक्ष की ओर, वैश्विक तेल उत्पादन क्षमता 2030 तक 5.1 एमबी/डी बढ़कर 114.7 एमबी/डी तक पहुँचने की उम्मीद है, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है। यह विस्तार मांग में अनुमानित वृद्धि से कहीं अधिक है। प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (एनजीएल) 2030 तक कुल क्षमता वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा होंगे। मध्य पूर्वी उत्पादकों द्वारा प्राकृतिक गैस की ओर रणनीतिक झुकाव से क्षेत्रीय एनजीएल उत्पादन में 1.4 एमबी/डी की वृद्धि होने की उम्मीद है।

जैसे-जैसे परिवहन और बिजली उत्पादन तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र 2026 से तेल मांग वृद्धि के प्राथमिक चालक के रूप में उभरने का अनुमान है। पेट्रोकेमिकल की बढ़ती मांग एनजीएल की उपलब्धता से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होगी।

तेल और गैस क्षेत्र: भारतीय परिदृश्य

तेल और गैस क्षेत्र ने औद्योगिक विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.4% की वृद्धि हुई है। तेल और गैस क्षेत्र एक आधारशिला बना हुआ है, जहाँ खपत 240 एमएमटी तक पहुँच गई है, जबकि घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 29 एमएमटी पर स्थिर है, जिससे भारत की 88% आयात निर्भरता और मजबूत हुई है। गहरे पानी की परियोजनाओं और शहरी गैस वितरण विस्तार के कारण प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़कर 36.6 बीसीएम हो गया और वित्तीय वर्ष 30 में इसके लगातार बढ़कर 57.4 बीसीएम होने की उम्मीद है। विकास के बावजूद, भारत अभी भी अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग 55% आयात करता है, मुख्यतः कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से एलएनजी के रूप में। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.7% से बढ़ाकर 15% करना है, जिसे एलएनजी टर्मिनलों, पाइपलाइनों और रिफाइनरियों में बुनियादी ढाँचे के विकास से समर्थन मिलेगा। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने समर्पित हरित ऊर्जा शाखाएँ शुरू कीं, जिससे हरित हाइड्रोजन, सीबीजी और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश में तेज़ी आई। भारत ने अपने 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य की ओर उल्लेखनीय प्रगति की है, सौर और हाइब्रिड प्रणालियों ने ग्रिड प्रदर्शन को स्थिर किया है। एचईएलपी, ओएएलपी और खोजे गए छोटे क्षेत्रों (डीएसएफ) पहल जैसे नीतिगत सुधारों ने नए अन्वेषण ब्लॉक खोले हैं, जबकि शोधन क्षमता 250 एमएमटीपीए से अधिक हो गई है, जिससे भारत एक क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। इस क्षेत्र का एकीकृत दृष्टिकोण, जीवाश्म ईंधन की विश्वसनीयता और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के बीच संतुलन बनाते हुए, भारत को एक गतिशील और दूरदर्शी ऊर्जा बाजार के रूप में स्थापित करता है।

हाल ही में, भारत सरकार ने एक नया कानून "तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम, 2025" पारित किया है, जिसका उद्देश्य तेल एवं गैस अन्वेषण एवं उत्पादन हेतु नियामक ढाँचे का आधुनिकीकरण करना है। प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में एकल पेट्रोलियम पट्टा लागू करना, बुनियादी ढाँचे के साझाकरण को सुगम बनाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, कुशल विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षा मानकों को उन्नत करना है।



स्रोत : पीपीएसी

इसके अलावा, पेट्रोलियम क्षेत्र में व्यापार को तर्कसंगत बनाने और उसे आसान बनाने के उद्देश्य से हितधारकों के विचारों हेतु मसौदा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 परिचालित किया जा रहा है।

कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था को होर्मुज जलडमरूमध्य और स्वेज नहर जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों में व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है। जोखिमों को कम करने के लिए, भारत अपनी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार क्षमता का विस्तार कर रहा है। वर्तमान भंडार विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), मंगलुरु (1.5एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) में कुल मिलाकर 5.33 एमएमटी है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत चांदीखोल और पादुर में अतिरिक्त 6.5 एमएमटी विकसित किया जा रहा है।

चुनौतीपूर्ण भविष्य के लिए ऑयल इंडिया का रणनीतिक दृष्टिकोण:

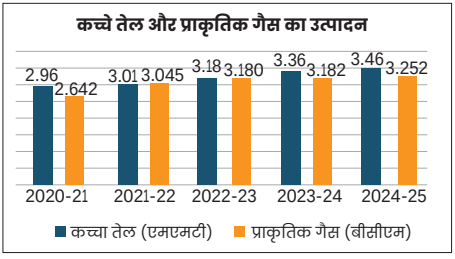
आपकी कंपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा और आकांक्षाओं का एक अभिन्न अंग रही है। पिछले दशकों में, ऑयल इंडिया ने मजबूत परिपक्व परिसंपत्ति स्वामित्व विकसित किया है और अपने संसाधनों के अच्छे तकनीकी प्रबंधन के लिए एक प्रशंसनीय प्रतिष्ठा स्थापित की है। इसने एक मजबूत वित्तीय स्थिति भी बनाई है और इसका उपयोग प्रमुख हाइड्रोकार्बन उत्पादक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के साथ-साथ हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति स्थापित करने के लिए किया है।

आपकी कंपनी तेल और गैस व्यवसाय के लगातार बढ़ते चुनौतीपूर्ण भविष्य में आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक रूप से मार्ग तैयार कर रही है। कंपनी वर्तमान में 34 अन्वेषण ब्लॉकों का संचालन कर रही है, जिनमें 32 ओएएलपी ब्लॉक (हाल ही में ओएएलपी IX बोली दौर के तहत अधिग्रहित 6 ब्लॉक), 1 नामांकन पीईएल और 1 एनईएलपी ब्लॉक शामिल हैं। कंपनी बढ़ती ड्रिलिंग और वर्कओवर गतिविधियों, विभिन्न ईओआर तकनीकों को शामिल करने और घटते क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइड्रोफ्रैकिंग, रेडियल ड्रिलिंग और फिशबोन तकनीक जैसी नई प्रौद्योगिकी प्रेरणों के साथ उत्पादक क्षेत्रों में ईएंडपी गतिविधियों में तेजी ला रही है। कंपनी अंडमान के साथ-साथ केरल कोंकण बेसिन में भंडार वृद्धि और विकास के लिए अपतटीय अन्वेषण की गतिविधियों में तेजी ला रही है। कंपनी ने असम अराकान बेसिन, महानदी बेसिन, राजस्थान, अंडमान क्षेत्रों आदि में तेल और गैस भंडारों की पहचान के लिए कई अध्ययन किए हैं। दुलियाजान और सीओईईएस गुवाहाटी में आपकी कंपनी के आरएंडडी केंद्र अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए विभिन्न नवाचारों में काफी योगदान दे रहे हैं। साथ ही, कंपनी विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों में अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है। कंपनी की सामग्री सहायक कंपनी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) नुमालीगढ़, असम में 360 केटीपीए पॉली प्रोपाइलीन यूनिट (पीपीयू) और इससे संबंधित सुविधाएं स्थापित कर रही है। परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, एनआरएल का पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स (पीआईआई) 3.88% होगा।

एक संधारणीय भविष्य के लिए, आपकी कंपनी न केवल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि उभरते ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी काम कर रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी), हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और उपयोग, भूतापीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज आदि में निवेश एजेंडे में है। कंपनी का हरित ऊर्जा रोडमैप नवाचार, साझेदारी और संरेखित नीतिगत कार्रवाई पर आधारित है। अपनी मुख्य शक्तियों का लाभ उठाकर और सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके, कंपनी भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में खुद को अग्रणी के रूप में मजबूती से स्थापित कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा, सीबीजी और जीएच2 में प्रगतिशील पहल कंपनी के 2040 तक नेट ज़ीरो विजन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, साथ ही दीर्घकालिक राष्ट्रीय ऊर्जा लचीलापन भी बढ़ाएगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 आपकी कंपनी के लिए सबसे सफल वर्षों में से एक है, जिसमें तेल और गैस का संयुक्त रूप से 6.71 एमएमटीओई हाइड्रोकार्बन का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। डीएसएफ व्यवस्था के अंतर्गत, कंपनी ने आरजे/ओएनडीएसएफ/बखरीतिब्बा/2021 डीएसएफ ब्लॉक में तीन (03) विकास कूपों अर्थात बागीटिब्बा-4, बागीटिब्बा-5 और बागीटिब्बा-6 की ड्रिलिंग पूरी कर ली है और इन सभी कूपों से परीक्षण के दौरान गैस का उत्पादन हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने मेचाकी पीएमएल के अंतर्गत मेचाकी-6 और मेचाकी-7 कूपों में दो (02) तेल खोजें कीं। कंपनी ने असम में ओएएलपी-I ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2017/10 में कोबोचापोरी-1 कूप में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति भी स्थापित की। इन खोजों से आगे के मूल्यांकन और विकास गतिविधियों के साथ तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है।



2. अवसर, आशंकाएं, जोखिम और चिंताएँ

अवसर:

कंपनी भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते ऊर्जा परिदृश्य में कई अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। भारत सरकार द्वारा घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने को प्राथमिकता दिए जाने के साथ, अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय लागू किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक अन्वेषण के अंतर्गत क्षेत्र को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर करना है। इसके अतिरिक्त, अपतटीय क्षेत्रों में 'नो-गो' ज़ोन में 99% की कमी से अन्वेषण के लिए विशाल नए क्षेत्र खुलेंगे।

इन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, कंपनी अपने ईएंडपी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस रणनीति के तहत, कंपनी ने हाल ही में संपन्न ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी - राउंड IX, बोली दौर में महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने एकमात्र ऑपरेटर के रूप में छह ब्लॉक हासिल किए, जिनका कुल क्षेत्रफल 40,590 वर्ग किलोमीटर है। इनमें महानदी और कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन में दो-दो अति-गहरे पानी के ब्लॉक, साथ ही गुजरात और मेघालय में एक-एक तटवर्ती ब्लॉक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी को ओएनजीसी के साथ संयुक्त साझेदारी में तीन और ब्लॉक मिले हैं, जिनका क्षेत्रफल 10,965 वर्ग किलोमीटर है। ये ब्लॉक कंपनी के पोर्टफोलियो को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगे और इसे अपतटीय और तटवर्ती दोनों बेसिनों में उन्नत अन्वेषण गतिविधियों के लिए सक्षम करेंगे।

संविदात्मक ढाँचे और प्रोत्साहन संरचना में हाल के सुधार व्यापार को आसान बनाने और नए निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय तेल कंपनियों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ साझेदारी बनाने की कंपनी की रणनीति ओएएलपी और डीएसएफ ब्लॉकों में इसके अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाएगी।

भारत द्वारा 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ, कंपनी के पास गैस अन्वेषण और मुद्रीकरण में अपनी उपस्थिति को और गहरा करने का अवसर है। सरकारी सहायता के तहत पाइपलाइनों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार, ऊपरी असम में उत्पादक गैस क्षेत्रों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़कर, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में गैस विपणन और आपूर्ति संपर्कों के लिए तत्काल अवसर प्रदान करता है।

अपनी विविधीकरण रणनीति और सतत ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के तहत, आपकी कंपनी महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण में कदम रखने वाली पहली तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। कंपनी ने ग्रेफाइट, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई), पोटाश, निकल, तांबा, फॉस्फोराइट, कोबाल्ट और वैनेडियम सहित प्रमुख खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लक्षित और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है। कंपनी के पास तेल और गैस अन्वेषण में दशकों के अनुभव का लाभ उठाकर खुद को मूल्यवान भूवैज्ञानिक, ड्रिलिंग और परियोजना निष्पादन क्षमताओं से लैस करने का अवसर है।

अन्वेषण, सरकारी सहायता और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी मुख्य दक्षताओं को संयोजित करके, कंपनी महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर सकती है, जिससे भारत का हरित भविष्य सशक्त होगा।

आशंकाएं, जोखिम और चिंताएँ:

1. ऊर्जा परिवर्तन का दबाव और नवाचार में देरी: नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव जीवाश्म ईंधन कंपनियों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने का दबाव डाल रहा है। पर्यावरण अनुकूल नीतियाँ से तेल और गैस की माँग में कमी आ सकती हैं, और आने वाले दशकों में तेल की माँग के चरम पर या स्थिर रहने पर फंसी हुई परिसंपत्तियों का जोखिम भी कम हो सकता है। इसलिए, अनुसंधान एवं विकास में निरंतर निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. बाजार मूल्य में अस्थिरता: ओपेक के निर्णयों और बाजार की अटकलों के कारण वैश्विक तेल की कीमतें अस्थिर होने के परिणामस्वरूप राजस्व प्रभावित हो रहा है।
3. पर्यावरणीय विनियम: बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के कारण कार्बन उत्सर्जन नियम सख्त हो रहे हैं। अनुपालन से प्रचालन लागत बढ़ सकती है और स्वच्छ तकनीकों में निवेश की आवश्यकता हो सकती है, अनुपालन न करने पर शास्तियां लग सकती हैं और प्रतिष्ठा को नुकसान का जोखिम हो सकता है।
4. तकनीकी व्यवधान और अप्रचलन: इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में प्रगति तेल और गैस क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर रही है, जिससे माँग कम हो रही है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कंपनी को नवीन तकनीकों में

निवेश करना चाहिए और अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए। कंपनियों को लाभप्रदता बनाए रखते हुए व्यावसायिक मॉडल में बदलाव करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अपस्ट्रीम प्रचालन में पुराने बुनियादी ढाँचे और पुरानी प्रथाएँ जोखिम पैदा करती हैं। तकनीकी रूप से उन्नत प्रतिस्पर्धियों की तुलना में डिजिटल प्रौद्योगिकियों (एआई/एमएल, रिमोट मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स) का अपर्याप्त उपयोग, कम दक्षता और उच्च परिचालन लागत।

5. भू-राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक प्रतिबंध: तेल-समृद्ध क्षेत्रों में संघर्ष तेल आपूर्ति स्थिरता और मूल्य निर्धारण के लिए जोखिम पैदा करते हैं। व्यापार युद्ध, प्रतिबंध और विवाद आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, जिससे परिचालन और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। वैश्विक शक्तियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध बाजार पहुँच और प्रौद्योगिकियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे प्रचालन प्रभावित हो सकता है। भू-राजनीतिक परिदृश्यों को सावधानीपूर्वक समझना आवश्यक है।

6. साइबर सुरक्षा खतरे: डिजिटलीकरण साइबर हमलों के जोखिम को बढ़ाता है, जिससे प्रचालन बाधित हो सकता है और डेटा से समझौता हो सकता है। परिसंपत्तियों की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

7. मानव पूंजी चुनौतियाँ: कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संबंध में कार्यबल विकास, प्रतिस्पर्धी लाभों और सकारात्मक कार्य वातावरण में निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

8. उच्च पूंजीगत व्यय: अन्वेषण और उत्पादन के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसमें रिटर्न मिलने में लंबा समय लगता है, जबकि वित्तीय बाजार की अनिश्चितताएं परियोजना के वित्तपोषण की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, विदेशी अधिग्रहणों में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और असफल अन्वेषण या विदेशी उपक्रमों से संभावित राइट-ऑफ भी चिंता के अन्य पहलू हैं।

9. प्राकृतिक आपदाएँ और जलवायु परिवर्तन: प्राकृतिक आपदाएँ प्रचालन को बाधित कर सकती हैं, बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा सकती हैं और वित्तीय नुकसान पहुँचा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण लचीले बुनियादी ढाँचे और आपदा प्रबंधन योजनाओं में निवेश आवश्यक है।

10. सार्वजनिक धारणा और प्रचालन का सामाजिक अधिकार: पर्यावरणीय संबंधी सरोकार सार्वजनिक धारणा उद्योग को प्रभावित करते हैं। प्रचालन के सामाजिक अधिकार के लिए सामुदायिक सहभागिता, स्थायी प्रथाओं और एक कॉरपोरेट नागरिक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है।

11. विधिक और अनुपालन जोखिम: विधिक दंड और प्रचालन संबंधी व्यवधानों से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानूनों का अनुपालन आवश्यक है।

12. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) जोखिम: दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय घटनाओं की संभावना के कारण यह उद्योग जोखिम भरा है। कर्मचारियों और समुदायों की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ एचएसई प्रथाएँ महत्वपूर्ण हैं।

13. घटते भंडार: घटते भंडारों के स्थान पर नए भंडारों की खोज चुनौतीपूर्ण है। अन्वेषण और उन्नत पुनर्प्राप्ति तकनीकों में निवेश आवश्यक है।

14. पूर्वोत्तर में प्रचालन और सुरक्षा चुनौतियाँ: कंपनी के उत्पादन आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित है। जोखिमों में दुर्गम भूभाग, मौसम की स्थिति, बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ और भूमि अधिग्रहण, उपयोग के अधिकार (आरओयू) की अनुमति, लामबंदी और परियोजना निष्पादन आदि में देरी शामिल हैं।

जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ:

जटिल जोखिम परिदृश्य से निपटने के लिए, कंपनी ने प्रचालन दक्षता, रणनीतिक विविधीकरण और संगठनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित एक सक्रिय, बहुआयामी शमन रणनीति अपनाई है। कंपनी ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर, पवन और जैव ईंधन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश किया है। कार्बन कैप्चर और भंडारण तकनीकों के माध्यम से पर्यावरणीय प्रथाओं में सुधार और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। कंपनी ने अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए सीबीजी, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में चरणबद्ध और साझेदारी-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। अनुभवी खिलाड़ियों के साथ संयुक्त उद्यम ज्ञान हस्तांतरण को सक्षम करते हुए पूंजी जोखिम को कम कर सकते हैं। विदेशी निवेश कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ भू-राजनीतिक रूप से स्थिर क्षेत्रों तक सीमित हैं।

नई तकनीकों को अपनाने और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने से प्रचालन दक्षता में वृद्धि हो सकती है और नए ऊर्जा समाधान सामने आ सकते हैं। मुद्रा जोखिम हेजिंग और राजस्व विविधीकरण जैसी रणनीतियों के साथ आर्थिक उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करके वित्तीय लचीलापन मज़बूत करना महत्वपूर्ण है। भू-राजनीतिक जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाना और जोखिम कम करने के लिए आकस्मिक योजनाएँ विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। मज़बूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश संभावित खतरों से

सुरक्षा प्रदान करेगा और डेटा अखंडता सुनिश्चित करेगा। डिजिटल तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और डेटा विज्ञान में कार्यबल को पुनः प्रशिक्षित करने से ऊर्जा परिवर्तन के लिए तैयारी सुनिश्चित होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और उन्नत विश्लेषण को अपनाने से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है। कठोर परियोजना प्रबंधन प्रथाओं के साथ पूंजीगत व्यय का अनुकूलन यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएँ लागत-प्रभावी और समय पर पूरी हों। लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण व्यवधानों को कम करने और व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए निरंतर नवाचार और परिचालन दक्षता में सुधार आवश्यक हैं। बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण और आपदा पुनर्प्राप्ति योजनाओं सहित जलवायु लचीलापन रणनीतियाँ विकसित करना महत्वपूर्ण है। नियामक प्राधिकरणों, पर्यावरण एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव से अनुमोदन में तेज़ी आ सकती है और अनुपालन में देरी कम हो सकती है। ईएसजी ढाँचों को मज़बूत करने, जलवायु संबंधी खुलासों को बढ़ाने और स्थिरता लक्ष्यों को अपनाने से निवेशकों का विश्वास और प्रचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस बढ़ेगा। अनुसंधान एवं विकास में निरंतर निवेश कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी प्रगति में अग्रणी बनाए रखता है। कूटनीति और हितधारक प्रबंधन के साथ भू-राजनीतिक परिदृश्यों को समझना आवश्यक है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) प्रोटोकॉल को नियमित रूप से अद्यतन करने से जोखिम कम होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। अन्वेषण और उन्नत पुनर्प्राप्ति तकनीकों के लिए संसाधनों का आवंटन निरंतरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

3. खंडवार/ उत्पादवार प्रदर्शन

i. कच्चा तेल

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन 3.458 एमएमटी रहा, जबकि पिछले वर्ष 3.358 एमएमटी उत्पादन हुआ था, जो 2.95% की वृद्धि दर्शाता है। कच्चे तेल की बिक्री 3.346 एमएमटी रही, जबकि पिछले वर्ष 3.288 एमएमटी थी। आपकी कंपनी आईओआर/ईओआर तकनीकों के उपयोग, नई खोजों के मुद्रीकरण और त्वरित विकास, उत्पादन अनुकूलन, नई तकनीक के समावेश, छूटे हुए अवसरों की भरपाई, इनफिल ड्रिलिंग, ऋण कूपों के मुद्रीकरण, चक्रीय भाप स्टिमुलेशन (राजस्थान में) और सतही सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचे के उन्नयन द्वारा पुराने क्षेत्रों से गिरावट को रोककर अपने उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम रही। इस तथ्य के बावजूद कि कच्चे तेल के उत्पादन में 2.95% की वृद्धि हुई है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कच्चे तेल की कीमत में कमी के कारण कच्चे तेल से राजस्व में मामूली कमी आई है। कच्चे तेल के संबंध में मूल्य प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूएसडी 78.09/ बीबीएल थी, जबकि पिछले वर्ष यह यूएसडी 83.03 / bbl थी, जो यूएसडी 4.94/बीबीएल की कमी दर्ज करती है। आपकी कंपनी ने आने वाले वर्षों में 4 एमएमटी तेल और 5 बीसीएम गैस का उत्पादन करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है। मिशन 4+ की शुरुआत कंपनी के उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से की गई थी, जिसमें क्षेत्रों के फास्ट-ट्रैक विकास और त्वरित ड्रिलिंग अभियान शामिल है जिसमें गहरे क्षितिज में जटिल भूवैज्ञानिक संरचना में ड्रिलिंग शामिल है। प्रचालन क्षमता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए और उद्देश्य के अनुकूल प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया गया था। अपने नामित क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के कंपनी के प्रयासों के हिस्से के रूप में, कंपनी ने अपने दो क्षेत्रों को उत्पादन वृद्धि संविदा (पीईसी) के तहत दिया है और आने वाले वर्षों में कई और निविदा देने की योजना है। इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप (ईएसपी), प्लंजर लिफ्ट, हाइड्रो फ्रैक्चरिंग, डाउनहोल केमिकल इंजेक्शन मैंड्रेल, सिंगल स्ट्रिंग मल्टी-ज़ोन कम्प्लीशन, ग्रेवल पैक जॉब्स, रेडियल ड्रिलिंग, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग, केमिकल वॉटर शट-ऑफ, प्रोपेलेंट स्टिमुलेशन, एसिडाइजेशन, कॉर्मिंगल्ड प्रोडक्शन, फिशबोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक डाउनहोल हीटिंग आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करके कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की भी योजना है। आपकी कंपनी ने प्रौद्योगिकी सहायता के माध्यम से बीमार कुओं के त्वरित मुद्रीकरण के लिए कदम उठाए हैं उन्नत तेल प्राप्ति (ईओआर) एक मध्यम से दीर्घकालिक फोकस क्षेत्र है, जहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही हैं। भारत सरकार की ईओआर नीति ईओआर परियोजनाओं को बढ़ावा देगी। निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो विभिन्न चरणों में हैं:

क. नहरकटिया क्षेत्र में पॉलिमर फ़्लडिंग

ख. कार्बोनेटेड जल इंजेक्शन

ग. सीओ2 का संग्रहण, द्रवीकरण, भंडारण, परिवहन और पम्पिंग - कंपनी ने राजस्थान के रेगिस्तानों में खारे जलभृतों में संचित सीओ2 के पृथक्करण के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है।

घ. राजस्थान क्षेत्र:-

चक्रीय भाप स्टिमुलेशन: आपकी कंपनी जोधपुर सैंडस्टोन में अत्यधिक श्यान भारी तेल को लक्षित करते हुए बीकानेर-नागौर बेसिन के बाघेवाला क्षेत्र में चक्रीय भाप स्टिमुलेशन (सीएसएस) कार्यों का कार्यान्वयन जारी रखे हुए है। अब तक कंपनी ने बाघेवाला में 38 सीएसएस चक्रों का निष्पादन किया है, जिनमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 10 चक्र शामिल हैं। इन 10 चक्रों ने राजस्थान क्षेत्र में उत्पादित कुल 2,19,381बीबीएल (32,786 मीट्रिक टन) कच्चे तेल में से 51,347 बीबीएल (7,674 मीट्रिक टन) का योगदान दिया, जो वार्षिक उत्पादन का 23.4% है। जिन कूपों में सी.एस.एस. लागू किया गया, वहां उत्पादन में 39.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

बाघेवाला क्षेत्र में हीट ट्रेसिंग केबल के साथ इलेक्ट्रिक डाउनहोल हीटिंग: बाघेवाला क्षेत्र में उच्च एस्फाल्टीन सामग्री वाले उच्च-श्यानता वाले भारी तेल के कारण गैर-थर्मल कूपों में उत्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे संबोधित करने के लिए, जुलाई-अगस्त 2024 के महीनों में बाघेवाला क्षेत्र के दो कूपों में एक रूसी तकनीक "हीट ट्रेसिंग केबल के साथ इलेक्ट्रिक डाउनहोल हीटिंग" लागू की गई थी। यह तकनीक ट्यूबिंग को समान रूप से गर्म करती है और तेल की श्यानता को कम करती है, जिससे निर्बाध उत्पादन संचालन संभव होता है। इससे प्रचालन दक्षता और उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है।

गैस स्वीटनिंग यूनिट और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज: कंपनी अपनी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) पहल के हिस्से के रूप में दांडेवाला गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स (डीएनडी-जीपीसी) में एक गैस स्वीटनिंग यूनिट (जीएसयू) स्थापित करने की योजना बना रही है। राजस्थान के जैसलमेर उप-बेसिन के खारे जलभृतों/रिजर्वायरों में सीओ2 परिवहन और भंडारण के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो चुका है, जिसमें बागीटिब्बा क्षेत्र को सीओ2 भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। ऑयल वर्तमान में लगभग 0.8एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। दांडेवाला और बागीटिब्बा क्षेत्रों से गैस का प्रसंस्करण वर्तमान में डीएनडी-जीपीसी में किया जाता है, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 1.0एमएमएससीएमडी है, जिसे बढ़ाकर 1.5 एमएमएससीएमडी किया जाएगा। यह पायलट परियोजना भारतीय भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में सीसीएस तकनीकों को मान्य करने वाली भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। सीसीएस परियोजना के लिए सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति और 0.5एमएमएससीएमडी क्षमता की जीएसयू सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ii. प्राकृतिक गैस

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 3252 एमएमएससीएम था, जो स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन था। पिछले वर्ष प्राकृतिक गैस का उत्पादन 3182 एमएमएससीएम था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राकृतिक गैस की बिक्री 2668 एमएमएससीएम रही, जबकि पिछले वर्ष यह 2521 एमएमएससीएम थी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक गैस की औसत कीमत प्राप्ति 6.50 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू रही, जो पिछले वर्ष के समान ही थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तेल एवं गैस उत्पादन 6.710 एमएमटीओई ओ+ओईजी (तेल एवं तेल गैस समतुल्य) है, जो स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक ओ+ओईजी उत्पादन भी है। आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने गैस उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और 2030 तक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% के स्तर से बढ़ाकर 15% करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ने के बाद अपने मौजूदा और नए ग्राहकों को गैस की आपूर्ति के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, असम और एपी क्षेत्र में गैस की क्षमता के उत्तरोत्तर निर्माण के लिए कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं। आपकी कंपनी ने दूरदराज के असंबद्ध उत्पादन क्षेत्रों से फंसे हुए गैस के मुद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं और इस तरह गैस की फ्लेयरिंग को कम किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने कुमचाई कुसिजन पाइपलाइन का यांत्रिक समापन पूरा कर लिया है जो अरुणाचल प्रदेश में गैस के मुद्रीकरण में मदद करेगा और उस क्षेत्र में फ्लेयरिंग को कम करेगा। उपरोक्त लक्ष्य के अनुसरण में, गैर-संबद्ध गैस (एनएजी) कूपों की ड्रिलिंग, वर्क-ओवर, पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि सहित निम्नलिखित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं :

(क) पूर्वी खगोरिजन में एक समूह संग्रहण केंद्र, पाइपलाइन बुनियादी ढांचे सहित
(ख) बाघजान में गैस संग्रहण केंद्र
(ग) पुराने प्रतिष्ठानों का पुनरुद्धार
(घ) लकवागांव में समूह संग्रहण केंद्र

राजस्थान में, उत्पादित गैस का उठाव गेल द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। वर्तमान में, गैस का उठाव 0.5 एमएमएससीएमडी के आसपास है, हालाँकि वर्तमान गैस उत्पादन क्षमता लगभग 1.0 एमएमएससीएमडी है। कंपनी नए ग्राहकों को गैस की आपूर्ति के लिए अपनी सुविधाओं का उन्नयन कर रही है और मौजूदा संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी प्रगति पर है।

66.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला बखरीटिब्बा संविदा क्षेत्र डीएसएफ दौर III के तहत कंपनी को सितंबर 2022 में 100% भागीदारी हित के साथ ऑपरेटर के रूप में प्रदान किया गया था। राजस्व साझाकरण संविदा (आरएससी) पर 09.09.2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। पीएमएल को 16.06.2023 को 15.06.2043 तक 20 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। कंपनी ने बखरीटिब्बा डीएसएफ-III संविदा क्षेत्र (आरजे/ओएनडीएसएफ/बखरीटिब्बा/2021) में "विकास अवधि" अर्थात 15.06.2026 की समय-सीमा के भीतर आरएससी के कार्य कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बोली कार्य कार्यक्रम (बीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत, तीन (03) कूपों अर्थात् बीजीटी-004, बीजीटी-005 और बीजीटी-006 का कार्य पूरा हो चुका है, उनका परीक्षण किया जा चुका है और वे व्यावसायिक उत्पादन और मुद्रीकरण के लिए तैयार हैं।

iii. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एलपीजी रिकवरी प्लांट की उपलब्धता 99.89% थी और ब्यूटेन रिकवरी के संदर्भ में प्लांट की दक्षता 98.62% थी, जबकि डिज़ाइन के अनुसार यह आँकड़ा 98% था। प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में फीड गैस में औसतन 1.01% (वी/वी) ब्यूटेन के साथ औसतन 1.83 एमएमएससीएमडी (66.18 एमएमएससीएफडी) गैस संसाधित की। एलपीजी रिकवरी प्लांट

337 दिनों तक प्रचालन में रहा और वर्ष के दौरान 30,525 मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन हुआ। एलपीजी के साथ-साथ, 20,375 मीट्रिक टन कंडेनसेट भी उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त किया गया, जिसे कंपनी के कच्चे तेल के उत्पादन में जोड़ा गया। एलपीजी फिलिंग प्लांट 275 दिनों तक प्रचालन में रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी की बिक्री से अर्जित राजस्व ₹178.34 करोड़ था। एक समन्वित रणनीति के तहत, आपकी कंपनी ने 01.04.2024 से एलपीजी फिलिंग प्लांट के बॉटलिंग कार्यों को बंद कर दिया है और अब उत्पादित एलपीजी की पूरी मात्रा आईओसीएल को थोक टैंकरों में वितरित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंडेनसेट की निवल प्राप्ति ₹30.45 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष यह ₹34.13 करोड़ थी।

iv. पाइपलाइन प्रचालन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की कच्चे तेल की पाइपलाइन ने पिछले वर्ष के 6.712 एमएमटी की तुलना में 7.145 एमएमटी कच्चे तेल का परिवहन किया, जो अब तक का सर्वाधिक परिवहन भी है। डिगबोई-नहरकटिया-बोंगाईगांव सेक्टर ने कंपनी के लिए 3.306 एमएमटी और ओएनजीसी के लिए 1.024 एमएमटी कच्चे तेल का परिवहन किया। बरौनी-बोंगाईगांव सेक्टर ने बोंगाईगांव रिफाइनरी के लिए 2.789 एमएमटी आयातित कच्चे तेल का परिवहन किया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोंगाईगांव रिफाइनरी को अब तक का सर्वाधिक 2.789 एमएमटी आयातित कच्चा तेल पहुँचाया। कंपनी ने नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से 91.46% पाइपलाइन उपयोग के साथ 1.574 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का भी परिवहन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन व्यवसाय से अर्जित कुल राजस्व 572.23 करोड़ रुपये (दूरसंचार व्यवसाय से अर्जित 9.28 करोड़ रुपये को छोड़कर) था, जबकि पिछले वर्ष यह 533.66 करोड़ रुपये (दूरसंचार व्यवसाय से अर्जित 11.82 करोड़ रुपये को छोड़कर) था।

कंपनी नहरकटिया-बरौनी के बीच 1,157 किलोमीटर लंबी पूरी तरह से स्वचालित कच्चे तेल की ट्रंक पाइपलाइन का स्वामित्व और संचालन करती है। अन्य अतिरिक्त नेटवर्क के साथ, कंपनी 1,243 किलोमीटर कच्चे तेल की पाइपलाइन के कुल नेटवर्क का संचालन करती है। नहरकटिया-बरौनी कच्चे तेल की पाइपलाइन असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों से होकर गुजरती है, जो प्रतिकूल इलाकों, घने जंगलों को पार करती है और विशाल ब्रह्मपुत्र सहित 78 नदियों को काटती है। इस पाइपलाइन के दो खंड हैं। 557 किलोमीटर दुलियाजान- गुवाहाटी बोंगाईगांव खंड ऊपरी असम में तेल क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल को नुमालीगढ़, गुवाहाटी और बोंगाईगांव में सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों तक पहुंचाता है। बोंगाईगांव और बरौनी के बीच 600 किलोमीटर के दूसरे खंड को विपरीत दिशा में तेल प्रवाह को सक्षम करने के लिए फिर से इंजीनियर किया गया है कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी टर्मिनल तक तैयार उत्पादों की निकासी के लिए 654 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का भी संचालन करती है। नहरकटिया-बरौनी क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के पंपिंग स्टेशन छह दशकों से भी अधिक समय से निरंतर संचालित हो रहे हैं। दो चरणों वाली इस परियोजना में, सभी पंप स्टेशनों और सभी प्राप्ति टर्मिनलों को नई अत्याधुनिक प्रणाली से उन्नत किया गया है ताकि प्रचालन में दक्षता, बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीयता लाई जा सके। आयातित कच्चे तेल की रिवर्स पंपिंग की सुविधा को गुवाहाटी रिफाइनरी तक बढ़ाया गया है।

निरंतर सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन और ट्रंक पाइपलाइन के जीवन को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, 575 किलोमीटर पाइपलाइन कोटिंग के कोटिंग नवीनीकरण, कैथोलिक सुरक्षा प्रणाली का पुन: डिज़ाइन, शॉर्टेड केस्ड क्रॉसिंग का शमन, दबे ब्लॉक वाल्वों का पुन: कोटिंग, शॉर्टेड इंसुलेटिंग जोड़ों की मरम्मत/प्रतिस्थापन, दोषपूर्ण पाइपलाइन अनुभागों की मरम्मत आदि के लिए पाइपलाइन पुनर्वास चरण- I परियोजना शुरू की गई थी।

पाइपलाइन पुनर्वास परियोजना के चरण I के सफल समापन के बाद, शेष 700 किमी (लगभग) ट्रंक पाइपलाइनों के पुनर्वास को लक्षित करने वाली इस परियोजना का चरण II दिसंबर 2024 में शुरू किया गया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन (एनएसपीएल) के मौजूदा थ्रूपुट को 1.72 एमएमटीपीए से 5.5 एमएमटीपीए तक बढ़ाने के लिए एनएसपीएल क्षमता वृद्धि परियोजना शुरू की है, जो एनआरएल की रिफाइनरी क्षमता के 3 एमएमटीपीए से विस्तार के बाद अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों को निकालने के लिए आवश्यक है। 9 एमएमटीपीए, परियोजना लगभग पूरी होने वाली है।

इसके अलावा, कंपनी ने माइक्रो-टनलिंग तकनीक का उपयोग करके क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों के लिए नदियों को सुरक्षित और बिना खाई के पार करने को सुनिश्चित करने के लिए दो चरणों में माइक्रो-टनलिंग परियोजना शुरू की है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम हो, नदी के प्रवाह में व्यवधान से बचा जा सके और दीर्घकालिक पाइपलाइन स्थिरता और सुरक्षा में वृद्धि हो।

4. वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹24,514.28 करोड़ के मुकाबले कुल ₹23,987.07 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का निवल लाभ मार्जिन 27.64% था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के ₹6,745.40 करोड़ के पीबीटी के मुकाबले ₹7,850.95 करोड़ था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर-पश्चात लाभ (पीएटी) पिछले वर्ष के ₹5,551.85 करोड़ के मुकाबले ₹6,114.19 करोड़ दर्ज किया है। कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24	विचलन (% में)	परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण
1	ऋणदाता कारोबार	8.36	9.10	(8.13)	
2	इन्वेंट्री कारोबार	12.69	15.05	(15.68)	
3	ब्याज कवरेज अनुपात	12.28	12.21	0.57	
4	वर्तमान अनुपात	1.30	1.01	28.71	3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा, प्राप्य लाभांश और उधारों की अदायगी के कारण चालू अनुपात में वृद्धि हुई है।
5	ऋण इक्विटी अनुपात	0.27:1	0.26:1	3.85	
6	प्रचालन लाभ मार्जिन (%)	30.96%	33.82%	(8.46)	
7	निवल लाभ मार्जिन (%)	27.64%	25.09%	10.16	
8	नेटवर्थ पर प्रतिफल	15.47%	15.66%	1.21	नेटवर्थ पर रिटर्न मुख्य रूप से उच्च नेटवर्थ के कारण कम हुआ है।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा एक कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग प्रकार्य है जिसकी कंपनी के भीतर स्वतंत्र स्थिति है। आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि प्रबंधन द्वारा डिज़ाइन और कार्यान्वित आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन प्रक्रियाएँ पर्याप्त और प्रभावी हैं या नहीं।

लेखापरीक्षा एवं आचरण समिति और निदेशक मंडल हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए नियमित अंतराल पर प्रणालियों का पर्यवेक्षण और निगरानी करते हैं।

यह "लेखापरीक्षा यूनिवर्स" के अनुसार जोखिमों को नियंत्रित करने और कम करने की एक पद्धति है, जो जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के आधार पर कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं और प्रचालन गतिविधियों को कवर करती है। कंपनी ने लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है और कागज़ रहित वातावरण में शीघ्र अनुपालन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुद्दों पर बेहतर नियंत्रण और सुचारू रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन लेखापरीक्षा प्रणाली लागू की है।

6. ईएसजी और निवल-शून्य प्रतिबद्धता एवं रणनीति

आपकी कंपनी 2040 तक निवल-शून्य उत्सर्जन ऊर्जा कंपनी बनने की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाकर एक संधारणीय भविष्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्रचालनात्मक उत्कृष्टता को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ संरेखित करने के हमारे मूल दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, कंपनी ने पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) सिद्धांतों को अपनी दीर्घकालिक रणनीति के आधारभूत स्तंभ के रूप में शामिल करना जारी रखा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने रणनीतिक पहलों, सुदृढ़ शासन और उद्योग सहयोग के माध्यम से अपने ईएसजी एकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से गहरा किया। ईएसजी को एक अनुपालन आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि एक संगठनात्मक दर्शन के रूप में मान्यता देते हुए, कंपनी ने जून 2024 में परियोजना संतुलन शुरू किया। इस प्रमुख पहल का उद्देश्य व्यापक ईएसजी रणनीति के एक भाग के रूप में कंपनी की पर्यावरणीय रणनीति तैयार करना था, जिसमें ग्रीनहाउस गैसों में कमी, जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन और सतत अपशिष्ट प्रबंधन पर संरचित ध्यान केंद्रित किया गया था।

अपने डीकार्बोनाइजेशन विज़न को क्रियान्वित करने के लिए, कंपनी ने तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत 26 लक्षित पहलों को अपनाया है: जीएचजी न्यूनीकरण, गैर-जीएचजी न्यूनीकरण और रणनीतिक प्रवर्तक। जीएचजी न्यूनीकरण के लिए, कंपनी ने नियमित फ्लेयरिंग को कम करने, देश भर में सीबीजी संयंत्रों की स्थापना, ऊर्जा दक्षता उपाय करने, अस्थायी उत्सर्जन का पता लगाने, रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने और मौजूदा ड्रिलिंग रिग में गतिशील गैस मिश्रण स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

गैर-जीएचजी श्रेणी में, कंपनी ने जल प्रबंधन, उत्पादन प्रतिष्ठानों के लिए मोबाइल ईटीपी, आंतरिक प्रचालनों के लिए उपचारित उत्पादित जल का उपयोग, गैर-जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए ड्रिलिंग रिग में उत्प्रेरक कन्वर्टर्स की स्थापना, एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने की पहल और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के माध्यम से वनीकरण उपायों को अपनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

रणनीतिक सक्षमकर्ताओं में कंपनी ने ईएसजी परिप्रेक्ष्य से आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों को विकसित करने, आईबीबीआई, यूएनजीसी जैसे संगठनों में शामिल होने और सीडीपी और एसएंडपी ग्लोबल द्वारा ईएसजी रेटिंग में भाग लेने के लिए कदम उठाए हैं। कंपनी ने संगठनात्मक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में ईएसजी मेट्रिक्स को भी शामिल किया है। ईएसजी और नेट जीरो के हमारे प्रयास में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टाउनहॉल और कार्यशालाओं के माध्यम से संगठन-व्यापी भागीदारी के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। कंपनी ने ईएसजी तकनीकी सत्र, विक्रेता ईएसजी संवेदीकरण कार्यशालाएं, रिश्वतरोधी, मानवाधिकार और जलवायु जोखिम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। आपकी कंपनी भारत में अपस्ट्रीम क्षेत्र की पहली कंपनी है जिसने जलवायु अकादमी स्थापित की है, जिसमें 40 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित "जलवायु चैंपियन" के रूप में तैयार किया गया है।

2040 के लिए अपने निवल-शून्य लक्ष्य के अनुरूप, कंपनी ने विस्तृत पर्यावरणीय रणनीतियों को लॉन्च किया है और उन्हें क्रियान्वित कर रही है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं

- उत्सर्जन आधार रेखा और डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप।
- गैर-ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।
- 2025 तक शून्य नियमित फ्लेयरिंग
- 2030 तक कोई मीथेन उत्सर्जन नहीं
- 2027 तक कोई निवल वनों की कटाई नहीं
- 2030 तक मीठे पानी का सकारात्मक उपयोग
- 2030 तक कोई एकल उपयोग प्लास्टिक नहीं

हमारे प्रयासों को निम्नलिखित प्रमुख वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से निम्नलिखित के लिए और बल मिला:

- तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर (ओजीडीसी) में शामिल होना, जो एक वैश्विक उद्योग प्रयास है जो जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और तेल और गैस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रभाव प्राप्त करने के लिए समर्पित है।
- भारत व्यापार और जैव विविधता पहल (आईबीबीआई) का सदस्य बनना ताकि जैव विविधता संरक्षण को व्यावसायिक निर्णय लेने में औपचारिक रूप से शामिल किया जा सके।
- संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करते हुए, इस प्रकार मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार-रोधी इसके 10 सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ अपने संरेखण को सुदृढ़ करना।

भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के समर्थन में, कंपनी ने असम, ओडिशा और राजस्थान में 604 हेक्टेयर वन भूमि पंजीकृत और आरक्षित की है, जिसमें से 438 हेक्टेयर में वृक्षारोपण पहले ही शुरू हो चुका है। इस पहल से कंपनी को ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने और प्रतिपूरक पर्यावरणीय कार्रवाई के रूप में वनरोपण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

सामाजिक और अभिशासन के मोर्चों पर, कंपनी ने क्षमता निर्माण, नीति निर्माण और हितधारक शिक्षा पर ज़ोर दिया। आपकी कंपनी ने पर्यावरणीय संधारणीयता, सामाजिक उत्तरदायित्व और शासन एवं व्यावसायिक विकास को तीन स्तंभों के रूप में रखते हुए, संधारणीय विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व (एसडी) और सामाजिक उत्तरदायित्व (ईएसजी) पर नीति विकसित की है। कंपनी प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और कार्यस्थल पर प्रदूषण निवारण उपायों में सक्रिय कदम उठाकर, अपने प्रचालन के पूरे जीवन चक्र में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में आपकी कंपनी ने ईएसजी परिप्रेक्ष्य के साथ एक मजबूत पर्यावरण नीति स्थापित की है।

वर्ष के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि कंपनी की अंतरराष्ट्रीय ईएसजी रैंकिंग में उन्नति रही। कंपनी ने अपने एसएंडपी ग्लोबल ईएसजी स्कोर को 22 से 44 तक सुधारा और कार्बन डिस्क्लोजर परियोजना (सीडीपी) के लिए भी पहली बार रिपोर्ट किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के लिए सी रेटिंग और जल सुरक्षा के लिए बी- रेटिंग प्राप्त हुई - जो ऑयल के ईएसजी प्रकटीकरणों की पारदर्शिता और परिपक्वता का स्पष्ट संकेत है।

आपकी कंपनी सुदृढ़ शासन, रणनीतिक दूरदर्शिता और जन-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से अपने ईएसजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक एकीकृत दृष्टिकोण और मापनीय लक्ष्यों के साथ, कंपनी सक्रिय रूप से एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही है जो न केवल ऊर्जा-सुरक्षित हो, बल्कि पर्यावरणीय रूप से लचीला और सामाजिक रूप से समावेशी भी हो। हमारा प्रयास है कि हम अपने कार्यों और पहलों के माध्यम से पर्यावरण, अपने कर्मचारियों, हितधारकों और अपने आसपास के समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालें और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। कंपनी पारदर्शिता, नैतिकता और समावेशी विकास की संस्कृति को पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

7. मानव संसाधन

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति मानती है और कार्यबल की प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व करती है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 6412 थी, जिसमें 1854 अधिकारी और 4558 संघबद्ध कर्मचारी शामिल थे। इसमें विविध और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह शामिल है, जिन्होंने कंपनी के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी निरंतर विकसित होते ऊर्जा परिदृश्य में एक कुशल और अनुकूलनीय कार्यबल के पोषण के महत्व को भी समझती है। मानव संसाधन पहल के कुछ प्रमुख क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:-

एक उच्च-प्रदर्शन, संलग्न कार्यबल का विकास

कर्मचारी-नियोक्ता साझेदारी: हम ऐसी मानव संसाधन नीतियाँ बनाए रखते हैं जो कर्मचारियों की आवश्यकताओं और कल्याण के प्रति उत्तरदायी हों, और एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहाँ कर्मचारियों की पहल और नवाचार फल-फूल सकें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रबंधन ने खुले संचार और सकारात्मक जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया, जो इस वर्ष शुरू किए गए कंपनी के पहले संगठन-व्यापी कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण में स्पष्ट है। सर्वेक्षण में 91% से अधिक कर्मचारी भागीदारी के साथ 76% का शीर्ष चतुर्थक जुड़ाव स्कोर, कंपनी में समग्र व्यावसायिक उद्देश्यों और साझेदारी के प्रति नियोक्ता और कर्मचारी के बीच मानव संसाधन पहलों और विश्वास की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि कार्यस्थल के मनोबल, संचार और करियर विकास के अवसरों को और बेहतर बनाने के लिए कार्य योजनाओं को आकार देने में मदद कर रही है।

प्रदर्शन संस्कृति और पारदर्शिता: इस वर्ष, हमने एक नई एसएपी-आधारित प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) पूरी तरह से शुरू की है जो स्पष्ट लक्ष्य-निर्धारण, निरंतर प्रतिक्रिया और योग्यता-आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करती है। परिष्कृत मानव संसाधन नीतियों के साथ, पीएमएस जवाबदेही और उच्च प्रदर्शन की संस्कृति को मजबूत करता है।

कर्मचारी कल्याण और सहभागिता पहल: उद्योग जगत की शीर्ष प्रथाओं के अनुरूप, ओआईएल ने कार्यस्थल पर सहभागिता और

कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अभिनव कार्यक्रम शुरू किए। उल्लेखनीय रूप से, कार्यस्थल की स्थितियों का व्यवस्थित मूल्यांकन और सुधार करने के लिए "कार्य वातावरण (इब्ल्यूई) मूल्यांकन" कार्यक्रम लागू किया गया। इस वर्ष, क्षेत्रीय मुख्यालयों में कई प्रमुख प्रचालन प्रतिष्ठानों ने सुरक्षा, स्वच्छता और टीम वर्क में उत्कृष्टता के लिए 5 स्टार डब्ल्यूई रेटिंग अर्जित की। नियमित टाउन-हॉल बैठकें, मान्यता पुरस्कार, और खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो ओआईएल के इस विश्वास को प्रतिध्वनित करते हैं कि कर्मचारी गौरव और सर्वांगीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भविष्य के लिए कौशल और क्षमताएँ विकसित करना:

कौशल उन्नयन और निरंतर सीखना: वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ओआईएल ने अपने प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार किया, यह स्वीकार करते हुए कि एक गतिशील ऊर्जा उद्योग में निरंतर कौशल उन्नयन महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान, तकनीकी दक्षताओं और सॉफ्ट स्किल्स दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हजारों प्रशिक्षण घंटे दिए गए। कार्यक्रमों में ड्रिलिंग तकनीक, रिजर्वायर मॉडलिंग और डिजिटल ऑयलफील्ड टूल्स में उन्नत पाठ्यक्रमों से लेकर प्रबंधकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यशालाएँ शामिल थीं। ओआईएल के कर्मचारियों को आंतरिक विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रतिष्ठित बाहरी भागीदारों द्वारा संचालित सांविधिक प्रशिक्षणों, तकनीकी पाठ्यक्रमों और सॉफ्ट-स्किल कार्यशालाओं के संतुलित मिश्रण का लाभ मिला। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि हमारा कार्यबल उभरती चुनौतियों और तकनीकी प्रगति के अनुकूल बना रहे।

डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म: एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एक नए ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का विकास था। चरणों में शुरू किया जा रहा यह प्लेटफ़ॉर्म, प्रचालनात्मक सुरक्षा से लेकर पारस्परिक कौशल तक के विषयों पर ई-लर्निंग मॉड्यूल तक 24×7 पहुँच प्रदान करता है। डिजिटल लर्निंग का लाभ उठाकर, ओआईएल प्रशिक्षण को अधिक मापनीय और स्व-गतिशील बना रहा है, जिससे सभी स्थानों पर कर्मचारी प्रासंगिक पाठ्यक्रम और प्रमाणन प्राप्त कर सकें। समानांतर रूप से, ओआईएल ने सभी प्रमुख विषयों को कवर करते हुए एक व्यापक तकनीकी योग्यता ढाँचा (टीसीएफ) पूरा किया। यह ढाँचा प्रत्येक भूमिका के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कौशल को परिभाषित करता है।

नेतृत्व विकास और उत्तराधिकार नियोजन: वर्ष के दौरान, कई प्रमुख भूमिकाओं (भूविज्ञान, उत्पादन जैसे मुख्य प्रचालन क्षेत्रों से लेकर परियोजना प्रबंधन, अपतटीय ड्रिलिंग आदि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं तक) के लिए प्रोफ़ाइल और संभावित उत्तराधिकारियों की शीर्ष प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गई। इन उच्च-क्षमता वाली प्रतिभाओं को निखारने के लिए अनुकूलित विकास योजनाएँ - जिनमें कार्य-चक्र, रणनीतिक परियोजनाएँ और कार्यकारी शिक्षा शामिल हैं - क्रियान्वित की जा रही हैं। वास्तव में, 2030 तक ओआईएल के कई वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्ति के करीब पहुँच रहे हैं, इसलिए उत्तराधिकार नियोजन एक महत्वपूर्ण मिशन बन गया है। इस वर्ष हमारे सक्रिय प्रयासों को उद्योग मंचों पर प्रशंसा मिली है, और ओआईएल के उत्तराधिकार नियोजन ढाँचे को अब अग्रणी तेल एवं गैस कंपनियों के समकक्ष माना जाता है।

विविधता, समावेशन और कर्मचारी कल्याण

ओआईएल को अग्रणी वैश्विक ऊर्जा कंपनियों की तरह, विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों वाले विविध और समावेशी कार्यबल पर गर्व है। हम भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण और विविधता पर भारत सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं और प्रतिनिधित्व की बारीकी से निगरानी करते हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक हमारे कुल कार्यबल में महिलाओं की संख्या लगभग 7.8% थी (पिछले वर्ष यह लगभग 7.3% थी), और ओआईएल लड़कियों के लिए एसटीईएम शिक्षा को बढ़ावा देकर और तकनीकी भूमिकाओं में अधिक महिलाओं की नियुक्ति करके इस आंकड़े को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, करियर विकास और लाभों में समान अवसर प्राप्त होते हैं, जो हमारे इस सिद्धांत को दर्शाता है कि प्रदर्शन ही उन्नति का एकमात्र मानदंड है। वर्ष के दौरान, ओआईएल ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया।

विश्वस्तरीय "मानव परिसंपत्ति" प्रबंधन की ओर

ओआईएल उद्योग जगत की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है: ओआईएल अपनी मानव पूंजी रणनीति को इस तरह से आकार दे रहा है कि वह तेल और गैस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी कंपनियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, और कई क्षेत्रों में, उनके अनुरूप भी हो। हम सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल कर रहे हैं - योग्यता-संचालित मानव संसाधन प्रणालियों से लेकर डीपीई के मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र के मानव संसाधन विकास दिशानिर्देशों तक। अगस्त 2023 में "महारत्न" का दर्जा मिलने से ओआईएल को और अधिक स्वायत्तता मिली है, और हम अपनी मानव संसाधन नीतियों को इस स्वायत्तता का पूरा लाभ उठाने के लिए विकसित कर रहे हैं ताकि प्रतिभाओं का तेज़ी से अधिग्रहण और विशेषज्ञों को बनाए रखा जा सके।

व्यावसायिक रणनीति का समर्थन: प्रत्येक मानव संसाधन पहल ओआईएल की कॉर्पोरेट रणनीति का समर्थन करने के लिए तैयार की जाती है। हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, हम नवीकरणीय ऊर्जा, एलएनजी और डिजिटलीकरण जैसे नए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की पहल कर रहे हैं, जो हमारी रणनीति 2030/40 के विकास स्तंभ हैं। आगामी परियोजनाओं (जैसे, मुख्य प्रचालनात्मक एवं रखरखाव, नवीकरणीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, आदि) के लिए जनशक्ति और कौशल आवश्यकताओं की योजना बनाने हेतु विभिन्न कार्यों के लिए कार्यबलों का गठन किया गया। इस प्रकार, रणनीतिक जनशक्ति नियोजन ने गति पकड़ी और एक ऐसी सतत नियुक्ति योजना तैयार की जो युवा प्रतिभाओं की नियुक्ति और स्थायी कर्मचारियों के अनुभवात्मक ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करती है। हमारा मंत्र है "सही समय पर सही स्थानों पर सही कौशल वाले सही लोग", और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति देखी गई।

भविष्य की संभावनाएँ: भविष्य में, कंपनी अपनी "मानव परिसंपत्ति" में उसी दृढ़ता से निवेश करती रहेगी जिस दृढ़ता से हम भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। कंपनी कौशल-आधारित करियर पथों और प्रासंगिक शिक्षण कार्यक्रमों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तैयार है ताकि कौशल अधिग्रहण को निरंतर प्रेरित और पुरस्कृत किया जा सके। अग्रणी तेल और गैस कंपनियों की कार्यप्रणाली की तर्ज पर, मानव संसाधन सेवा वितरण की प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक मानव संसाधन तकनीक अपनाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। हम अपनी विविधता के प्रयासों को भी तेज़ करेंगे – आने वाले वर्षों में महिला इंजीनियरों की भर्ती और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों तक पहुँच के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाई देगी – जिससे ओआईएल की पसंदीदा नियोक्ता के रूप में छवि और मज़बूत होगी।

प्रतिबद्धता: जैसे-जैसे कंपनी अपने विकास पथ पर आगे बढ़ रही है, उसका मानव संसाधन दृष्टिकोण एक "सीखने वाला संगठन" बनने का है जो सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ पहल, नवाचार और आकांक्षाओं को पोषित करता है, और एक समावेशी कार्यस्थल का निर्माण करता है जहाँ प्रत्येक कर्मचारी मूल्यवान महसूस करता है और योगदान करने के लिए सशक्त होता है। हमारी मानव पूँजी हमारी सफलता का आधार है, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि हमारे कर्मचारी आने वाले वर्षों में ओआईएल की निरंतर प्रगति और उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए सुसज्जित, संलग्न और प्रेरित हों। अपने कर्मचारियों में निवेश करके, ओआईएल वास्तव में कंपनी के भविष्य में निवेश कर रहा है - जिससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर नए क्षितिज हासिल कर सकें।

8. औद्योगिक संबंध

कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण और साइचर्य संबंध बनाए रखे गए। कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान में प्रबंधन के साथ पूर्ण सहयोग और सक्रिय भागीदारी की। औद्योगिक संबंधों की समस्या के कारण किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं हुई।

9. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण से संबंधित गतिविधियाँ निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक में शामिल हैं।

10. रकबा

क. अन्तर्देशीय

i. नामांकन रकबा

वर्तमान में, कंपनी के पास 23.3 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला 01 (एक) नामांकित पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) और 4828.84 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले 25 (पच्चीस) पेट्रोलियम खनन पट्टे (पीएमएल) हैं। ये नामांकित ब्लॉक असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने 482.25 वर्ग किमी 3डी भूकंपीय डेटा प्राप्त किया है और अपने नामांकित क्षेत्रों में 15 अन्वेषणात्मक और 35 विकास कुओं की ड्रिलिंग की है।

ii. नेल्प ब्लॉक

आपकी कंपनी वर्तमान में असम राज्य में 396 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले 01 (एक) नेल्प ब्लॉक का संचालन करती है और उसने 3डी भूकंपीय एपीआई पूरा कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक अन्वेषणात्मक कुआँ कार्बी आंगलोंग-1 (शुष्क) की ड्रिलिंग की है। एक और अन्वेषणात्मक लोकेशन की ड्रिलिंग के लिए पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ हेतु केएनईबी का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्थान का चयन होने की उम्मीद है।

iii. ओएएलपी और डीएसएफ ब्लॉक

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी के पास ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) व्यवस्था के तहत कुल 26 (छब्बीस) ब्लॉक हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 46,841.7 वर्ग किमी है। ये क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान और अंडमान तथा केरल-कोंकण के अपतटीय क्षेत्रों में हैं। कंपनी को खोजे गए लघु क्षेत्र दौर-II के तहत 3 (तीन) ब्लॉक भी आवंटित किए गए हैं, जिनमें से एक-एक ब्लॉक त्रिपुरा (47.23 वर्ग किमी) और केजी अपतटीय (93.90 वर्ग किमी) में है और दूसरा ब्लॉक खोजे गए लघु क्षेत्र दौर-III के तहत राजस्थान (66.67 वर्ग किमी) में है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने ओएएलपी ब्लॉकों में 373.52 लाख वर्ग किलोमीटर 2डी और 668.57 वर्ग किलोमीटर 3डी भूकंपीय डेटा प्राप्त किया। कंपनी ने सात (7) ब्लॉकों की ड्रिलिंग भी पूरी कर ली है। अन्वेषणात्मक कूपों की संख्या - ओडिशा में 2 कुएँ: पुरी- एमएन-ओएनएचपी-2018/2 ब्लॉक में 3 और एमएन-ओएनएचपी-2018/5 ब्लॉक में कटक-2, राजस्थान में 1 कूप: आरजे-ओएनएचपी-2019/2 ब्लॉक में जम्बेश्वर-1, असम में 3 कूप: एए-ओएनएचपी-2018/3 ब्लॉक में दीमा-हसाओ-1, एए-ओएनएचपी-2017/10 ब्लॉक में कोबोचापोरी-1 और एए-ओएनएचपी-2017/20 ब्लॉक में नामरूप-बोरहाट-2 और अंडमान उथले अपतटीय में 1 कूप: एएन-ओएसएचपी-2018/2 ब्लॉक में विजया पुरम-1। कंपनी वर्तमान में असम में एए-ओएनएचपी-2017/18 ओएएलपी ब्लॉक में कूप मैजान-1 की भी ड्रिलिंग कर रही है।

iv. एनईएलपी-पूर्व संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत ब्लॉक, जिनमें ओआईएल ऑपरेटर नहीं है

कंपनी दो (दो) एनईएलपी-पूर्व संयुक्त उद्यम ब्लॉकों, अर्थात् खारसांग पीएससी और ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 (दिरोक) में भी भागीदार है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम में 85.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, इन दोनों संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों से कंपनी का उत्पादन हिस्सा 13,923 मीट्रिक टन तेल और 80.912 एमएमएससीएम गैस था।

v. एनईएलपी के अंतर्गत ब्लॉक, जिनमें ओआईएल ऑपरेटर नहीं है

कंपनी के पास 01 (एक) एनईएलपी VII ब्लॉक है। 31 मार्च 2025 तक पश्चिम बंगाल राज्य (तटीय) में कुल 3940 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करने वाला इब्ल्यूबीओएनएन-2005/4 गैर-ऑपरेटर (पीआई25%) के रूप में है। अन्वेषण चरणों के दौरान, कुल 6 एमडब्ल्यूपी कूप (चरण-I: पटुली-1, मटिकुमरा-1, अशोकनगर-1, अशोकनगर-2, कांकपुल-1 और चरण-II: राणाघाट-2) ड्रिल किए गए हैं और ब्लॉक में 3 खोजें अर्थात अशोकनगर-1, कांकपुल-1 और राणाघाट-2 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में, ये 3 खोजें मूल्यांकन/विकास के विभिन्न चरणों में हैं। कंपनी के पास गुजरात-कच्छ उथले अपतटीय में 1361 वर्ग किमी क्षेत्र के साथ 01 (एक) एनईएलपी -IX ब्लॉक अर्थात जीकेओएसएन-2010/1 (PI 30%) भी है। दो मूल्यांकन कूपों की खुदाई करके खोजों की जानकारी दी गई। हालाँकि, दोनों कूप सूख गए।

ख. विदेश स्थित

कंपनी द्वारा पीआई/ऑपरेटरशिप के साथ विदेश स्थित ई एंड पी ब्लॉक

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी का विदेशी ईएंडपी पोर्टफोलियो रूस, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, बांग्लादेश, लीबिया और गैबॉन सहित 7 देशों में फैला हुआ है। इस पोर्टफोलियो में रूस (3) और वेनेजुएला (1) में फैली 4 (चार) उत्पादक परिसंपत्तियाँ, मोजाम्बिक और नाइजीरिया में 2 (दो) खोजी और विकास परिसंपत्तियाँ और लीबिया, गैबॉन और बांग्लादेश (2) में 4 (चार) अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

विदेशी ब्लॉकों में प्रमुख विकास की स्थिति इस प्रकार है:

क. उत्पादनकारी परिसंपत्तियाँ

रूस: वैंकोरनेफ्ट (वोस्तोक ओआईएल एलएलसी, रोसनेफ्ट की अनुषंगी कंपनी: 50.1%, ओआईएल-आईओसीएल-बीपीआरएल: 23.9%, ओवीएल: 26%)

कंपनी ने आईओसीएल और बीपीआरएल के साथ मिलकर 5 अक्टूबर 2016 को रूस की जेएससी वैंकोरनेफ्ट में 23.9% हिस्सेदारी हासिल की। यह परिसंपत्ति सिंगापुर में कंपनी, आईओसीएल और बीपीआरएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) वैंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वीआईपीएल) के माध्यम से संचालित है। 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, इस परिसंपत्ति में कंपनी के सहभागी हित के अनुरूप 2PI आरक्षित स्थिति 11.28 एमएमटी तेल और 4.18 एमएमटीओई प्राकृतिक गैस अनुमानित की गई है। 2024-25 के दौरान, परिसंपत्ति में कंपनी का उत्पादन हिस्सा 1.00 एमएमटीओई है। 31.03.2025 तक संचयी रूप से, परियोजना में कंपनी की हिस्सेदारी के अनुरूप लाभांश के रूप में वीआईपीएल स्तर पर 486.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि प्राप्त हुई है।

रूस: तास-युर्याख
(रोसनेफ्ट: 50.1%, ओआईएल-आईओसीएल-बीपीआरएल: 29.9%, बीपी: 20%)

कंपनी ने आईओसीएल और बीपीआरएल के साथ मिलकर 5 अक्तूबर 2016 को रूस की एलएलसी तास-युर्याख नेफ्टेगाज़ोडोबाइचा (टीवाईएनजीडी) में 29.9% हिस्सेदारी हासिल की। यह परिसंपत्ति एसपीवी तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड



(टीआईपीएल) के माध्यम से है, जिसे सिंगापुर में कंपनी, आईओसीएल और बीपीआरएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, इस संपत्ति में कंपनी की भागीदारी के अनुरूप 2पी आरक्षित स्थिति 8.67 एमएमटी तेल अनुमानित की गई है। 2024-25 के दौरान, संपत्ति में कंपनी का उत्पादन हिस्सा 0.49 एमएमटीओई है। संचयी रूप से 31.03.2025 तक, परियोजना में कंपनी की हिस्सेदारी के अनुरूप लाभांश और अधिशेष पूंजी चुकौती के रूप में टीआईपीएल स्तर पर 455.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि प्राप्त हुई है।

उपरोक्त दो परियोजनाओं - वैंकोनेंफ्ट और टीवाईएनजीडी में कंपनी का निवेश हिस्सा 31 मार्च 2025 तक ₹7802.18 करोड़ (यूएसडी 1033.71 मिलियन) है।

रूस: लाइसेंस 61

[ओआईएल-50% और पेट्रोनेफ्ट रिसोर्सेज लिमिटेड (शेयरधारिता पावेल टेव्याकोव को हस्तांतरित)-50% (ऑपरेटर)]

कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी के माध्यम से वर्ल्डएेस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) में 50% हिस्सेदारी रखती है। डब्ल्यूआईएल के शेष 50% शेयर पेट्रोनेफ्ट रिसोर्सेज पीएलसी द्वारा रूसी नागरिक पावेल टेव्याकोव के पक्ष में हस्तांतरित कर दिए गए हैं। डब्ल्यूआईएल की रूस में एलएलसी स्टिमुल-टी नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, जिसके पास ब्लॉक लाइसेंस 61, रूस का लाइसेंस है। एलएलसी स्टिमुल-टी, रूसी विधिक एंटिटी, जो लाइसेंस 61 परिसंपत्ति की स्वामी है, ने प्रतिकूल प्रचालन और वित्तीय परिस्थितियों के कारण 10 मई, 2023 को दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। लाइसेंस 61 परियोजना में कंपनी के संपूर्ण निवेश पर 93.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि का प्रावधान किया गया है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. के विरुद्ध ₹ 1.92 करोड़ (यूएसडी 0.22 मिलियन) का वहन मूल्य, इकाई को उसके प्रचालन उपयोग के लिए दिए गए ऋण को दर्शाता है।

वेनेजुएला: परियोजना कैराबोबो

[कॉर्पोरेशन वेनेज़ोलाना डेल पेट्रोलियो (सीवीपी) - 71%, इंडऑयल नीदरलैंड्स बीवी 7% (ओआईएल: 3.0%, आईओसीएल: 3.0%), ओवीएल - 11%, रेप्सोल - 11%]

रेप्सोल (11%), ओवीएल (11%) और इंडऑयल (7%) (जिन्हें सामूहिक रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारक (एमएसएच) कहा जाता है) का कंसोर्टियम 29% हिस्सेदारी धारण करता है, और सीवीपी (पीडीवीएसए की सहायक कंपनी) मैसर्स पेट्रोकाराबोबो एसए (पीसीबी) नामक एक मिश्रित कंपनी में शेष 71% हिस्सेदारी रखता है। पीसीबी प्रोजेक्ट कैराबोबो का ऑपरेटर है। इंडऑयल की 7% हिस्सेदारी में ओआईएल (3.5%) और आईओसीएल (3.5%) शामिल हैं। ओआईएल और आईओसीएल ने नीदरलैंड में इंडऑयल नीदरलैंड्स बी.वी. नामक एक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई थी। (इंडऑयल) के साथ परियोजना में निवेश करने के लिए समझौता किया है। मिश्रित कंपनी संविदा पर 12 मई, 2010 को 25 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। 31 मार्च, 2025 तक, ब्लॉक में 76 कूपों का वेधन किया जा चुका है। परियोजना के पास 30 केबीडी कूड ट्रीटमेंट प्लांट का स्वामित्व और प्रचालन है। वर्तमान में, वेनेजुएला में आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण परियोजना की गतिविधियों में देरी हो रही है। 31 मार्च, 2025 तक, परियोजना कैराबोबो में कंपनी की भागीदारी के अनुरूप 2पी आरक्षित स्थिति 0.10 एमएमटी अनुमानित की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, परिसंपत्ति में कंपनी का उत्पादन हिस्सा 0.02 एमएमटी रहा। 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, इस परियोजना में कंपनी का निवेश हिस्सा ₹302.21 करोड़ (यूएसडी 59.90 मिलियन) है। 31 मार्च, 2025 तक, क्षरण प्रावधान के बाद, निवेश का वहन मूल्य ₹25.95 करोड़ था।

ख. विकास परिसंपत्तियाँ

मोज़ाम्बिक: रोवुमा क्षेत्र 1

टोटलएनर्जीज़ (ऑपरेटर - 26.5%), मित्सुई - 20%, ईएनएच - 1.0% (अग्रनीत), बीपीआरएल - 10%, बीआरईएमएल - 10%, ओवीएल - 10%, पीटीटीईपी - 8.0%

कंपनी ने ओवीएल के साथ मिलकर 7 जनवरी, 2014 को वीडियोकॉन मोज़ाम्बिक रोवुमा 1 लिमिटेड [जिसका नाम बदलकर बाद में ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल) कर दिया गया - ओवीएल 60%, ओआईएल - 40%] में 100% शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से क्षेत्र 1 मोज़ाम्बिक में 10% भागीदारी हासिल की। तटवर्ती एलएनजी विकास में शुरूआत में दो (2) एलएनजी ट्रेनें शामिल होंगी जिनकी कुल क्षमता 13.12 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) होगी। क्षेत्र 1 मोज़ाम्बिक परियोजना के संयुक्त उद्यम भागीदारों ने 18 जून, 2019 को दो ट्रेनों वाली गोल्फिन्हो-अतुम मोज़ाम्बिक एलएनजी परियोजना के लिए अंतिम निवेश निर्णय (एफआईडी) की घोषणा की थी। संयुक्त उद्यम ने भारत सहित एशिया और यूरोप के प्रमुख एलएनजी खरीदारों के साथ 11.13 एमएमटीपीए की दीर्घकालिक एलएनजी बिक्री सफलतापूर्वक हासिल की है। इस परियोजना का विकास परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका वित्तीय समापन 24 मार्च, 2021 को हुआ। तटवर्ती और अपतटीय निर्माण संविदा की गई और निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया।

मोज़ाम्बिक के काबो डेलगाडो प्रांत में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के कारण, ऑपरेटर ने 22 अप्रैल, 2021 को अप्रत्याशित घटना घोषित कर दी। वर्तमान में, परियोजना अप्रत्याशित घटना को हटाने और परियोजना गतिविधियों को फिर से शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, रोवुमा, एरिया 1 में कंपनी के सहभागी हित के अनुरूप 2पी आरक्षित स्थिति 16.21

एमएमटीओई प्राकृतिक गैस और 0.46 एमएमटी कंडेनसेट अनुमानित की गई है। 31 मार्च, 2025 तक इस परियोजना में कंपनी का निवेश हिस्सा ₹10640.46 करोड़ (1580.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था। क्षरण के प्रावधान के बाद, निवेश का वहन मूल्य 31 मार्च, 2025 तक ₹10466.46 करोड़ था।

नाइजीरिया: ब्लॉक ओएमएल 142 [ओआईएल-25%, आईओसीएल-25 % और सनटेरा रिसोर्सेज़-50% सनटेरा नाइजीरिया 205 लि. (ब्लॉक में 70% कार्यशील हित), समिट ऑयल इंटरनेशनल लिमिटेड- 30% (ऑपरेटर)]

यह परियोजना नाइजर डेल्टा के सबसे उत्तरी तटवर्ती भाग में स्थित है। इस ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन (गैस और संघनित) की खोज 1991-92 (ओटीएन #1 कूप) में हुई थी। नाइजीरिया में निगमित कंपनी सनटेरा नाइजीरिया 205 लि. (एसएन-205) ने मई 2006 में समिट ऑयल इंटरनेशनल से 40% सहभागी हित (पीआई) और 30% आर्थिक हित (ईआई) प्राप्त किया। इसके बाद, ओआईएल ने आईओसीएल के साथ मिलकर एसएन-205 लि. में 25% (प्रत्येक) शेयरधारिता प्राप्त की, जिसमें सनटेरा रिसोर्सेज़ लिमिटेड के पास शेष 50% हिस्सेदारी है। समिट ऑयल इस ब्लॉक का ऑपरेटर है, जिसके पास 30% कार्यशील हिस्सेदारी है, शेष 70% हिस्सेदारी एसएन-205 के पास है। 31 मार्च, 2025 तक इस परियोजना में कंपनी का निवेश हिस्सा ₹182.19 करोड़ (21.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की बहियों में सम्पूर्ण निवेश के निमित्त क्षरण प्रावधान लिया गया है।

ग. अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ

बांग्लादेश: ब्लॉक एसएस-04 और एसएस-09 [ओआईएल-45%, ओवीएल-45%(ऑप), बापेक्स-10% (आहरणीय)]

कंसोर्टियम को बांग्लादेश बोली दौर-2012 में उथले अपतटीय ब्लॉक एसएस-04 और एसएस-09 आवंटित किए गए थे। दोनों ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 14,295 वर्ग किमी है, जिसमें ब्लॉक एसएस-04 7,269 वर्ग किमी में फैला है और ब्लॉक एसएस-09 7,026 वर्ग किमी में फैला है। दोनों ब्लॉकों के लिए उत्पादन साझाकरण संविदाओं पर 17 फरवरी, 2014 को ढाका, बांग्लादेश में पाँच (05) वर्षों की प्रारंभिक अन्वेषण अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों ब्लॉक 16 फरवरी 2025 तक वैध थे।

ब्लॉकों में अनिवार्य भूकंपीय अध्ययन पूरा हो चुका है। ब्लॉक एसएस-04 में 1 (एक) तटवर्ती कूप कंचन-IX की ड्रिलिंग पूरी हो गई है। ऑपरेटर ने पेट्रोबांग्ला से दोनों ब्लॉकों के लिए 3 साल के विस्तार के लिए अनुरोध किया है। पेट्रोबांग्ला ने दोनों ब्लॉकों के लिए 2 साल का विस्तार यानी 16 फरवरी 2027 तक प्रदान किया तदनुसार, ऑपरेटर ने 27 जून 2025 को एसएस-04 और एसएस-09 ब्लॉकों के पीएससी को समाप्त करने के लिए पेट्रोबांग्ला (नियामक) को सूचित किया।



लीबिया: क्षेत्र 95/96 ~4 ब्लॉक
[एसआईपीईएक्स (ऑपरेटर) - 50%, आईओसीएल-25%, ओआईएल-25%]

परिसंघ ने 08 कूपों के वेधन की एमडब्ल्यूपी प्रतिबद्धता के तहत पाँच कूपों का वेधन पूरा कर लिया है। पाँचों कूपों में हाइड्रोकार्बन पाए गए। संघ को एमडब्ल्यूपी को पूरा करने के लिए एक अधूरे कुएँ को पूरा करना होगा और दो अन्वेषण कूपों का वेधन करना होगा। हालांकि, लीबिया में नागरिक अशांति के कारण मई 2014 से एरिया-95/96 में सभी प्रचालन निलंबित हैं। कंसोर्टियम ने मई 2018 तक ब्लॉक जारी रखने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए। संबंधित पक्षों यानी एनओसी, लीबिया, सिपेक्स (ऑपरेटर) और ओआईएल-आईओसीएल कंसोर्टियम के बीच अप्रत्याशित घटना अवधि के विस्तार के लिए अंतरिम व्यवस्था समझौते में संशोधन के निष्पादन के माध्यम से अप्रत्याशित घटना की स्थिति जारी रहने के बाद अन्वेषण और उत्पादन साझाकरण समझौते (ईपीएसए) की अवधि को और बढ़ा दिया गया है।

लीबिया में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ, ब्लॉक में लागू अप्रत्याशित घटना को हटा दिया गया है। तदनुसार, लीबिया के एनओसी ने शेष एमडब्ल्यूपी को पूरा करने के लिए अन्वेषण अवधि को 6 मई, 2026 तक बढ़ा दिया है। कंसोर्टियम ब्लॉक में 8 कूपों की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए छठे कूप के पुनः प्रवेश कार्य योजना और संभावना विश्लेषण एवं नए ड्रिलिंग अवसरों की रणनीति बना रहा है।

गैबॉन: ब्लॉक शक्ति-II
[ओआईएल (ऑपरेटर)-50%, आईओसीएल-50%]

पुराने पीएससी (जी4-220) के कूप लासा-1 में तेल की खोज हुई। नए पीएससी (जी4-245) के चरण-1 के एमडब्ल्यूपी के अनुसार दो मूल्यांकन कूप (लासा-2 और 3) खोदे गए। संघ ने ब्लॉक के शेष भाग में संभावना का आकलन करने के लिए 1213.04 लाख किलोमीटर नए 2डी भूकंपीय एपीआई का परीक्षण किया। एकीकृत व्याख्या और संभावना मूल्यांकन के आधार पर, संघ ने ब्लॉक में चरण-II अन्वेषण अवधि में प्रवेश किया है, जिसे सांविधिक विलंब और कोविड-19 महामारी के कारण 15 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दिया गया था। संघ ने ब्लॉक के चरण-II में 2 अन्वेषण कूपों के खोदने की प्रतिबद्धता जताई है। तदनुसार, कंसोर्टियम ने ब्लॉक की वैधता को एक वर्ष के लिए 15.04.2026 तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। इसके बाद, डीजीएच, गैबॉन के साथ दो कार्य सत्र आयोजित किए गए और कंसोर्टियम ने डीजीएच से अनुरोध किया कि वह उन वित्तीय प्रतिबद्धताओं का अनुमान प्रदान करे जो पीएससी में परिभाषित कार्य प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने के कारण उस पर पड़ सकती हैं, ताकि आगे की दिशा में एक सूचित कदम उठाया जा सके।

11. तेल और गैस की खोज

कूप मेचाकी-6 और मेचाकी-7: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, असम के मेचाकी पीएमएल में दो खोजें की गईं, अर्थात मेचाकी-6 कूप में एक तेल की खोज और मेचाकी-7 कूप में एक गैस की खोज। मेचाकी-6 कूप में कुल तीन संभावित क्षेत्र पाए गए, जिनमें से एक क्षेत्र का परीक्षण किया जा चुका है और कूप से 32 घन मीटर प्रतिदिन की दर से कच्चा तेल उत्पादित हो रहा है। यह ओआईएल के प्रचालन क्षेत्र में सबसे गहरा उत्पादक स्थलीय कूप है। मेचाकी-7 कूप में कुल पाँच संभावित रेत के क्षेत्र पाए गए, जिनमें से एक क्षेत्र का परीक्षण किया जा चुका है और कूप से 60,000 एससीएमडी गैस विस्थापित हुई। कूप को उत्पादन में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

कोबोचापोरी-1 कूप : कंपनी ने ओएएलपी-I दौर के अंतर्गत प्रदान किए गए ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2017/10 में ड्रिल किए गए कोबोचापोरी-1 कूप में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति स्थापित की है। यह ब्लॉक असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। परीक्षण किए गए अंतरालों में से एक पर कूप की सतह पर भारी तेल प्रवाहित हुआ। निरंतर प्रवाह दर स्थापित करने और व्यावसायिकता स्थापित करने के लिए कूप का आगे परीक्षण किया जा रहा है।

12. भंडार की स्थिति

1 अप्रैल, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, संयुक्त उद्यमों (कंपनी के पीआई के अनुसार) सहित कंपनी की अंतर्देशीय परिसंपत्तियों में हाइड्रोकार्बन इन-प्लेस और भंडार की स्थिति इस प्रकार है:

इन-प्लेस (परिमाण)	निम्न आकलन	सर्वश्रेष्ठ आकलन	उच्च आकलन
एसटीओआईआईपी (एमएमटी)	778.7760	806.5768	829.3026
जीआईआईपी (बीसीएम)	401.0952	423.4008	440.8584
ओ+ओईजी (एमएमटीओई)	1127.9431	1174.7765	1212.5950

भंडार	1पी	2पी	3पी
तेल + कंडेनसेट भंडार (एमएमटी)	29.4271	69.3852	90.0790
शेष पुनर्प्राप्ति योग्य गैस (बीसीएम) *	88.9198	139.0337	180.1169
ओ + ओईजी (एमएमटीओई)	106.9778	190.2508	246.8594

*विभिन्न बिक्री अनुबंधों के तहत गैस की अनुमानित मात्रा के आधार पर, 1पी, 2पी और 3पी गैस भंडार क्रमशः 29.7160, 53.7330 और 63.7830 बीसीएम हैं।

अभिवृद्धि: कंपनी के घरेलू क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों सहित (कंपनी के पीआई के अनुसार) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तेल और गैस भंडार में अभिवृद्धि नीचे दी गई है:

भंडार	1पी	2पी	3पी
तेल + कंडेनसेट भंडार (एमएमटी)	2.7311	3.0610	2.8764
शेष पुनर्प्राप्ति योग्य गैस (बीसीएम) *	2.6888	3.0760	4.3992
ओ+ओईजी (एमएमटीओई)	5.1675	5.8714	6.9107

विदेश स्थित

1 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 04 (चार) विदेशी उत्पादक परिसंपत्तियों (कंपनी का आनुपातिक हिस्सा) अर्थात्, वानकोर्नेफ्ट (रूस), ताज़ युर्याख़ (रूस), पेट्रो काराबोबो (वेनेजुएला) और गोल्फिन्हो-अतुम (मोजाम्बिक) के तेल और गैस भंडार की स्थिति नीचे दी गई है:

भंडार	1पी	2पी	3पी
तेल + कंडेनसेट भंडार (एमएमटी)	8.7083	20.5084	33.2024
शेष पुनर्प्राप्ति योग्य गैस (बीसीएम) *	11.6373	20.3940	24.2794
ओ + ओईजी (एमएमटीओई)	20.3456	40.9024	57.4818

13. नई पहलें

महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में विविधीकरण:

महत्वपूर्ण खनिज, 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य के साथ, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में एक पीढ़ीगत अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये खनिज किसी भी ऊर्जा परिवर्तन रणनीति की सफलता के लिए आवश्यक हैं क्योंकि सौर पैनल, अर्धचालक, पवन टर्बाइन और परिवहन एवं ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए उन्नत बैटरियां जैसी प्रौद्योगिकियां और उत्पाद महत्वपूर्ण खनिजों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क स्थापित करने हेतु, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन-काल के अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति सहित मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को शामिल करना है। यह मिशन देश और उसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण को तेज करेगा और विदेशी परिसंपत्ति अधिग्रहण का समर्थन करेगा।

विभिन्न उच्च-तकनीकी उद्योगों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों में उनकी आवश्यक भूमिका के कारण महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, कंपनी ने 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में विविधीकरण किया है। आपकी कंपनी ने महत्वपूर्ण खनिजों की चौथी नीलामी में भाग लिया है और उसे अरुणाचल प्रदेश में एक ग्रेफाइट और वैनेडियम ब्लॉक, अर्थात् फोप ब्लॉक, प्राप्त हुआ है। कंपनी ने स्थानीय समुदाय की सहमति, भूकर सत्यापन, भूमि सर्वेक्षण, वन मंजूरी आदि सहित सांविधिक मंजूरियों के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। समग्र लाइसेंस (सीएल) प्राप्त होने पर, कंपनी पर्यावरणीय और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में भूवैज्ञानिक मानचित्रण, ड्रिलिंग और संसाधन मूल्यांकन सहित व्यवस्थित अन्वेषण गतिविधियाँ प्रारंभ करेगी।

कम्प्रेस्ड (संपीड़ित) बायोगैस (सीबीजी): कंपनी ने देश भर में 25 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और सीबीजी परियोजनाओं के विकास की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। परियोजना कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, कंपनी ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), नगर निगमों और अन्य संबंधित सरकारी प्राधिकरणों के साथ सात समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और रियायतग्राही समझौतों (सीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। दो स्थानों के लिए ईपीकॉम संविदा के लिए अवॉर्ड पत्र (एलओए) जारी किए गए हैं और तीन और स्थानों के लिए निविदाएं प्रकाशित की गई हैं।

हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के दभोटा में 1 मेगावाट जीएच2 संयंत्र की स्थापना: स्वच्छ ऊर्जा पहल के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में 1 मेगावाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र विकसित कर रही है। दीर्घकालिक, दक्ष संचालन के लिए डिज़ाइन की गई यह प्रणाली सतत नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हरित ऊर्जा भविष्य की ओर पारगमन के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देती है।

स्टार्ट-अप कार्यक्रम: कंपनी ने एक हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक बस विकसित की है। कंपनी सुरक्षित और टिकाऊ हाइड्रोजन परिवहन को सुगम बनाने के लिए अपनी स्टार्टअप पहल एसएनईएच के माध्यम से लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर (एलओएचसी) तकनीक पर भी काम कर रही है। इसके अलावा, 1 एमटीपीडी ग्रीन हाइड्रोजन और 5 एमटीपीडी ग्रीन अमोनिया सुविधा के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए "द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड" के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन: असम के जोरहाट में एईएम इलेक्ट्रोलाइजर आधारित पायलट प्लांट संस्थापित किया गया है। एनीसीएल को ओआईएल आवासीय कॉलोनी के भीतर अपने मौजूदा पीएनजी नेटवर्क में पाइप प्राकृतिक गैस के साथ 2% मिश्रण के लिए पीएनजीआरबी की मंजूरी मिल गई है और कंपनी एनीसीएल के सहयोग से पीएनजी के साथ 2% मिश्रण जारी रख रही है और मिश्रित गैस की आपूर्ति कर रही है।

14. भावी दृष्टिकोण

क) कंपनी का पूर्वोत्तर असम शेल्फ बेसिन में मुख्य उत्पादन क्षेत्र (एमपीए) एक प्रचुर तटीय बेसिन है जिसमें अभी भी काफी खोजी जानी बाकी है (वाईटीएफ)। कंपनी ओएएलपी व्यवस्था के माध्यम से अपनी क्षेत्रफल स्थिति को सुदृढ़ कर रही है और खनन पट्टा क्षेत्रों और अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्रों, दोनों में अन्वेषण गतिविधियों में तीव्रता लाई जाएगी।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 22 (बाईस) अन्वेषण कूप, 35 (पैंतीस) विकास कूपों का वेधन किया है और ड्रिलिंग के लिए 96 नए स्थान सृजित किए हैं। अगले कुछ वर्षों में, कंपनी भारत के विभिन्न अवसादी बेसिनों, दोनों स्थलीय और अपतटीय क्षेत्रों में फैले अपने पीईएल/पीएमएल में ड्रिलिंग की गति को जारी रखने की योजना बना रही है।

ग) नए तेल और गैस भंडारों की खोज पर अपने रणनीतिक फोकस के हिस्से के रूप में, कंपनी ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट और पूर्वोत्तर भारत के फोल्ड बेल्ट क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियाँ कर रही है, जो भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन के लिए भूवैज्ञानिक रूप से संभावित हैं।

घ) पूर्वोत्तर और राजस्थान के अलावा, कंपनी ने क्षेत्रीय स्तर के जीएंडजी अध्ययन पूरे कर लिए हैं और महानदी ऑनलैंड और अंडमान ऑफशोर में ड्रिलिंग गतिविधियाँ शुरू कर रही है और हाइड्रोकार्बन भंडार स्थापित करने की तलाश में केरल-कोंकण ऑफशोर में ड्रिलिंग शुरू करने की भी योजना बना रही है।

ङ) हाल ही में, ओएएलपी बोली राउंड IX के तहत, कंपनी को कुल 40,590 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ ऑपरेटर के रूप में कुल 6 ब्लॉक (महानदी और केजी अल्ट्रा-डीप ऑफशोर में 2-2 ब्लॉक और गुजरात ऑनशोर और मेघालय में 1-1 ब्लॉक) और 10,965 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ गैर-ऑपरेटर के रूप में ओएनजीसी के साथ संयुक्त रूप से 3 ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रमों के अनुरूप अन्वेषण अभियान की योजना बनाई जा रही है तथा इन ब्लॉकों में पीईएल प्रदान किए जाने के बाद गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

च) कंपनी ने तेल और गैस अन्वेषण के लिए मौजूदा उद्योग प्रथाओं के साथ एकीकरण के लिए विविध उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को शामिल किया है और इसमें एयरबोर्न ग्रेविटी ग्रैडिओमेट्री और ग्रेविटी मैग्नेटिक (एजीजी और जीएम) सर्वेक्षण शामिल है, जो उन क्षेत्रों को कवर करता है जो सतही रसद के कारण भूकंपीय रूप से कवर नहीं किए जा सकते थे, निष्क्रिय भूकंपीय टोमोग्राफी (पीएसटी) उपसतह छवि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जहां उपलब्ध भूकंपीय डेटा सतह और उप-सतह जटिलताओं के कारण विरल और चुनौतीपूर्ण है और कम आवृत्ति निष्क्रिय भूकंपीय (एलएफपीएस) सर्वेक्षण अन्य के अलावा हाइड्रोकार्बन के संकेत देने वाले वर्णक्रमीय हस्ताक्षरों की पहचान करने के लिए।

छ) कंपनी अपने मौजूदा भूकंपीय डेटा प्रोसेसिंग एवं इमेजिंग केंद्र को प्रोसेसिंग, रिजर्वियर इमेजिंग एवं सबसरफेस मॉडलिंग (पीआरआईएसएम) केंद्र नामक केंद्रीकृत केंद्र में अपग्रेड और चालू करने के उन्नत चरण में है, जो नवीनतम हाइब्रिड सीपीयू-जीपीयू सेटअप के साथ जटिल ऑनशोर और ऑफशोर भूकंपीय डेटा प्रोसेसिंग और उन्नत इमेजिंग वर्कफ़्लो को संभालेगा, जो भारत के ईएंडपी उद्योग में अपनी तरह का पहला उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग केंद्र (एचपीसीसी) है। यह रणनीतिक पहल कंपनी की मौजूदा अन्वेषण और विकास क्षमताओं को सुदृढ़ करेगी और गुणवत्ता और समय के प्रति जागरूक तरीके से जीएंडजी परियोजना वितरण को गति प्रदान करेगी।

ज) कंपनी ने उत्पादन वृद्धि अनुबंधों के लिए अपने कुछ क्षेत्रों को साझा किया है। कंपनी ने तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने, मौजूदा क्षेत्रों से वसूली को अधिकतम करने, विकास योजनाओं में तेजी लाने, गैर-उत्पादक पीएमएल और गैर-मुद्रीकृत खोजों के मुद्रीकरण आदि पर काम किया है।

झ) ऊपरी असम बेसिन के अपने परिपक्व क्षेत्रों से वसूली बढ़ाने के लिए, जल इंजेक्शन और अन्य आईओआर/ईओआर तकनीकों को लगातार अपनाया जा रहा है। उत्पादन को अधिकतम करने के लिए ऊपरी असम बेसिन में हाइड्रोफ्रैक और रेडियल ड्रिलिंग का भी उपयोग किया जाता है। कंपनी ने राजस्थान क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीएसएस तकनीक को सफलतापूर्वक उन्नत किया है। कंपनी राजस्थान क्षेत्र में अपर कार्बोनेट से उत्पादन स्थापित करने के लिए भी प्रयास कर रही है।

ञ) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संसाधनों के कुशल उपयोग, बेहतर रिकवरी

दरों और अनुकूलित संचालन को संभव बनाता है। आपकी कंपनी ने कई अत्याधुनिक तकनीकों और समाधानों को अपनाया है जैसे प्लंजर लिफ्ट, मल्टी-केस्रिंग थिकनेस डिटेक्टर, स्टैब-इन सीमेंटिंग, डीजल ऑक्सीडेशन कैटेलिस्ट, डायनेमिक गैस ब्लेंडिंग, सिंगल स्ट्रिंग मल्टी-ज़ोन कम्पलीशन, एमईओआर, प्रोपेलेंट स्टिमुलेशन, कॉम्पैक्ट वेल-हेड, इनोवेशन फैक्टरी सॉल्यूशंस (वेल पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़र), डाउनहोल केमिकल इंजेक्शन मैंड्रेल और अन्य। कंपनी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से कई महत्वपूर्ण अध्ययन भी कर रही है, जैसे सीओ2 से सिंथेटिक विमानन ईंधन (एसएएफ) पर व्यवहार्यता अध्ययन, डीजल-मेथनॉल मिश्रण के लिए योजक का विकास, संसाधन पुनर्प्राप्ति और शून्य द्रव उत्सर्जन (जेडएलडी) के साथ उत्पादित जल उपचार, तेल क्षेत्र रसायन (ओएफसी) का विकास, आदि। आरटीपीएमए (रियल टाइम प्रोडक्शन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस) जैसी डिजिटल तेल क्षेत्र तकनीकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि वास्तविक समय की निगरानी और नियंत्रण की सुविधा मिल सके, उत्पादन को अधिकतम करते हुए डाउनटाइम और परिचालन जोखिमों को कम किया जा सके। इसके अलावा, पूर्वानुमानित रखरखाव, स्थिति आधारित रखरखाव (सीबीएम) प्रणाली, स्मार्ट सेंसर और डेटा-संचालित निर्णय लेने का एकीकरण न केवल उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बाजार में लागत-प्रभावशीलता, पर्यावरण अनुपालन और सतत क्षेत्र विकास भी सुनिश्चित करता है।

ट) आपकी कंपनी स्वच्छ और सतत ऊर्जा की ओर अपने परिवर्तन को आगे बढ़ा रही है। अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का और विस्तार करने के लिए, कंपनी ने राजस्थान में 1,000 मेगावाट सौर और 200 मेगावाट पवन परियोजनाओं के विकास के लिए आरआरवीयूएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ संयुक्त उद्यम का गठन वर्तमान में प्रगति पर है।

ठ) कंपनी पारंपरिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के अलावा, गैर-पारंपरिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर भी विचार करेगी। कंपनी का एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का एक मजबूत दृष्टिकोण है, जिसकी ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति हो। इसे प्राप्त करने के लिए योजनाएँ मौजूद हैं:

- वर्तमान ईएंडपी प्रचालनों का लाभ उठाकर कार्बन पृथक्करण, भू-तापीय और गैस भंडारण जैसे क्षेत्रों में प्रवेश के लिए कार्य प्रगति पर हैं।
- कंपनी रिफाइनिंग, पेट-केमिकल, सीजीडी/एलएनजी टर्मिनल और बेड़े सहित अन्य क्षेत्रों में अपने मजबूत डाउनस्ट्रीम पोर्टफोलियो को मजबूत करने की भी योजना बना रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) यह मानता है कि व्यवसाय उत्तरदायित्व में शेयरधारक मूल्य सृजन से आगे बढ़कर उन समुदायों के लिए सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देना शामिल है जिनमें यह संचालित होता है। इसी विश्वास के आधार पर, ओआईएल की सीएसआर एवं संधारणीय विकास (एसडी) नीति समावेशी विकास को गति देने के लिए अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करती है।

एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, ओआईएल अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संधारणीयता को एकीकृत करता है। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, कंपनी विश्वास को बढ़ावा देने, हितधारक जुड़ाव को बढ़ाने और राष्ट्र के विकास एजेंडे में योगदान करते हुए ट्रिपल बॉटम लाइन - आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन - को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है।

ओआईएल की सीएसआर एवं एसडी नीति, पहलों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और निगरानी करने, सूचित निर्णय लेने और कार्यान्वयन योग्य वार्षिक योजनाओं के विकास के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। कंपनी का सीएसआर दर्शन एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के उसके दृष्टिकोण पर आधारित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और उसके संशोधनों के अनुरूप, ओआईएल स्वास्थ्य सेवा, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, सतत आजीविका, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरणीय स्थिरता, खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को कवर करने वाली सीएसआर गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन करता है।

इसके अलावा, ओआईएल के सीएसआर प्रयास संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसजीडी) को हासिल करने में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, लैंगिक समानता और समावेशी आर्थिक विकास में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऑयल की प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ

क) स्वास्थ्य सेवा

i) ओआईएल स्पर्श

यह परियोजना असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में ऑयल के प्रचालन क्षेत्रों के दूरदराज के गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती है। मोबाइल स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से, यह पहल गैर-संचारी, पुरानी और सामान्य बीमारियों का निदान और उपचार, प्रयोगशाला परीक्षण और योग्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा निर्धारित निःशुल्क दवाएँ प्रदान करती है। ओआईएल स्पर्श टीम जीवनशैली और संचारी रोगों पर परामर्श और जागरूकता सत्र भी प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 1,152 मोबाइल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनसे 58,994 मरीज लाभान्वित हुए।

ii) ओआईएल आरोग्य

ओआईएल आरोग्य असम में ओआईएल के प्रचालनात्मक जिलों में शिशु और मातृ मृत्यु दर (आईएमआर/एमएमआर) को कम करने के उद्देश्य से एकीकृत स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। इस परियोजना ने स्वास्थ्य निगरानी के माध्यम से 1,175 महिलाओं को सहायता प्रदान की, 932 बच्चों का टीकाकरण किया, 2,706 लाभार्थियों के लिए 24 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए और 3,602 महिलाओं को शामिल करते हुए स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर 72 सामुदायिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। यूनिसेफ के साथ एक वॉश अभियान ने 5,035 व्यक्तियों को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, 5 महिला-नेतृत्व वाले समूहों ने स्वास्थ्य सेवा-आधारित सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा दिया, 12 पोषण उद्यान स्थापित किए गए, और 2,400 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किट और 393 शिशु देखभाल किट वितरित किए गए। इस परियोजना ने 15,267 लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला, और हस्तक्षेप क्षेत्रों में लगभग 100% संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए।

iii) ओआईएल शक्ति

असम के ओआईएल के प्रचालनात्मक जिलों में कार्यान्वित, ओआईएल शक्ति, साथिया क्लबों की ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रबंधित सामुदायिक-आधारित सैनिटरी नैपकिन उत्पादन, वितरण और जागरूकता निर्माण इकाइयों के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता को संबोधित करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ऐसी दो यूनिटों ने 33,900 सैनिटरी पैड का उत्पादन किया, जिससे 6,682 महिलाओं और किशोरियों को लाभ हुआ। इस परियोजना ने 1,647 महिलाओं और लड़कियों के लिए 24 मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित करके और 24 स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और इंसिनरेटर लगाकर 1,800 सैनिटरी पैड उपलब्ध कराकर व्यवहार परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया। ऑयल शक्ति का उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करते हुए पहुँच, सामर्थ्य और जागरूकता में सुधार लाना है।

iv) स्वच्छ भारत अभियान

ऑयल इंडिया, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में अपने परिचालन जिलों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक पहल के रूप में स्वच्छ भारत मिशन का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।



- **ओआईएल आरोग्य के अंतर्गत लाभार्थियों को पोषण किट वितरित की जा रही हैं।**

वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने 13 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं की स्थापना, स्वच्छता अभियान, रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, दीवार चित्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन और खाद बनाने पर कार्यशालाएँ, वाश अभियान, वृक्षारोपण, और कपड़े के थैलों, पर्यावरण-अनुकूल कूड़ेदानों और स्वच्छता एवं पोषण किटों के वितरण सहित कई गतिविधियाँ शुरू कीं।

v) ओआईएल मुस्कान

'क्लेफ्ट मुक्त पूर्वोत्तर' के लिए प्रतिबद्ध, ओआईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में असम, अरूणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में अपने परिचालन क्षेत्रों में क्लेफ्ट विकृति वाले वंचित बच्चों के लिए 200 सर्जरी का समर्थन किया। मिशन स्माइल और असम सरकार के साथ साझेदारी में, यह परियोजना एक ही छत के नीचे व्यापक क्लेफ्ट देखभाल प्रदान करती है, जिसमें सर्जरी, पोषण, बाल जीवन परामर्श, स्पीच थेरेपी, दंत चिकित्सा और ईएनटी सेवाएँ शामिल हैं।

vi) ओआईएल नर्सिंग स्कूल

ओआईएल इंडिया अस्पताल, दुलियाजान स्थित ऑयल नर्सिंग स्कूल, सक्षम स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी (जीएनएम) में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्रदान करता है। असम नर्सेज मिडवाइव्स एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल और भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त, यह स्कूल प्रतिवर्ष 30 छात्रों को प्रवेश देता है। डिप्लोमा पूरा करने के बाद, छात्र ओआईएल अस्पताल में एक वर्षीय वजीफा प्राप्त पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ट्रेनिंग (पीक्यूसीटी) से गुजरते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, डिप्लोमा के सभी वर्षों में 85 छात्रों और पीक्यूसीटी में 33 महिलाओं को नामांकित किया गया, जिनमें से अधिकांश असम और अरूणाचल प्रदेश में ओआईएल के प्रचालन क्षेत्रों से थीं।

vii) ओआईएल आशा

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाल कैंसर जागरूकता माह के दौरान शुरू की गई, ओआईएल आशा, पूर्वोत्तर के एकमात्र बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी केंद्र, डॉ. बी. बरुआ कैंसर संस्थान (बीबीसीआई) गुवाहाटी में कैंसर से जूझ रहे वंचित बच्चों (0-18 वर्ष) को पोषण सहायता प्रदान करती है। यह परियोजना पोषण प्रबंधन, परामर्श एवं देखभालकर्ता शिक्षा, तथा मूल्यांकन पर केंद्रित है। वर्ष के दौरान, 1,471 बच्चों को बीबीसीआई के डॉक्टरों के सहयोग से योग्य विशेषज्ञों द्वारा भोजन में पूरक आहार, गर्म भोजन, परिवारों के लिए मासिक राशन के बंडल, खाना पकाने के सेट और निरंतर पोषण परामर्श प्रदान किया गया। यह पहल मुख्य रूप से ओआईएल के प्रचालन वाले राज्यों असम, अरूणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में कार्यरत है।

viii) अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ऑयल ने अपने प्रचालन क्षेत्रों के भीतर और बाहर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रमुख योगदानों में असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, डिब्रूगढ़ में 37 बिस्तरों वाली बहुमंजिला, पूरी तरह सुसज्जित रोगी देखभाल सुविधा का निर्माण; प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 हेमोडायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम को सहायता; और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को आधुनिक यूरोलॉजिकल सर्जरी उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।

उपरोक्त प्रमुख कार्यक्रमों के अलावा, कंपनी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रभावशाली स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी पहलों को भी लागू किया है। इनमें परिहार्य अंधेपन से निपटने के लिए एक अभियान, अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्रों की स्थापना, ऑन्कोलॉजी उपचार में सहायता के लिए सीओ2 डायोड लेजर मशीनों का प्रावधान, सामुदायिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ओपन जिम का निर्माण और एनीमिया से निपटने के लिए हस्तक्षेप शामिल हैं।

ख) शिक्षा

i) ओआईएल प्रज्ञान सुपर 30

ओआईएल प्रज्ञान, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज के वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को सशक्त बनाने के लिए ऑयल इंडिया का एक प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम है। यह जेईई और एनईईटी परीक्षाओं के लिए 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग और शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश संभव हो पाता है। इस परियोजना के तहत, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं (जेईई मेन्स और एडवांस) के लिए कोचिंग 5 केंद्रों पर प्रदान की जाती है, अर्थात असम में गुवाहाटी, नागांव और डिब्रूगढ़, अरूणाचल प्रदेश में ईटानगर और राजस्थान में जोधपुर, जबकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा

(एनईईटी) के लिए कोचिंग विशेष रूप से असम के जोरहाट केंद्र में प्रदान की जाती है। इस परियोजना ने छात्रों को आईआईटी और एनआईटी सहित प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने में सक्षम बनाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 200 छात्रों (इंजीनियरिंग: 150 और मेडिकल: 50) को नामांकित किया गया और विभिन्न केंद्रों में कोचिंग प्रदान की गई, लगभग 93% इंजीनियरिंग उम्मीदवारों ने जेईई मुख्य (मेन्स) उत्तीर्ण किया।

ii) ओआईएल जिज्ञासा

ओआईएल जिज्ञासा के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रौद्योगिकी-संचालित, नवीन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण सरकारी स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यवर्धित एसटीईएम गतिविधियों के साथ-साथ एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) और आईसीटी (कंप्यूटर) प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। इस परियोजना का उद्देश्य कक्षा VI से X तक के छात्रों में एसटीईएम विषयों के प्रति जिज्ञासा जगाना और रुचि बढ़ाना है, साथ ही विज्ञान और गणित में शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू की गई इस पहल को ऊपरी असम के ओआईएल के प्रचालन क्षेत्रों के 24 स्कूलों में लागू किया गया, जिससे 6,265 ग्रामीण छात्र लाभान्वित हुए। यह परियोजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देती है।

iii) ओआईएल सृष्टि

ओआईएल अपने प्रचालन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शिक्षा व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ओआईएल ने असम और अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढाँचे के विकास का समर्थन किया। कंपनी ने 29 कक्षाओं, 43 स्कूलों की चारदीवारी, 2 स्कूल सभागारों और 2 खेल के मैदानों के निर्माण में सहायता की - कुल 76 बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ - जिनका उद्देश्य छात्रों के लिए एक अधिक अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करना था।

iv) ओआईएल दिशा

ओआईएल ने सीएसआर के तहत चाय जनजाति समुदाय के 20 मेधावी वंचित छात्रों को गुवाहाटी में एपीएससी/ यूपीएससी कोचिंग के लिए सहायता प्रदान की।

अपनी विविध सीएसआर पहलों को जारी रखते हुए, कंपनी ने शिक्षा संवर्धन के क्षेत्र में भी कई हस्तक्षेप किए। इनमें सरकारी स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार, कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में उन्नत करना, एसटीईएम शिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत, कंप्यूटर लैब सह डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना और छात्रों को डिस्क सहित शैक्षिक बैग का वितरण शामिल है।

ग) कौशल विकास

i) ओआईएल स्वावलंबन

ओआईएल स्वावलंबन, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अन्य क्षेत्रों के ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रचालन क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को एनएसडीसी द्वारा प्रमाणित उद्योग-संबंधित अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्लेसमेंट से जुड़े कौशल और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करता है। व्यापार-विशिष्ट प्रशिक्षण के अलावा, यह परियोजना रोजगार क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स, व्यक्तित्व विकास, उद्योग सुरक्षा और कंप्यूटर कौशल पर जोर देती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, खाद्य एवं पेय सेवा सहायक, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट और अतिथि सेवा एसोसिएट-हाउसकीपिंग (आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र कौशल परिषद के तहत) में प्रशिक्षित 660 उम्मीदवारों में से, 625 को रोजगार मिला, जिससे 94.70% प्लेसमेंट दर प्राप्त हुई।

ii) आईटीआई लाहोवाल: ओआईएल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

भारत सरकार के कौशल भारत अभियान के अनुरूप, ऑयल इंडिया लिमिटेड, रोजगार एवं शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय (डीईसीटी), भारत सरकार के साथ साझेदारी में, 2024-25 में 1000 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार मिला है। असम सरकार ने आईटीआई लाहोवाल को कौशल विकास के लिए एक ओआईएल इंडिया उत्कृष्टता केंद्र में बदल दिया है। यह केंद्र कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, मैकेनिक-डीज़ल और इलेक्ट्रीशियन ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करता है, साथ ही व्यवहार कौशल, अंग्रेजी साक्षरता, श्रम कल्याण, उद्यमिता और कार्यस्थल दक्षता को कवर करने वाले रोजगार कौशल पर मॉड्यूल भी प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 107 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया।

iii) हस्तशिल्प, हथकरघा और उद्यमिता के लिए ओआईएल उत्कृष्टता केंद्र

1984 में स्थापित और हाल ही में उन्नत, यह केंद्र पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का उपयोग करके स्वदेशी शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देकर असम में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इसने बांस, जलकुंभी और रचनात्मक वस्त्रों में 225 महिला कारीगरों को प्रशिक्षित और समर्थित किया, और एनएसडीसी-प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान किए। केंद्र कौशल विकास, विपणन सहायता और उत्पाद पोर्टफोलियो निर्माण के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देता है। यह दो सहकारी समितियों को भी सहायता प्रदान करता है और तिनसुकिया तथा डिब्रूगढ़ में तीन सामुदायिक स्पोक केंद्रों का संचालन करता है जो प्रशिक्षण, उत्पादन और विपणन इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा

देने के लिए एक बांस की छड़ी बनाने की इकाई की स्थापना की गई, जिसने वर्ष के दौरान कुल 14.4 लाख छड़ियों (550 किलोग्राम) का उत्पादन किया। यह केंद्र जैविक रंगों और प्राकृतिक रेशों के उपयोग को बढ़ावा देकर सरकार की 'पर्यावरण के लिए जीवनशैली' पहल के अनुरूप है।

iv) कौशल विकास संस्थान, गुवाहाटी (एसडीआईजी)

कौशल विकास संस्थान, गुवाहाटी (एसडीआईजी) की स्थापना ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अन्य तेल एवं गैस सार्वजनिक उपक्रमों, जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल इंडिया, बामर लॉरी और ईआईएल के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के वंचित युवाओं की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करना और हाइड्रोकार्बन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। संस्थान एनसीवीटी/एससीवीटी और एनएसक्यूएफ/एसएससी-अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 560 उम्मीदवारों को सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, औद्योगिक वेल्डर (तेल एवं गैस), औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन (तेल एवं गैस), सौर पीवी इंस्टॉलर जैसे ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया ताकि हरित ऊर्जा पहलों का समर्थन किया जा सके। इसके अलावा, पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन, ऑटोमोटिव सेवा तकनीशियन, कॉफी ब्रूइंग स्टीवर्ड आदि जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में भी 540 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नौकरी मिली।

v) ओआईएल स्वनिर्भर कंप्यूटर सेंटर

ओआईएल असम स्थित अपने स्वनिर्भर कॉम्प्लेक्स में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत स्वनिर्भर कंप्यूटर सेंटर का संचालन करता है, जो अपने प्रचालन क्षेत्रों के छात्रों और बेरोजगार युवाओं को अल्पकालिक व्यावसायिक कंप्यूटर पाठ्यक्रम (2-6 महीने) प्रदान करता है। पाठ्यक्रमों में बेसिक आईटी, डीटीपी, वेब पेज डिज़ाइनिंग, टैली, सी लैंग्वेज, सी++, जावा, लिनक्स, विज़ुअल बेसिक और वीबी स्क्रिप्ट शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 429 छात्रों ने सफलतापूर्वक सरकारी प्रमाणित प्रशिक्षण पूरा किया।

ओआईएल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, भुवनेश्वर के सहयोग से, 30-30 छात्रों के साथ दो छह-माह के कौशल विकास कार्यक्रम, मशीन ऑपरेटर-प्लास्टिक प्रोसेसिंग और मशीन ऑपरेटर टूल रूम (एमओटीआर) आयोजित कर रहा है।

घ) सतत आजीविका

i) ओआईएल रूपांतर

ओआईएल रूपांतर की शुरूआत प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के बीच



ओआईएल स्वाबलंबन के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र

उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ऊपरी असम में ओआईएल के परिचालन क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए की गई थी। इस परियोजना ने 428 संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को समर्थन दिया, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,925 परिवारों को लाभ हुआ, जिसमें हथकरघा, कृषि मशीनीकरण, कृषि उत्पाद वाहक, बायोफ्लोक जलीय कृषि और पावर रीपर समूह शामिल हैं। एक समर्पित विपणन केंद्र, आस्था, एसएचजी/जेएलजी को बाजार तक पहुँच में सहायता करता है। उल्लेखनीय रूप से, बाघजान में 500 बुनकरों को असमिया गमोसा बनाने वाले क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया, जो 2,370 गमोसा का विपणन करता है, जिसमें 20 सफल बुनकरों को बॉल-बेयरिंग जैक्वार्ड मशीनें प्राप्त हुई हैं। सभी समूहों को स्थायी आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने के लिए कौशल विकास, प्रबंधन प्रशिक्षण और वित्तीय/भौतिक सहायता प्रदान की गई।

ii) कृषि विकास परियोजना

यह परियोजना कृषि विभाग, असम सरकार और असम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विशेषज्ञों के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि उपज को अधिकतम करने के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देती है, साथ ही उच्च उपज वाले बीजों, जैविक खाद और कृषि उपकरणों का वितरण भी करती है। यह पाथेर परिचालोना समितियों (पीपीएस) के अंतर्गत गाँवों के माध्यम से बहु-फसलीय खेती और कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इस परियोजना ने 24 गाँवों में 4,200 बीघा में साली धान की खेती (3,720 कृषक परिवारों को लाभान्वित), 26 गाँवों में 2,360 बीघा में रबी फसलों (4,185 परिवारों) को सहायता प्रदान की, और 5 गाँवों (300 बीघा, 240 परिवारों) में खरीफ-पूर्व फसलों की शुरूआत की।

iii) ओआईएल जीविका

ओआईएल जीविका एक क्लस्टर-आधारित विविध आजीविका पहल है जिसका उद्देश्य असम में ओआईएल के प्रचालन क्षेत्रों, विशेष रूप से तिनसुकिया जिले के हापजान और गुइजान ब्लॉकों में स्थायी आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना है। वित्त वित्त वर्ष 2024-25 में, परियोजना ने चार समूहों - चाय, खट्टे फल (संतरा और असम नींबू), मसाले (अदरक, हल्दी, काली मिर्च, किंग मिर्च) और बांस - में स्वदेशी समुदायों को शामिल किया, जिससे 14 गांवों में 238.76 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया और 1,095 परिवारों को लाभ हुआ। किसानों को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता शिक्षा, विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली कार्यशालाएँ और कृषि इनपुट प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, संस्थागत संपर्क और वित्तीय सहायता से 17 किसान उत्पादक समूहों का गठन किया गया, 10 प्रदर्शन भूखंड विकसित किए गए, और नई मूल्यवर्धित इकाइयाँ जैसे कि एक अगरबत्ती रोलिंग इकाई (कुल 770 किलोग्राम रोल्ड और सुगंधित अगरबत्ती का उत्पादन) और एक 250 मीट्रिक टन/वर्ष वर्मीकम्पोस्ट इकाई स्थापित की गईं, साथ ही एक 500 किलोग्राम/घंटा मसाला प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत भी की गई।

अन्य परियोजनाओं में त्रिपुरा में आजीविका संवर्धन के लिए एकीकृत सुगंधित पुष्प ग्राम शामिल है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों का उत्थान करना है, जिससे आजीविका में वृद्धि होगी।

ड़) संधारणीय पर्यावरण

i) ओआईएल वसुंधरा

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम वन विभाग के डिगबोई वन प्रभाग के सहयोग से अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल, ओआईएल वसुंधरा के तहत बंबूसेटम और दिहिंग पटकाई इको डिस्कवरी सेंटर की स्थापना की। 2 हेक्टेयर में फैले इस बाँस-सेटम में आरएफआरआई, जोरहाट के सहयोग से पूरे भारत से एकत्रित लगभग 50 बाँस प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया है। यह सुविधा स्वदेशी बाँस प्रजातियों के संरक्षण, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने, सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने और बाँस के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व को उजागर करने पर केंद्रित है।

ओआईएल ने नागालैंड में इंटंकी वन विकास एजेंसी के साथ मिलकर इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान को सतत विकास, संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता के एक मॉडल में बदलने के साथ-साथ पारिस्थितिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है।



ओआईएल वसुन्धरा के अंतर्गत बम्बूसेटम की स्थापना

पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऑयल इंडिया ने पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर और भुवनेश्वर स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में बैटरी चालित ई-रिक्शा भी परिनियोजित किए हैं।

च) खेलों को संवर्धन

i) ओआईएल इंडिया ग्रामीण खेल

ऑयल इंडिया ग्रामीण क्षेत्रों के उभरते एथलीटों के लिए एक मंच प्रदान करके एथलेटिक्स को बढ़ावा देता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ऑयल इंडिया के प्रचालन जिलों - असम में डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और चराईदेव, और अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग - में एथलेटिक्स पर केंद्रित आठ ग्रामीण खेल कार्यशालाएँ और जमीनी स्तर के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

ii) ओआईएल लक्ष्य

'ओआईएल लक्ष्य' ने नवोदित खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने वाले प्रमाणित ग्रामीण प्रशिक्षकों के माध्यम से पेशेवर कोचिंग प्रदान करके फुटबॉलर बनने के इच्छुक ग्रामीण युवाओं के सपनों को साकार किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, असम के चार ओआईएल परिचालन जिलों में 35 जमीनी स्तर के फुटबॉल केंद्र स्थापित किए गए, जिससे 56 ओआईएल-प्रायोजित प्रमाणित कोचों (ई, डी और सी स्तर) के अधीन लगभग 1,980 खिलाड़ी लाभान्वित हुए, जिनमें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) द्वारा लाइसेंस प्राप्त 40 पुरुष और 16 महिला कोच शामिल हैं। इस परियोजना ने 73 टीमों (अंडर-14, अंडर-16 लड़के और अंडर-16 लड़कियां) द्वारा खेले गए 102 मैचों के साथ 'ओआईएल लक्ष्य विकास लीग' की शुरुआत की, और एआईएफएफ के साथ साझेदारी में ब्लू क्यूब्स बेबी लीग (अंडर-10 और अंडर-12) का शुभारंभ किया, जिसमें 8 टीमों के बीच 112 मैच शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दो महिला टीमें (अंडर-15 और सीनियर स्तर) विकसित की गईं। फुटबॉल कौशल के अलावा, यह परियोजना पर्यावरण जागरूकता और वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देती है।

iii) खेल अवसंरचना का विकास

अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के अंतर्गत, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने असम के जोरहाट में एक उच्च-प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के लिए एनआरएल और असम सरकार के साथ सहयोग किया। इस केंद्र का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएँ प्रदान करके राज्य में उभरती प्रतिभाओं और खिलाड़ियों का समर्थन करना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम और अरुणाचल प्रदेश में अपने प्रचालन क्षेत्रों में और उसके आसपास सात सामुदायिक खेल के मैदान विकसित किए, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को लाभ हुआ।

छ) दिव्यांगजनों का कल्याण

i) ओआईएल सक्षम

यह पहल मृणालज्योति पुनर्वास केंद्र, दुलियाजान में स्थित व्यावसायिक केंद्र 'पुष्पदालम' में दिव्यांगजनों के लिए सतत शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देती है। यह दिव्यांगजनों को विपणन योग्य वस्तुओं के उत्पादन के माध्यम से आजीविका कमाने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, परियोजना ने समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समुदाय-आधारित पुनर्वास और जागरूकता कार्यक्रमों में भी सहायता प्रदान की, जिसका असम में 1,099 बच्चों और दिव्यांगजनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

ज) ग्रामीण विकास

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के अंतर्गत, ओआईएल ने परियोजना 'ओआईएल निर्माण' और परियोजना 'ओआईएल उन्नति' के माध्यम से असम और अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। **परियोजना 'ओआईएल निर्माण'** के अंतर्गत, लगभग 410 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें (345 सड़कें) और 219 पुलियाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनका निर्माण कार्य वर्तमान में दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार और परिवहन को आसान बनाने के लिए प्रगति पर है। साथ ही, परियोजना 'ओआईएल उन्नति' के माध्यम से, कंपनी ने 39 सड़क किनारे सार्वजनिक प्रतीक्षालय, 70 सामुदायिक हॉल/सांस्कृतिक केंद्र और 17 ग्रामीण सभागारों का विकास कार्य शुरू किया है, जिससे इन क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्ति का निर्माण और सामाजिक-सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा मिला है।

i) आकांक्षी ज़िलों का रूपांतरण

ओआईएल स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पोषण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से असम के आकांक्षी ज़िलों धुबरी और गोलपारा, तथा अरुणाचल प्रदेश के नामसाई के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ओआईएल की सीएसआर पहलों का ध्यान इन ज़िलों में स्वास्थ्य सेवा और पोषण में सुधार पर केंद्रित रहा। धुबरी में, विभिन्न ब्लॉकों के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रसव उपकरण सेट, रेडिएंट वार्मर और सौर इन्वर्टर प्रदान किए गए, साथ ही तीन ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयों की स्थापना भी की गई। गोलपारा को अपने 200-बिस्तर वाले ज़िला सिविल अस्पताल में पाइप से जलापूर्ति सुविधा का लाभ मिला, जबकि नामसाई में ज़िला सिविल अस्पताल के एमसीएच ब्लॉक में एक मॉड्यूलर ओटी सिस्टम की स्थापना हुई।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

समिति की संरचना और वर्ष 2024-25 के दौरान इसके सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	प्रवेश (आई)/ विदिति (सी) की तिथि	वर्ष के दौरान आयोजित बैठक	वर्ष के दौरान उपस्थिति
1	श्री राजू रेवाणकर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य अध्यक्ष	08.11.2024 (सी) 28.03.2025 (आई)	5	5
2	श्री रोहित माथुर, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	28.03.2025 (आई)	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री अभिजीत मजूमदार, निदेशक (वित्त)	सदस्य	20.11.2025 (आई)	1	1
4	सुश्री पूजा सूरी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	12.07.2022 (आई) 08.11.2024 (सी)	5	5
5	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई, निदेशक (प्रचालन)	अध्यक्ष	17.12.2024 (आई) 28.03.2025 (सी)	1	1
6	श्री विनोद शेषन, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	12.07.2022 (आई) 10.05.2024 (सी)	1	1

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	प्रवेश (आई)/ विरति (सी) की तिथि	वर्ष के दौरान आयोजित बैठक	वर्ष के दौरान उपस्थिति
7	श्री जॉर्ज थॉमस, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	13.05.2024 (आई) 22.03.2025 (सी)	5	5
8	स्वर्गीय श्री हरीश माधव, निदेशक (वित्त)	सदस्य	02.08.2019 (आई) 01.07.2024 (सी)	3	3
9	श्री पंकज कुमार गोस्वामी, निदेशक (प्रचालन)	सदस्य	02.07.2021 (आई) 01.10.2024 (सी)	4	4
10	श्री अशोक दास, निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	02.09.2022 (आई) 01.01.2025 (सी)	5	5

टिप्पणियाँ:

श्री राजू रेवाणकर 07.11.2024 तक सीएसआर और एसडी समिति के सदस्य थे और उन्हें 28.03.2025 को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

सुश्री पूजा सूरी और श्री राजू रेवाणकर ने 07 नवंबर, 2024 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। इसके बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडपीएनजी) के पत्र संख्या सीए-31033/2/2021-पीएनजी (39069) दिनांक 28.03.2025 के अनुसार, श्री बलराम नंदवानी, सुश्री पूजा सूरी और श्री राजू रेवाणकर को 28.03.2025 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री अशोक दास, निदेशक (मानव संसाधन) ने 01.07.2024 से 19.11.2024 तक की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला और उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य रहे।

श्री अशोक दास 31.12.2024 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 01.01.2025 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक (मानव संसाधन) के पद से मुक्त हो गए। निदेशक (मानव संसाधन) के पद का अतिरिक्त प्रभार डॉ. रंजीत रथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 01.01.2025 से 15.04.2025 तक की अवधि के लिए संभाला और उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य रहे।

श्री सलोमा योमदो, निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) ने 01.10.2024 - 16.12.2024 की अवधि के लिए निदेशक (प्रचालन) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला और उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य थे।

3. कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के विवरण वाले वेब लिंक प्रदान करें।

(क) **सीएसआर समिति की संरचना:** https://www.oil-india.com/files/2025-05/Corporate_Social_Responsibility_Sustainability_Development_Committee_Composition_0.pdf

(ख) **सीएसआर नीति:** https://www.oil-india.com/files/2025-03/OIL_CSR_and_SD_POLICY_2024.pdf

(ग) **बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ:** https://www.oil-india.com/csr-projects

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश, वेब लिंक सहित प्रदान करें, यदि लागू हो।

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के स्वतंत्र प्रभाव आकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सामाजिक निवेश पर प्रतिफल (एसआरओआई) ढांचे का उपयोग करते हुए एक तृतीय पक्षकार द्वारा तैयार किए गए सीएसआर पोर्टफोलियो में विभिन्न क्षेत्रों की कई परियोजनाएँ शामिल थीं। अध्ययन में कुल एसआरओआई 4.86:1 बताया गया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक ₹1 निवेश से ₹4.86 का सामाजिक मूल्य उत्पन्न हुआ। मूल्यांकन में पाया गया कि ओआईएल की सीएसआर पहल उच्च-प्रभावी, समावेशी और बहु-क्षेत्रीय हैं—हाशिए पर पड़े समुदायों को ठोस लाभ पहुँचाना, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, स्थायी रोज़गार का सृजन करना और पर्यावरणीय सह-लाभ प्रदान करना। कुल मिलाकर, ओआईएल के सीएसआर निवेशों ने समुदायों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में उल्लेखनीय सुधार किया है, निवेशित मूल्य का लगभग पाँच गुना प्रदान किया है और स्थायी सामुदायिक परिवर्तन के लिए मापनीय मॉडल प्रस्तुत किए हैं।

ओआईएल की पूर्व में संचालित सीएसआर परियोजनाओं की प्रभाव आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://www.oil-india.com/files/2025-08/Evaluation_Impact_Assessment_Report_of_OILs_CSR_Submitted_for_FY_23_24.pdf

5. क. धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: **₹ 5798.96 करोड़**

ख. धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: **₹ 115.98 करोड़**

ग. पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**

घ. वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

ङ. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)]: **₹ 115.98 करोड़**

6. क. सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं के अलावा दोनों) पर खर्च की गई राशि: **₹129.53 करोड़**

ख. प्रशासनिक उपरिव्ययों में खर्च की गई राशि: **शून्य**

ग. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: **₹ शून्य**

घ. वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि [(क)+(ख)+(ग)]: **₹129.53 करोड़**

ङ. वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि: **शून्य**

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
₹ 129.53 करोड़	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

च. सेट-ऑफ के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो:

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	115.98
ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	129.53
iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	13.55
iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	13.55

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ करोड़ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख		
1	वित्त-1 (2024-25)	शून्य	शून्य	129.53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वित्त -2 (2023-24)	शून्य	शून्य	122.80	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वित्त -3 (2022-23)	शून्य	शून्य	98.21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं या अधिग्रहित की गई हैं?: **नहीं**

यदि हाँ, तो सृजित की गई हैं या अधिग्रहित की गई पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें: **लागू नहीं**

वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित की गई हैं या अधिग्रहित की गई ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय राशि का विवरण प्रस्तुत करें।: **लागू नहीं**

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिन कोड	सृजन की तारीख	सीएसआर में खर्च की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत
लागू नहीं							

(सभी फ़ील्ड राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए अनुसार भरे जाने चाहिए, फ्लैट संख्या, मकान संख्या, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ ग्राम पंचायत का विवरण दिया जाना चाहिए और अचल संपत्ति का क्षेत्रफल तथा सीमाएँ भी दर्शाई जानी चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएँ: **लागू नहीं**

हस्ता /-

डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता /-

श्री राजू रेवाणकर
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति

निगमित (कॉरपोरेट) अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का कॉरपोरेट अभिशासन दर्शन

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) का मानना है कि कॉरपोरेट अभिशासन विभिन्न प्रमुख खिलाड़ियों के बीच जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जिम्मेदारी के बारे में है। हमारी शासन प्रणाली का उद्देश्य शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, संविदाकारों, विक्रेताओं और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए कंपनी के व्यवसाय के नैतिक और जिम्मेदार आचरण के उच्च मानकों को निर्धारित करना है। इसका उद्देश्य कंपनी और उसके हितधारकों के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत करना और कंपनी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी हितधारकों को इसकी आय और परिसंपत्तियों में उनका उचित हिस्सा मिले और सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया जाए। कंपनी अपने व्यवसायों को कानूनी, नैतिक और पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कॉर्पोरेट अभिशासन हमारी मूल्य प्रणाली को दर्शाता है। प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन के माध्यम से, बोर्ड एक ऐसी संस्कृति को अंतर्निहित और बनाए रखने का प्रयास करता है ।

2. निदेशक मंडल

2.1 संरचना

कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशक [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सहित], प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त स्वतंत्र निदेशक प्रबंधन, वित्त, प्रशासन आदि क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जिनके पास व्यापक अनुभव होता है।

कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल होने पर, स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की रूपरेखा, उसके व्यवसाय, उद्योग परिदृश्य, प्रचालन, संगठनात्मक संरचना, सांविधिक एवं नियामक जिम्मेदारियों से परिचित कराने के लिए एक परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

https://www.oil-india.com/files/2025-06/Schedule_16062025.pdf

31.03.2025 तक, कंपनी के बोर्ड में 8 (आठ) निदेशक शामिल थे, जिनमें 4 (चार) कार्यात्मक निदेशक [सीएमडी सहित], 1 (एक) सरकारी नामित निदेशक और 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

31.03.2025 तक निदेशक मंडल की संरचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	डॉ. रंजीत रथ	पूर्णकालिक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	02.08.2022
2	श्री सलोमा योमदो	पूर्णकालिक निदेशक	निदेशक (अन्वेषण एवं विकास)	19.07.2024
3	श्री अभिजीत मजूमदार	पूर्णकालिक निदेशक	निदेशक (वित्त)	20.11.2024
4	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई	पूर्णकालिक निदेशक	निदेशक (प्रचालन)	17.12.2024
5	श्री रोहित माथुर	गैर-कार्यकारी निदेशक	सरकार नामित निदेशक	13.05.2024
6	श्री बलराम नंदवानी	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	28.03.2025
7	श्री राजू रेवाणकर*	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	28.03.2025
8	सुश्री पूजा सूरी*	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	28.03.2025

*पूर्व कार्यकाल 18.11.2021 - 07.11.2024.

बोर्ड की राय में और सभी स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त प्रकटनों पर विचार करते हुए, सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कंपनी का कोई भी स्वतंत्र निदेशक ऐसा नहीं था जिसने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र दिया हो।

इसके अलावा, 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित निदेशक(कों) से प्राप्त प्रकटन के आधार पर, निदेशक आपस में एक-दूसरे से और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से भी

संबंधित नहीं हैं। स्वतंत्र निदेशक(कों) ने घोषणा की है कि वे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, व्यवसायरत कंपनी सेक्रेटरीज से एक प्रमाण पत्र, जो प्रमाणित करता है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है।

अभिनिर्धारित या उपलब्ध निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं को दर्शाने वाला एक विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक II)

बोर्ड को अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, नियमित अंतराल पर बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं और आवश्यक जानकारी/अद्यतन जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

2.2 बोर्ड की बैठकें

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करता है और अपने विज़न को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य निर्धारित करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारु और कुशल प्रवाह को सुगम बनाने के लिए बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 14 (चौदह) बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड बैठकों की तिथियां पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं और बोर्ड के सदस्यों को सूचित कर दिया जाता है ताकि निदेशक तदनुसार अपनी योजना बना सकें।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	तारीख	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	16.04.2024	8	8
2	20.05.2024	9	9
3	11.06.2024	9	9
4	28.06.2024	9	9
5	15.07.2024	7	7
6	08.08.2024	8	8
7	05.09.2024	8	8
8	24.09.2024	8	8
9	05.11.2024	7	7
10	18.12.2024	7	6
11	23.01.2025	6	6
12	07.02.2025	6	5
13	12.02.2025	6	6
14	13.03.2025	6	6

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक (65वीं एजीएम) और विभिन्न कंपनियों में प्रत्येक निदेशक की अन्य निदेशक पदों और समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	14.09.2024 को वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	31.03.2025 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद			अन्य सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यता/अध्यक्षता*		31.03.2025 तक धारित शेयरों की संख्या
			निदेशक होने की संख्या	कंपनी का नाम	श्रेणी	31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता	31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में समितियों की अध्यक्षता	
पूर्णकालिक निदेशक / कार्यात्मक निदेशक								
डॉ. रंजीत रथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [डीआईएन-08275277]	14/14	हाँ	1	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड.	अध्यक्ष	-	-	-
श्री सलोमा योमदो, निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) [डीआईएन: 10696034]	9/9	हाँ	1	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड.	निदेशक	-	-	1125

निदेशक का नाम	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	14.09.2024 को वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (हाँ/नहीं/ लागू नहीं)	31.03.2025 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद			अन्य सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यता/अध्यक्षता*		31.03.2025 तक धारित शेयरों की संख्या
			निदेशक होने की संख्या	कंपनी का नाम	श्रेणी	31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता	31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में समितियों की अध्यक्षता	
श्री अभिजीत मजूमदार निदेशक (वित्त) [डीआईएन: 10788427]	5/5	लागू नहीं	1	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	अतिरिक्त निदेशक	-	01	1530
श्री त्रैलोक्य बरगोहांई निदेशक (प्रचालन) [डीआईएन - 10788428]	5/5	लागू नहीं	1	ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	निदेशक	-	-	63
सरकार नामित निदेशक								
श्री रोहित माथुर निदेशक, एमओपी एवं एनजी [डीआईएन - 08216731]	13/13	हाँ	-	-	-	-	-	-
स्वतंत्र निदेशक								
श्री बलराम नंदवानी [डीआईएन: 00356119] [28.03.2025 से प्रभावी]	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
सुश्री पूजा सूरी** [डीआईएन-03077515] [28.03.2025 से प्रभावी]	9/9	हाँ	-	-	-	-	-	-
श्री राजू रेवाणकर** [डीआईएन-09398201] [28.03.2025 से प्रभावी]	9/9	हाँ	-	-	-	-	-	-
वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025 के दौरान कंपनी के निदेशक नहीं रहने वाले निदेशकों का विवरण								
स्वर्गीय श्री हरीश माधव निदेशक (वित्त) [डीआईएन-08489650] [30.06.2024 तक]	4/4	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
डॉ. मानस कुमार शर्मा, निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) [डीआईएन-09460166] [30.06.2024 तक]	4/4	लागू नहीं	-	-	-	-	-	4800
श्री पंकज कुमार गोस्वामी निदेशक (प्रचालन) [डीआईएन -08716147] [30.09.2024 तक]	8/8	हाँ	-	-	-	-	-	9000
श्री अशोक दास निदेशक (मानव संसाधन) [डीआईएन-09631932] [31.12.2024 तक]	10/10	हाँ	-	-	-	-	-	8916

निदेशक का नाम	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	14.09.2024 को वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (हाँ/नहीं/ लागू नहीं)	31.03.2025 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद			अन्य सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यता/अध्यक्षता*		31.03.2025 तक धारित शेयरों की संख्या
			निदेशक होने की संख्या	कंपनी का नाम	श्रेणी	31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता	31.03.2025 तक अन्य कंपनियों में समितियों की अध्यक्षता	
श्री विनोद शेषन निदेशक, एमओपीएवंएनजी [डीआईएन-07985959] [09.05.2024 तक]	1/1	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
श्री जॉर्ज थॉमस निदेशक, एमओपी एंड एनजी [डीआईएन-10625136] [21.03.2025 तक]	11/13	हाँ	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियां

*सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यता/अध्यक्षता में केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति शामिल होती है।

सभी निदेशकों की निदेशक/सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित संबंधित सीमाओं के भीतर है।

कंपनी ने आज तक कोई परिवर्तनीय विलेख जारी नहीं किया है; इसलिए, किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास ऐसा कोई विलेख नहीं है।

बोर्ड द्वारा गठित समितियाँ विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और प्रत्यायोजित प्राधिकार के ढांचे के भीतर सूचित निर्णय लेती हैं और अपने क्षेत्रों या अधिकार क्षेत्र के मामलों पर बोर्ड को विशिष्ट सिफारिशें करती हैं। समितियों के सभी निर्णय और सिफारिशें सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखी जाती हैं। वर्ष के दौरान समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया। कंपनी सचिव, बोर्ड की सभी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है और उसे कंपनी का अनुपालन अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

**** पूर्व कार्यकाल 18.11.2021 - 07.11.2024**

2.3 बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की सहभागिता पर, बोर्ड को आवश्यक समीक्षा, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियाँ प्रदान की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रियाओं और विश्वसनीयता से परिचित हो सकें।

इसके अलावा, कंपनी के प्रस्तुतिकरण भी शामिल हैं ताकि उन्हें कंपनी, उसके प्रचालन, पिछले प्रदर्शन आदि के बारे में जानकारी मिल सके। अपनी आवश्यकता के आधार पर, बोर्ड के सदस्य समय-समय पर विभिन्न सिद्धांतों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

2.4 वरिष्ठ प्रबंधन

पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से वरिष्ठ प्रबंधन में हुए परिवर्तनों सहित उसका विवरण:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्तन
1	श्री सलोमा योमदो	कार्यकारी निदेशक (ई एंड डी)	19.07.2024 से कंपनी के निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) के रूप में नियुक्त
2	डॉ अंकुर बरुआ	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)	16.04.2025 से कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त
3	श्री रुपज्योति फुकन	कार्यकारी निदेशक (वेधन सेवाएं)	01.09.2024 से आवासी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त
4	श्री ज्योति प्रकाश परमानंद दास	कार्यकारी निदेशक (पीएलएस)	-
5	श्री संजय वर्मा	कार्यकारी निदेशक (आरएफ)	-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्तन
6	श्री राजेंद्र सिंह गब्र्याल	कार्यकारी निदेशक (लेखापरीक्षा)	-
7	श्री अजय कुमार साहू	कार्यकारी निदेशक (कंपनी सचिव)	-
8	श्री दिलीप कुमार गोस्वामी	कार्यकारी निदेशक (उत्पादन)	-
9	श्री रूपम बरुआ	कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)	01.07.2024 से 17.12.2024 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया गया।
10	श्री रंजन गोस्वामी	कार्यकारी निदेशक (व्यवसाय विकास)	-
11	श्री मधुरज्या बरुआ	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन एवं फील्ड प्रशासन)	-
12	श्रीमती मल्लिका बरुआ सरमा	कार्यकारी निदेशक (एचएसई एवं ईएसजी)	01.07.2024 से पदोन्नत
13	श्रीमती अनिता दाम	कार्यकारी निदेशक (संविदा एवं क्रय)	01.07.2024 से पदोन्नत
14	श्री मलय कुमार दास	कार्यकारी निदेशक (भूतल परियोजना) सुविधा विकास	01.01.2025 से पदोन्नत
15	श्रीमती जोन मोनी चेतिया	कार्यकारी निदेशक (रणनीति एवं सीए)	01.01.2025 से पदोन्नत
16	श्री प्रांजल भगवती	कार्यकारी निदेशक एवं सीओओ (एनईजीडीसीएल)	01.01.2025 से पदोन्नत
17	श्री चित्र मोहन बोरा	कार्यकारी निदेशक (एनईपी, डीएसएफ, ओएएलपी परियोजना)	01.01.2025 से पदोन्नत
18	श्री अरिंदम भट्टाचार्य	कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ-ओजीईएल	01.01.2025 से पदोन्नत
19	श्री गौरंगा बोरगोहेन	कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग सेवाएँ)	01.01.2025 से पदोन्नत
20	श्री राजीव बरुआ	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन एवं लेखा)	30.04.2024 को सेवानिवृत्त
21	श्रीजगन्नाथ चेतिया	कार्यकारी निदेशक (वेधन सेवाएँ)	31.05.2024 को सेवानिवृत्त
22	श्री मणि धर गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं लेखा)	30.06.2024 को सेवानिवृत्त
23	श्री अनफोर अली हक	स्थानीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी	31.08.2024 को सेवानिवृत्त
24	श्री जयन्त हजारिका	कार्यकारी निदेशक (पीएलएस)	31.08.2024 को सेवानिवृत्त
25	श्री उपेन्द्र नाथ जेना	कार्यकारी निदेशक (अनुबंध एवं क्रय)	31.10.2024 को सेवानिवृत्त
26	श्री अंजन ज्योति फुकन	कार्यकारी निदेशक (केजीबी एवं एमबीपी)	31.10.2024 को सेवानिवृत्त
27	श्री अगाध मेधी	कार्यकारी निदेशक (आरएफ)	31.12.2024 को सेवानिवृत्त
28	श्री सासंक शेखर देव	कार्यकारी निदेशक (एनईपी, डीएसएफ, ओएएलपी परियोजना)	31.12.2024 को सेवानिवृत्त
29	श्री भैरब भुइयां	कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग सेवाएँ)	28.02.2025 को सेवानिवृत्त
30	श्री बिबेकानंद सैकिया	कार्यकारी निदेशक (भूविज्ञान)	31.03.2025 को सेवानिवृत्त

3. बोर्ड समितियां

3.1 लेखापरीक्षा एवं आचार समिति

लेखापरीक्षा एवं आचार समिति, बोर्ड की एक प्रमुख संचालन समिति है जिसका कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटीकरणों की निगरानी करना है। लेखापरीक्षा एवं आचार समिति की भूमिका अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में परिभाषित है।

विस्तृत संदर्भ शर्तों का वेब लिंक:

https://www.oil-india.com/files/2025-05/Audit_Ethics_Committee_Terms_of_Reference.pdf

वर्ष 2024-25 के दौरान, लेखापरीक्षा एवं आचार समिति की 7 (सात) बैठकें 16 अप्रैल, 20 मई, 11 जून, 8 अगस्त, 24 सितंबर, 5 नवंबर, 2024 और 27 फरवरी, 2025 को आयोजित की गईं।

लेखापरीक्षा एवं आचार समिति की संरचना और वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश (आई) / विरति (सी) की तिथि	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	वर्ष के दौरान उपस्थिति
1	श्री बलराम नंदवानी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	28.03.2025 (आई)	लागू नहीं	लागू नहीं
2	सुश्री पूजा सूरी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष सदस्य	08.11.2024 (सी) 28.03.2025 (आई)	6	6
3	श्री राजू रेवाणकर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	08.11.2024 (सी) 28.03.2025 (आई)	6	6
4	श्री विनोद शेषन, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	12.02.2024 (आई) 10.05.2024 (सी)	1	0
5	श्री रोहित माथुर, सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष सदस्य	13.05.2024 (आई) 08.11.2024 28.03.2025 (सी)	6	5
6	श्री सलोमा योमदो, निदेशक (अन्वेषण एवं विकास)	सदस्य	08.11.2024 (आई) 28.03.2025 (सी)	1	1
7	श्री अशोक दास, निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	08.11.2024 (आई) 01.01.2025 (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:

सुश्री पूजा सूरी और श्री राजू रेवाणकर ने 07 नवंबर, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। इसके बाद, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के पत्र संख्या सीए-31033/2/2021-पीएनजी(39069) दिनांक 28.03.2025 के अनुसार, श्री बलराम नंदवानी, सुश्री पूजा सूरी और श्री राजू रेवाणकर को 28.03.2025 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

सुश्री पूजा सूरी 07.11.2024 तक लेखापरीक्षा एवं आचार समिति की अध्यक्ष और श्री राजू रेवाणकर सदस्य थे और 28.03.2025 से उन्हें पुनः सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

श्री रोहित माथुर 13.05.2024 से लेखापरीक्षा एवं आचार समिति के सदस्य थे और 08.11.2024 को उक्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके बाद, वे 28.03.2025 से लेखापरीक्षा एवं आचार समिति के अध्यक्ष और सदस्य नहीं रहे।

श्री अशोक दास 31.12.2024 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 01.01.2025 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक (मानव संसाधन) नहीं रहे। निदेशक (मानव संसाधन) के पद का अतिरिक्त प्रभार 01.01.2025 से 15.04.2025 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. रंजीत रथ के पास रहा और वे उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य थे।

3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) डीपीई दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को देय प्रदर्शन-संबंधित भुगतान (पीआरपी) सहित वेतन और भत्तों की समीक्षा और अनुमोदन करती है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों को दिए जा रहे भत्ते/पीआरपी कार्यात्मक निदेशकों तक बढ़ाए जा सकते हैं। संदर्भ की शर्तों में वरिष्ठ प्रबंधन (ईडी स्तर) की पदोन्नति की सिफारिश भी शामिल है।

विस्तृत संदर्भ की शर्तों का वेब लिंक:

https://www.oil-india.com/files/2025-05/Nomination_Remuneration_Committee_Terms_of_Reference.pdf

वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें 28 जून और 18 सितंबर, 2024 को आयोजित की गईं।

एनआरसी की संरचना और वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश (आई)/ विरति (सी) की तिथि	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	वर्ष के दौरान उपस्थिति
1.	श्री राजू रेवाणकर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	08.11.2024 (सी) 28.03.2025 (आई)	2	2
2.	श्री रोहित माथुर, सरकार नामित निदेशक	सदस्य अध्यक्ष सदस्य	13.05.2024-07.11.2024 08.11.2024-27.03.2025 28.03.2025 (आई)	2	1
3.	सुश्री पूजा सूरी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	12.02.2024-07.11.2024 28.03.2025 (आई)	2	2
4.	जार्ज थॉमस, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	08.11.2024 (आई) 22.03.2025 (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	श्री विनोद शेषन, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	14.06.2022 (आई) 10.05.2024 (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	श्री सलोमा योमदो, निदेशक (अन्वेषण एवं विकास)	सदस्य	08.11.2024 (आई) 28.03.2025 (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई, निदेशक (प्रचालन)	सदस्य	22.03.2025 (आई) 28.03.2025 (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणियाँ:

श्री राजू रेवाणकर 07.11.2024 तक एनआरसी के अध्यक्ष थे और सुश्री पूजा सूरी 12.02.2024 से 07.11.2024 तक उक्त समिति की सदस्य थीं। उन्हें 28.03.2025 से क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

श्री रोहित माथुर 13.05.2024 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य थे और उन्हें 08.11.2024 से 27.03.2025 तक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद, वे समिति के सदस्य बने रहेंगे।

निदेशकों की नियुक्ति

सरकारी कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के माध्यम से किया जाता है, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशक(कों) के पदों पर कार्मिकों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, प्रशासनिक मंत्रालय उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, विस्तार आदि पर सलाह देता है।

वेबलिंक: https://www.oil-india.com/our-leadership

पारिश्रमिक

बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी की लाभप्रदता के आधार पर तय किए जाते हैं। वेतन संशोधन का प्रस्ताव नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने के बाद, इस संबंध में राष्ट्रपति के निर्देश जारी करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाता है। स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क भी डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के आधार पर तय किया जाता है। वर्तमान में कंपनी बोर्ड बैठकों के लिए प्रति सदस्य बैठक शुल्क के रूप में ₹40,000/- और बोर्ड स्तरीय समिति बैठकों के लिए ₹30,000/- का भुगतान कर रही है।

सीएमडी और स्वतंत्र निदेशकों सहित कार्यात्मक निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि ₹ में)

क्र. स.	नाम/पदनाम	डीए सहित वेतन	अन्य हितलाभ और अनुलब्धियां	प्रदर्शन प्रोत्साहन वेतन	पीएफ में अंशदान, अवकाश, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ आदि के लिए प्रावधान	कुल
1	डॉ. रंजीत रथ [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक]	51,39,828	10,56,231	15,21,006	16,32,040	93,49,106
2	श्री सलोमा योमदो निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) [19.07.2024 से प्रभावी]	40,43,853	2,18,305	9,45,434	12,41,290	64,48,882
3	श्री अभिजीत मजूमदार, निदेशक (वित्त) [20.11.2024 से प्रभावी]	24,67,815	5,17,468	1,25,076	6,62,913	37,73,271
4	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई निदेशक (प्रचालन) [17.12.2024 से प्रभावी]	27,11,672	1,76,743	1,28,248	5,40,640	35,57,303
5	स्वर्गीय श्री हरीश माधव [निदेशक (वित्त)] [30.06.2024 तक]	12,93,596	3,18,255	-	8,26,471	24,38,322
6	श्री पंकज कुमार गोस्वामी [निदेशक (प्रचालन)] [30.09.2024 तक]	26,90,780	3,37,688	10,29,457	10,23,415	50,81,340
7	डॉ. मानस कुमार शर्मा, [निदेशक (अन्वेषण एवं विकास)] [30.06.2024 तक]	14,27,624	1,31,136	-	7,77,359	23,36,119
8	श्री अशोक दास [निदेशक (मानव संसाधन)] [31.12.2024 तक]	39,93,964	4,68,141	11,08,036	13,98,924	69,69,063
	कुल	**2,37,69,131**	**32,23,967**	**48,57,257**	**81,03,051**	**3,99,53,406**

वर्ष 2024-25 के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण:-

(राशि ₹ में)

क्र.स	निदेशक (कों) के नाम	भुगतान किया गया बैठक शुल्क		कुल*
		बोर्ड बैठकें	समिति की बैठकें	
1.	सुश्री पूजा सूरी	3,60,000	6,60,000	10,20,000
2.	श्री राजू रेवाणकर	3,60,000	6,30,000	9,90,000
3.	श्री बलराम नंदवानी	-	-	-

*बैठक शुल्क के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए भोजन/आवास/वाहन व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं था।

वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 17 नवंबर 2024 को आयोजित की गई, जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

कंपनी ने कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति और नियुक्ति की शर्तें, जिनमें पारिश्रमिक, नोटिस अवधि, विच्छेद शुल्क आदि, यदि कोई हो, शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के माध्यम से तय की जाती हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों सहित व्यक्तिगत निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को बोर्ड और उसकी समितियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गई है।

3.3 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीय विकास (एसडी) समिति

सीएसआर और एसडी समिति कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के लिए नीतियाँ तैयार करती है, समीक्षा करती है और बजट की सिफारिश करती है तथा सीएसआर और एसडी गतिविधियों से संबंधित कानून के सांविधिक/नियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

विस्तृत संदर्भ शर्तों का वेबलिंक: https://www.oil-india.com/files/2025-05/Corporate_Social_Responsibility_Sustainability_Development_Committee_Terms_of_Reference.pdf

वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएसआर और एसडी समिति की 6 (छह) बैठकें 16 अप्रैल, 7 जून, 28 जून, 5 अगस्त, 29 अक्टूबर, 2024 और 12 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं।

वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की संरचना और इसके सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश (आई)/ विरति (सी) की तिथि	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	वर्ष के दौरान उपस्थिति
1	श्री राजू रेवाणकर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य अध्यक्ष	08.11.2024 (सी) 28.03.2025 (आई)	5	5
2	श्री रोहित माथुर, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	28.03.2025 (आई)	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री अभिजीत मजूमदार, निदेशक (वित्त)	सदस्य	20.11.2025 (आई)	1	1
4	सुश्री पूजा सूरी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	12.07.2022 (आई) 08.11.2024 (सी)	5	5
5	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई निदेशक (प्रचालन)	अध्यक्ष	17.12.2024 (आई) 28.03.2025 (सी)	1	1
6	श्री विनोद शेषन, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	12.07.2022 (आई) 10.05.2024 (सी)	1	1
7	श्री जॉर्ज थॉमस, सरकार नामित निदेशक	सदस्य	13.05.2024 (आई) 22.03.2025 (सी)	5	5
8	स्वर्गीय श्री हरीश माधव, निदेशक (वित्त)	सदस्य	02.08.2019 (आई) 01.07.2024 (सी)	3	3
9	श्री पंकज कुमार गोस्वामी, निदेशक (प्रचालन)	सदस्य	02.07.2021 (आई) 01.10.2024 (सी)	4	4
10	श्री अशोक दास, निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	02.09.2022 (आई) 01.01.2025 (सी)	5	5

टिप्पणियाँ:

श्री राजू रेवाणकर 07.11.2024 तक सीएसआर एवं एसडी समिति के सदस्य थे और उन्हें 28.03.2025 को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्री अशोक दास, निदेशक (मानव संसाधन) ने 01.07.2024 से 19.11.2024 तक की अवधि के लिए निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला और उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य रहे।

निदेशक (मानव संसाधन) के पद का अतिरिक्त प्रभार डॉ. रंजीत रथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 01.01.2025 - 15.04.2025 की अवधि के लिए संभाला गया और वे उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य थे।

श्री सलोमा योमदो, निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) ने 01.10.2024 - 16.12.2024 की अवधि के लिए निदेशक (संचालन) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला और वे उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य थे।

3.4 हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

हितधारक संबंध समिति का गठन शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से विचार करने, सूचीबद्ध कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करने, जिनमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट शेयर जारी करना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं, शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा, रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध यूनिट द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा और दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा के लिए किया गया है।

समिति शेयर/पुष्टि पत्र जारी करने को भी मंजूरी देती है। कंपनी उचित समयावधि के भीतर हितधारकों और निवेशकों की शिकायतों/शिकायतों/प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करती है।

विस्तृत संदर्भ शर्तों का वेबलिंक:
https://www.oil-india.com/files/2025-05/Stakeholders_Relationship_Committee_Terms_of_Reference.pdf

वर्ष 2024-25 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की 1 (एक) बैठक 12 अप्रैल, 2024 को आयोजित की गई थी। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की उपस्थिति नीचे प्रस्तुत की गई है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश (आई)/ विरति (सी) की तिथि	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	वर्ष के दौरान उपस्थिति
1	सुश्री पूजा सूरी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य अध्यक्ष	08.11.2024 (सी) 28.03.2025 (आई)	1	1
2	श्री राजू रेवाणकर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	12.02.2024 (आई) 08.11.2024 (सी)	1	1
3	श्री जॉर्ज थॉमस, सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष	08.11.2024 (आई) 22.03.2025 (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्री बलराम नंदवानी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	28.03.2025 (आई)	लागू नहीं	लागू नहीं
5	श्री अभिजीत मजूमदार, निदेशक (वित्त)	सदस्य अध्यक्ष सदस्य	20.11.2024-22.03.2025 23.03.2025-27.03.2025 28.03.2025 (आई)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	स्वर्गीय श्री हरीश माधव, निदेशक (वित्त)	सदस्य	02.08.2019 (आई) 01.07.2024 (सी)	1	1
7	श्री पंकज कुमार गोस्वामी, निदेशक (संचालन)	सदस्य	01.06.2020 (आई) 01.10.2024 (सी)	1	1
8	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई निदेशक (प्रचालन)	सदस्य	17.12.2024 (आई)	लागू नहीं	लागू नहीं
9	श्री अशोक दास, निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	02.09.2022 (आई) 01.01.2025 (सी)	1	1

टिप्पणियाँ:

निदेशक (मानव संसाधन) के पद का अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. रंजीत रथ के पास 01.01.2025 से 15.04.2025 तक था और वे उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य थे।

श्री अभिजीत मजूमदार 20.11.2024 से समिति के सदस्य थे और 22.03.2025 को उन्हें उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद, वे 28.03.2025 को समिति के अध्यक्ष नहीं रहे और समिति के सदस्य बने रहे।

वर्ष के दौरान, कंपनी को 765 (सात सौ पैंसठ) निवेशकों की शिकायतें प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का कंपनी/आरटीए द्वारा विधिवत निवारण किया गया और 31.03.2025 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं कि शेयरधारकों से संबंधित मामलों/मुद्दों को उचित प्राथमिकता दी जाए और आरएंडटीए द्वारा उचित समयावधि के भीतर उनका समाधान किया जाए।

निवेशकों की सेवाओं के लिए संपर्क विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.oil-india.com/investor-contact पर उपलब्ध हैं।

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करने, जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन रिपोर्ट की सिफ़ारिश करने और जोखिम प्रबंधन प्रणाली की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

विस्तृत संदर्भ शर्तों का वेबलिंक:

https://www.oil-india.com/files/2025-05/Risk_Management_Committee_Terms_of_Reference.pdf

वर्ष 2024-25 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें 7 जून और 29 अक्टूबर, 2024 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान इसके सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य	प्रवेश (आई)/ विरति (सी) की तिथि	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	वर्ष के दौरान उपस्थिति
1	सुश्री पूजा सूरी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	08.11.2024 (सी) 28.03.2025 (आई)	2	2
2	श्री राजू रेवाणकर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	08.11.2024 (सी) 28.03.2025 (आई)	2	2
3	श्री अभिजीत मजूमदार, निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष सदस्य	20.11.2024-27.03.2025 28.03.2025(आई)	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्वर्गीय श्री हरीश माधव, निदेशक (वित्त)	सदस्य	02.08.2019(आई) 01.07.2024 (सी)	1	1
5	श्री पंकज कुमार गोस्वामी, निदेशक (प्रचालन)	सदस्य	01.06.2022(आई) 01.10.2024 (सी)	1	1
6	डॉ. मानस कुमार शर्मा, निदेशक (ई एवं डी)	सदस्य	20.04.2022 (आई) 01.07.2024 (सी)	1	0
7	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई, निदेशक (प्रचालन)	सदस्य	17.12.2024(आई)	लागू नहीं	लागू नहीं
8	श्री सलोमा योमदो, निदेशक (ई एंड डी)	सदस्य	19.07.2024(आई)	1	1
9	श्री अशोक दास, निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य	02.09.2022 (आई) 01.01.2025 (सी)	2	1

टिप्पणियाँ:

सुश्री पूजा सूरी 07.11.2024 तक जोखिम प्रबंधन समिति की अध्यक्ष और श्री राजू रेवाणकर सदस्य थे और 28.03.2025 से उन्हें पुनः अध्यक्ष और सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

निदेशक (मानव संसाधन) के पद का अतिरिक्त प्रभार 01.01.2025 से 15.04.2025 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. रंजीत रथ के पास था और वे उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य थे।

निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) के पद का अतिरिक्त प्रभार 01.07.2024 से 18.07.2024 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. रंजीत रथ के पास था और वे उक्त अवधि के लिए समिति के सदस्य थे।

इसके अलावा, कंपनी ने 3 (तीन) अतिरिक्त बोर्ड स्तरीय समितियाँ गठित की हैं, अर्थात स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति, व्यवसाय विकास समिति और परियोजना मूल्यांकन समिति।

4. वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) / डाक मतपत्र

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का स्थान, तिथि और समय तथा पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है:

एजीएम	तारीख	समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव
65वीं	14 सितंबर 2024	11.00 पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं
64वीं	9 सितंबर 2023	11.00 पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं
63वीं	24 सितंबर 2022	11.00 पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) और अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	कोई नहीं

डाक मतपत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में प्रस्तावित किसी भी व्यवसाय के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

5 संचार के साधन

कंपनी प्रेस विज्ञप्तियों, वार्षिक आम बैठक (एजीएम)/असाधारण आम बैठक (ईजीएम), निवेशक सम्मेलन, स्टॉक एक्सचेंजों को किए गए खुलासों और कंपनी की वेबसाइट 'www.oil-india.com' के माध्यम से अपने हितधारकों के साथ बातचीत/संवाद करती है। उपरोक्त के अलावा, कंपनी लाभांश भुगतान, रिकॉर्ड तिथि, वित्तीय परिणामों पर विचार, दावा न किए गए लाभांश और शेयरों के लिए अनुस्मारक, पैन का अद्यतन, नामांकन विवरण, केवाईसी आदि के लिए नियमित रूप से पत्र भेजती और नोटिस प्रकाशित करती है।

क. वित्तीय परिणाम

तिमाही अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम देश भर में व्यापक प्रसार वाले प्रमुख समाचार पत्रों और उस राज्य में प्रसार वाले स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट निर्णयों/गतिविधियों पर समाचार विज्ञप्ति जारी करती है और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करती है, साथ ही आवश्यकतानुसार स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित करती है।

ख. निवेशकों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल

कंपनी अपने तिमाही/वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल में भाग लेती है और इसकी पूर्व सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है। संस्थागत निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों के साथ बैठक/प्रस्तुति में किसी भी अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी पर चर्चा नहीं की जाती है।

ग. समाचार विज्ञप्तियाँ

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियाँ, मीडिया/विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों को दी गई विस्तृत प्रस्तुतियाँ आदि कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

घ. वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट (https://www.oil-india.com/) निवेशकों के लिए एक अलग अनुभाग प्रदान करती है जहाँ वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न, बोर्ड बैठक/एजीएम की सूचना, विंडो क्लोजर नोटिस, आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित लाभांश/शेयरों का विवरण, निवेशकों के लिए प्रारूप, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, निवेशक संबंध पुस्तिका आदि जैसी सभी जानकारी उपलब्ध है। कंपनी की वेबसाइट आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ और अन्य प्रकटन भी प्रदर्शित करती है।

ङ. वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (एकल और समेकित), बोर्ड रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को प्रसारित की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर डाउनलोड करने योग्य रूप में भी उपलब्ध है।

च. वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक

कंपनी की वार्षिक आम बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जिसके लिए कंपनी के सभी शेयरधारकों को पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाती है।

छ. स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली)

सेबी निवेशकों की शिकायतों का निपटारा एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली, यानी स्कोर्स में करता है। इस प्रणाली के माध्यम से, कोई शेयरधारक अपनी शिकायत के लिए किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है। कंपनी/आरटीए शिकायत पर की गई कार्रवाई को अपलोड करता है, जिसे शेयरधारक देख सकता है। कंपनी और शेयरधारक सेबी के माध्यम से ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

ज. ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल

सेबी ने भारतीय प्रतिभूतियों में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल") स्थापित किया है। आरटीए/कंपनी के साथ सीधे और मौजूदा स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान करने के विकल्प का उपयोग करने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल, यानी https://smartodr.in/login के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं।

झ. अन्य

शेयरधारिता पैटर्न, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, मीडिया विज्ञप्तियाँ, निवेशक शिकायतों का विवरण आदि जैसी सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग, निर्धारित समय-सीमा के भीतर एनएसई और बीएसई प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने शेयरधारकों को विभिन्न निवेशक-केंद्रित पत्र/ईमेल भेजे। इनमें कंपनी से अदावाकृत/अदत्त लाभांश का दावा करने, शेयरों का डीमैटिरियलाइज़ेशन, ईमेल आईडी का अद्यतनीकरण, बैंक विवरण आदि के लिए अनुस्मारक शामिल हैं।

कंपनी के पास विशेष रूप से निवेशकों के लिए और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक निर्दिष्ट ईमेल आईडी investors@oilindia.in है।

6. सामान्य शेयरधारक सूचना

6.1 वार्षिक आम बैठक

दिन, तारीख एवं समय	गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 सुबह 11:00 बजे
स्थान	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से
रिकॉर्ड तारीख	4 सितंबर, 2025

अनंतिम वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय परिणाम (2025-26)	स्टॉक एक्सचेंजों में जमा करने की अंतिम तिथि
तिमाही 1	12 अगस्त, 2025*
तिमाही 2	14 नवंबर, 2025
तिमाही 3	14 फ़रवरी, 2026
वार्षिक/तिमाही 4	30 मई, 2026

*जमा की वास्तविक तिथि।

6.2 वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल - 31 मार्च

6.3 लाभांश नीति और लाभांश भुगतान तिथि

वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 3.00/- प्रति शेयर (केवल तीन रुपये प्रति शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश और `7/- प्रति शेयर (केवल सात रुपये प्रति शेयर) की दर से दूसरा अंतरिम लाभांश क्रमशः 05 नवंबर, 2024 और 07 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया और दोनों का भुगतान 30 दिनों के भीतर कर दिया गया। लाभांश भुगतान पर वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43ए की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी की एक "लाभांश वितरण नीति" लागू है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

वेबलिंक:

https://www.oil-india.com/files/investor_services_documents/Dividend_Distribution_Policy_Final_2017.pdf

इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर ₹ 1.50 (अर्थात चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 15%) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है और इसका भुगतान वार्षिक आम बैठक में इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

6.4 उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं

कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:-

नाम	टेलीफोन/वेबसाइट	इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	टेली नं. : 022-26598100-8114 वेबसाइट : www.nseindia.com	आईएनई 274J01014
बीएसई लिमिटेड	टेली नं. : 022-22721233/4 वेबसाइट : www.bseindia.com	

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क संबंधित स्टॉक एक्सचेंज(कों) को भुगतान कर दिया गया है।

6.5 रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट

शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण/डीमैटीरियलाइजेशन, लाभांश, बोनस शेयरों के भुगतान और कंपनी के शेयरों से संबंधित अन्य प्रश्नों के लिए, निवेशकों को निम्नलिखित से संपर्क करने की सलाह दी जाती है:

भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए	डीमैट रूप से धारित शेयरों के लिए
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट संख्या - 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत 500032 फ़ोन नंबर: +91 040-67162222 ईमेल - einward.ris@kfintech.com वेबसाइट - www.kfintech.com	संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी(प्रतिभागियों)

6.6 शेयर हस्तांतरण प्रणाली

कंपनी के शेयरों का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीमैटीरियलाइज्ड रूप में किया जाता है। लाभार्थी अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को खरीद/बिक्री के निर्देश देते हैं। लेन-देन का निपटान एनएसई/बीएसई पर किया जाता है, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल से जुड़ा है। शेयरों के डीमैटीरियलाइजेशन रूप में लेनदेन के अनुरोध की पुष्टि संबंधित डिपॉजिटरी यानि एनएसडीएल और सीडीएसएल को त्वरित रूप से भेज दी जाती है।

सेबी के दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र के अनुसार, कंपनी केवल डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, हस्तांतरण, स्थानांतरण आदि के अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय ही डीमैटीरियलाइज्ड रूप में प्रतिभूतियाँ जारी कर रही है, क्योंकि शेयरों के भौतिक हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। जिन शेयरधारकों के पास अभी भी भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज डिपॉजिटरी से करवा लें और प्रतिभूतियों के डीमैटीरियलाइज्ड रूप में लेनदेन शुरू करने से पहले आरटीए के साथ अपने क्रेडेंशियल (केवाईसी) अपडेट करवा लें।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी द्वारा शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करते हुए वार्षिक आधार पर एक प्रमाणपत्र, और सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 1996 के अनुसार शेयरों के समय पर डीमैटेरियलाइज़ेशन का प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी सत्यनिष्ठा लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, "शेयर पूंजी समाधान रिपोर्ट" नियमित अंतराल पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसमें पुष्टि की जाती है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी कुल सूचीबद्ध पूंजी, भौतिक रूप में शेयरों की संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित डीमैटेरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

सेबी के दिनांक 02.07.2025 के परिपत्र के अनुसार, केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो उपलब्ध कराई गई है, जो 01.04.2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य किसी कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया। सभी पहलुओं से पूर्ण पुनः दाखिल किए गए दस्तावेजों को कंपनी/आरटीए के पास जमा करना होगा और हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल की गई प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट मोड में जारी की जाएँगी, बशर्ते कि ऐसे हस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

6.7 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार वितरण अनुसूची

क्र.सं.	श्रेणी(शेयर)	धारकों की सं.	धारकों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	इक्विटी का प्रतिशत
1	1 - 5000	5,10,634	99.44	7,26,63,764	4.47
2	5001 - 10000	1,721	0.34	1,20,94,442	0.74
3	10001 - 20000	509	0.10	7,07,4,990	0.43
4	20001 - 30000	149	0.03	36,40,481	0.22
5	30001 - 40000	82	0.02	28,62,380	0.18
6	40001 - 50000	42	0.01	18,93,338	0.12
7	50001 - 100000	105	0.02	71,60,811	0.44
8	100001 और इसके ऊपर	263	0.05	1,51,92,17,585	93.40
	कुल	**5,13,505**	**100.00**	**1,62,66,07,791**	**100.00**

6.8 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न

क्र.सं.	विवरण	मामलों की सं.	कुल शेयर	इक्विटी प्रतिशत
1	प्रवर्तक	1	92,15,64,990	56.66
2	कॉरपोरेट निकाय	1042	16,65,32,383	10.24
3	बीमा कंपनियाँ	1	2,68,050	0.02
4	विदेशी पोर्टफोलियो - कॉर्प	455	13,83,95,404	8.51
5	अर्हक संस्थागत क्रेता	26	14,75,73,088	9.07
6	म्यूचुअल फंड	32	14,87,53,204	9.14
7	निवासी व्यक्ति	4,99,642	9,41,99,309	5.79
8	एचयूएफ	5,343	29,54,341	0.18
9	अनिवासी भारतीय	3,591	22,14,395	0.14
10	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	3,300	21,00,593	0.13
11	वैकल्पिक निवेश कोष	19	12,45,219	0.08
12	आईईपीएफ	1	6,37,335	0.04
13	ट्रस्ट	30	1,14,122	0.01
14	एनबीएफसी	3	7,633	0.00
15	शोधन सदस्य	13	44,859	0.00
16	निदेशक	3	2,718	0.00
17	विदेशी नागरिक	1	24	0.00
18	बैंक	1	64	0.00
19	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1	60	0.00
	कुल	**5,13,505**	**1,62,66,07,791**	**100.00**

शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन और नकदी

कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार डीमैटरियलाइज्ड रूप में होता है। शेयरधारकों को इक्विटी शेयरों को डीमैटरियलाइज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ एक करार किया है।

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, भौतिक और डीमैट खंड में शेयरधारकों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
1.	एनएसडीएल	1,42,14,64,240	87.39
2.	सीडीएसएल	20,30,51,748	12.48
3.	भौतिक	20,91,803	0.13
	कुल	**1,62,66,07,791**	**100.00**

6.9 बकाया जीडीआरएस/एडीआरएस/वारंट या परिवर्तनीय विलेख

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय विलेख जारी नहीं किया गया है।

6.10 कमोडिटी मूल्य जोखिम/विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण कंपनी कमोडिटी मूल्य जोखिमों के अध्यधीन है। कंपनी ने कमोडिटी मूल्य और विदेशी मुद्रा जोखिमों की पहचान, निगरानी और शमन के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। जोखिमों पर नियमित आधार पर नज़र रखी जाती है और जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुरूप शमन रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं।

6.11 जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने न केवल हमारे जोखिम जोखिमों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बल्कि इस अत्यधिक अस्थिर व्यावसायिक वातावरण में जोखिम-सूचित निर्णय लेने उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम और ढांचे को संस्थागत रूप दिया है। निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन, संगठन को जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करने और उस जटिल जोखिम परिवेश से निपटने के लिए आवश्यक ढाँचे और प्रक्रियाओं से सुसज्जित करने की आवश्यकता से अवगत हैं जिसमें यह प्रचालन करता है। हम अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और प्रचालनों में निहित जोखिमों के विभिन्न स्तरों का निरंतर मानचित्रण कर रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन संरचना विकसित की गई है। कंपनी पूरे संगठन में जोखिमों के प्रबंधन की त्रि-स्तरीय प्रणाली का पालन करती है।

- पहले स्तर पर, परिचालन जोखिम प्रबंधन समितियाँ (ओआरएमसी) क्षेत्र स्तर पर संबंधित जोखिम स्वामियों और जोखिम चैंपियनों द्वारा कार्यान्वित शमन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती हैं।
- दूसरे स्तर पर, जोखिम प्रबंधन प्रचालन समिति (आरएमएससी) कॉर्पोरेट स्तर पर व्यक्तिगत जोखिमों के पहचाने गए जोखिम सहनशीलता स्तर के सापेक्ष जोखिम मूल्यांकन मापदंडों की स्थिति की समीक्षा करती है।
- तीसरे और अंतिम चरण में, बोर्ड स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) कंपनी के उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढाँचे का मूल्यांकन करती है और तदनुसार आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

कंपनी के हितधारकों के प्रति अंतिम ज़िम्मेदारी कंपनी के बोर्ड की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जोखिमों पर पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी हो। इस संबंध में, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), जो बोर्ड को सहायता प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है, जोखिम प्रबंधन नीति और इस उद्देश्य के लिए अपनाए गए ढाँचे में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर जोखिम रजिस्टर और शमन कार्यों की समीक्षा करती रही है।

6.12 ऋण विलेख

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने परिपक्वता पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा बॉण्डों के पुनर्भुगतान और मोज़ाम्बिक परियोजना में निवेश के लिए 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाया है।

6.13 क्रेडिट रेटिंग

कंपनी की वित्तीय समझदारी रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई वर्तमान क्रेडिट रेटिंग में परिलक्षित होती है, जो नीचे दी गई है:

श्रेणी	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	अभ्युक्तियां
अंतरराष्ट्रीय			
दीर्घावधि	मूडीज इन्वेस्टर सर्विस	बीएए 3 (स्थिर)	भारत की सॉवरेन रेटिंग के समकक्ष
दीर्घावधि	फिच रेटिंग्स	बीबीबी- (स्थिर)	भारत की सॉवरेन रेटिंग के समकक्ष
अंतर्देशीय			
दीर्घावधि	क्रिसिल	क्रिसिल एएए (स्थिर)	उच्चतम रेटिंग
अल्पावधि	क्रिसिल	क्रिसिल ए1+	उच्चतम रेटिंग
दीर्घावधि	केयरएज	केयर एएए (स्थिर)	उच्चतम रेटिंग
अल्पावधि	केयरएज	केयर ए1+	उच्चतम रेटिंग

6.14 सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जाती है। मैसर्स गोपाल शर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैसर्स आरकेपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

कंपनी के वार्षिक लेखों पर सी एंड एजी की "शून्य" टिप्पणियाँ वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

कंपनी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए जीएसटी सहित शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

सेवा का प्रकार	वित्त 2024-25	वित्त 2023 -24
लेखापरीक्षा शुल्क	1.98	1.27
कराधान संबंधी मामले	0.08	0.11
अन्य	0.28	0.21
कुल	**2.34**	**1.59**

6.15 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इस संबंध में, कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों, यदि कोई हो, से निपटने और जाँच करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी) गठित की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

क्र.सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल	एक
2	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई	एक
3	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित	शून्य

6.16 अंतरंग व्यापार

कंपनी ने सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुरूप "अंतरंग व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने हेतु आचार संहिता" (संहिता) और "निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता एवं प्रक्रिया" लागू की है। इस नीति में यूपीएसआई के लीक होने या यूपीएसआई के संदिग्ध लीक होने की स्थिति में जाँच हेतु नीति और प्रक्रिया शामिल है।

सेबी विनियमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, नामित कर्मचारियों का एक संरचित डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके ट्रेडों की निगरानी के उद्देश्य से उपलब्ध है। यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने और संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल तंत्र भी मौजूद है।

कंपनी की संहिता और नीति के लिए वेबलिंक:

https://www.oil-india.com/files/investor_services_documents/InsiderTradingCode_0.pdf

7. अन्य प्रकटीकरण

7.1 संबंधित पक्षकार के साथ महत्वपूर्ण रूप से लेन-देनों का प्रकटीकरण, जिनका कंपनी के व्यापक हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है

संबंधित पक्षकार लेन-देन विभिन्न व्यावसायिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी संविदाओं/व्यवस्थाएं/लेन-देन उसके सामान्य व्यावसायिक क्रम में और आसन्निकट आधार पर थे। संविदा के प्रावधानों के अनुसार, ये पिछले वर्षों की तरह ही शर्तों पर थे। संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन संबंधी प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के लेखा-टिप्पणियों में दिए गए हैं। कंपनी की संबंधित पक्षकार लेन-देन (आरपीटी) से निपटने की नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वेबसाइट लिंक:

https://www.oil-india.com/files/investor_services_documents/RevisedPolicy_Materiality_DealingwithRelatedPartyTransactions_21322.pdf

7.2 महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी

ओआईएल की एक महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनी है, जिसका नाम नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) [सीआईएन-U11202AS1993GOI003893] है, जिसका पंजीकृत कार्यालय असम राज्य में है। 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी के पास एनआरएल की 69.63% शेयर पूंजी थी। इसके अलावा, गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त समय-समय पर कंपनी के बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं।

एनआरएल के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जाती है।

इस संबंध में, मैसर्स पी.ए. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सीएंडएजी पत्र संख्या/सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, एनयूएमएआरई(1)/669 दिनांक 21 सितंबर, 2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनआरएल के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

इसके अलावा, कंपनी के पास "महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनियों के निर्धारण पर नीति" है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

वेबलिंक: https://www.oil-india.com/files/investor_services_documents/Material_Subsidiary_Policy_1.pdf

7.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, प्रतिबंधों का विवरण

कंपनी ने सभी लागू कानूनों का पालन किया है और सभी रिटर्न/रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों में निर्धारित समय के भीतर दाखिल किए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।

7.4 सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति का विवरण

कंपनी एक सुपरिभाषित व्हिसल ब्लोअर नीति के माध्यम से सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने का प्रयास करती है। यह नीति सभी कर्मचारियों को कंपनी में अनैतिक या अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण को देखने की स्थिति में प्रबंधन तक मुफ्त पहुँच प्रदान करती है और प्रबंधकीय कर्मियों को उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल व्यक्तिगत कार्रवाई करने से रोकती है। इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी को बोर्ड की लेखापरीक्षा एवं आचार समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान सतर्कता तंत्र के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

नीति का वेबलिंक: https://www.oil-india.com/files/investor_services_documents/Whistle_Blower_Policy.pdf

7.5 विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन का प्रकटीकरण इस प्रकार है:

कंपनी, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, सिवाय 31 दिसंबर, 2024 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के बोर्ड और सांविधिक समितियों की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालन के, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम की अनुसूची V भाग ग के पैरा (2) से (10) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

31 दिसंबर, 2024 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1), 17(2ए), 18(1), 19(1)/(2), 20(2)/(2ए) और 21(2) के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज से 12.07.2022 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या और 08.11.2024 से 27.03.2025 तक समितियों की संरचना से संबंधित गैर-अनुपालन के पत्र/सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनका कंपनी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उचित रूप से उत्तर दिया गया कि चूंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम है, इसलिए कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कंपनी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) को स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए अवगत कराती रही है और अनुरोध करती रही है।

7.6 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देश

कंपनी, 31 दिसंबर 2024 और 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के बोर्ड और सांविधिक समितियों की संरचना के संबंध में, जैसा कि ऊपर पैरा 7.5 में बताया गया है, डीपीई द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है। वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में भी केंद्र सरकार द्वारा कोई भी राष्ट्रपति निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसका अनुपालन नहीं किया गया हो।

लेखा बहियों में व्यय की कोई भी ऐसी मद डेबिट नहीं की गई है जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो। निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई भी व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय नहीं किया गया है।

कंपनी ने ऐसा कोई व्यय नहीं किया है जो व्यवसाय के उद्देश्य से न हो।

2024-25 के दौरान प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 2.48% (पिछले वर्ष 3.80%) था।

7.7 विवेकाधीन अपेक्षाएं

विनियमों की अनुसूची II के भाग ड़ में निर्दिष्ट विवेकाधीन अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था में है।

7.8 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयरों का व्यापार निलंबित नहीं किया गया था।

7.9 फर्मों/कंपनियों को ऋण के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिमों का प्रकटीकरण, जिसमें निदेशकों की रुचि है, नाम और राशि के अनुसार

फर्मों/कंपनियों को कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया गया जिनमें निदेशकों की रुचि है।

7.10 वर्ष 2024-25 के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 32(7A) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई।

7.11 अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अंगीकार करने संबंधी विवरण

कंपनी ने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी गैर-अनिवार्य अपेक्षा का भी अनुपालन किया है, अर्थात आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा एवं आचार समिति को रिपोर्ट करता है।

7.12 कंपनी ने निर्धारित प्रारूप में कॉर्पोरेट अभिशासन पर तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समयावधि के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, सभी रिटर्न, रिपोर्ट और प्रकटीकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए गए।

7.13 इन विनियमों की अनुसूची III के भाग क के पैराग्राफ क के खंड 5क के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं पर बाध्यकारी कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण

लागू नहीं

7.14 उत्तराधिकार योजना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है।

हालाँकि, कंपनी ने अपने विज़न और व्यावसायिक रणनीतियों के अनुरूप, बोर्ड के सदस्यों के अलावा, प्रमुख पदों को भरने के लिए एक व्यवस्थित विकास योजना सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित उत्तराधिकार योजना ढाँचा स्थापित किया है।

8. डीमैट सस्पेंस खाते/अदावाकृत सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण

8.1 अदावाकृत /असंवितरित शेयर

अदावाकृत /असंवितरित शेयरों की स्थिति निम्नानुसार है:

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार		बोनस अंक के कारण वर्ष के दौरान जोड़ा गया – 2024		वर्ष के दौरान प्रेषित		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	
मामले	शेयरों की सं.	मामले	शेयरों की सं.	मामले	शेयरों की सं.	मामले	शेयरों की सं.
204	1,36,392	1,142	11,62,936	64	65,529	1,282	12,33,799

इन शेयरों पर मतदान तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक कि इन शेयरों के वास्तविक स्वामी इन शेयरों पर दावा नहीं कर देते।

8.2 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित अघोषित लाभांश/शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित किया है:

लाभांश का प्रकार और वर्ष	लाभांश की दर (% में)	अदावाकृत लाभांश राशियाँ (₹ में)	संगत शेयर
अंतिम लाभांश 2016-17	47.50%	31,96,350.00	6788
अंतरिम लाभांश 2017-18*	140.00%	86,68,394.00	3917
आंशिक शेयरों की बिक्री आय - बोनस इश्यू - 2018 **	-	1,76,899.73	-

* अंतरिम लाभांश 2017-18, लाभांश अप्रैल 2025 में हस्तांतरित और शेयर मई 2025 में हस्तांतरित।

**आंशिक शेयरों की बिक्री आय-बोनस निर्गम- 2018, जून 2025 में हस्तांतरित।

सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट पर जाएँ और अपने लाभांश के भुगतान की स्थिति की पुष्टि करें। यदि लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, तो वेबसाइट पर बताए गए तरीके से केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आरटीए के पास दावा दर्ज किया जा सकता है।

अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ में हस्तांतरित करने की प्रस्तावित तिथियाँ नीचे दी गई हैं:

वित्तीय वर्ष	लाभांश का प्रकार	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि (अनंतिम तिथियां)
2017-18	अंतिम	22.09.2018	28.11.2025
2018-19	अंतरिम	12.02.2019	20.04.2026

कंपनी उन इक्विटी शेयरों को भी आईईपीएफ में हस्तांतरित करेगी जिन पर लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है। ऐसे शेयरधारकों की सूची कंपनी की वेबसाइट (https://www.oil-india.com/) पर प्रदर्शित की जा रही है।

9. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और अंतरंग व्यापार संहिता

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट (https://www.oil-india.com/pdf/Microsoft_Word_OIL_Code_of_Conduct.pdf) पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अनुपालन प्रमाणपत्र नीचे दिया गया है।

"मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से यह पुष्टि प्राप्त कर ली है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।"

हस्ता. /-
डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ/सीएफओ द्वारा प्रमाणन, वार्षिक लेखा 2024-25 के अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

11. अनुपालन प्रमाणपत्र: कॉर्पोरेट अभिशासन

मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स व्यवसायरत कंपनी सेक्रेटरीज से एक प्रमाणपत्र, जो सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करता है, अनुलग्नक III के रूप में संलग्न है।

12. परियोजना स्थान और कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान-786602, असम	**पाइपलाइन मुख्यालय** ऑयल इंडिया लिमिटेड पी.ओ. उदयन विहार नाटंगी, गुवाहाटी - 781171
कॉर्पोरेट कार्यालय ऑयल इंडिया लिमिटेड प्लॉट संख्या 19, फिल्म सिटी के पास, सेक्टर 16ए, नोएडा - 201301	दिल्ली कार्यालय ऑयल इंडिया लिमिटेड, 5वीं/6वीं मंजिल, एनबीसीसी सेंटर, प्लॉट संख्या 02, ओखला फेज-1, नई दिल्ली- 110020
महानदी बेसिन परियोजना ऑयल इंडिया लिमिटेड आईडीसीओ टावर, जनपथ, भुवनेश्वर - 751 002	**कोलकाता शाखा** ऑयल इंडिया लिमिटेड 4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700 001
राजस्थान फील्ड ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल हाउस 2-ए, जिला शॉपिंग सेंटर सरस्वती नगर, बासनी जोधपुर, राजस्थान - 342 005	**के जी बेसिन परियोजना** ऑयल इंडिया लिमिटेड डी. नंबर 11-4-7 नूकलम्मा टेम्पल स्ट्रीट रामाराव पेट काकीनाडा - 533004, आंध्र प्रदेश
गैबॉन में कार्यालय ऑयल इंडिया लिमिटेड ला सबलीरे इम्म्यूबल फिदुजी, लिब्रेविल, पी.ओ. बॉक्स 23134 गैबॉन	**फ्रंटियर प्रोजेक्ट** ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान - 786 602
मोरान ऑयल फील्ड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, मोरान - 785 669 जिला: चराईदेव (असम)	**पूर्वी उत्पादन क्षेत्र** ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिगबोई - 786 171, असम
फॉरवर्ड बेस ऑफिस, अंडमान अंडमान गैली प्लॉट संख्या 1203 और 1204, लिंक रोड, गोलघर, पोर्ट ब्लेयर, पिन-744101	**ऊर्जा अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र** ऑयल इंडिया लिमिटेड पांचवीं मंजिल, एनआरएल सेंटर, 122ए, क्रिश्चियनबस्ती, जी.एस. रोड, गुवाहाटी, असम-781005
त्रिपुरा कार्यालय ऑयल इंडिया लिमिटेड नीलाकाश, धलेश्वर रोड नंबर 1 अगरतला, जिला: पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, 799007	

13. पत्राचार का पता

कंपनी सचिव,
ऑयल इंडिया लिमिटेड
प्लॉट संख्या 19, सेक्टर 16ए,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)- 201301
दूरभाष संख्या: +91-120-2419000 / 2419094
ईमेल: investors@oilindia.in

अनुलग्नक-I

निदेशकों की गैर-अनर्हता का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खंड 10(i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
ऑयल इंडिया लिमिटेड,
दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़
असम – 789602

हमने, **ऑयल इंडिया लिमिटेड** जिसका **सीआईएन L11101AS1959GOI001148** और पंजीकृत कार्यालय दुलियाजान, जिला : डिब्रूगढ़, असम - 786602 (इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्ररूपों, विवरणियों और प्रकटीकरणों की जाँच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची पैरा V उप-खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार, यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना और यथाआवश्यक माने गए सत्यापनों पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित और कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे यथा कथित कंपनी के बोर्ड में शामिल कोई भी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने के लिए विवर्जित या अनर्ह नहीं किए गए हैं:

क्र. स.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि	विरति की तिथि
1.	डॉ. रंजीत रथ	08275277	02-08-2022	बने हुए हैं
2.	श्री सलोमा योमदो	10696034	19-07-2024	बने हुए हैं
3.	डॉ मानस कुमार शर्मा	09460166	20-04-2022	01-07-2024
4.	श्री अभिजीत मजूमदार	10788427	20-11-2024	बने हुए हैं
5.	स्वर्गीय श्री हरीश माधव	08489650	02-08-2019	01-07-2024
6.	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई	10788428	17-12-2024	बने हुए हैं
7.	श्री पंकज कुमार गोस्वामी	08716147	01-06-2020	01-10-2024
8.	श्री अशोक दास	09631932	02-09-2022	01-01-2025
9.	श्री रोहित माथुर	08216731	13-05-2024	बने हुए हैं
10.	श्री विनोद शेषन	07985959	14-06-2022	10-05-2024
11.	श्री जॉर्ज थॉमस	10625136	13-05-2024	22-03-2025
12.	श्री बलराम नंदवानी	00356119	28-03-2025	बने हुए हैं
13.	श्री राजू रेवाणकर	09398201	28-03-2025*	बने हुए हैं
14.	सुश्री पूजा सूरी	03077515	28-03-2025*	बने हुए हैं

*पूर्व कार्यकाल 18.11.2021 - 07.11.2024

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के प्रचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

हस्ता./-
सीएस अमित अग्रवाल
(भागीदार)
एम. संख्या F5311, सी.पी. संख्या 3647
यूडीआईएन: F005311G000966634

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.08.2025

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2024-25 का अनुलग्नक

क्र. सं.	श्रेणी	कौशल / विशेषज्ञता / सक्षमता	उपलब्ध कौशल / विशेषज्ञता / सक्षमता
क.	**कार्यात्मक निदेशक**	पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं और कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए उत्तरदायी होते हैं	उनकी विशेषज्ञता/कौशल/सक्षमता के क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.oil-india.com/our-leadership पर उपलब्ध है
ख.	**सरकार नामित निदेशक**	सरकारी निदेशकों की कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में तथा सरकारी प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका होती है।	
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**	स्वतंत्र निदेशक विभिन्न क्षेत्रों और विषयों जैसे तकनीकविद, प्रबंधन विशेषज्ञ, सलाहकार आदि से होते हैं और वे कंपनी के बोर्ड को पेशेवर और प्रबंधकीय सलाह प्रदान करते हैं।	

ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी है। इसके निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन का अधिकार भारत सरकार के पास है। कंपनी के सभी निदेशकों, अर्थात् कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कंपनी के लिए आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/ सक्षमताओं के आधार पर किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में निदेशक के लिए आवश्यक मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/ सक्षमताओं की सूची निर्धारित नहीं की है, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत आवश्यक है।

अनुलग्नक- III

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों की अनुपालना संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण ऑयल इंडिया लिमिटेड

1. हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 17 से 27 तक और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) और (न) और इसकी अनुसूची के पैरा - ग, घ और ङ में यथानिर्धारित और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए वर्ष के दौरान लागू सीमा तक कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए **ऑयल इंडिया लिमिटेड (सीआईएन: L11101AS1959GOI001148)** ('कंपनी') द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों की अनुपालना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत क्रियाविधियों और उसके कार्यान्वयन की जांच तक सीमित है। यह न ही कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

3. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए प्रतिवेदनों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित के अध्यधीन, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

   (i) "कंपनी में वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के तहत यथाअपेक्षित इसके निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।"

   (ii) दिनांक 07.11.2024 को दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के बाद, मौजूदा बोर्ड संरचना से सांविधिक समितियों का पुनर्गठन किया गया। हालाँकि, 28.03.2025 को कंपनी के बोर्ड में 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर, मौजूदा सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में उक्त समितियों का फिर से पुनर्गठन किया गया।

4. आगे हम यह कथन करते हैं कि ऐसी अनुपालना कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और ना ही उस दक्षता या प्रभाविता का आश्वासन है जिससे कंपनी के कार्यों को इसके प्रबंधन द्वारा संचालित किया गया है।

5. यह प्रमाण पत्र कंपनी के सदस्यों को सूचीकरण विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन के एकमात्र प्रयोजन के लिए संबोधित और प्रदान किया गया है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, बिना लिखित में हमारी सहमति के हम किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य व्यक्ति जिसको यह रिपोर्ट दिखायी जाती है या जिनके हाथों में यह आती है, के लिए कोई देयता स्वीकार नहीं करते हैं या ग्रहण नहीं करते हैं या कोई कर्तव्य बाध्यता स्वीकार नहीं करते हैं।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
हस्ता./-
सीएस अमित अग्रवाल
(भागीदार)
एम. संख्या F5311, सी.पी. संख्या 3647
यूडीआईएन: F005311G000966634

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.08.2025





भाग 03

वित्तीय विवरण



- एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
- एकल वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियां
- एकल वित्तीय विवरण
- समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
- समेकित वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियां
- समेकित वित्तीय विवरण
- शब्दकोष

ऑयल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

राय

हमने "ऑयल इंडिया लिमिटेड" ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसमें इसके पश्चात "स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("द एक्ट") द्वारा अपेक्षित जानकारी इस प्रकार प्रदान करते हैं जिस प्रकार यह अपेक्षित है तथा 2013 अधिनियम के धारा 133 के अधीन के पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 यथासंशोधित ("इंड एएस") सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में, 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और इसके वित्तीय प्रदर्शन, जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है, वर्ष के दौरान इसके नकदी प्रवाहों और इक्विटी में परिवर्तनों से संबंधित सही और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा का आयोजन इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी खंड में और वर्णन किया गया है। हम भारतीय लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता, अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं और स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मामले पर जोर

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं :

क) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के तहत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी पर सेवा कर/जीएसटी देयता के प्रावधान के संबंध में **टिप्पण संख्या 58.8** में मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 204.41 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसमें 75.33 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 269.46 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 809.32 करोड़ रुपये)। 31 मार्च 2025 तक रॉयल्टी पर विवादित सेवा कर/जीएसटी के कारण प्रदान की गई कुल राशि 3,888.65 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक अपवादात्मक मद के रूप में दिखाई गई 2,362.72 करोड़ रुपये की राशि मार्च 2023 तक रॉयल्टी (80.04 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) पर सेवा कर/जीएसटी की राशि दर्शाती है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में इन मामलों पर हमारी राय उपांतरित नहीं की गई है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में, और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं।

हमने निम्न वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। हमने अपनी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है, जिसमें इन मामलों से संबंधित जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल था। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, जिनमें नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं, संलग्न स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करते हैं।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामले से संबंधित लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	**कुछेक इक्विटी/ असूचीबद्ध कंपनियों में संयुक्त नियंत्रित हिताधिकार में निवेश का मूल्यांकनः** 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार निवेश का मूल्य एक विशेषज्ञ परामर्शदाता द्वारा लगाया गया हैं। इस मूल्यांकन के संबंध में, प्रबंधन ने वर्ष के अंत में निवेश का उचित मूल्य लगाया था। मूल्यांकन में महत्वपूर्ण डेटा और प्रबंधन निर्णय प्रदान करना शामिल था और तदनुसार, निवेश के मूल्यांकन को प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक माना गया। उचित मूल्य का निर्धारण बट्टागत नकद प्रवाह मॉडल के आधार किया गया था। इस मूल्यांकन में कच्चा तेल / प्राकृतिक गैस भंडार, भावी कारोबार संवृद्धि, और भावी उत्पाद विक्रय मूल्य और निवेशिती की उत्पादन लागत सहित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पण 6 देखें।	प्रबंधन द्वारा निवेश के मूल्यांकन के संबंध में हमारी प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: • स्वतंत्र पेशेवर मूल्यांकक की सक्षमता, क्षमताओं और वस्तुनिष्ठता का मूल्यांकन करना • निवेशों के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए स्वतंत्र पेशेवर मूल्यांकक द्वारा प्रयुक्त आकलन पद्धति का मूल्यांकन करना। • नमूना आधार पर, स्वतंत्र मूल्यांकक को प्रबंधन द्वारा प्रदत्त इनपुट डेटा की सटीकता और युक्तिसंगतता की जाँच करना। • प्रबंधन की अवधारणाओं पर, जैसे कच्चे तेल भंडार, भावी कारोबार योजना/ संवृद्धि, भावी उत्पाद बिक्री मूल्य और उत्पादन लागतों, छूट दरों का अवधारणाओं की ऐतिहासिक परिणामों और प्रकाशित बाजार और उद्योग डेटा से तुलना कर नकद प्रवाह अनुमानों और लेखा प्रक्रियाविधियों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना। • कारोबार को समझने के लिए और यह मूल्यांकन करने के लिए कि नकद प्रवाह अनुमानों में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई असंगतता तो नहीं था, प्रबंधन के साथ निवेशों पर चर्चा की। शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने पाया कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा बनाई गई अवधारणाएं युक्ति संगत थीं।
2.	**अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋणों में क्षरण।** कंपनी ने एक विशेषज्ञ परामर्शदाता द्वारा मूल्यांकन के आधार पर अपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋणों की प्रतिलब्धता का मूल्यांकन किया है और इस मूल्यांकन के संदर्भ में, प्रबंधन ने इन ऋणों का उचित मूल्य ₹1.92 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। इस क्षरण अध्ययन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल थे। तदनुसार, ऋण के क्षरण को प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक माना गया। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पण सं 8 देखें।	इन ऋणों के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के संबंध में हमारी प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं : • स्वतंत्र पेशेवर मूल्यांकक की सक्षमता, क्षमताओं और वस्तुनिष्ठता का मूल्यांकन करना। • ऋणों के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए स्वतंत्र पेशेवर मूल्यांकक द्वारा प्रयुक्त आकलन पद्धति का मूल्यांकन करना। • नमूना आधार पर, स्वतंत्र मूल्यांकक को प्रबंधन द्वारा प्रदत्त इनपुट डेटा की सटीकता और युक्तिसंगतता की जाँच करना। • प्रबंधन की अवधारणाओं पर, जैसे कच्चा तेल भंडार, भावी कारोबार योजना/ संवृद्धि, भावी उत्पाद बिक्री मूल्य और उत्पादन लागतों, छूट दरों की अवधारणाओं के ऐतिहासिक परिणामों और प्रकाशित बाजार और उद्योग डेटा से तुलना कर नकद प्रवाह अनुमानों और लेखा प्रक्रियाविधियों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना। • कारोबार को समझने के लिए और यह मूल्यांकन करने के लिए कि नकद प्रवाह अनुमानों में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई असंगतता तो नहीं था, प्रबंधन के साथ निवेशों पर चर्चा की। शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने पाया कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा बनाई गई अवधारणाएं युक्ति संगत थीं।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	मुख्य लेखापरीक्षा मामले से संबंधित लेखापरीक्षा का उत्तर
3.	**अनिश्चित कर स्थितियों का मूल्यांकन** कंपनी में विवाद अधीन मामले सहित महत्वपूर्ण अनिश्चित कर स्थितियां है जिनमें, इन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेना शामिल हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • चालू कर के प्रावधानों के संबंध में नियंत्रणों के डिजाइन और क्रियान्वयन और आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और प्रतिलब्धता का मूल्यांकन किया। • मूल्यांकन के आधार का आकलन कर और प्रासंगिक पत्राचार और विधिक सलाह जहाँ उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक कर प्राधिकरणों में समान मामलों से संबंधित सूचना भी शामिल हैं, की समीक्षा कर अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधानों की वैधता और पर्याप्तता के प्रबंधन के आकलन पर विचार किया। • आस्थगित कर आस्तियों के समर्थन में पर्याप्त भावी कर योग्य आय सृजित करने की संभावना सहित प्रबंधन की अवधारणाओं और प्राक्कलनों की उपयुक्तता का आकलन किया। • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में की गई प्रस्तुति और प्रकटनों का मूल्यांकन किया और इसकी समीक्षा की। ऊपर निष्पादित प्रक्रिया के आधार पर, हमने चालू और आस्थगित कर शेषों और अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधानों के संबंध में प्रबंधन के प्राक्कलनों की अभिपुष्टि करने हेतु पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए।
4.	**अभियोग और दावों के विरूद्ध आकस्मिक देयताएं** कंपनी के विरूद्ध विभिन्न फोरमों के समक्ष कई अभियोग लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन की जाने वाली राशि का आकलन करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्णय किए जाने आवश्यक हैं। हमने इस मामले को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला अभिनिर्धारित किया है क्योंकि वे आकलन जिन पर ये राशियां आधारित हैं, में मामलों के विवेचन में एक महत्वपूर्ण दर्जे का प्रबंधन निर्णय और लेखांकन आकलन जिनमें आकलन अनिश्चितताएं हैं, शामिल हैं। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पण 51 देखें।	हमने आकस्मिक देयताओं के आकलन और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ हासिल की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को अपनाया है : • लंबित अदालती मामलों के लिए सभी प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों को समझा और उनके डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण किया। • किसी महत्वपूर्ण प्रगतियों और विधिक मामलों में नवीनतम स्थिति के संबंध में प्रबंधन से विचार - विमर्श किया। • अदालती मामलों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाह्य कानूनी राय को पढ़ा और आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के लिए प्रयुक्त समर्थनकारी गणना पर निष्पादित वास्तविक प्रक्रियाविधियां निष्पादित की। • प्रबंधन के निर्णयों और आकलनों की इस संबंध में जाँच की कि क्या प्रावधान आवश्यक हैं। • उन मामलों के लिए प्रबंधन के आकलनों पर विचार किया जिनका प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि तात्विक बहिर्वाह की संभाव्यता बहुत क्षीण मानी गई है। • प्रकटनों की पर्याप्तता और संपूर्णता की समीक्षा की। उपर्युक्त निष्पादित प्रक्रियाविधियों के आधार पर, आकस्मिक देयताओं के आकलनों और प्रकटनों को पर्याप्त और युक्तिसंगत माना गया।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के अलावा अन्य सूचना और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा विश्लेषण रिपोर्ट और निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी स्वरूप का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना तात्विक रूप से स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण या लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी से असंगत तो नहीं है, या अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्या बयानी तो नहीं प्रतीत होती है।

यदि, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी है, तो हमें उस तथ्य की सूचना देनी आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, जो हम लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् प्राप्त करते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कि कोई महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी है, तो हमें इस मामले को शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करना होगा और परिस्थिति तथा लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक उचित कार्रवाई करनी होगी।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी हैं जो कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के नियम 7 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल हैं, नकद प्रवाह विवरण और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों की एक वास्तविक और निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हों।

इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उन्हें रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग वे निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, कार्यान्वित व उनका अनुरक्षण करना जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी प्रस्तुति से प्रासंगिक हैं जो एक वास्तविक व उचित स्थिति को दर्शातें हैं तथा महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, भी शामिल हैं।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन, कंपनी की चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों, का यथा लागू प्रकटीकरण करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा लक्ष्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण संपूर्णतः तात्विक मिथ्या बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, से मुक्त है, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानक (एसए) के अनुसार आयोजित कोई लेखापरीक्षा हमेशा तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का, जब यह मौजूद हो, पता लगा लेगा। मिथ्या बयानी धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है या त्रुटिवश हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि अलग अलग या समुदित रूप से, इससे प्रयोक्ता का इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैः-

1. स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार और निष्पादित करना और हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त

करना। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप् महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटिवश हुई मिथ्या बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन लोप, मिथ्या प्रस्तुति, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।

2. लेखापरीक्षा करने हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ हासिल करना ताकि प्रदत्त परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। इस अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस विषय पर भी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित है और ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से परिचालन में हैं।

3. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबद्ध प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

4. प्रबंधन के चालू समुत्थान आधार लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो इस कंपनी की चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर अर्थपूर्ण आशंका प्रकट करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को उपांतरित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां इस समूह और इसके चालू समुत्थान के रूप में अस्तित्व को समाप्त कर सकती हैं।

5. स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु, जिनमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और यह मूल्यांकन करना कि क्या ये स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाक्रमों को उस तरीके से निरूपित करते हैं जिससे उचित प्रस्तुति हासिल होता है।

तात्विक्ता, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में मिथ्या बयानी की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इस बात की संभावना पैदा करती है कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के किसी भी जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में अभिचिन्हित किसी भी मिथ्या बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उनको, जो कंपनी के अभिशासन के लिए भारित हैं, अन्य विषयों में से, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा चिन्हित आंतरिक नियंत्रण में अर्थपूर्ण विचलन भी शामिल हैं, के संबंध में संसूचित करते हैं।

हम उनको, जो इस कंपनी के अभिशासन के लिए भारित हैं, को यह भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के सापेक्ष प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों और और जहाँ प्रयोज्य है, संबंधित सुरक्षणों के बारे में भी संसूचित किया हैं जिनके संबंध में हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकने की क्षमता, के संबंध में तर्कसंगत रूप से सोचा जा सकता है।

अभिशासन के लिए भारित को संसूचित विषयों में से, हम उन विषयों का अभिनिर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के हैं और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम इन मामलों को हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कानून या विनियम उस विषय के सार्वजनिक प्रकटन को प्रतिबंधित नहीं करते हैं या जब, नितांत असाधारण परिस्थितियों में, हम यह अभिनिर्धारण करते हैं कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्राप्त प्रतिकूल परिणाम ऐसे संवाद के सार्वजनिक हितलाभों से अधिक गंभीर हो सकने की तर्कसंगत प्रत्याशा है।

अन्य मामले

क) स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचना में संयुक्त उद्यमों/प्रचालनों की 998.63 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों, 366.08 करोड़ रुपये की देयताओं, 399.85 करोड़ के व्यय, 263.27 करोड़ की आय में कंपनी का समानुपातिक हिस्सा और 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नकद प्रवाह में शामिल तत्व और संबंधित प्रकटीकरण शामिल हैं जो प्रचालक के 33 लेखापरीक्षित तथा 63 अलेखापरीक्षित वक्तव्यों पर आधारित हैं और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं।

ख) हमने कूपों के अन्वेषणात्मक, विकासात्मक, उत्पादनकारी और शुष्क में वर्गीकरण, उन पर व्ययित लागत के आवंटन, क्षरण, कार्यमुक्ति लागत के लिए देयता, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (नेल्प)/ हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति ("हेल्प") के अंतर्गत देयता, और सहमत न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के प्रति कम निष्पादन के लिए

देयता के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी/ वाणिज्यिक मूल्यांकन पर भी भरोसा किया है।

ग) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय जानकारी शामिल है। कॉर्पोरेट अवलोकन निदेशकों की रिपोर्ट वित्तीय विवरण। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का कंपनी के संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण किया गया है,जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी,जिसने 20 मई 2024 को ऐसे स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर अपनी अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय उपांतरित नहीं की गई है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा संव्यवहारों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक 'क' में उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के निर्णय के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा संव्यवहारों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम **अनुलग्नक 'क'** और **अनुलग्नक 'ख'** में सी एंड एजी के क्रमशः निदेशों और अतिरिक्त निदेशों में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।

3. इस अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, लागू सीमा तक, हम रिपोर्ट करते हैं कि,

   (क) हमने सभी सूचनाएं व व्याख्याएं मांगी व प्राप्त कर ली हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक हमारे द्वारा उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट की चर्चा में शामिल तुलन-पत्र, (अन्य व्यापक आय) सहित लाभ-हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी परिवर्तन विवरण प्रासंगिक लेखा बहियों के संगत हैं।

   (घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) का अनुपालन करते हैं।

   (ङ) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून 2015 के सा.का.नि. 463(ई) की अधिसूचना के अनुसार, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में इस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) इस कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस अधिनियम की धारा 143(3)(i)के अंतर्गत यथा अपेक्षित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस प्रकार के नियंत्रण की प्रचालन प्रभाविता के संदर्भ में **'अनुलग्नक घ'** में संलग्न हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है;

   (छ) भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.सा.का.नि 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; और

   (ज) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः-

   i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया हैं - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 51 देखें।

   ii) कंपनी की ऐसी कोई व्युत्पन्न संविदाएं सहित दीर्घावधिक संविदाएं नहीं हैं जिनमें प्रत्याशा योग्य महत्वपूर्ण हानियां हो;

   iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित राशि को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ हैं।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती") शामिल है, को कोई भी निधि (जो अलग-अलग रूप से या समुदित रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यवर्ती, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख) प्रबंधन ने प्रतिवेदित किया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था जिसमें विदेशी संस्था ("निधीयन पक्षकार") शामिल है, से कोई भी निधि (जो अलग-अलग रूप से या समुदित रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, निधीयन पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ऑरस से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह कोई गारंटी प्रदान करेगी;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड़) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी शामिल है।

v. जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 21.3 में कहा गया है:

(क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi. हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग किया है,जिसमें ऑडिट ट्रेल (सम्पादन संलेख) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर प्रणाली में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अलावा,हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण हेतु सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225
यूडीआईएन: 25079225BMMJFD7582

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर
भागीदार
सदस्यता सं. 067544
यूडीआईएन: : 25067544BMLGYD8908

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर **ऑयल इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षा संबंधी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांची गई लेखा बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हम कहते हैं कि:

i) (क) क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (तेल एवं गैस परिसंपत्तियों, पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों और कंपनी की नीति के अनुसार कर्मचारियों को दिए गए पीपीई वस्तुओं को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्तियों, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया गया। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है। इस सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करार पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जो परिशिष्ट 'क' में बताया गया है ।

(घ) कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित परिसंपत्तियों) या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी या 31 मार्च 2025 तक कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं थी।

ii) (क) कंपनी द्वारा स्टोर और अतिरिक्त वस्तुओं (पारगमन सामग्री को छोड़कर) सहित मालसूची का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि सभी वस्तुओं को कवर किया जा सके। उच्च और मध्यम मूल्य की स्टोर और अतिरिक्त वस्तुओं का हर साल भौतिक सत्यापन किया जाता है, जबकि कम मूल्य वाली वस्तुओं का 3 वर्षों की अवधि में भौतिक सत्यापन किया जाता है और भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच कोई विसंगति नहीं पाई गई जो इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक हो।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। हमारी राय में, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न या विवरण कंपनी की लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

iii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को छोड़कर, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

क. कंपनी ने निम्नलिखित कंपनी को प्रदान की गई गारंटी को छोड़कर वर्ष के दौरान किसी अन्य कंपनी को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है:

विवरण	गारंटियाँ	प्रतिभूति	ऋण	ऋण प्रकृति के अग्रिम
संयुक्त उद्यमों के लिए वर्ष के दौरान मंजूर/ प्रदत्त कुल राशि				
अनुषंगी कंपनी	-	-	**1.85 करोड़**	-
संयुक्त उद्यम	**92 करोड़**	-	-	-
उपर्युक्त मामलों के संबंध में तुलन पत्र की तिथि तक बकाया शेष				
अनुषंगी कंपनी	-	-	**1.92 करोड़**	-
संयुक्त उद्यम	**224 करोड़**	-	-	-

ख. वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई प्रतिभूति तथा कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण, निवेश और गारंटी के रूप में सभी ऋण और अग्रिम प्रदान करने की शर्तें और नियम कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, दिए गए ऋणों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है और एक अनुषंगी कंपनी और एक संयुक्त उद्यम कंपनी को छोड़कर, चुकौती या प्राप्तियां आमतौर पर शर्त के अनुसार नियमित रही हैं।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, दिए गए ऋणों के संबंध में नब्बे दिनों से अधिक की कोई अतिदेय राशि नहीं है, सिवाय एक अनुषंगी कंपनी और एक संयुक्त उद्यम कंपनी को दिए गए ऋण के संबंध में, जिसकी राशि ₹ 113.88 करोड़ (यूएस $ 13.20 मिलियन) है और 31 मार्च, 2025 तक ₹ 476.82 करोड़ (यूएस $ 55.27 मिलियन) का ब्याज है और कंपनी द्वारा इसे वसूल किए जाने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं।

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान दिया गया कोई भी ऋण देय नहीं है, जिसका नवीनीकरण या विस्तार किया गया हो या उसी पक्षकार को दिए गए मौजूदा ऋणों की अतिदेय राशि के निपटान के लिए कोई नया ऋण दिया गया हो।

च. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है।

iv) कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संगत प्रावधानों और कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अंतर्गत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi) हमने अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा-बही की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा और अभिलेख बनाए और अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने इनकी सटीकता एवं पूर्णता निर्धारित करने के लिए लागत अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है।

vii) (क) कंपनी सामान्य तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, जीएसटी और किसी भी अन्य सांविधिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया राशि को उचित प्राधिकारियों के पास, लागू सीमा तक, नियमित रूप से जमा करती है। 31 मार्च, 2025 तक माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, सीमा शुल्क, जीएसटी, उपकर और अन्य संविधिक बकाया के संबंध में कोई भी अविवादित राशि देय होने

की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) **परिशिष्ट 'ख'** में उल्लिखित विवरणों को छोड़कर, आयकर, भविष्य निधि, ईएसआई, सीमा शुल्क, जीएसटी, उपकर और किसी भी अन्य सांविधिक बकाया का कोई भी भौतिक बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया हो।

viii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान पहले से दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ix) (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे, जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक निवेश के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर अपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है:

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	अंतर्ग्रस्त राशि	अनुषंगी कंपनी सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम का नाम	संबंध	लेन देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
बाह्य वाणिज्यिक उधार	भारतीय स्टेट बैंक (न्यूयॉर्क) द शंघाई कमर्शियल एंड सेविंग्स बैंक यूको बैंक, सिंगापुर सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन सिंगापुर	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार `1940.93 करोड़ (यूएस डॉलर 225 मिलियन) बकाया	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)	संयुक्त उद्यम	मोजाम्बिक परियोजना के लिए बीआरईएमएल में निवेश
बाह्य वाणिज्यिक उधार	भारतीय स्टेट बैंक (न्यूयॉर्क)	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार `687.88 करोड़ (यूएस डॉलर 80 मिलियन) बकाया	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)	संयुक्त उद्यम	मोजाम्बिक परियोजना के लिए बीआरईएमएल में निवेश
विदेशी मुद्रा बंध पत्र	विभिन्न बंध पत्र धारक (एजेंट-सिटी बैंक एनए)	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार `4721.21 करोड़ (यूएस डॉलर 550 मिलियन) बकाया	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)	संयुक्त उद्यम	मोजाम्बिक परियोजना के लिए बीआरईएमएल में निवेश
बाह्य वाणिज्यिक उधार	बैंक ऑफ बड़ौदा आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, गिफ्ट सिटी	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार `4721.53 करोड़ (550 मिलियन डॉलर) बकाया	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल)	संयुक्त उद्यम	500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा बंध-पत्र का पुनर्भुगतान और मोज़ाम्बिक परियोजना के लिए बीआरईएमएल में निवेश

***वर्ष के दौरान कंपनी ने परिपक्वता पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा बांडों के पुनर्भुगतान और मोजाम्बिक परियोजना के लिए बीआरईएमएल में निवेश के लिए 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाह्य वाणिज्यिक उधार लिया है।*

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(च) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव / आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेखों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए, आदेश के खंड 3 (x) (क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी ने लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान शेयरों/पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(x)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi) (क) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी -4 में केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii) संबंधित पक्षकार लेन-देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट्स में विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

xiv) (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) लेखापरीक्षा अवधि के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।

xv) कंपनी ने अपने निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(xv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvi) (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्तपोषण गतिविधियों में संलग्न नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के अंतर्गत रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित मूल निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के अंतर्गत रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) समूह के भाग के रूप में कोई मूल निवेश कंपनी नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, खंड 3(xvii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xviii) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xix) वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान का काल प्रभावन और अपेक्षित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक

अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

xx) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, "चालू परियोजनाओं को छोड़कर" के संबंध में, ऐसी कोई भी अव्ययित राशि नहीं है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में अंतरित किया जाना आवश्यक हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, "चालू परियोजनाओं" के संबंध में, ऐसी कोई भी राशि अव्ययित नहीं है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर किसी विशेष खाते में अंतरित किया जाना आवश्यक हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।

xxi) चूंकि कंपनी अपना समेकित वित्तीय विवरण भी तैयार कर रही है, इसलिए समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पैरा 3 खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग दी गई है।

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225
यूडीआईएनः 25079225BMMJFD7582

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर
भागीदार
सदस्यता सं. 067544
यूडीआईएन: : 25067544BMLGYD8908

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 5 के तहत महालेखा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर **ऑयल इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में "अन्य विधिक और विनियामक संबंधी अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	निदेश	उत्तर	एफएस का प्रभाव
I	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखाओं की विश्वसनीयता पर आईटी प्रणाली के बाहर किए गए लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ बताए जाएं।	कंपनी अपनी लेखा-बही आईटी प्रणाली - एसएपी पर रखती है, जो लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक ईआरपी प्रणाली है। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के आधार पर, आईटी सिस्टम के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित/संचालित नहीं किया गया है। तदनुसार, लेखाओं की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गई है या कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज माफी/छूट का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताएं। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों पर भी लागू होता है)	हमारे सत्यापन और प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी भी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा ऋणदाता को दिए गए किसी भी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।	शून्य
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य निधियों (ग्रांट्स/सब्सिडी) को उसकी निबंधनों और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखा रखा गया था/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं से प्राप्त धनराशि/प्राप्य निधियों (ग्रांट्स/सब्सिडी)को उसकी निबंधनों और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखा-जोखा रखा गया था और उपयोग किया गया था।	शून्य

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225
यूडीआईएन: 25079225BMMJFD7582

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर
भागीदार
सदस्यता सं. 067544
यूडीआईएन: : 25067544BMLGYD8908

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ग

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 5 के तहत महालेखापरीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर **ऑयल इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में "अन्य विधिक और विनियामक संबंधी अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्रम सं.	निदेश	उत्तर	एफएस का प्रभाव
I	तेल/गैस के अन्वेषण के लिए जेवी सहित करारों/ संविदाओं से उत्पन्न आय/व्यय और प्राप्य/देयताओं के लेखांकन संव्यवहार की यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच की जा सकती है कि वे संबंधित उत्पादन साझेदारी संविदा (संयुक्त उद्यम सहित या इसी तरह की अन्य व्यवस्था) के निबंधनों और शर्तों के बिल्कुल अनुरूप हैं।	तेल/गैस के अन्वेषण के लिए जेवी सहित करारों/संविदाओं से उत्पन्न आय/व्यय और प्राप्य/देयताओं के लेखांकन संव्यवहार की जाँच की गई है और इन्हें संबंधित उत्पादन साझेदारी संविदा (संयुक्त उद्यम सहित या इसी तरह की अन्य व्यवस्था)के निबंधनों और शर्तों के बिल्कुल अनुरूप पाया गया है सिवाय उसके विलंब/गैर भुगतान के लिए कैश कॉल पर ब्याज के गैर लेखांकन के संबंध में।	शून्य

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225
यूडीआईएन: 25079225BMMJFD7582

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर
भागीदार
सदस्यता सं. 067544
यूडीआईएन: : 25067544BMLGYD8908

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'घ'

(31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर **ऑयल इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षा संबंधी रिपोर्ट के अनुच्छेद 3(च) में यथाउल्लिखित अनुलग्नक 'घ')

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा करने से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडो पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना व रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा रखरखाव करने को शामिल किया गया है जो इसके व्यवसाय को क्रमबद्ध तरीके से व कुशलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कार्य कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समयबद्ध तैयारी शामिल हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित हैं।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना है। हम अपनी लेखापरीक्षा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के की लेखापरीक्षा की लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के तहत, लेखापरीक्षा संबंधी मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी, दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए, के अनुसार आयोजित की है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा इन उचित आश्वासनों को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और नियंत्रण बनाए रखा जा रहा है तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रण प्रभावी रूप से सभी वास्तविक परिप्रेक्ष्यों में प्रचालित किए जा रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन पद्धतियाँ और उनकी प्रचालन संबंधी कुशलता शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या इसमें कोई वास्तविक क्षीणता मौजूद है, और आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की रूप रेखा व प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिम का आकलन शामिल होता है, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जिन्हें हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारी लेखापरीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित होती है जो उचित विस्तार युक्त, सटीक होते हैं तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन व निपटान को उचित तौर पर प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि वित्तीय विवरणों को सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने के लिए अनुमत किए जाने की अनिवार्यता के साथ लेनदेन को दर्ज किया गया है, तथा कंपनी की उन प्राप्तियों व व्ययों को कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है; तथा (3) कंपनी की उन

परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा निपटान को रोकने अथवा समय पर पता लगाने के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करना जिनका वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाओं के परिणामस्वरूप, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना हावी होती हैं, त्रुटियों और धोखाधड़ी के होने तथा उनके ज्ञात न होने के कारण तथ्यात्मक मिथ्या बयानी होती हैं। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के पूर्वानुमान जोखिम पर आधारित होते हैं जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा जिससे नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर दूषित हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी वास्तविक आयामों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2025 तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहीं थीं।

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225
यूडीआईएन: 25079225BMMJFD7582

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर
भागीदार
सदस्यता सं. 067544
यूडीआईएन: : 25067544BMLGYD8908

परिशिष्ट 'क'

अचल संपत्तियों का विवरण जहां स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है:

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को आज की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "अनुलग्नक – क" के **खंड i(ग)** में संदर्भित

(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

क्र. सं.	परि-संपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर*/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	जिस तारीख से लंबित है	कारण
1	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	82.88	10 वर्ष से कम	अद्यतन अभिलेखों की प्रतीक्षा है।
2	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	17.82	10 वर्ष से कम	अद्यतन अभिलेखों की प्रतीक्षा है।
3	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	असम डायोसीसेल ट्रस्ट एसोसिएशन	नहीं	0.00	10 वर्ष से कम	अद्यतन अभिलेखों की प्रतीक्षा है।
4	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	असम सरकार	नहीं	34.02	10 वर्ष से कम	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
5	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पहचान की प्रक्रिया जारी है	नहीं	15.42	10 वर्ष से कम	जमीन कंपनी के कब्जे में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
6	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	20.69	10-20 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
7	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	4.13	10-20 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
8	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	असम सरकार	नहीं	10.39	10-20 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
9	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.04	10-20 वर्ष	
10	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	वन विभाग, एपी सरकार	नहीं	0.00	10-20 वर्ष	
11	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पहचान की प्रक्रिया जारी है	नहीं	1.11	10-20 वर्ष	जमीन कंपनी के कब्जे में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
12	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	8.38	20-50 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
13	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	4.69	20-50 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
14	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	0.16	20-50 वर्ष	विवादित एवं न्यायालयीन मामला लंबित है

क्र. सं.	परि-संपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर*/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	जिस तारीख से लंबित है	कारण
15	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	असम डिस्टिलरी प्रा. लिमिटेड	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
16	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	मेर्बिल माजुली ग्राम सभा	नहीं	0.01	20-50 वर्ष	
17	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	एपी सरकार	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
18	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	असम सरकार	नहीं	5.27	20-50 वर्ष	
19	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.02	20-50 वर्ष	
20	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	वन विभाग, एपी सरकार	नहीं	0.01	20-50 वर्ष	
21	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	नहीं	0.90	20-50 वर्ष	जमीन कंपनी के कब्जे में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
22	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.03	50 वर्ष से अधिक	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
23	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
24	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	वन विभाग, एपी सरकार	नहीं	0.76	50 वर्ष से अधिक	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
25	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	असम सरकार	नहीं	4.01	50 वर्ष से अधिक	
26	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	
27	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	नहीं	0.02	50 वर्ष से अधिक	जमीन कंपनी के कब्जे में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
28	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	7.40	10 वर्ष से कम	अद्यतन अभिलेखों की प्रतीक्षा है।
29	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	28.85	10 वर्ष से कम	अद्यतन अभिलेखों की प्रतीक्षा है।
30	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	असम सरकार	नहीं	2.86	10 वर्ष से कम	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
31	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.00	10 वर्ष से कम	
32	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	नहीं	1.50	10 वर्ष से कम	जमीन कंपनी के कब्जे में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
33	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	2.23	10-20 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
34	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.13	10-20 वर्ष	विवादित एवं न्यायालयीन मामला लंबित है

क्र. सं.	परि-संपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर*/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	जिस तारीख से लंबित है	कारण
35	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	6.45	10-20 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
36	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.00	10-20 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
37	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	असम सरकार	नहीं	4.28	10-20 वर्ष	
38	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.37	20-50 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
39	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	0.01	20-50 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
40	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	7.06	20-50 वर्ष	विवादित एवं न्यायालयीन मामला लंबित है
41	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	असम सरकार	नहीं	0.56	20-50 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
42	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.01	20-50 वर्ष	
43	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	एपी सरकार	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	
44	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	वन विभाग, एपी सरकार	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	
45	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	जमीन कंपनी के कब्जे में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
46	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.01	50 वर्ष से अधिक	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
47	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	विवादित एवं न्यायालयीन मामला लंबित है
48	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	मधुपुर सहकारी मत्स्य पालन समिति लिमिटेड	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
49	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	0.03	50 वर्ष से अधिक	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
50	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	असम सरकार	नहीं	0.02	50 वर्ष से अधिक	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
51	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.15	50 वर्ष से अधिक	
52	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	एपी सरकार	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	
53	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	वन विभाग, एपी सरकार	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	
54	पीपीई	अधिग्रहण की लागत	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	जमीन कंपनी के कब्जे में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।

(ii) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य*

क्र. सं.	परि संपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर*/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	जिस तारीख से लंबित है	कारण
1	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण की लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	87.86	10 वर्ष से कम	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
2	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण की लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	28.07	10 वर्ष से कम	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
3	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण की लागत	असम सरकार	नहीं	8.12	10 वर्ष से कम	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।
4	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण की लागत	एपी सरकार	नहीं	0.00	10 वर्ष से कम	
5	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण की लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.16	10 वर्ष से कम	
6	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण की लागत	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	नहीं	25.51	10 वर्ष से कम	जमीन कंपनी के कब्जे में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
7	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण की लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.24	10-20 वर्ष	भू-स्वामियों द्वारा अभी तक अद्यतन भूमि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
8	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण की लागत	असम सरकार	नहीं	1.62	10-20 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित की जाती है और कंपनी के कब्जे में होती है। तथापि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास रहता है।

*अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख बड़े आकार के हैं और कई स्थानों पर भौतिक रूप में रखे गए हैं और कुछ स्वामित्व विलेख अंतरण के लिए दस्तावेजीकरण के विभिन्न चरणों में हैं।

परिशिष्ट – 'ख'

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर **ऑयल इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को आज की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "अनुलग्नक – क" के **खंड vii (ख)** में संदर्भित

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि जिस अवधि से संबंधित है	राशि (करोड़ रुपए में)			फोरम जहां विवाद लंबित है
			सकल राशि	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि	जमा नहीं की गई	
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015	7.08	-	7.08	सीईएसटीएटी, कोलकाता
		जुलाई, 2012 से मार्च, 2017	260.92	-	260.92	सीईएसटीएटी, हैदराबाद
		अप्रैल, 2017 से जून, 2017	32.09	-	32.09	सीईएसटीएटी, हैदराबाद
		अप्रैल, 2014 से जून, 2017	36.89	8.00	28.89	सीईएसटीएटी, कोलकाता
		अप्रैल, 2016 से जून, 2017	255.69	255.69	-	माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी
		अप्रैल, 2016 से जून, 2017	3.98	1.44	2.54	माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर बेंच
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 एवं असम जीएसटी अधिनियम 2017	रॉयल्टी पर जीएसटी	जुलाई, 2017 से मार्च, 2025	3,580.48	1,203.85	2,376.64	माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 एवं अरुणाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017	रॉयल्टी पर जीएसटी	जुलाई, 2017 से मार्च, 2025	25.40	6.07	19.33	माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 एवं राजस्थान जीएसटी अधिनियम 2017	रॉयल्टी पर जीएसटी	जुलाई, 2017 से मार्च, 2025	23.10	22.52	0.58	माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर बेंच
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 एवं असम जीएसटी अधिनियम 2017	ट्रान-I क्रेडिट का लाभ	जुलाई, 2017 से मार्च, 2018	1.62	-	1.62	जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने हेतु लंबित है
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 एवं असम जीएसटी अधिनियम 2017	ट्रान-I क्रेडिट का लाभ	जुलाई, 2017 से मार्च, 2018	2.90	-	2.90	जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने हेतु लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर मामलें	निर्धारण वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 एवं 2020-21	241.85	241.85	-	सीआईटी (अपील)

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि जिस अवधि से संबंधित है	राशि (करोड़ रुपए में)			फोरम जहां विवाद लंबित है
			सकल राशि	विरोध के तहत भुगतान की गई राशि	जमा नहीं की गई	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर मामलें	निर्धारण वर्ष 2018-19	34.87	34.87	-	धारा 154 के तहत एओ के समक्ष लंबित सुधार
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर टीडीएस मामलें	निर्धारण वर्ष 2019-20	38.46	35.24	3.22	आईटीएटी में अपील लंबित
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर टीडीएस मामलें	निर्धारण वर्ष 2012-13	3.87	-	3.87	सीआईटी(अपील)
असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) (संशोधन अधिनियम), 2004/2021	भूमि कर	2005-2023	2,377.11	-	2,377.11	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959	पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भूतल किराया	जनवरी 1996 से मार्च, 2025	11.83	-	11.83	राजस्थान सरकार, पेट्रोलियम निदेशालय
ईएसआईसी अधिनियम, 1948	ईएसआई	(i) फरवरी 2010 से सितंबर 2011 तक (ii) अक्तूबर 2011 से दिसंबर 2014 तक	2.45	-	2.45	माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी डब्ल्यूपी(सी) सं. 2295/2018
ईएसआईसी अधिनियम, 1948	ईएसआई	दिसंबर 2012 से दिसंबर 2014	0.05	-	0.05	पाइपलाइन मुख्यालय की सूचीबद्ध डब्ल्यूसीएल के ईएसआईसी अंशदान के संबंध में ईआई न्यायालय, गुवाहाटी के आदेश के विरुद्ध ईएसआईसी, गुवाहाटी द्वारा दायर की गई अपील; एमएफए संख्या 06/2019; कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम ओआईएल और अन्य
ईएसआईसी अधिनियम, 1948	ईएसआई	मई 2012 से नवंबर 2012	0.05	-	0.05	ईएसआईसी द्वारा पारित दिनांक 04.06.2018 के आदेश के विरुद्ध एमएफए संख्या 98/2018 में आई ए (सिविल) संख्या 2470/2018

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। उनके द्वारा यह कहा गया है कि 21 मई 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत यह कार्य कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़े।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(यशोधरा रायचौधुरी)
एडीएआई एवं लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला),
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21 मई 2025

ऑयल इंडिया लिमिटेड
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन-पत्र

(` करोड़ में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
I. परिसंपत्तियाँ			
1. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	16835.14	15291.52
(ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	3	3335.88	2388.18
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	4	2482.67	1313.81
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	67.67	63.46
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	34526.14	36174.96
(ii) व्यापार प्राप्य	7	0.05	17.71
(iii) ऋण	8	248.97	209.27
(iv) अन्य	9	144.06	126.94
(च) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	10	30.07	5.14
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ		**57670.65**	**55590.99**
2. वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) मालसूची	11	1931.67	1554.43
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	12	643.90	958.44
(ii) व्यापार प्राप्य	13	2689.06	2581.33
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	14	398.42	241.90
(iv) अन्य बैंक शेष	15	3751.73	2828.27
(v) ऋण	16	58.68	51.29
(vi) अन्य	17	1122.15	215.15
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	18	870.23	793.29
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	19	300.86	288.70
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		**11766.70**	**9512.80**
कुल परिसंपत्तियां		**69437.35**	**65103.79**
II. इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	20	1626.61	1084.41
(ख) अन्य इक्विटी	21	43808.29	43038.04
कुल इक्विटी		**45434.90**	**44122.45**
देयताएं			
1. गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	22	10130.62	7141.83
(ii) पट्टा देयताएं		334.44	201.77

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(iii) व्यापार संदेय	23		
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय		-	-
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य को देय		32.47	23.78
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	24	36.54	20.75
(ख) प्रावधान	25	1619.11	1344.28
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	26	2699.01	2785.52
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	27	69.68	73.99
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		**14921.87**	**11591.92**
2. वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	28	1943.20	4199.15
(ii) पट्टा देयताएं		477.69	167.39
(iii) व्यापार संदेय	29		
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय		14.60	27.19
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य को देय		1093.66	831.21
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	30	1798.20	1411.53
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	31	562.97	715.00
(ग) प्रावधान	32	3190.26	2037.95
कुल वर्तमान देयताएं		**9080.58**	**9389.42**
कुल देयताएं		**24002.45**	**20981.34**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**69437.35**	**65103.79**
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियां	1-58		

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

हस्ता/-
ए के साहू
कंपनी सचिव

हस्ता/-
अभिजीत मजूमदार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

ऑयल इंडिया लिमिटेड
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(` करोड़ में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
I. प्रचालनों से राजस्व	33	22117.22	22129.79
II. अन्य आय	34	1869.85	2384.49
III. कुल आय (I +II)		**23987.07**	**24514.28**
IV. व्यय:			
उत्पाद शुल्क		780.65	1405.21
व्यापार स्टॉक की खरीद	35	237.50	231.24
तैयार वस्तु की मालसूची में परिवर्तन	36	(11.38)	20.75
कार्मिक हितलाभ व्यय	37	1836.78	1808.96
वित्तपोषण लागत	38	866.32	760.08
मूल्यह्रास, निःशेषण और परिशोधन व्यय	39	1918.68	1775.10
अन्य व्यय	40	10507.57	9404.82
कुल व्यय (IV)		**16136.12**	**15406.16**
V. अपवादात्मक मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि)(III - IV)		**7850.95**	**9108.12**
VI. अपवादात्मक मदें	41	-	2362.72
VII. कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)		**7850.95**	**6745.40**
VIII. कर व्यय :			
(1) निम्न से संबंधित कर :			
(i) चालू वर्ष		1674.84	1860.43
(ii) पूर्व वर्ष		0.00	(3.25)
(2) आस्थगित कर		61.92	(663.63)
कुल कर व्यय (VIII)		**1736.76**	**1193.55**
IX. जारी प्रचालनों से वर्ष का लाभ/(हानि)(VII - VIII)		**6114.19**	**5551.85**
X. बंद प्रचालनों से वर्ष का लाभ/(हानि)		**-**	**-**
XI. बंद प्रचालनों का कर व्यय		**-**	**-**
XII. बंद प्रचालनों से कर पश्चात लाभ/(हानि)(X-XI)		**-**	**-**
XIII. वर्ष के लिए लाभ/(हानि)(IX+XII)		**6114.19**	**5551.85**
XIV. अन्य व्यापक आय			
क (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा :			
(क) परिभाषित हितलाभ का पुनर्मापन		(25.49)	(59.68)
(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख		(2917.18)	6544.54

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		155.66	(621.26)
ख (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा:		-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		**(2787.01)**	**5863.60**
XV. वर्ष की कुल व्यापक आय (XIII + XIV)		**3327.18**	**11415.45**
XVI. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (जारी प्रचालनों के लिए) (₹):			
मूल एवं तनुकृत	42	**37.59**	**34.13**
XVII.प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालनों के लिए) (₹):			
मूल एवं तनुकृत	42	-	-
XVIII. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए) (₹):			
मूल एवं तनुकृत	42	**37.59**	**34.13**
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियां	1-58		

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
ए के साहू
कंपनी सचिव

हस्ता/-
अभिजीत मजूमदार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

ऑयल इंडिया लिमिटेड
31 मार्च 2025 के लिए नकद प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**7850.95**	**6745.40**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन	1918.68	1775.10
बट्टे खाते डाली गई अन्वेषण लागत	77.43	(11.84)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में क्षरण/ (रिवर्सल)	-	(43.17)
अन्वेषणात्मक कूपों, ऋणों, व्यापार प्राप्य, मालसूचियों और अन्य में क्षरण	743.09	664.17
लाभांश आय	(1121.54)	(1861.62)
ब्याजगत आय	(511.42)	(342.84)
ब्याजगत व्यय	776.97	678.01
विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)- (निवल)	198.16	335.30
वित्तीय गारंटी से आय	(8.47)	(8.19)
आस्थगित आय का परिशोधन	(4.14)	(3.98)
म्यूचुअल फंड से लाभ	(66.86)	(41.27)
असंपन्न न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत	325.34	24.13
परिसंपत्तियों के विलोपन से हानि/(लाभ)	29.24	9.13
निवेश के व्ययन से हानि	-	434.46
निवेश के मूल्य में ह्रास का प्रावधान/ (रिवर्सल)	-	(434.48)
रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी के लिए प्रावधान	809.32	3079.33
कार्यमुक्ति देयता की अनवाइन्डिंग	70.50	70.97
आरओयू पट्टा देयता की अनवाइन्डिंग	18.85	11.10
कुल	**3255.15**	**4334.31**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**11106.10**	**11079.71**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
मालसूचियां - (वृद्धि)/कमी	(426.42)	(197.85)
व्यापार एवं अन्य प्राप्य - (वृद्धि)/कमी	(514.22)	(358.10)
पूर्वभुगतान, ऋण और अग्रिम, जमा - (वृद्धि)/कमी	(68.64)	(96.13)
प्रावधान-(वृद्धि)/कमी	(461.98)	(153.83)
व्यापार संदेय एवं अन्य देयताएं - वृद्धि/(कमी)	281.10	(644.45)
कुल	**(1190.16)**	**(1450.36)**
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**9915.94**	**9629.35**
आयकर भुगतान (रिफ़ंड को घटाकर)	(1744.56)	(1914.23)
प्रचालन गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी (क)	**8171.38**	**7715.12**

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अधिग्रहण, अन्वेषण एवं विकास लागत	(3401.25)	(3206.27)
अन्य पूंजीगत व्यय	(1113.85)	(710.08)
अग्रिम सहित इक्विटी/अधिमान में निवेश	(1263.92)	(1040.45)
परिसमापन के मद में ऑयल इंडिया (यूएसए) इंक. से आगम	-	0.09
सावधि जमा राशि और चलनिधि निवेश की परिपक्वता/(में निवेश)	(611.67)	(2183.58)
अनुषंगी कंपनी /सहयोगी कंपनी /संयुक्त उद्यम कंपनियों को ऋण	(1.83)	-
ब्याजगत आय	469.46	333.38
लाभांश आय	690.19	1861.62
निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)	**(5232.87)**	**(4945.29)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
बोनस शेयर के निर्गम पर व्यय	(0.47)	-
उधार राशि का पुनर्भुगतान	(4206.00)	-
उधार राशि से आगम	4610.56	-
निलंब लेखा से लाभांश का भुगतान / अंतरण	(2030.81)	(1896.66)
ब्याज सहित पट्टा देयता का भुगतान	(449.29)	(270.73)
ब्याजगत व्यय	(812.02)	(663.70)
विदेशी मुद्रा (हानि)/लाभ-निवल	105.59	54.86
वित्तपोषण गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)	**(2782.44)**	**(2776.23)**
नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि /(कमी) (क+ख+ग)	**156.07**	**(6.40)**
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	240.08	246.48
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य	**396.15**	**240.08**

टिप्पणी :

क. नकद एवं नकद समतुल्य (टिप्पणी 1 से 28 देखें) निम्नलिखित को दर्शाते हैं:

i) नकद	0.50	0.14
ii) सावधि जमाओं सहित बैंक जमा शेष	397.92	241.76
iii) नकद क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट	(2.27)	(1.82)
	396.15	**240.08**

ख. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान:

(` करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 को	जुटाई गई रकम	पुनर्भुगतान	गैर नकद प्रवाह विनिमय हानि/ (लाभ)	परिशोधन	1 अप्रैल 2025 को
बंध-पत्र (टिप्पण 22 देखें)	8,786.33	-	(4206.00)	136.25	4.63	4,721.21
बाह्य वाणिज्यिक उधार (टिप्पण 22 एवं 28 देखें)	2,552.83	4,610.56	-	177.46	9.49	7,350.34
कुल	**11,339.16**	**4,610.56**	**(4206.00)**	**313.71**	**14.12**	**12,071.55**

(` करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	जुटाई गई रकम	पुनर्भुगतान	गैर नकद प्रवाह विनिमय हानि/ (लाभ)	परिशोधन	1 अप्रैल 2024 को
बंध-पत्र (टिप्पण 22 एवं 28 देखें)	8,650.53	-	-	128.39	7.41	8,786.33
बाह्य वाणिज्यिक उधार (टिप्पण 22 देखें)	2,510.80	-	-	37.36	4.67	2,552.83
कुल	**11,161.33**	**-**	**-**	**165.75**	**12.08**	**11,339.16**

ग. उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) - 7, नकदी प्रवाह विवरण में यथा निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के तहत तैयार किया गया है।

घ. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
ए के साहू
कंपनी सचिव

हस्ता/-
अभिजीत मजूमदार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

ऑयल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का एकल विवरण

(` करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	01.04.2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन	31.03.2024 को शेष		01.04.2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन	31.03.2025 को शेष
इक्विटी शेयर पूंजी	1084.41	-	1084.41	-	1084.41		1084.41	-	1084.41	542.20	1626.61

ख. अन्य पूंजी

(` करोड़ में)

विवरण	आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	निश्रित वित्तीय विलेखों का इक्विटी घटक	आरक्षित निधि तथा अधिशेष					अन्य व्यापक आय की मदें		शेयर आबंटन के निमित प्राप्त धनराशि	कुल
			सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद रूपांतरण लेखा (एफसीएमआईटीडीए)	निवल परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख		
1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	-	-	**19,081.20**	**14,675.32**	**531.99**	**95.41**	**(19.01)**	**-**	**8,673.13**	**-**	**43,038.04**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-	6,114.19	-	-	-	-	-	-	6,114.19
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को घटाकर	-	-	-	-	-	-	-	(18.26)	(2,768.75)	-	(2,787.01)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**6,114.19**	**-**	**-**	**-**	**(18.26)**	**(2,768.75)**	**-**	**3,327.18**
एफसीएमआईटीडीए में परिवर्धन/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	19.01	-	-	-	19.01
अंतिम लाभांश के लिए विनियोजन	-	-	-	(406.65)	-	-	-	-	-	-	(406.65)
अंतरिम लाभांश के लिए विनियोजन	-	-	-	(1,626.61)	-	-	-	-	-	-	(1,626.61)
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि से अंतरित राशि	-	-	436.06	-	(436.06)	-	-	-	-	-	-
शेयरों के बोनस निर्गम के लिए उपयोग	-	-	(447.27)	-	-	(95.41)	-	-	-	-	(542.68)
अन्य व्यापक आय से अंतरित निवल परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	-	-	(18.26)	-	-	-	18.26	-	-	-
31 मार्च, 2025 को शेष	**-**	**-**	**19,069.99**	**18,737.99**	**95.93**	**-**	**-**	**-**	**5,904.38**	**-**	**43,808.29**
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	**-**	**-**	**19,081.20**	**11,066.86**	**531.99**	**95.41**	**(258.46)**	**-**	**2,763.85**	**-**	**33,280.85**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-	5,551.85	-	-	-	-	-	-	5,551.85
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को घटाकर	-	-	-	-	-	-	-	(45.68)	5,909.28	-	5,863.60
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**5,551.85**	**-**	**-**	**-**	**(45.68)**	**5,909.28**	**-**	**11,415.45**
एफसीएमआईटीडीए में परिवर्धन/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	239.45	-	-	-	239.45
अंतिम लाभांश के लिए विनियोजन	-	-	-	(596.42)	-	-	-	-	-	-	(596.42)
अंतरिम लाभांश के लिए विनियोजन	-	-	-	(1,301.29)	-	-	-	-	-	-	(1,301.29)
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि से अंतरित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों के बोनस निर्गम के लिए उपयोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय से अंतरित निवल परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	-	-	(45.68)	-	-	-	45.68	-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेष	**-**	**-**	**19,081.20**	**14,675.32**	**531.99**	**95.41**	**(19.01)**	**-**	**8,673.13**	**-**	**43,038.04**

ग. आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पणी सं . 21 देखें

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
(सीए (डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
ए के साहू
कंपनी सचिव

हस्ता/-
अभिजीत मजूमदार निदेशक
(वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

ऑयल इंडिया लिमिटेड
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 1

1.1.0 कॉरपोरेट सिंहावलोकन

ऑयल इंडिया लिमिटेड" ("कंपनी" या "ओआईएल") (सीआईएन : L11101AS1959GOI001148) के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हैं।

कंपनी भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़, असम, पिन-786602 में है। कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध और उनके कारोबार किए जाते हैं।

कंपनी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी और कंडेनसेट की खोज, विकास और उत्पादन में लगी हुई है और पाइपलाइन परिवहन जैसी सेवाएं प्रदान करती और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करती है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में इन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

1.1.1 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी नए मानक/संशोधन और अन्य परिवर्तन

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित किया है और वित्तीय वर्ष के दौरान बीमा अनुबंध पर नए मानक और अन्य इंड एएस में संशोधन शुरू करने के लिए 12 अगस्त 2024, 9 सितंबर 2024 और 28 सितंबर 2024 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं।

एमसीए ने बीमा अनुबंधों पर एक नया मानक (इंड एएस 117) जारी किया है, जो बीमा अनुबंध पर मौजूदा इंड एएस अर्थात इंड एएस 104 को प्रतिस्थापित करता है और इंड एएस 117 के साथ संगतता बढ़ाने के लिए इंड एएस 101, इंड एएस 103, इंड एएस 105 और इंड एएस 107 जैसे अन्य संबंधित इंड एएस में परिणामी संशोधन किए गए हैं। कंपनी ने संशोधनों की अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया है और इनका वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

वर्ष के दौरान, एमसीए ने 9 सितंबर 2024 की अधिसूचना जीएसआर 554 (इ) के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक 116, बिक्री के लिए पट्टा और लीजबैक लेन-देन में मामूली संशोधनों को अधिसूचित किया। वित्तीय विवरणों में इन संशोधनों का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

1.1.2 मानक अधिसूचित किन्तु अभी तक प्रभावी नहीं

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 7 मई 2025 को अधिसूचना जीएसआर 291 (ई) जारी की, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक 21, "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" में संशोधन किए गए हैं। इसमें यह आकलन करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं कि क्या कोई मुद्रा किसी अन्य मुद्रा में विनिमय योग्य है, जब कोई मुद्रा विनिमय योग्य न हो तो स्पॉट विनिमय दर का अनुमान लगाना, और ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक प्रकटीकरण। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद शुरू होने वाली रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू हैं। कंपनी ने इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

1.2.0 अनुमानों का उपयोग

कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनानी होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशियों और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं, ऐसे अनुमानों में किसी भी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उनका निर्धारण किया जाता है और यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों का प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

1.2.1 प्रमुख निर्णय, धारणाएं तथा लेखांकन अनुमान

क. तेल एवं गैस भंडार का अनुमान

तेल और गैस उत्पादन गतिविधियों के लेखांकन में तेल और गैस भंडारों का अनुमान एक महत्वपूर्ण कारक है। तेल और गैस भंडारों का अनुमान भूविज्ञान और इंजीनियरिंग डेटा के विश्लेषण द्वारा नियतात्मक विधि का उपयोग करके लगाया जाता है। उत्पादन पैटर्न विश्लेषण, पूर्ण किए जाने वाले अतिरिक्त कूपों की संख्या, पुनर्प्राप्ति तकनीकों का अनुप्रयोग, खनन पट्टा करारों की वैधता, बिक्री के लिए करारों/एमओयू आदि भंडारों के अनुमान को प्रभावित करते हैं। मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन शुल्कों की इकाई-उत्पादन विधि मुख्यतः प्रमाणित और सिद्ध विकसित तेल और गैस भंडारों के प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर मापी जाती है। इसके अलावा, अन्वेषण वेधन लागतों को अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता

है, जब तक कि आगे की अन्वेषण या मूल्यांकन गतिविधि के परिणाम लंबित न हों, जिन्हें पूरा होने में और किसी भी संबंधित सिद्ध भंडार को दर्ज करने में कई वर्ष लग सकते हैं।

ख. परिसंपत्तियों का क्षरण

नकदी उत्पादक इकाइयों की परिसंपत्तियों के हानि-योग्य मूल्य निर्धारण के एक भाग के रूप में, अनुमान, धारणाएं और निर्णय मुख्यतः तेल और गैस मूल्य परिदृश्यों, प्रचालन लागत, उत्पादन मात्रा और तेल और गैस के प्रमाणित एवं संभावित भंडारों से संबंधित होते हैं। उपयोग में मूल्य का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली छूट दर की वार्षिक समीक्षा की जाती है। धारणाओं में परिवर्तन परिसंपत्तियों की वहन राशि को प्रभावित कर सकते हैं, और किसी भी हानि या उलटफेर से राजस्व प्रभावित होगा।

ग. कार्मिक हितलाभ

हितलाभ दायित्व और योजनागत परिसंपत्तियाँ बाज़ार मूल्यों और बीमांकिक मान्यताओं में बदलाव के कारण महत्वपूर्ण अस्थिरता के अध्यधीन हो सकती हैं। ये धारणाएं विभिन्न पेंशन योजनाओं के बीच भिन्न होती हैं और इसलिए बाज़ार की स्थितियों को ध्यान में रखती हैं। इनका निर्धारण एक बाहरी स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रमाणित बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक योजना के लिए धारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार समायोजन किया जाता है।

घ. परिसंपत्ति सेवानिवृतन दायित्व

परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व, जो किसी विधिक या रचनात्मक दायित्व के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उस अवधि में एक उचित अनुमान के आधार पर अभिनिर्धारित किए जाते हैं जिसमें दायित्व उत्पन्न होता है। यह अनुमान लागत और कार्य योजना के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी पर आधारित होता है। कानूनों और विनियमों में परिवर्तन, सिद्ध और संभावित तेल एवं गैस भंडारों और वर्तमान उत्पादन ऑफ-टेक के आधार पर क्षेत्रों के अनुमानित उपयोगी जीवन, और साइट की स्थितियों और प्रौद्योगिकियों के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। उपर्युक्त कारकों में परिवर्तन के कारण डीकमीशनिंग देयता प्रावधान भिन्न हो सकते हैं। दायित्व के वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त जोखिम समायोजित छूट दर की वार्षिक समीक्षा की जाती है।

ङ. कराधान

कर देयताओं को तब स्वीकृति प्रदान की जाती है जब यह संभावना मानी जाती है कि भविष्य में किसी कर प्राधिकरण को धनराशि का बहिर्वाह होगा। ऐसे मामलों में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसका निपटान अपेक्षित है, जहाँ इसका उचित अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए अंतिम परिणाम के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर समय के साथ बदल सकता है। भविष्य में बहिर्वाह की संभावना के अनुमान और/या निपटान की अपेक्षित राशि में परिवर्तन को उस अवधि की आय में मान्यता दी जाएगी जिसमें यह परिवर्तन होता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकृति प्रदान की जाती है जहाँ तक यह माना जाता है कि वे परिसंपत्तियाँ वसूली योग्य होंगी। इसमें उन परिसंपत्तियों के प्रत्यावर्तन (रिवर्सल) की संभावना का आकलन और यह निर्णय शामिल है कि प्रत्यावर्तन की स्थिति में परिसंपत्तियों की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा या नहीं। इसके लिए भविष्य की लाभप्रदता के संबंध में धारणाओं की आवश्यकता होती है और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। भविष्य की लाभप्रदता के संबंध में परिवर्तन की सीमा तक, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में स्वीकृत राशियों के साथ-साथ उस अवधि में आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशियों में वृद्धि या कमी हो सकती है जिसमें परिवर्तन होता है।

1.3.0 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.3.1 अनुपालन वक्तव्य

ये वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II की प्रस्तुति अपेक्षाओं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तेल और गैस उत्पादन गतिविधियों (इंड एएस) के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.3.2 तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का उपयोग करते हुए चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय उन परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, जैसे कि कुछ वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएं (उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय विलेखों के लिए टिप्पण 43 देखें)।

लेखांकन नीतियों को सतत आधार पर लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहाँ किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रचलित लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

चूँकि उद्योग की विशेष प्रकृति के कारण प्रचालन चक्र को सामान्य रूप से अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे 1 वर्ष की

अवधि का माना गया है। तदनुसार, सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के प्रचालन चक्र और भारतीय लेखांकन मानक-1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल्यों को निकटतम दो दशमलव करोड़ तक पूर्णांकित किया जाता है, जब तक अन्यथा कथित न हो।

1.4.0 राजस्व मान्यता

1.4.1 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

कंपनी मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), कंडेनसेट, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उत्पादों की बिक्री और पाइपलाइन परिवहन सेवाओं जैसी सेवाओं की बिक्री से राजस्व प्राप्त करती है।

ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी किसी वादा किए गए उत्पाद या सेवा का नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित करके किसी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और इसे उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य की राशि पर मापा जाता है। छूट, कर और शुल्क (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) राजस्व से बाहर रखे जाते हैं।

भारत सरकार के साथ तेल और गैस भंडारों के निष्कर्षण हेतु उत्पादन साझाकरण संविदाओं के अनुसार, पात्र लागत की वसूली के बाद भंडारों के दोहन से प्राप्त आय में से, राजस्व का एक हिस्सा भारत सरकार को दिया जाता है जिसे पेट्रोलियम लाभ कहा जाता है। इसे पेट्रोलियम लाभ में भारत सरकार के हिस्से के रूप में उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व से घटा दिया जाता है।

कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), नवीकरणीय ऊर्जा और कंडेनसेट तेल की बिक्री पर नियंत्रण का हस्तांतरण या तो वितरण बिंदु पर या प्राप्ति बिंदु पर होता है, जहाँ आमतौर पर स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है और/या ग्राहक संविदा की शर्तों के आधार पर भौतिक कब्ज़ा ले लेता है। कीमतों में किसी भी पूर्वव्यापी संशोधन का लेखा-जोखा ऐसे संशोधन के वर्ष में किया जाता है।

केंद्र सरकार/पेट्रोलियम आयोजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) पर गैस पूल राजस्व के दावे ग्राहकों को रियायती मूल्य पर वितरित मात्रा के आधार पर अर्जित किए जाते हैं, जिसके संबंध में राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब प्राप्य की संग्रहणीयता यथोचित रूप से निश्चित हो।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की बिक्री से प्राप्त राजस्व, एक्सचेंज के माध्यम से प्रमाणपत्रों की बिक्री पर, अर्थात् जब प्राप्य राशि यथोचित रूप से निश्चित हो, अभिज्ञात किया जाता है।

गैस की संविदागत कम उठान मात्रा के संबंध में राजस्व तब अभिज्ञात किया जाता है जब ग्राहक का ऐसी मात्रा पर अधिकार समाप्त हो जाता है और उसके अंतिम संग्रहण के संबंध में यथोचित निश्चितता होती है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री और परिवहन, पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आधारित होते हैं/ समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। शर्तों में बाद में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, परिवर्तन की अवधि में अभिज्ञात किए जाते हैं। कीमतों में ऐसा पूर्वव्यापी संशोधन बिक्री के समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

1.4.2 संविदा देयताएं

कंपनी टेक-अवे या पे व्यवस्था के तहत गैस की उठान मात्रा के लिए प्राप्त प्रतिफल हेतु संविदा दायित्व को अभिज्ञात करती है, जिसके लिए ग्राहक को भविष्य में संबंधित मात्रा लेने का अधिकार है (अर्थात् प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ति न होने पर) और विवाद की स्थिति में संविदा करने वाले पक्षकार द्वारा लगाए जा सकने वाले दंड के लिए भी, और इन राशियों को ग्राहकों से अग्रिम राशि के रूप में या भविष्य में देय दंड के रूप में, तुलन-पत्र में रिपोर्ट करती है। जब तक सभी संबंधित प्रदर्शन दायित्व पूरे नहीं हो जाते या ग्राहक का ऐसी मात्राओं पर अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, तब तक अप्रोद्भूत राशियों को राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

1.4.3 अन्य आय

(i) निवेश से लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को मान्यता समय अनुपात के आधार पर दी जाती है, जिसमें बकाया राशि और लागू प्रभावी ब्याज दर को ध्यान में रखा जाता है। यह वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान छूट प्राप्त अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहन राशि के बराबर करती है। आयकर वापसी पर ब्याज का हिसाब मूल्यांकन के अंतिम रूप देने पर लगाया जाता है।

(iii) भंडारित वस्तुओं की पारगमन नुकसान के अलावा अन्य बीमा दावों का हिसाब बीमा कंपनी द्वारा अंतिम स्वीकृति पर लगाया जाता है।

(iv) सब्सिडी/अनुदान के कारण राजस्व और ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज की पहचान तब की जाती है जब अंतिम वसूली निश्चित हो।

(v) परिसमाप्त नुकसान की वसूली को लाभ-हानि विवरण में घटना के समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय संयुक्त उद्यम संविदाओं (जेवीसी) के, जो संबंधित उत्पादन साझाकरण/राजस्व साझाकरण संविदाओं द्वारा विनियमित होते हैं। परिसमाप्त नुकसान की वापसी/वापसी के मामले में, इसे अन्य व्ययों के रूप में हिसाब में लिया जाता है। परिसमाप्त नुकसान पर किसी भी विवाद की स्थिति में, लेखाओं में प्रावधान बनाया जाता है।

(vi) व्यावसायिक विकास सेवाओं जैसे तकनीकी और प्रशासनिक सहायता, मार्गाधिकार का रखरखाव, कैथोडिक संरक्षण, अन्य संगठनों को दी गई सुविधाएँ आदि से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी अपने निष्पादन दायित्व को पूरा करती है।

(vii) ओएफसी फाइबर पट्टाकरण से संबंधित आय को संविदा अवधि के दौरान समय-समय पर मान्यता दी जाती है।

(viii) अन्य दावों को तब मान्यता दी जाती है जब वसूली की उचित निश्चितता हो।

1.5.0 पट्टे

1.5.1 कंपनी पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के प्रावधानों के अनुसार नुमालीगढ़ सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है।

प्रचालन पट्टों से प्राप्त किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रचालन पट्टे पर बातचीत और व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ दिया जाता है और पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जो पट्टे की आय के समान ही है।

1.5.2 कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी ने उपकरण, भूमि, भवन, वाहन आदि की सेवा संविदाओं पर भारतीय लेखांकन मानक 116 "पट्टे" लागू करके यह मूल्यांकन किया है कि इन संविदाओं में पट्टा शामिल है या नहीं। व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ऐसी व्यवस्थाओं को पट्टा मानती है।

कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों पर भारतीय लेखांकन मानक 116 लागू न करने का विकल्प चुना है।

1.5.2.1 पट्टे की अवधि

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसमें पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधियाँ भी शामिल हैं, यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है; और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधियाँ भी शामिल हैं, यदि कंपनी उस विकल्प का प्रयोग न करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है। यह आकलन करते समय कि क्या कंपनी पट्टे को बढ़ाने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आश्वस्त है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग न करने के लिए, कंपनी उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती है जो कंपनी के लिए पट्टे को बढ़ाने के विकल्प का प्रयोग करने, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग न करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उत्पन्न करती हैं।

1.5.2.2 उपयोग के अधिकार परिसंपत्तियाँ :

कंपनी उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों को पट्टे की आरंभ तिथि (अर्थात, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर मान्यता देती है। उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों को लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और क्षरण हानि (भारतीय लेखांकन मानक 36), यदि कोई हो, घटा दी जाती है।

उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों की लागत में पट्टे की आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान, किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और पुनर्स्थापन दायित्वों, यदि कोई हो, के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि शामिल होती है।

1.5.2.3 मूल्यह्रास

उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जो कि पट्टा अवधि या उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के प्रारंभ की तारीख से, जो भी पहले हो, तक होता है।

1.5.2.4 पट्टा देयताएं

पट्टा देयता को प्रारंभ में यथोचित रूप से निश्चित पट्टा अवधि के दौरान भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को लागू वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है।

1.5.2.5 पट्टा देयताओं पर वित्त लागत

पट्टा देयता पर ब्याज लागत, प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है जब तक कि "उधार लागत" पर लेखांकन नीति के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो, लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है।

1.5.2.6 गैर-पट्टा घटक

कंपनी की संविदाओं में कार्मिक लागत, रखरखाव, वेधन संबंधी गतिविधियाँ, उपभोग्य वस्तुएँ और अन्य वस्तुओं सहित कई अतिरिक्त सेवाएँ और घटक शामिल हैं। ऐसी अधिकांश संविदाओं में, अतिरिक्त सेवाएँ/गैर-पट्टा घटक समग्र संविदा मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जहाँ अतिरिक्त सेवाओं/गैर- पट्टा घटकों की अलग से कीमत नहीं तय की जाती, वहाँ कंपनी पट्टा और गैर-पट्टा घटकों की सापेक्षिक एकल कीमतों के आधार पर भुगतान की गई राशि का आवंटन करती है। इसके अलावा, ये गैर-पट्टा घटक लीज़ देयता के मापन में शामिल नहीं होते।

1.5.2.7 पट्टा देयताओं का पुनर्मूल्यांकन

यदि पट्टे की अवधि में परिवर्तन होता है या पट्टे के भुगतान में परिवर्तन होता है तो कंपनी पट्टा देयताओं की वहन राशि का पुनर्मूल्यांकन करती है।

1.5.2.8 अल्पावधि पट्टा और काम मूल्य की संपत्ति पट्टा :

जिन पट्टों की पट्टा अवधि 12 महीनों के भीतर समाप्त हो जाती है, उन्हें अल्पावधि पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार मान्यता छूट के लिए अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को चुना है। कंपनी अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों से जुड़े पट्टा किराया भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता देती है।

1.6.0 विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरण

वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, भारतीय रूपये के अलावा अन्य मुद्राओं में किए गए लेन-देनों को लेन-देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित समापन दरों पर पुनः रूपांतरण किया जाता है। उचित मूल्य पर रखी गई गैर-मौद्रिक मदें, जो विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित हैं, का रूपांतरण उस तिथि पर प्रचलित दर पर किया जाता है जब उचित मूल्य मापा गया था। गैर-मौद्रिक मदें, जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, का रूपांतरण प्रारंभिक लेन-देन की तिथियों पर विनिमय दर का उपयोग करके किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेन-देन लाभ और हानि को उस अवधि के लिए निवल लाभ/हानि निर्धारित करने में शामिल किया जाता है जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को लाभ-हानि विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, सिवाय निम्नलिखित के:

क) अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबंधित विदेशी मुद्रा उधारों पर विनिमय अंतर, जहाँ तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है;

ख) भारतीय लेखांकन मानक 101, भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाने के पैरा डी13एए के अनुसार, कंपनी पिछले आईजीएएपी के अंतर्गत अपनाई गई नीति का पालन करना जारी रखे हुए है और तदनुसार, 31 मार्च, 2016 को मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर उत्पन्न विनिमय अंतर को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतर लेखा" में संचित किया गया है और आय या व्यय के रूप में मान्यता देकर ऐसी दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया गया।

1.7.0 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और निधि उधार लेने के संबंध में होने वाली अन्य लागतें शामिल होती हैं, और इसमें विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर भी शामिल होता है, जहाँ तक उसे ब्याज लागत का समायोजन माना जाता है। उधार लेने की लागत में डिकमिशनिंग और पट्टा देयता पर वित्तीय लागत भी शामिल होती है।

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से सीधे संबंधित उधार लागतों को उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियाँ अपने आशयित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएँ।

जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि अस्थायी आधार के अलावा किसी अन्य कारण से बाधित होती है, तो उधार लागतों का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है और उसे लाभ-हानि विवरण में शामिल कर लिया जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की गई थीं।

1.8.0 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त होंगे।

(i) आय से संबंधित अनुदान (राजस्व अनुदान)

कंपनी लाभ-हानि विवरण में राजस्व अनुदानों को रिपोर्टिंग संबंधित व्यय में कटौती के रूप में मान्यता देती है।

(ii) परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान (पूंजी अनुदान)

सरकारी अनुदान, जिनकी प्राथमिक शर्त यह होती है कि कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का निर्माण या अधिग्रहण करेगी, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों पर गणना किए गए मूल्यह्रास/ह्रास के अनुपात में लाभ-हानि विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

1.9.0 कार्मिक लाभ

1.9.1 सेवानिवृत्ति लाभ लागतें और समाप्ति हितलाभ

परिभाषित अंशदान योजनाओं (जैसे सेवानिवृत्ति लाभ योजना निधि) के भुगतान को लाभ-हानि विवरण (पूंजीकृत किए जाने वाले व्ययों को छोड़कर) में तब दर्ज किया जाता है, जब कार्मिकों ने अंशदान के लिए उन्हें हकदार बनाने हेतु सेवा प्रदान की हो।

परिभाषित लाभ योजनाओं (जैसे भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, परिभाषित लाभ पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ आदि) के अंतर्गत लाभ प्रदान करने की लागत, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन अर्ध-वार्षिक और वार्षिक रूप से किया जाता है। यह वर्तमान सेवा लागत निर्धारित करने के लिए वर्तमान अवधि में कार्मिक सेवा के परिणामस्वरूप परिभाषित

लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है। ऊपर बताई गई वर्तमान सेवा लागत और योजना संशोधन के परिणामस्वरूप पिछली सेवा लागतों को लाभ-हानि विवरण में 'कार्मिक हितलाभ व्यय' के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।

निवल ब्याज, जिसे लाभ-हानि विवरण में 'कार्मिक लाभ व्यय' के अंतर्गत मान्यता दी जाती है, समय बीतने के परिणामस्वरूप योजनागत दायित्वों के वर्तमान मूल्य और योजनागत परिसंपत्तियों के मूल्य में निवल परिवर्तन को दर्शाता है, और इसका निर्धारण लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके किया जाता है, जिसमें वर्ष के दौरान दायित्व या योजनागत परिसंपत्तियों में अपेक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है।

परिभाषित लाभ देयता और परिसंपत्ति का पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियाँ शामिल हैं, और पूंजीकृत भाग के अलावा योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ऊपर वर्णित निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं और बाद में उन्हें लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

कंपनी प्रतिधारित आय के एक भाग के रूप में परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत करती है (इक्विटी में परिवर्तन विवरण देखें)।

प्रत्येक परिभाषित लाभ योजना के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अधिशेष या घाटा, परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच का अंतर है। अलग-अलग ट्रस्ट फंड के माध्यम से प्रबंधित प्रत्येक योजना के घाटे का निपटान सीधे ऐसे ट्रस्ट फंड में किया जाना है। परिभाषित लाभ योजना अधिशेषों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक वे स्वाभाविक रूप से योजनाओं में भविष्य के योगदान में वापसी या कटौती के माध्यम से वसूली योग्य हों।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या किसी अन्य प्रारंभिक पृथक्करण योजना के तहत किए गए भुगतान, लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

1.9.2 अल्पावधि और अन्य दीर्घावधि कार्मिक लाभ

संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि में कार्मिकों को वेतन और मज़दूरी (कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन सहित), वार्षिक छुट्टी बीमारी की छुट्टी आदि के संबंध में प्राप्त लाभों के लिए देयता को उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की छूट-रहित राशि पर मान्यता दी जाती है।

अल्पावधि कार्मिक लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को संबंधित सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की छूट-रहित राशि पर मापा जाता है।

अन्य दीर्घावधि कार्मिक लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि तक कार्मिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

1.10.0 कराधान

1.10.1 चालू कर

आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को कराधान प्राधिकरणों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार पर मापा जाता है। इस राशि की गणना के लिए प्रयुक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं।

कंपनी उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में अपनाई गई स्थिति का मूल्यांकन करती है जिनमें लागू कर विनियम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्याख्या के अधीन होते हैं और इस बात पर विचार करती है कि क्या यह संभव है कि कोई कराधान प्राधिकारी अनिश्चित कर व्यवस्था को स्वीकार करेगा।

विवादित मामलों के संबंध में, जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किसी अपील का निर्णय लिया जाता है, तो संबंधित विभाग/प्राधिकरण से अपीलीय आदेश प्राप्त होने के बाद ही, यदि आगे कोई विरोध नहीं किया जाता है, तो संबंधित अपील प्रभाव लेखाओं में दिया जाता है।

1.10.2 आस्थगित कर

(i) आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों पर देयता पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

(ii) आस्थगित कर देयताओं को सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

(iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और उसे उस सीमा तक कम कर दिया जाता है जहाँ यह संभावना नहीं रह जाती कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या आंशिक लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। ऐसी किसी भी कमी को उस सीमा तक उलट दिया जाएगा जब यह संभावना हो जाती है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

(v) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली योग्यता का आकलन करने में, कंपनी वित्तीय विवरणों और अन्य प्रबंधन रिपोर्टों/अनुमानों में प्रयुक्त समान पूर्वानुमानों और मान्यताओं पर निर्भर करती है।

(vi) आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटान किया जाना है या परिसंपत्ति की वसूली की जानी है। राशि की गणना के लिए प्रयुक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं जहाँ संयुक्त परिचालन संचालित होता है और कर योग्य आय उत्पन्न करता है।

(vii) कंपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट करती है क्योंकि उसके पास वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देयताओं को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है और आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और आस्थगित कर देयताएं एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित हैं।

1.11.0 तेल, और गैस अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास व्यय

कंपनी ने तेल एवं गैस परिसंपत्तियों तथा अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लेखांकन के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी "इंड एएस 106" और "तेल एवं गैस उत्पादन गतिविधियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी (उन संस्थाओं के लिए जिन पर इंड एएस लागू है)" को लागू किया है। कंपनी अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्तियाँ मानती है।

1.11.1 अधिग्रहण-पूर्व, अधिग्रहण, अन्वेषण और मूल्यांकन लागत

(i) अधिग्रहण-पूर्व लागत: अधिग्रहण-पूर्व लागत में डेटा संग्रह और विश्लेषण लागत आदि जैसे व्यय शामिल हैं, जो तेल और गैस परिसंपत्तियों के अन्वेषण, विकास और उत्पादन के अधिकार प्राप्त करने से पहले किए जाते हैं। ये लागतें अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि विवरण में दर्ज की जाती हैं।

(ii) अधिग्रहण लागत:

क) अधिग्रहण लागतों में वेधन कार्यों के लिए अधिग्रहित भूमि की लागत, भूमि पर अस्थायी कब्जे की लागत, कब्जाधारियों को भुगतान की गई फसल और सतह का मुआवजा, पंजीकरण शुल्क, कानूनी लागत, हस्ताक्षर बोनस, मध्यवर्तियों की फीस, फार्म-इन व्यवस्थाओं के लिए भुगतान किया गया प्रतिफल और तेल और गैस के अन्वेषण, वेधन और उत्पादन के अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए अन्य खर्च शामिल हैं।

ख) वेधन कार्यों के लिए अधिग्रहित भूमि की लागत को छोड़कर, इन लागतों को प्रारंभ में अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्ज किया जाता है, जिन्हें प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत "भूमि अधिग्रहण लागत" के रूप में प्रकट किया जाता है।

ग) प्रमाणित विकसित भंडारों के निर्धारण पर, संबंधित अधिग्रहण लागतों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को "तेल एवं गैस परिसंपत्तियों" के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

घ) किसी अन्वेषणात्मक कूप से संबंधित अधिग्रहण लागत, जिसके बारे में यह निर्धारित किया जाता है कि उसमें कोई प्रमाणित भंडार नहीं है और उसकी स्थिति शुष्क है या अन्वेषण प्रयोजन के लिए आगे उपयोग योग्य नहीं है, लाभ-हानि विवरण में प्रभारित की जाती है। ऐसे मामलों में, अधिग्रहण लागत का हिस्सा बनने वाले भूमि मूल्य के विरुद्ध, ₹100 प्रति बीघा की नाममात्र राशि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत फ्रीहोल्ड भूमि में हस्तांतरित कर दी जाती है और भूमि का शेष वहन मूल्य लाभ-हानि विवरण में प्रभारित कर दिया जाता है।

ङ) संपत्तियों में खनिज हित को बनाए रखने की लागत जैसे पट्टा वहन लागत, लाइसेंस शुल्क और अन्य लागतें, व्यय के रूप में प्रभारित की जाती हैं।

(iii) अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत (ई एंड ई लागत):

क) अन्वेषण उद्देश्यों के लिए भूकंपीय सर्वेक्षणों सहित भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय लागतें, जब कभी व्यय होती हैं, लाभ-हानि विवरण में दर्शाई जाती हैं।

ख) अन्वेषण और मूल्यांकन कूपों (जैसे रिग, मड प्लांट, वेल लॉगिंग उपकरण, सीमेंटिंग यूनिट आदि) का वेधन और उन्हें सुसज्जित करने में शामिल सहायक उपकरणों और सुविधाओं पर आवंटित मूल्यह्रास सहित लागतें, पट्टे पर लिए गए सहायक उपकरणों पर आवंटित ब्याज और अन्वेषण-प्रकार के ड्रिलिंग स्ट्रेटीग्राफिक परीक्षण कूपों की लागत को प्रारंभ में अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों (ई एंड ई परिसंपत्तियों) के रूप में दिखाया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रमाणित विकसित भंडारों की स्थापना पर "तेल और गैस परिसंपत्तियों" के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता है या जब यह निर्धारित किया जाता है कि वे शुष्क हैं या आगे उपयोग के योग्य नहीं हैं, तो लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाई जाती हैं।

ग) प्रत्येक अन्वेषण कूप से संबंधित अन्वेषण एवं पुनर्निर्माण लागत तब तक आगे नहीं बढ़ाई जाती जब तक कि यह उचित रूप से प्रदर्शित न हो जाए कि पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद हैं और निकट भविष्य में भंडारों

और परियोजना की आर्थिक एवं परिचालन व्यवहार्यता का और अधिक आकलन करने के लिए गतिविधियों की ठोस योजना बनाई गई है। बट्टे खाते में डाले गए अन्वेषण कुओं की लागत को बहीखातों में वापस नहीं जोड़ा जाता, भले ही वे बाद में उत्पादन शुरू कर दें।

घ) अनुमानित डीकमिशनिंग लागत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल की जाती है।

(iv) विकास लागत :

विकास गतिविधियों जैसे विकासात्मक कूपों और सेवा कूपों का वेधन, संयंत्र और सुविधाओं के उत्पादन और प्रसंस्करण की स्थापना, जिसमें सहायक उपकरणों और सुविधाओं (जैसे रिग, मड प्लांट, कूप लॉगिंग उपकरण, सीमेंटिंग यूनिट आदि) पर आवंटित मूल्यह्रास और पट्टे पर लिए गए सहायक उपकरणों पर आवंटित ब्याज शामिल है, पर होने वाली लागतों को शुरू में "विकास लागत कूपों" के रूप में प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत दर्शाया जाता है और कूप के पूरा होने पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत "तेल और गैस परिसंपत्ति" के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। शुष्क विकास कूप की लागत, यदि कोई हो, को भी कूप के पूरा होने पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत तेल और गैस परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(v) उत्पादन लागत

उत्पादन लागत में कूपों और संबंधित उपकरणों व सुविधाओं के संचालन और रखरखाव पर होने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें शामिल होती हैं, जिनमें मूल्यह्रास और सहायक उपकरणों व सुविधाओं की लागू परिचालन लागत भी शामिल है। ये लागतें, जब भी खर्च होती हैं, लाभ-हानि विवरण में जोड़ दी जाती हैं।

(vi) साइड-ट्रैकिंग व्यय :

अन्वेषणात्मक कूपों के मामले में, साइड-ट्रैकिंग कूप के छोड़े गए हिस्से की लागत लाभ-हानि विवरण में दर्शाई जाती है। विकास कूपों के मामले में, छोड़े गए हिस्से की हिस्से और साइड-ट्रैकिंग की पूरी लागत पूंजीकृत होती है। मौजूदा उत्पादक कूपों के मामले में, साइड-ट्रैकिंग की लागत पूंजीकृत होती है यदि इससे प्रमाणित विकसित भंडार में वृद्धि होती है, अन्यथा इसे लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

1.12.0 अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं/योजनाओं के लिए किए गए सभी राजस्व व्यय, अनुदान-सहायता (परिसंपत्ति से संबंधित को छोड़कर) को छोड़कर, यदि कोई हो, लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं।

1.13.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) जिसमें (पीपीई) जिसमें प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) शामिल है

i. तेल और गैस परिसंपत्तियों सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में संचित मूल्यह्रास, ह्रास और क्षरण हानियाँ घटाकर दर्शाया गया है। इस लागत में संयंत्र और उपकरण के किसी भाग को बदलने की लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं, तो प्रारंभिक अनुमान का वर्तमान मूल्य, किसी भी डीकमीशनिंग या साइट परित्याग या पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य, जहाँ भी लागू हो, और अर्हक उधार लागत, जहाँ भी लागू हो, शामिल हैं। डीकमीशनिंग लागत और उसके प्रावधान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णयों, अनुमानों और धारणाओं (टिप्पणी 1.2.1) और प्रावधानों (टिप्पणी 1.15.2) देखें।

ii. निर्माण के दौरान चल रही परिसंपत्तियों को शुरू में प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य के अंतर्गत रखा जाता है और जब परिसंपत्तियाँ प्रबंधन द्वारा आशयित तरीके से उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं, तो उन्हें पूँजीकृत कर दिया जाता है। इस लागत में निर्माण अवधि के दौरान हुई लागत और किसी भी परित्याग, डीकमीशनिंग या साइट बहाली दायित्व, जहाँ भी लागू हो, के प्रारंभिक अनुमान का वर्तमान मूल्य शामिल होता है। प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य, जिसमें संचित क्षरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर दर्शाया गया है।

iii. सहायक उपकरणों के लिए दर्ज किए गए पट्टों के संबंध में सावधि ऋण पर ब्याज और पट्टा देयता पर ब्याज की समाप्ति से युक्त उधार लागत को सीडब्ल्यूआईपी या पीपीई की संबंधित मद (जैसा भी मामला हो) में पूंजीकृत किया जाता है, बशर्ते पीपीई मद के वहन मूल्य के एक घटक के रूप में उधार लागत की मान्यता के मानदंड पूरे किए गए हों।

iv. यदि सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत रखी गई कोई वस्तु परिभाषित आवश्यकता या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है और उसका आगे कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसी वस्तु को तब तक बट्टे खाते में डालने के लिए प्रावधान किया जाता है, जब तक कि ऐसी वस्तु को वास्तव में बट्टे खाते में नहीं डाल दिया जाता।

v. स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसी वस्तुएँ, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा पर कहर उतरते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को मालसूची (इन्वेंट्री) के रूप में रखा जाता है और उपभोग पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

vi. जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को समय-समय पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उनका अलग से मूल्यह्रास करती है, जो संबंधित संयंत्र और उपकरण के शेष उपयोगी जीवन से अधिक नहीं होता। जहाँ किसी परिसंपत्ति या

परिसंपत्ति के किसी भाग का, जिसका अलग से मूल्यहास किया गया था, प्रतिस्थापन किया जाता है और यह संभावना है कि उस मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, तो व्यय को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित परिसंपत्ति की वहन राशि को मान्यता से हटा दिया जाता है।

vii. प्रमुख शटडाउन और ओवरहाल व्यय को परिसंपत्ति से होने वाले भावी आर्थिक लाभों को बेहतर बनाने के लिए की गई गतिविधियों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। प्रमुख रखरखाव कार्यक्रमों से संबंधित निरीक्षण लागत, जिनसे भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, को अगले निरीक्षण तक की अवधि में पूंजीकृत और मूल्यहासित किया जाता है।

viii. संयंत्रों/सुविधाओं और विशिष्ट सॉफ़्टवेयर से संबंधित तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं, को अंतर्निहित परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ix. किसी क्षेत्र/क्षेत्र के संबंध में पीपीई में कोई तेल और गैस परिसंपत्तियां, जिनका प्रमाणित विकसित तेल और गैस भंडार हैं, को तब अभिज्ञात किया जाता है जब उस क्षेत्र/क्षेत्र में कूप वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। तेल और गैस परिसंपत्तियां, जिनमें उत्पादक कूप, संबंधित अधिग्रहण लागत और उत्पादन सुविधाएं शामिल हैं, को एक इकाई-उत्पादन विधि का उपयोग करके नि:शेषित किया जाता है। अनुमानित डीकमीशनिंग और परित्याग लागत (बचाव मूल्य, संचित मूल्यहास और क्षरण शुल्क को घटाकर) सहित उत्पादक कूपों और उत्पादन सुविधाओं की पूंजीकृत लागत को प्रमाणित विकसित भंडारों पर नि:शेषित कर दिया जाता है। अधिग्रहण लागत को प्रमाणित भंडारों पर नि:शेषित कर दिया जाता है। कमी की दर तेल/गैस क्षेत्र या सजातीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाले संबंधित भंडारों के लिए अभिज्ञात तेल/गैस क्षेत्रों के समूह से उत्पादन के आधार पर निर्धारित की जाती है। तेल और प्राकृतिक गैस भंडार का अनुमान वर्ष के अंत में सालाना लगाया जाता है। अनुमानित प्रमाणित भंडार में परिवर्तन के प्रभाव को परिसंपत्ति के शेष वहन मूल्य को कम करके भावी रूप से निपटाया जाता है।

x. भूमि-पूर्ण स्वामित्व और 'उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट "अपलिखित मूल्य पद्धति" के तहत परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है। पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्यहास नहीं किया जाता है।

xi ₹ 5,000 से अधिक न होने वाली कम मूल्य की वस्तुओं का मूल्यहास जोड़ते समय पूरी तरह से किया जाता है। कूप संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अवशिष्ट मूल्य (निपटान की अनुमानित लागत का निवल) पिछले अनुभव और तकनीकी मूल्यांकन (यदि लागू हो) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है और यह मूल लागत का 5% तक होता है। कूप परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, कूपों के स्थान और स्थिति के आधार पर, कूपों से निकाले जा सकने वाले स्क्रैप के निवल विक्रय मूल्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अन्य प्रमुख संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का विशिष्ट उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

पीपीई का नाम	उपयोगी जीवनकल
भवन	3 से 60 वर्ष
सड़क एवं पुल	3 से 30 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	5 से 30 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	8 से 10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 से 6 वर्ष
वाहन	8 से 10 वर्ष
रेलवे स्लाइड्रिंग और रोलिंग स्टॉक	15 वर्ष

xii. पूंजी सुधार या अन्य कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले पीपीई (तेल और गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर बाद के व्यय पर मूल्यहास शेष उपयोगी जीवन काल के लिए भावी रूप से प्रदान किया जाता है। सुसज्जित/पुनर्निर्मित पीपीई (तेल और गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर मूल्यहास, जिन्हें अलग से पूंजीकृत किया जाता है, पुनर्मूल्यांकित उपयोगी जीवन काल के लिए प्रदान किया जाता है।

xiii. तेल और गैस परिसंपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अपेक्षित उपयोगी जीवन की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। तेल और गैस परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगी जीवन की समीक्षा तेल और गैस परिसंपत्तियों के लिए वार्षिक रूप से भंडार का अनुमान लगाकर की जाती है। इसके अलावा, पीपीई के अवशिष्ट मूल्य का भी वार्षिक रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उपयोगी जीवन में परिवर्तन या अवशिष्ट मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों का भविष्य में लेखा किया जाता है। कंपनी अपेक्षित उपयोगी जीवन और अनुमानित अवशिष्ट मूल्यों के अपने आकलन में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण कानून के प्रभाव पर विचार करती है।

xiv. सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो चुकी कूप परिसंपत्तियों और परिसंपत्ति के निपटान पर भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद के अलावा कोई भी मूर्त परिसंपत्ति, ₹ 1000 या मूल लागत के 5% में से जो भी कम हो, पर संयंत्र और उपकरण के रूप में रखी जाती है और शेष लिखित मूल्य को चार्ज ऑफ कर दिया जाता है।

xv. कूप परिसंपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक मद निपटान पर या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे विमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति की विमान्यता रद्द होने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें उस वस्तु की मान्यता रद्द की जाती है। परिसंपत्ति की वास्तविक बिक्री पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें उस वस्तु को वास्तव में स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है।

xvi. उत्पादनकारी कूप परिसंपत्तियों की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब निर्दिष्ट तेल/गैस क्षेत्र या तेल/गैस क्षेत्रों का एक समूह उत्पादन करना बंद कर देता है।

xvii. कंपनी की आंतरिक योजनाओं के अंतर्गत कार्मिकों को प्रदान की गई परिसंपत्तियों को भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कंपनी की आंतरिक योजनाओं में परिभाषित उपयोगी जीवन या कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, के आधार पर लिखित मूल्य पद्धति के तहत मूल्यह्रास किया जाता है। ऐसी संपत्तियों को आंतरिक योजना में परिभाषित उपयोगी जीवन की समाप्ति पर या उपरोक्त आंतरिक योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों द्वारा ऐसी संपत्तियों की पुनर्खरीद पर अमान्य कर दिया जाता है।

कार्मिकों को प्रदान की गई परिसंपत्तियाँ, जिनका उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट जीवन से भिन्न है, इस प्रकार हैं:

पीपीई का नाम	उपयोगी जीवनकल
मोबाइल फोन	2 से 3 वर्ष
फर्नीचर एवं घरेलू सामान	5 से 6 वर्ष

इसके अलावा, उपर्युक्त आंतरिक योजना के अनुसार कार्मिकों को दिए गए सॉफ्ट फ़र्नीचर का मूल्यह्रास खरीद के वर्ष में ही पूरी तरह से कर दिया जाता है।

xviii. कंपनी द्वारा तीन वर्षों की अवधि में सभी मदों को कवर करते हुए चरणबद्ध तरीके से संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (कंपनी की नीति के अनुसार कार्मिकों को दिए गए पीपीई मदों के अलावा) का भौतिक सत्यापन किया जाता है। यदि कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं, तो उनका लेखा-जोखा उस वर्ष में किया जाता है जिसमें ऐसी विसंगतियाँ पाई जाती हैं और इन विसंगतियों के संबंध में प्रावधान बनाया जाता है, जब तक कि उन्हें बट्टे खाते में नहीं डाल दिया जाता।

1.13.1 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान और मापन के लिए लागत मॉडल का पालन करती है। अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण आरंभ में अभिज्ञात राशि में से संचित परिशोधन और संचित क्षरण हानि (यदि कोई हो) घटाकर दिया जाता है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली भूमि के मार्गाधिकार की लागत का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि नकदी-उत्पादक इकाई स्तर पर प्रतिवर्ष हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चित जीवन के मूल्यांकन की वार्षिक समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि अनिश्चित जीवन जारी रहेगा या नहीं। यदि नहीं, तो अनिश्चित से परिमित उपयोगी जीवन में परिवर्तन उत्तरव्यापी आधार पर किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन पूंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष तक के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। जब भी यह संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

जब कोई भी अमूर्त परिसंपत्ति, अप्रचलित और आगे उपयोग योग्य नहीं पाई जाती है, तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.13.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), ई एंड ई परिसंपत्तियों और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में क्षरण

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ और अमूर्त परिसंपत्तियाँ क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। ई एंड ई परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखांकन मानक 106 के अनुसार क्षति के संकेतकों के लिए की जाती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जो नकदी-उत्पादक इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान लागत घटाकर और उसके उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। वसूली योग्य राशि समग्र सीजीयू के लिए निर्धारित की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, उत्पादक क्षेत्र, एलपीजी संयंत्र, परिवहन पाइपलाइन और नवीकरणीय ऊर्जा इकाइयाँ (कैप्टिव पावर प्लांट के अलावा) को नकदी उत्पादक इकाइयाँ (सीजीयू) माना जाता है।

कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों और सामान्य सेवा परिसंपत्तियों को भी उचित और सुसंगत आधार पर व्यक्तिगत नकदी-उत्पादक इकाइयों को आवंटित किया जाता है। जब सीजीयू के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों की वहन राशि सीजीयू की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और लाभ-हानि विवरण में क्षतिग्रस्तता क्षति को प्रभारित करके, उसे उसकी वसूली योग्य राशि तक लिख दिया जाता है।

उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य

पर छूट दी जाती है, जो मुद्रा के समय मूल्य और सीजीयू से संबंधित विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि पहले से अभिज्ञात हानियाँ अब मौजूद नहीं हैं या कम हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से अभिज्ञात हानि को तभी विपर्यय किया जाता है जब पिछली हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त धारणाओं में कोई अनुकूल परिवर्तन हुआ हो।

जब किसी हानि को बाद में विपर्यय किया जाता है, तो सीजीयू के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दी जाती है, जो उस वहन राशि तक होती है जो पूर्व वर्षों में सीजीयू के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह के लिए कोई हानि अभिज्ञात न की गई होती। हानि के विपर्यय को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

विपर्यय के बाद, परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि, किसी भी अवशिष्ट मूल्य को घटाकर, उसके शेष उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित करने के लिए मूल्यह्रास शुल्क को भविष्य की अवधि में समायोजित किया जाता है।

1.14.0 मालसूची (इन्वेंटरी)

कच्चे तेल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और कंडेनसेट के तैयार माल की इन्वेंटरी का मूल्यांकन अवशोषण लागत पद्धति या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, का उपयोग करके निर्धारित लागत पर किया जाता है। तैयार माल की लागत प्रत्यक्ष लागत और मूल्यह्रास और कमी सहित सीधे तौर पर रोप्य सेवाओं की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस तरह की इन्वेंटरी के मूल्य में उत्पाद शुल्क, रॉयल्टी और अन्य शुल्क शामिल हैं, जो भी लागू हो। विनिर्माण स्थानों पर पड़े तैयार स्टॉक पर उत्पाद शुल्क अंतिम उपयोग के आधार पर प्रत्येक स्थान पर लागू मूल्यांकन योग्य मूल्य पर प्रदान किया जाता है। निवल वसूली योग्य मूल्य, बिक्री को प्रभावित करने के लिए आवश्यक सभी अनुमानित लागतों को घटाकर इन्वेंटरी के अनुमानित विक्रय मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

समूह संग्रहण केंद्र (जीजीएस)/तेल संग्रहण केंद्र (ओसीएस) से टैंक फ़ार्म तक प्रवाह लाइनों में पड़े कच्चे तेल का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पाइपलाइनें हमेशा भरी रहेंगी और सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक हैं। जीजीएस/ओसीएस में टैंकों में अर्ध-तैयार कच्चे तेल को अवशोषण लागत विधि या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मापा और मूल्यांकित किया जाता है।

समूह संग्रहण स्टेशन तक फ्लो लाइन में अधूरे कच्चे तेल और पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पाइपलाइन जमाव सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक हैं। समूह संग्रहण स्टेशन (जीजीएस)/तेल संग्रहण स्टेशन (ओसीएस) से टैंक फ़ार्म तक फ्लो लाइन में पड़े कच्चे तेल का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पाइपलाइन भराव हमेशा बने रहेंगे और सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक हैं। जीजीएस/ओसीएस में टैंकों में अर्ध-तैयार कच्चे तेल को अवशोषण लागत विधि या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मापा और मूल्यांकित किया जाता है।

भंडार और पुर्जों की इन्वेंटरी (पारगमन में इन्वेंटरी सहित) और अन्य कच्चे माल का मूल्यांकन भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, का उपयोग करके किया जाता है।

अप्रचलित/अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान होते ही उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। भंडारण स्थानों में मौजूद भंडार और पुर्जों सहित कोई भी वस्तु, जो बैलेंस शीट की तिथि तक पिछले चार वर्षों से स्थानांतरित नहीं हुई है, धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के रूप में अभिज्ञात किया जाता है, जिसके लिए बही मूल्य का 95% प्रावधान किया जाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के आधार पर कंपनी द्वारा प्राप्त और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) व्यापार के लिए रखे जाते हैं और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

कंपनी द्वारा भंडार और पुर्जों (पारगमन अधीन सामग्री को छोड़कर) सहित इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए किया जाता है। उच्च और मध्यम मूल्य वाले भंडार और पुर्जों की वस्तुओं का हर साल भौतिक सत्यापन किया जाता है, जबकि कम मूल्य वाली वस्तुओं का 3 वर्षों की अवधि में भौतिक सत्यापन किया जाता है। यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उनका हिसाब उस वर्ष में लगाया जाता है जिसमें ऐसे अंतर पाए जाते हैं।

1.15.0 डीकमीशनिंग तथा बहाली दायित्वों सहित प्रावधान

1.15.1 प्रावधान

प्रावधान तब अभिज्ञात किए जाते हैं जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हो और यह संभावना हो कि कंपनी को उस दायित्व का निपटान करना होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में अभिज्ञात राशि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े सभी प्रासंगिक तथ्यों, जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। प्रावधान की माप रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य का उपयोग करके की जाती है।

कंपनी द्वारा सभी संयुक्त उद्यम ब्लॉकों के लिए प्रतिबद्ध अधूरे न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) की लागत के लिए प्रावधान तब किए जाते हैं जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोई वर्तमान दायित्व हो।

1.15.2 डीकमीशनिंग तथा प्रत्यावर्तन दायित्व

परिसंपत्ति सेवानिवृत्तन दायित्वों से संबंधित लागतों के प्रति देयताओं को तब अभिज्ञात किया जाता है जब कंपनी पर किसी कूप को बंद करने और परित्याग करने, किसी सुविधा या संयंत्र के किसी हिस्से को विघटित करने और हटाने और जिस स्थान पर वह स्थित है उसे पुनर्स्थापित करने का दायित्व होता है, और जब उस देयता का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। कूप की साइटों, संबद्ध उत्पादन सुविधाओं और संयंत्रों को विघटित करने, परित्याग करने और पुनर्स्थापित करने से संबंधित लागतों के प्रति देयताओं को कूप का वेधन शुरू होने पर या सुविधाओं और संयंत्रों को स्थापित करते समय, जैसा भी मामला हो, अभिज्ञात किया जाता है। अभिज्ञात राशि अनुमानित भविष्य के व्यय का वर्तमान मूल्य है जो कूपों की गहराई और प्रकार (परीक्षण कूप, अन्वेषण कूप, विकसित कूप आदि), स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान कीमतों पर स्थापित सुविधाओं और संयंत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है और बंद होने की अपेक्षित तिथि तक उचित मुद्रास्फीति दर का उपयोग करके बढ़ाया जाता है और उचित जोखिम-मुक्त छूट दर का उपयोग करके छूट दी जाती है।

डीकमीशनिंग देयता प्रावधान के समतुल्य राशि को, मामले के अनुसार, संबंधित पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी या अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति (ईएंडई) के भाग के रूप में मान्यता दी जाती है। शुष्क अन्वेषण कूपों के संबंध में डीकमीशनिंग लागत को लाभ-हानि विवरण में अन्वेषण कूप की लागत के रूप में व्ययित किया जाता है।

संयुक्त प्रचालन के अंतर्गत परिसंपत्तियों के संबंध में डीकमीशनिंग लागत का प्रावधान, ऑपरेटर द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के आधार पर कंपनी के प्रतिभागिता हित के अनुसार माना जाता है।

डीकमीशनिंग लागत के लिए देयता को नवीनतम उपलब्ध तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान लागत पर प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है। छूट की समाप्ति को वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। छूट की समाप्ति के अलावा अनुमानित डीकमीशनिंग प्रावधान के वर्तमान मूल्य में कोई भी परिवर्तन डीकमीशनिंग प्रावधान में समायोजित किया जाता है और वर्तमान अवधि में परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है और भावी मूल्यह्रास (ह्रास) के लिए विचार किया जाता है। ऐसे मामले में, जहां डीकमीशनिंग प्रावधान का प्रत्यावर्तन संबंधित परिसंपत्तियों के संगत वहन मूल्य से अधिक हो जाता है, अतिरिक्त राशि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

कंपनी डीकमीशनिंग देयता का आकलन करते समय स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभाव पर विचार करती है।

दायित्व के निपटान पर होने वाली वास्तविक लागत को देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और अंतिम लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है, जब निर्दिष्ट तेल/गैस क्षेत्र या तेल/गैस क्षेत्रों का समूह उत्पादन बंद कर देता है।

1.16.0 अनुषंगी कंपनियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

कंपनी अपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत के आधार पर मापती है और क्षरण के किसी भी संकेत के मामले में उसकी क्षरण के लिए जांच की जाती है।

1.17.0 वित्तीय विलेख

1.17.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

1.17.1.1 प्रारम्भिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित खरीद या बिक्री, जिनके लिए बाज़ार में विनियमन या परंपरा द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी आवश्यक होती है, उन्हें व्यापार तिथि के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो वह तिथि होती है जिस दिन कंपनी परिसंपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होती है, या निवेश तिथि, जैसा भी मामला हो।

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य पर मापती है, साथ ही, यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है, तो उस वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से सीधे संबंधित लेन-देन लागतों को भी शामिल करती है, सिवाय उन व्यापारिक प्राप्तियों के जिन्हें शुरू में लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेन-देन लागतों को लाभ और हानि विवरण में व्ययित किया जाता है।

1.17.1.2 वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अपने व्यावसायिक मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों के आधार पर निर्धारित करती है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

क. वे जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाना है (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ या हानि के माध्यम से)। इनमें अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी प्रतिभूतियाँ और लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर म्यूचुअल फंड और छुट्टी नकदीकरण निधि में निवेश शामिल हैं।

ख. वे जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाना है। इनमें परिशोधित लागत पर ऋण प्रतिभूतियाँ, व्यापार प्राप्य, ऋण प्राप्य, नकदी और बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्राप्य शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी ने उन इक्विटी उपकरणों (अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को छोड़कर) के लिए अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है, जिन्हें व्यापार के लिए धारित नहीं रखा गया है।

1.17.1.3 बाद का मापन

ऋण प्रतिभूतियों में लाभ या हानि, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, को अन्य आय/व्यय के एक घटक के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है या क्षरण कर दिया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य पर मापे गए लाभ और हानि को लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय के माध्यम से दर्ज किया जाता है। मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में मान्यता प्राप्त संचयी उचित मूल्य परिवर्तनों को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

1.17.1.4 नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक और नकद रोकड़ शामिल है, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की भरपाई और अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश शामिल होते हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं, और जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम होती है।

1.17.1.5 व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य को प्रारंभ में उनके लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जब तक कि उनमें भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक न हो।

1.17.1.6 वित्तीय परिसंपत्तियों का क्षरण

कंपनी सभी वित्तीय विलेखों (निवेश, ऋण, संयुक्त उद्यम भागीदारों से प्राप्त नकद कॉल, बीमा दावे और छुट्टी नकदीकरण के विरुद्ध प्राप्य और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों) के लिए क्षरण भत्ते को आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर मापती है, यदि उस वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम उसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है। यदि किसी वित्तीय साधन पर ऋण जोखिम उसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी नहीं बढ़ा है, तो कंपनी उस वित्तीय विलेख के लिए हानि भत्ते को 12-माह की अपेक्षित ऋण हानियों के बराबर राशि पर मापती है।

तथापि, ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व के संबंध में व्यापार प्राप्तियों के लिए, कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर क्षरण भत्ते को मापती है।

1.17.1.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य कर देती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय परिसंपत्ति और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्ण मान्यता रद्द करने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल के योग तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी और इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, यदि ऐसा लाभ या हानि अन्यथा उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ या हानि में मान्यता दी गई होती।

1.17.2 वित्तीय देयताएं और इक्विटी विलेख

1.17.2.1 इक्विटी उपकरण

इक्विटी विलेख कोई भी संविदा है जो किसी इकाई की सभी देयताओं को घटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में शेष हित को प्रमाणित करता है। कंपनी द्वारा जारी इक्विटी उपकरणों को प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को घटाकर प्राप्त आय पर मान्यता दी जाती है।

1.17.2.2 वित्तीय देयताएं

कंपनी शुरू में उचित मूल्य पर वित्तीय देयता को अभिज्ञात करती है और ऋणों, उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर स्वीकृत करती है।

कंपनी की वित्तीय देयताएं, जिन्हें व्यापार के लिए नहीं रखा जाता है, बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऋण, उधार, पट्टा देयताएँ, वित्तीय गारंटी अनुबंध और अन्य वित्तीय देयताएं शामिल होती हैं। तथापि, बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी संविदाओं को नीचे दी गई विशिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुसार मापा जाता है।

ब्याज व्यय जो किसी परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं होता, उसे 'वित्तीय लागत' पंक्ति मद में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों पर लाभ या हानि को परिशोधित लागत पर मापा जाता है और लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

1.17.3 वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा दी गई वित्तीय गारंटी को प्रारंभ में उनके उचित मूल्यों पर मापा जाता है, उन लेनदेन लागतों के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने से संबंधित होती हैं और बाद में भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार निर्धारित क्षरण भत्ते और प्रारंभ में मान्यता प्राप्त राशि में से मान्यता प्राप्त संचयी वित्तीय आय की राशि घटाकर, जो भी अधिक हो, उस पर मापा जाता है।

कंपनी गारंटी अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर गारंटी के प्रारंभिक उचित मूल्य का परिशोधन करके वित्तीय आय का आकलन करती है।

कंपनी द्वारा अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लिए जारी वित्तीय गारंटी संविदा के उचित मूल्य को प्रारंभ में वित्तीय गारंटी दायित्व के तहत दर्ज की गई संगत देयता के साथ मानित निवेश के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसा मानित निवेश, ऐसी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की वहन राशि में, जैसा भी लागू हो, जोड़ा जाता है।

कंपनी द्वारा अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर, निवल निपटान आय और वहन

राशियों (मानित निवेश के संगत मूल्य सहित) के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.17.4 वित्तीय देयताओं की विमान्यता

कंपनी वित्तीय देयताओं को विमान्य करती है, जब और केवल तभी जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन, विमान्य या उनकी अवधि समाप्ति हो जाती है। विमान्य की गई वित्तीय देनदारी की वहन राशि और भुगतान किए गए और देय प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

1.18.0 संयुक्त परिचालन में अधिकार

कंपनी के पास उत्पादन साझाकरण संविदा (पीएससी) और राजस्व साझाकरण अनुबंध (आरएससी) के रूप में संयुक्त परिचालन हैं, जो कंपनी द्वारा भारत सरकार/विदेशी देशों की सरकारों के साथ अन्य संस्थाओं के साथ विभिन्न रियायतों/ब्लॉक/क्षेत्रों में तेल और/या गैस गतिविधियों की खोज, विकास और उत्पादन करने के लिए निष्पादित किए जाते हैं, जिनका लेखा निम्नानुसार किया जाता है:

क) वित्तीय विवरण, संयुक्त परिचालनों में कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के हिस्से को, पीएससी और आरएससी की शर्तों के अनुसार, कंपनी के सहभागी हित के अनुपात में, पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर दर्शाते हैं।

ख) ऐसे भंडारों के दोहन से उत्पादित और बेचे गए पेट्रोलियम से प्राप्त राजस्व और संबंधित संविदा के अनुसार, लागत या रॉयल्टी की वसूली के बाद, राजस्व का एक हिस्सा पूर्व निर्धारित आधार पर भारत सरकार को भुगतान किया जाता है। इसे भारत सरकार के हिस्से के रूप में उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व से घटा दिया जाता है।

ग) ऐसे रियायतों/ब्लॉक/क्षेत्र में तेल और गैस के सिद्ध विकसित भंडार को भी कंपनी के सहभागी हित के अनुपात में माना जाता है।

घ) परिचालनों में भागीदारी के अधिकार के लिए नए संयुक्त उद्यम भागीदारों से वसूलनीय प्रतिफल को परिसंपत्तियों और/या व्यय के संबंधित मूल्य से, पिछले लागत में नए भागीदार के योगदान की सीमा तक घटा दिया जाता है और शेष को विविध प्राप्तियों/व्यय के रूप में माना जाता है।

ड़) ब्लॉक में अधिकार की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि ऐसी बिक्री के समय कोई लाभ मान्यता प्राप्त नहीं होता है यदि धारित हिस्सेदारी पर लागू लागतों की वसूली के बारे में पर्याप्त अनिश्चितता हो या कंपनी पर भविष्य के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त दायित्व हो। ऐसी स्थिति में लाभ को उस ब्लॉक से संबंधित लागत की वसूली माना जाता है।

1.19.0 खंड रिपोर्टिंग

उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और उनसे जुड़े जोखिमों तथा रिटर्न को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अपने उत्पादों और सेवाओं (जैसे कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, पाइपलाइन परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य) को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंडों के रूप में अपनाया है। कोई भी रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

खंड की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की या तो सीधे अभिज्ञात किया गया है या कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लागत आवंटन के लिए उपयोग किए गए आधार पर खंडों को आवंटित किया गया है।

खंडों से संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 45 देखें।

1.20.0 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के कर-पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के प्रयोजनार्थ, कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए कर-पश्चात निवल लाभ और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

1.21.0 लाभांश

शेयरों पर अंतिम लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है, और अंतरिम लाभांश कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

1.22.0 आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयताएँ वे संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वर्तमान दायित्वों के संबंध में एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जहाँ संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है और अन्य सभी मामलों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो।

प्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों, गारंटियों, कानूनी मामलों और अन्य से संबंधित आकस्मिक देयताएँ, चाहे विवादित हों या नहीं, प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर उनकी समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार

(` करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / नि:शेषण				क्षरण				निवल वहन राशि
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ नि:शेषण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए क्षरण (प्रत्यावर्तन)	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक
भूमि पूर्णस्वामित्व (टिप्पण 2.5 देखें)	279.50	39.59	-	319.09	-	-	-	-	-	-	-	-	319.09
भवन	1051.92	186.47	2.05	1236.34	386.74	62.43	1.06	448.11	-	-	-	-	788.23
सड़कें और पुल, तेल और गैस परिसंपत्तियाँ	119.74	4.75	0.01	124.48	68.95	15.19	-	84.14	-	-	-	-	40.34
-अधिग्रहण लागत	263.73	9.47	-	273.20	171.19	12.67	-	183.86	-	-	-	-	89.34
-उत्पादक कूप	16,830.68	1,971.63	-	18,802.31	7,643.60	1,166.84	-	8,810.44	107.77	-	-	107.77	9,884.10
-उत्पादन सुविधाएँ,	3,255.92	278.75	5.24	3,529.43	1,224.94	170.90	2.18	1,393.66	-	-	-	-	2,135.77
संयंत्र और उपकर	5,346.37	510.75	67.82	5,789.30	2,779.92	461.61	48.09	3,193.44	14.53	-	-	14.53	2,581.33
फर्नीचर और जुड़नार	79.29	33.90	9.23	103.96	43.84	20.85	8.30	56.39	-	-	-	-	47.57
वाहन	88.54	3.93	1.50	90.97	69.92	5.77	1.04	74.65	-	-	-	-	16.32
कार्यालय उपकरण	403.07	76.17	36.13	443.11	304.25	64.45	31.53	337.17	-	-	-	-	105.94
रेलवे साइडिंग और चल स्टॉक	5.79	-	-	5.79	2.30	0.55	-	2.85	-	-	-	-	2.94
कुल	**27,724.55**	**3,115.41**	**121.98**	**30,717.98**	**12,695.65**	**1,981.26**	**92.20**	**14,584.71**	**122.30**	**-**	**-**	**122.30**	**16,010.97**
घटाएं : प्रावधान	1.36	-	1.12	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24
उप-योग (क)	**27,723.19**	**3,115.41**	**120.86**	**30,717.74**	**12,695.65**	**1,981.26**	**92.20**	**14,584.71**	**122.30**	**-**	**-**	**122.30**	**16,010.73**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / नि:शेषण				क्षरण				निवल वहन राशि
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ नि:शेषण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए क्षरण (प्रत्यावर्तन)	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति													
भूमि	57.23	0.06	-	57.29	5.55	1.20	-	6.75	-	-	-	-	50.54
भवन	17.81	1.79	5.00	14.60	9.14	4.87	5.00	9.01	-	-	-	-	5.59
संयंत्र और उपकरण	905.33	780.46	622.74	1,063.05	641.41	359.28	622.74	377.95	-	-	-	-	685.10
वाहन	205.08	60.62	104.39	161.31	143.07	39.45	104.39	78.13	-	-	-	-	83.18
उप-योग (ख)	**1,185.45**	**842.93**	**732.13**	**1,296.25**	**799.17**	**404.80**	**732.13**	**471.84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**824.41**
पीपीई (निवल) (क+ख)	**28,908.64**	**3,958.34**	**852.99**	**32,013.99**	**13,494.82**	**2,386.06**	**824.33**	**15,056.55**	**122.30**	**-**	**-**	**122.30**	**16,835.14**

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / नि:शेषण				क्षरण				निवल वहन राशि
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ नि:शेषण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए क्षरण (प्रत्यावर्तन)	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक
भूमि पूर्णस्वामित्व (टिप्पण 2.5 देखें)	229.36	50.14	-	279.50	-	-	-	-	-	-	-	-	279.50
भवन	1025.79	26.22	0.09	1051.92	329.40	57.48	0.14	386.74	-	-	-	-	665.18
सड़कें और पुल	86.12	33.65	0.03	119.74	53.15	15.80	-	68.95	-	-	-	-	50.79
तेल और गैस													
-अधिग्रहण लागत	233.82	29.91	-	263.73	154.47	16.72	-	171.19	-	-	-	-	92.54
-उत्पादक कूप	14,687.23	2143.45	-	16830.68	6,575.87	1,033.07	(34.66)	7,643.60	185.60	(43.17)	34.66	107.77	9,079.31
-उत्पादन सुविधाएँ	2,783.95	473.10	1.13	3,255.92	1,010.33	214.91	0.30	1,224.94	-	-	-	-	2,030.98
संयंत्र और उपकरण	4,841.75	519.85	15.23	5,346.37	2,387.91	395.26	3.25	2,779.92	14.53	-	-	14.53	2,551.92
फर्नीचर और फुड़नार	63.57	21.18	5.46	79.29	38.47	10.44	5.07	43.84	-	-	-	-	35.45
वाहन	87.00	2.30	0.76	88.54	62.87	7.47	0.42	69.92	-	-	-	-	18.62
कार्यालय उपकरण	359.01	61.25	17.19	403.07	278.61	41.18	15.54	304.25	-	-	-	-	98.82
रेलवे साइडिंग और चल स्टॉक	2.79	3.00	-	5.79	1.79	0.51	-	2.30	-	-	-	-	3.49
कुल	**24,400.39**	**3364.05**	**39.89**	**27,724.55**	**10,892.87**	**1,792.84**	**(9.94)**	**12,695.65**	**200.13**	**(43.17)**	**34.66**	**122.30**	**14,906.60**
घटाएं : प्रावधान	1.14	0.22	-	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36
उप-योग (क)	**24,399.25**	**3363.83**	**39.89**	**27,723.19**	**10,892.87**	**1,792.84**	**(9.94)**	**12,695.65**	**200.13**	**(43.17)**	**34.66**	**122.30**	**14,905.24**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / नि:शेषण				क्षरण				निवल वहन राशि
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ नि:शेषण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए क्षरण (प्रत्यावर्तन)	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति													
भूमि	57.23	-	-	57.23	4.37	1.18	-	5.55	-	-	-	-	51.68
भवन	14.33	3.48	-	17.81	4.71	4.43	-	9.14	-	-	-	-	8.67
संयंत्र और उपकरण	602.58	302.75	-	905.33	441.73	199.68	-	641.41	-	-	-	-	263.92
वाहन	177.99	27.09	-	205.08	103.55	39.52	-	143.07	-	-	-	-	62.01
उप-योग (ख)	**852.13**	**333.32**	**-**	**1,185.45**	**554.36**	**244.81**	**-**	**799.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**386.28**
पीपीई (निवल) (क+ख)	**25,251.38**	**3697.15**	**39.89**	**28,908.64**	**11,447.23**	**2,037.65**	**(9.94)**	**13,494.82**	**200.13**	**(43.17)**	**34.66**	**122.30**	**15,291.52**

2.1 कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तिथि) की स्थिति के अनुसार अभिज्ञात अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) - मूर्त परिसंपत्तियों के पिछले जीएएपी के अनुसार मापे गए वहन मूल्य को जारी रखने के लिए अपनाया है और उस वहन मूल्य को संक्रमण तिथि के अनुसार इसकी मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया है।

2.2 चालू वर्ष के दौरान तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में वृद्धि में अनुमानों में परिवर्तन और नए कूपों एवं सुविधाओं के योग के बाद डीकमीशनिंग देयता की लागत के पूंजीकृत हिस्से में गिरावट शामिल है जिसकी राशि ₹191.79 करोड़ है (पिछले वर्ष के दौरान नीचे की ओर संशोधन ₹69.33 करोड़ था)।

2.3 संयंत्र एवं उपकरण में सक्रिय उपयोग से हटाई गई परिसंपत्तियों से संबंधित ₹0.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.40 करोड़) का वहन मूल्य शामिल है।

2.4 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने राजस्थान में तेल एवं गैस परिसंपत्तियों से संबंधित "अन्य व्यय" शीर्षक के अंतर्गत लाभ-हानि विवरण में ह्रास को घटाकर ₹43.17 करोड़ की हानि की भरपाई की।

2.5 परियोजनाओं और वेधन कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण मुख्यतः अधिभोगियों/पट्टेदारों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से किया जाता है। यदि, यदि द्विपक्षीय बातचीत विफल हो जाती है, तो सरकारी हस्तक्षेप से प्रासंगिक भूमि कानूनों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। सफल बातचीत या सरकारी आदेश, जैसा भी मामला हो, के आधार पर, अधिभोगियों/पट्टेदारों से सहमति पत्र प्राप्त किए जाते हैं और भूमि पर खड़ी फसलों के लिए सतही मुआवजे का निपटान किया जाता है और उसे या तो फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में या तेल एवं गैस परिसंपत्तियों की अधिग्रहण लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। साथ ही, अधिभोगियों/पट्टेदारों को भूमि पर अपने कानूनी कब्जे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। इन दस्तावेज़ों के प्रस्तुत होने तक और सतही मुआवज़े के निपटान के बाद, भूमि मूल्य की देयता निर्धारित की जाती है और संबंधित मदों के अंतर्गत पूंजीकृत की जाती है। तेल और गैस परिसंपत्तियों का हिस्सा बनने वाली भूमि की लागत, कुएँ में खोज के आधार पर या तो परिशोधित की जाती है या भारमुक्त की जाती है।

कंपनी के अधिभोग में कुल भूमि नीचे संलग्न अनुसार विभाजित है:

विवरण	क्षेत्रफल (लाख वर्ग मीटर में)
उत्परिवर्तित भूमि	194.98
अधिग्रहित सरकारी भूमि	62.93
अधिग्रहित वन भूमि	82.62
वार्षिक पट्टा भूमि	37.77
नामांतरण के लिए लंबित भूमि	235.75
उत्परिवर्तित भूमि	18.11
भूमि मूल्य के भुगतान के लिए लंबित भूमि (बिक्री विलेख निष्पादित नहीं)	92.92
कंपनी द्वारा अधिग्रहित कुल भूमि	**725.08**

2.6 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख का विवरण नोट 57.1 (i) में संक्षेप में प्रकट किया गया है।

टिप्पणी – 3

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

31 मार्च 2025 तक

(` करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन /समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में अंतरण	31 मार्च 2025 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ						
भूमि एवं भवन (सड़कों एवं पुलों सहित)	409.94	455.42	-	230.81	-	634.55
संयंत्र एवं उपकरण	344.95	838.49	(113.75)	624.75	-	672.44
पूंजीगत वस्तुएँ एवं अन्य (परिवहन सहित)	562.17	347.68	526.40	-	-	383.45
तेल एवं गैस परिसंपत्तियाँ						
अधिग्रहण लागत-भूमि	129.09	59.89	-	0.88	13.40	174.70
विकास लागत - कूप*	248.52	1,657.70	-	1,639.64	-	266.58
विकास लागत - उत्पादन सुविधाएँ*	726.71	391.00	(412.78)	278.75	-	1,251.74
अमूर्त परिसंपत्तियाँ						
मार्गाधिकार	-	-	-	-	-	-
सॉफ्टवेयर	-	27.63	-	24.65	-	2.98
कुल	**2,421.38**	**3,777.81**	**(0.13)**	**2,799.48**	**13.40**	**3,386.44**
घटाएं : प्रावधान	33.20	29.45	0.45	-	11.64	50.56
प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (निवल)	**2,388.18**	**3,748.36**	**(0.58)**	**2,799.48**	**1.76**	**3,335.88**

31 मार्च 2024 तक

विवरण	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में अंतरण	31 मार्च 2024 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ						
भूमि एवं भवन (सड़कों एवं पुलों सहित)	247.66	272.30	-	110.01	0.01	409.94
संयंत्र एवं उपकरण	188.59	532.68	(231.26)	607.58	-	344.95
पूंजीगत वस्तुएँ एवं अन्य (परिवहन सहित)	642.98	150.45	231.26	-	-	562.17
तेल एवं गैस परिसंपत्तियाँ						
अधिग्रहण लागत-भूमि	105.12	54.26	-	29.91	0.38	129.09
विकास लागत - कूप*	530.92	1414.38	-	1696.78	-	248.52
विकास लागत - उत्पादन सुविधाएँ*	646.50	552.45	-	473.10	(0.86)	726.71
अमूर्त परिसंपत्तियाँ						
मार्गाधिकार	-	0.01	-	0.01	-	-
सॉफ्टवेयर	-	12.55	-	12.55	-	-
कुल	**2,361.77**	**2,989.08**	**-**	**2,929.94**	**(0.47)**	**2,421.38**
घटाएं : प्रावधान	18.03	15.17	-	-	-	33.20
प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (निवल)	**2,343.74**	**2,973.91**	**-**	**2,929.94**	**(0.47)**	**2,388.18**

3.1.(क) 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	1,719.10	658.58	255.04	686.38	3,319.10
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	4.32	1.84	0.19	10.43	16.78
कुल	**1723.42**	**660.42**	**255.23**	**696.81**	**3335.88**

3.1.(ख) 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	1090.47	390.35	369.41	532.07	2,382.30
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	0.17	0.1	5.61	5.88
कुल	**1090.47**	**390.52**	**369.51**	**537.68**	**2388.18**

3.2.(ए) सीडब्ल्यूआईपी पर व्यय की अनुसूची जहां पूरा होने में देरी हो चुकी है और/या इसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है।

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

परियोजनाएं	पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
पूर्वी खगोरिजन और नादुआ में उत्पादन सुविधा	617.85	-	-	-
एफजीजीएस बाघजान	251.04	-	-	-
एफएचक्यू में अधिकारी आवास कॉलोनी	136.82	-	-	-
जी एंड आर कार्यालय भवन	-	-	-	-
कुमचाई से कुसिजान तक कच्चे तेल की पाइपलाइन	-	-	-	-
परिसंपत्ति विभाग का कार्यालय भवन	34.46			
सालिमारी ओसीएस 1 से आईटीएफ टेंगाखाट तक पाइपलाइन	-	3.89	-	-
सीए-400 मिमीX10 किमीपी/एल-हतियाली स्क्रैपर ट्रैप-एफजी	-	13.70	-	-
अन्य परियोजनाएँ#	35.79	-	-	-
कुल	**1,075.96**	**17.59**	**-**	**-**

3.2.(ख) सीडब्ल्यूआईपी पर व्यय की अनुसूची जहां पूरा होने में देरी हो चुकी है और/या इसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है।

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

परियोजनाएं	पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
पूर्वी खगोरिजन और नादुआ में उत्पादन सुविधा	614.27	-	-	-
एफजीजीएस बाघजान	182.98	-	-	-
एफएचक्यू में अधिकारी आवास कॉलोनी	96.34	-	-	-
जयपुर में आवासीय परिसर	53.00	-	-	-
जी एंड आर कार्यालय भवन	32.79	-	-	-
कुमचाई से कुसिजान तक कच्चे तेल की पाइपलाइन	56.74	-	-	-
सालिमारी ओसीएस 1 से आईटीएफ टेंगाखाट तक पाइपलाइन	-	13.00	-	-
हतियाली स्क्रैपर ट्रैप से एफजीजीएस छबुआ तक पाइपलाइन	-	12.34	-	-
अन्य परियोजनाएँ#	9.27	-	-	-
कुल	**1,045.39**	**25.34**	**-**	**-**

#10 करोड़ रुपये से कम वास्तविक व्यय वाली परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

3.3 चालू वर्ष के दौरान तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में वृद्धि में अनुमानों में परिवर्तन और नए कूपों एवं सुविधाओं के योग को घटाकर डीकमीशनिंग देयता की लागत के पूंजीकृत हिस्से में कमी का संशोधन शामिल है, जो 21.07 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि का संशोधन 16.62 करोड़ रुपये था)।

3.4 विकास लागत में वृद्धि – कूपों के वेधन के लिए उपयोग किए जाने वाले रिगों और अन्य सहायक उपकरणों पर मूल्यह्रास ₹212.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹166.75 करोड़) शामिल है।

3.5 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख के विवरण के लिए कृपया टिप्पणी 57.1.(ii) देखें।

टिप्पणी – 4

अन्वेषणात्मक एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(` करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में अंतरण	31 मार्च 2025 को
प्रगतिधीन अन्वेषणात्मक कूप (अमूर्त परिसंपत्तियाँ)						
-अधिग्रहण लागत-अन्य	64.43	14.24	-	8.59	1.83	68.25
-अन्वेषण लागत	3,843.98	2,116.07	-	331.99	348.92	5,279.14
कुल	**3,908.41**	**2,130.31**	**-**	**340.58**	**350.75**	**5,347.39**
घटाएं : अन्वेषणात्मक और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के निमित्त प्रावधान	2,594.60	545.46	0.26	-	275.08	2,864.72
अन्वेषणात्मक एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (निवल)	**1,313.81**	**1,584.85**	**(0.26)**	**340.58**	**75.67**	**2,482.67**

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में अंतरण	31 मार्च 2024 को
प्रगतिधीन अन्वेषणात्मक कूप (अमूर्त परिसंपत्तियाँ)						
-अधिग्रहण लागत-अन्य	60.77	3.66	-	-	-	64.43
-अन्वेषण लागत	3,062.91	1,216.38	-	446.67	(11.36)	3,843.98
कुल	**3,123.68**	**1,220.04**	**-**	**446.67**	**(11.36)**	**3,908.41**
घटाएं : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के निमित्त प्रावधान	2,072.89	521.71	-	-	-	2,594.60
अन्वेषणात्मक एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (निवल)	**1,050.79**	**698.33**	**-**	**446.67**	**(11.36)**	**1,313.81**

4.1 चालू वर्ष के दौरान अन्वेषणात्मक एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों में वृद्धि में अनुमानों में परिवर्तन और नए कूपों एवं सुविधाओं के योग को घटाकर डीकमीशनिंग देयता की लागत के पूंजीकृत हिस्से में कमी का संशोधन शामिल है, जो 4.55 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष के दौरान कमी का संशोधन 14.55 करोड़ रुपये था)।

4.2 अन्वेषण लागत में कूपों के वेधन के लिए प्रयुक्त रिगों और अन्य सहायक उपकरणों पर मूल्यह्रास की राशि 274.49 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 115.60 करोड़ रुपये) शामिल है।

4.3(क) 31 मार्च, 2025 तक प्रगतिधीन अन्वेषण कूपों (अमूर्त परिसंपत्तियों) की आयु निर्धारण अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(` करोड़ में)

अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां	अवधि के लिए विकासाधीन अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	1577.77	420.11	88.51	312.09	2398.48
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	1.98	1.41	0.05	80.75	84.19
कुल	**1579.75**	**421.52**	**88.56**	**392.84**	**2482.67**

4.3.(ख) 31 मार्च, 2024 तक प्रगतिधीन अन्वेषण कूपों (अमूर्त परिसंपत्तियों) की आयु निर्धारण अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(` करोड़ में)

अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियां	अवधि के लिए विकासाधीन अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	770.79	101.45	149.45	180.74	1202.43
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	0.10	-	-	111.28	111.38
कुल	**770.89**	**101.45**	**149.45**	**292.02**	**1313.81**

टिप्पणी – 5

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(` करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
मार्गाधिकार	18.62	-	-	18.62	-	-	-	-	18.62
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	192.59	24.65	0.05	217.19	147.75	20.44	0.05	168.14	49.05
कुल	**211.21**	**24.65**	**0.05**	**235.81**	**147.75**	**20.44**	**0.05**	**168.14**	**67.67**

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
मार्गाधिकार	18.61	0.01	-	18.62	-	-	-	-	18.62
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	184.06	12.55	4.02	192.59	131.23	20.53	4.01	147.75	44.84
कुल	**202.67**	**12.56**	**4.02**	**211.21**	**131.23**	**20.53**	**4.01**	**147.75**	**63.46**

5.1 कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तिथि) को मान्यता प्राप्त अपनी अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है तथा उस वहन मूल्य को संक्रमण तिथि पर अपनी अनुमानित लागत के रूप में उपयोग किया है।

5.2 पाइपलाइन बिछाने के लिए मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) कंपनी को भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। इसलिए, आरओडब्ल्यू को अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है।

5.3 कंपनी ने मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के उपयोगी जीवन की समीक्षा की है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाइपलाइन बिछाने के लिए आरओडब्ल्यू स्थायी आधार पर अधिग्रहित किया जाता है, जो पाइपलाइन के जीवनकाल से अलग है, आरओडब्ल्यू का उपयोगी जीवन अनिश्चित माना जाता है। तदनुसार, आरओडब्ल्यू का परिशोधन नहीं किया जाता है।

5.4 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार शेष उपयोगी जीवन पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वहन मूल्य

(` करोड़ में)

सॉफ्टवेयर की श्रेणी	शेष उपयोगी जीवनकाल				कुल
	4 से 5 वर्ष	2 से 4 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 वर्ष से कम	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	14.99	26.51	3.2	4.35	49.05

5.5 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार शेष उपयोगी जीवन पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वहन मूल्य

(` करोड़ में)

सॉफ्टवेयर की श्रेणी	शेष उपयोगी जीवनकाल				कुल
	4 से 5 वर्ष	2 से 4 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 वर्ष से कम	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	10.19	25.76	6.67	2.22	44.84

टिप्पणी – 6

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : निवेश

(` करोड़ में)

		31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		
क. इक्विटी शेयर – पूर्णतः चुकता							
1) अनउद्धृत – लागत पर							
- ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	अनुषंगी कंपनी	302.21			300.55		
घटाएँ: क्षरण के लिए प्रावधान		276.26	25.95		276.26	24.29	
- ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.	अनुषंगी कंपनी	218.73			218.73		
घटाएँ: क्षरण के लिए प्रावधान		218.73	-		218.73	-	
- ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	3,488.68			3,488.68		
जोड़ें: मानित निवेश		91.47	3580.15		91.47	3580.15	
- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी		7472.47			7472.47	
- ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी		5.00	11083.57		-	11076.91
-ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	संयुक्त उदयम	6838.60			6838.60		
घटाएं : क्षरण के लिए प्रावधान		174.00	6664.60		174.00	6664.60	
- सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	संयुक्त उदयम	0.05			0.05		
घटाएं : क्षरण के लिए प्रावधान		0.05	-		0.05	0.00	
- डीएनपी लिमिटेड	संयुक्त उदयम		47.66			38.46	
- असम पेट्रो - केमिकल्स लिमिटेड	संयुक्त उदयम		303.25			303.25	
- इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	संयुक्त उदयम	230.56			222.36		
जोड़ें: मानित निवेश		7.02	237.58		4.19	226.55	
- एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उदयम		96.00			96.00	
- पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उदयम		43.72			35.59	
- नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उदयम		68.60	7461.41		49.00	7413.45
- ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी	141.77			141.77		
जोड़ें : मानित निवेश		1.26		143.03	1.26		143.03
2) उद्धृत - अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट							
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड-प्रारंभिक लागत पर			2670.75			2670.75	
जोड़ें: संचयी उचित मूल्य लाभ			6630.74	9301.49		9547.92	12218.67
ख. इक्विटी शेयर - आंशिक रूप से चुकता							
1) अनक्वाउटेड - लागत पर	सहयोगी						
- नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड				1652.85			1,101.90

		31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
ग. अधिमानी शेयर - अनउद्धृत – लागत पर			
10% संचयी विमोच्य अधिमानी शेयर- ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड	संयुक्त उदयम	3801.86	3,139.07
घ. करमुक्त बॉण्ड			
1) उद्धृत – परिशोधित लागत पर			
क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		7.19	7.19
ख) भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड		60.40	60.40
ग) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड		534.35	534.35
घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		19.99	19.99
ड) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		300.00	300.00
2) अनउद्धृत - परिशोधित लागत पर			
क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		100.00	100.00
ख) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		60.00	60.00
च. ऋण पत्रों में निवेश – परिशोधित लागत पर			
- द ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड, 5% गैर-प्रतिदेय डिबेंचर स्टॉक 1957 (केवल ₹ 1/- के नाममात्र मूल्य पर)		0.00	0.00
		34,526.14	**36.,174.96**

6.1 अनुद्धृत निवेशों का कुल वहन मूल्य ₹24,302.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23,034.36 करोड़) है।

6.2 उद्धृत निवेशों की कुल राशि ₹10,223.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13,140.60 करोड़) है।

6.3 उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य ₹10,366.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13,297.09 करोड़) है।

6.4 निवेश के मूल्य में कुल हानि ₹669.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹669.04 करोड़) है।

6.5 इक्विटी निवेशों का विवरण निम्नानुसार है: -

निगमित कंपनी का नाम		31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		शेयरों की सं.	प्रति शेयर अंकित मूल्य	शेयरों की सं.	प्रति शेयर अंकित मूल्य
ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	पूर्णतः चुकता	349129	यूरो 11.1945	332887	यूरो 11.1945
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.	पूर्णतः चुकता	29607573	यूरो 1	29607573	यूरो 1
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	533707277	कोई सममूल्य नहीं	533707277	कोई सममूल्य नहीं
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	पूर्णतः चुकता	1024440770	`10	1024440770	`10
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	पूर्णतः चुकता	200344555	`10 (आंशिक रूप से चुकता `7.5 प्रति शेयर)	200344555	₹10 (आंशिक रूप से चुकता ₹5 प्रति शेयर)
ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	5000000	`10	-	-
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	5120	कोई सममूल्य नहीं	5120	कोई सममूल्य नहीं

निगमित कंपनी का नाम		31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
		शेयरों की सं.	प्रति शेयर अंकित मूल्य	शेयरों की सं.	प्रति शेयर अंकित मूल्य
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	303250000	`10	303250000	`10
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	230560000	`10	222360000	`10
एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	96000000	`10	96000000	`10
पूर्व भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	43721600	`10	35596600	`10
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल)	पूर्णतः चुकता	141767000	`10	141767000	`10
डीएनपी लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	47660000	`10	38460000	`10
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	पूर्णतः चुकता	728385744	`10	728385744	`10
सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	2500000	नायरा 1	2500000	नायरा 1
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पूर्णतः चुकता	68600000	`10	49000000	`10

6.6 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ₹110 प्रति शेयर (₹100 प्रीमियम सहित) के मूल्य पर राइट बेसिस पर 28,77,27,273 इक्विटी शेयर जारी किए। कंपनी ने राइट बेसिस पर जारी 20,03,44,555 इक्विटी शेयर खरीदे और इश्यू की शर्तों के अनुसार प्रति राइट इक्विटी शेयर निर्गम मूल्य के 75% (पिछले वर्ष 50% के निमित्त ₹1,101.90 करोड़) के निमित्त कॉल मनी के रूप में ₹1,652.85 करोड़ का भुगतान किया। आंशिक रूप से चुकता शेयर 9 मई, 2023 को कंपनी को आवंटित किए गए हैं।

6.7 कंपनी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया स्वीडन एबी द्वारा पूर्णतः चुकता यूरो 11.1945 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 16,242 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं।

6.8 ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी, नीदरलैंड, जो ऑयल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, की एक संयुक्त उद्यम कंपनी वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, साइप्रस में 50% हिस्सेदारी है, जो रूस की पंजीकृत कानूनी संस्था स्टिमुल-टी एलएलसी की 100% वोटिंग इक्विटी का स्वामित्व रखती है, जो रूसी संघ के टॉम्स्क क्षेत्र में ब्लॉक लाइसेंस 61 का संचालन करती है। स्टिमुल-टी एलएलसी ने 10 मई, 2023 को टॉम्स्क, रूस के मध्यस्थता न्यायालय में दिवालियापन के लिए आवेदन दायर किया। दिवालियापन के लिए आवेदन को मध्यस्थता न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और 8 नवंबर, 2023 के अपने फैसले में एक अस्थायी प्रबंधक (दिवालियापन ट्रस्टी) नियुक्त किया है और दिवालियापन के पर्यवेक्षण चरण की शुरूआत की है जो वर्तमान में प्रगति पर है।

6.9 "ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड" के नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी की स्थापना 31 जनवरी 2025 को की गई। कंपनी का गठन गैर-पारंपरिक/नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए किया गया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड को ₹10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 50,00,000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

6.10 कंपनी के पास 31 मार्च, 2025 तक ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड में बिना सममूल्य मूल्य के 22,708 (31 मार्च, 2024 तक 19,116) पूर्णतः चुकता 10% संचयी मोचनीय अधिमानी शेयर हैं।

ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल) में कंपनी के 5120 साधारण इक्विटी शेयर और 19,116 अधिमानी शेयर, बीआरईएमएल द्वारा की गई परियोजना वित्त व्यवस्था के तहत एरिया 1 साझा सुरक्षा संरक्षक (स्टैंडर्ड बैंक, एस.ए.) की अभिरक्षा में प्रदान किए गए हैं।

6.11 कंपनी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी के संयुक्त उद्यम, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा पूर्णतः चुकता ₹10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 8200000 इक्विटी शेयर राइट शेयरों के रूप में आवंटित किए गए हैं।

6.12 कंपनी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के संयुक्त उद्यम नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा पूर्णतः चुकता ₹10 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 19600000 इक्विटी शेयर राइट शेयरों के रूप में आबंटित किए गए हैं।

6.13 कंपनी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के संयुक्त उद्यम ईएनपी लिमिटेड द्वारा पूर्णतः चुकता ₹10 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 9200000 इक्विटी शेयर राइट शेयरों के रूप में आवंटित किए गए हैं।

6.14 कंपनी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के संयुक्त उद्यम पूर्व भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्णतः चुकता ₹10 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 8125000 इक्विटी शेयर राइट शेयरों के रूप में आवंटित किए गए हैं।

6.15 कर मुक्त बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है:-

निगमित कंपनी का नाम	प्रति यूनिट अंकित मूल्य	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	परिपक्वता की तारीख
		इकाइयों की संख्या		
उद्धृत:				
क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	71876	71876	17-10-2035
ख) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	604000	604000	21-12-2030
ग) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	1000000	1000000	19-12-2027
घ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	2000000	2000000	24-09-2028
ङ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	343512	343512	05-11-2035
च) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	199864	199864	05-10-2035
छ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000000	2000	2000	21-11-2027
ज) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000000	3000	3000	15-11-2032
अनउद्धृत:				
क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000000	1000	1000	29-11-2027
ख) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000000	600	600	06-12-2027

6.16 अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में महत्वपूर्ण निवेशों की सूची:

(` करोड़ में)

विवरण	निगमन का देश	संबंध	स्वामित्व अधिकार	
			31.03.2025	31.03.2024
ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	स्वीडन	अनुषंगी कंपनी	100%	100%
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.	नीदरलैंड	अनुषंगी कंपनी	100%	100%
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	अनुषंगी कंपनी	100%	100%
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	भारत	अनुषंगी कंपनी	69.63%	69.63%
ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	भारत	अनुषंगी कंपनी	100%	-
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	मॉरीशस	संयुक्त उद्यम	40%	40%
सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	नाइजीरिया	संयुक्त उद्यम	25%	25%
ईएनपी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	23%	23%
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	भारत	सहयोगी कंपनी	10%	10%
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	48.80%	48.80%
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	20%	20%
एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	50%	50%
पूर्व भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	26%	26%
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	49%	49%

6.17 मानित निवेश संबंधित कंपनी को प्रदान की गई वित्तीय गारंटी के उचित मूल्य का निरूपित करता है।

6.18 निवेश के मूल्यांकन की विधि टिप्पणी संख्या 1.16.0 और 1.17.1 में दी गई है।

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : व्यापार प्राप्य

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
परिशोधित लागत पर		
अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	0.05	17.71
	0.05	**17.71**

7.1.(क) 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(` करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –अच्छे माने गए	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य –अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**0.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.05**

7.1.(ख) 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(` करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –अच्छे माने गए	-	17.71	-	-	-	-	-	17.71
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य –अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**17.71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.71**

टिप्पणी – 8

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : ऋण

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिशोधित लागत पर				
अच्छे माने गए – प्रतिभूत				
कार्मिकों को ऋण		247.01		208.69
अच्छे माने गए – अप्रतिभूत				
कार्मिकों को ऋण		0.04		0.58
जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है				
संबंधित पक्षकारों को ऋण				
- मैसर्स ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.		1.92		-
क्रेडिट क्षीण				
संबंधित पक्षकारों को ऋण				
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी को ऋण	807.61		785.89	
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	807.61	-	785.89	-
सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को ऋण	353.38		343.87	
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	353.38	-	343.87	-
		248.97		**209.27**

8.1 कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों से देय ऋण निम्नानुसार हैं:

(` करोड़ में)

विवरण	ऋण या ऋण की प्रकृति के अग्रिम की राशि जो बकाया है*		ऋण या ऋण की प्रकृति के अग्रिम का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
निदेशक	1.77	0.69	0.13%	0.05%
अन्य अधिकारीगण (केएमपी)	0.08	0.09	0.01%	0.01%
संबंधित पक्षकार				
-सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड (#)	353.38	343.87	25.06%	25.68%
-ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी (#)	809.53	785.89	57.42%	58.69%
कुल	**1164.76**	**1130.54**	**82.61%**	**84.43%**

(*) निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋणों में मांग पर प्रतिदेय ऋण शामिल नहीं हैं।

(#) पूर्णतः प्रावधानित

8.1 संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋणों में शामिल हैं:

विवरण	निम्नलिखित तिथि को शेष			
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
(i) ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. (टिप्पणी 6.8 देखें):	यूएस $ (मिलियन)	₹ करोड़ में	यूएस $ (मिलियन)	₹ करोड़ में
31 दिसंबर, 2025 को परिपक्व होने वाले ऋणों की ब्याज दर 3 माह लिबोर योग 5.65 प्रतिशत है (*)	45.00	388.22	45.00	377.78
7 अप्रैल, 2021 को परिपक्व होने वाले ऋणों की ब्याज दर 3 माह लिबोर योग 8.65 प्रतिशत है (*) (**)	10.00	86.27	10.00	83.95
7 अप्रैल, 2021 को परिपक्व होने वाले ऋणों की ब्याज दर 3 माह लिबोर योग 8.65 प्रतिशत है (*) (*#) (**)	3.20	27.61	3.20	26.86
1 जुलाई, 2029 को परिपक्व होने वाले ऋणों पर 7.12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा (##)	0.22	1.85	-	-
प्रोद्भूत ब्याज और पुनर्मूल्यांकन	35.42	305.58	35.41	297.30
कुल	**93.84**	**809.53**	**93.61**	**785.89**

(*) कंपनी ने 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण राशि देने के लिए ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी के साथ तीन ब्याजयुक्त सुविधा करार किए थे। 31.03.2025 तक, करारों के तहत निकाली गई कुल राशि 58.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (502.10 करोड़ रुपये) है। तीन महीने की लिबोर दरें 30 जून 2023 से स्थायी रूप से प्रकाशित होना बंद हो गई हैं और "विरासत अनुबंधों" के लिए संक्रमण को आसान बनाने के लिए, तीन महीने की लिबोर के सिंथेटिक संस्करण 30 सितंबर 2024 तक उपलब्ध हैं। कंपनी ने अभी तक मैसर्स ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी को प्रदान किए गए ऋणों के लिए उपयोग की जाने वाली वैकल्पिक ब्याज दरों को अंतिम रूप नहीं दिया है। चूँकि मैसर्स ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी को प्रदान किया गया ऋण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए ब्याज आय का उपार्जन बंद कर दिया गया है और तदनुसार, ब्याज दरों को अंतिम रूप न देने का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(*#) 31.12.2017 तक 1.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान न करने के कारण 3.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर ब्याज को संशोधित कर 01.01.2018 से 3 महीने के लिबोर योग 13.65 प्रतिशत तक किया गया।

(**) 8 अप्रैल, 2021 को समाप्त हुए ऋणों के लिए ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. के साथ कोई नवीनीकरण करार नहीं किया गया है।

(##) कंपनी ने इच कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने हेतु 7.12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने हेतु 2 जुलाई 2024 को ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. के साथ एक ऋण करार किया था। 31.03.2025 तक, करार के तहत निकाली गई कुल राशि 0.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1.85 करोड़) है। 31.03.2025 तक उक्त ऋण के विनिमय पुनर्मूल्यांकन सहित संचित ब्याज ₹0.07 करोड़ है, जो कुल संचित ब्याज और विनिमय पुनर्मूल्यांकन ₹305.58 करोड़ में शामिल है।

विवरण	निम्नलिखित तिथि को शेष			
	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
(ii) मैसर्स सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड: *	यूएस $ (मिलियन)	₹ करोड़ में	यूएस $ (मिलियन)	₹ करोड़ में
31 जनवरी, 2026 को परिपक्व होने वाले ऋणों पर ब्याज 8.75% है	21.11	182.14	21.11	177.24
प्रोद्भूत ब्याज और पुनर्मूल्यांकन	19.85	171.24	19.85	166.63
कुल	**40.96**	**353.38**	**40.96**	**343.87**

(*)मैसर्स सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को प्रदान किया गया ऋण पूर्णतः क्षीण हो गया है और तदनुसार ब्याज आय का उपार्जन बंद कर दिया गया है और ऋण को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8.1 खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते का विवरण निम्नानुसार है:- (` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
प्रारंभिक शेष	1129.76	1113.48
जोड़ें / (घटाएँ): संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	31.23	16.28
घटाएँ: बट्टे खाते में डालना	-	-
अंतिम शेष	1160.99	1129.76

टिप्पणी – 9

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ: अन्य

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए		
प्रतिभूत जमा	1.88	1.44
स्थल पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत जमा	7.24	6.76
आस्थगित कर्मचारी हितलाभ व्यय	128.89	108.08
इक्विटी/ अधिमानी शेयरों के अधिग्रहण के विरुद्ध अग्रिम	0.05	1.66
अन्य प्राप्य	6.00	9.00
	144.06	**126.94**

9.1 आबंटन लंबित इक्विटी/अधिमानी शेयरों के अधिग्रहण के निमित्त अग्रिम: (` करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	अनुषंगी कंपनी	-	1.66
एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	0.05	-
कुल		**0.05**	**1.66**

9.2 21 फरवरी 2025 को "एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना की गई, जिसमें कंपनी की 49% और असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 51% इक्विटी भागीदारी है। कंपनी का गठन नवीकरणीय/ हरित ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाने, विकास करने, निर्माण करने, स्वामित्व रखने और संचालन करने के लिए किया गया है। ₹ 4.90 लाख रुपये का प्रारंभिक पूंजी योगदान इक्विटी के निमित्त अग्रिम के रूप में प्रकट किया गया है, जिसके तहत 17.04.2025 को कंपनी को 49,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।

9.3 ₹6 करोड़ की गैर-वर्तमान अन्य प्राप्तियाँ, ऑयल इंडिया सामाजिक सुरक्षा योजना निधि से प्रारंभिक पूँजी की वापसी के लिए प्राप्त होने वाली राशि को दर्शाती हैं।

9.4 स्थल प्रत्यावर्तन योजना के अंतर्गत जमा राशि, अनिगमित संयुक्त उद्यम ब्लॉकों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33एबीए के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक में जमा राशि में कंपनी के हिस्से को दर्शाती है। यह राशि केवल योजना में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही निकाली जा सकती है, अर्थात, परित्याग योजना के अनुसार केंद्र सरकार के साथ सहमत तरीके से उपकरणों और प्रतिष्ठानों को हटाने के लिए। इस राशि को प्रतिबंधित नकदी माना जाता है और इसलिए इसे नकदी और नकदी समकक्ष नहीं माना जाता है।

टिप्पणी – 10

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए		
अग्रिम – अन्य	26.97	-
पूर्व भुगतान व्यय	3.10	5.14
	30.07	**5.14**

10.1 अग्रिम-अन्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रीन क्रेडिट सृजन के उद्देश्य से वृक्षारोपण करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को भुगतान की गई राशि को दर्शाता है।

टिप्पणी – 11

इंवेन्टरीज

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
तैयार माल				
कच्चा तेल	166.36		154.97	
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	1.00		0.99	
कंडेनसेट	0.24	167.60	0.26	156.22
भंडार और पूर्जे	1911.19		1497.64	
घटाएं : धीमी गति से/अवरुद्ध इनवेंट्री के लिए भत्ते	260.79	1650.40	211.61	1286.03
पारगमन में भंडार और पूर्जे		113.67		112.18
		1931.67		**1554.43**

11.1 टिप्पणी 40 में दर्शाए अनुसार, ईंधन सहित भंडार और पूर्जों की लागत वर्ष के दौरान व्यय के रूप में ₹448.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹352.36 करोड़) थी।

11.2 कच्चे तेल (भारी कच्चा तेल) की ₹10.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.07 करोड़) की इन्वेंट्री का मूल्यांकन ₹9.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.44 करोड़) के निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप टिप्पणी 36 के अंतर्गत लाभ-हानि खाते के विवरण में ₹0.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.63 करोड़) की इन्वेंट्री को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

11.3 कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, स्थानांतरित नहीं किए गए भंडार और पूर्जों (आवक और जावक दोनों) के लिए प्रावधान मद की लागत के 95% की दर से किया जा रहा है। स्टोर एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	अप्रचलनकमी सहित धीमी/नहीं चलने वाली मालसूची	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	211.61	181.15
जोड़ें : परिवर्धन	49.18	30.46
घटाएं : विपर्यय	-	-
अंतिम शेष	260.79	211.61

11.4 मालसूची पर प्रभारित शुल्क के विवरण के लिए टिप्पणी 58.12 में देखें।

11.5 मालसूची के मूल्यांकन की विधि टिप्पणी संख्या 1.14.0 में दी गई है।

टिप्पणी – 12

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : निवेश

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर		
अनउद्धृत:		
छुट्टी नकदीकरण निधि		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास	102.99	86.58
ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास	130.03	197.72
म्यूचुअल फंड		
i) लिक्विड फंड संवृद्धि के अंतर्गत एसबीआई म्यूचुअल फंड की यूनिटें	250.53	606.72
ii) लिक्विड फंड संवृद्धि के अंतर्गत बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.16	67.42
iii) लिक्विड फंड संवृद्धि के अंतर्गत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.19	-
	643.90	**958.44**

12.1 म्यूचुअल फंड के विवरण इस प्रकार हैं :-

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
	एनएवी (₹)	यूनिटों की सं.	एनएवी (₹)	यूनिटों की सं.
अनउद्धृत:				
क) लिक्विड फंड संवृद्धि के तहत एसबीआई म्यूचुअल फंड	4055.95	617703.42	3779.28	1605384.51
ख) लिक्विड फंड संवृद्धि के तहत बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड	2990.69	268031.74	2784.78	242095.64
ग) लिक्विड फंड संवृद्धि के तहत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड	383.90	2088777.72	-	-

12.2 निवेश मूल्यांकन पद्धति टिप्पणी संख्या 1.17.1 में दी गई है।

टिप्पणी – 13

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : व्यापार

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिशोधित लागत पर				
(क) अच्छे माने गए, -अप्रतिभूत		2689.06		2581.33
(ख) क्रेडिट क्षीण	62.96		54.42	
घटाएं : संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	62.96	-	54.42	-
		2689.06		**2581.33**

13.1.(क) 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य काल निर्धारण अनुसूची का विवरण नीचे दिये गये है। (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –अच्छे माने गए	-	1,700.18	584.80	326.49	31.88	45.71	-	2,689.06
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	0.08	-	11.02	11.10
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य –अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	3.52	3.67	6.46	7.31	30.90	51.86
	-	**1,700.18**	**588.32**	**330.16**	**38.42**	**53.02**	**41.92**	**2,752.02**
घटाएं : संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते								62.96
कुल								**2,689.06**

13.1.(ख) 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य काल निर्धारण अनुसूची का विवरण नीचे दिये गये है। (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य –अच्छे माने गए	23.81	1,875.67	546.16	62.69	41.54	31.46	-	2,581.33
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	7.97	7.97
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य –अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें क्रेडिट जोखिम में काफ़ी वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	3.31	3.79	7.31	7.19	24.85	46.45
	23.81	**1,875.67**	**549.47**	**66.48**	**48.85**	**38.65**	**32.82**	**2,635.75**
घटाएं : संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते								54.42
कुल								**2,581.33**

13.2 व्यापारिक प्राप्यों में मुख्यतः सरकार से संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। इन सरकारी संस्थाओं में अपने दायित्वों को पूरा करने की अत्यंत प्रबल क्षमता होती है। कंपनी अपने ग्राहकों को भुगतान के लिए 15-30 दिनों की ऋण अवधि प्रदान करती है। सामान्यतः, ग्राहक नियत तिथियों पर या उससे पहले भुगतान कर देते हैं। प्रबंधन को इन ग्राहकों से पहले से प्रदान की गई राशि के अलावा किसी अन्य भुगतान चूक की आशंका नहीं है। इसलिए, मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार, प्रबंधन व्यापार प्राप्य की प्रारंभिक पहचान के समय से लेकर प्रतिवेदन तिथि तक ऋण जोखिम में वृद्धि को महत्वपूर्ण नहीं मानता है।

13.3 इंड एएस 109 के अनुसार, कंपनी ने प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापार प्राप्य के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके एक व्यावहारिक उपाय अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव को ध्यान में रखता है और भविष्य-उन्मुख जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है।

13.4 संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्तों का विवरण निम्नानुसार है:-

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	54.42	49.13
जोड़ें/(घटाएं): संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	10.40	7.35
घटाएं : बट्टे खाते में डालना	1.86	2.06
अंतिम शेष	62.96	54.42

13.5 व्यापार प्राप्य पर लगाए गए प्रभार के विवरण के लिए टिप्पणी 58.12 देखें।

13.6 संबंधित पक्षकारों से बकाया राशि के विवरण के लिए टिप्पणी 46 देखें।

टिप्पणी – 14

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा		
वर्तमान लेखा	19.43	58.89
सावधि जमा (3 महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि वाले)	363.65	164.34
नकद क्रेडिट लेखा*	14.84	18.53
हाथ में नकदी	0.50	0.14
	398.42	**241.90**

(*) टिप्पणी 58.12 देखें

टिप्पणी – 15

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : अन्य बैंक शेष

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
अदत्त लाभांश बैंक खाता	11.61	42.97
प्रत्यावर्तन प्रतिबंधों वाले बैंक शेष	-	0.61
ओवरड्राफ्ट सुविधा (ग्रहणाधिकार में) के प्रति प्रतिभूति के रूप में बैंक में रखी गई शेष राशि	5.13	9.96
एस्क्रो खाता	17.20	17.20
सावधि जमा (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता अवधि)	3717.79	2757.53
	3751.73	**2828.27**

15.1 यदि लाभांश की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसका भुगतान या दावा नहीं किया गया है, तो कंपनी को लाभांश की कुल राशि, जिसका भुगतान न किया गया हो या दावा न किया गया हो, को कंपनी द्वारा अनुसूचित बैंक में संचालित एक विशेष खाते में "अदत्त लाभांश खाता" के रूप में स्थानांतरित करना आवश्यक है। कंपनी के पास पड़े अदत्त लाभांश को, उसकी घोषणा के सात वर्ष की अवधि के बाद, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करना होगा।

15.2 31 मार्च, 2024 तक प्रत्यावर्तन प्रतिबंधों सहित बैंक शेष, फा. सीएफए 44,302,163 (भारतीय रूपये के समतुल्य ₹0.61 करोड़) की राशि निरूपित करता है, जिसे सिटी बैंक, गैबॉन और ओरा बैंक गैबॉन द्वारा ब्लॉक शक्ति गैबॉन परियोजना के बैंक खाते में एक कानूनी मामले में गैबॉन अदालत के निर्देश के परिणामस्वरूप फ्रीज कर दिया गया था।

15.3 ओवरड्राफ्ट के निमित्त प्रतिभूति के लिए बैंक के पास रखी गई शेष राशि, गैबॉन में ब्लॉक शक्ति के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा खोलने के लिए ओआरए बैंक, गैबॉन के पास जमा की गई राशि को दर्शाती है।

15.4 एस्क्रो खाते में जमा राशि, खारसंग फील्ड के लिए भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के पास जमा की गई राशि को दर्शाती है, जो उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पीएससी) के अनुसार भारत सरकार को देय ब्याज सहित पेट्रोलियम के लाभ के हिस्से की गणना के संबंध में विवाद से संबंधित है।

टिप्पणी – 16

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : ऋण

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिशोधित लागत पर				
अच्छे माने गए – प्रतिभूत				
कार्मिकों को ऋण		58.66		50.62
अच्छे माने गए – अप्रतिभूत				
कार्मिकों को ऋण		0.02		0.67
क्रेडिट क्षीण				
अंतर कॉरपोरेट जमा	15.00		15.00	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	15.00	-	15.00	-
		58.68		**51.29**

16.1 कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों से देय ऋण निम्नानुसार हैं:

(` करोड़ में)

विवरण	ऋण या ऋण की प्रकृति के अग्रिम की राशि जो बकाया है*		ऋण या ऋण की प्रकृति के अग्रिम का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
निदेशकगण	0.11	0.33	0.15%	0.49%
अन्य अधिकारीगण (केएमपी)	0.01	0.01	0.01%	0.01%
कुल	**0.12**	**0.33**	**0.16%**	**0.50%**

(*)निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋणों में मांग पर प्रतिदेय ऋण शामिल नहीं हैं।

16.2 अंतर-कॉरपोरेट जमा, मैसर्स इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को दिए गए अंतर-कॉरपोरेट ऋणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.3 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते का विवरण निम्नानुसार है:- (` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	15.00	28.33
जोड़ें/(घटाएं): संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	-	-
घटाएं : बट्टे खाते में डालना	-	13.33
अंतिम शेष	15.00	15.00

टिप्पणी – 17

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ : अन्य

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिशोधित लागत पर				
अच्छे माने गए – अप्रतिभूत				
संयुक्त उद्यम भागीदारों से प्राप्त नकद कॉल		154.27		114.74
वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रोद्भूत ब्याज		83.38		41.48
बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त प्राप्तियों का दावा		0.84		0.02
आस्थगित कर्मचारी हितलाभ व्यय		19.47		17.52
कर्मचारियों को अग्रिम राशि		11.15		10.55
प्रतिभूति जमा		2.86		2.92
अन्य प्राप्तियां		850.18		27.92
क्षीण क्रेडिट				
संयुक्त उद्यम भागीदारों से प्राप्त नकद कॉल	394.97		394.76	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	394.97	-	394.76	-
बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त प्राप्तियों का दावा	0.62		0.91	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	0.62	-	0.91	-
अन्य प्राप्तियां	24.41		22.59	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	24.41	-	22.59	-
		1122.15		**215.15**

17.1 अन्य प्राप्यों में निम्नलिखित से प्राप्तियां शामिल हैं: (` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
अच्छे माने गए – अप्रतिभूत		
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	114.38	12.87
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य	431.35	-
पेट्रोबांग्ला	285.55	-
राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	-	1.00
ओआईएसएसएसएफ ट्रस्ट से प्राप्य	3.00	3.00
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड	1.24	1.56
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	0.16	0.16
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	0.05	0.05
वेंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.75	0.72
तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.93	0.90
एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	2.42	0.90
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	0.97	1.23
पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	0.37	0.54
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.65	0.88
ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.91	-

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	2.53	-
अन्य विविध सेवाओं के लिए	4.92	4.11
कुल अप्रतिभूत, अच्छा माना गया (क)	**850.18**	**27.92**
क्रेडिट क्षीण		
जनशक्ति सेकंडमेंट के लिए इंड ऑयल नीदरलैंड्स	20.18	19.67
जनशक्ति सेकंडमेंट के लिए सुनतेरा नाइजीरिया लिमिटेड	2.00	1.94
राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	1.00	-
अन्य विविध सेवाओं के लिए	1.23	0.98
कुल अप्रतिभूत, संदिग्ध माना गया (ख)	**24.41**	**22.59**
कुल (क+ख)	**874.59**	**50.51**

17.2 ओआईएल और ओवीएल के कंसोर्टियम के पास बांग्लादेश में दो विदेशी अन्वेषण ब्लॉक, एसएस-04 और एसएस-09 में 45% पीआई हिस्सेदारी है, जबकि बापेक्स (राष्ट्रीय तेल कंपनी) के पास शेष 10% PI हिस्सेदारी है, जिसकी प्रारंभिक अन्वेषण चरण (आईईपी) वैधता 16.02.2025 तक है। कंपनी ने नियामक, पेट्रोबांग्ला के पक्ष में दोनों ब्लॉकों के लिए ₹285.55 करोड़ (यूएस डॉलर 33.10 मिलियन) की बैंक गारंटी जारी की थी। चूंकि दोनों ब्लॉकों की वैधता 16.02.2025 तक थी, इसलिए ऑपरेटर ने 21.11.2024 के पत्र के माध्यम से पेट्रोबांग्ला से दोनों ब्लॉकों की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया। तथापि, ब्लॉकों की समाप्ति में कम समय बचा होने की परिकल्पना करते हुए, पेट्रोबांग्ला ने 12.02.2025 को बीजी आमंत्रण पत्र जारी किया और विस्तार के संबंध में ईएमआरडी से पुष्टि होने तक दोनों बीजी को लागू कर दिया गया।

इसके बाद, ईएमआरडी, मंत्रालय ने दिनांक 19.02.2025 के पत्र के माध्यम से ब्लॉक एसएस-04 और एसएस-09 की प्रारंभिक अन्वेषण अवधि (आईईपी) को 17.02.2025 से 16.02.2027 तक बढ़ा दिया। इसके अलावा, पेट्रोबांग्ला ने उसी राशि के लिए एक नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अध्यधीन, लागू राशि को वापस करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

17.3 संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए भत्ते का विवरण निम्नानुसार है: - (` करोड़ में)

विवरण	संयुक्त उद्यम भागीदारों से प्राप्त नकद कॉल		बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त प्राप्तियों का दावा		अन्य प्राप्य	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	394.76	394.13	0.91	0.91	22.59	22.27
जोड़ें/(घटाएं): संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	0.21	0.63	(0.29)	-	1.82	0.32
घटाएं : बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	394.97	394.76	0.62	0.91	24.41	22.59

टिप्पणी – 18

वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रदत्त आयकर	2598.30	2697.71
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	1728.07	1904.42
	870.23	**793.29**

18.1 भुगतान किए गए आयकर में 311.96 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 179.98 करोड़ रुपये) की विवादित जमा राशि शामिल है।

टिप्पणी – 19

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम				
अच्छे माने गए-अप्रतिभूत				
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		65.90		57.74
सांविधिक जमा और अग्रिम		160.53		172.50
पूर्वप्रदत्त व्यय		74.43		58.46
क्रेडिट क्षीण				
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	8.46		42.73	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए भत्ते	8.46	-	42.73	-
सांविधिक जमा और अग्रिम	641.55		622.78	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए भत्ते	641.55	-	622.78	-
		300.86		**288.70**

19.1 संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए भत्ते का विवरण निम्नानुसार है:

(` करोड़ में)

विवरण	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		सांविधिक जमा और अग्रिम	
	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	42.73	8.09	622.78	611.79
जोड़ें/(घटाएं): संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	(34.27)	34.64	18.77	10.99
घटाएं : बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
अंतिम शेष	8.46	42.73	641.55	622.78

टिप्पणी – 20

इक्विटी शेयर पूंजी

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत :		
₹ 10/- प्रत्येक के 200,00,00,000 (31 मार्च, 2024: 200,00,00,000) इक्विटी शेयर	**2000.00**	**2000.00**
निर्गत, अभिदत्त और पूर्णतः चुकता :		
₹ 10/- प्रत्येक के पूर्णतः चुकता 1,62,66,07,791 (31 मार्च, 2024: 1,08,44,05,194) इक्विटी शेयर	**1626.61**	**1084.41**

20.1 इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य ₹10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट और लाभांश का अधिकार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने पास मौजूद इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे।

20.2.(क) 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर					वर्ष के दौरान % परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	92,15,64,990	56.66%	61,43,76,660	56.66%	-
कुल	**92,15,64,990**	**56.66%**	**61,43,76,660**	**56.66%**	**-**

20.2.(ख) 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर					वर्ष के दौरान % परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	61,43,76,660	56.66%	61,43,76,660	56.66%	-
कुल	**61,43,76,660**	**56.66%**	**61,43,76,660**	**56.66%**	**-**

20.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	इक्विटी में %	शेयरों की संख्या	इक्विटी में %
भारत के राष्ट्रपति	92,15,64,990	56.66%	61,43,76,660	56.66%
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	10,59,05,894	6.51%	8,71,56,697	8.04%

20.4 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेयरों का मिलान नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	1,08,44,05,194	1,08,44,05,194
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	54,22,02,597	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापसी खरीद	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	1,62,66,07,791	1,08,44,05,194

20.5 वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के 54,22,02,597 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता बोनस शेयर के रूप में आवंटित किए गए।

टिप्पणी – 21

अन्य इक्विटी

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
I. भंडार और अधिशेष				
(क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतर लेखा				
प्रारंभिक शेष	(19.01)		(258.46)	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		(52.68)	
वर्ष के दौरान समायोजित/परिशोधित	19.01	-	292.13	(19.01)
(ख) ऋणपत्र परिशोधन आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	531.99		531.99	
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित	(436.06)	95.93	-	531.99
(ग) पूंजी मोचन आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	95.41		95.41	
बोनस निर्गम हेतु उपयोग	(95.41)	-	-	95.41
(घ) सामान्य आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	19,081.20		19,081.20	
ऋणपत्र मोचन से स्थानांतरित आरक्षित निधि	436.06		-	
बोनस निर्गम हेतु उपयोग	(447.27)	19069.99	-	19081.20
(ङ) प्रतिधारित आय				
प्रारंभिक शेष	14675.32		11066.86	
लाभ-हानि विवरण के अनुसार शेष	6114.19		5551.85	
अंतरिम लाभांश	(1,626.61)		(1,301.29)	
पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश	(406.65)		(596.42)	
निवल परिभाषित लाभ का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय से स्थानांतरित योजनाएँ	(18.26)	18737.99	(45.68)	14675.32
II. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)				
प्रारंभिक शेष	8673.13		2763.85	
एफवीटीओसीआई के रूप में निर्दिष्ट इक्विटी उपकरण	(2768.75)		5909.28	
अन्य मदें	(18.26)		(45.68)	
प्रतिधारित आय में स्थानांतरित निवल परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	18.26	5904.38	45.68	8673.13
		43808.29		**43038.04**

21.1 आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन:

क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतर खाता: दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतर खाते में संचित किया जाता है और भारतीय लेखांकन मानक 101 के डी3एए के अंतर्गत अनुमत नीति के अनुसार ऐसी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(ख) ऋण-पत्र मोचन आरक्षित निधि: मोचन आरक्षित निधि कंपनी के लाभ से बनाई जाती है, और इस खाते में जमा की गई राशि का उपयोग कंपनी द्वारा बांडों के मोचन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। वर्ष के दौरान, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अप्रतिभूत 5.375% नोटों के मोचन पर ₹436.06 करोड़ की राशि ऋण-मोचन आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित की गई है (टिप्पणी 28.1 देखें)।

(ग) पूंजी मोचन आरक्षित निधि: पूंजी मोचन आरक्षित निधि, प्रतिभूति प्रीमियम/सामान्य आरक्षित निधि से बनाई जाती है, जो कंपनी द्वारा खरीदे गए पूर्ण चुकता स्वयं के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर होती है। ऐसे खाते में जमा की गई राशि का उपयोग कंपनी के अप्रकाशित शेयरों के भुगतान में किया जा सकता है, जिन्हें कंपनी के सदस्यों को पूर्ण चुकता बोनस शेयरों के रूप में जारी किया जाएगा। वर्ष के दौरान, पूंजी मोचन आरक्षित निधि का उपयोग पूर्ण चुकता बोनस शेयरों को जारी करने के लिए किया गया है।

(घ) सामान्य आरक्षित निधि: सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग समय-समय पर विनियोजन उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। सामान्य आरक्षित निधि कंपनी की मुक्त आरक्षित निधि है और इसका उपयोग बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की वापसी खरीद आदि जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वर्ष के दौरान, पूर्ण चुकता बोनस शेयरों को जारी करने के लिए ₹447.27 करोड़ की सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग किया गया है।

(ङ) प्रतिधारित आय: प्रतिधारित आय में अंतरिम और अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद लाभ और हानि विवरण से अंतरित लाभ/(हानि) शामिल है। इसमें बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निवल परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन भी शामिल है, जिसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

21.2 अन्य व्यापक आय: इसमें अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी विलेखों के मापन पर होने वाले संचयी लाभ/हानि शामिल हैं। ऐसे इक्विटी विलेखों की मान्यता रद्द होने पर निवल राशि प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

21.3 कंपनी द्वारा अपने इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित की जा सकने वाली राशि का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 14 सितंबर 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, शेयरधारकों ने ₹3.75 (37.5%) प्रति इक्विटी शेयर (बोनस-पूर्व) के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹2.50 (25%) प्रति इक्विटी शेयर (बोनस-पश्चात) के अंतिम लाभांश में परिवर्तित होता है। 5 नवंबर 2024 और 7 फरवरी 2025 को, कंपनी ने क्रमशः ₹3.00 प्रति शेयर (30%) और ₹7.00 प्रति शेयर (70%) का अंतरिम लाभांश घोषित किया था। अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश का भुगतान किया जा चुका है।

निदेशक मंडल ने 21 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों पर ₹1.50 प्रति शेयर (15%) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। यह अंतिम लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है। कुल अनुमानित इक्विटी लाभांश ₹243.99 करोड़ है।

टिप्पणी – 22

गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं : उधार

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
अप्रतिभूत ऋण		
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	4721.21	4589.00
बैंकों से विदेशी मुद्रा बाह्य वाणिज्यिक उधार	5409.41	2552.83
	10130.62	**7141.83**

22.1 बॉण्ड निरूपण :

विवरण	तिथि को शेष			
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में
04.02.2019 को जारी किए गए 5.125% नोट जारी होने की तारीख से 10 वर्ष बाद आने वाली तारीख को देय	550.00	4,721.21	550.00	4,589.00
कुल	**550.00**	**4,721.21**	**550.00**	**4,589.00**

22.2 बैंकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार निम्नलिखित निरूपित करते हैं:

विवरण	तिथि को शेष			
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में
भारित औसत उपयोग तिथि (09.05.2020) से 5 वर्ष बाद 1 माह की अवधि एसओएफआर + मार्जिन 0.92% + क्रेडिट समायोजन स्प्रेड 0.11448%ब्याज दर पर पुनर्भुगतान योग्य	-	-	225.00	1,884.87
भारित औसत उपयोग तिथि (15.05.2021) से 5 वर्ष बाद 1 माह की अवधि एसओएफआर + मार्जिन 0.92% + क्रेडिट समायोजन स्प्रेड 0.11448% ब्याज दर पर पुनर्भुगतान योग्य	50.00	430.25	50.00	417.83
भारित औसत उपयोग तिथि (13.05.2022) से 5 वर्ष बाद 1 माह अवधि एसओएफआर + 0.95% की ब्याज दर पर पुनर्भुगतान योग्य।	30.00	257.63	30.00	250.13
भारित औसत उपयोग तिथि (10.05.2024) से 5 वर्ष बाद 3 माह अवधि एसओएफआर + मार्जिन 1.10% की ब्याज दर पर पुनर्भुगतान योग्य	550.00	4,721.53	-	-
कुल	**630.00**	**5,409.41**	**305.00**	**2,552.83**

22.3 टिप्पणी 22.1 और टिप्पणी 22.2 में अमेरिकी डॉलर में दिए गए आंकड़े संबंधित उधारदाताओं से लिए गए उधारों को दर्शाते हैं और भारतीय रुपये में दिए गए आंकड़े रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित परिशोधित मूल्य को दर्शाते हैं।

22.4 कंपनी ने मोजाम्बिक में रोवुमा 1 अपतटीय ब्लॉक में निवेश के लिए विदेशी मुद्रा बांड और बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में विदेशी उधारी जुटाई है। यह निवेश संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल) के माध्यम से किया गया है, जिसमें कंपनी की 40% शेयरधारिता है। मोजाम्बिक में रोवुमा एरिया 1 अपतटीय ब्लॉक में बीआरईएमएल की 10% भागीदारी हिस्सेदारी है।

टिप्पणी – 23

गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं : व्यापार संदेय

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	-	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य को देय	32.47	23.78
	32.47	**23.78**

23.1.(क) 31 मार्च, 2025 तक व्यापार संदेय काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं बनाया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	32.47	-	-	-	-	32.47
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**32.47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.47**

23.1.(ख) 31 मार्च, 2024 तक व्यापार संदेय काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं बनाया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	23.78	-	-	-	-	23.78
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**23.78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.78**

23.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय राशि के लिए नोट 53 देखें।

टिप्पणी – 24

गैर-वर्तमान : अन्य वित्तीय देयताएं

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय गारंटी अनुबंध देयताएँ	12.61	18.43
प्रतिभूति जमा	23.93	2.32
	36.54	**20.75**

टिप्पणी – 25

गैर-वर्तमान देयताएं : प्रावधान

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		443.59		418.73
कूप परित्याग के लिए प्रावधान				
प्रारंभिक शेष	925.55		971.75	
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	261.92		-	
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	(11.95)	1175.52	(46.20)	925.55
		1619.11		**1344.28**

25.1 कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान नीचे संलग्न परिभाषित लाभ योजनाओं का निरूपण करता है:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
छुट्टी नकदीकरण	285.88	265.62
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	157.71	153.11
कुल	**443.59**	**418.73**

टिप्पणी – 26

गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं : आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयता	4,244.79	3,911.64
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	(1,545.78)	(1,126.12)
आस्थगित कर देयता (निवल)	**2699.01**	**2785.52**

टिप्पणी – 27

अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित आय	69.68	73.99
	69.68	**73.99**

27.1 आस्थगित आय से संबंधित प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 31.1 देखें।

टिप्पणी – 28

वर्तमान वित्तीय देयताएं : उधार

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
अप्रतिभूत ऋण		
दीर्घावधिक उधारों की वर्तमान परिपक्वता		
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	-	4,197.33
बैंकों से विदेशी मुद्रा बाह्य वाणिज्यिक उधार	1940.93	-
बैंक ओवरड्राफ्ट	2.27	1.82
	1943.20	**4,199.15**

28.1 दीर्घावधिक उधार की वर्तमान परिपक्वता निम्नलिखित को दर्शाती है:

विवरण	तिथि को शेष			
	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2025	
	अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में
17.04.2014 को जारी किए गए 5.375% नोट जारी होने की तारीख से 10 वर्ष बाद आने वाली तारीख को देय होंगे	-	-	500.00	4,197.33
बाह्य वाणिज्यिक उधार, भारित औसत उपयोग तिथि (09.05.2020) से 5 वर्ष बाद 1 माह की अवधि एसओएफआर + मार्जिन 0.92% + क्रेडिट समायोजन स्प्रेड 0.11448% ब्याज दर पर पुनर्भुगतान योग्य	225.00	1940.93	-	-
कुल	**225.00**	**1940.93**	**500.00**	**4,197.33**

28.2 टिप्पणी 28.1 में अमेरिकी डॉलर में दिए गए आंकड़े संबंधित उधारदाताओं से लिए गए उधारों को दर्शाते हैं और भारतीय रुपये में दिए गए आंकड़े रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित परिशोधित मूल्य को दर्शाते हैं।

28.3 बैंक ओवरड्राफ्ट 31.03.2025 तक ओआरए बैंक-गैबॉन और सिटी बैंक-गैबॉन से प्राप्त फा.सीएफए 160,198,753 (भारतीय रुपये के समतुल्य 2.27 करोड़ रुपये) की राशि को दर्शाता है।

टिप्पणी – 29

वर्तमान वित्तीय देयताएं : व्यापार संदेय

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	14.60	27.19
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य को देय	1093.66	831.21
	1108.26	**858.40**

29.1.(क) 31 मार्च, 2025 तक व्यापार संदेय काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(` करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं बनाया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	14.60	-	-	-	-	14.60
(ii) अन्य	907.88	23.16	111.48	12.17	22.69	16.28	1,093.66
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**907.88**	**37.76**	**111.48**	**12.17**	**22.69**	**16.28**	**1,108.26**

29.1.(ख) 31 मार्च, 2024 तक व्यापार संदेय काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(` करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं बनाया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	27.19	-	-	-	-	27.19
(ii) अन्य	727.99	13.40	54.74	23.43	-	11.65	831.21
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**727.99**	**40.59**	**54.74**	**23.43**	**-**	**11.65**	**858.40**

29.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की देय राशि के लिए टिप्पणी 53 देखें।

29.3 संबंधित पक्षकारों को देय राशि के विवरण के लिए टिप्पणी 46 देखें।

टिप्पणी – 30

वर्तमान : अन्य वित्तीय देयताएं

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
प्रोद्भूत ब्याज	92.85	142.03
अदत्त लाभांश	11.61	9.16
वित्तीय गारंटी अनुबंध देयताएँ	8.56	8.13
अन्य देय राशियाँ		
- पूंजीगत व्यय और अन्य देयताएँ	1257.42	952.79
- प्रतिभूति जमा	30.26	27.45
- संयुक्त उद्यमों को देय नकद कॉल	68.44	50.62
- कर्मचारी हितलाभ	329.06	221.35
	1798.20	**1411.53**

30.1 7 वर्षों से अधिक अवधि से पड़े 0.87 करोड़ रुपये के अप्रदत्त लाभांश को 9 अप्रैल, 2025 को नियत तिथि के भीतर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

टिप्पणी – 31

अन्य वर्तमान देयताएं

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देयताएँ	555.36	682.77
ग्राहकों और अन्य लोगों से प्राप्त अग्रिम राशि	3.46	28.25
आस्थगित आय	4.15	3.98
	562.97	**715.00**

31.1 (i) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को गैस आपूर्ति हेतु अवसंरचना के विकास हेतु, कंपनी को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से ₹215.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इसे तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी गई है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल में व्यवस्थित एवं तर्कसंगत आधार पर लाभ-हानि विवरण में अंतरित कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक अशोध्य अनुदान राशि ₹4.15 करोड़ (चालू) और ₹69.68 करोड़ (गैर-चालू) है। पिछले वर्ष के आंकड़े ₹3.98 करोड़ (चालू) और ₹73.99 करोड़ (गैर-चालू) हैं।

(ii) इन अनुदानों से जुड़ी कोई भी अधूरी शर्तें या आकस्मिकताएँ नहीं हैं।

(iii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभ या हानि विवरण में आस्थगित आय के परिशोधन के रूप में ₹ 4.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.98 करोड़) की राशि को अभिज्ञात किया है।

वर्तमान देयताएं : प्रावधान

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान			98.10			105.62
के लिए प्रावधान						
1. कूप परित्याग लागत						
प्रारंभिक शेष	147.03			115.14		
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	(16.16)			31.89		
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	-	130.87		-	147.03	
2. अधूरा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम						
प्रारंभिक शेष	73.09			83.21		
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	276.51			8.38		
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	-	349.60		(18.50)	73.09	
3. रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी						
प्रारंभिक शेष	3079.33			-		
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	809.32			3,079.33		
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	-			-		
	3888.65			3,079.33		
घटाएँ: विरोध के तहत जमा की गई राशि	1489.57	2399.08		1,482.56	1,596.77	
4. अन्य						
प्रारंभिक शेष	115.44			113.80		
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	97.17			33.99		
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	-	212.61	3092.16	(32.35)	115.44	1932.33
			3190.26			**2037.95**

32.1 कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान निम्नलिखित का निरूपण करता है:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
छुट्टी नकदीकरण	36.61	40.44
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	55.31	53.69
ऑयल इंडिया पेंशन फंड के सदस्यों के लिए अनुग्रह राशि	6.18	11.49
कुल	**98.10**	**105.62**

32.2 रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी के प्रावधान में विरोध के तहत जमा की गई राशि पर ब्याज शामिल है। टिप्पणी 58.8 देखें।

टिप्पणी – 33

प्रचालनों से राजस्व

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
उत्पादों की बिक्री				
कच्चा तेल		15710.37		16089.32
प्राकृतिक गैस		5514.09		5189.98
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस		178.34		170.40
कंडेनसेट		30.45		34.13
नवीकरणीय ऊर्जा		111.74		112.30
सेवाओं की बिक्री				
पाइपलाइन परिवहन से आय				
कच्चा तेल	380.73		389.09	
परिष्कृत उत्पाद	179.39		132.60	
प्राकृतिक गैस	12.11	572.23	11.97	533.66
		22117.22		**22129.79**

33.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत की गणना कच्चे तेल के बेंचमार्क अंतरराष्ट्रीय बास्केट के मासिक औसत मूल्य पर आधारित है, जिसे गुणवत्ता अंतर के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

33.2 भारतीय लेखांकन मानक 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व के अनुप्रयोग पर, कच्चे तेल की बिक्री में ग्राहकों को उनके स्वयं के कच्चे तेल का वितरण बिंदु तक परिवहन शामिल है, जो जोखिम एवं प्रतिफल के हस्तांतरण और अभिरक्षा के हस्तांतरण के साथ मेल खाता है। पाइपलाइन परिवहन से आय में अपने स्वयं के कच्चे तेल के परिवहन के लिए ₹95.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹124.32 करोड़) शामिल हैं।

33.3 प्राकृतिक गैस का विक्रय मूल्य अप्रैल 2023 में संशोधित 'नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014' के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसमें नामित क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस के संबंध में मूल्य भारतीय क्रूड बास्केट (आईसीबी) मूल्य के 10% पर तय किया जाता है, जैसा कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) द्वारा मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है, जिसमें यूएस $ 4 / एमएमबीटीयू का फ्लोर मूल्य और यूएस $ 6.50 / एमएमबीटीयू का अधिकतम मूल्य वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए लागू होता है। इसके बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम मूल्य में यूएस $ 0.25 / एमएमबीटीयू की वृद्धि होगी। पूर्वोत्तर में पात्र ग्राहकों (सरकारी आवंटन तक) के लिए, उपभोक्ता मूल्य घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य का 60% है और घरेलू गैस मूल्य और उपभोक्ता मूल्य के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष के दौरान, प्राकृतिक गैस की बिक्री में प्राकृतिक गैस मूल्य की कम वसूली के लिए ₹ 795.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 784.39 करोड़) के दावे शामिल हैं।

टिप्पणी – 34

अन्य आय

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
ब्याज:				
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	452.03		310.99	
कर प्राधिकारियों से प्रतिदाय पर ब्याज	59.39	511.42	31.85	342.84
लाभांश:				
अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश	611.67		1,278.91	
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी विलेख	509.87	1121.54	582.71	1,861.62

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
अन्य:				
व्यावसायिक विकास सेवाओं से आय	14.04		13.57	
ओएफसी फाइबर लीजिंग से आय	9.28		11.82	
वित्तीय गारंटी दायित्व का परिशोधन	8.47		8.19	
आस्थगित आय का परिशोधन	4.14		3.98	
म्यूचुअल फंड पर लाभ	66.86		41.27	
विविध आय	134.10	236.89	101.20	180.03
		1869.85		**2384.49**

34.1 परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय में संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज आय ₹ 0.07 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।

34.2 म्यूचुअल फंड पर लाभ में ₹ 0.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.69 करोड़) की अप्राप्त लाभ राशि शामिल है।

टिप्पणी – 35

स्टॉक इन ट्रेड की खरीद

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
प्राकृतिक गैस की खरीद	237.50	231.24
	237.50	**231.24**

टिप्पणी – 36

तैयार माल की मालसूची में परिवर्तन

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
आरंभिक स्टॉक				
कच्चा तेल	154.97		176.06	
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	0.99		0.71	
कंडेनसेट	0.26	156.22	0.20	176.97
अंतिम स्टॉक				
कच्चा तेल	166.36		154.97	
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	1.00		0.99	
कंडेनसेट	0.24	167.60	0.26	156.22
निवल (वृद्धि) / कमी		**(11.38)**		**20.75**

टिप्पणी – 37

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	1837.04	1815.54
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	403.75	410.17
कर्मचारी कल्याण व्यय	155.68	144.38
	2396.47	2370.09
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	559.69	561.13
	1836.78	**1808.96**

37.1 "कर्मचारी हितलाभ" पर भारतीय लेखांकन मानक-19 के अनुपालन में प्रकटीकरण टिप्पणी -44 में दिया गया है

टिप्पणी – 38

वित्त लागतें

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
प्रतिभूत बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज व्यय	0.18	0.16
अप्रतिभूत ऋण पर ब्याज व्यय	673.87	630.24
विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरण पर लागू निवल (लाभ)/ हानि	102.92	47.61
डीकमीशनिंग देयता का समापन	70.50	70.97
पट्टा देयता का समापन	18.85	11.10
	866.32	**760.08**

38.1 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल) के माध्यम से मोजाम्बिक में रोवुमा 1 अपतटीय ब्लॉक में 4% भागीदारी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए विदेशी उधार राशि जुटाई है, जहां कंपनी की 40% शेयरधारिता है। प्रबंधन की राय में, कंपनी के घरेलू संसाधनों से ऐसे विदेशी उधारों की चुकौती के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। ऐसे विदेशी उधारों पर ₹659.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹617.71 करोड़) का ब्याज घरेलू संसाधनों से चुकाया गया है। कंपनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया है कि उपरोक्त लेनदेन के वित्तपोषण के लिए जुटाए गए विदेशी उधारों पर ब्याज की चुकौती घरेलू संसाधनों से की जा रही है।

38.2 विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरण पर लागू निवल (लाभ) / हानि विदेशी मुद्रा में उधार की लागत की तुलना में कार्यात्मक मुद्रा (₹) में उधार की लागत के बीच अंतर की सीमा तक विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर को दर्शाती है।

टिप्पणी – 39

मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधित व्यय

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	630.85		528.00	
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	225.20	405.65	146.50	381.50
मार्ग अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास	404.80		244.81	
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	262.62	142.18	136.58	108.23
तेल और गैस परिसंपत्तियों का नि:शेषण		1350.41		1264.84
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन		20.44		20.53
		1918.68		**1775.10**

टिप्पणी – 40

अन्य व्यय

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
सांविधिक शुल्क		5520.35		5481.53
भंडार और पूर्जों की खपत		359.86		278.34
ईंधन की खपत		88.88		74.02
अनुबंध लागत		1979.58		1561.61
बीमा, किराया, दरें और कर		74.70		72.28
विनिमय हानि-निवल		198.16		335.30
बट्टे खाते डाले गए अन्वेषणात्मक कूप		77.43		(11.84)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का क्षरण		-		(43.17)
प्रावधान/बट्टे खाते/(विपर्यय):				
अन्वेषणात्मक कूपों का क्षरण	568.76		532.81	
अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत	325.34		24.13	
ऋण और अग्रिम	(1.29)		52.97	
इन्वेंट्री(मालसूची)	55.08		32.56	
व्यापार प्राप्य	9.90		7.40	
परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना/प्रावधान	29.24		9.13	
निवेश के निपटान पर हानि	-		434.46	
निवेश के मूल्य में कमी	-		(434.48)	
रॉयल्टी पर जीएसटी	809.32		716.61	
अन्य	110.64	1906.99	38.43	1414.02
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय		129.53		122.80
विविध व्यय		172.09		119.93
		10507.57		**9404.82**

40.1 सांविधिक शुल्कों में रॉयल्टी ₹ 2995.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2990.36 करोड़) और उपकर ₹ 2508.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2474.79 करोड़) शामिल हैं।

40.2 रॉयल्टी पर जीएसटी से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी 58.8 देखें।

40.3 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
(क) वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि	115.98		74.74	
(ख) वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	167.00		160.00	
(ग) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया है	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया है
(i) परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	28.37	6.85	24.51	0.59
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए	86.34	7.97	92.47	5.23
कुल	**114.71**	**14.82**	**116.98**	**5.82**
	129.53		**122.80**	
(घ) वर्ष के अंत में कमी	-		-	
(ङ) पिछले वर्ष की कमी का योग	-		-	
(च) कमी का कारण	लागू नहीं		लागू नहीं	
(छ) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण, सतत आजीविका सृजन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार, पर्यावरण और स्थिरता, खेलों का विकास, कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा, स्वच्छ भारत अभियान (पेयजल और स्वच्छता)।			

40.4 सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिए जाने वाले शुल्क का विवरण (विविध व्यय के अंतर्गत शामिल):

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक लेखापरीक्षकों को शुल्क (जीएसटी/सेवा कर सहित):		
(क) लेखापरीक्षक के रूप में	1.98	1.27
(ख) कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.08	0.11
(ग) कंपनी कानून संबंधी मामलों के लिए	-	-
(घ) अन्य सेवाओं-प्रमाणन के लिए	0.04	0.03
(ङ) व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.24	0.18
कुल	**2.34**	**1.59**

टिप्पणी – 41

अपवादात्मक मदें

(` करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी	-	2,362.72
	-	**2,362.72**

41.1 रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी से संबंधित विवरण के लिए टिप्पणी 58.8 देखें।

टिप्पणी – 42

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल और तनुकृत		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1626607791	1626607791
प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00
सतत परिचालन से वर्ष का लाभ (₹ करोड़ में)	6114.19	5551.85
प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत परिचालन के लिए) (₹) - मूल	**37.59**	**34.13**
प्रति इक्विटी शेयर आय (सतत परिचालन के लिए) (₹) - तनुकृत	**37.59**	**34.13**
बंद परिचालन से वर्ष का लाभ (₹ करोड़ में)	-	-
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए) (₹) - मूल	-	-
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालन के लिए) (₹) - तनुकृत	-	-
वर्ष का लाभ (बंद परिचालनों और जारी परिचालनों के लिए) (करोड़ रुपये में)	6114.19	5551.85
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालनों और जारी परिचालनों के लिए) (₹) - मूल	**37.59**	**34.13**
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद परिचालनों और जारी परिचालनों के लिए) (₹) - तनुकृत	**37.59**	**34.13**

42.1 प्रति शेयर आय की गणना/पुनर्निर्धारण वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें 4 जुलाई, 2024 को 54,22,02,597 बोनस शेयरों का निर्गमन समायोजित किया गया है।

टिप्पणी – 43

वित्तीय विलेख

43.1.1 पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है कि कंपनी पूंजी संरचना के इष्टतम के माध्यम से शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करते हुए एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने में सक्षम रहे।

कंपनी की पूंजी संरचना में कुल इक्विटी और ऋण शामिल हैं (टिप्पणी 20, 21, 22 और 28 देखें)। कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को छोड़कर किसी भी बाहरी पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

कंपनी का प्रबंधन नियमित आधार पर पूंजी संरचना की समीक्षा करता है। इस समीक्षा के भाग के रूप में, प्रबंधन पूंजी की लागत और पूंजी के प्रत्येक वर्ग से जुड़े जोखिमों पर विचार करता है। कंपनी का लक्ष्य समूह स्तर पर गियरिंग अनुपात को लगभग 45 प्रतिशत बनाए रखना है। कंपनी का गियरिंग अनुपात नीचे दिया गया है।

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
कर्ज (टिप्पणी 22 और 28 देखें)	12,073.82	11,340.98
इक्विटी*	39,530.52	35,449.32
कुल नियोजित पूंजी	51,604.34	46,790.30
गियरिंग अनुपात	23%	24%

*उपर्युक्त ली गई इक्विटी में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) की मदें शामिल नहीं हैं।

43.2 वित्तीय विलेखों का श्रेणीकरण

43.2.1 वित्तीय परिसंपत्तियों का श्रेणीकरण

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(i) लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियाँ		
(क) म्यूचुअल फंड में निवेश		
- लिक्विड फंड संवृद्धि के अंतर्गत एसबीआई म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	250.53	606.72
- लिक्विड फंड संवृद्धि के अंतर्गत बड़ौदा म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	80.16	67.42
- लिक्विड फंड संवृद्धि के अंतर्गत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.19	-
(ख) छुट्टी नकदीकरण फंड निवेश	233.02	284.30
एफवीटीपीएल पर मापी गई कुल परिसंपत्तियाँ	**643.90**	**958.44**
(ii) परिशोधित लागत पर मापी गई परिसंपत्तियाँ		
(क) नकद और नकद समतुल्य	398.42	241.90
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक शेष	3,751.73	2,828.27
(ग) व्यापार प्राप्य राशियाँ	2,689.11	2,599.04
(घ) कर-मुक्त बॉण्डों में निवेश		
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	107.19	107.19
- भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	120.40	120.40
- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	534.35	534.35
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	300.00	300.00
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.99	19.99
(ङ) संबंधित पक्षकारों को ऋण (अप्रतिभूत)		
मैसर्स ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. को ऋण	1.92	-
मैसर्स ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. को ऋण	807.61	785.89
-घटाएं क्रेडिट क्षरण	(807.61)	(785.89)
	-	-
मैसर्स सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को ऋण	353.38	343.87
- घटाएं क्रेडिट क्षरण	(353.38)	(343.87)
	-	-
(च) कर्मचारियों को ऋण (प्रतिभूत) (गैर-वर्तमान)	247.01	208.69
(छ) कर्मचारियों को ऋण (अप्रतिभूत) (गैर-वर्तमान)	0.04	0.58
(ज) कर्मचारियों को ऋण (प्रतिभूत) (वर्तमान)	58.66	50.62
(झ) कर्मचारियों को ऋण (अप्रतिभूत) (वर्तमान)	0.02	0.67
(ञ) प्रतिबंधित परिसंपत्तियाँ		
- स्थल बहाली योजना के अंतर्गत जमा	7.24	6.76
(ट) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
-बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त दावा प्राप्य	0.84	0.02
-अन्य प्राप्य	856.18	36.92
-कर्मचारी को अग्रिम	11.15	10.55
-संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद कॉल प्राप्य	154.27	114.74
-वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रोद्भूत ब्याज	83.38	41.48
परिशोधित लागत पर मापी गई कुल परिसंपत्तियाँ	**9,341.90**	**7,222.17**
(iii) एफवीटीओसीआई पर निर्दिष्ट परिसंपत्तियाँ		
(क) इक्विटी विलेखों में निवेश		
-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,301.49	12,218.67
एफवीटीओसीआई पर मापी गई कुल परिसंपत्तियाँ	**9,301.49**	**12,218.67**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**19,287.29**	**20,399.28**

43.2.2 वित्तीय देयताओं का श्रेणीकरण

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
(i) परिशोधित लागत पर मापी गई देयताएं		
(क) व्यापार संदेय	1,140.73	882.18
(ख) उधार		
-बैंकों से बाहरी वाणिज्यिक उधार	7,350.34	2,552.83
-बॉण्ड	4,721.21	8,786.33
-बैंक ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण	2.27	1.82
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं		
-अदत्त लाभांश	11.61	9.16
-पट्टा देयता	812.13	369.16
-उधार पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	92.85	142.03
-पूंजीगत व्यय और अन्य के लिए देयताएं	1,257.42	952.79
-संयुक्त उद्यम को देय नकद मांग	68.44	50.62
-कर्मचारी लाभ	329.06	221.35
परिशोधित लागत पर मापी गई कुल देयताएं	**15,786.06**	**13,968.27**
वित्तीय गारंटी अनुबंध	21.17	26.56
कुल वित्तीय देयताएं	**15,807.23**	**13,994.83**

43.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

43.3.1 उद्देश्य

कंपनी जोखिमों की मात्रा और परिमाण के आधार पर जोखिमों का विश्लेषण करके कंपनी के प्रचालन से संबंधित वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करती है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम सहित), ऋण जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं।

43.3.2 कमोडिटी जोखिम

कंपनी के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी हैं। कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में किसी भी उतार-चढ़ाव की स्थिति में, कंपनी का राजस्व उसी के अनुसार प्रभावित होता है। इसलिए, कंपनी कमोडिटी मूल्य जोखिम के संपर्क में है।

43.3.3 बाजार जोखिम

कंपनी की गतिविधियाँ इसे मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन, ब्याज दर जोखिम, बाजार जोखिमों के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में लाती हैं, जिन्हें संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करके मापा जाता है।

43.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विदेशी मुद्राओं में लेनदेन करती है; परिणामस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम उत्पन्न होता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं (एलसी सहित) की वहन राशि निम्नानुसार है:

देयताएं	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
यूएसडी	12,381.46	11,826.40
अन्य	3.48	2.12
कुल	**12,384.94**	**11,828.52**

परिसंपत्तियाँ	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
यूएसडी	782.28	555.76
अन्य	0.00	0.00
कुल	**782.28**	**555.76**

कंपनी द्वारा उत्पादित और बेचे गए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हैं, तथापि, इनका बिल और प्राप्ति रुपये में होती है। इसलिए, रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव का इन उत्पादों की बिक्री से कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह पर सीधा असर पड़ता है।

43.4.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसडी) की मुद्रा से अनावृत्त है।

निम्नलिखित तालिका यूएसडी के मुकाबले भारतीय रुपए में 5% की वृद्धि और कमी के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में अवधि के अंत में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदें शामिल हैं और विदेशी मुद्रा दरों में 5% की वृद्धि और कमी के लिए अवधि के अंत में उनके रूपांतरण को समायोजित किया जाता है।

विवरण	2024-25	2023-24
i) लाभ एवं इक्विटी पर प्रभाव	433.98	421.69

43.4.2 वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

तुलन-पत्र की तिथि तक कोई वायदा विदेशी मुद्रा अनुबंध संविदा नहीं है।

43.5 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर जोखिम से अनावृत है क्योंकि कंपनी निर्धारित और परिवर्तनीय, दोनों ब्याज दरों पर धन उधार लेती है और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। परिवर्तनीय ब्याज ऋण पर आवधिक ब्याज दर या म्यूचुअल फंड निवेश पर प्राप्तियां बाजार दरों से जुड़ी होती हैं। कंपनी द्वारा निर्धारित और परिवर्तनीय दर उधारों के बीच उचित मिश्रण बनाए रखकर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। कंपनी की नीति आवश्यकतानुसार मियादी ब्याज दर करारों (एफआरए) या ब्याज दर स्वैप का उपयोग करने की अनुमति देती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर ब्याज दरों के प्रति कंपनी के जोखिम का विवरण तरलता जोखिम प्रबंधन में दिया गया है (टिप्पणी 43.8 देखें)।

43.5.1 ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न दोनों प्रकार के विलेखों के लिए ब्याज दरों के जोखिम के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह विश्लेषण परिवर्तनीय ब्याज दर परिसंपत्तियों और देयताओं के आधार पर तैयार किया गया है, यह मानते हुए कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया थी।

यदि ब्याज दरें 50 आधार अंक अधिक/कम होतीं और अन्य सभी अन्य परिवर्ती कारक नियत रहते हैं, तो कंपनी का:

लिए गए ऋण

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और इक्विटी में ₹ 27.60 करोड़ की कमी/वृद्धि होगी (31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए: ₹ 9.58 करोड़ की कमी/वृद्धि)।

43.6 मूल्य जोखिम

कंपनी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी निवेश से उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर

कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश के माध्यम से अधिशेष निधि का प्रबंधन भी करती है। कंपनी द्वारा अपनाई गई म्यूचुअल फंड योजनाओं पर परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) द्वारा घोषित एनएवी सामान्यतः स्थिर रही है। तथापि, यदि फंड की एनएवी में 5% की वृद्धि/कमी होती है, तो संवेदनशीलता विश्लेषण इस प्रकार होगा :

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और इक्विटी में ₹15.37 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी (31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए: ₹25.22 करोड़ की कमी/वृद्धि)।

43.6.1 इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्य जोखिमों के जोखिम के आधार पर निर्धारित किया गया है।

यदि इक्विटी की कीमतें 5% अधिक/कम होतीं:

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय और इक्विटी में ₹406.94 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी (31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹549.84 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी)।

43.7 क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें किसी प्रतिपक्ष द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में चूक के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होगी। कंपनी ने चूक से होने वाले वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करने के साधन के रूप में, जहाँ भी उचित हो, केवल विश्वसनीय प्रतिपक्षों के साथ ही लेन-देन करने और पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की नीति अपनाई है। कंपनी बकाया राशि और उसकी आयु की समीक्षा करके नियमित रूप से अपने प्रतिपक्ष सीमाओं की निगरानी करती है।

संभावित क्रेडिट जोखिम	क्रेडिट जोखिम प्रबंधन
व्यापार प्राप्यों से संबंधित क्रेडिट जोखिम	कंपनी के महत्वपूर्ण व्यापार प्राप्यों में प्रतिष्ठित और विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/सरकारी उपक्रमों से देय राशियाँ शामिल हैं। पीएसयू/सार्वजनिक उपक्रमों (सामूहिक रूप से आईओसीएल, एनआरएल, ओएनजीसी, बीवीएफसीएल आदि) से देय राशियों के अलावा, कंपनी का किसी भी एक प्रतिपक्ष के प्रति कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है। किसी अन्य प्रतिपक्ष के प्रति ऋण जोखिम का संकेंद्रण वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मौद्रिक परिसंपत्तियों के 2% से अधिक नहीं रहा।
बैंक शेष से संबंधित क्रेडिट जोखिम	कंपनी प्रत्येक बैंक की अनुमोदित जोखिम सीमा के भीतर प्रतिष्ठित और विश्वसनीय बैंकिंग संस्थान के पास बैंक शेष रखती है।
निवेश से संबंधित क्रेडिट जोखिम	कंपनी ने अपने अल्पावधिक तरलता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अत्यधिक तरल सेबी-विनियमित म्यूचुअल फंडों में निवेश किया है। कंपनी ने एएए रेटिंग वाले कर-मुक्त सरकारी बॉण्ड में भी निवेश किया है। कंपनी अपने फंड का निवेश करने से पहले संबंधित पक्षकार की साख विश्वसनीयता का विश्लेषण करती है।
अन्य क्रेडिट जोखिम	कंपनी अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों की ओर से दी गई वित्तीय गारंटियों के संबंध में ऋण जोखिम के प्रति संवेदनशील है। यदि 31 मार्च, 2025 तक गारंटी मांगी जाती है, तो इस संबंध में कंपनी का अधिकतम जोखिम ₹5067.97 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹4845.71 करोड़) है।

कंपनी की एक क्रेडिट नीति है जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि क्रेडिट जोखिम को मापने और नियंत्रित करने के लिए सुसंगत प्रक्रियाएँ मौजूद हों। क्रेडिट जोखिम को व्यवसाय के जोखिम-प्रतिफल संतुलन का एक हिस्सा माना जाता है। किसी भी व्यावसायिक अनुबंध में प्रवेश करते समय, इस बात पर विचार किया जाता है कि यह व्यवस्था कंपनी को किस हद तक क्रेडिट जोखिम के लिए उजागर करती है।

43.8 नकदी जोखिम प्रबंधन

नकदी जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

कंपनी अपने पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी, पर्याप्त भंडार बनाए रखने और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का मिलान करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है।

43.8.1.1 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2025 तक प्राक्कलित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
वित्तीय देयताएं								
(i) बिना ब्याज वाली								
- व्यापार संदेय राशि	1,140.73	-	1,108.26	18.36	9.29	0.12	4.70	1,140.73
- अदत्त लाभांश	11.61	-	11.61	-	-	-	-	11.61
- पट्टा देयता	812.13	-	515.12	188.42	126.82	34.47	36.16	901.0
- कर्मचारी लाभ	329.06	-	329.06	-	-	-	-	329.06
- पूंजीगत व्यय और अन्य के लिए देयताएं	1,257.42	-	1,257.42	-	-	-	-	1,257.42

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
- संयुक्त उद्यम को संदेय नकद कॉल	68.44	-	68.44	-	-	-	-	68.44
	3,619.39		3,289.91	206.78	136.11	34.59	40.86	3,708.25
(ii) ब्याज युक्त		-						
-बाह्य वाणिज्यिक उधार (ब्याज सहित)	7,405.36	5.65%	2,244.12	703.43	516.03	5,027.81	-	8,491.39
-बॉण्ड (ब्याज सहित)	4,759.04	5.13%	243.17	243.17	243.17	4,950.71	-	5,680.22
- बैंक ओवरड्राफ्ट/ नकद क्रेडिट	2.27	-	2.27	-	-	-	-	2.27
	12,166.67		2,489.56	946.60	759.20	9,978.52	-	14,173.88
(iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं	21.17	-						21.17

43.8.1.2 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्राक्कलित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
वित्तीय दायित्व								
(i) ब्याज रहित								
- व्यापार संदेय	882.18	-	858.40	3.22	8.51	10.53	1.52	882.18
- अदत्त लाभांश	9.16	-	9.16	-	-	-	-	9.16
पट्टा देयता#	369.16	-	167.39	109.13	66.00	16.61	10.03	369.16
- कर्मचारी लाभ	221.35	-	221.35	-	-	-	-	221.35
- पूंजीगत व्यय और अन्य के लिए देयताएं	952.79	-	952.79	-	-	-	-	952.79
- संयुक्त उद्यम को संदेय नकद कॉल	50.62	-	50.62	-	-	-	-	50.62
	2,485.26		2,259.71	112.35	74.51	27.14	11.55	2,485.26

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
(ii) ब्याज युक्त								
- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ब्याज सहित)	2,554.64	6.34%	162.84	1,943.71	438.80	253.67	-	2,799.02
- बॉण्ड (ब्याज सहित)	8,926.55	5.24%	4,444.02	236.63	236.63	5,054.21	-	9,971.50
- बैंक ओवरड्राफ्ट/ नकद क्रेडिट	1.82		1.82	-	-	-	-	1.82
	11,483.01		4,608.68	2,180.34	675.43	5,307.88	-	12,772.34
(iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं	26.56	-						26.56

43.8.1.3 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार प्राक्कलित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
(i) ब्याज रहित								
व्यापार प्राप्य	2,689.11	-	2,689.06	0.05	-	-	-	2,689.11
इक्विटी विलेखों में निवेश (उद्धृत)	9,301.49	-	-	-	-	-	9,301.49	9,301.49
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
- बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त प्राप्य दावा	0.84	-	0.84	-	-	-	-	0.84
- अन्य प्राप्य	856.18		850.18	3.00	3.00	-	-	856.18
- कर्मचारियों को अग्रिम	11.15	-	11.15	-	-	-	-	11.15
- जेवी भागीदारों से प्राप्य कैश कॉल	154.27	-	154.27	-	-	-	-	154.27
- सावधि जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज	83.38	-	83.38	-	-	-	-	83.38
	13,096.42		3,788.88	3.05	3.00	-	9,301.49	13,096.42

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
(ii) ब्याज वाली/ पूंजीगत लाभ								
करमुक्त बॉण्ड में निवेश								
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	107.19	7.38%	7.91	7.91	105.38	1.06	10.12	132.38
- भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	120.40	7.33%	8.83	8.83	67.43	8.79	63.58	157.46
- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	534.35	7.77%	41.53	41.53	333.90	213.09	48.16	678.20
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	300.00	7.41%	22.23	22.23	22.23	44.46	358.35	469.50
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.99	7.37%	1.47	1.47	1.47	2.95	28.11	35.47
- स्थल बहाली योजना के अंतर्गत जमा	7.24	6.98%	-	-	-	-	7.24	7.24
म्यूचुअल फंड में निवेश	410.88	7.30%	410.88	-	-	-	-	410.88
छुट्टी नकदीकरण फंड निवेश	233.02	7.51%	233.02	-	-	-	-	233.02
कर्मचारियों को ऋण (ब्याज सहित)	305.73	6.42%	52.90	57.64	67.81	53.99	248.41	480.75
	2,038.80		**778.77**	**139.61**	**598.22**	**324.34**	**763.97**	**2,604.91**

43.8.1.4 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्राक्कलित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
(i) ब्याज रहित								
व्यापार प्राप्य	2,599.04	-	2,581.33	17.71	-	-	-	2,599.04
इक्विटी विलेखों में निवेश (उद्धृत)	12,218.67	-		-	-	-	12,218.67	12,218.67
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
- बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त प्राप्य दावा	0.02	-	0.02	-	-	-	-	0.02
- अन्य प्राप्य	36.92		27.92	3.00	3.00	3.00	-	36.92
- कर्मचारियों को अग्रिम	10.55	-	10.55	-	-	-	-	10.55

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
- जेवी भागीदारों से प्राप्य कैश कॉल	114.74	-	114.74	-	-	-	-	114.74
- सावधि जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज	41.48	-	41.48	-	-	-	-	41.48
	15,021.42		2,776.04	20.71	3.00	3.00	12,218.67	15,021.42
(ii) ब्याज युक्त/ पूंजीगत लाभ								
करमुक्त बॉण्ड में निवेश								
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	107.19	7.38%	7.91	7.91	7.91	105.91	10.65	140.29
- भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	120.40	7.33%	8.83	8.83	8.83	71.83	67.98	166.30
- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	534.35	7.77%	41.53	41.53	41.53	544.53	50.62	719.73
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	300.00	7.41%	22.23	22.23	22.23	44.46	380.58	491.73
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.99	7.37%	1.47	1.47	1.47	2.95	29.58	36.94
- स्थल बहाली योजना के अंतर्गत जमा	6.76	6.80%	-	-	-	-	6.76	6.76
म्यूचुअल फंड में निवेश	674.14	7.00%	674.14	-	-	-	-	674.14
छुट्टी नकदीकरण फंड निवेश	284.30	7.16%	284.30	-	-	-	-	284.30
कर्मचारियों को ऋण (ब्याज सहित)	260.56	6.42%	51.29	29.56	27.54	25.39	126.78	260.56
	2,307.69		1,091.70	111.53	109.51	795.07	672.95	2,780.75

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं दोनों के लिए परिवर्ती ब्याज दर विलेखों के लिए ऊपर शामिल राशियां परिवर्तन के अध्यधीन हैं यदि परिवर्तनीय ब्याज दरों में परिवर्ती रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित ब्याज दरों के प्राक्कलनों से भिन्न होते हैं।

43.8.2 कंपनी की क्रेडिट रेटिंग

प्रबंधन का मानना है कि उसके पास पर्याप्त ऋण वित्तपोषण स्रोतों (पूंजी बाजार) तक पहुँच है, और पूर्वानुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाहरित प्रतिबद्ध उधार सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

कंपनी की वित्तीय समझदारी रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई मज़बूत क्रेडिट रेटिंग में परिलक्षित होती है, जो इस प्रकार है:

श्रेणी	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	अभ्युक्तियां
दीर्घावधि रेटिंग	मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज़	बीएए3 (स्थिर)	भारतीय संप्रभु रेटिंग के समकक्ष
दीर्घावधि रेटिंग	फ़िच रेटिंग	बीबीबी- (स्थिर)	भारतीय संप्रभु रेटिंग के समकक्ष
दीर्घावधि सुविधाएँ	क्रिसिल	क्रिसिल एएए (स्थिर)	क्रिसिल द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग
दीर्घावधि सुविधाएँ	केयर रेटिंग	केयर एएए (स्थिर)	केयर द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग
अल्पावधि सुविधाएँ	क्रिसिल	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग
अल्पावधि सुविधाएँ	केयर रेटिंग	केयर ए1+	केयर द्वारा दी गई उच्चतम रेटिंग

43.8.2.1 वित्तपोषण सुविधा

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
बाह्य वाणिज्यिक उधार		
- प्रयुक्त राशि	7,376.09	2,560.48
- अप्रयुक्त राशि	-	-
बॉण्ड		
- प्रयुक्त राशि	4,744.85	8,814.75
- अप्रयुक्त राशि	-	-
बैंकों से सावधि ऋण (दीर्घावधि)		
- प्रयुक्त राशि	-	-
- अप्रयुक्त राशि	-	-
-बैंक ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण		
- प्रयुक्त राशि	2.27	1.82
- अप्रयुक्त राशि	-	-

43.9 उचित मूल्य मापन

यह टिप्पणी इस बारे में जानकारी प्रदान करती है कि कंपनी किस प्रकार विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य निर्धारित करती है।

43.9.1 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य, जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित तालिका इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों के निर्धारण के तरीके (विशेष रूप से, मूल्यांकन तकनीक(तकनीकें) और प्रयुक्त इनपुट) के बारे में जानकारी देती है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ / वित्तीय देयताएं	निम्न तिथि को उचित मूल्य		उचित मूल्य अनुक्रम	मूल्य निर्धारण तकनीक(तकनीकें) एवं प्रयुक्त मुख्य इनपुट
	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(क) म्यूचुअल फंड में निवेश				
- लिक्विड फंड संवृद्धि के तहत एसबीआई म्यूचुअल फंड की यूनिटें	250.53	606.72	स्तर 2	नीचे टिप्पणी i देखें
- लिक्विड फंड संवृद्धि के तहत बड़ौदा म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.16	67.42	स्तर 2	नीचे टिप्पणी i देखें

वित्तीय परिसंपत्तियाँ / वित्तीय देयताएं	निम्न तिथि को उचित मूल्य		उचित मूल्य अनुक्रम	मूल्य निर्धारण तकनीक(तकनीकें) एवं प्रयुक्त मुख्य इनपुट
	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		
- लिक्विड फंड संवृद्धि के तहत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.19	-		नीचे टिप्पणी 1 देखें
- छुट्टी नकदीकरण फंड निवेश	233.02	284.30	स्तर 2	नीचे टिप्पणी 2 देखें
(ख) इक्विटी विलेखों में निवेश				
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,301.49	12,218.67	स्तर 1	नीचे टिप्पणी 3 देखें
	9,945.39	**13,177.11**		

टिप्पणी1: उचित मूल्य का निर्धारण संबंधित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी 2: उचित मूल्य का निर्धारण संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई कीमत के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी 3: उचित मूल्य का निर्धारण एनएसई द्वारा उद्धृत मूल्य के आधार पर किया गया है।

43.9.2 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य, जिन्हें उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)

निम्नलिखित तालिका में दिए गए विवरण को छोड़कर, कंपनी का मानना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनके उचित मूल्य के लगभग सन्निकट है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1-समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।

स्तर 2-स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		उचित मूल्य अनुक्रम
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(क) व्यापार प्राप्य	2,689.11	2,689.11	2,599.04	2,599.04	स्तर 2
(ख) करमुक्त बॉण्ड में निवेश (उद्धृत)					
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7.19	8.40	7.19	13.28	स्तर 1
- भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	60.40	66.67	60.40	65.23	स्तर 1
- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	534.35	593.86	534.35	583.17	स्तर 1
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.99	41.76	19.99	52.19	स्तर 1
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	300.00	354.00	300.00	364.55	स्तर 1
(ग) करमुक्त बॉण्ड में निवेश (अनुद्धृत)					
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100.00	95.73	100.00	93.37	स्तर 2

विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		उचित मूल्य अनुक्रम
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	
- भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	60.00	57.60	60.00	56.20	स्तर 2
(घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
- स्थल पुनर्स्थापन योजना के अंतर्गत जमा राशि	7.24	7.24	6.76	6.76	स्तर 2
- वसूली योग्य बीमा दावे	0.84	0.84	0.02	0.02	स्तर 2
- अन्य प्राप्य राशियाँ	856.18	856.18	36.92	36.92	स्तर 2
- कर्मचारी को अग्रिम	11.15	11.15	10.55	10.55	स्तर 2
- संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद कॉल प्राप्य	154.27	154.27	114.74	114.74	स्तर 2
- प्राप्य ब्याज	83.38	83.38	41.48	41.48	स्तर 2
(ङ) ऋण					
कर्मचारियों को ऋण	305.73	305.73	260.56	230.75	स्तर 2
वित्तीय देयताएं					
(क) व्यापार देय राशियाँ	1,140.73	1,140.73	882.18	882.18	स्तर 2
(ख) उधार					
- बैंकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार	7,350.34	7,350.34	2,552.83	2,552.83	स्तर 2
- बॉण्ड	4,721.21	4,798.80	8,786.33	8,774.35	स्तर 1
- बैंकों से सावधि ऋण (दीर्घावधिक)	-	-	-	-	स्तर 2
- बैंक ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण	2.27	2.27	1.82	1.82	स्तर 2
(ग) अन्य वित्तीय देयताएँ					
- वित्तीय गारंटी संविदा	21.17	21.17	26.56	26.56	स्तर 2
- अदत्त लाभांश	11.61	11.61	9.16	9.16	स्तर 2
- पट्टा देयता	812.13	812.13	369.16	369.16	स्तर 2
- उधार पर प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं ब्याज	92.85	92.85	142.03	142.03	स्तर 2
- पूंजीगत व्यय और अन्य देयताएँ	1,257.42	1,257.42	952.79	952.79	स्तर 2
- संयुक्त उद्यम को देय नकद कॉल	68.44	68.44	50.62	50.62	स्तर 2
- कर्मचारी लाभ	329.06	329.06	221.35	221.35	स्तर 2

उपर्युक्त स्तर 2 श्रेणियों में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसार किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट बट्टा दर है जो प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को दर्शाती है।

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य लगभग उनके वहन मूल्य के बराबर होता है।

टिप्पणी - 44

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 19- 'कर्मचारी हितलाभ' के अनुसरण में प्रकटीकरण :

44.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ऑयल इंडिया सेवानिवृति हितलाभ योजना निधि (ओआईएसबीएसएफ़) और एनपीएस में कंपनी का अंशदान इस प्रकार है:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
ऑयल इंडिया सेवानिवृति हितलाभ योजना निधि (ओआईएसबीएसएफ़)	132.29	97.36
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)	29.08	27.30

ओआईएसबीएसएफ़ में अंशदान को एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि के लिए भुगतान किया जाता है।

44.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कंपनी में क्रियान्वित विभिन्न हितलाभ योजनाओं में ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईएलईपीएफ़), ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईएलएसपीएफ़), ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआईजीएफ), ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईईपीएफ), ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईपीएफ़), छुट्टी नकदीकरण निधि, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ और सामाजिक सुरक्षा योजना निधि शामिल हैं। इन दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी हितलाभ हकदारी के अतिरिक्त इकाई में वृद्धि के रूप में मानती है और अंतिम दायित्व को आकार देने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग अलग मापती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि तुलन पत्र तिथि को योजना परिसंपत्तियां के उचित मूल्य के निवल है।

ये योजनाएं आमतौर पर समूह को बीमांकिक जोखिमों जैसे : निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घजीवन जोखिम और वेतन जोखिम से अनावृत करता है।

निवेश जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना छूट दर का उपयोग करके की जाती है जो सरकारी बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की प्राप्तियों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अन्य परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए, छूट की दर उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की प्राप्तियों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जब इस तरह के बॉण्ड के लिए एक गहरा बाजार होता है; यदि योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटा पैदा करेगा। वर्तमान में, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण विलेखों में निवेश का अपेक्षाकृत संतुलित मिश्रण है।
ब्याज दर जोखिम	बॉण्ड ब्याज दर में कमी से योजना की देयता बढ़ जाएगी; तथापि, योजना के ऋण निवेशों पर प्रतिफल में वृद्धि से इसकी आंशिक भरपाई हो जाएगी।
दीर्घावधि जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों की रोज़गार के दौरान और उसके बाद मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि हो जाएगी।
वेतन जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि हो जाएगी।

योजना परिसंपत्तियों का हालिया बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2025 तक भारतीय बीमांकिक संस्थान की एक सदस्य फर्म द्वारा किया गया। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत को अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके मापा गया।

44.2.1 बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :

31 मार्च 2025

विवरण	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईएलईपीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईएलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
मृत्यु दर	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	लागू नहीं	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60	60	60	लागू नहीं	60	60	60
समय पूर्व सेवानिवृत्ति और अशक्तता (प्रति हजार प्रति वर्ष 10)	1%	1%	1%	1%	लागू नहीं	1%	1%	1%
-45 वर्ष से अधिक आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-35 से 45 वर्ष के बीच आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-31 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-30 वर्ष से कम आयु	-	-	0.4% प्र.व.	-	-	-	-	-
छूट दर	-	-	6.72%	6.72%	लागू नहीं	6.72%	6.72%	6.72%
पूंजी पर प्रतिफल	8.25%	8.25%	6.72%	6.72%	लागू नहीं	6.72%	लागू नहीं	6.72%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	-	-	6.00%	6.00%	लागू नहीं	6.00%	-	लागू नहीं
संघर्षण दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	लागू नहीं	1.00%	1.00%	1.00%
कर्मचारियों की संख्या	9277	1999	6432	6141	लागू नहीं	6432	6432	6432
मूल वेतन (करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	73.88	67.83	लागू नहीं	73.88	73.88	लागू नहीं
शेष कार्यक्षम जीवन (वर्ष)	15	15	15	15	लागू नहीं	15	15	15
औचित्य	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	लागू नहीं	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि

31 मार्च 2024

विवरण	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईएलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईएलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
मृत्यु दर	आईआईएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएम 2012-2015 अंतिम	लागू नहीं	आईआईएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएम 2012-2015 अंतिम
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60	60	60	60	60	60	60	60
समय पूर्व सेवानिवृत्ति और अशक्तता (प्रति हजार प्रति वर्ष 10)	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
-45 वर्ष से अधिक आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-35 से 45 वर्ष के बीच आयु	-	-	0.2%प्र.व.	-	-	-	-	-
-31 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आयु	-	-	0.2%प्र.व.	-	-	-	-	-
-30 वर्ष से कम आयु	-	-	0.4%प्र.व.	-	-	-	-	-
छूट दर	-	-	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%
पूंजी पर प्रतिफल	8.15%	8.15%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	-	6.97%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	-	-	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	-	-
संघर्षण दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
कर्मचारियों की संख्या	8320	2340	6518	6497	1	6518	6518	6518
मूल वेतन (करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	73.68	69.41	-	73.68	73.68	लागू नहीं
शेष कार्यक्षम जीवन (वर्ष)	14	14	14	14	0	14	14	14
औचित्य	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	लागू नहीं	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि

44.2.2 प्रमाणित बीमांकिक आंकड़े

निम्नलिखित सारणी इंड एएस-19 के अंतर्गत यथा अपेक्षित परिभाषित हितलाभ योजनाओं की स्थिति दर्शाती है:

क. नियोजन पश्चात हितलाभों के लिए तुलन-पत्र में दर्शाई गई राशि :

(` करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईएलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईएलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआईजीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईपीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान वर्ष	1505.89	1428.79	383.69	2963.05	-	322.48	213.02	93.04
	पूर्व वर्ष	1569.84	1405.41	395.90	3082.03	25.51	306.06	206.80	80.00
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	वर्तमान वर्ष	1604.18	1442.96	391.96	2890.20	-	233.02	लागू नहीं*	51.52
	पूर्व वर्ष	1571.43	1375.15	372.65	2887.58	49.45	284.31	लागू नहीं*	37.91
वर्ष के अंत में निधि की स्थिति (निवल परिसंपत्तियां)/ निवल देयता	वर्तमान वर्ष	98.29	14.17	8.27	(72.85)	-	(89.46)	लागू नहीं*	लागू नहीं
	पूर्व वर्ष	1.59	(30.26)	(23.25)	(194.45)	(23.94)	(21.75)	लागू नहीं*	लागू नहीं

लागू नहीं*: लागू नहीं क्योंकि योजना वित्तपोषित नहीं है।

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई – पूर्व वर्ष

ख. परिभाषित हितलाभ दायित्वों के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान:

(` करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईएलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईएलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआईजीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईपीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वर्ष की शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान वर्ष	1569.84	1405.41	395.90	3082.04	-	306.06	206.80	80.00
	पूर्व वर्ष	1584.57	1363.31	413.05	3197.37	3.89	287.88	183.17	91.13
वर्तमान सेवा लागत	वर्तमान वर्ष	138.49	91.65	39.58	92.04	-	67.69	17.07	-
	पूर्व वर्ष	137.50	82.98	38.23	100.22	-	65.83	16.57	-
ब्याज लागत	वर्तमान वर्ष	118.31	108.29	24.44	189.07	-	18.51	11.28	4.93
	पूर्व वर्ष	118.32	105.48	26.41	196.91	0.19	18.10	10.59	6.01
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	वर्तमान वर्ष	1.36	1.27	8.46	38.58	-	8.14	5.88	2.13
	पूर्व वर्ष	-	-	7.55	35.02	-	6.88	5.23	1.93

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
जनसांख्यिकीय धारणा के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	वर्त वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-
	पूर्व वर्ष	-	-	(1.82)	(18.23)	-	(0.13)	16.97	(10.62)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	वर्त वर्ष	(50.53)	7.88	(20.30)	98.18	-	(16.61)	49.91	19.18
	पूर्व वर्ष	(5.08)	(8.20)	(19.34)	315.21	23.87	(16.19)	36.64	1.45
भुगतान किए गए हितलाभ	वर्त वर्ष	(271.58)	(185.71)	(64.39)	(536.86)	-	(61.31)	(77.92)	(13.20)
	पूर्व वर्ष	(265.47)	(138.16)	(68.18)	(744.47)	(2.44)	(56.31)	(62.37)	(9.90)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्त वर्ष	1,505.89	1428.79	383.69	2963.05	-	322.48	213.02	93.04
	पूर्व वर्ष	1569.84	1405.41	395.90	3082.03	25.51	306.06	206.80	80.00

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

ग. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान:

(` करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	वर्त वर्ष	1571.43	1375.15	372.65	2887.58	-	284.31	-	37.91
	पूर्व वर्ष	1664.18	1317.90	389.45	2387.10	49.68	241.92		24.74
ब्याज आय	वर्त वर्ष	129.64	113.45	25.04	194.05	-	19.11	-	2.55
	पूर्व वर्ष	135.63	107.41	27.14	166.38	3.46	16.86		1.72
अंशदान	वर्त वर्ष	138.49	91.65	23.25	194.45	-	(11.88)	-	24.33
	पूर्व वर्ष	137.50	82.98	23.60	735.00	-	79.95		24.74
भुगतान किए गए हितलाभ	वर्त वर्ष	(271.58)	(185.71)	(64.39)	(536.86)	-	(61.31)	(77.92)	(13.20)
	पूर्व वर्ष	(265.47)	(138.16)	(68.18)	(744.47)	(2.44)	(56.31)	(62.37)	(9.90)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	वर्तमान वर्ष	36.19	48.42	35.41	150.98	-	2.79	लागू नहीं	(0.07)
	पूर्व वर्ष	(100.41)	5.02	0.64	343.56	(1.25)	1.89		(3.39)
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	वर्तमान वर्ष	1604.17	1442.96	391.96	2890.20	-	233.02	लागू नहीं	51.52
	पूर्व वर्ष	1571.43	1375.15	372.65	2887.58	49.45	284.31		37.91

लागू नहीं*: योजना वित्तपोषित नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।
सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

घ. लाभ/हानि विवरण में दर्शाए गए व्यय:

(` करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वर्तमान सेवा लागत	वर्तमान वर्ष	138.49	91.65	39.58	92.04	-	67.69	17.07	-
	पूर्व वर्ष	137.50	82.98	38.23	100.22	-	65.83	16.57	-
निवल ब्याज लागत	वर्तमान वर्ष	(11.33)	(5.16)	(0.60)	(4.97)	-	(0.60)	11.28	2.38
	पूर्व वर्ष	(17.31)	(1.93)	(0.73)	30.53	(3.28)	1.24	10.59	4.28
बीमांकिक लाभ/हानि	वर्तमान वर्ष	-	-	-	-	-	(11.26)	-	-
	पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-	(11.33)	-	-
लाभ/हानि विवरण में अंकित व्यय	वर्तमान वर्ष	127.16	86.49	38.98	87.07	-	55.83	28.35	2.38
	पूर्व वर्ष	120.19	81.05	37.50	130.75	(3.28)	55.75	27.17	4.28

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

ड़. अन्य व्यापक आय:

(` करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	वर्तमान वर्ष	1.36	1.27	8.46	38.58	-	8.14	5.88	2.13
	पूर्व वर्ष	-	-	7.55	35.02	-	6.88	5.23	1.93
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	वर्तमान वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-
	पूर्व वर्ष	-	-	(1.82)	(18.23)	-	(0.13)	16.97	(10.62)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	वर्तमान वर्ष	(50.53)	7.88	(20.30)	98.18	-	(16.61)	49.91	19.18
	पूर्व वर्ष	(5.08)	(8.20)	(19.34)	315.21	23.87	(16.19)	36.64	1.45
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल,	वर्तमान वर्ष	(36.19)	(48.42)	(35.41)	(150.98)	-	(2.79)	-	0.07
	पूर्व वर्ष	100.41	(5.02)	(0.64)	(343.56)	1.25	(1.89)	-	3.39
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय	वर्तमान वर्ष	(85.36)	(39.27)	(47.25)	(14.22)	-	(11.26)	55.79	21.38
	पूर्व वर्ष	95.33	(13.22)	(14.25)	(11.56)	25.12	(11.33)	58.83	(3.85)

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

च. सेवानिवृति ट्रस्ट निधियों में निवेश :

विवरण	निवेश की प्रतिशतता											
	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)		ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)		ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)		ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)		ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईपीएफ़)		सामाजिक सुरक्षा योजना निधि	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सरकारी प्रतिभूतियाँ और संबंधित निवेश	60.92	59.55	53.55	53.87	26.45	55.37	55.16	53.93	-	16.17	-	-
ऋण विलेख और संबंधित निवेश	25.88	31.28	32.64	36.01	55.05	25.23	39.20	40.93	-	-	-	-
इक्विटी और संबंधित निवेश	1.16	-	3.40	-	2.91	17.11	5.11	0	-	-	-	-
अन्य*	12.04	9.17	10.41	10.12	15.59	2.29	0.53	5.14	-	83.83	100	100
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100**

*अन्य में जीवन बीमा कंपनियों में निवेश और नकद एवं बैंक शेष शामिल हैं।

छ. सेवानिवृति ट्रस्ट निधि देयताओं का वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण :

(` करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वर्तमान देयता	वर्तमान वर्ष	176.06	28.50	54.57	380.75	-	36.61	55.31	8.55
	पूर्व वर्ष	158.29	192.36	65.28	395.58	25.51	40.44	53.69	8.94
गैर-वर्तमान देयता	वर्तमान वर्ष	1329.83	1400.30	329.12	2582.30	-	285.87	157.71	84.49
	पूर्व वर्ष	1411.55	1213.06	330.62	2686.46	-	265.62	153.11	71.06
कुल	वर्तमान वर्ष	1505.89	1428.79	383.69	2963.05	-	322.48	213.02	93.04
	पूर्व वर्ष	1569.84	1405.41	395.90	3082.04	25.51	306.06	206.80	80.00

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

ज. संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)		ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)		ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)		ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)		ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)		ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)		सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ		सामाजिक सुरक्षा योजना निधि	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
क) छूट दर (-/+ 0.5%)																
वृद्धि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	367.12	380.50	2841.18	2970.99	लागू नहीं	24.81	306.57	292.05	204.07	201.09	89.13	76.37
वृद्धि (%)	-	-	-	-	(4.320%)	(3.890%)	(4.113%)	(3.603%)	लागू नहीं	(2.76%)	(4.933%)	(4.576%)	(2.76%)	(2.76%)	(4.205%)	(4.544%)
कमी (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	401.77	412.63	3095.50	3202.21	लागू नहीं	26.21	339.93	321.38	215.55	212.40	97.30	76.37
कमी (%)	-	-	-	-	4.711%	4.225%	4.470%	3.899%	लागू नहीं	2.71%	5.411%	5.007%	2.71%	2.71%	4.579%	(4.544%)
ख) वेतन वृद्धि/ लाभ मुद्रास्फीति (-/+0.5%)																
वृद्धि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	390.41	402.13	3016.65	3126.36	लागू नहीं	-	339.89	321.38	214.84	206.49	94.70	80.00
वृद्धि (%)	-	-	-	-	1.750%	1.572%	1.809%	1.438%	लागू नहीं	-	5.398%	5.007%	2.37%	(0.15%)	1.783%	0.00%
कमी (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	376.81	389.58	2908.50	3036.88	लागू नही	-	306.47	291.93	204.79	207.11	91.35	80.00
कमी (%)	-	-	-	-	(1.795%)	(1.598%)	(1.841%)	(1.465%)	लागू नहीं	-	(4.965%)	(4.616%)	(2.42%)	0.15%	(1.821%)	0.00%

विवरण	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)		ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)		ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)		ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)		ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)		ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)		सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ		सामाजिक सुरक्षा योजना निधि	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
ग) संघर्षण दर (-/+ 0.5%)																
वृद्धि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	383.79	396.01	2963.73	3082.87	लागू नहीं	25.48	322.50	306.09	209.55	206.26	93.06	80.08
वृद्धि (%)	-	-	-	-	0.024%	0.027%	0.023%	0.027%	लागू नहीं	(0.15%)	0.007%	0.011%	(0.15%)	(0.26)%	0.025%	0.098%
कमी (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	383.60	395.80	2962.37	3081.17	लागू नहीं	25.55	322.46	306.03	210.18	207.34	93.02	80.08
कमी (%)	-	-	-	-	(0.024%)	(0.027%)	(0.023%)	(0.028%)	लागू नहीं	0.15%	(0.007%)	(0.011%)	0.15%	0.26%	(0.025%)	0.098%
घ) मृत्यु दर (-/+ 10%)																
वृद्धि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	383.93	396.14	2966.13	3085.18	लागू नहीं	25.45	322.49	306.08	209.32	211.70	93.14	80.27
वृद्धि (%)	-	-	-	-	0.062%	0.059%	0.104%	0.102%	लागू नहीं	(0.26%)	0.003%	0.007%	(0.26%)	2.37%	0.109%	0.331%
कमी (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	383.46	395.66	2959.97	3078.89	लागू नहीं	25.58	322.47	306.04	210.41	201.80	92.94	80.27
कमी (%)	-	-	-	-	(0.062%)	(0.060%)	(0.104%)	(0.102%)	लागू नहीं	0.26%	(0.003%)	(0.007%)	0.26%	(2.42%)	(0.110%)	0.331%

टिप्पणी – 45

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 108-खंड रिपोर्टिंग के अनुसरण में प्रकटीकरण:

i. खंड राजस्व और परिणाम

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
राजस्व		
बाह्य बिक्री		
कच्चा तेल	15,740.82	16,123.45
प्राकृतिक गैस	5,514.09	5,189.98
एलपीजी	178.34	170.40
पाइपलाइन परिवहन	572.23	533.66
नवीकरणीय ऊर्जा	111.74	112.30
कुल राजस्व	**22,117.22**	**22,129.79**
परिणाम		
कच्चा तेल	6,143.24	6,605.14
प्राकृतिक गैस	2,565.30	2,790.76
एलपीजी	107.38	90.84
पाइपलाइन परिवहन	(71.85)	(52.69)
नवीकरणीय ऊर्जा	20.78	31.45
खंड परिणाम	**8,764.85**	**9,465.50**
घटाएँ: अनाबंटित व्यय	1,917.43	4,344.51
जोड़ें: अनाबंटित आय	236.89	180.03
प्रचालन लाभ	**7,084.31**	**5,301.02**
जोड़ें: ब्याज और लाभांश आय	1,632.96	2,204.46
घटाएँ: ब्याज व्यय	866.32	760.08
कर-पूर्व लाभ	**7,850.95**	**6,745.40**
कर-व्यय	1,736.76	1,193.55
कर-पश्चात लाभ	**6,114.19**	**5,551.85**
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय		
कच्चा तेल	2,609.42	1,923.48
प्राकृतिक गैस	2,185.76	1,898.96
एलपीजी	4.30	6.25
पाइपलाइन परिवहन	385.76	164.87
नवीकरणीय ऊर्जा	14.52	-
अनाबंटित	708.36	215.56
वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय	**5,908.12**	**4,209.12**

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन		
कच्चा तेल	1,107.65	929.62
प्राकृतिक गैस	474.90	521.20
एलपीजी	17.96	18.15
पाइपलाइन परिवहन	151.77	160.86
नवीकरणीय ऊर्जा	43.64	48.25
अनावंटित	122.76	97.03
कुल मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन	**1,918.68**	**1,775.11**
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन के अलावा अन्य गैर-नकद व्यय		
कच्चा तेल	567.50	306.68
प्राकृतिक गैस	497.12	228.90
एलपीजी	-	-
पाइपलाइन परिवहन	-	-
नवीकरणीय ऊर्जा	-	-
अनावंटित	1,117.96	106.82
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन के अलावा कुल गैर-नकद व्यय	**2,182.58**	**642.40**
राजस्व का समाधान		
कुल खंड राजस्व	22,117.22	22,129.79
जोड़ें: अनाबंटित आय	236.89	180.03
जोड़ें: ब्याज और लाभांश आय	1,632.96	2,204.46
अवधि के लिए कुल राजस्व	**23,987.07**	**24,514.28**

ii. खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएं

(` in crore)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
खंड परिसंपत्तियाँ		
कच्चा तेल	12,485.99	11,004.86
प्राकृतिक गैस	11,734.41	9,967.90
एलपीजी	75.26	72.17
पाइपलाइन परिवहन	1,986.82	1,617.44
नवीकरणीय ऊर्जा	417.09	448.49
अनाबंटित परिसंपत्तियाँ	42,737.78	41,992.93
कुल संपत्तियाँ	**69,437.35**	**65,103.79**

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
खंड देयताएं		
कच्चा तेल	3,960.73	3,039.99
प्राकृतिक गैस	3,470.73	2,610.73
एलपीजी	58.61	44.98
पाइपलाइन परिवहन	350.91	246.10
नवीकरणीय ऊर्जा	15.53	12.67
अनाबंटित देयताएं	16,145.94	15,026.87
देयताएं	**24,002.45**	**20,981.34**
इक्विटी	45,434.90	44,122.45
कुल इक्विटी और देयताएं	**69,437.35**	**65,103.79**

टिप्पणी :

1. ऊपर उल्लिखित राजस्व, बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है। एक ही के अन्य प्रचालन खंडों के साथ लेनदेन से कोई राजस्व उत्पन्न नहीं होता है।
2. खंडों से सीधे पहचाने जाने योग्य राजस्व और व्यय संबंधित प्राथमिक रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित किए गए हैं।
3. खंड राजस्व और व्यय, जो प्राथमिक रिपोर्ट योग्य खंडों से सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें अन्य के अंतर्गत प्रकट किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से व्यवसाय विकास सेवाएँ शामिल हैं।
4. खंडों से सीधे पहचाने जाने योग्य परिसंपत्तियाँ और देयताएं संबंधित खंडों को आवंटित की गई हैं।
5. खंडों से सीधे पहचाने जाने योग्य परिसंपत्तियाँ और देयताएं, जिन्हें खंडों से सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें अनाबंटित के अंतर्गत प्रकट किया गया है।
6. अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश, अन्य निवेश, ऋण और चालू एवं आस्थगित कर परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी परिसंपत्तियाँ रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित की जाती हैं।
7. कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।
8. **प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी:**

   कंपनी का प्रचालन से महत्वपूर्ण राजस्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बिक्री से आता है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे पीएसयू को कुल बिक्री ₹22,100.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹22,105.94 करोड़) थी। समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे पीएसयू को की गई बिक्री ने कुल बिक्री का लगभग 99.93% (पिछले वर्ष 99.89%) योगदान दिया। कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस की दावा वसूली के निमित्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ₹795.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹784.39 करोड़) जमा किए हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री राजस्व में प्राकृतिक गैस की दावा वसूली का योगदान 3.60% (पिछले वर्ष 3.54%) है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए किसी अन्य एकल ग्राहक ने कंपनी के प्रचालन राजस्व में 10% या उससे अधिक का योगदान नहीं दिया।

टिप्पणी – 46

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 24 के अनुसरण में प्रकटीकरण - संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

46.1 संबंधित पक्षकार संबंध

संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का विवरण निम्नानुसार है:

i. अनुषंगी कंपनी:

क्र. सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम
1	ऑयल इंडिया स्वीडन एबी
2	ऑयल इंडिया (यूएसए) इंक.*
3	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.**
4	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड***
5	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
6	ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड****

*14 जनवरी 2022 को, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया (यूएसए) इंक. ने अमेरिका में नियोबरारा शेल तेल और गैस परिसंपत्ति में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का सौदा पूरा कर लिया। विनिवेश के बाद, ऑयल इंडिया बोर्ड ने 23 सितंबर, 2022 को आयोजित अपनी 536वीं बैठक में ऑयल इंडिया (यूएसए) इंक. के परिसमापन को मंजूरी दे दी। विनिवेश की आय के साथ, अमेरिकी निगम ने अपनी उपलब्ध धनराशि मूल कंपनी को वापस कर दी। लागू अमेरिकी कानूनों के अनुपालन के बाद, ऑयल इंडिया (यूएसए) इंक. का 2 मई, 2023 को परिसमापन हो गया।

** ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी, नीदरलैंड्स, ऑयल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, साइप्रस में 50% हिस्सेदारी है, जिसके पास रूसी संघ के टॉम्स्क क्षेत्र में ब्लॉक लाइसेंस 61 का स्वामित्व रखने वाली एक रूसी पंजीकृत कानूनी इकाई, स्टिमुल-टी एलएलसी में 100% वोटिंग इक्विटी है। स्टिमुल-टी एलएलसी ने 10 मई, 2023 को टॉम्स्क, रूस के मध्यस्थता न्यायालय में दिवालियापन के लिए आवेदन दायर किया। दिवालियापन के लिए आवेदन को मध्यस्थता न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और 8 नवंबर, 2023 के अपने फैसले में एक अस्थायी प्रबंधक (दिवालियापन ट्रस्टी) नियुक्त किया है और दिवालियापन के पर्यवेक्षण चरण की शुरुआत की है जो वर्तमान में प्रगति पर है।

***कंपनी ने सिंगापुर में पंजीकृत अपनी अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सिंगापुर में पंजीकृत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से रूस में तेल ब्लॉकों में निवेश किया है। रूसी तेल ब्लॉक संस्थाओं ने लाभांश घोषित किया है जो सिंगापुर संयुक्त उद्यमों के रूस स्थित बैंक खातों में प्राप्त हुआ है। हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान रूस के केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों (जो अभी 30 सितंबर 2025 तक वैध हैं) के कारण, उक्त प्रतिबंध प्रवृत्त रहने तक धनराशि सिंगापुर वापस नहीं भेजी जा सकती।

**** "ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड" के नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी 31 जनवरी 2025 को निगमित की गई। कंपनी का गठन गैर-पारंपरिक/नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए किया गया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड को ₹10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 50,00,000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 07 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में आईएफएससी नियमों और विनियमों के अनुसार व्यवसाय करने के लिए गिफ्ट सिटी गुजरात में एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (वित्त कंपनी) को शामिल करने की मंजूरी दी, जो डीआईपीएएम और अन्य लागू नियामक अनुमोदन के अधीन है।

ii संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम
1.	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड
2.	सुनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड
3.	डीएनपी लिमिटेड
4.	इंडोइल नीदरलैंड्स बी.वी. (ऑयल इंडिया स्वीडन एबी की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)
5.	तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)
6.	वैंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)
7.	एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की अनुषंगीकंपनी का संयुक्त उद्यम)
8.	वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)
9.	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
10.	असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड
11.	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
12.	पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड
13.	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
14.	असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की अनुषंगी का संयुक्त उद्यम)
15.	एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड*

*"एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) 21 फरवरी 2025 को निगमित की गई, जिसमें कंपनी की 49% और असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 51% इक्विटी भागीदारी है। कंपनी का गठन नवीकरणीय/हरित ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाने, विकास करने, निर्माण करने, स्वामित्व रखने और संचालन करने के लिए किया गया है। ` 4.90 लाख का प्रारंभिक पूंजी योगदान इक्विटी के विरुद्ध अग्रिम के रूप में प्रकट किया गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 07 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में असम के नामरूप में एक नए अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स, नामरूप-IV उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में 18% इक्विटी भागीदारी को मंजूरी दी।

iii. सहयोगी कंपनियां

क्र.सं.	सहयोगी कंपनी का नाम
1.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

iv. ट्रस्ट निधियां

क्र.सं.	ट्रस्ट निधियों के नाम
1.	ऑयल इंडिया लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईएलईपीएफ)
2.	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईएल एसपीएफ)
3.	ऑयल इंडिया सेवानिवृत्ति लाभ योजना निधि (ओआईएसबीएसएफ)
4.	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईईपीएफ)
5.	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईपीएफ)
6.	ऑयल इंडिया ग्रेच्युटी निधि (ओआईपीएफ)
7.	ऑयल इंडिया सामाजिक सुरक्षा योजना निधि (ओआईएसएसएसएफ)

46.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

i. पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. रंजीत रथ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री सलोमा योमदो	निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) [19.07.2024 से प्रभावी]
3.	श्री अभिजीत मजूमदार	निदेशक (वित्त) [20.11.2024 से प्रभावी]
4.	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई	निदेशक (प्रचालन) [17.12.2024 से प्रभावी]
5.	डॉ अंकुर बरुआ	निदेशक (मानव संसाधन) [16.04.2025 से प्रभावी]
6.	श्री हरीश माधव	निदेशक (वित्त) [30.06.2024 तक]
7.	डॉ मानस कुमार शर्मा	निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) [30.06.2024 तक]
8.	श्री पंकज कुमार गोस्वामी	निदेशक (प्रचालन) [30.09.2024 तक]
9.	श्री अशोक दास	निदेशक (मानव संसाधन) [31.12.2024 तक]

ii कंपनी सचिव :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अजय कुमार साहू	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

iii स्वतंत्र निदेशक :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सुश्री पूजा सूरी*	स्वतंत्र निदेशक [28.03.2025 से प्रभावी]
2.	श्री राजू रेवाणकर*	स्वतंत्र निदेशक [28.03.2025 से प्रभावी]
3.	श्री बलराम नंदवानी	स्वतंत्र निदेशक [28.03.2025 से प्रभावी]
4.	श्री मोती लाल मीना	स्वतंत्र निदेशक [17.05.2025 से प्रभावी]

*पूर्व अवधि 07.11.2024 तक

iv सरकार द्वारा नामित निदेशक :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री रोहित माथुर	संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय [13.05.2024 से प्रभावी]
2.	श्री विनोद शेषन	निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय [09.05.2024 तक]
3.	श्री जॉर्ज थॉमस	उप सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय [13.05.2024 से 21.03.2025 तक]

v मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफ़ओ) :

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री अभिजीत मजूमदार	18.12.2024 से प्रभावी
2.	श्री रूपम बरुआ	01.07.2024 से 17.12.2024 तक
3.	श्री हरीश माधव	30.06.2024 तक

46.3 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन :

i अनुषंगी कंपनियों के साथ लेन-देन:

(` करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**निम्नलिखित को उत्पाद की बिक्री :**			
i)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री	10,857.19	9,354.08
ख.	**प्रदान की गई सेवाएं**			
i)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन	242.96	185.87
ii)	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	जनशक्ति प्रतिनियुक्ति	0.21	0.21
ग.	**इनसे उत्पाद खरीदे गए**			
i)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाई स्पीड डीजल	4.11	33.47
घ.	**इनसे सेवाएं ली गईं :**			
i)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	उपयोगिता प्रभार और सुविधाओं के लिए किराया	3.56	3.71
ङ.	**अग्रिम**			
i)	ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	इक्विटी पर अग्रिम	-	1.66
		इक्विटी पर अग्रिम का समायोजन	1.66	-
ii)	ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	इक्विटी पर अग्रिम	5.00	-
		इक्विटी पर अग्रिम का समायोजन	5.00	-
iii)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	इक्विटी पर अग्रिम	550.95	550.95
		इक्विटी पर अग्रिम का समायोजन	(550.95)	(1,101.90)
च.	**ऋण**			
i)	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.	दिया गया ऋण	1.92	-
छ.	**अन्य आय:**			
i)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	लाभांश आय	179.94	479.13
ii)	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	लाभांश आय	431.35	794.03
ज.	**जेवी ब्लॉक के लिए नकद कॉल :**			
i)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	नकद कॉल	18.12	10.60

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
झ.	**कॉर्पोरेट वित्तीय गारंटी**			
i)	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	आय	7.48	7.50
ञ.	**निवेशित पूंजी का प्रत्यावर्तन:**			
i)	ऑयल इंडिया यूएसए (इंक)	पूंजी का प्रत्यावर्तन	-	33.11
ट.	**अग्रिम**			
i)	ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	निगमन के लिए अग्रिम	0.91	-

ii अनुषंगी कंपनियों के पास बकाया शेष राशि:

(` करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**प्राप्य राशि :**			
i)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	872.28	1,012.67
ii)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	अन्य प्राप्य	18.05	3.52
iii)	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.05	0.05
		लाभांश प्राप्य	431.35	-
iv)	ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.91	-
ख.	**ऋण :**			
i)	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.	ऋण एवं प्रोद्भूत ब्याज	809.53	785.89
		प्रावधान	(807.61)	(785.89)
ग.	**इक्विटी के निमित्त अग्रिम :**			
i)	ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	-	1.66
घ.	**राशि संदेय:**			
i)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	अन्य संदेय	-	0.39
ङ.	**अनुषंगी कंपनियों की ओर से जारी वित्तीय गारंटी:**			
i)	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	4,744.85	4,617.25

iii संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन :

(` करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**निम्नलिखित को उत्पाद की बिक्री :**			
i)	डीएनपी लिमिटेड	प्राकृतिक गैस की बिक्री	16.25	13.15
ii)	असम पेट्रो - केमिकल्स लिमिटेड	प्राकृतिक गैस की बिक्री	429.71	397.24

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
ख. अग्रिम:			
i) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	अधिमानी शेयरों के निमित्त अग्रिम	447.59	409.29
	अधिमानी शेयरों का आवंटन	(662.79)	(543.04)
ii) एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	-	8.00
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	-	(23.50)
iii) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	8.20	24.36
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(8.20)	(24.36)
iv) असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	-	0.75
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	-	(0.75)
v) एनईजीडीसीएल	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	19.60	0.49
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(19.60)	(0.49)
vi) पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	8.13	3.90
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(8.13)	(3.90)
vii) एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	0.05	-
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	-	-
viii) डीएनपी लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	9.20	-
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(9.20)	-
ix) एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	इनकॉर्पोरेशन शुल्क के निमित्त अग्रिम	2.53	-
ग. अन्य आय :			
i) दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड	लाभांश आय	0.38	1.73
घ. इनसे उत्पाद खरीदे गए:			
i) असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	फॉर्मलाइन की खरीद	0.24	0.26
ङ. इनको सेवाएं प्रदान की गईं :			
i) वेंकोर इंडिया पीटीई लिमिटेड	जनशक्ति एवं अन्य सेवाएँ	3.09	2.87
ii) तास इंडिया पीटीई लिमिटेड	जनशक्ति सेवाएँ एवं अन्य सेवाएँ	3.80	3.57
iii) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	जनशक्ति सेवाएँ	3.77	4.34
iv) एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	जनशक्ति एवं अन्य सेवाएँ	2.82	3.34
v) पुरबा भारती गैस प्रा. सीमित	जनशक्ति एवं अन्य सेवाएँ	1.52	1.96
vi) असम पेट्रो - केमिकल्स लिमिटेड	जनशक्ति सेवाएँ	0.65	0.65
vii) डीएनपी लिमिटेड	कैथोडिक संरक्षण एवं विविध सेवाएँ	0.62	0.76
viii) भारत एनर्जी	जनशक्ति सेवाएँ	-	-
ix) नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	जनशक्ति सेवाएँ	2.47	0.88

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
च.	**अभिमान्य कॉर्पोरेट वित्तीय गारंटी आय :**			
i)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	वित्तीय गारंटी आय	0.75	0.32
ii)	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	वित्तीय गारंटी आय	0.23	0.36
छ.	**जारी की गई कॉर्पोरेट वित्तीय गारंटी:**			
i)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड वित्तीय गारंटी	वित्तीय गारंटी	92.00	112.00

iv संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेष:

(` करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**प्राप्य राशि :**			
i)	डीएनपी लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	1.72	1.59
ii)	डीएनपी लिमिटेड	अन्य प्राप्य	-	0.28
iii)	असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	534.71	333.55
iv)	असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.16	0.16
v)	सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	अन्य प्राप्य	2.00	1.94
		प्रावधान	(2.00)	(1.94)
vi)	इंडोइल नीदरलैंड बी.वी.	अन्य प्राप्य	20.18	19.67
		प्रावधान	(20.18)	(19.67)
vii)	वैंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.75	0.72
viii)	तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.93	0.90
ix)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.97	1.23
x)	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	अन्य प्राप्य	2.42	0.90
xi)	पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.37	0.54
xii)	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.65	0.88
xiii)	एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	अन्य प्राप्य	2.53	-
ख.	**ऋण :**			
i)	सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	ऋण	353.38	343.87
		प्रावधान	(353.38)	(343.87)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
ग.	**इक्विटी के निमित्त अग्रिम:**			
i)	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	अधिमानी शेयरों के निमित्त अग्रिम	-	-
ii)	एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	0.05	-
घ.	**संयुक्त उद्यमों की ओर से जारी वित्तीय गारंटी:**			
i)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	224.00	132.00
ii)	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	99.12	96.46

v. सहयोगी कंपनी के साथ लेनदेन :

(` करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**निम्नलिखित को उत्पाद की बिक्री :**			
i)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	प्राकृतिक गैस की बिक्री	1,212.08	1,062.08
ख.	**अन्य**			
i)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	लाभांश आय	-	4.03

vi सहयोगी कंपनी के पास बकाया शेष :

(` करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**प्राप्य राशि :**			
i)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	107.49	102.59
		लाभांश प्राप्य	-	-

46.4 पृथक ट्रस्ट निधियों के माध्यम से प्रबंधित नियोजन पश्चात हितलाभ योजनाओं के साथ लेन-देन:

(` करोड़ में)

क्र. सं.	ट्रस्ट निधि का नाम	योजना	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
			नियोक्ता का अंशदान	बकाया/ प्राप्य/ (संदेय)	नियोक्ता का अंशदान	बकाया/ प्राप्य/ (संदेय)
1.	ऑयल इंडिया लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	परिभाषित हितलाभ	60.91	(15.40)	62.45	(15.59)
2.	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि	परिभाषित हितलाभ	46.68	(11.41)	44.44	(11.26)
3.	ऑयल इंडिया सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना निधि	परिभाषित अंशदान	132.29	(39.97)	97.36	(8.93)

क्र. सं.	ट्रस्ट निधि का नाम	योजना	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
			नियोक्ता का अंशदान	बकाया/ प्राप्य/ (संदेय)	नियोक्ता का अंशदान	बकाया/ प्राप्य/ (संदेय)
4.	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि	परिभाषित हितलाभ	194.45	(72.85)	735.00	(194.45)
5.	ऑयल इंडिया पेंशन निधि	परिभाषित हितलाभ	-	25.01	-	23.94
6.	ऑयल इंडिया उपदान निधि	परिभाषित हितलाभ	23.24	8.25	23.60	(23.25)
7.	ऑयल इंडिया सामाजिक सुरक्षा योजना निधि	परिभाषित हितलाभ	24.27	(15.19)	23.07	11.56

46.5 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक :

i पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ	4.05	4.59
नियोजन पश्चात हितलाभ	0.86	0.91
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	0.21	0.14
कुल	**5.12**	**5.64**

ii. स्वतंत्र निदेशक

(` in crore)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
बैठक शुल्क	0.20	0.33
कुल	**0.20**	**0.33**

46.6 सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ प्रमुख लेनदेन

i सरकार से संबंधित संस्थाओं का नाम और संबंधों का विवरण जिसमें महत्वपूर्ण लेनदेन हुए हैं:

क्र. सं.	सरकार से संबंधित संस्थाएं	स्थिति
1.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम
2.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम
3.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम
4.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम
5.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम
6.	असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	असम सरकार का उपक्रम
7.	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	सरकारी विभाग
8.	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	असम सरकार का उपक्रम
9.	एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	असम सरकार का उपक्रम

ii सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ प्रमुख लेनदेन

(` करोड़ में)

पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क. राजस्व:			
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री	10,857.19	9,354.08
	पाइपलाइन परिवहन	242.96	185.87
	हाई स्पीड डीज़ल	4.11	33.47
	उठाई गई नकद कॉल	18.12	10.60
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी की बिक्री	5,826.92	7,584.57
	कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस परिवहन	304.32	312.94
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	प्राकृतिक गैस की बिक्री	1,212.08	1,062.08
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पाइपलाइन परिवहन और अन्य सेवाएँ	21.36	30.80
गेल (इंडिया) लिमिटेड	प्राकृतिक गैस की बिक्री	186.18	155.71
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	प्राकृतिक गैस की बिक्री	429.71	397.24
ख. लाभांश/ अन्य आय:			
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	लाभांश आय	179.94	479.13
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लाभांश आय	509.87	582.71
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	लाभांश आय	-	4.03
ग. प्रतिपूर्ति :			
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	सर्वेक्षण लागत	2.35	47.44
घ. निम्नलिखित को प्रदान की गई सेवाएं:			
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	जनशक्ति एवं अन्य सेवाएं	2.47	0.88
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	जनशक्ति	0.65	0.65
ङ. उत्पादों की खरीद:			
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	फॉर्मेलिन की खरीद	0.24	0.26
च. इनसे सेवाएं प्राप्त की :			
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	उपयोगिता प्रभार एवं सुविधाओं के लिए किराया	3.56	3.71

पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
छ. अग्रिम:			
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी पर अग्रिम	-	0.75
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	-	(0.75)
एनईजीडीसीएल	इक्विटी पर अग्रिम	19.60	49.00
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(19.60)	(49.00)
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	इक्विटी पर अग्रिम	550.95	550.95
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(550.95)	(1,101.90)
एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	निगमन के लिए अग्रिम	2.53	-

iii. सरकार संबंधित संस्थाओं के पास बकाया :

(` करोड़ में)

पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
नुमालीगढ़ रिफ़ाइनरी लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	872.28	1,012.67
	अन्य प्राप्य	18.05	3.52
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	516.85	557.61
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	107.49	102.59
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	2.02	2.07
गेल (इंडिया) लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	29.33	12.18
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	सर्वेक्षण लागत- अग्रिम प्राप्त	(30.20)	(32.55)
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	अन्य प्राप्य	114.38	12.87
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	534.71	333.55
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.16	0.16
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.65	0.88
नुमालीगढ़ रिफ़ाइनरी लिमिटेड	अन्य संदेय	-	0.39

टिप्पणी - 47

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 112 के अनुसार प्रकटीकरण - संयुक्त व्यवस्था में अधिकार का प्रकटीकरण:

कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियों के रूप में तेल और गैस अन्वेषण के लिए भारत में विभिन्न पीएसी/आरएसी/जेओए निष्पादित किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

47.1 भारत में संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियाँ

i प्रचालित/ संयुक्त रूप से प्रचालित

क्र. सं.	ब्लॉक	संदर्भ टिप्पणी सं.	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
			31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1	एए-ओएनएन-2010/2	i.	50%	50%	ओएनजीसीएल – 30%, गेल-20%	ओएनजीसीएल – 30%, गेल-20%
2	एए-ओएनएन-2010/3	ii.	40%	40%	ओएनजीसीएल– 40%, बीपीआरएल-20%	ओएनजीसीएल– 40%, बीपीआरएल-20%
3	केजी-ओएनएन-2004/1	iii.	90%	90%	जीजीआर - 10%	जीजीआर - 10%
4	एमजेड-ओएनएन-2004/1	iv.	85%	85%	शिववानी - 15%	शिववानी - 15%
5	आरजे-ओएनएचपी-2017/8 (ओएएलपी-I)	vi.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
6	एए-ओएनएचपी-2017/10 (ओएएलपी-I)	xxvi.	70%	70%	ओएनजीसी - 30%	ओएनजीसी - 30%
7	एए-ओएनएचपी-2017/12 (ओएएलपी-I)	xx.	60%	60%	आईओसीएल - 20%, बीपीआरएल - 10%, एनआरएल - 10%	आईओसीएल - 20%, बीपीआरएल - 10%, एनआरएल - 10%
8	एए-ओएनएचपी-2017/13 (ओएएलपी-I)	xxi.	70%	70%	ओएनजीसी - 30%	ओएनजीसी - 30%
9	एए-ओएनएचपी-2017/20 (ओएएलपी-I)	v.	70%	70%	एनआरएल – 20% एएचईसीएल – 10%	NRL – 20% AHECL – 10%
10	एए-ओएनएचपी-2017/16 (ओएएलपी-I)	xxvii.	100%	100%	शून्य	शून्य
11	एए-ओएनएचपी-2017/17 (ओएएलपी-I)	xxii.	100%	100%	शून्य	शून्य
12	एए-ओएनएचपी-2017/18 (ओएएलपी-I)	xxiii.	100%	100%	शून्य	शून्य
13	आरजे-ओएनएचपी-2017/9 (ओएएलपी-I)	vi.	100%	100%	शून्य	शून्य
14	एए-ओएनएचपी-2018/2 (ओएएलपी-III)	vii.	100%	100%	शून्य	शून्य
15	एए-ओएनएचपी-2018/3 (ओएएलपी-III)	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
16	एए-ओएनएचपी-2018/5 (ओएएलपी-III)	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
17	एमएन-ओएनएचपी-2018/1 (ओएएलपी- II)	ix.	100%	100%	शून्य	शून्य
18	एमएन-ओएनएचपी-2018/2 (ओएएलपी II)	ix.	100%	100%	शून्य	शून्य
19	एएन-ओएसएचपी-2018/1 (ओएएलपी II)	x.	100%	100%	शून्य	शून्य
20	एएन-ओएसएचपी-2018/2 (ओएएलपी II)	x.	100%	100%	शून्य	शून्य
21	एमएन-ओएनएचपी-2018/5 (ओएएलपी III)	xi.	100%	100%	शून्य	शून्य
22	केके-ओएसएचपी-2018/1 (ओएएलपी III)	xii.	100%	100%	शून्य	शून्य
23	एए/ओएनडीएसएफ/तुलमाटा/2018	xiii.	100%	100%	शून्य	शून्य

क्र. सं.	ब्लॉक	संदर्भ टिप्पणी सं.	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
			31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
24	केजी/ओएसडीएसएफ/जीएसकेडब्ल्यू/2018	xiv.	100%	100%	शून्य	शून्य
25	एमएन-ओएनएचपी-2018/3 (ओएएलपी II)	xv.	100%	100%	शून्य	शून्य
26	एमएन-ओएनएचपी-2018/4 (ओएएलपी II)	xv.	100%	100%	शून्य	शून्य
27	आरजे-ओएनएचपी-2018/2 (ओएएलपी III)	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
28	एए-ओएनएचपी-2019/01 (ओएएलपी V)	xviii.	100%	100%	शून्य	शून्य
29	एए-ओएनएचपी-2019/02 (ओएएलपी V)	xix.	100%	100%	शून्य	शून्य
30	आरजे-ओएनएचपी-2019/02	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
31	आरजे-ओएनएचपी-2019/03	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
32	एए-ओएनएचपी-2020/1(ओएएलपी-VI)	xxiv.	100%	100%	शून्य	शून्य
33	एए-ओएनएचपी-2020/3 (ओएएलपी -VI)	xxiv.	100%	100%	शून्य	शून्य
34	एए-ओएनएचपी-2021/2(ओएएलपी-VII)	xxv.	100%	100%	शून्य	शून्य
35	एए-ओएनएचपी-2021/3(ओएएलपी-VII)	xxv.	100%	100%	शून्य	शून्य
36	आरजे/ओएनडीएसएफ/बखरीतिब्बा/2021	xvi.	100%	100%	शून्य	शून्य
37	एएस-ओएनएचपी-2022/1 (धेकियाजुली)	xvii.	100%	100%	शून्य	शून्य

टिप्पणियां

सं.	ब्लॉक	टिप्पणियां
i.	एए-ओएनएन -2010/2	ब्लॉक एए-ओएनएन-2010/2 के प्रारंभिक अन्वेषण चरण (आईईपी) को 14.01.2026 तक बढ़ा दिया गया है। भूकंपीय एमडब्ल्यूपी और 2 एमडब्ल्यूपी कूपों में से 1 कूप की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। दूसरे स्थान की ड्रिलिंग के लिए पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ वर्तमान में प्रगति पर हैं।
ii.	एए-ओएनएन -2010/3	ब्लॉक का प्रारंभिक अन्वेषण चरण (आईईपी) 17.05.2023 को समाप्त हो गया। ओआईएल ने 11.04.2023 के पत्र के माध्यम से ब्लॉक में एक प्रतिस्थापन कूप खोदने के लिए डीजीएच से 3 वर्ष की विशेष छूट देने का अनुरोध किया है। 04.07.2024 को ओआईएल और एमओपीएनजी के बीच हुई एक बैठक में, एमओपीएनजी ने ओआईएल को एक संशोधित समय-सीमा के साथ आने की सलाह दी ताकि मार्च 2026 तक ड्रिलिंग अभियान पूरा हो सके। संशोधित समय-सीमा 08.07.2024 को एमओपीएनजी को प्रस्तुत की गई।
iii.	केजी-ओएनएन -2004/1	ओआईएल ने दिनांक 06.08.2021 के पत्र द्वारा ब्लॉक छोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उपरोक्त प्रस्ताव पर एमसी का निर्णय प्रतीक्षित है। इस बीच, ब्लॉक की वैधता 16/03/2023 को समाप्त हो गई। पीएससी के तहत न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) प्रतिबद्धता पहले ही पूरी हो चुकी है।
iv.	एमजेड-ओएनएन -2004/1	2डी और 3डी भूकंपीय सहित सभी जीएंडजी एमडब्ल्यूपी और 5 एमडब्ल्यूपी कूपों में से 4 कूपों की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। ओआईएल को 5वें प्रतिबद्ध कूप की ड्रिलिंग करनी बाकी है। यह ब्लॉक 15.04.2025 तक वैध था, तथापि, ओआईएल ने 13.07.2024 के पत्र द्वारा ब्लॉक को छोड़ने के लिए आवेदन किया (यह पत्र 15.07.2024 को डीजीएच पीएससी प्रबंधन पोर्टल पर भी अपलोड़ किया गया)।
v.	एए-ओएनएचपी -2017/20 (ओएएलपी - I)	31.83 वर्ग किलोमीटर का 3D भूकंपीय एपीआई पूरा हो गया है और 1 कूप खोदा गया है। दूसरे स्थान (09.07.2024 को खोदा गया) की ड्रिलिंग प्रगति पर है। ब्लॉक की वैधता 23.11.2024 तक थी। 10.12.2024 को आयोजित 9वीं एमसीएम में पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने में देरी के कारण आईईपी के 14 अतिरिक्त दिनों के विस्तार की सिफारिश की गई। आधिकारिक सूचना प्रतीक्षित है। सीटीई प्रदान करने में देरी के कारण डीजीएच में आईईपी का आगे विस्तार विचाराधीन है। एसईपी के लिए सीडब्ल्यूपी के रूप में दूसरे कुएँ पर विचार करने के अनुरोध के साथ दिनांक 06.03.2025 के पत्र द्वारा एसईपी के लिए आवेदन किया गया। डीजीएच से उत्तर प्रतीक्षित है।

सं.	ब्लॉक	टिप्पणियां
vi.	आरजे - ओएनएचपी- 2017/8 (ओएएलपी -I) और आरजे-ओएनएचपी - 2017/9 (ओएएलपी-I)	पीईएल 02.05.2023 तक वैध था और हाइड्रोकार्बन की खराब संभावना के कारण दोनों ब्लॉकों का परित्याग कर दिया गया है। दोनों ब्लॉकों के शेष सीडब्ल्यूपी के लिए एलडी का भुगतान कर दिया गया है।
vii.	एए – ओएनएचपी - 2018/2 (ओएएलपी - III)	ब्लॉक के लिए पीईएल अभी तक संबंधित सरकारों से प्राप्त नहीं हुआ है।
viii.	एए – ओएनएचपी - 2018/3, एए- ओएनएचपी - 2018/5, आरजे- ओएनएचपी- 2018/2, आरजे - ओएनएचपी-2019/02 और आरजे - ओएनएचपी-2019/03	ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2018/3 (दीमा-हसाओ) में 2डी और 3डी भूकंपीय एपीआई और 1 कूप की ड्रिलिंग पूरी हो गई है। दूसरे स्थान की ड्रिलिंग के लिए सांविधिक मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है जो वन क्षेत्र में आता है। ब्लॉक की वैधता 28.02.2025 को समाप्त हो गई। एफसी के अनुदान में देरी के कारण अंतरिम अतिरिक्त दिनों के लिए आवेदन किया गया। डीजीएच से जवाब का इंतजार है। ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2018/5 (दक्षिण त्रिपुरा) में क्रमशः 200 एलकेएम और 185 वर्ग किलोमीटर के 2डी और 3डी सिस्मिक का सीडब्ल्यूपी और 6 कूपों की ड्रिलिंग है। 142.65 एलकेएम का 2डी भूकंपीय अधिग्रहण और 194 वर्ग किमी का 3डी भूकंपीय अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जिसमें शेष 57.35 एलकेएम 2डी भूकंपीय के लगभग 9 वर्ग किमी के समतुल्य 3डी भूकंपीय अधिग्रहण शामिल हैं। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2018/5 के परिचालन क्षेत्र में नागरिक अशांति के कारण डीजीएच द्वारा एक (1) वर्ष और तत्पश्चात 580 दिनों का अनंतिम विस्तार प्रदान किया गया है। ब्लॉक का प्रारंभिक अन्वेषण चरण 24.04.2026 तक बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2018/2, आरजे-ओएनएचपी-2019/2 और आरजे-ओएनएचपी-2019/03 में भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है। ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2018/2 और आरजे-ओएनएचपी-2019/2 में प्रत्येक एक स्थान पर ड्रिलिंग की गई है। ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2019/2 और आरजे-ओएनएचपी-2019/3 में ड्रिलिंग के लिए प्रत्येक दो स्थान जारी किए गए हैं। ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2018/2 में दूसरे जारी किए गए स्थान की ड्रिलिंग के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। ब्लॉक की वैधता 28.02.2025 को समाप्त हो गई है। डीजीएच से दूसरे स्थान की ड्रिलिंग के लिए 3 महीने की छूट का अनुरोध किया गया है। आरएससी के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2019/2 और आरजे-ओएनएचपी-2019/3 के लिए नौ (9) महीने का विस्तार भी दिया गया है। जिससे ब्लॉक की वैधता 16.03.2025 तक हो गई। ब्लॉक की वैधता अब समाप्त हो गई है। डीजीएच से ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2019/2 में 4½ महीने (31.07.2025 तक) और ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2019/3 में 6½ महीने (30.09.2025 तक) की विशेष छूट का अनुरोध किया गया है। अभी तक डीजीएच से कोई जवाब नहीं मिला है।
ix.	एमएन-ओएनएचपी-2018/1 (ओएएलपी-II) और एमएन-ओएनएचपी - 2018/2 (ओएएलपी II)	दोनों ब्लॉकों में 2डी और 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और ड्रिलिंग के लिए 6 स्थान तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 1 एमएन-ओएनएचपी-2018/1 (सीडब्ल्यूपी 5 कूप) और 5 एमएन-ओएनएचपी-2018/2 (सीडब्ल्यूपी 3 कूप) में है। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/1 में 175.95 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त 3डी भूकंपीय क्षेत्र भी अधिग्रहित किया गया है। ओआईएल ने ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/2 में 3 सीडब्ल्यूपी कूपों की ड्रिलिंग पूरी कर ली है। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/1 में 1 जारी किए गए स्थान के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। जल्द ही सिविल कार्य शुरू होगा। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/2 में ड्रिलिंग के लिए जारी किए गए अतिरिक्त 2 स्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। दोनों ब्लॉकों की वैधता 28.02.2025 तक थी। दोनों ब्लॉकों में एक वर्ष के लिए विशेष छूट के अंतर्गत विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। डीजीएच से उत्तर की प्रतीक्षा है।
x.	एएन-ओएसएचपी-2018/1 (ओएएलपी II) और एएन-ओएसएचपी-2018/2 (ओएएलपी II)	दोनों ब्लॉकों के लिए आईईपी 16.08.2025 तक मान्य हैं। दोनों ब्लॉकों में 2डी भूकंपीय एपीआई सीडब्ल्यूपी पूरा हो चुका है। ब्लॉकों में 3 स्थान जारी किए गए हैं: एएन-ओएसएचपी-2018/1 में 2 और एएन-ओएसएचपी-2018/2 में 1। ब्लॉक एएन-ओएसएचपी-2018/2 में 1 कूप (विजयपुरम-1) की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। दोनों ब्लॉकों के लिए, सीआरजेड मंजूरी में देरी के बदले 198 दिनों के विस्तार और विशेष छूट के तहत 2 साल के लिए विस्तार के लिए आवेदन किया गया है। डीजीएच से जवाब की प्रतीक्षा है।

सं.	ब्लॉक	टिप्पणियां
xi.	एमएन-ओएनएचपी-2018/5 (ओएएलपी III)	2डी और 3डी भूकंपीय सीडब्ल्यूपी पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग के लिए 3 स्थान जारी किए गए हैं। 2 कूपों के लिए ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। शेष 1 स्थान के लिए ड्रिलिंग-पूर्व गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। ब्लॉक की वैधता 28.02.2025 तक थी। 1 वर्ष की विशेष छूट के अंतर्गत विस्तार के लिए आवेदन किया गया है। डीजीएच से उत्तर प्रतीक्षित है।
xii.	केके-ओएसएचपी-2018/1 (ओएएलपी III)	ब्लॉक के लिए प्रारंभिक अन्वेषण अवधि (आईईपी) 07.12.2025 तक है। विशेष छूट के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। डीजीएच से उत्तर प्रतीक्षित है। 3डी भूकंपीय सीडब्ल्यूपी पूरा हो चुका है और 1 स्थान ड्रिलिंग के लिए जारी किया गया है। स्थान पर ड्रिलिंग हेतु पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।
xiii.	एए/ओएनडीएसएफ/ तुलमारा/2018 (डीएसएफ-II)	विकास अवधि को 30.10.2025 तक बढ़ा दिया गया है। सीडब्ल्यूपी के अनुसार 4 विकास स्थलों को ड्रिलिंग के लिए जारी कर दिया गया है। इन स्थलों पर ड्रिलिंग हेतु पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।
xiv.	केजी/ओएसडीएसएफ/ जीएसकेडब्ल्यू /2018	विकास अवधि को 14.10.2025 तक बढ़ा दिया गया है। सीडब्ल्यूपी के अनुसार 6 विकास स्थलों को ड्रिलिंग के लिए जारी कर दिया गया है। इन स्थलों पर ड्रिलिंग हेतु पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।
xv.	एमएन-ओएनएचपी-2018/3 (ओएएलपी II) और एमएन-ओएनएचपी-2018/4 (ओएएलपी II)	दोनों ब्लॉकों में 3डी भूकंपीय सीडब्ल्यूपी पूरा हो गया है। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/3 में 154.19 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त 3डी भूकंपीय कार्य भी पूरा हो गया है। ड्रिलिंग के लिए एक स्थान जारी किया गया है। ड्रिलिंग-पूर्व गतिविधियाँ वर्तमान में प्रगति पर हैं। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/3 28.02.2025 तक वैध था। 1 वर्ष की विशेष छूट के अंतर्गत विस्तार के लिए आवेदन किया गया है। डीजीएच से उत्तर की प्रतीक्षा है। चूँकि ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/4 में कोई भी स्थान परिपक्व नहीं हो सका, इसलिए ब्लॉक को दिनांक
xvi.	आरजे/ओएनडीएसएफ/ बखरिटिब्बा/2021	विकास अवधि 15.06.2026 तक वैध है। सीडब्ल्यूपी के अनुसार 3 विकास स्थलों को ड्रिलिंग के लिए जारी किया गया है। तीनों कूपों में उत्पादन परीक्षण पूरा हो चुका है।
xvii.	एएस-ओएनएचपी-2022/1 (देखियाजुली)	2डी और 3डी भूकंपीय अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है। भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण प्रगति पर है। ब्लॉक की वैधता 13.02.2024 तक थी।
xviii	एए-ओएनएचपी-2019/01 (ओएएलपी- V)	भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है और 1 स्थान ड्रिलिंग के लिए जारी कर दिया गया है। ड्रिलिंग-पूर्व गतिविधियाँ और सांविधिक मंज़ूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। आरएससी के अनुच्छेद 3 के तहत 3 महीने के लिए विस्तार दिए जाने और उसके बाद, जारी किए गए स्थान के लिए ईसी प्राप्त करने के बदले में 34 दिनों के अतिरिक्त अंतरिम दिनों के अनुदान के बाद, ब्लॉक की वैधता 01.07.2024 तक थी। ऑयल इंडिया ने 24.06.2024 के पत्र के माध्यम से ईसी प्राप्त करने के बदले में 23 दिनों के अतिरिक्त दिनों के लिए आवेदन किया, तथापि, डीजीएच ने सूचित किया कि इस संबंध में अतिरिक्त दिनों के किसी भी अन्य प्रस्ताव की अंतिम मंज़ूरी मिलने के बाद जाँच की जाएगी। ओआईएल ने दिनांक 10.07.2024 के पत्र द्वारा डीजीएच से दो वर्ष की विशेष छूट प्रदान करने और ब्लॉक की समाप्ति तिथि से दो वर्ष की विशेष छूट प्रदान करने की तिथि तक की मध्यवर्ती अवधि को नियमित करने का अनुरोध किया, ताकि ब्लॉक चालू रहे और चल रही सांविधिक मंज़ूरियों और ड्रिलिंग-पूर्व गतिविधियों से संबंधित आवश्यक गतिविधियाँ संचालित की जा सकें। डीजीएच से उत्तर की प्रतीक्षा है।
xix	एए-ओएनएचपी-2019/02 (ओएएलपी- V)	ब्लॉक में भूकंपीय एपीआई पूरा हो चुका है, लेकिन किसी भी स्थान पर परिपक्वता नहीं आ सकी। ओआईएल ने 28.02.2024 को 1 कूप के अधूरे कार्य कार्यक्रम के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलडी भुगतान करके आरएससी के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार ब्लॉक के परित्याग के लिए आवेदन किया।

सं.	ब्लॉक	टिप्पणियां
xx	एए-ओएनएचपी-2017/12 (ओएएलपी-I)	ब्लॉक (2डी-200 एलकेएम और 3डी-100 वर्ग किमी) में भूकंपीय एपीआई पूरा हो गया है और ड्रिलिंग के लिए 1 स्थान जारी किया गया है (सीडब्ल्यूपी 2 कूप)। यह स्थान डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। जारी किए गए स्थान पर ड्रिलिंग के लिए सांविधिक मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की उपस्थिति के कारण, डीजीएच ने ब्लॉक क्षेत्र को 489 वर्ग किमी से घटाकर 309.87 वर्ग किमी करने की मंजूरी दी और आनुपातिक रूप से सीडब्ल्यूपी को घटाकर 2डी-127 जीएलकेएम, 3डी-63 वर्ग किमी और कूप-1 कर दिया। वन मंजूरी के बदले 350 दिनों के अतिरिक्त दिनों के अनुदान के बाद ब्लॉक के लिए आईईपी 08.02.2026 तक मान्य है।
xxi	एए-ओएनएचपी-2017/13 (ओएएलपी-I)	ब्लॉक (2डी-200 एलकेएम और 3डी-100 वर्ग किमी) में भूकंपीय एपीआई पूरा हो गया है और ड्रिलिंग के लिए 1 स्थान जारी किया गया है (सीडब्ल्यूपी 2 कूप)। यह स्थान डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। जारी किए गए स्थान पर ड्रिलिंग के लिए सांविधिक मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की उपस्थिति के कारण, डीजीएच ने ब्लॉक क्षेत्र को 489 वर्ग किमी से घटाकर 309.87 वर्ग किमी करने की मंजूरी दी और आनुपातिक रूप से सीडब्ल्यूपी को घटाकर 2डी-127 जीएलकेएम, 3डी-63 वर्ग किमी और कूप-1 कर दिया। वन मंजूरी के बदले 350 दिनों के अतिरिक्त दिनों के अनुदान के बाद ब्लॉक के लिए आईईपी 08.02.2026 तक मान्य है।
xxii	एए-ओएनएचपी-2017/17 (ओएएलपी-I)	ब्लॉक (2डी-180 एलकेएम) में भूकंपीय एपीआई का काम पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग के लिए एक स्थान जारी किया गया है। चूँकि यह स्थान अरुणाचल प्रदेश के डीएरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य के 10 किलोमीटर के संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के अंतर्गत आता है, इसलिए ड्रिलिंग के लिए वन्यजीव मंजूरी अनिवार्य है। सांविधिक मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। वन्यजीव मंजूरी के बदले 267 अतिरिक्त दिनों की मंजूरी के बाद ब्लॉक 15.11.2025 तक वैध है। ओआईएल ने डीजीएच से क्षेत्र में सड़क-बुनियादी ढांचे के विकास तक ब्लॉक का विस्तार देने का अनुरोध किया है।
xxiii	एए-ओएनएचपी-2017/18 (ओएएलपी-I)	ब्लॉक में भूकंपीय एपीआई पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग के लिए एक स्थान जारी किया गया है। चूँकि एक कूप के सीडब्ल्यूपी की ड्रिलिंग ब्लॉक की वैधता अवधि अर्थात 23.11.2024 तक पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ओआईएल ने 20.08.2024 के पत्र के माध्यम से एसईपी में प्रवेश करने और एक अधूरे कूप के लिए एलडी का भुगतान करने के लिए आवेदन किया। ओआईएल ने एक कूप के अधूरे कार्य कार्यक्रम के लिए 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलडी भुगतान करके ब्लॉक के लिए एसईपी में प्रवेश करने के लिए आवेदन किया। कूप की ड्रिलिंग वर्तमान में प्रगति पर है। एसईपी के लिए डीजीएच से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
xxiv	एए-ओएनएचपी-2020/1 (ओएएलपी-VI) और एए-ओएनएचपी-2020/3 (ओएएलपी-VI)	दोनों ब्लॉकों में भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है। ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2020/1 में 2 स्थान और ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2020/3 में 1 स्थान ड्रिलिंग के लिए चिन्हित किया गया है। ब्लॉक के लिए आईईपी, अप्रत्याशित घटना के तहत 351 दिनों के विस्तार के बाद 12.04.2026 तक वैध है।
xxv	एए-ओएनएचपी-2021/2 (ओएएलपी-VII) और एए-ओएनएचपी-2021/3 (ओएएलपी-VII)	दोनों ब्लॉकों में भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है। प्रत्येक ब्लॉक में ड्रिलिंग के लिए एक जीआईबी स्थान चिन्हित किया गया है। ब्लॉक 08.02.2026 तक वैध है।
xxvi	एए-ओएनएचपी-2017/10 (ओएएलपी-I)	भूकंपीय एवं ड्रिलिंग सीडब्ल्यूपी 23.11.2024 की ब्लॉक वैधता के भीतर पूरा हो गया है। उत्पादन परीक्षण प्रगति पर है। आरएससी के प्रावधानों के अनुसार 1 कूप समर्पित करने के बाद एसईपी के लिए आवेदन किया गया है। डीजीएच से अनुमोदन की प्रतीक्षा है। कोबोचापोरी-1 कूप के विस्तारित परीक्षण के लिए 2 वर्ष के विस्तार का भी अनुरोध किया गया है।
xxvii	एए-ओएनएचपी-2017/16 (ओएएलपी-I)	भूकंपीय सीडब्ल्यूपी पूरा हो गया है। ड्रिलिंग के लिए कोई भी स्थान तैयार नहीं हो सका। ब्लॉक 23.11.2024 तक वैध था।

उपर्युक्त ब्लॉकों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

(` करोड़ में)

विवरण	लेखापरीक्षित ब्लॉक		अलेखापरीक्षित ब्लॉक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	169.40	312.05	0.44	2.01
नकद और नकद समतुल्य	0.34	0.76	-	-
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	1,223.21	143.45	0.02	-
वर्तमान देयताएँ	239.49	166.70	72.32	1.93
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	344.90	167.94	0.80	1.93
गैर-वर्तमान देयताएँ	19.12	12.45	0.39	-
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
राजस्व	-	-	-	-
सतत प्रचालनों से लाभ या (हानि)	(990.28)	(76.46)	(81.24)	(0.16)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	(990.28)	(76.46)	(81.24)	(0.16)
मूल्यह्रास और परिशोधन	10.39	(3.37)	0.02	-
ब्याज आय	0.06	0.03	-	-
ब्याज व्यय	-	-	-	-

टिप्पणी : परित्याग के लिए आवेदित निम्नलिखित ब्लॉकों (अनुमोदन लंबित) की वर्तमान वर्ष की वित्तीय स्थिति पर उपरोक्त विवरण में विचार नहीं किया गया है:

एए-ओएनएचपी-2019/2

एमएन-ओएनएचपी-2018/4

आरजे-ओएनएचपी-2017/8

आरजे-ओएनएचपी-2017/9

केजी-ओएनएन-2004/1

ii गैर-प्रचालित

क्र. सं.	ब्लॉक	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
1	एएपी-ओएन-94/1*	44.086%	44.086%	एचओईसी(ओ) - 26.882%, आईओसीएल - 29.032%	एचओईसी(ओ) - 26.882%, आईओसीएल - 29.032%
2	जीके-ओएसएन-2010/1#	30%	30%	ओएनजीसी (ओ)- 60%, गेल – 10%	ओएनजीसी (ओ)- 60%, गेल – 10%
3	खरसांग पीएससी *	40%	40%	जियोएनप्रो (ओ) - 10%, जियोपेट्रोल-25%, जेईकेपीएल प्राइवेट लिमिटेड-25%	जियोएनप्रो (ओ) - 10%, जियोपेट्रोल-25%, जेईकेपीएल प्राइवेट लिमिटेड-25%
4	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4	25%	25%	ओएनजीसी (ओ)- 75%	ओएनजीसी (ओ)- 75%
5	खेरेम**	40%	40%	एचओईसी(ओ)-40% प्राइज़ पेट्रोलियम 20%	एचओईसी(ओ)-40% प्राइज़ पेट्रोलियम 20%

(ओ) ऑपरेटर

*एनईएलपी -पूर्व ब्लॉक

** डिस्कवर स्मॉल फील्ड बोली 2016 के अंतर्गत। राज्य सरकार से पीईएल न मिलने के कारण कंसोर्टियम ने ब्लॉक की गतिविधियों को जारी न रखने का निर्णय लिया।

01.08.2021 को ब्लॉक की समाप्ति के बाद, ब्लॉक में कोई और गतिविधि नहीं की गई है। ऑपरेटर ने वैधता विस्तार के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था, हालाँकि, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच, ब्लॉक में खोजों की पहचान हाल ही में शुरू किए गए डीएसएफ-IV बोली दौर में बोली लगाने के लिए की गई है और बोली प्रक्रिया पूरी होने पर ब्लॉक को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित करना होगा। तदनुसार, कंपनी ने ब्लॉक के लिए ₹ 32.76 करोड़ की अन्वेषण कुओं की लागत के लिए हानि प्रावधान पहले ही दर्ज कर लिया है।

टिप्पणी: ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1के संबंध में राजस्व ब्याज अप्रैल 2022 से अक्तूबर 2022 तक 39.692% और नवंबर 2022 से 44.086% है।

उपरोक्त ब्लॉकों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	लेखापरीक्षित ब्लॉक		अलेखापरीक्षित ब्लॉक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	46.20	82.09	40.51
नकद और नकद समतुल्य	-	0.27	03.61	0.84
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	119.44	195.85	107.12
वर्तमान देयताएँ	-	20.76	10.24	36.80
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	-	20.76	49.05	36.80
गैर-वर्तमान देयताएँ	-	4.40	11.26	6.44
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
राजस्व	-	263.61	263.27	40.20
जारी प्रचालनों से लाभ या (हानि)	-	195.80	142.08	(1.72)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	-	195.80	142.08	(1.72)
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	8.15	8.38	1.87
ब्याज आय	-	-	-	-
ब्याज व्यय	-	-	-	-

टिप्पणी : एए/ओएनडीएसएफ/खेरेम/2016 ब्लॉक की वित्तीय स्थिति पर ऊपर विचार नहीं किया गया है क्योंकि कंसोर्टियम ने राज्य सरकार से पीईएल प्रदान न किए जाने के कारण ब्लॉक गतिविधियों को जारी न रखने का निर्णय लिया है।

47.2 विदेश स्थित ब्लॉकों का संयुक्त प्रचालन

कंपनी ने विदेशी ब्लॉकों में तेल और गैस अन्वेषण के लिए भी संविदाएं निष्पादित की हैं। ब्लॉकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ब्लॉक / क्षेत्र संख्या	मूल देश का नाम	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
1	ब्लॉक एसएस-04	बांग्लादेश	45%	45%	ओवीएल(ओ) -45%, बेपेक्स – 10%	ओवीएल(ओ) -45%, बेपेक्स – 10%
2	ब्लॉक एसएस-09	बांग्लादेश	45%	45%	ओवीएल(ओ) -45%, बेपेक्स – 10%	ओवीएल(ओ) -45%, बेपेक्स – 10%
3	शक्ति	गैबॉन	50%	50%	आईओसीएल – 50%	आईओसीएल – 50%
4	फ़ारसी (अपतटीय) ब्लॉक	इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान	20%	20%	ओवीएल(ओ) - 40%, आईओसीएल – 40%	ओवीएल(ओ) - 40%, आईओसीएल – 40%
5	क्षेत्र 95/96	लीबिया	25%	25%	सिपेक्स (ओ)- 50%, आईओसीएल – 25%	सिपेक्स (ओ)- 50%, आईओसीएल – 25%

(ओ) ऑपरेटर

टिप्पणी: ओआईएल और आईओसीएल के कंसोर्टियम ने 50% पीआई के साथ ब्लॉक शक्ति-II जी-245 के लिए डीजीएच, गैबॉन के साथ पीएससी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ओआईएल ऑपरेटर है। पीएससी का चरण-I पूरा हो गया है और पीएससी के चरण-II की प्रारंभिक वैधता 16.04.2017 से 15.04.2020 तक प्रदान की गई थी। प्रारंभिक वैधता अवधि समाप्त होने पर, ओआईएल ने आगे विस्तार के लिए आवेदन किया और डीजीएच, गैबॉन ने एक वर्ष का विस्तार और उसके बाद एक-एक वर्ष का विस्तार अंतिम विस्तार की वैधता तक प्रदान किया, जो 15.04.2025 को समाप्त हो गया।

31.03.2025 तक, ओआईएल ने वैधता अवधि के आगे विस्तार के लिए 20.02.2025 के पत्र के माध्यम से आवेदन किया। ब्लॉक को 15.04.2025 से आगे बढ़ाने के ऑयल इंडिया लिमिटेड के अनुरोध के जवाब में, डीजीएच, गैबॉन ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को 08.05.2025 को गैबॉन में एक बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संबंध में वर्तमान में चर्चा चल रही है।

उपरोक्त ब्लॉकों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	लेखापरीक्षित ब्लॉक		अलेखापरीक्षित ब्लॉक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	1.67	350.92	140.39
नकद और नकद समतुल्य	-	3.75	13.59	46.21
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	(0.02)	152.52	144.95
वर्तमान देयताएँ	-	15.52	-	302.42
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	-	19.43	59.18	68.55
गैर-वर्तमान देयताएँ	-	-	-	-
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
राजस्व	-	-	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ या (हानि)	-	1.10	(40.98)	(6.16)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	-	1.10	(40.98)	(6.16)
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	0.08	0.17	0.02
ब्याज आय	-	-	-	-
ब्याज व्यय	-	-	0.18	-

टिप्पणी – 48

अन्वेषण और मूल्यांकन गतिविधियों से संबंधित प्रकटीकरण

"खनिज संसाधनों की खोज और मूल्यांकन" पर इंड –एएस-106 के अनुपालन में खनिज संसाधनों (कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस आदि) की खोज और मूल्यांकन से जुड़ी गतिविधि से संबंधित वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

(` करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
1	**परिसंपत्तियाँ**		
	- प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य	143.83	110.00
	- अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	2,482.66	1,313.81
	- अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	15.63	4.56
	- वर्तमान परिसंपत्तियाँ	448.82	287.00
	कुल परिसंपत्तियाँ	**3,090.94**	**1,715.36**
2	**देयताएं और प्रावधान**		
	- गैर-वर्तमान देयताएं	-	-
	- वर्तमान देयताएं	252.94	76.48
	- प्रावधान	375.54	85.23
	कुल देयताएं और प्रावधान	**628.48**	**161.71**
3	**आय**		
	- अन्य आय	3.63	5.39
	कुल आय	**3.63**	**5.39**
4	**व्यय**		
	- सर्वेक्षण लागत	282.21	158.84
	- शुष्क अन्वेषण कूपों का क्षरण/बट्टे खाते में डालना	646.51	520.97
	- अन्य व्यय	1,108.97	91.41
	कुल व्यय	2,037.69	771.22
5	**नकदी प्रवाह**		
	- प्रचालनरत गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) निवल नकदी	(911.75)	(322.75)
	- निवेश गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) निवल नकदी	(1,609.22)	(646.45)
	कुल नकदी प्रवाह	**(2,520.97)**	**(969.19)**

टिप्पणी – 49

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 – "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुसार प्रकटीकरण

राजस्व का विपुंजन

कंपनी 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व को उत्पाद श्रेणियों के अनुसार विभाजित करके प्रस्तुत करती है। कंपनी का मानना है कि नीचे दिए गए राजस्व का विभाजन, उत्पाद श्रेणियों, प्रकृति और राशि को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है।

उत्पादों या सेवाओं के प्रकार के अनुसार, ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व नीचे दिया गया है:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
क. कच्चा तेल	15,710.37	16,089.32
ख. प्राकृतिक गैस	5,514.09	5,189.98
ग. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	178.34	170.40
घ. संघनित पदार्थ	30.45	34.13
इ. नवीकरणीय ऊर्जा	111.74	112.30
उत्पादों की कुल बिक्री	**21,544.99**	**21,596.13**
सेवाओं की बिक्री		
पाइपलाइन परिवहन		
क. कच्चा तेल	380.73	389.09
ख. परिष्कृत उत्पाद	179.39	132.60
ग. प्राकृतिक गैस	12.11	11.97
सेवाओं की कुल बिक्री	**572.23**	**533.66**
कुल	**22,117.22**	**22,129.79**

भारतीय लेखांकन मानक 115 - 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के अनुप्रयोग पर, कच्चे तेल की बिक्री में वितरण बिंदु तक स्वयं के कच्चे तेल का परिवहन शामिल है, जो आमतौर पर जोखिम, लाभ और अभिरक्षा के हस्तांतरण के साथ मेल खाता है। पाइपलाइन परिवहन से आय में अपने कच्चे तेल के परिवहन के लिए ₹95.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹124.32 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी – 50

पट्टे

कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 से भारतीय लेखांकन मानक 116 "पट्टे" को अंगीकृत किया है और पट्टा देयता के समान राशि और कार्यमुक्ति (डीकमीशनिंग) दायित्व के प्रारंभिक अनुमान के बराबर राशि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को मापने के लिए संशोधित भावी पारगमन दृष्टिकोण को लागू करने का चुनाव किया है, यदि पारगमन की तिथि पर लागू हो।

कंपनी ने वाहनों, रिगों, क्रेनों, क्रॉलरों, कम्प्रेसरों, भवनों आदि के किराये की संविदाओं में भारतीय लेखांकन मानक 116 लागू किया है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि इन संविदाओं में पट्टा घटक शामिल हैं या नहीं। संविदा के निबंधन और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के दायरे में आने वाले ऐसी संविदाओं के पट्टा घटकों का मूल्यांकन किया है। कुछ अपवादों को छोड़कर, पट्टा संविदाओं को वित्तीय विवरणों में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों, संबंधित पट्टा देयताओं और कार्यमुक्ति

(डीकमीशनिंग) दायित्व के प्रारंभिक अनुमान के रूप में अभिज्ञात की जाती है। पट्टा देयताओं को शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा गया और भारत सरकार की बॉण्ड दर का उपयोग करके डिस्काउंट किया गया।

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत उपलब्ध निम्नलिखित व्यावहारिक उपायों को भी लागू करने का निर्णय लिया है:

क) **अल्पावधिक पट्टे/कम मूल्य वाली परिसंपत्तियाँ:** कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार मान्यता छूट के लिए अल्पावधिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को चुना है। कंपनी अल्पावधिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों से जुड़े पट्टा किराया भुगतान को लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता देती है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में लाभ-हानि विवरण में प्रभारित व्यय इस प्रकार हैं:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अल्पावधिक पट्टों से संबंधित व्यय	270.23	79.60
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय	-	-

ख) **छूट दर:** कंपनी ने समान आर्थिक परिवेश में समान अंतिम दर वाली समान परिसंपत्तियों के प्रत्येक पट्टे पर छूट कारक के रूप में वृद्धिशील उधार दर लागू की है। भारत सरकार के बॉण्ड की दर को 0-3 वर्ष, 3-5 वर्ष, 5-10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उन अवधियों में आने वाले विभिन्न पट्टा संविदाओं में विभाजित किया गया है। कंपनी ने समान आर्थिक परिवेश में समान अंतिम तिथि वाली समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एक ही छूट दर लागू की है।

वाहन किराये पर लेना, ड्रिलिंग रिग किराये पर लेना, बंडल सेवा संविदाएं आदि जैसी संविदाओं में कार्मिक लागत, रखरखाव, ड्रिलिंग संबंधी गतिविधियाँ, उपभोग्य वस्तुएँ और अन्य वस्तुओं सहित कई अतिरिक्त सेवाएँ और घटक शामिल होते हैं। ऐसी अधिकांश संविदाओं में, अतिरिक्त सेवाएँ/गैर-पट्टा घटक समग्र संविदा मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जहाँ अतिरिक्त सेवाओं/गैर-पट्टा घटकों का अलग-अलग मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है, वहाँ भुगतान की गई राशि पट्टा और गैर-पट्टा घटकों की सापेक्षिक एकल कीमतों के आधार पर आवंटित की गई है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित प्रभाव दिए गए हैं:

तुलन-पत्र :

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं का संचलन इस प्रकार है:

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(` करोड़ में)

विवरण	भूमि	भवन	पी एंड एम	वाहन	कुल
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	51.68	8.67	263.92	62.01	386.28
वृद्धि	0.06	1.79	780.47	60.62	842.94
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	1.20	4.87	359.29	39.45	404.81
वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	50.54	5.59	685.10	83.18	824.41

पट्टा देयताएं

(` करोड़ में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	**369.16**
वृद्धि	842.94
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्तीय लागत	46.99
पट्टा देयताओं का भुगतान	449.29
रूपांतरण अंतर	2.33

विवरण	कुल
वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**812.13**
वर्तमान	**477.69**
गैर-वर्तमान	**334.44**

लाभ एवं हानि का विवरण

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 के अनुप्रयोग का व्ययों के वर्गीकरण पर प्रभाव पड़ा है। इसने लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए व्ययों के समय को प्रभावित किया है। पहले संविदा लागत के रूप में वर्गीकृत संविदा किराये पर लेने पर होने वाले व्यय, तेल और गैस परिसंपत्तियों को आवंटित सीमा को छोड़कर, लाभ-हानि विवरण में मूल्यह्रास, नि:शेषण एवं परिशोधन तथा ब्याज व्यय के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण पर प्रभाव निम्नानुसार है:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कुल मूल्यह्रास	404.80	244.81
घटाएँ - वर्षों के दौरान पूंजीकृत	(262.62)	(136.58)
लाभ-हानि विवरण में मूल्यह्रास	142.18	108.23
पट्टा देयता पर वित्तीय लागत	18.85	11.10
रूपांतरण अंतर	2.33	1.26
पट्टा किराया का प्रत्यावर्तन	(160.99)	(109.61)
कुल	**2.37**	**10.98**

नकदी प्रवाह का विवरण

परिसंपत्तियों की संविदा हायरिंग संबंधी व्यय को नकदी प्रवाह विवरण में वित्तीय गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो पट्टा देयता के मूलधन और ब्याज के भुगतान को दर्शाता है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, नकदी प्रवाह विवरण में वित्तीय गतिविधियों के रूप में शामिल संविदा लागत ₹449.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹270.73 करोड़) है।

पट्टा भुगतानों के लिए अनुमानित भविष्य के बिना छूट वाले नकदी प्रवाह:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष के अंत से देय भावी पट्टा भुगतान		
एक वर्ष तक	515.12	187.02
2 - 3 वर्ष तक	315.25	189.43
4 - 5 वर्ष तक	34.47	18.38
पाँच वर्ष से अधिक	36.16	36.69
कुल	**901.00**	**431.52**
घटाएँ: छूट का प्रभाव	88.87	62.36
निवल पट्टा देयता	812.13	369.16
जोड़ें: सतत पट्टा देयता	-	-
कुल पट्टा देयताएँ	**812.13**	**369.16**

टिप्पणी – 51

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 37–आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में प्रकटीकरण:

i आकस्मिक देयताएं

(क) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है:

(` करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
i.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सेवा कर और जीएसटी के अंतर्गत	784.63	736.39
ii.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत	320.52	285.83
iii.	अन्य अधिनियमों के अंतर्गत	16.84	16.83
iv.	मध्यस्थता/न्यायालय में लंबित संविदाकार द्वारा	118.36	112.91
v.	जेवीसी/पीएससी खाते पर दावा	197.48	178.97
vi.	असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) संशोधन अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 2023 तक की माँग*	2,377.11	2,300.80
vii.	वनीकरण के विरुद्ध सीसीएफ (असम) द्वारा 2% एनपीवी की अतिरिक्त माँग	82.77	82.77
	Total	**3,897.71**	**3,714.50**

*₹2377.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,300.80 करोड़) में असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) संशोधन अधिनियम, 2004 के अंतर्गत उठाई गई मांग के संबंध में कर अधीक्षक, नहरकटिया, असम को जारी ₹ 702.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹702.02 करोड़) की बैंक गारंटी शामिल है, जिसका प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 51 (i) (बी) (i) के तहत किया गया है।

(ख) प्रत्याभूतियों (गारंटियों) के संदर्भ में :

(` करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
i.	असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) संशोधन अधिनियम, 2004 के अंतर्गत विभाग द्वारा 2005 से 2009 की अवधि के लिए की गई माँग के संबंध में कर अधीक्षक, नहरकटिया, असम को जारी की गई बैंक गारंटी।	702.02	702.02
ii.	घरेलू न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) प्रतिबद्धता हेतु बैंक गारंटी	628.49	703.20
iii.	विदेशी न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) प्रतिबद्धता हेतु बैंक गारंटी	-	277.87
iv.	एनएलडी, सौर एवं शहरी गैस वितरण के संबंध में बैंक गारंटी	1,089.00	974.00
v.	ओएएलपी के निमित्त बैंक गारंटी	1,086.40	1,214.96
vi.	डीएसएफ ब्लॉकों के निमित्त बैंक गारंटी	158.75	158.57

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
vii.	साख पत्र के निमित्त	78.95	167.62
viii.	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में बैंक गारंटी	0.30	0.30
ix.	एनईजीडीसीएल के सीजीडी व्यवसाय के संबंध में प्रमुख भागीदार एजीसीएल द्वारा पीएनजीआरबी को ₹ 90 करोड़ के पीबीजी में 49% हिस्सेदारी प्रदान की गई	-	44.10
x.	अन्य	53.38	4.75
	कुल	**3,797.29**	**4,247.39**

ii अन्य मामले जिनके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:

प्रतिबद्धताएं

(क) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

(i) पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष और लेखाओं में प्रावधानित नहीं की गई संविदाओं की अनुमानित राशि ₹187.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 846.50 करोड़) है।

(ii) गैर-प्रचालित संयुक्त उद्यम ब्लॉक एएपी.-ओएन-94/1 में कंपनी की पूंजी प्रतिबद्धता का हिस्सा शून्य है (पिछले वर्ष ₹9.59 करोड़)।

(iii) गैर-प्रचालित संयुक्त उद्यम ब्लॉक खारसंग-पीएससी में कंपनी की पूंजी प्रतिबद्धता का हिस्सा ₹21.32 करोड़ (पिछले वर्ष 20.63 करोड़) है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

(i) राजस्व लेखा में निष्पादित किए जाने वाले शेष और लेखाओं में प्रावधानित नहीं की गई संविदाओं की अनुमानित राशि ₹83.05 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹69.89 करोड़)।

(ii) कंपनी द्वारा भारत सरकार के साथ एनईएलपी/एचईएलपी/डीएसएफ ब्लॉकों के लिए किए गए उत्पादन साझाकरण संविदा (पीएससी)/राजस्व साझाकरण संविदा (आरएससी) के अंतर्गत न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) का शेष ₹3515.62 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹4,095.10 करोड़)। यह प्रतिबद्धता बैंक गारंटी द्वारा कवर की गई है जैसा कि बिंदु संख्या 50.i.(ख)(ii) में संदर्भित है।

(iii) विदेशी ब्लॉकों के लिए उत्पादन साझाकरण संविदाओं (पीएससी) के अंतर्गत कंपनी द्वारा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) का शेष ₹442.14 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹432.34 करोड़)।

(iv) मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के राइट इश्यू के प्रति प्रतिबद्धता ₹550.95 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1,101.90 करोड़)।

(v) कंपनी को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) के तहत पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सड़क, क्रॉस ड्रेन, सौर ऊर्जा सहित विद्युतीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं, फसल और चारे की पैदावार बढ़ाने के लिए स्थानीय किसानों को वैज्ञानिक सहायता और जागरूकता, वर्षा जल संचयन, मिट्टी की नमी संरक्षण कार्य, एवेन्यू प्लांटेशन, सामुदायिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण आदि के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी गतिविधियों को पूरा करना आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना के आसपास प्रभावित क्षेत्रों के लिए आयोजित सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक आवश्यकता मूल्यांकन आदि के आधार पर पर्यावरण मंजूरी प्रदान करते समय इन गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धताओं का निर्णय लिया जाता है। एमओईएफ एंड सी सी द्वारा यथा प्रस्तावित अथवा पर्यावरण मंजूरी की वैधता अवधि को पूरा करने पर कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के प्रति कंपनी की कुल बकाया प्रतिबद्धताएं 31 मार्च 2025 तक ₹63.96 करोड़ है (31 मार्च 2024 तक ₹ 79.50 करोड़)।

टिप्पणी – 52

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और 53(च) के अनुसार प्रकटीकरण

(` करोड़ में)

विवरण	31.03.2025 को बकाया	वर्ष 2024-25 के दौरान अधिकतम बकाया राशि	31.03.2024 को बकाया	वर्ष 2023-24 के दौरान अधिकतम बकाया राशि	01.04.2023 को बकाया
ऋण की प्रकृति के रूप में ऋण एवं अग्रिम :					
क) अनुषंगी कंपनियां*					
i) ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ऑयल इंडिया (यूएसए) इंक.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.	809.53	809.53	785.89	785.89	774.56
v) ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vi) ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त रूप से प्रचालित संस्थाओं को					
i) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	353.38	353.38	343.87	343.87	338.92
iii) डीएनपी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vi) एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vii) पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
viii) नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ix) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(x) एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) फर्मों/कंपनियों, जिनमें निदेशकों का हित हो, को दिए जाने वाले ऋण की प्रकृति में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) ऋणदाता द्वारा मूल कंपनी या अन्य अनुषंगी कंपनी में निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*चालू खाता लेनदेन शामिल नहीं है

टिप्पणी – 53

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

एमएसएमई विक्रेताओं से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद करते समय, कंपनी एमएसएमई विक्रेताओं के साथ गैर-एमएसएमई विक्रेताओं के समान व्यवहार करती है। तथापि, कंपनी एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान करती है।

कंपनी ने उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पहचान की है जिन पर कंपनी का बकाया है, जो 31 मार्च, 2025 तक बकाया हैं।

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
क) किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त बकाया मूल राशि	14.60	27.19
ख) किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त बकाया मूल राशि पर देय ब्याज	-	-
ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि, साथ ही उस अवधि के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
घ) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय और संदेय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान नौ माह की गई है), लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
ङ) प्रोद्भूत और बकाया ब्याज की राशि।	-	-
च) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, लघु उद्यमों को उपर्युक्त ब्याज के वास्तविक रूप से भुगतान किए जाने की तिथि तक बाद के वर्षों में भी देय रह गई और संदेय और ब्याज की राशि।	-	-

टिप्पणी : विक्रेताओं से पुष्टि के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थिति।

टिप्पणी – 54

आयकर

54.1 जारी रहने वाले प्रचालनों से संबंधित आयकर

लाभ या हानि में अभिज्ञात आयकर

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
वर्तमान कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	1,674.84	1,860.43
पिछले वर्ष के संबंध में	-	(3.25)
कुल	**1674.84**	**1,857.18**
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	61.92	(663.63)
कुल	**61.92**	**(663.63)**
वर्तमान वर्ष में अभिज्ञात कुल आयकर व्यय	**1,736.76**	**1,193.55**

54.2 वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ के साथ निम्न प्रकार से समाधान किया जा सकता है:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
कर-पूर्व लाभ		**7,850.95**		**6,745.40**
आयकर व्यय की गणना 25.168% पर की गई (2024-2025: 22%+10% अधिभार + 4% एचईसी=25.168%)		1,975.93		1,697.68
जोड़ें:				
कर योग्य लाभ के निर्धारण में कटौती योग्य न होने वाले व्ययों का कर प्रभाव	66.64		66.88	
		66.64		66.88
उप –योग		**2,042.57**		**1,764.56**
घटाएं:				
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन	2.97		78.54	
पूर्व अवधि आयकर समायोजन	-		3.25	
कर से मुक्त आय का कर प्रभाव	20.57		20.69	
आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-VIA के अंतर्गत कटौती	282.27		468.53	
		305.81		**571.01**
कुल		**1,736.76**		**1,193.55**
लाभ या हानि में अभिज्ञात आयकर व्यय		**1,736.76**		**1,193.55**

टिप्पण: उपर्युक्त समाधान के लिए प्रयुक्त कर दरें वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए 25.168% (रियायती व्यवस्था के तहत) की प्रभावी कॉर्पोरेट कर दरें हैं, जो भारतीय आयकर कानून के तहत कर योग्य लाभ पर भारत में कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा क्रमशः देय हैं।

54.3 अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात आयकर

वर्तमान एवं आस्थगित कर

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात आय और व्यय से उत्पन्न:		
एफवीटीओसीआई पर आईओसीएल की इक्विटी निधि में निवेश पर निवल उचित मूल्य लाभ पर आस्थगित कर	(148.43)	635.26
परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मापन पर वर्तमान कर	(7.23)	(14.00)
कुल	**(155.66)**	**621.26**
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात कुल आयकर	**(155.66)**	**621.26**
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात आयकर का विभाजन:		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	**(155.66)**	621.26
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है	-	-
कुल	**(155.66)**	**621.26**

54.4 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

54.4.1 तुलन-पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) का विश्लेषण निम्नलिखित है:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1,545.78	1,126.12
आस्थगित कर देयताएँ	(4,244.79)	(3,911.64)
कुल	**(2,699.01)**	**(2,785.52)**
आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता के घटक:		
आस्थगित कर देयता:		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(3,461.29)	(2,980.93)
निवेश पर उचित मूल्य लाभ	(719.47)	(867.90)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी द्वारा कवर किया गया व्यय	-	-
कर्मचारी आस्थगित हितलाभ व्यय	(37.34)	(31.61)
अन्य	(26.69)	(31.20)
कुल	**(4,244.79)**	**(3,911.64)**
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी द्वारा कवर किया गया व्यय	658.97	456.82
संदिग्ध अग्रिम/ऋण/भंडार के लिए प्रावधान	499.36	434.10
आस्थगित आय	18.58	19.62
अन्य	368.87	215.58
कुल	**1,545.78**	**1,126.12**
निवल आस्थगित कर देयता	**(2,699.01)**	**(2,785.52)**

54.4.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ /(देयता) संचलन

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			
	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	अंत शेष	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	प्रारंभिक शेष
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर (देयताएं)/परिसंपत्तियाँ :								
संदिग्ध अग्रिमों/ ऋणों/भंडारों के लिए प्रावधान	434.10	65.26	-	499.36	418.34	15.76	-	434.10
धारा 43बी के अंतर्गत आने वाला व्यय	456.82	202.15	-	658.97	(398.22)	855.04	-	456.82
कर्मचारी ऋण का उचित मूल्यांकन	37.59	6.36	-	43.95	28.39	9.20	-	37.59
आस्थगित आय	19.62	(1.04)	-	18.58	20.63	(1.01)	-	19.62
गारंटी का उचित मूल्यांकन	6.68	(1.35)	-	5.33	7.77	(1.09)	-	6.68
अन्य प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	(2,980.93)	(480.36)	-	(3,461.29)	(2,653.84)	(327.09)	-	(2,980.93)
इक्विटी निवेश पर उचित मूल्य लाभ	(867.90)	-	148.43	(719.47)	(232.64)	-	(635.26)	(867.90)
विदेशी मुद्रा लाभ/ हानि	(4.78)	4.78	-	-	(65.05)	60.27	-	(4.78)
कर्मचारी आस्थगित लाभ व्यय	(31.61)	(5.73)	-	(37.34)	(26.34)	(5.27)	-	(31.61)
गारंटी निवेश का उचित मूल्यांकन	(17.35)	3.09	-	(14.26)	(16.47)	(0.88)	-	(17.35)
अन्य मदें	162.24	144.92	-	307.16	103.54	58.70	-	162.24
कुल	**(2,785.52)**	**(61.92)**	**148.43**	**(2,699.01)**	**(2,813.89)**	**663.63**	**(635.26)**	**(2,785.52)**

तेल एवं गैस उत्पादक गतिविधियों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी (इंड एएस) के अनुसार प्रकटीकरण:

(भंडार के आकलन की प्रक्रिया के लिए टिप्पण संख्या 1.2.1 (क) देखें)

(i) 31.03.2025 तक कच्चे तेल (कंडेनसेट और भारी तेल सहित) और प्राकृतिक गैस के प्रमाणित भंडार में हितधिकार की निवल मात्रा:

प्रचालन का क्षेत्र	कच्चा तेल					प्राकृतिक गैस			
	01 अप्रैल 2024 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	उत्पादन मात्रा	परिवर्तन*	31 मार्च 2025 की स्थिति	01 अप्रैल 2024 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	समायोजित बिक्री मात्रा	31 मार्च 2025 की स्थिति
	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क+ख-ग-घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क+ख-ग)
असम	28.7307	2.5771	3.3593	(0.0345)	27.9830	27774	1205	2822	26157
अरुणाचल प्रदेश	0.5389	0.0808	0.0315	(0.0008)	0.5890	0	399	0	399
राजस्थान	0.7512	0.0405	0.0330	0.0001	0.7586	1235	1003	199	2039
संयुक्त उद्यम ब्लॉक #	0.0738	0.0318	0.0139	(0.0048)	0.0965	1183	18	80	1121
कुल	**30.0946**	**2.7302**	**3.4377**	**(0.0400)**	**29.4271**	**30192**	**2625**	**3101**	**29716**

(*) विभिन्न रूपांतरण कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।

(#) कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार की सीमा तक दर्शाया गया है।

भंडार की गणना मिलियन मीट्रिक टन के संदर्भ में की जाती है।

(ii) 31.03.2024 तक कच्चे तेल (कंडेनसेट और भारी तेल सहित) और प्राकृतिक गैस के प्रमाणित भंडार में हितधिकार की निवल मात्रा:

प्रचालन का क्षेत्र	कच्चा तेल					प्राकृतिक गैस			
	01 अप्रैल 2023 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	उत्पादन मात्रा	परिवर्तन*	31 मार्च 2024 की स्थिति	01 अप्रैल 2023 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	समायोजित बिक्री मात्रा	31 मार्च 2024 की स्थिति
	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क+ख-ग-घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क+ख-ग)
असम	29.0186	3.0625	3.2657	0.0847	28.7307	25231	5191	2648	27774
अरुणाचल प्रदेश	0.5629	0.0102	0.0327	0.0015	0.5389	0	0	0	0
राजस्थान	0.5414	0.2349	0.0251	0.0000	0.7512	1492	(86)	171	1235
संयुक्त उद्यम ब्लॉक #	0.0882	0.0000	0.0154	(0.0010)	0.0738	1273	0	90	1183
कुल	**30.2111**	**3.3076**	**3.3389**	**0.0852**	**30.0946**	**27996**	**5105**	**2909**	**30192**

(*) विभिन्न रूपांतरण कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।

(#) कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार की सीमा तक दर्शाया गया है।

भंडार की गणना मिलियन मीट्रिक टन के संदर्भ में की जाती है।

(iii) 31.03.2025 तक तेल (कंडेनसेट और भारी तेल सहित) और प्राकृतिक गैस के प्रमाणित विकसित भंडारों में अधिकारों की निवल मात्रा:

प्रचालन का क्षेत्र	कच्चा तेल					प्राकृतिक गैस			
	01 अप्रैल 2024 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	उत्पादन मात्रा	परिवर्तन*	31 मार्च 2025 की स्थिति	01 अप्रैल 2024 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	समायोजित बिक्री मात्रा	31 मार्च 2025 की स्थिति
	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क+ख-ग-घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क+ख-ग)
असम	26.2106	1.9767	3.3593	(0.0314)	24.8594	27774	1205	2822	26157
अरुणाचल प्रदेश	0.2951	0.0287	0.0315	(0.0004)	0.2927	0	399	0	399
राजस्थान	0.5293	0.2624	0.0330	0.0001	0.7586	1235	1003	199	2039
संयुक्त उद्यम ब्लॉक #	0.0738	0.0318	0.0139	(0.0048)	0.0965	1183	18	80	1121
कुल	**27.1088**	**2.2996**	**3.4377**	**(0.0365)**	**26.0072**	**30192**	**2625**	**3101**	**29716**

(*) विभिन्न रूपांतरण कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।

(#) कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार की सीमा तक दर्शाया गया है।

भंडार की गणना मिलियन मीट्रिक टन के संदर्भ में की जाती है।

(iv) 31.03.2024 तक तेल (कंडेनसेट और भारी तेल सहित) और प्राकृतिक गैस के प्रमाणित विकसित भंडारों में हितधिकार की निवल मात्रा:

प्रचालन का क्षेत्र	कच्चा तेल					प्राकृतिक गैस			
	01 अप्रैल 2023 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	उत्पादन मात्रा	परिवर्तन*	31 मार्च 2024 की स्थिति	01 अप्रैल 2023 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	समायोजित बिक्री मात्रा	31 मार्च 2024 की स्थिति
	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क+ख-ग-घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क+ख -ग)
असम	26.4355	3.1179	3.2657	0.0771	26.2106	25231	5191	2648	27774
अरुणाचल प्रदेश	0.2976	0.0310	0.0327	0.0008	0.2951	0	0	0	0
राजस्थान	0.5414	0.0129	0.0251	(0.0001)	0.5293	1492	(86)	171	1235
संयुक्त उद्यम ब्लॉक #	0.0882	0.0000	0.0154	(0.0010)	0.0738	1273	0	90	1183
कुल	**27.3627**	**3.1618**	**3.3389**	**0.0768**	**27.1088**	**27996**	**5105**	**2909**	**30192**

(*) विभिन्न रूपांतरण कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।
(#) कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार की सीमा तक दर्शाया गया है।
भंडार की गणना मिलियन मीट्रिक टन के संदर्भ में की जाती है।

(v) तेल और गैस (कंडेनसेट पदार्थों सहित) के प्रमाणित एवं प्रमाणित विकसित भंडारों का तकनीकी मूल्यांकन और समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप आंतरिक रूप से की जाती है। भंडारों का समय-समय पर बाहरी विशेषज्ञों द्वारा लेखा-परीक्षण किया जाता है। प्रमाणित एवं प्रमाणित विकसित भंडारों के आकलन के लिए, कंपनी द्वारा निर्धारणात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। भंडार की मात्रा निर्धारित करने के लिए उत्पादन पैटर्न विश्लेषण, पूर्ण किए जाने वाले अतिरिक्त कूपों की संख्या, उन्नत पुनर्प्राप्ति तकनीकों का अनुप्रयोग, खनन पट्टा करारों की वैधता, बिक्री के लिए समझौतों/एमओयू को ध्यान में रखा जाता है।

टिप्पणी - 56

भारतीय लेखांकन मानक 36 - परिसंपत्तियों का क्षरण के अंतर्गत प्रकटीकरण :

56.1 कंपनी मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन में लगी हुई है। तेल और गैस परिसंपत्तियों के लिए नकदी सृजक इकाई (सीजीयू) का क्षरण परीक्षण, सभी क्षेत्रों को एक सीजीयू मानकर किया जाता है, सिवाय राजस्थान के क्षेत्रों के जहाँ सामान्य सुविधाओं का उपयोग किया जाता है और राजस्थान क्षेत्रों के लिए समग्र रूप से क्षरण परीक्षण किया जाता है।

प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन/विकास के उपयोग मूल्य का अनुमान सिद्ध और संभावित भंडार (2पी) के आधार पर लगाया जाता है। जहाँ सीजीयू में क्षेत्रों का आगे विकास कार्य प्रगति पर है, वहाँ उपयोग मूल्य का निर्धारण करते समय भविष्य के विकास की अपेक्षित लागत पर भी विचार किया जाता है।

उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग और उनके उपयोगी जीवन के अंत में उनके निपटान से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को छूट दर के रूप में पूंजी की भारित औसत लागत लागू करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। (31 मार्च, 2025 को: 12.04% और 31 मार्च, 2024 को: 13.47%)।

56.2 कंपनी वर्तमान व्यावसायिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, भविष्य की आर्थिक स्थितियों की आंतरिक और बाह्य सूचनाओं/संकेतकों के आधार पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की भावी कीमतों का आकलन करती है। आकलन के आधार पर, सीजीयू का वसूली योग्य मूल्य वहन राशि से अधिक है और तदनुसार, उत्पादक/विकासशील परिसंपत्तियों के संबंध में वर्तमान अवधि के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

56.3 संबंधित सीजीयू के लिए निम्नलिखित 2पी भंडारों को 31 मार्च, 2025 तक क्षरण परीक्षण के आधार के रूप में माना गया:

सीजीयू का नाम	क्षरण मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त 2(पी) आरक्षित निधियों की मात्रा (एमएमटीओई में)
असम और अरुणाचल प्रदेश तेल एवं गैस क्षेत्र	117.8408
राजस्थान तेल एवं गैस क्षेत्र	3.1074
संयुक्त रूप से प्रचालित तेल एवं गैस ब्लॉक	0.1224

56.4 कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, निर्माणाधीन अन्वेषण कूपों के लिए प्रतिवर्तन को घटाकर ₹569.06 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹532.81 करोड़) के क्षरण का प्रावधान किया गया है।

56.5 कंपनी ने पाइपलाइन, एलपीजी संयंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी अन्य सीजीयू इकाइयों का भी क्षरण परीक्षण किया, और इनमें से प्रत्येक को अलग-अलग नकदी उत्पादक इकाइयाँ माना। चूँकि इन सीजीयू इकाइयों का उपयोग मूल्य उनके वहन मूल्य से अधिक था, इसलिए वर्ष के दौरान कोई क्षरण नहीं हुआ।

56.6 कंपनी की अनुषंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों में निवेश के क्षरण के लिए जाँच तब की जाती है जब कोई महत्वपूर्ण संकेत मिलता है कि उन निवेशों में क्षरण हुआ है। वर्ष के दौरान ऐसे निवेशों का क्षरण मूल्यांकन किया गया और ऐसे निवेशों की वसूली योग्य राशि उनके वहन मूल्य से अधिक थी और ऐसे निवेशों पर कोई क्षरण नहीं हुआ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी:

57.1 अचल परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण जहां स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है:

i. संपत्ति संयंत्र उपकरण

क्र. सं.	परि-संपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	तिथि जब से लंबित है	कारण
1	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	82.88	10 वर्षों से कम	अद्यतित रिकॉर्ड प्रतीक्षित है।
2	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	17.82	10 वर्षों से कम	अद्यतित रिकॉर्ड प्रतीक्षित है।
3	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	असम डायोसेस ट्रस्ट एसोसिएशन	नहीं	0.00	10 वर्षों से कम	अद्यतित रिकॉर्ड प्रतीक्षित है।
4	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	असम सरकार	नहीं	34.02	10 वर्षों से कम	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
5	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	पहचान की प्रक्रिया जारी है	नहीं	15.42	10 वर्षों से कम	ज़मीन कंपनी के कब्ज़े में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
6	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	20.69	10-20 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
7	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	4.13	10-20 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	असम सरकार	नहीं	10.39	10-20 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
9	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.04	10-20 वर्ष	
10	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	वन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार	नहीं	0.00	10-20 वर्ष	

क्र. सं.	परि-संपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	तिथि जब से लंबित है	कारण
11	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	पहचान की प्रक्रिया जारी है	नहीं	1.11	10-20 वर्ष	ज़मीन कंपनी के कब्ज़े में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
12	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	8.38	20-50 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
13	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	4.69	20-50 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
14	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	0.16	20-50 वर्ष	विवादित एवं न्यायालयीन लंबित मामला
15	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	असम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
16	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	मेरबिल माजुली ग्राम सभा	नहीं	0.01	20-50 वर्ष	
17	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	अरूणाचल प्रदेश सरकार	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
18	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	असम सरकार	नहीं	5.27	20-50 वर्ष	
19	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.02	20-50 वर्ष	
20	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	वन विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार	नहीं	0.01	20-50 वर्ष	
21	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	पहचान की प्रक्रिया जारी है	नहीं	0.90	20-50 वर्ष	ज़मीन कंपनी के कब्ज़े में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
22	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.03	50 वर्ष से अधिक	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
23	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	चाय बागान भूमि	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
24	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	वन विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार	नहीं	0.76	50 वर्ष से अधिक	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
25	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	असम सरकार	नहीं	4.01	50 वर्ष से अधिक	
26	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	प. बंगाल सरकार	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	

क्र. सं.	परि-संपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	तिथि जब से लंबित है	कारण
27	पीपीई	पूर्ण स्वामित्व भूमि	पहचन की प्रक्रिया जारी है	नहीं	0.02	50 वर्ष से अधिक	ज़मीन कंपनी के कब्ज़े में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
28	पीपीई	अधिग्रहण लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	7.40	10 वर्ष से कम	अद्यतित रिकॉर्ड प्रतीक्षित है।
29	पीपीई	अधिग्रहण लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	28.85	10 वर्ष से कम	अद्यतित रिकॉर्ड प्रतीक्षित है।
30	पीपीई	अधिग्रहण लागत	असम सरकार	नहीं	2.86	10 वर्ष से कम	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
31	पीपीई	अधिग्रहण लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.00	10 वर्ष से कम	
32	पीपीई	अधिग्रहण लागत	पहचन की प्रक्रिया जारी है	नहीं	1.50	10 वर्ष से कम	ज़मीन कंपनी के कब्ज़े में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
33	पीपीई	अधिग्रहण लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	2.23	10-20 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
34	पीपीई	अधिग्रहण लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.13	10-20 वर्ष	विवादित एवं न्यायालयीन लंबित मामला
35	पीपीई	अधिग्रहण लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	6.45	10-20 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
36	पीपीई	अधिग्रहण लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.00	10-20 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
37	पीपीई	अधिग्रहण लागत	असम सरकार	नहीं	4.28	10-20 वर्ष	
38	पीपीई	अधिग्रहण लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.37	20-50 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
39	पीपीई	अधिग्रहण लागत	अधिग्रहण लागत	नहीं	0.01	20-50 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

क्र. सं.	परि-संपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	तिथि जब से लंबित है	कारण
40	पीपीई	अधिग्रहण लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	7.06	20-50 वर्ष	विवादित एवं न्यायालयीन लंबित मामला
41	पीपीई	अधिग्रहण लागत	असम सरकार	नहीं	0.56	20-50 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
42	पीपीई	अधिग्रहण लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.01	20-50 वर्ष	
43	पीपीई	अधिग्रहण लागत	अरूणाचल प्रदेश सरकार	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	
44	पीपीई	अधिग्रहण लागत	वन विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	
45	पीपीई	अधिग्रहण लागत	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	नहीं	0.00	20-50 वर्ष	ज़मीन कंपनी के कब्ज़े में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
46	पीपीई	अधिग्रहण लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.01	50 वर्ष से अधिक	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
47	पीपीई	अधिग्रहण लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	विवादित एवं न्यायालयीन लंबित मामला
48	पीपीई	अधिग्रहण लागत	मधुपुर को-ऑपरेटिव फिशरी सोसाइटी लिमिटेड	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
49	पीपीई	अधिग्रहण लागत	चाय बागान भूमि	नहीं	0.03	50 वर्ष से अधिक	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
50	पीपीई	अधिग्रहण लागत	असम सरकार	नहीं	0.02	50 वर्ष से अधिक	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
51	पीपीई	अधिग्रहण लागत	वन विभाग, असम सरकार	नहीं	0.15	50 वर्ष से अधिक	
52	पीपीई	अधिग्रहण लागत	अरूणाचल प्रदेश सरकार	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	
53	पीपीई	अधिग्रहण लागत	वन विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	
54	पीपीई	अधिग्रहण लागत	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	नहीं	0.00	50 वर्ष से अधिक	ज़मीन कंपनी के कब्ज़े में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।

ii प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

क्र. सं.	परिसंपत्ति	परिसंपत्ति श्रेणी	नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़)	तिथि जब से लंबित है	कारण
1	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	No	87.86	10 वर्ष से कम	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण लागत	चाय बागान भूमि	No	28.07	10 वर्ष से कम	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण लागत	असम सरकार	No	8.12	10 वर्ष से कम	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।
4	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण लागत	अरूणाचल प्रदेश सरकार	No	0.00	10 वर्ष से कम	
5	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण लागत	वन विभाग, असम सरकार	No	0.16	10 वर्ष से कम	
6	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण लागत	पहचान की प्रक्रिया जारी है।	No	25.51	10 वर्ष से कम	ज़मीन कंपनी के कब्ज़े में है। पहचान की प्रक्रिया जारी है।
7	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण लागत	व्यक्तिगत विक्रेता	No	0.24	10-20 वर्ष	भूमि मालिकों द्वारा अद्यतन भूमि अभिलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8	सीडब्ल्यूआईपी	अधिग्रहण लागत	असम सरकार	No	1.62	10-20 वर्ष	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान, परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सरकारी और वन भूमि भी अधिग्रहित कर ली जाती है और कंपनी के कब्जे में रहती है। हालाँकि, ऐसी भूमि का औपचारिक स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास ही रहता है।

भूमि की खरीद तेल अन्वेषण और उत्पादन व्यवसाय का अभिन्न अंग है। भूमि अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया है और ड्रिलिंग, उत्पादन और परिवहन गतिविधियों के लिए आवश्यक है। कंपनी द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सीधे भूस्वामियों से विभिन्न स्थानों पर छोटी मात्रा में भूमि खरीदकर भूमि का अधिग्रहण करती है। यदि द्विपक्षीय वार्ता विफल हो जाती है, तो सरकारी हस्तक्षेप से संबंधित भूमि कानूनों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। कंपनी द्वारा अधिग्रहित और कब्जे में कुल भूमि क्षेत्र में विभिन्न वर्ग और श्रेणियां शामिल हैं जैसे म्यादी पट्टा भूमि, वार्षिक पट्टा भूमि, गैर-भूकर भूमि, सरकारी भूमि और वन भूमि।

कंपनी के पास विशाल मात्रा में भूमि है और 31 मार्च, 2025 तक, विभिन्न स्थानों पर कई क्षेत्र हैं जहाँ बिक्री विलेखों का निष्पादन प्रगति पर है।

57.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुसूची III में संशोधन के अनुसार महत्वपूर्ण अनुपात नीचे उल्लिखित हैं:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	अंतर (% में)	कारण (यदि अंतर 25% से अधिक है)
1	**वर्तमान अनुपात** [वर्तमान परिसंपत्तियाँ (बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियों को छोड़कर)/वर्तमान देयताएँ]	1.30	1.01	28.71	3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा, प्राप्य लाभांश और उधारों की अदायगी के कारण चालू अनुपात में वृद्धि हुई है।
2	**ऋण-इक्विटी अनुपात** [(गैर-वर्तमान उधार + वर्तमान उधार)/ कुल इक्विटी (ओसीआई सहित)]	0.27:1	0.26:1	3.85	-
3	**ऋण सेवा कवरेज अनुपात** [कर पश्चात लाभ+ वित्त लागत +मूल्यह्रास]/ [वित्त लागत+पट्टा भुगतान और मूलधन पुनर्भुगतान]	1.61	7.85	(79.46)	वर्तमान वर्ष में ₹ 4,206 करोड़ के उधार की चुकौती के कारण ऋण सेवा कवरेज अनुपात में कमी आई है, जबकि पिछले वर्ष ऐसा कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।
4	**इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल** [कर पश्चात लाभ/इक्विटी शेयरधारकों का कोष]	13.46%	12.58%	6.95	-
5	**मालसूची टर्नओवर अनुपात** [बिक्री (छूट को घटाकर)/औसत इन्वेंट्री]	12.69	15.05	(15.68)	-
6	**व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात** [बिक्री (छूट को घटाकर)/औसत व्यापार प्राप्य]	8.36	9.10	(8.04)	-
7	**व्यापार देय टर्नओवर अनुपात** [क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय]	0.23	0.28	(15.63)	-
8	**निवल पूँजी कारोबार अनुपात** [बिक्री (छूट को घटाकर)/ (औसत वर्तमान परिसंपत्ति - औसत वर्तमान देयताएँ)]	15.74	10.82	45.56	पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान औसत वर्तमान देयताएं अधिक होने के कारण।
9	**निवल लाभ अनुपात** [कर पश्चात लाभ/प्रचालन से राजस्व]	27.64%	25.09%	10.19	-
10	**नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (कर-पूर्व)** [ईबीआईटी/नियोजित पूंजी]	19.21%	17.04%	12.80	-
11	**निवेश पर प्रतिफल** [निवेश पर निवल प्रतिफल/कुल निवेश]				
	उद्धृत निवेश	(17.38%)	115.48%	6108.60	उद्धृत निवेशों के शेयर मूल्य में कमी के कारण।
	अनउद्धृत निवेश	06.32%	10.95%	121.21	पिछले वर्ष की तुलना में कम लाभांश के कारण।

57.3 कार्यशील पूंजी ऋण

कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक से ₹250 करोड़ (निधि आधारित) और ₹777.45 करोड़ (गैर-निधि आधारित) की कार्यशील पूँजी सीमा संस्वीकृत की गई है। कंपनी मासिक आधार पर बैंक को स्टॉक विवरण प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा बैंक को प्रस्तुत विवरण कंपनी की लेखा बहियों के अनुरूप है:

(` करोड़ में)

अवधि	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	आवधिक रिटर्न/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि
मार्च 2025	भारतीय स्टेट बैंक	भंडार एवं पुर्जे	1911.19	1911.19
मार्च 2025	भारतीय स्टेट बैंक	तैयार माल	167.60	167.60
मार्च 2025	भारतीय स्टेट बैंक	ऋणदाता	2689.11	2689.11

57.4 बंद कंपनियों के साथ संबंध

31.03.2025 को समाप्त वर्तमान वर्ष

बंद हो चुकी कंपनी का नाम	संबंध	लेनदेन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेनदेन (राशि ₹ में)	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष (राशि ₹ में)
शून्य				

31.03.2024 को समाप्त पूर्व वर्ष

बंद हो चुकी कंपनी का नाम	संबंध	लेनदेन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेनदेन (राशि ₹ में)	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष (राशि ₹ में)
शून्य				

टिप्पणी – 58

अन्य प्रकटीकरण :-

58.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का भौतिक सत्यापन:

कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का भौतिक सत्यापन 3 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो 31.03.2027 को पूरा हो जाएगा। तदनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्य के संदर्भ में 63.31% पीपीई का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। पीपीई के भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों के लिए ₹7.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.37 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

58.2 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 23 "उधार लागत" के अनुसार जानकारी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कूपों के लिए पूंजीकृत पट्टा देयता पर वित्तीय लागत ₹28.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹18.20 करोड़) है।

58.3 ऊर्जा क्रय करार (पीपीए) के समापन संबंधी प्रकटीकरण

कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) किया, जिसकी वैधता 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई।

कंपनी ने पत्र संख्या आर/टीएस/आरई/2019-80 दिनांक 26 मार्च 2019 के माध्यम से, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय खरीद दायित्व अनुपालन ढांचे के तहत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) को शेष उपयोगी जीवन के लिए दोनों सौर ऊर्जा संयंत्रों के पीपीए की वैधता के विस्तार के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

करार के निष्पादन में जेडीवीवीएनएल की ओर से प्रतिक्रिया में अत्यधिक देरी को देखते हुए, कंपनी ने विद्युत क्रय करार को अंतिम रूप देने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच में एक रिट याचिका दायर की है। 5 नवंबर 2019 को हुई सुनवाई के दौरान, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच ने आदेश दिया कि रिट याचिका के निपटारे तक, संयुक्त मीटर रीडिंग रिपोर्ट पर बिना किसी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, हस्ताक्षर किए जाएंगे। मामले को अंतिम बार 13.05.2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अदालत की छुट्टी के कारण इसे टाल दिया गया था। अगली सुनवाई 22.07.2024 को हुई जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक हलफनामा दायर करने और मामले को 27.08.2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। उसके बाद आज तक कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है।

वित्तीय विवरण की टिप्पणी 33 में दर्शाई गई नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री में सौर ऊर्जा संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के संबंध में ₹6.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7.10 करोड़) की राशि शामिल है। जेडीवीवीएनएल के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) के नवीनीकरण तक माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा निर्धारित दर (₹3.14 प्रति यूनिट) के अनुसार राजस्व अभिज्ञात किया गया है। पीपीए को अंतिम रूप देने पर होने वाले किसी भी समायोजन का लेखा-जोखा घटना वर्ष में किया जाएगा। प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, पीपीए के निष्पादन पर अंतिम मूल्य में समायोजन महत्वपूर्ण नहीं होगा।

58.4 शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, व्यापार और अन्य प्राप्य, व्यापार और अन्य देय और ऋणों के कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अध्यधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के आधार पर उसका लेखा-जोखा लिया जाता है, जिसका अन्यथा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

58.5 बकाया कच्चे तेल परिवहन राजस्व और टैरिफ संशोधन

कंपनी बरौनी, बिहार से बोंगाईगांव और गुवाहाटी में आईओसीएल की रिफाइनरियों तक कच्चे तेल की ट्रंक पाइपलाइन के माध्यम से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के आयातित कच्चे तेल के परिवहन के व्यवसाय में लगी हुई है।

उपर्युक्त परिवहन खंड के लिए टैरिफ को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतिम रूप दिया गया था, जैसा कि दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। तदनुसार, ओआईएल जुलाई 2022 से आईओसीएल को कच्चे तेल के परिवहन के लिए संशोधित दरों पर चालान जारी कर रहा है। कच्चे तेल परिवहन करार (सीओटीए) पर हस्ताक्षर होने तक, आईओसीएल ने 31 मार्च, 2025 तक नियमित परिवहन बिलों से ₹88.44 करोड़ (चालान राशि का 10%) रोक लिए हैं।

58.6 मैसर्स आईजीजीएल को ओआईडीबी ऋण सहायता

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडी बोर्ड) द्वारा 16 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी 103वीं बैठक में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को ₹2,594 करोड़ (दो हजार पांच सौ चौरानबे करोड़ रुपये) की ओआईडीबी ऋण सहायता के लिए दी गई मंजूरी के अनुसरण में, जो गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा 20% प्रत्येक की हिस्सेदारी के साथ प्रवर्तित एक कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, प्रमोटरों में से एक होने के नाते, ओआईडीबी को ₹518.80 करोड़ की राशि का भुगतान करने के लिए बिना शर्त और स्पष्ट गारंटी प्रदान करता है, यदि उधारकर्ता मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) ओआईडीबी और आईजीजीएल के बीच निष्पादित ऋण करार की शर्तों के अनुसार ओआईडीबी को देय ₹2,594 करोड़ की ऋण राशि और उस पर अर्जित ब्याज और अन्य धनराशि को देय तिथियों पर चुकाने के अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रहता है। कॉर्पोरेट गारंटी तब तक वैध और अपरिवर्तित रहेगी जब तक कि मैसर्स आईजीजीएल द्वारा ओआईडीबी को ऋण और ब्याज पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। 31 मार्च 2025 तक, मैसर्स आईजीजीएल ने ओआईडीबी से ऋण सुविधा के खिलाफ ऋण की चौदह किस्तें इस प्रकार वापस ले ली हैं।

1. 22 जुलाई 2022 को आहरित पहली किस्त ₹200 करोड़ है।
2. 2 सितंबर 2022 को आहरित दूसरी किस्त ₹100 करोड़ है।
3. 8 जून 2023 को आहरित तीसरी किस्त ₹100 करोड़ है।
4. 24 जुलाई 2023 को आहरित चौथी किस्त ₹61 करोड़ है।
5. 31 अगस्त 2023 को आहरित पाँचवीं किस्त ₹79 करोड़ है।
6. 16 नवंबर 2023 को आहरित छठी किस्त ₹100 करोड़ है।
7. 28 दिसंबर 2023 को आहरित सातवीं किस्त ₹26 करोड़ है।
8. 1 जनवरी 2024 को आहरित आठवीं किस्त ₹94 करोड़ है।
9. 20 मार्च 2024 को आहरित 9वीं किस्त ₹90 करोड़ है।
10. 26 मार्च 2024 को आहरित 10वीं किस्त ₹10 करोड़ है।
11. 12 अगस्त 2024 को आहरित 11वीं किस्त ₹50 करोड़ है।
12. 18 सितंबर 2024 को आहरित 12वीं किस्त ₹70 करोड़ है।
13. 15 जनवरी 2025 को आहरित 13वीं किस्त ₹200 करोड़ है।
14. 6 फरवरी 2025 को आहरित 14वीं किस्त ₹140 करोड़ है।

31 मार्च 2025 तक मैसर्स आईजीजीएल ने कुल ₹1320 करोड़ आहरित किए हैं और 15 नवंबर 2022 को ₹200 करोड़ का पहला ऋण भी चुका दिया है, जो 22 जुलाई, 2022 को लिया गया था।

58.7 मोज़ाम्बिक क्षेत्र 1 परियोजना के ऋण सेवा वचन-बंध संबंधी प्रकटीकरण

मोजाम्बिक क्षेत्र 1 परियोजना, जिसमें ओआईएल की बीआरईएमएल के माध्यम से 4% भागीदारी अधिकार (पीआई) है, ने निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) प्रत्यक्ष ऋण, ईसीए कवर सुविधाओं, वाणिज्यिक बैंक सुविधाओं और अफ्रीकी विकास बैंक से ऋण सुविधा के तहत 15.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता हासिल की है। परियोजना के प्रत्येक प्रायोजक द्वारा ऋण सेवा वचन-बंध (डीएसयू) प्रदान करना परियोजना वित्त व्यवस्था के तहत पूर्व शर्तों में से एक है। डीएसयू प्रदाता के रूप में ओआईएल अपने दायित्व के हिस्से का भुगतान करने का वचन देता है जो परियोजना में उसके पीआई के आधार पर किसी निश्चित समय पर अग्रिमों की कुल राशि के आनुपातिक हिस्से के बराबर है। ओआईएल के मामले में, वरिष्ठ लेनदारों द्वारा दावा की जा सकने वाली अधिकतम राशि 768 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित कर दी गई है। 31 मार्च 2025 तक, परियोजना स्तर पर ऋणदाताओं से 287.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर (26 मार्च, 2021 को आहरित 199.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 1 अप्रैल 2021 को आहरित 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का ऋण लिया जा चुका है। डीएसयू में ओआईएल की 4% हिस्सेदारी 11.49 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

58.8 रॉयल्टी भुगतान पर सेवा कर तथा जीएसटी

कंपनी पर मार्च, 2016 से जून, 2017 की अवधि के लिए सेवा कर की मांग की गई थी, जिसमें तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर चुकाई गई रॉयल्टी पर सेवा कर लगाने की मांग की गई थी। कंपनी ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ दायर करके विभिन्न आधारों पर इस मांग को चुनौती दी है। तथापि, रिटों पर निर्णय लंबित रहने तक, कंपनी ने ₹257.13 करोड़ की पूरी सेवा कर मांग आपत्ति दर्ज करते हुए जमा कर दी है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था और सीबीआईसी द्वारा जारी सरकारी सेवाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी पर जीएसटी देय है। तथापि, कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के तहत देय/भुगतान की गई रॉयल्टी पर सेवा कर/जीएसटी देय नहीं है। कंपनी ने तदनुसार इस तरह के लेवी को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं। इसके अलावा, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर, 2021 के अपने अंतरिम आदेश के माध्यम से अगले आदेश तक कंपनी द्वारा असम राज्य में किए गए रॉयल्टी भुगतान पर जीएसटी पर रोक लगा दी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार

क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने जीएसटी विभाग, अरूणाचल प्रदेश को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और अरूणाचल प्रदेश राज्य में इस खाते पर जीएसटी का भुगतान वर्तमान में रोक दिया गया है।

31 मार्च, 2025 तक विरोधस्वरूप जमा की गई कुल जीएसटी राशि ₹1,256.86 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त राशि में से कंपनी को असम राज्य में ₹24.42 करोड़ का रिफंड प्राप्त हुआ है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय में कंपनी के सभी लंबित मामलों को नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मार्च, 2024 के अपने आदेश द्वारा इन मामलों को सिविल अपील संख्या 4056-4064/1999 से अलग कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) के अंतर्गत एक समान मामले पर 25.07.2024 के अपने आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी कहा है कि एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई रॉयल्टी कर नहीं है। तथापि, तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई रॉयल्टी की प्रकृति पर न्यायालय द्वारा अलग से निर्णय लिया जाना है क्योंकि इसमें एक विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान है।

मामले की सुनवाई में काफी समय बीत जाने, अनुकूल निर्णय प्राप्त करने में अनिश्चितता और भारी राशि के संचय को देखते हुए, कंपनी ने मामले की आंतरिक समीक्षा की और विवेकपूर्ण एवं रूढ़िवादी सिद्धांत के आधार पर रॉयल्टी पर सेवा कर/जीएसटी के लिए प्रावधान किया। 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए प्रदान की गई राशि ₹204.41 करोड़ है, जिसमें ₹75.33 करोड़ का ब्याज शामिल है (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹269.46 करोड़ के ब्याज सहित ₹809.32 करोड़)। 31 मार्च, 2025 तक रॉयल्टी पर विवादित सेवा कर/जीएसटी के लिए प्रदान की गई कुल राशि ₹3888.65 करोड़ है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान असाधारण मद के रूप में दर्शाई गई ₹2362.72 करोड़ की राशि, 31 मार्च, 2023 तक रॉयल्टी (₹80.04 करोड़ ब्याज सहित) पर सेवा कर/जीएसटी की राशि को दर्शाती है।

तथापि, मामले का निर्णय लंबित रहने तक, विरोध के तहत भुगतान किए गए सेवा कर/जीएसटी को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्वीकार्य कटौती के रूप में दावा किया जा रहा है।

58.9 पीएमएल की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण प्रभार :

असम सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने खनन पट्टे के नवीनीकरण सहित तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और अन्य खनिजों के खनन पट्टों के कार्यों के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना हेतु प्रतिफल के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पर दिनांक 1 सितंबर, 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या E-274398/2023/85 जारी किया। वर्तमान में, पीएमएल क्षेत्रों के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना और भुगतान डेड रेंट के आधार पर किया जाता है। लेकिन का.ज्ञा. में डेड रेंट के बजाय पीएमएल क्षेत्र के लिए अनुमोदित उत्पादन मात्रा हेतु पट्टा अवधि के दौरान देय औसत वार्षिक रॉयल्टी के आधार पर गणना करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

कार्यप्रणाली में बदलाव का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसका विश्वसनीय रूप से आकलन नहीं किया जा सकता। कंपनी का मानना है कि डेड रेंट के आधार पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना लागू अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार है। आधार में परिवर्तन और उसे पट्टा अवधि के दौरान अनुमानित उत्पादन से जोड़ने का वर्तमान कदम संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है। कंपनी ने इस संबंध में असम सरकार को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। कंपनी के पीएमएल क्षेत्रों के किसी भी अनुदान/नवीनीकरण से संबंधित संबंधित विभाग से कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, असम सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की वैधता के संबंध में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) से राय मांगी गई थी और एएसजीआई ने 24.12.2024 की अपनी राय में स्पष्ट किया था कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 26 का प्रावधान उस स्थिति पर लागू होता है जहां रॉयल्टी किराए के रूप में या किराए के एक हिस्से के रूप में प्राप्त होती है। तथापि, तेल क्षेत्रों के नियमन और रॉयल्टी के भुगतान के लिए एक विशेष अधिनियम, अर्थात तेल क्षेत्र (विनियमन) और विकास अधिनियम, 1948 (ओआरडीए) है। संपत्ति पर काम किया गया है या नहीं, इसके बावजूद किराया देय होगा और यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन पर निर्भर नहीं है। दूसरी ओर, रॉयल्टी का मूल्य हमेशा खनिज तेल के उत्पादन के परिणाम के आधार पर परिवर्तनशील होता है और इसलिए खनन पट्टे के निष्पादन की तिथि पर हमेशा अनिश्चित रहने की संभावना होती है। इसलिए, उन्होंने कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 26 पेट्रोलियम खनन पट्टे पर लागू नहीं होती है और इसलिए स्टाम्प शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु रॉयल्टी को शामिल करना न्यायोचित और वैध नहीं है।

तदनुसार, इस मुद्दे पर किसी मांग/स्पष्टता के अभाव में, असम सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के कारण उत्पन्न होने वाली निश्चित देयता या आकस्मिक देयता की राशि का पता लगाना असंभव है।

58.10 विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी)

भारत सरकार (जीओआई) ने 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 05/2022 के तहत 1 जुलाई, 2022 से कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) लगाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित और अधिसूचित किया जाता रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एसएईडी से संबंधित ₹780.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,404.79 करोड़) की राशि, कंपनी द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की ऐसी मात्रा को छोड़कर, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित कच्चे तेल से अधिक है, लागू मात्रा पर गणना करके "उत्पाद शुल्क" शीर्षक के अंतर्गत लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई है।

58.11 प्राकृतिक गैस की फ्लेयरिंग

महानिदेशक हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) ने अपने पत्र दिनांक 04.01.2022 के माध्यम से कंपनी को सलाह दी कि वह बचाई गई और बेची गई प्राकृतिक गैस की पूरी मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित करे, अर्थात उस प्राकृतिक गैस को छोड़कर जो अपरिहार्य रूप से नष्ट हो जाती है या रिजर्वायर में वापस आ जाती है या ड्रिलिंग या पेट्रोलियम, या प्राकृतिक गैस, या दोनों के उत्पादन से संबंधित अन्य कार्यों के लिए तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (ओआरडी अधिनियम) की धारा 6ए(3) के अनुसार उपयोग की जाती है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार, प्राकृतिक गैस की संपूर्ण फ्लेयरिंग अपरिहार्य प्रकृति की है और इसलिए ऊपर उल्लिखित ओआरडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रॉयल्टी के भुगतान से छूट दी गई है। तदनुसार, उस फ्लेयरिंग गैस पर कोई रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया है जो अपरिहार्य रूप से नष्ट हो गई है।

58.12 प्रभार का विवरण :

कंपनी ने नकद ऋण/साख पत्र/बैंक गारंटी सुविधा प्राप्त करने के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों के निमित्त ₹1027.45 करोड़ (इसी अवधि के लिए ₹922.45 करोड़) का प्रभार सृजित किया है।

58.13 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

हस्ता/-
ए के साहू
कंपनी सचिव

हस्ता/-
अभिजीत मजूमदार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
डॉ. रंजीत रथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

ऑयल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

राय

हमने **ऑयल इंडिया लिमिटेड** (इसमें इसके पश्चात "मूल कंपनी" कहा गया है) और इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (मूल कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों को एक साथ "समूह" कहा जाएगा) के संलग्न समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक समेकित तुलन-पत्र, और लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण, और समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (इसमें इसके पश्चात "समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण" कहा गया है) के लिए टिप्पणियां शामिल की गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर जारी किए गए अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और इस रिपोर्ट के "अन्य मामले" में संदर्भित अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा यथाअपेक्षित तरीके से जानकारी इस प्रकार प्रदान करते हैं जिस प्रकार यह अपेक्षित है तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित ("इंड एएस") के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्यतया स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समूह के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित कुल व्यापक आय (हानि और अन्य व्यापक हानि, जहां भी लागू हो, सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में समेकित परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा का आयोजन इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व को हमारी रिपोर्ट के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी खंड में और वर्णन किया गया है। हम भारतीय लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता, अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे के पैराओं में अन्य मामलों में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार प्राप्त साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं और समेकित इंड एएस वित्तीय वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मामले पर जोर

हम समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं :

क) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के तहत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी पर सेवा कर/जीएसटी देयता के प्रावधान के संबंध में टिप्पण संख्या 59.7 में मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ₹204.41 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, जिसमें ₹75.33 करोड़ का ब्याज शामिल है (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹269.46 करोड़ के ब्याज सहित ₹809.32 करोड़)। 31 मार्च 2025 तक रॉयल्टी पर विवादित सेवा कर/जीएसटी के कारण प्रदान की गई कुल राशि ₹3,888.65 करोड़ है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक अपवादात्मक मद के रूप में दिखाई गई ₹2,362.72 करोड़ की राशि मार्च 2023 तक रॉयल्टी (₹80.04 करोड़ के ब्याज सहित) पर सेवा कर/जीएसटी की राशि दर्शाती है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में इन मामलों पर हमारी राय उपांतरित नहीं की गई है।

ख) हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

i) **नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी)** के लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया है:

"हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

क. टिप्पणी संख्या 35, आयकर रिफंड और उस पर प्राप्त ब्याज को चालू देयताओं के रूप में मानने के संबंध में, क्योंकि ऐसे मामले मुकदमेबाजी के अधीन हैं और

ख. टिप्पणी संख्या 52, ₹1,729.74 करोड़ की जीएसटी मांग को आकस्मिक देयता के रूप में मानने के संबंध में, क्योंकि मामला मुकदमेबाजी के अधीन है और कंपनी द्वारा एक विशेषज्ञ से प्राप्त कानूनी राय पर निर्भर है।

ii) **ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी (अनुषंगी कंपनी)** के लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित रूप में राय का अस्वीकरण प्रस्तुत किया है:

"हमारी राय का अस्वीकरण"

"हमें एम्स्टर्डम स्थित ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीवी के वित्तीय विवरण 2024/2025 की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था।

'हमारी राय के अस्वीकरण का आधार' अनुभाग में वर्णित मामलों के महत्व के कारण, हम समग्र रूप से कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। हम संयुक्त उद्यम "वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड" के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिससे समग्र रूप से संलग्न वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान किया जा सके।"

"राय" के अस्वीकरण का आधार

ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. का वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में संयुक्त उद्यम निवेश, जो वर्ष 2014-2015 के दौरान अधिग्रहित एक विदेशी सहयोगी कंपनी है और जिसका लेखांकन इक्विटी पद्धति द्वारा किया गया है, 31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र पर 1 अमेरिकी डॉलर पर दर्ज किया गया है।

हम 31 मार्च 2025 तक वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड से ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. के ऋण की वहन राशि और वर्ष के लिए वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के परिणाम में ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. के हिस्से के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे, क्योंकि 31 मार्च 2025 तक वर्ल्ड ऐल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के कोई लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि संयुक्त उद्यम 'वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में हिस्सेदारी के संबंध में कोई समायोजन आवश्यक था या नहीं।

"चालू समुत्थान से संबंधित तात्विक अनिश्चितता"

हम वित्तीय विवरणों के पृष्ठ 9 पर चालू समुत्थान पैराग्राफ़ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो दर्शाता है कि कंपनी के संयुक्त उद्यम वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने पिछले वर्ष के दौरान भारी नुकसान उठाया है और संयुक्त उद्यम वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी स्टिमुल-टीएलएलसी ने 10 मई 2023 को दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की इक्विटी उपरोक्त परिस्थितियों के साथ-साथ ऋण प्रसंविदाओं के उल्लंघन के कारण नकारात्मक बनी हुई है। ये स्थितियाँ, साथ ही 'चालू समुत्थान' टिप्पणी में निर्धारित अन्य मामले, एक तात्विक अनिश्चितता के अस्तित्व की ओर इंगित करती हैं जो जारी चिंताओं के रूप में कंपनी की सामर्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण संदेह प्रदान कर सकते हैं। हमने इस मामले में अपनी उपान्तरित नहीं की है

iii) **ऑयल इंडिया स्वीडन एबी (अनुषंगी कंपनी)** के लेखापरीक्षकों ने मामलों **पर जोर देते** उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित रिपोर्ट की है:

"हम "वार्षिक रिपोर्ट में उद्यम के बारे में सामान्य जानकारी" अनुभाग की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं" जो 31 मार्च 2025 तक पेट्रोकाराबोबो एस.ए.,वेनेजुएला में निवेश से जुड़ी प्रगतियों का वर्णन करता है। यह खंड दर्शाता है कि वेनेजुएला में वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए,इस बात को लेकर काफी अनिश्चितता है कि देश में स्थिति कब इस तरह से सुधरेगी कि पेट्रोकाराबोबो एस.ए. में निवेश का परिणाम मिलने की उम्मीद है। कंपनी के लिए निवेश को सुरक्षित करने के लिए,अंतिम मूल कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकाराबोबो एस.ए. में निवेश और सिग्नेचर बोनस करार के बारे में प्रत्याभूति प्रकट की है। हमने इस वजह से अपनी राय उपांतरित नहीं की है।"

iv) **ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (संयुक्त उद्यम)** के लेखापरीक्षकों ने **मामले पर जोर देते हुए** अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित रिपोर्ट की है :

"हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 2 पर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के आधार का वर्णन करते हैं। समेकित वित्तीय विवरण ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, मूल कंपनी को 31 मार्च 2025 तक और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए अपने समूह के वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता करने के लिए तैयार किए गए हैं। परिणामस्वरूप,समेकित वित्तीय विवरण किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। हमारी रिपोर्ट केवल कंपनी के निदेशकों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निदेशकों और इसकी अंतिम मूल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशकों की जानकारी और उपयोग के लिए है और इसका उपयोग

कंपनी या ऊपर बताए गए उपयोगकर्ताओं के अलावा अन्य पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

हमने इस मामले में अपनी राय उपांतरित नहीं की है।

v) **असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड (संयुक्त उद्यम)** के लेखापरीक्षकों ने **मामले पर जोर के तहत** अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित रिपोर्ट की है :

"हम वित्तीय विवरणों और अन्य की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (टिप्पणी 7):

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में ₹533.13 लाख की एमएटी क्रेडिट पात्रता (वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान भुगतान की गई) शामिल है, जिसे इस आधार पर परिसंपत्तियों के रूप में रखा गया है कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ भविष्य के आयकर दायित्व के समायोजन के माध्यम से कंपनी को प्राप्त होंगे। हालांकि, कंपनी ने आगे ले जाए गए अनवशोषित मूल्यहास और आगे ले जाने वाले नुकसान के हिस्से पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों का हिसाब नहीं रखा है, इस आधार पर कि 'इस बात की कोई वास्तविक निश्चितता नहीं है कि ऐसी परिसंपत्तियों को वसूलने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी'। इस प्रकार, एक परिसंपत्ति के रूप में एमएटी क्रेडिट पात्रता के आगे ले जाने के संबंध में कंपनी प्रबंधन के विरोधाभासी विचार हैं, लेकिन अनवशोषित मूल्यहास और आगे ले जाने वाले नुकसान पर कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति गणना नहीं की गई है और तदनुसार गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां ₹533.13 लाख से अधिक बताई गई प्रतीत होती हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को समग्र रूप से, और उस पर हमारी राय बनाने में इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किए गए थे, और हम इन मामलों पर कोई पृथक राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने हेतु नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखापरीक्षा मामला अभिनिर्धारित किया है:

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	उन मामलों पर विचार करते समय लेखापरीक्षक का उत्तर
1.	**कुछेक इक्विटी/ असूचीबद्ध कंपनियों में संयुक्त नियंत्रित हिताधिकार में निवेश का मूल्यांकन:** 1 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार निवेश का मूल्य एक विशेषज्ञ परामर्शदाता द्वारा लगाया गया हैं। इस मूल्यांकन के संबंध में, प्रबंधन ने वर्ष के अंत में निवेश का उचित मूल्य ₹10,177.57 लगाया था। इस मूल्यांकन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल था और तदनुसार, निवेश के मूल्यांकन को प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक माना गया। उचित मूल्य का निर्धारण बट्टागत नकद प्रवाह मॉडल के आधार किया गया था। इस मूल्यांकन में कच्चा तेल / प्राकृतिक गैस भंडार, भावी कारोबार संवृद्धि, और भावी उत्पाद विक्रय मूल्य और निवेशिती की उत्पादन लागत सहित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे।	प्रबंधन द्वारा निवेश के मूल्यांकन के संबंध में हमारी प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है : • स्वतंत्र पेशेवर मूल्यांकक की सक्षमता, क्षमताओं और वस्तुनिष्ठता का मूल्यांकन करना • निवेशों के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए स्वतंत्र पेशेवर मूल्यांकक द्वारा प्रयुक्त आकलन पद्धति का मूल्यांकन करना। • नमूना आधार पर, स्वतंत्र मूल्यांकक को प्रबंधन द्वारा प्रदत्त इनपुट डेटा की सटीकता और युक्तिसंगतता की जाँच करना। • प्रबंधन की अवधारणाओं पर, जैसे कच्चे तेल भंडार, भावी कारोबार योजना/संवृद्धि, भावी उत्पाद बिक्री मूल्य और उत्पादन लागतों, छूट दरों का अवधारणाओं की ऐतिहासिक परिणामों और प्रकाशित बाजार और उद्योग डेटा से तुलना कर नकद प्रवाह अनुमानों और लेखा प्रक्रियाविधियों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना। • कारोबार को समझने के लिए और यह मूल्यांकन करने के लिए कि नकद प्रवाह अनुमानों में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई असंगतता तो नहीं था, प्रबंधन के साथ निवेशों पर चर्चा की। शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने पाया कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा बनाई गई अवधारणाएं युक्ति संगत थीं।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	उन मामलों पर विचार करते समय लेखापरीक्षक का उत्तर
2.	**अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋणों में क्षरण।** कंपनी ने एक विशेषज्ञ परामर्शदाता द्वारा मूल्यांकन के आधार पर अपनी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को दिए गए ऋणों की प्रतिलब्धता का मूल्यांकन किया है और इस मूल्यांकन के संदर्भ में, प्रबंधन ने इन ऋणों का उचित मूल्य ₹508.19 करोड़ होने का अनुमान लगाया है। इस क्षरण अध्ययन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल थे। तदनुसार, ऋण के क्षरण को प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक माना गया। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पण सं 9 देखें।	इन ऋणों के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के संबंध में हमारी प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं : • स्वतंत्र पेशेवर मूल्यांकक की सक्षमता, क्षमताओं और वस्तुनिष्ठता का मूल्यांकन करना। • ऋणों के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए स्वतंत्र पेशेवर मूल्यांकक द्वारा प्रयुक्त आकलन पद्धति का मूल्यांकन करना। • नमूना आधार पर, स्वतंत्र मूल्यांकक को प्रबंधन द्वारा प्रदत्त इनपुट डेटा की सटीकता और युक्तिसंगतता की जाँच करना। • प्रबंधन की अवधारणाओं पर, जैसे कच्चा तेल भंडार, भावी कारोबार योजना/ संवृद्धि, भावी उत्पाद बिक्री मूल्य और उत्पादन लागतों, छूट दरों की अवधारणाओं के ऐतिहासिक परिणामों और प्रकाशित बाजार और उद्योग डेटा से तुलना कर नकद प्रवाह अनुमानों और लेखा प्रक्रियाविधियों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना। • कारोबार को समझने के लिए और यह मूल्यांकन करने के लिए कि नकद प्रवाह अनुमानों में प्रयुक्त अवधारणाओं में कोई असंगतता तो नहीं था, प्रबंधन के साथ निवेशों पर चर्चा की। शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने पाया कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा बनाई गई अवधारणाएं युक्ति संगत थीं।
3.	**अनिश्चित कर स्थितियों का मूल्यांकन** कंपनी में विवाद अधीन मामले सहित महत्वपूर्ण अनिश्चित कर स्थितियां है जिनमें, इन विवादों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेना शामिल हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • चालू कर के प्रावधानों के संबंध में नियंत्रणों के डिजाइन और क्रियान्वयन और आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता और प्रतिलब्धता का मूल्यांकन किया। • मूल्यांकन के आधार का आकलन कर और प्रासंगिक पत्राचार और विधिक सलाह जहाँ उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक कर प्राधिकरणों में समान मामलों से संबंधित सूचना भी शामिल हैं, की समीक्षा कर अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधानों की वैधता और पर्याप्तता के प्रबंधन के आकलन पर विचार किया। • आस्थगित कर परिसंपत्तियों के समर्थन में पर्याप्त भावी कर योग्य आय सृजित करने की संभावना सहित प्रबंधन की अवधारणाओं और प्राक्कलनों की उपयुक्तता का आकलन किया। • समेकित वित्तीय विवरणों में की गई प्रस्तुति और प्रकटनों का मूल्यांकन किया और इसकी समीक्षा की। ऊपर निष्पादित प्रक्रिया के आधार पर, हमने चालू और आस्थगित कर शेषों और अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधानों के संबंध में प्रबंधन के प्राक्कलनों की अभिपुष्टि करने हेतु पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	उन मामलों पर विचार करते समय लेखापरीक्षक का उत्तर
4.	**अभियोग और दावों के विरुद्ध आकस्मिक देयताएं** कंपनी के विरुद्ध विभिन्न फोरमों के समक्ष कई अभियोग लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन की जाने वाली राशि का आकलन करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्णय किए जाने आवश्यक हैं। हमने इस मामले को प्रमुख लेखापरीक्षा मामला अभिनिर्धारित किया है क्योंकि वे आकलन जिन पर ये राशियां आधारित हैं, में मामलों के विवेचन में एक महत्वपूर्ण दर्जे का प्रबंधन निर्णय और लेखांकन आकलन जिनमें आकलन अनिश्चितताएं हैं, शामिल हैं। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पण 58 देखें।	हमने आकस्मिक देयताओं के आकलन और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं की समझ हासिल की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को अपनाया है : • लंबित अदालती मामलों के लिए सभी प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा यथा स्थापित नियंत्रणों को समझा और उनके डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता का परीक्षण किया। • किसी महत्वपूर्ण प्रगतियों और विधिक मामलों में नवीनतम स्थिति के संबंध में प्रबंधन से विचार - विमर्श किया। • अदालती मामलों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाह्य कानूनी राय को पढ़ा और आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के लिए प्रयुक्त समर्थनकारी गणना पर निष्पादित वास्तविक प्रक्रियाविधियां निष्पादित की। • प्रबंधन के निर्णयों और आकलनों की इस संबंध में जाँच की कि क्या प्रावधान आवश्यक हैं। • उन मामलों के लिए प्रबंधन के आकलनों पर विचार किया जिनका प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि तात्विक बहिर्वाह की संभाव्यता बहुत क्षीण मानी गई है। • प्रकटनों की पर्याप्तता और संपूर्णता की समीक्षा की। उपर्युक्त निष्पादित प्रक्रियाविधियों के आधार पर, आकस्मिक देयताओं के आकलनों और प्रकटनों को पर्याप्त और युक्तिसंगत माना गया।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना:

मूल कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा विश्लेषण रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट और संधारणीयता रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, शेयरधारकों की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य सूचना है, परंतु इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है औट हम उस पर किसी स्वरूप का आश्वासन निष्कर्ष नहीं व्यक्त करते हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध हो जाती है, को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना तात्त्विक रूप से समेकित वित्तीय विवरण या लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी से असंगत तो नहीं है, या अन्यथा तात्त्विक रूप से मिथ्या बयानी तो नहीं प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते है कि इस अन्य सूचना में कोई तात्त्विक मिथ्या बयानी है; तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करनी होती है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर और हमें प्रस्तुत की गई अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते है कि इस अन्य सूचना में कोई तात्त्विक मिथ्या बयानी है: तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करनी होती है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, जो हम लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् प्राप्त करते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं

कि कोई तात्विक मिथ्या बयानी है, हमें उस मामले को उनको सूचित करना होता है जो अभिशासन के लिए भारित है।

समेकित इंड एएस वित्तीय वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

मूल कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के नियम 7 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133, यथा संशोधित के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल हैं, नकद प्रवाह विवरण और समूह की इक्विटी में परिवर्तनों की एक वास्तविक और निष्पक्ष स्थिति दर्शाते हों।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं, जिनका उपयोग मूल कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह में शामिल कंपनियों के चालू समुत्थान के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू समुत्थान से संबंधित मामलों, का यथा प्रयोज्य प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल संबंधित कंपनी को परिसमाप्त करने या उसका प्रचालन बंद करने का इरादा न रखता हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं हो।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा लक्ष्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण संपूर्णतः तात्विक मिथ्या बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, से मुक्त है, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानक (एसए) के अनुसार आयोजित कोई लेखापरीक्षा हमेशा तथ्यात्मक मिथ्या बयानी का, जब यह मौजूद हो, पता लगा लेगा। मिथ्या बयानी धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है या त्रुटिवश हो सकती है और इसे तथ्यात्मक माना जाता है यदि अलग अलग या समुदित रूप से, इससे प्रयोक्ता का इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान संशय बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैः-

- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार और निष्पादित करना और हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप् महत्वपूर्ण मिथ्या बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटिवश हुई मिथ्या बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन लोप, मिथ्या प्रस्तुति, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या समूह, उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबद्ध प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन के चालू समुत्थान आधार लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो इस कंपनी की चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर अर्थपूर्ण आशंका प्रकट करता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना होता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को उपांतरित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां इस समूह, इसकी सहयोगी कंपनियों और नियंत्रित संयुक्त उद्यमों के चालू समुत्थान के रूप में अस्तित्व को समाप्त कर सकती हैं।
- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु, जिनमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और यह मूल्यांकन करना कि क्या ये समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाक्रमों को उस तरीके से निरूपित करते हैं जिससे उचित प्रस्तुति हासिल होती है।
- समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है और ऐसे अन्य लेखापरीक्षक टीम द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए ज़िम्मेदार बने रहेंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार बने रहेंगे।

तात्विक्ता, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में मिथ्या बयानी की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इस बात की संभावना पैदा करती है कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के किसी भी जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में अभिचिन्हित किसी भी मिथ्या बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उनको, जो मूल कंपनी के अभिशासन के लिए भारित हैं, अन्य विषयों में से, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा चिन्हित आंतरिक नियंत्रण में अर्थपूर्ण विचलन भी शामिल हैं, के संबंध में संसूचित करते हैं।

हम उनको, जो इस कंपनी के अभिशासन के लिए भारित हैं, को यह भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के सापेक्ष प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों और और जहाँ प्रयोज्य है, संबंधित सुरक्षणों के बारे में भी संसूचित किया हैं जिनके संबंध में हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकने की क्षमता, के संबंध में तर्कसंगत रूप से सोचा जा सकता है।

अभिशासन के लिए भारित को संसूचित विषयों में से, हम उन विषयों का अभिनिर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्व के हैं और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा विषय हैं। हम इन मामलों को हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कानून या विनियम उस विषय के सार्वजनिक प्रकटन को प्रतिबंधित नहीं करते हैं या जब, नितांत असाधारण परिस्थितियों में, हम यह अभिनिर्धारण करते हैं कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्राप्त प्रतिकूल परिणाम ऐसे संवाद के सार्वजनिक हितलाभों से अधिक गंभीर हो सकने की तर्कसंगत प्रत्याशा है।

अन्य मामले

इमने समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल चार अनुषंगी कंपनियों के संबंध में वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च, 2025 तक ₹ 46,551.03 करोड़ की कुल परिसंपत्तियां, ₹ 25,692.63 करोड़ का कुल राजस्व, ₹ 1632.73 करोड़ का कर पश्चात का कुल निवल लाभ, ₹ 880.25 करोड़ की कुल व्यापक आय और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 570.83 करोड़ का कुल नकदी बहिर्वाह दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल गया है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समूह का निवल लाभ/(हानि) ₹ (183.53) करोड़ और कुल व्यापक आय/(हानि) ₹ (183.41) करोड़ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में माना गया है, एक सहयोगी कंपनी और पाँच संयुक्त उद्यमों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की समीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें मूल कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और विवरण पर हमारा निष्कर्ष, जहाँ तक यह इन अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है,

और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह पूर्वोक्त अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय विवरण में एक अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिसकी उसके लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 तक ₹5.00 करोड़ की कुल संपत्ति, ₹(0.91) करोड़ का कुल राजस्व, ₹(0.91) करोड़ का कर पश्चात कुल निवल (हानि) ₹(0.91) करोड़ और ₹(0.91) करोड़ का कुल व्यापक (हानि) और ₹(5.00) करोड़ का कुल नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के कुल निवल लाभ ₹3.34 करोड़ का हिस्सा और ₹3.33 करोड़ की कुल व्यापक आय भी शामिल है, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में माना जाता है, दो संयुक्त उद्यमों के संबंध में, उनके वित्तीय परिणामों/सूचना के आधार पर, जिनकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित हैं और हमें मूल कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई हैं और विवरण पर हमारा निष्कर्ष, जहां तक यह इन अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

इसके अलावा, एक संयुक्त उद्यम, सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड के संबंध में, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 49 के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षित/प्रबंधन द्वारा प्रमाणित) मूल कंपनी को प्राप्त नहीं हुए हैं। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस पर विचार किए बिना तैयार किए गए हैं। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय परिणाम समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामले के संबंध में विवरण पर हमारा निष्कर्ष उपांतरित नहीं है।

इनमें से कुछ अनुषंगी कंपनियाँ, सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम भारत के बाहर स्थित हैं, जिनके वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और जिनकी लेखापरीक्षा उनके संबंधित देशों में लागू आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है। कंपनी के प्रबंधन ने भारत के बाहर स्थित ऐसी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों में परिवर्तित कर दिया है। जहाँ तक ऐसी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के शेष और मामलों का संबंध है, हमारी राय ऊपर उल्लिखित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

हमने अन्वेषणात्मक, विकासात्मक, उत्पादक और शुष्क कूपों के रूप में कूपों के वर्गीकरण, उन पर होने वाली लागत के आवंटन, क्षरण, डीकमीशनिंग लागत के लिए देयता, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी)/हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति ("हेल्प") के तहत देयता, और सहमत न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के तहत कम प्रदर्शन के लिए ब्लॉकों को नामित करने के संबंध में प्रबंधन द्वारा तकनीकी/वाणिज्यिक मूल्यांकन पर भी भरोसा किया है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी शामिल है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का कंपनी के संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षण किया गया है, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थी, जहाँ उन्होंने 20 मई 2024 को ऐसे समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर अपनी अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

उपरोक्त विषयों के संबंध में, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य एवं उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर हमारे निर्भर रहने के बावजूद, समेकित भारतीय लेखा मानक इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा नीचे दी गई अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि ऊपर "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित है (जहां तक लागू हो), हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधि

द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां राखी गई हैं जहाँ तक उन बहियों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण,समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजन के लिए रखी गई प्रासंगिक लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

(घ) हमारी राय में,उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं,जैसा कि संशोधित किया गया है।

(ङ) भारत में निगमित अनुषंगी कंपनी,सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, भारत में निगमित अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का कोई भी निदेशक 31 मार्च,2025 तक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून,2015 के अनुसार इस अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान मूल कंपनी और भारत में निगमित उसकी अनुषंगी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनियाँ हैं;

(च) मूल कंपनी, भारत में निगमित उसकी अनुषंगी कंपनियों,सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3)(i)के तहत आवश्यक है, के संबंध में अनुलग्नक 'क' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

(छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार,निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती,क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 यथासंशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. समूह ने अपने समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी 57.1 देखें।

ii. समूह को ऐसी कोई व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं पर कोई भी तात्विक पूर्वानुमानित हानि नहीं हुई।

iii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल कंपनी और भारत में निगमित इसकी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

iv. (क) कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं,जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि,उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी भी अनुषंगी कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को,जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से भौतिक है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ,चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी या ऐसी किसी भी अनुषंगी कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं,जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि,उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी भी अनुषंगी कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है,जिसमें विदेशी संस्था ("निधीयन पक्षकार") भी शामिल है,इस समझ के साथ,चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा,कि कंपनी या ऐसी कोई भी अनुषंगी कंपनी,प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,निधीयन पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी,सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करेगी;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii)के तहत अभ्यावेदन,जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है,में कोई भी भौतिक मिथ्या बयानी शामिल है।

v. समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के टिप्पण 23.3 में यथा उल्लिखित:

(क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश,जो कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक घोषित और भुगतान किया गया है और यथालागू इन अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

(ख) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार,यथालागू,लागू होगी।

vi. हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच शामिल है और अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों/संयुक्त प्रचालनों के संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई जांच जो भारत में शामिल कंपनियां हैं जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, कंपनी, अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों/संयुक्त प्रचालनों ने अपने लेखाओं की बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संगत लेनदेन के लिए 31 मार्च,2025 को समाप्त होने वाले पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड को छोड़कर जैसा कि संबंधित लेखा परीक्षक ने बताया है,संचालित हुआ है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हम और ऊपर संदर्भित अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों/संयुक्त प्रचालनों के संबंधित लेखापरीक्षकों को ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला ।

2. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ")के पैराग्राफ 3(xxi)और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं,जिन्हें लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है,हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,और कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों के आधार पर,जो कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिन पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है,हम रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्ट में निम्नलिखित को छोड़कर कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है:

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	मूल कंपनी / अनुषंगी कंपनी / सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम	सीएआरओ रिपोर्ट का खंड संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है	अभ्युक्तियां
1.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	L11101AS1959GOI001148	मूल कंपनी	3(i)(ग)	योग्य
2.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	U11202AS1993GOI003893	अनुषंगी कंपनी	3(i)(ग),3(xiii)	योग्य
3.	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	U40300AS2018GOI018660	संयुक्त उद्यम	3(i)(ग)	योग्य
4.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	U11101AS2007GOI008290	सहयोगी कंपनी	3(xx)	योग्य
5.	असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड	U24116AS1971SGC001339	संयुक्त उद्यम	3(i)(ग), 3(xxi)	योग्य

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225
यूडीआईएनः 25079225BMMJFD7582

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर
भागीदार
सदस्यता सं. 067544
यूडीआईएन: : 25067544BMLGYD8908

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों(सीएफ़एस) पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामकीय अपेक्षा संबंधी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित अनुलग्नक क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, हमने ऑयल इंडिया लिमिटेड ("मूल कंपनी") और इसकी अनुषंगी कंपनियों (मूल कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों को सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है),इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों,जो उस तिथि तक भारत में निगमित कंपनियां हैं,की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

मूल कंपनी,इसकी अनुषंगी कंपनियों,इसकी इसकी सहयोगी कंपनियों और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां जो भारत में अधिनिगमित एक कंपनी है,के संबंधित निदेशक मंडल का दायित्व भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग सबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण करने से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना व रखरखाव करने का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करने, कार्यान्वित करना तथा रखरखाव करना शामिल किया गया है जो इसके व्यवसाय को क्रमबद्ध तरीके से व कुशलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए दक्षतापूर्वक प्रचालन कार्य कर रहे थे,जिसमें संबंधित कंपनियों की नीतियों का अनुपालन,अपनी संपति की सुरक्षा,धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने,लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता,और विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समयबद्ध तैयारी शामिल है जो इस अधिनियम के तहत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर,जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो,हमारी लेखापरीक्षा और अनुषंगी कपनियों,सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी (मार्गदर्शी टिप्पणी) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित मानी गई,के अनुसार की है,दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और दिशा निर्देश टिप्पणी के लिए आवश्यक होता है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा इन उचित आश्वासनों को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और नियंत्रण बनाए रखा जा रहा है तथा क्या इस प्रकार के नियंत्रण प्रभावी रूप से सभी वास्तविक परिप्रेक्ष्यों में प्रचालित किए जा रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तिता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन पद्धतियां और उनकी प्रचालन संबंधी प्रभाविता शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का आकलन करना कि क्या इसमें कोई वास्तविक क्षीणता मौजूद है,और आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा व प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल होते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है,जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक मिथ्या बयानी के जोखिम का आकलन शामिल होता है,चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटिवश हो।

हम मानते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जिन्हें हमारे द्वारा प्राप्त किया गया है वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं,की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारी लेखापरीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त (अन्य लेखापरीक्षकों की उपर्युक्त रिपोटों पर विचार करते हुए) और यथोचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1)उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित होती है जो उचित विस्तार युक्त,सटीक होते हैं तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के सौदों व निपटान को उचित तौर पर प्रतिबिंबित करते हैं;(2)उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि वित्तीय विवरणों को सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार करने के लिए अनुमत किए जाने की अनिवार्यता के साथ लेनदेन को दर्ज किया गया है तथा कंपनी की उन प्राप्तियों व व्ययों को कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है; तथा (3) कंपनी की उन

परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा निपटान को रोकने अथवा समय पर पता लगाने के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करना जिनका वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण,जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना हावी होती हैं,त्रुटियों और धोखाधड़ी के होने तथा उनके ज्ञात न होने के कारण तथ्यात्मक मिथ्या बयानी होती हैं। इसके अलावा,भावी अवधियोंं के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के पूर्वानुमान जोखिम पर आधारित होते हैं जिससे परिस्थितियोंं में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा जिससे नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर दूषित हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में, मूल कंपनी,इसकी अनुषंगी कंपनियां,सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित हैं,के पास सभी भौतिक मामलों में,वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि समूह,इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पण में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट,जहाँ तक यह एक अनुषंगी कंपनी और दो सहयोगी कंपनियों से संबंधित है,जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं,भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों की संगत एकल/समेकित रिपोर्टों पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय उपांतरित नहीं की गई है।

असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड के लेखापरीक्षकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट के अंतर्गत अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग' में निम्नलिखित रिपोर्ट दी है:

"कंपनी नामरूप में 500 टीपीडी मेथनॉल संयंत्र का निर्माण कर रही है और बोइतामारी में भारी पूंजी निवेश के साथ 200 टीपीडी फॉर्मोलिन संयंत्र के निर्माण की प्रक्रिया में भी है। तथापि,कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए कोई नियमावली तैयार नहीं की है,जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में हो।"

हमने 31 मार्च,2025 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्धारण में इस कमजोरी पर विचार किया है और यह कमजोरी समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती है।

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी वास्तविक आयामों में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2025 तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहीं थीं।

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225
यूडीआईएन: 25079225BMMJFD7582

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
सीए(डॉ.) कमल मौर
भागीदार
सदस्यता सं. 067544
यूडीआईएन: : 25067544BMLGYD8908

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम,2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार,31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक,अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं जोकि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होता है । ऐसा उनके द्वारा 21 मई 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड की समेकित वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। हमने ऑयल इंडिया लिमिटिड और उसकी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियो (**अनुलग्नक I** में सूचीबद्ध) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है, लेकिन अन्य का उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड (जेवी) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(क) अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों (**अनुलग्नक - II** में सूचीबद्ध) के लिए लागू नहीं है, क्योंकि संबंधित कानूनों के तहत विदेशी संस्थाएं होने के कारण वे सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकते और न ही पूरक लेखा परीक्षण करा सकते हैं। तदनुसार, सीएंड एजी ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है और न ही इन कंपनियों का अनुपूरक लेखा परीक्षण कराया है। इस अनुपूरक लेखा परीक्षण को स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंचे बिना किया गया है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की एक चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है जो इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक आवश्यक करता हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(यशोधरा रायचौधुरी)
एडीएआई एवं लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला),
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25 जुलाई, 2025

अनुलग्नक -I

ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) की अनुषंगी कंपनियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के नाम जहां अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	अनुषंगी कंपनी
2	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल)	सहयोगी कंपनी
3	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	संयुक्त रूप से नियंत्रित
4	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त रूप से नियंत्रित
5	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त रूप से नियंत्रित

क. नोट: दुलियाजान-नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड (डीएनपीएल), असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड और पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूरक लेखापरीक्षा अभी शुरू नहीं हुई है।

ख. ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड,जो एक नई निगमित अनुषंगी कंपनी है, के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी।

अनुलग्नक -II

ऑयल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों,सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के नाम जो विदेशों में निगमित हैं।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	संबंध
1	ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	अनुषंगी कंपनी
2	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.	अनुषंगी कंपनी
3	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी
4	सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था
5	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था

ऑयल इंडिया लिमिटेड
31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(` करोड़ में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
I. परिसंपत्तियां			
1. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	20174.47	18599.88
(ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	3	29526.80	20027.66
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	4	2482.67	1313.81
(घ) निवेश संपत्ति	5	61.82	62.34
(ङ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	929.97	543.73
(च) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा-जोखा	7	20236.68	19917.73
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) अन्य निवेश	7	10732.64	13573.48
(ii) व्यापार प्राप्य	8	0.05	17.71
(iii) ऋण	9	821.10	615.44
(iv) अन्य	10	186.01	156.61
(ज) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	11	583.44	585.46
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ		**85735.65**	**75413.85**
2. वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) मालसूची	12	5044.09	4485.72
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	13	643.90	958.44
(ii) व्यापार प्राप्य	14	3281.69	3333.13
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	15	613.18	315.99
(iv) अन्य बैंक शेष	16	6583.99	5621.32
(v) ऋण	17	66.83	58.36
(vi) अन्य	18	1007.79	328.79
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	19	934.70	950.60
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	20	532.13	685.94
		18708.30	**16738.29**
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्तियाँ	21	0.72	0.72
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		**18709.02**	**16739.01**
कुल परिसंपत्तियाँ		**104444.67**	**92152.86**
II. इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	1626.61	1084.41
(ख) अन्य इक्विटी	23	48141.11	47254.58
कंपनी के स्वामियों पर रोप्य इक्विटी		49767.72	48338.99
गैर-नियंत्रणकारी अधिकार	24	4938.08	4286.70
कुल इक्विटी		**54705.80**	**52625.69**

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
देयताएं			
1. गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	25	27763.66	19283.89
(ii) पट्टा देयताएँ		269.06	211.01
(iii) व्यापार देयताएँ	26		
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बकाया		-	-
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य के बकाया		32.47	23.78
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	27	124.18	82.13
(ख) प्रावधान	28	1630.53	1359.75
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	29	3167.39	3199.95
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	30	1533.67	1009.74
कुल गैर-वर्तमान देयताएँ		**34520.96**	**25170.25**
2. वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	31	2051.95	4356.36
(ii) पट्टा देयताएँ		560.57	189.24
(iii) व्यापार देयताएँ	32		
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की देयताएँ		48.78	79.61
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य की देयताएँ		2256.73	1631.79
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	33	5692.58	4545.73
(ख) अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ	34	795.26	1033.31
(ग) प्रावधान	35	3192.69	2071.73
(घ) वर्तमान कर देयताएँ (निवल)	36	619.35	449.15
कुल वर्तमान देयताएँ		**15217.91**	**14356.92**
कुल वर्तमान देयताएँ		**49738.87**	**39527.17**
कुल इक्विटी और देयताएं		**104444.67**	**92152.86**
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां	1-62		

ऊपर उल्लेखित टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

हस्ता/-
(सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

हस्ता/-
(ए के साहू)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(अभिजीत मजूमदार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
(डॉ. रंजीत रथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

ऑयल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसार समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(` करोड़ में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
I. प्रचालनों से राजस्व	37	36163.75	36303.62
II. अन्य आय	38	1666.29	1342.86
III. कुल आय (I + II)		**37830.04**	**37646.48**
IV. व्यय:			
खपत की गई सामग्री की लागत	39	6905.16	5886.05
उत्पाद शुल्क		3651.27	3837.59
व्यापार स्टॉक की खरीद	40	878.45	775.27
तैयार वस्तु की मालसूची में परिवर्तन और प्रगतिधीन कार्य	41	(285.54)	752.82
कर्मचारी हितलाभ व्यय	42	2233.14	2237.21
वित्तपोषण लागत	43	1069.26	963.67
मूल्यह्रास, निःशेषण और परिशोधन व्यय	44	2318.23	2128.98
अन्य व्यय	45	11564.99	10310.50
कुल व्यय (IV)		**28334.96**	**26892.09**
V. अपवादात्मक मदें से पूर्व लाभ / (हानि), इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित और कर सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लाभ / (हानि) का हिस्सा, (III - IV)		**9495.08**	**10754.39**
VI. अपवादात्मक मदें	46	-	2365.56
VII. इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लाभ / (हानि) का हिस्सा		(58.65)	457.08
VIII. कर पूर्व लाभ/(हानि) (V -VI+VII)		**9436.43**	**8845.91**
IX. कर व्यय :			
(1) निम्न से संबंधित वर्तमान कर :			
(i) वर्तमान वर्ष		2281.87	2620.12
(ii) पूर्व वर्ष		-	(3.25)
(2) आस्थगित कर		114.93	(751.41)
कुल कर व्यय (IX)		**2396.80**	**1865.46**
X. जारी प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VIII - IX)		**7039.63**	**6980.45**
XI. बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		-	-
XII. बंद किए गए प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XIII. बंद किए गए प्रचालनों से कर पश्चात लाभ/(हानि) (XI-XII)		-	-
XIV. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (X+XIII)		**7039.63**	**6980.45**
XV. अन्य व्यापक आय			
क (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
(क) परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		(21.79)	(66.32)
(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण		(2917.18)	6544.54
(ग) सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय का हिस्सा, उस सीमा तक जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.17	(0.10)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		154.73	(619.59)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
ख (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा:			
(क) विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपान्तरण में विनिमय अंतर		84.00	(16.78)
(ख) सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय का हिस्सा, उस सीमा तक जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है		(406.54)	(662.93)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		**(3106.61)**	**5178.82**
XVI. वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV)		**3933.02**	**12159.27**
XVII. निम्नलिखित पर रोप्य वर्ष का लाभ/(हानि):			
कंपनी के मालिक:		6550.93	6335.10
गैर-नियंत्रक अधिकार :		488.70	645.35
		7039.63	**6980.45**
XVIII. निम्नलिखित पर रोप्य वर्ष की अन्य व्यापक आय :			
कंपनी के मालिक:		(3107.47)	5180.35
गैर-नियंत्रक अधिकार :		0.86	(1.53)
		(3106.61)	**5178.82**
XIX. निम्नलिखित पर रोप्य वर्ष की कुल व्यापक आय :			
कंपनी के मालिक:		3443.46	11515.45
गैर-नियंत्रक अधिकार :		489.56	643.82
		3933.02	**12159.27**
XX. प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालनों के लिए) (₹):			
मूल और तनुकृत	47	**40.27**	**38.95**
XXI. प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद प्रचालनों के लिए) (₹):			
मूल और तनुकृत	47	-	-
XXII. प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद और जारी प्रचालनों के लिए) (₹):			
मूल और तनुकृत	47	**40.27**	**38.95**
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां	1-62		

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

हस्ता/-
(सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

हस्ता/-
(ए के साहू)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(अभिजीत मजूमदार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
(डॉ. रंजीत रथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

ऑयल इंडिया लिमिटेड
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**9436.43**	**8845.91**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लाभ का हिस्सा	58.65	(457.08)
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन	2318.23	2128.98
बट्टे खाते डाली गई अन्वेषण लागत	77.43	(11.84)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में क्षरण	-	(43.17)
अन्वेषण कूपों, ऋणों, व्यापार प्राप्तियों, मालसूची और अन्य का क्षरण	744.90	656.20
लाभांश आय	(509.87)	(582.71)
ब्याज आय	(789.70)	(546.43)
ब्याज व्यय	978.17	879.68
विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ) (निवल)	198.66	268.78
वित्तीय गारंटी से आय	(14.30)	(2.36)
आस्थगित आय का परिशोधन	(4.14)	(3.98)
म्यूचुअल फंड से लाभ	(66.86)	(41.27)
असंपन्न न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत	325.34	24.13
परिसंपत्तियों के विलोपन पर हानि/(लाभ)	29.71	19.92
निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान/(प्रत्यावर्तन)	(5.51)	(8.03)
रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी के लिए प्रावधान	809.32	3079.33
कार्यमुक्ति देयता का समापन	70.50	70.97
आरओयू पट्टा देयता का समापन	20.59	13.02
कुल	**4241.12**	**5444.14**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**13677.55**	**14290.05**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मालसूची - (वृद्धि)/कमी	(607.55)	583.34
व्यापार और अन्य प्राप्य - (वृद्धि)/कमी	(449.71)	(588.24)
पूर्व भुगतान, ऋण और अग्रिम, जमा - (वृद्धि)/कमी	88.19	(168.87)
प्रावधान - वृद्धि/(कमी)	(501.81)	(140.84)
व्यापार देय और अन्य देयताएँ - वृद्धि/(कमी)	1214.58	(363.19)
कुल	**(256.30)**	**(677.80)**
प्रचालन से उत्पन्न नकदी	**13421.25**	**13612.25**
आयकर भुगतान (रिफंड को घटाकर)	(2089.21)	(2679.11)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) नकदी (क)	**11332.04**	**10933.14**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अधिग्रहण, अन्वेषण और विकास लागत	(3385.92)	(3231.65)
अन्य पूंजीगत व्यय	(9583.07)	(8831.18)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
अग्रिम सहित इक्विटी/अधिमान्य में निवेश	(726.13)	1178.84
सावधि जमा की परिपक्वता (में निवेश) और तरल निवेश	(590.01)	(2929.35)
सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को ऋण	(379.03)	92.59
ब्याज आय	639.67	536.83
लाभांश आय	510.25	582.71
निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)	**(13514.24)**	**(12601.21)**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
बोनस शेयर जारी करने पर व्यय	(0.47)	-
अल्पसंख्यक निवेश से आय	240.30	-
उधारों का पुनर्भुगतान	(4206.00)	-
उधारों से आय	9938.21	4844.57
एस्क्रो लेखा से लाभांश का भुगतान/ अंतरण	(2109.29)	(2103.53)
ब्याज सहित पट्टा देयता का भुगतान	(471.97)	(297.38)
ब्याज व्यय	(1011.23)	(861.89)
विदेशी मुद्रा (हानि)/लाभ (निवल)	103.44	55.45
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त/(प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)	**2482.99**	**1637.22**
नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**300.79**	**(30.85)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	**310.25**	**340.62**
जोड़ें: विदेशी मुद्रा में धारित नकद और नकद समतुल्यों के शेष पर विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	**(0.17)**	**0.48**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**610.87**	**310.25**

टिप्पणियां:

क. नकद और नकद समतुल्य (टिप्पण 15 और 31 देखें) निम्नलिखित को दर्शाते हैं :

i)	उपलब्ध नकदी	0.50	0.14
ii)	सावधि जमाओं सहित बैंकों में शेष (3 माह परिपक्वता)	612.68	315.85
iii)	नकद क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट	(2.31)	(5.74)
		610.87	**310.25**

ख. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान:

(` करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार	जुटाई गई राशि	पुनर्भुगतान	गैर- नकद प्रवाह -विनिमय हानि / (लाभ)	परिशोधन	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार
बॉण्ड (टिप्पणी 25 एवं 31)	12974.92	-	(4206.00)	252.08	7.59	9028.59
बैंकों से सावधि ऋण (टिप्पणी 25 एवं 31)	8106.76	5327.65	-	-	-	13434.41
बाह्य वाणिज्यिक उधार (टिप्पणी 25 एवं 31)	2552.83	4610.56	-	177.46	9.49	7350.34
कुल	**23634.51**	**9938.21**	**(4206.00)**	**429.54**	**17.08**	**29813.34**

(` करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार	जुटाई गई राशि	पुनर्भुगतान	गैर- नकद प्रवाह -विनिमय हानि / (लाभ)	परिशोधन	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
बॉण्ड (टिप्पणी 25 एवं 31)	12775.87	-	-	188.74	10.31	12974.92
बैंकों से सावधि ऋण (टिप्पणी 25 एवं 31)	3262.19	4844.57	-	-	-	8106.76
बाह्य वाणिज्यिक उधार (टिप्पणी 25 एवं 31)	2510.80	-	-	37.36	4.67	2552.83
कुल	**18548.86**	**4844.57**	**-**	**226.10**	**14.98**	**23634.51**

ग. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस)-7, नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के अंतर्गत तैयार किया गया है।

घ. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
(सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(ए के साहू)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(अभिजीत मजूमदार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
(डॉ. रंजीत रथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

ऑयल इंडिया लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तनों का समेकित विवरण (एसओसीआईई)

(` करोड़ में)

क इक्विटी शेयर पूंजी	01.04.2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुन:कथित शेष राशि	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन	31.03.2024 को शेष
इक्विटी शेयर पूंजी	1084.41	-	1084.41	-	1084.41

01.04.2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुन:कथित शेष राशि	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन	31.03.2025 को शेष
1084.41	-	1084.41	542.20	1626.61

ख. अन्य इक्विटी

(` करोड़ में)

विवरण	आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	मिश्रित वित्तीय विलेखों का इक्विटी घटक	आरक्षित एवं अधिशेष							अन्य व्यापक आय की मदें			मूल कंपनी के मालिकों को देय अन्य इक्विटी	शेयर वारंट के बदले प्राप्त धन	गैर नियंत्रक अधिकार (एनसीआई)	कुल
			सामान्य आरक्षिति	प्रतिधारित आय	ऋणपत्र परिशोधन आरक्षिति	पूंजी परिशोधन आरक्षिति	पूंजी आरक्षिति	पूंजी आरक्षित- सामान्य नियंत्रण	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतर खाता (एफसीएम आईटीडीए)	विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	निवल परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख				
1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	-	-	**25,419.22**	**17,323.90**	**531.99**	**95.41**	**78.99**	**(6,960.25)**	**(19.01)**	**2,111.19**	**-**	**8,673.14**	**47,254.58**		**4,286.70**	**51,541.28**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-	6,550.93	-	-	-	-	-	-	-	-	6,550.93	-	488.70	**7,039.63**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को घटाकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(322.54)	(16.18)	(2,768.75)	(3,107.47)	-	0.86	**(3,106.61)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	**-**	**6,550.93**	-	-	-	-	-	**(322.54)**	**(16.18)**	**(2,768.75)**	**3,443.46**	**-**	**489.56**	**3,933.02**
एफसीएमआईटीडीए में वृद्धि/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	19.01	-	-	-	19.01	-	-	**19.01**
अंतिम लाभांश के लिए विनियोजन	-	-	-	(406.65)	-	-	-	-	-	-	-	-	(406.65)	-	(78.48)	**(485.13)**
अंतरिम लाभांश के लिए विनियोजन	-	-	-	(1,626.61)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,626.61)	-	-	**(1,626.61)**
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि	-	-	1,735.30	(1,735.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
शेयरों के बोनस निर्गम के लिए उपयोग	-	-	(447.27)	-	-	(95.41)	-	-	-	-	-	-	(542.68)	-	-	**(542.68)**
ऋण शोधन आरक्षित निधि से हस्तांतरित राशि	-	-	436.06	-	(436.06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान एनसीआई द्वारा किया गया निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.30	**240.30**
अन्य व्यापक लाभ से हस्तांतरित निवल परिभाषित योजनाओं का पुनर्मापन	-	-	-	(16.18)	-	-	-	-	-	-	16.18	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	**-**	**-**	**27,143.31**	**20,090.09**	**95.93**	**-**	**78.99**	**(6,960.25)**	**(0.00)**	**1,788.65**	**-**	**5,904.39**	**48,141.11**	**-**	**4,938.08**	**53,079.19**
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	-	-	**25,419.22**	**12935.41**	**531.99**	**95.41**	**79.00**	**(6,960.25)**	**(258.46)**	**2,790.91**	**-**	**2,763.85**	**37,397.08**	**-**	**3,371.10**	**40,768.18**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-	6,335.09	-	-	-	-	-	-	-	-	6,335.09	-	645.35	**6,980.44**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को घटाकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(679.72)	(49.22)	5,909.29	5,180.35	-	(1.53)	**5,178.82**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	**-**	**6,335.09**	-	-	-	-	-	**(679.72)**	**(49.22)**	**5,909.29**	**11,515.44**	**-**	**643.82**	**12,159.26**
एफसीएमआईटीडीए में वृद्धि/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	239.45	-	-	-	239.45	-	-	**239.45**
अंतिम लाभांश के लिए विनियोजन	-	-	-	(596.09)	-	-	-	-	-	-	-	-	(596.09)	-	(71.49)	**(667.58)**
अंतरिम लाभांश के लिए विनियोजन	-	-	-	(1,301.29)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,301.29)	-	(137.34)	**(1,438.63)**
मेसर्स एपीएल की शेयरधारिता में परिवर्तन के कारण समायोजन	-	-	-	-	-	-	(0.01)	-	-	-	-	-	(0.01)	-	-	**(0.01)**
वर्ष के दौरान एनसीआई द्वारा किया गया निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.61	**480.61**
अन्य व्यापक लाभ से हस्तांतरित निवल परिभाषित योजनाओं का पुनर्मापन	-	-	-	(49.22)	-	-	-	-	-	-	49.22	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	**-**	**-**	**25,419.22**	**17,323.90**	**531.99**	**95.41**	**78.99**	**(6,960.25)**	**(19.01)**	**2,111.19**	**-**	**8,673.14**	**47,254.58**	**-**	**4,286.70**	**51,541.28**

ग. आरक्षिति की प्रकृति और उद्देश्य के लिए टिप्पण संख्या 23 देखें।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
(सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(ए के साहू)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(अभिजीत मजूमदार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
(डॉ. रंजीत रथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

ऑयल इंडिया लिमिटेड
समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी – 1

1.1.0 कॉरपोरेट जानकारी

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में ऑयल इंडिया लिमिटेड ("कंपनी" या "ओआईएल" या "मूल कंपनी") (सीआईएन: L11101AS1959GOI001148) और उसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, संयुक्त प्रचालनों और सहयोगी कंपनियों (सामूहिक रूप से "समूह") के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

मूल कंपनी भारत में निगमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़, असम, पिन-786602 में है। कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध और कारोबार किए जाते हैं।

समूह मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कंडेनसेट, पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी जैसे उत्पादों की खोज, विकास और उत्पादन में लगा हुआ है और पाइपलाइन परिवहन सेवाओं, सिटी गैस वितरण (सीजीडी) और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

समेकित वित्तीय विवरण मूल कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21 मई, 2025 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किए जाते हैं।

1.1.1 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी ने मानक/संशोधन और अन्य परिवर्तन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित किया है और वित्तीय वर्ष के दौरान बीमा संविदा पर नए मानक और अन्य इंड एएस में संशोधन शुरू करने के लिए 12 अगस्त 2024, 9 सितंबर 2024 और 28 सितंबर 2024 को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं।

एमसीए ने बीमा संविदाओं पर एक नया मानक (इंड एएस 117) जारी किया है, जो बीमा संविदाओं पर मौजूदा इंड एएस अर्थात इंड एएस 104 को प्रतिस्थापित करता है और इंड एएस 117 के साथ संगतता बढ़ाने के लिए इंड एएस 101, इंड एएस 103, इंड एएस 105 और इंड एएस 107 जैसे अन्य संबंधित इंड एएस में परिणामी संशोधन किए गए हैं। कंपनी ने संशोधनों की अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

वर्ष के दौरान, एमसीए ने 9 सितंबर 2024 की अधिसूचना जीएसआर 554 (ई) के माध्यम से इंड एएस 116, बिक्री के लिए पट्टा और पट्टा लेनदेन में मामूली संशोधनों को अधिसूचित किया। वित्तीय विवरणों में इन संशोधनों का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

1.1.2 मानक अधिसूचित लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 7 मई 2025 को अधिसूचना जीएसआर 291 (ई) जारी की, जिसमें इंड एएस 21, "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" में संशोधन किए गए हैं। इसमें यह आकलन करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं कि क्या कोई मुद्रा किसी अन्य मुद्रा में विनिमय योग्य है, जब कोई मुद्रा विनिमय योग्य न हो तो हाजिर विनिमय दर का अनुमान लगाना, और ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक प्रकटीकरण। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद शुरू होने वाली रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू हैं। कंपनी ने इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

1.2.0 अनुमानों का उपयोग

समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनानी होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशियों और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं, ऐसे अनुमानों में किसी भी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उनका निर्धारण किया जाता है और यदि महत्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों का प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

1.2.1 प्रमुख निर्णय, धारणाएं और लेखांकन अनुमान

क. तेल एवं गैस भंडारों का अनुमान

तेल और गैस भंडारों का अनुमान, तेल और गैस उत्पादन गतिविधियों के लेखांकन में एक महत्वपूर्ण कारक है। तेल और गैस भंडारों का अनुमान भूविज्ञान और इंजीनियरिंग डेटा के विश्लेषण द्वारा नियतात्मक विधि का उपयोग करके लगाया जाता है। उत्पादन पैटर्न विश्लेषण, पूर्ण किए जाने वाले अतिरिक्त कुओं की संख्या, पुनर्प्राप्ति तकनीकों का अनुप्रयोग, खनन पट्टा करारों की वैधता, बिक्री के लिए करार/एमओयू आदि भंडारों के अनुमान को प्रभावित करते हैं। मूल्यह्रास, निःशेषण और परिशोधन शुल्कों की इकाई-उत्पादन विधि मुख्यतः प्रमाणित और सिद्ध विकसित तेल

और गैस भंडारों के प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर मापी जाती है। इसके अलावा, अन्वेषण वेधन लागतों को अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि आगे की अन्वेषण या मूल्यांकन गतिविधि के परिणाम लंबित न हों, जिन्हें पूरा होने में और किसी भी संबंधित सिद्ध भंडार को दर्ज करने में कई वर्ष लग सकते हैं।

ख. परिसंपत्तियों का क्षरण

नकदी उत्पादक इकाइयों की परिसंपत्तियों के प्रतिलब्धि-योग्य मूल्य निर्धारण के एक भाग के रूप में, अनुमान, धारणाएं और निर्णय मुख्यतः तेल और गैस मूल्य परिदृश्यों, प्रचालन लागत, उत्पादन मात्रा और तेल और गैस के प्रमाणित एवं संभावित भंडारों से संबंधित होते हैं। उपयोग में मूल्य का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त छूट दर की वार्षिक समीक्षा की जाती है। धारणाओं में परिवर्तन परिसंपत्तियों की वहन राशि को प्रभावित कर सकते हैं, और किसी भी हानि या प्रतिवर्तन से राजस्व प्रभावित होगा।

ग. कर्मचारी हितलाभ

बाज़ार मूल्यों और बीमांकिक मान्यताओं में बदलाव के कारण हितलाभ दायित्व और योजनागत परिसंपत्तियाँ महत्वपूर्ण अस्थिरता के अधीन हो सकती हैं। ये धारणाएं विभिन्न पेंशन योजनाओं के बीच भिन्न होती हैं और इसलिए बाज़ार की स्थितियों को ध्यान में रखती हैं। इनका निर्धारण एक बाहरी स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रमाणित बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक योजना के लिए मान्यताओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार समायोजन किया जाता है।

घ. परिसंपत्ति सेवानिवृत्त दायित्व

कानूनी या रचनात्मक दायित्व के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिसंपत्ति सेवानिवृत्तन दायित्वों को उस अवधि में एक उचित अनुमान के आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें दायित्व उत्पन्न होता है। यह अनुमान लागत और कार्य योजना के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी पर आधारित होता है। कानूनों और विनियमों में परिवर्तन, सिद्ध और संभावित तेल एवं गैस भंडारों और वर्तमान उत्पादन ऑफ-टेक के आधार पर क्षेत्रों के अनुमानित उपयोगी जीवन, और साइट की स्थितियों और प्रौद्योगिकियों के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। उपरोक्त कारकों में परिवर्तन के कारण डीकमीशनिंग देयता प्रावधान भिन्न हो सकते हैं। दायित्व के वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त जोखिम समायोजित छूट दर की वार्षिक समीक्षा की जाती है।

ङ. कराधान

कर देयताओं को तब स्वीकृति दी जाती है जब यह संभावित माना जाता है कि भविष्य में किसी कर प्राधिकरण को धनराशि का बहिर्वाह होगा। ऐसे मामलों में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसका निपटान किया जाना अपेक्षित है, जहाँ इसका उचित अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए अंतिम परिणाम के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर समय के साथ बदल सकता है। भविष्य में बहिर्वाह की संभावना के अनुमान और/या निपटान की अपेक्षित राशि में परिवर्तन को उस अवधि में आय में पहचाना जाएगा जिसमें परिवर्तन होता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है जहाँ तक यह संभावित माना जाता है कि वे परिसंपत्तियाँ प्रतिलब्धि योग्य होंगी। इसमें यह आकलन शामिल है कि उन परिसंपत्तियों के कब प्रत्यावर्तन की संभावना है, और यह निर्णय कि क्या परिसंपत्तियों के प्रत्यावर्तन की स्थिति में उनकी भरपाई के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे या नहीं। इसके लिए भविष्य की लाभप्रदता के संबंध में मान्यताओं की आवश्यकता होती है और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। भविष्य की लाभप्रदता के संबंध में मान्यताओं में परिवर्तन की सीमा तक, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में स्वीकृत राशियों के साथ-साथ उस अवधि में आय में मान्यता प्राप्त राशियों में भी वृद्धि या कमी हो सकती है जिसमें परिवर्तन होता है।

1.3.0 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.3.1 अनुपालन का विवरण

समूह के समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II की प्रस्तुति अपेक्षाओं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तेल और गैस उत्पादन गतिविधियों (इंड एएस) के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.3.2 तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का उपयोग करते हुए चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किए जाते हैं, सिवाय उन परिसंपत्तियों और देयताओं के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, जैसे कि कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं (उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय विलेखों के लिए टिप्पणी 48 देखें)।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, समूह परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखता है यदि बाजार सहभागी भारतीय लेखांकन मानक 113 के तहत प्रदान किए गए आधार पर माप तिथि पर परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।

चूँकि उद्योग की विशिष्ट प्रकृति के कारण परिचालन चक्र को सामान्यतः अभिनिर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी

अवधि 1 वर्ष मानी गई है। तदनुसार, सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को समूह के परिचालन चक्र और भारतीय लेखांकन मानक 1 "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मान, अन्यथा बताए गए को छोड़कर, निकटतम दो दशमलव करोड़ तक पूर्णांकित किए जाते हैं।

1.3.3 समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण में मूल कंपनी, उसकी अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, संयुक्त प्रचालन और सहयोगी कंपनियों (सामूहिक रूप से समूह कहा गया है) के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

अनुषंगी कंपनियां ऐसी कंपनियां है जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी निवेशिती को तब नियंत्रित करता है जब वह उसमें निवेशित होता है, या निवेशिती के साथ अपनी भागीदारी से उसके पास परिवर्ती प्रतिफल के अधिकार होते हैं और निवेशिती पर अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि तथ्य और परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि ऊपर बताए गए नियंत्रण के तीन तत्वों में से एक या अधिक में परिवर्तन हुए हैं, तो समूह पुनर्मूल्यांकन करता है कि वह किसी निवेशिती को नियंत्रित करता है या नहीं।

अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण उनके अधिग्रहण की तिथि से समेकित किए जाते हैं, जिस तिथि को समूह नियंत्रण प्राप्त करता है और नियंत्रण समाप्त होने की तिथि तक समेकित रहते हैं। प्रतिवेदन अवधि के दौरान अधिग्रहित या निपटाए गए अनुषंगी कंपनी की संपत्ति, देयताएं, आय, व्यय, नकदी प्रवाह और इक्विटी को समेकित वित्तीय विवरणों में उस तिथि तक शामिल किया जाता है जब तक समूह अनुषंगी कंपनी को नियंत्रित करना बंद नहीं कर देता।

जब कंपनी किसी अनुषंगी कंपनी का नियंत्रण खो देती है, तो लाभ या हानि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है और इसकी गणना (1) प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य के कुल योग और (1) अनुषंगी कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। उस अनुषंगी कंपनी के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त सभी राशियों का हिसाब इस तरह से लगाया जाता है मानो समूह ने अनुषंगी कंपनी की संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का सीधे निपटान कर दिया हो (अर्थात् लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया गया हो या लागू इंड एएस द्वाटा निर्दिष्ट/अनुमति के अनुसार इक्विटी की किसी अन्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया हो)।

लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के प्रत्येक घटक को मूल कंपनी के मालिकों और गेट-नियंत्रक अधिकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है. भले ही इसके परिणामस्वरूप गैर-नियंत्रक अधिकारों में घाटा शेष हो।

समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। जब आवश्यक हो, तो समेकित वित्तीय विवरणों में अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों, संयुक्त प्रचालन और संयुक्त उद्यमों के संबंध में समायोजन किए जाते हैं ताकि उनकी लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाया जा सके, यदि आवश्यक हो।

समेकन में उपयोग की जाने वाली सभी कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं। संयुक्त उद्यमों के मामले में जहां रिपोर्टिंग अवधि मूल कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली अवधि से भिन्न होती है, जो तीन महीने से अधिक नहीं होती है, संयुक्त उद्यमों की रिपोर्टिंग तिथि और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि के बीच होने वाले महत्वपूर्ण लेनदेन या घटनाओं के प्रभाव के लिए समायोजन किए जाते हैं।

सहयोगी कंपनी वे कंपनियों हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन नियत्रण नहीं होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव कंपनियों के वित्तीय और प्रचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त प्रचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों या संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे पर निर्भर करता है। कंपनी के पास संयुक्त प्रचालन और संयुक्त उद्यम दोनों में अधिकार होते हैं।

समूह के पास संयुक्त उद्यमों में निवेश है, जिसमें स्वामित्व अधिकार 20 से 50 प्रतिशत तक है और जिसमें व्यवस्था में इसका संयुक्त नियंत्रण है और संयुक्त व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार हैं। इसके अलावा, प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षकारों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और अधिग्रहण की तारीख के बाद निवेशक के लाभ या हानि के निवेशक के हिस्से को अभिजात करने के लिए वहन राशि को बढ़ाया या घटाया जाता है, प्राप्त वितरण को घटाया जाता है और निवेश के मूल्य में किसी भी क्षरण को घटाया जाता है।

लाभ और हानि का विवरण सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों

के प्रचालन के परिणामों में समूह के हिस्से को दर्शाता है। उन कंपनियों की अन्य व्यापक आय में कोई भी परिवर्तन समूह की अन्य व्यापक आय के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समूह और सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन हो होने वाले अप्राप्त लाभ और हानि को सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यमों में अधिकार की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों के लाभ या हानि में समूह के हिस्सों का योग समेकित लाभ और हानि विवरण के मुखपृष्ठ पर दिखाया जाता है।

सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों के लिए समूह द्वारा जारी वित्तीय प्रत्याभूति संविदाओं के उचित मूल्य को शुरू में वित्तीय प्रत्याभूति दायित्व के तहत दर्ज की गई संगत देयता के साथ निवेश के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसे निवेशों को ऐसी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की वहन राशि में जोड़ा जाता है, जैसा लागू हो।

जब किसी सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के घाटे में समूह का हिस्सा उस सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में समूह के अधिकार से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई दीर्घकालिक हित शामिल है, जो वास्तव में सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में समूह के निवल निवेश का हिस्सा है), तो समूह आगे के घाटे में अपने हिस्से को मान्यता देना बंद कर देता है। अतिरिक्त घाटे को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जब समूह ने सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम की ओर से कानूनी या रचनात्मक दायित्व उठाए हों या भुगतान किए हों।

संयुक्त उद्यम को भुनाने योग्य लेकिन गैर-परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के लिए भुगतान की गई राशि को निवेश माना जाता है।

संयुक्त उद्यम को दिए गए ऋण, जिनमें इक्विटी के माध्यम से वित्तपोषण के विलक्षण है, उन्हें भी संयुक्त उद्यम में निवेश के वहन मूल्य में शामिल किया जाता है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति को लागू करने के बाद, समूह यह निर्धारित करता है कि सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में निवल निवेश की प्रारंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है या नहीं और उस घटना (या घटनाओं) का निवल निवेश से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। यदि हानि का ऐसा वस्तुनिष्ठ साक्ष्य मौजूद है, तो उस सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में समूह के निवेश के संबंध में हानि को मान्यता दी जाती है।

निवेश की अग्रणीत राशि को भारतीय लेखांकन मानक 36 'परिसंपतियों की हानि के अनुसार एकल परिसंपत्ति के रूप में उसकी वसूली योग्य राशि (उपयोग में मूल्य और निपटान की उचित मूल्यहीन लागत में से अधिक) की तुलना उसकी अग्रणीत राशि तो करके हानि के लिए परखा जाता है। मान्यता प्राप्त कोई भी हानि निवेश की अग्रणीत राशि का हिस्सा बनती है। उस हानि के किसी भी विपर्यय को भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि निवेश की वसूली योग्य राशि बाद में बढ़ जाती है।

जब समूह किसी सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में अपने स्वामित्व अधिकार को कम करता है, लेकिन समूह इक्विटी पद्धति का उपयोग करना जारी रखता है, तो समूह उस लाभ या हानि के अनुपात को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत करता है जिसे पहले स्वामित्व अधिकार में उस कमी से संबंधित अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी यदि उस लाभ या हानि को संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं के निपटान पर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

जब कोई समूह कंपनी समूह की किसी सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन करती है, तो सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन से होने वाले लाभ और हानि को समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में केवल सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में उन अधिकारों की सीमा तक मान्यता दी जाती है जो समूह से संबंधित नहीं है।

सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम में शेयरों के अधिग्रहण के समय निवल परिसंपत्ति पर सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश की लागत की अधिकता/ कमी को वित्तीय विवरणों में निवेश के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है और मामले दर मामला आधार पर क्रमशः सद्भावना / पूंजी आरक्षित के रूप में प्रकट किया जाता है।

1.3.4 संयुक्त प्रचालनों में अधिकार

समूह के पास उत्पादन साझाकरण संविदा (पीएससी) और राजस्व साझाकरण संविदा (आरएससी) की प्रकृति में संयुक्त प्रचालन हैं, जिन्हें समूह द्वारा भारत सरकार/ विदेशी देशों की सरकार के साथ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर विभिन्न रियायतों / ब्लॉकों / क्षेत्रों में तेल और / या गैस गतिविधियों की खोज, विकास औट उत्पादन करने के लिए निष्पादित किया जाता है और इनका लेखा निम्नानुसार किया जाता है:

समेकित वित्तीय विवरण, पीएससी और आरएमसी की शर्तों के अनुसार कंपनी के सहभागी अधिकार के अनुपात में संयुक्त प्रचालन में समूह की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय के हिस्से को लाइन-बाई-लाइन आधार पर दर्शाते हैं और कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार सर्वेक्षण व्यय, शुष्क कूपों के लिए प्रावधान और डीकमीशनिंग लागत, मूल्यह्रास, कमी, स्टॉक के मूल्य और साइड ट्रेकिंग के लिए समायोजित किया जाता है।

ऐसे भंडारों के दोहन से उत्पादित और बेचे गए पेट्रोलियम के कारण राजस्व और संबंधित संविदा के अनुसार लागत या रॉयल्टी की वसूली के बाद, राजस्व का एक हिस्सा भारत सरकार को संयुक्त प्रचालन में अधिकार के आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाता है। इसे भारत सरकार के हिस्से के रूप में उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व से घटाया जाता है।

ऐसी रियायतों / ब्लॉकों / क्षेत्रों में तेल और गैस के प्रमाणित विकसित भंडार को भी समूह की भागीदारी अधिकार के अनुपात में माना जाता है।

प्रचालन में भाग लेने के अधिकार के लिए नए संयुक्त प्रचालन साझेदारों से वसूल किए जाने वाले प्रतिफल को परिसंपत्तियों और/ या व्यय के संबंधित मूल्य से घटा दिया जाता है, जो कि पिछले लागत के प्रति नए साझेदार के योगदान की सीमा तक होता है और शेष राशि को विविध प्राप्तियां/व्यय माना जाता है।

ब्लॉक में अधिकार की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि ऐसी बिक्री के समय कोई लाभ मान्यता प्राप्त नहीं होता है, यदि बरकरार रखे गए अधिकार पर लागू लागतों की वसूली के बारे में पर्याप्त अनिश्चितता मौजूद है या यदि समूह के पास भविष्य के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त दायित्व है। ऐसी स्थिति में लाभ को उस ब्लॉक से संबंधित लागत की वसूली के रूप में माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों में, भारतीय रुपये के अलावा अन्य कार्यात्मक मुद्रा वाली अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके भारतीय रुपये में रूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्रा अनुषंगी कंपनियों और सयुक्त उद्यमों के परिणामों को विनिमय की औसत दरों का उपयोग करके भारतीय रुपये में रूपांतरित किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में, उपर्युक्त रूपांतरणों के कारण उत्पन्न होने वाले विनिमय समायोजन को इक्विटी के एक अलग घटक में मान्यता दी जाती है और अन्य व्यापक आय में प्रतिवेदित किया जाता है।

1.3.5 गैर-नियंत्रक अधिकार

गैर-नियंत्रक अधिकारों को शुरू में अधिग्रहणकर्ता की पहचान योग्य निवल परिसंपत्तियों की मान्यता प्राप्त राशियों के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। अधिग्रहण के बाद, गैर-नियंत्रक अधिकारों की वहन राशि प्रारंभिक मान्यता पर अधिकार की राशि और इक्विटी में बाद के परिवर्तनों के गैर-नियंत्रक हितों के हिस्से के बराबर होती है।

1.4.0 राजस्व मान्यता

1.4.1 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

समूह मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), कंडेनसेट, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उत्पादों की बिक्री और पाइपलाइन परिवहन सेवाओं जैसी सेवाओं की बिक्री से राजस्व प्राप्त करता है।

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को उस समय मान्यता प्राप्त होती है जब समूह किसी ग्राहक को वादा किए गए उत्पाद या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करके एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और सेवा की बिक्री के बदले और इसे उस प्रदर्शन दायित्व को आवंटित लेनदेन मूल्य की राशि पर मापा जाता है। छूट, कर और शुल्क (उत्पाद शुल्क के अलावा) राजस्व से बाहर रखे जाते हैं।

भारत सरकार के साथ तेल और गैस भंडार निष्कर्षण के लिए उत्पादन साझाकरण संविदाओं के अनुसार, निर्वाच्य लागत की वसूली के बाद भंडार के दोहन से होने वाली आय में से, राजस्व का एक हिस्सा भारत सरकार को दिया जाता है जिसे लाभ पेट्रोलियम कहा जाता है। इसे लाभ पेट्रोलियम में भारत सरकार के हिस्से के रूप में उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व से घटाया जाता है।

कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), नवीकरणीय ऊर्जा और कंडेनसेट की बिक्री पर नियंत्रण का हस्तांतरण या तो डिलीवरी के बिंदु पर या प्राप्ति के बिंदु पर होता है, जहां आमतौर पर स्वामित्व हस्तांतरित होता है और / या ग्राहक संविदा की शर्तों के आधार पर भौतिक कब्ज़ा लेता है। कीमतों में किसी भी पूर्वव्यापी संशोधन का हिसाब ऐसे संशोधन के वर्ष में लगाया जाता है।

केंद्र सरकार / पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) पर गैस पूल राजस्व के लिए दावे रियायती मूल्य पर ग्राहकों को वितरित की गई मात्रा के आधार पर अर्जित किए जाते है, जिसके संबंध में राजस्व तब स्वीकृत किया जाता है जब प्राप्य की संग्रहणीयता यथोचित रूप से निश्चित होती है।

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) की बिक्री से राजस्व विनिमय के माध्यम से प्रमाणपत्रों की बिक्री पर अभिजात किया जाता है, अर्थात, जब प्राप्य यथोचित रूप से सुनिश्चित होता है।

गैस की संविदात्मक कम उठान मात्रा के संबंध में राजस्व तब अभिजात किया जाता है जब ग्राहक का ऐसी मात्रा पर अधिकार समाप्त हो जाता है और इसके अंतिम संग्रह के बारे में उचित निश्चितता होती है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री और परिवहन पक्षकारों के बीच परस्पर सहमत शर्तों पर आधारित होता है / समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों द्वारा विनियमित होता है। शर्तों में बाद में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, को परिवर्तन की अवधि में अभिज्ञात किए जाते हैं। कीमतों में इस तरह के पूर्वव्यापी संशोधन बिक्री के समय निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

1.4.2 संविदा उत्तरदायित्व

समूह गैस की कम उठाई गई मात्रा के लिए प्राप्त प्रतिफल हेतु संविदा देयता को अभिज्ञात करता है, जिसके लिए ग्राहक को भविष्य में संबंधित मात्रा लेने का अधिकार होता है (अर्थात् असंतुष्ट प्रदर्शन दायित्व) और विवाद की स्थिति में संविदा करने

वाले पक्षकार द्वारा लगाए जा सकने वाले दंड के लिए और इन राशियों को ग्राहकों हो अग्रिम के रूप में या भविष्य में देय दंड के रूप में तुलन-पत्र में रिपोर्ट करती है। अप्रोद्भूत राशियों को तब तक राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि सभी संबंधित प्रदर्शन दायित्व पूरे नहीं हो जाते हैं या ग्राहक का ऐसी मात्राओं पर अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है।

1.4.3 अन्य आय

(i) निवेश से लाभांश आय को तव मान्यता दी जाती है जव समूह का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश से लाभांश को निवेश में समायोजित किया जाता है।

(ii) ब्याज आय को बकाया राशि औट लागू प्रभावी ब्याज दर पर विचार करते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से छूटे हुए अनुमानित भविष्य की नकदी प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहन हाशि के बराबर करती है। आयकर प्रतिदाय पर ब्याज का हिसाब मूल्यांकन के अंतिम रूप देने पर लगाया जाता है।

(iii) भंडार वस्तु के पारगमन नुकसान के अलावा अन्य बीमा दावे का हिसाब बीमा कंपनी द्वारा अंतिम स्वीकृति पर लगाया जाता है।

(iv) सब्सिडी/अनुदान के कारण राजस्व और ग्राहकों से विलंबित वसूली पर व्याज तब अभिजात जाता है जब अंतिम वसूली की निश्चितता होती है।

(v) परिसमाप्त नुकसान की वसूली को लाभ और हानि के विवरण में घटना के समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय संयुक्त उद्यम संविदाओं (जेवीसी) के मामले में जो संबंधित उत्पादन साझाकरण / राजस्व साझाकरण संविदाओं द्वारा विनियमित होते हैं। परिसमाप्त नुकसान की वापसी/ वापसी के मामले में, इसे अन्य खर्चों के रूप में हिसाब में लिया जाता है। परिसमाप्त क्षतियों पर किसी विवाद की स्थिति में, लेखाओं में प्रावधान सृजित किया जाता है।

(vi) तकनीकी और प्रशासनिक सहायता, मार्ग अधिकार का अनुरक्षण, कैथोडिक सुरक्षा, अन्य संगठनों को दी जाने वाली सुविधाएं आदि जैसी व्यावसायिक विकास सेवाओं से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब समूह अपने निष्पादन दायित्व को पूरा करता है।

(vii) ओएफसी फाइबर पट्टाकरण के संबंध में आय को संविदा अवधि के दौरान समय-समय पर मान्यता दी जाती है।

(viii) अन्य दावों को तब मान्यता दी जाती है जब वसूली की उचित निश्चितता होती है।

1.5.0 पट्टे

1.5.1 समूह पट्टादाता के रूप में

समूह ने भूमि और भवन पट्टे पर दिया है जिस पर इंड एएस 116 के प्रावधानों के अनुसार प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में विचार किया गया है।

प्रचालनात्मक पट्टों से किराये की आय को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रचालनात्मक पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई संपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है और पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर उसी आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस आधार पर पट्टा आय होती है।

1.5.2 समूह पट्टेदार के रूप में

समूह ने उपकरण, भूमि, भवन, वाहन आदि की सेवा संविदाओं पर भारतीय लेखांकन मानक 116 पट्टे लागू किए हैं, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि इन संविदाओं में पट्टा शामिल है या नहीं। व्यवस्थाओं के निबंधन और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, समूह ऐसी व्यवस्थाओं को पट्टे के रूप में आंकता है।

समूह ने अमूर्त परिसंपत्तियों पर भारतीय लेखा मानक 116 लागू न करने का विकल्प चुना है।

1.5.2.1 पट्टे की अवधि

समूह पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे को विस्तारित करने के विकल्प द्वारा कवर की गई दोनों अवधियों के साथ, यदि समूह उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है, और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि यदि समूह यथोचित रूप से निश्चित है कि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा। यह आकलन करने में कि क्या समूह पट्टे को बढ़ाने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है, यह सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो मूल कंपनी के लिए पट्टे की बढ़ाने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करती है।

1.5.2.2 उपयोग अधिकार परिसंपत्तियाँ

समूह पट्टे की आरंभ तिथि (अर्थात, वह तिथि जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों को मान्यता देता है। उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यह्रास और क्षरण हानि (इंड एएस 36), यदि कोई हो, घटाकर मान्यता दी जाती है।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों की लागत में पट्टे की आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान,

किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और प्रत्यावर्तन दायित्वों, यदि कोई हो, के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि शामिल है।

1.5.2.3 मूल्यह्रास

उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जो कि प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के पट्टे की अवधि या उपयोगी जीवन तक, जो भी पहले हो, तक होता है।

1.5.2.4 पट्टा देयताएँ

पट्टा देयता को शुरू में यथोचित रूप से निश्चित पट्टा अवधि में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को यथा लागू वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है।

1.5.2.5 पट्टा देयताओं पर वित्तपोषण लागत

पट्टा देयता पर ब्याज लागत की गणना, प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके की जाती है, जब तक कि 'उधार लागत पर लेखांकन नीति के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो, लाभ और हानि के विवरण में व्यय की जाती है।

1.5.2.6 गैर-पट्टा घटक

समूह की संवदिाओं में कार्मिक लागत, रखरखाव, वेधन से संबंधित गतिविधियां, उपभोग्य वस्तुएँ और अन्य मदों सहित कई अतिरिक्त सेवाएँ और घटक शामिल होती हैं। ऐसी अधिकांश संविदाओं में, अतिरिक्त सेवाएँ/गैर-पट्टा घटक समग्र संविदा मूल्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। जहाँ अतिरिक्त सेवाओं/गैर-पट्टा घटकों की अलग-अलग कीमत नहीं होती है, वहाँ समूह पट्टा और गैर-पट्टा घटकों की सापेक्ष स्टैंड-अलोन कीमतों के आधार पर भुगतान किए गए प्रतिफल को आवंटित करता है। इसके अलावा, ये गैर-पट्टा घटक पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं है।

1.5.2.7 पट्टा देयताओं का पुनर्मूल्यांकन

पट्टा अवधि में परिवर्तन या पट्टा भुगतान में परिवर्तन होने पर समूह पट्टा देयताओं की वहन राशि का पुनर्मूल्यांकन करता है।

1.5.2.8 अल्पावधि पट्टा और कम मूल्य की परिसंपत्ति पट्टा

जिन पट्टों की अवधि 12 महीने के भीतर समाप्त होती है, उन्हें अल्पावधि पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समूह ने इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता छूट के लिए अल्पावधि पट्टा और कम मूल्य के परिसंपत्ति पट्टों का चयन किया है। समूह अल्पावधि पट्टा और कम मूल्य की परिसंपत्ति पट्टों से जुड़े पट्टा किराया भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता देता है।

1.6.0 विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरण

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो मूल कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

(i) समूह के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित समापन दरों पर पुनः रूपांतरित किया जाता है। उचित मूल्य पर रखे गए गैर-मौद्रिक मदों को, जो विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित है, उस तिथि पर प्रचलित दर पर रूपांतरित किया जाता है. जब उचित मूल्य मापा गया था। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को प्रारंभिक लेनदेन की तिथियों पर विनिमय दर का उपयोग करके रूपांतरित किया जाता है।

(ii) समेकन पर, विदेशी प्रचालनों की परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाता है और उनके लाभ और हानि के विवरण लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किए जाते हैं। व्यावहारिक कारणों से, समूह आय और व्यय मदों के रूपांतरण के लिए औसत दर का उपयोग करता है। समेकन के लिए रूपांतरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को ओसीआई में विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण में विनिमय अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी विदेशी प्रचालन के व्ययन पर, उस विशेष विदेशी प्रचालन से संबंधित ओसीआई के घटक को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

(iii) विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान पर प्राप्त लेनदेन लाभ और हानि को उस अवधि के लिए निवल लाभ/हानि का निर्धारण करने में शामिल किया जाता है जिसमें लेनदेन का निपटान किया जाता है।

(iv) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, सिवाय निम्नलिखित के :

क) अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबंधित विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय अंतर, इस सीमा तक कि उन्हें अधिकार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है;

ख) इंड एएस 101 के पैरा डी 13एए के अनुसार, भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाने से, समूह पिछले आईजीएएपी के तहत अपनाई गई नीति का

प्रयोग जारी रखता है और तदनुसार मूल्यह्रास और अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर अंतर को परिसंपत्तियों की वहन लागत और परिसंपत्तियों के शेष जीवन काल के ऊपर अवमूल्यन के अनुसार समायोजित किया गया है तथा अन्य मामलों में विनिमय अंतरों को 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता' में संचित किया गया है और ऐसी दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मद की शेष अवधि में परिशोधित किया गया है जिसे 31 मार्च 2016 को रिपोर्ट की गई जीएएपी के अनुसार प्रथम इंड एएस के शुरू होने से ठीक पहले समाप्त हुई अवधि के लिए ऐसी प्रत्येक अवधि में वित्तीय विवरण में निर्धारित मदों के संबंध में आय या व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

1.7.0 उधार लागत

उधार लागत में ब्याज और निधियों के उधार लेने के संबंध में होने वाली अन्य लागत शामिल है और इसमें विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, इस सीमा तक कि उन्हें ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है। उधार लेने की लागत में डीकमीशनिंग और पट्टा देयता पर वित्त लागत भी शामिल है।

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से सीधे संबंधित उधार लागतों को उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक पूंजीकृत नहीं किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने आशयित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं।

उधार लागतों का पूंजीकरण तब निलंबित कर दिया जाता है, जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि अस्थायी आधार के अलावा अन्य किसी भी तरह से बाधित होती है और लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे व्ययगत की जाती है।

1.8.0 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि समूह उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त किए जाएँगे।

(i) आय से संबंधित अनुदान (राजस्व अनुदान)

समूह लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए संबंधित व्यय में कटौती के रूप में राजस्व अनुदानों को मान्यता देता है।

केन्द्र सरकार की ईपीसीजी योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर शुल्क माफी के संबंध में प्राप्त अनुदान, जो उत्पादन-पूर्व और उत्पादन के बाद के पुर्जों सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद को शून्य शुल्क पर अनुमति देता है, जो खरीदे गए पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना (पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित इकाई के लिए 1.5 गुना) के निर्यात दायित्व के अधीन है, को आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और अनुदान से जुड़े निर्यात दायित्वों की पूर्ति के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण में परिशोधित किया गया है।

(ii) परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान (पूंजी अनुदान)

सरकारी अनुदान जिसमें प्राथमिक शर्त यह है कि समूह को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहिए, की तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों पर गणना की गई मूल्यह्रास/ह्रास के अनुपात में लाभ और हानि विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

1.9.0 कर्मचारी हितलाभ

1.9.1 सेवानिवृत्ति हितलाभ लागत और सेवा समाप्ति हितलाभः

परिभाषित अंशदान योजनाओं (जैसे कि भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना निधि) के भुगतान को लाभ और हानि विवरण (पूंजीकृत किए जाने वाले व्ययों के अलावा) में प्रभारित किया जाता है, जब कर्मचारियों ने योगदान के लिए उन्हें हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की हो।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं (जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृति के वाद चिकित्सा लाभ, परिभाषित हितलाभ पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि) के तहत हितलाभ प्रदान करने की लागत को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके प्रत्येक योजना के लिए अलग ही निर्धारित किया जाता है, जिसमें अर्ध-वार्षिक और वार्षिक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। यह वर्तमान अवधि में कर्मचारी सेवा के परिणामस्वरूप परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में वृद्धि को वर्तमान सेवा लागत निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। ऊपर बताई गई वर्तमान सेवा लागत और योजना संशोधन के परिणामस्वरूप पिछली सेवा लागत को कर्मचारी हितलाभ व्यय के तहत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

निवल ब्याज जिसे 'कर्मचारी हितलाभ व्यय के अंतर्गत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, वह समय बीतने के परिणामस्वरूप योजना दायित्वों के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के मूल्य में निवल परिवर्तन को दर्शाता है, और वर्ष के आरंभ में हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके निर्धारित

किया जाता है, जिसमें वर्ष के दौरान दायित्व या योजना परिसंपत्तियों में अपेक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है।

परिभाषित हितलाभ देयता और परिसंपत्ति का पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां शामिल हैं, और पूंजीकृत भाग के अलावा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ऊपर वर्णित निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं और बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं।

समूह प्रतिधारित आय के एक भाग के रूप में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन प्रस्तुत करता है (इक्विटी परिवर्तनों का विवरण देखें)।

प्रत्येक परिभाषित हितलाभ योजना के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अधिशेष या घाटा परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच का अंतर है। अलग-अलग ट्रस्ट फंड के माध्यम से प्रबंधित प्रत्येक योजना के लिए घाटे का निपटान सीधे ऐसे ट्रस्ट फंड में किया जाना है। परिभाषित हितलाभ योजना अधिशेषों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिस सीमा तक वे स्वाभाविक रूप से योजनाओं में भविष्य के योगदान में वापसी या कटौती के माध्यम से प्रतिलब्धि योग्य है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या किसी अन्य प्रारंभिक पृथक्करण योजना के तहत किए गए भुगतानों को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

1.9.2 अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

संबंधित सेवा प्रदान किए जाने की अवधि में कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी (प्रदर्शन से संबंधित वेतन सहित), वार्षिक छुट्टी, बीमारी की छुट्टी आदि के संबंध में मिलने वाले हितलाभों के लिए देयता को उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की छूट रहित राशि पर मान्यता दी जाती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को संबंधित सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की छूट रहित राशि पर मापा जाता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में समूह द्वारा किए जाने वाले अनुमानित भविष्य के नकद बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

1.10.0 कराधान

1.10.1 वर्तमान कर

आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को कराधान प्राधिकरणों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर उन देशों में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं जहाँ समूह की संबंधित कंपनियों प्रचालन करती है और कर योग्य आय जनित करती है।

समूह उन स्थितियों के संबंध में कर विवरणियों में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर विनियम प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर व्याख्या के अधीन होते हैं और विचार करता है कि क्या यह संभव है कि कराधान प्राधिकरण अनिश्चित कर संव्यवहार को स्वीकार करेगा।

विवादित मामलों के संबंध में, जब अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील पर निर्णय लिया जाता है, तो संबंधित विभाग/प्राधिकरण हसे अपीलीय आदेश प्राप्त होने के बाद ही लेखाओं में संबंधित अपील का प्रभाव दिया जाता है, यदि आगे कोई विवाद नहीं किया जाता है।

1.10.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशियों और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक घटा दी जाती है कि यह अब संभावित नहीं रह जाता है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। ऐसी कोई भी कटौती उस सीमा तक विपर्यय कर दी जाएगी जब यह संभावित हो जाता है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली का आकलन करने में, समूह वित्तीय विवरणों में अन्यत्र तथा अन्य प्रबंधन प्रतिवेदनों पट निर्भर/अनुमानों में प्रयुक्त समान पूर्वानुमान करता है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है, जिसमें देयता का निपटान किया जाना है या परिसंपत्ति की वसूली की जानी है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं, जो उन देशों में प्रतिवेदन तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं, जहां समूह संयुक्त प्रचालन संचालित करता है औट कर योग्य आय उत्पन्न करता है।

समूह में विभिन्न कंपनियों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समेकित तुलन-पत्र में अलग से प्रस्तुत किया

जाता है, क्योंकि जिन राजकोषीय क्षेत्रों में ये कंपनियां कार्य करती हैं, उनमें आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजित करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे शेषों का निवल आधार पर निपटान करने का कोई इरादा नहीं है।

1.11.0 तेल और गैस अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास व्यय

समूह ने तेल और गैस परिसंपत्तियों और अन्वेषण और मूल्याकन परिसंपत्तियों के लेखांकन के लिए भारतीय सनदी लेखाकार सस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'इंड एएस 106" और "तेल और गैस उत्पादन गतिविधियों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी (उन संस्थाओं के लिए जिन पर इंडएएस लागू है) को लागू किया है। समूह अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्ति मानता है।

1.11.1 अधिग्रहण-पूर्व, अधिग्रहण, अन्वेषण और मूल्यांकन लागत

(i) अधिग्रहण-पूर्व लागतः

अधिग्रहण-पूर्व लागत में डेटा संग्रह और विश्लेषण लागत आदि जैसे व्यय शामिल होते हैं, जो तेल और गैस परिसंपत्तियों का अन्वेषण, विकास और उत्पादन करने के अधिकार प्राप्त करने से पहले किए जाते है। इन लागतों को व्यय के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(ii) अधिग्रहण लागत:

क) अधिग्रहण लागत में वेधन संचालन के लिए अधिग्रहित भूमि की लागत, भूमि पर अस्थायी कब्जे की लागत, कब्जाधारियों को भुगतान की गई फसल और सतह का मुआवजा, पंजीकरण शुल्क, कानूनी लागत, हस्ताक्षर बोनस, मध्यवर्तियों की फीस, फार्म-इन व्यवस्थाओं के लिए भुगतान किया गया प्रतिफल और तेल और गैस की खोज, वेधन और उत्पादन के अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए अन्य खर्च शामिल होते हैं।

ख) वेधन संचालन के लिए अधिग्रहित भूमि की लागत को छोड़कर इन लागतों को शुरू में अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के तहत दर्ज किया जाता है, जिसे पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत 'भूमि अधिग्रहण लागत के रूप में प्रकट किया जाता है।

ग) प्रमाणित विकसित भंडारों के निर्धारण पर, संबंधित अधिग्रहण लागतों को 'तेल और गैस परिसंपत्तियों के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

घ) एक अन्वेषणात्मक कूप से संबंधित अधिग्रहण लागत, जिसके बारे में यह निर्धारित किया जाता है कि उसमें कोई प्रमाणित भंडार नहीं है और इसकी स्थिति शुष्क है या अन्वेषण उद्देश्य के लिए आगे उपयोग नहीं है, लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है। ऐसे मामलों में, अधिग्रहण लागत का हिस्सा बनने वाली भूमि के मूल्य के विरुद्ध, रुपए 100 प्रति बीघा की नाममात्र राशि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत पूर्ण स्वामित्व भूमि में हस्तांतरित कर दी जाती है और भूमि के शेष वहन मूल्य को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

ड) परिसंपत्तियों में खनिज हित को बनाए रखने की लागत जैसे पट्टा वहन लागत, लाइसेंस शुल्क और अन्य लागत को खर्च के रूप में लिया जाता है।

(iii) अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत (ई एंड ई लागत) :

क) अन्वेषण उद्देश्यों के लिए भूकंपीय सर्वेक्षणों सहित भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय लागतें, जब भी व्यय होती हैं, लाभ और हानि विवरण में प्रभारित की जाती हैं।

ख) वेधन और अन्वेषणात्मक और मूल्यांकन कूपों (जैसे रिग, मड प्लांट, कूप लॉगिंग उपकरण, सीमेंटिंग यूनिट आदि) को सुसज्जित करने में शामिल सहायक उपकरणों और सुविधाओं पर आवंटित मूल्यह्रास सहित लागतें, पट्टे पर लिए गए सहायक उपकरणों पर आवंटित ब्याज और अन्वेषणात्मक प्रकार के वेधन स्ट्रेटीग्राफिक परीक्षण कूपों की लागत को शुरू में अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों (ई एंड ई परिसंपत्तियों) के रूप में दिखाया जाता है, जब तक कि इन्हें या तो प्रमाणित विकसित भंडार की स्थापना पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को 'तेल और गैस परिसंपतियों के रूप में स्थानांतरित नहीं किया जाता है या लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जब यह निर्धारित किया जाता है कि यह शुष्क है या आगे उपयोग के लिए नहीं है।

ग) प्रत्येक अन्वेषणात्मक कूप से संबंधित ई एंड ई लागत तब तक आगे नहीं बढ़ाई जाती जब तक कि यह उचित रूप से प्रदर्शित न किया जा सके कि पर्याप्त मात्रा में भंडार के संकेत हैं और निकट भविष्य में भंडार और परियोजना की आर्थिक और प्रचालनात्मक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए गतिविधियों की दृढ़ता से योजना बनाई गई है। बट्टे खाते में डाले गए अन्वेषणात्मक कूपों की लागत को बहियों में बहाल नहीं किया जाता है, भले ही वे बाद में उत्पादन शुरू कर दें।

घ) अनुमानित डीकमीशनिंग लागत अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति के वहन मूल्य में शामिल होती है।

1.11.2 विकास लागत

विकासात्मक कूपों और सेवा कूपों के वेधन, संयंत्र और सुविधाओं के उत्पादन और प्रसंस्करण की स्थापना जैसी विकास गतिविधियों पर होने वाली लागत जिसमें सहायक उपकरण और सुविधाओं (जैसे रिग, मड प्लांट, कूप लॉगिंग उपकरण, सीमेंटिंग यूनिट आदि) पर आवंटित मूल्यह्रास और पट्टे पर लिए गए सहायक उपकरणों पर आवंटित ब्याज शामिल होते है, को शुरू में पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत 'विकास लागत कूपों के रूप में दिखाया जाता है और कूपों के पूरा होने पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत तेल और गैस परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। शुष्क विकास कूप की लागत, यदि कोई हो, को भी कूप के पूरा होने पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत तेल और गैस परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

1.11.3 उत्पादन लागत

उत्पादन लागत में कूपों और संबंधित उपकरणों और सुविधाओं को संचालित करने और बनाए रखने के लिए किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च शामिल है, जिसमें मूल्यह्रास और सहायक उपकरणों और सुविधाओं की लागू प्रचालन लागत शामिल है। इन लागतों को लाभ और हानि विवरण में, जब भी खर्च किया जाता है, प्रभारित किया जाता है।

1.11.4 साइड-ट्रैकिंग व्यय

अन्वेषण कूपों के मामले में, साइड ट्रैक किए गए कूप के छोड़े गए हिस्से की लागत को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। विकास कूपों के मामले में, छोड़े गए हिस्से और साइड-ट्रैकिंग की पूरी लागत को पूंजीकृत किया जाता है। मौजूदा उत्पादक कूपों के मामले में, साइड-ट्रैकिंग की लागत को पूंजीकृत किया जाता है यदि यह प्रमाणित विकसित भंडार को बढ़ाता है, अन्यथा इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.12.0 अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं/योजनाओं के लिए किए गए सभी राजस्व व्यय, अनुदान सहायता (परिसंपत्ति से संबंधित को छोड़कर) यदि कोई हो, को घटाकर, लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किए जाते हैं।

1.13.0 प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

(i) तेल और गैस परिसंपत्तियों सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास, नि:शेषण और क्षरण हानि घटा कर दर्शाया जाता है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के हिस्से को बदलने की लागत, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं, किसी भी डीकमीशनिंग या साइट परित्याग या बहाली दायित्व के प्रारंभिक अनुमान का वर्तमान मूल्य, जहाँ भी लागू हो और अर्हक उधार लागत, जहाँ भी लागू हो, शामिल है। डीकमीशनिंग लागत और इसके प्रावधान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और धारणाएँ (टिप्पणी 1.2.1) और प्रावधान (टिप्पणी 1.15.2) देखें।

(ii) निर्माण के दौरान जो परिसंपत्तियां हैं, उन्हें शुरू में प्रगति में पूंजीगत कार्य के अंतर्गत रखा जाता है और जब परिसंपत्तियां प्रबंधन द्वारा आशयित तरीके से उपयोग के लिए उपलब्ध होती हैं, तो उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी लागत में निर्माण अवधि के दौरान किए गए खर्च और किसी भी परित्याग, डीकमीशनिंग या साइट बहाली दायित्व के प्रारंभिक अनुमान का वर्तमान मूल्य शामिल है, जहाँ भी लागू हो। प्रगति में पूंजीगत कार्य को लागत पर, संचित क्षरण हानि को घटाकर, यदि कोई हो, में दर्शाया जाता है।

(iii) सहायक उपकरणों के लिए दर्ज किए गए पट्टों के संबंध में सावधि ऋण पर ब्याज और पट्टा देयता पर ब्याज की समाप्ति से युक्त उधार लागत को सीडब्ल्यूआईपी या पीपीई की संबंधित वस्तु (जैसा भी मामला हो) में पूंजीकृत किया जाता है, बशर्ते कि पीपीई की वस्तु के वहन मूल्य के घटक के रूप में उधार लागत की मान्यता के लिए मानदंड पूरे किए गए हो।

(iv) यदि सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत रखी गई कोई वस्तु परिभाषित आवश्यकता या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है और उसका आगे कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसी वस्तु को तब तक बट्टे खाते में डालने के लिए प्रावधान किया जाता है, जब तक कि ऐसी वस्तु को वास्तव में बट्टे खाते में डाल नहीं दिया जाता।

(v) स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसे मदों जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा पर खरे उतरते हैं, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को मालसूची (इन्वेंट्री) के रूप में रखा जाता है और उपभोग पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(vi) जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण भागों को अंतरालों पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो समूह उन्हें उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर अलग से मूल्यह्रास करता है जो संबंधित संयंत्र और उपकरण के शेष उपयोगी जीवन से अधिक नहीं होती है। जहां किसी परिसंपत्ति या परिसंपत्ति के हिस्से का अलग से मूल्यह्रास किया गया था, उसे प्रतिस्थापित किया जाता है और यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे, व्यय को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित परिसंपत्ति की वहन राशि को मान्यता से हटा दिया जाता है।

(vii) प्रमुख शट-डाउन और ओवरहाल व्यय को पूंजीकृत किया जाता है क्योंकि परिसंपत्ति से उत्पन्न होने वाले भविष्य के

आर्थिक लाभों को बेहतर बनाने के लिए की गई गतिविधियाँ। प्रमुख अनुरक्षण कार्यक्रमों से जुड़े निरीक्षण लागत, जिनसे भविष्य के आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, को अगले निरीक्षण तक की अवधि में पूंजीकृत और मूल्यहास किया जाता है।

(viii) संयंत्रों/सुविधाओं और विशिष्ट सॉफ्टवेयर से संबंधित तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं, अंतर्निहित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किए जाते हैं।

(ix) रिफाइनरी प्रचालन की प्रक्रिया में प्रयुक्त फिक्स्ड बेड कैटेलिस्ट को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में अभिज्ञात किया जाता है तथा इसे उपयोग में लाए जाने की तिथि से इसके उपयोगी जीवन काल में पूंजीकृत और मूल्यहासित किया जाता है।

(x) किसी क्षेत्र/फील्ड के पीपीई में शामिल कोई तेल और गैस परिसंपत्तिया, जिनका प्रमाणित विकसित तेल /गैस भंडार है, को तब अभिजात किया जाता है जब उस क्षेत्र/ फील्ड का कूप वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार हो जाता है। तेल और गैस परिसंपत्तियां, जिनमें उत्पादक कूप, संबंधित अधिग्रहण लागत और उत्पादन सुविधाएं शामिल है, को उत्पादन की इकाई पद्धति का उपयोग करके निःशेषित किया जाता है। अनुमानित डीकमीशनिंग और परित्याग लागत (निस्तारण मूल्य, संचित मूल्यहास और क्षरण शुल्क के निवल) सहित उत्पादक कूपों और उत्पादन सुविधाओं की पूंजीकृत लागत को प्रमाणित विकसित भंडार पर निःशेषित किया जाता है। अधिग्रहण लागत प्रमाणित भंडार पर निःशेषित की जाती है। कमी की दर तेल / गैस क्षेत्र या अभिजात तेल /गैस क्षेत्रों के समूह से उत्पादन के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो समरूप भूवैज्ञानिक विशेषताओं वाले संबंधित भंडारों से संबंधित होते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों का आकलन सालाना साल के अंत में किया जाता है और अनुमानित प्रमाणित भंडारों में होने वाले बदलावों के प्रभाव को परिसंपत्ति के शेष वहन मूल्य में कमी करके उत्तरव्यापी प्रभाव से निस्तारित किया जाता है।

(xi) 'भूमि पूर्ण स्वामित्व' और 'उपयोग अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट 'अपलिखित मूल्य पद्धति के तहत परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है। पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्यहास नहीं किया जाता है। 5,000 रुपए से अनधिक मूल्य वाले कम मूल्य मदों को जोड़ते समय पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है। कूप परिसंपत्ति के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य (निपटान की अनुमानित लागत के निवल) पिछले अनुभव और तकनीकी मूल्यांकन (यदि लागू हो) पर विचार करके निर्धारित किया जाता है और यह मूल लागत का 5% तक होता है। कूप परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य कूपों के स्थान और स्थिति के आधार पर, कूपों से निकाले जा सकने वाले स्क्रैप के निवल बिक्री मूल्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अन्य प्रमुख संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रारूपित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है:

पीपीई का नाम	उपयोगी जीवनकाल
भवन	3 से 60 वर्ष
सड़कें और पुल	3 से 30 वर्ष
संयंत्र और मशीनरी (प्रयोगशाला उपकरण सहित)	5 से 30 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	8 से 10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 से 6 वर्ष
वाहन	8 से 10 वर्ष
रेलवे स्लाइडिंग और रोलिंग स्टॉक	15 वर्ष
रिफाइनरी	25 वर्ष

(xii) पूंजी सुधार या अन्य कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले पीपीई (तेल और गैस परिसंपतियों के अलावा) पर बाद के व्यय पर मूल्यहास शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से प्रदान किया जाता है। सुसज्जित / पुनर्निर्मित पीपीई (तेल और गैस परिसंपत्तियों के अलावा) पर मूल्यहास, जिन्हें अलग से पूंजीकृत किया जाता है, पुनर्मूल्यांकित उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है।

(xiii) तेल और गैस परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अपेक्षित उपयोगी जीवन की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। तेल और गैस परिसंपत्तियों के लिए भंडार का सालाना अनुमान लगाकर तेल और गैस परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, पीपीई के अवशिष्ट मूल्य का भी सालाना पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उपयोगी जीवन में परिवर्तन या अवशिष्ट मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभाव को उत्तरव्यापी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है। समूह अपेक्षित उपयोगी जीवन और अनुमानित अवशिष्ट मूल्यों के अपने आकलन में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण कानून के प्रभाव पर विचार करता है।

(xiv) सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो चुके कूप परिसंपत्तियों और परिसंपत्ति के निपटान पर भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद के अलावा कोई भी मूर्त परिसंपत्ति 1000 रुपए या मूल लागत के 5% में से कम पर संयंत्र और उपकरण के रूप में रखी जाती है और शेष लिखित मूल्य को प्रभार से बाहर कर दिया जाता है।

(xv) कूप परिसंपत्तियों के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद निपटान पर या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे विमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति की विमान्यता पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें मद को विमान्य किया जाता है। परिसंपत्ति की वास्तविक बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें मद वास्तव में स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है।

(xvi) अनुषंगी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मामले में, जब यह निर्धारित हो जाता है कि मौजूदा परिसंपत्तियों का आगे कोई उपयोग नहीं है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल 5% तक के अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद, उनकी अग्रणीत राशि को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

(xvii) उत्पादनकारी कूप परिसंपत्तियों को तब विमान्य किया जाता है जब निर्दिष्ट कूप/गैस क्षेत्र से उत्पादन होना बंद हो जाता है।

(xviii) समूह की आंतरिक योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों को प्रदान की गई परिसंपत्तियों को भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और समूह की आंतरिक योजनाओं में परिभाषित उपयोगी जीवन या कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, के आधार पर लिखित मूल्य पद्धति के तहत मूल्यह्रास किया जाता है। आंतरिक योजना में परिभाषित उपयोगी जीवन की समाप्ति पर या उपरोक्त आंतरिक योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों द्वारा ऐसी परिसंपत्तियों की ख़रीद-वापस लेने पर ऐसी परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

(xix) कर्मचारियों को प्रदान की गई परिसंपत्तियों जिनका उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन से भिन्न है, इस प्रकार है:

पीपीई का नाम	उपयोगी जीवनकाल
मोबाइल फ़ोन	2 से 3 वर्ष
फर्नीचर और घरेलू सामान	5 से 6 वर्ष

इसके अलावा, उपर्युक्त आंतरिक योजना के अनुसार कर्मचारियों को दिए गए सॉफ्ट फर्नीचर की खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

तथापि, अनुषंगी कंपनी एनआरएल के मामले में, कंप्यूटर उपकरण (कर्मचारी को प्रदत्त फर्नीचर ऑन हायर स्कीम के अंतर्गत दिए गए फर्नीचर) को 4 वर्षों की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

(xxi) समूह द्वारा तीन वर्षों की अवधि में सभी मदों को कवर करते हुए चरणबद्ध तरीके से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूल कंपनी की नीति के अनुसार कर्मचारियों को दिए गए पीपीई मदों के अलावा) का भौतिक सत्यापन किया जाता है। यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उनका हिसाब उस वर्ष में लगाया जाता है जिसमें ऐसे अंतर पाए जाते हैं और इन विसंगतियों के संबंध में प्रावधान बनाया जाता है, जब तक कि उन्हें बट्टे खाते में नहीं डाल दिया जाता।

1.13.1 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

समूह अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान और मापन के लिए लागत मॉडल का पालन करता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को शुरू में अभिज्ञात राशि में से संचित परिशोधन और संचित क्षरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली भूमि अधिकार की लागत का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि नकदी उत्पादक इकाई स्तर पर प्रतिवर्ष क्षरण के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चित जीवन के मूल्यांकन की वार्षिक समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनिश्चित जीवन जारी है या नहीं। यदि नहीं, तो अनिश्चित से परिमित तक उपयोगी जीवन में परिवर्तन उत्तरव्यापी आधार पर किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत पूंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष तक उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित की जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की वार्षिक समीक्षा की जाती है। जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति का क्षरण हो सकता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्षरण का मूल्यांकन किया जाता है।

जब कोई अमूर्त परिसंपत्ति अप्रचलित हो जाती है और उसका आगे कोई उपयोग नहीं होता है, तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.13.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), ई एंड ई परिसंपत्ति और अन्य अमूर्त संपत्तियों में क्षरण

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में, समूह समीक्षा करता है कि क्या कोई संकेत है कि इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। ई एंड ई परिसंपत्तियों की समीक्षा इंड एएस 106 के अनुसार हानि के संकेतकों के लिए की जाती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो समूह परिसंपत्ति की प्रतिलब्धि योग्य राशि का अनुमान लगाता है, जो नकदी सृजक इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उसके उपयोग मूल्य में से जो अधिक है, वह है। प्रतिलब्धि योग्य राशि समग्र रूप से सीजीयू के लिए निर्धारित की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, उत्पादन क्षेत्र, एलपीजी संयंत्र, परिवहन पाइपलाइन और नवीकरणीय ऊर्जा इकाइयों (कैप्टिव विद्युत संयंत्र के अलावा) को नकदी उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के रूप में माना जाता है।

कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों और सामान्य सेवा परिसंपत्तियों को भी उचित और सुसंगत आधार पर अलग अलग नकदी सृजक इकाइयों को आवंटित किया जाता है। जब सीजीयू के तहत सभी परिसंपत्तियों की वहन राशि सीजीयू की प्रतिलब्धि योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और लाभ और हानि विवरण में हानि को प्रभारित करके इसकी वसूली योग्य राशि में लिख दी जाती है।

उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो पैसे के समय मूल्य और सीजीयू के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि पहले ही अभिज्ञात हानियां अब मौजूद नहीं हैं या कम हो गई हैं। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो समूह सीजीयू की प्रतिलब्धि योग्य राशि का अनुमान लगाता है। पहले से अभिज्ञात हानि को केवल तभी विपर्यय किया जाता है जब पिछले क्षरण को मान्यता दिए जाने के बाद से परिसंपत्ति की प्रतिलब्धि योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई अनुकूल परिवर्तन हुआ हो।

जब किसी क्षरण को बाद में विपर्यय किया जाता है, तो सीजीयू के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह की वहन राशि को उसकी प्रतिलब्धि योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, वह वहन राशि तक जो निर्धारित की गई होती यदि पिछले वर्षों में सीजयू के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह के लिए कोई क्षरण अभिज्ञात नहीं हुआ होता। क्षरण हानि के विपर्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

विपर्यय के बाद, परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि को, किसी भी अवशिष्ट मूल्य को घटाकर, उसके शेष उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित करने के लिए भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास शुल्क को समायोजित किया जाता है।

1.14.0 मालसूची (इन्वेंटरी)

कच्चे तेल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और कंडेनसेट के तैयार माल की इन्वेंटरी का मूल्यांकन अवशोषण लागत विधि या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, का उपयोग करके निर्धारित लागत पर किया जाता है। तैयार माल की लागत प्रत्यक्ष लागत और मूल्यह्रास और कमी सहित सीधे रोप्य सेवाओं की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऐसी इन्वेंटरी के मूल्य में उत्पाद शुल्क, रॉयल्टी और अन्य शुल्क, जो लागू हों, शामिल हैं । विनिर्माण स्थानों पर पड़े तैयार स्टॉक पर उत्पाद शुल्क अंतिम उपयोग के आधार पर प्रत्येक स्थान पर लागू मूल्यांकन योग्य मूल्य पर प्रदान किया जाता है। निवल प्राप्ति योग्य मूल्य इन्वेंटरी की अनुमानित बिक्री मूल्य को बिक्री को प्रभावित करने के लिए आवश्यक सभी अनुमानित लागतों को घटाकर दर्शाया जाता है।

समूह संग्रहण स्टेशन तक फ्लो लाइन में अपूर्ण हालत में कच्चे तेल और पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पाइपलाइन जमाव सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक है। समूह संग्रहण स्टेशन (जीजीएस) / तेल संग्रहण स्टेशन (ओसीएस) से टैंक फार्म तक फ्लोलाइन में पड़े कच्चे तेल का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पाइपलाइन जमाव हमेशा बने रहेंगे और सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक हैं। जीजीएस / ओसीएस में टैंकों में अर्ध-तैयार स्थिति में कच्चे तेल को अवशोषण लागत विधि या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मापा और मूल्यांकित किया जाता है।

रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल खंड के लिए, इन्वेंटरी की लागत में उचित और सुसंगत आधार पर आवंटित उचित उपरिव्यय सहित इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान पर लाने में व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए व्यय शामिल हैं और निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किए जाते हैं:

क. कच्चे तेल और तैयार उत्पादों की लागत पहल- आओ पहले-पाओ (एफआईएफओ) के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ख. प्रगतिधीन स्टॉक की लागत कच्चे माल की लागत और रूपांतरण की आनुपातिक लागत पर निर्धारित की जाती है।

भंडार और पुर्जों (पारगमन में माल सहित) और अन्य कच्चे माल की इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य जो भी कम हो, का उपयोग करके किया जाता है।

अप्रचलित / अनुपयुक्त वस्तुए, जैसे ही पहचाने जाते हैं, उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। भंडारण स्थानों में स्टोर ओर पुर्जों सहित कोई भी आइटम जो तुलन-पत्र की तिथि तक पिछले चार वर्षों से हस्तांतरित नहीं हुआ है, उन्हें धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है, जिसके लिए अंकित मूल्य का 95% प्रावधान किया जाता है।

समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के आधार पर प्राप्त और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) व्यापार के लिए रखे जाते हैं और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

भंडार और पुर्जे मदें (पारगमन में सामग्री को छोड़कर) सहित इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन कंपनी द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि सभी मदों को कवर किया जा सके। उच्च और मध्यम मूल्य वाले भंडार और पुर्जे मद प्रत्येक वर्ष भौतिक रुप से सत्यापित किए जाते हैं जबकि कम मूल्य वाले आइटम 3 वर्ष की अवधि में भौतिक रूप से सत्यापित किए जाते हैं। यदि कोई विसंगतियां पाई जाती है, तो उनका हिसाब उस वर्ष में लगाया जाता है जिसमें ऐसे अंतर पाए जाते हैं।

1.15.0 डीकमीशनिंग और प्रत्यावर्तन दायित्व सहित प्रावधान

1.15.1 प्रावधान

प्रावधान तब अभिज्ञात किए जाते हैं जब समूह के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह

संभावना होती है कि समूह को दायित्व का निपटान करने की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में अभिज्ञात राशि प्रतिवेदन अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक निपटान का सबसे अच्छा अनुमान है, जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों, जोखिमों और दायित्व के आसपास की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है। प्रावधान को प्रतिवेदन तिथि पर वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य का उपयोग करके मापा जाता है।

समूह द्वारा सभी संयुक्त उद्यम ब्लॉकों के लिए प्रतिबद्ध अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) की लागत के लिए प्रावधान तब किए जाते हैं जब प्रतिवेदन अवधि के अंत में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कोई वर्तमान दायित्व होता है।

1.15.2 डीकमीशनिंग और प्रत्यावर्तन दायित्व

परिसंपत्ति सेवानिवर्तन दायित्वों से संबंधित लागतों के प्रति देयताओं को तब अभिज्ञात किया जाता है जब समूह के पास किसी कूप को बंद करने और परित्याग करने, किसी सुविधा या संयंत्र की वस्तु को विघटित करने और हटाने तथा उस स्थान को प्रत्यावर्तित करने का दायित्व होता है, जिस पर वह स्थित होता है, और जब उस देयता का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। कूप की साइटों, संबंधित उत्पादन सुविधाओं और संयंत्रों को विघटित करने, छोड़ने और प्रत्यावर्तित करने से संबंधित लागतों के प्रति देयताओं को कूप का वेधन शुरू होने पर या जब सुविधाएं और संयंत्र स्थापित किए जाते है, जैसा भी मामला हो, अभिज्ञात किया जाता है। अभिज्ञात राशि अनुमानित भविष्य के व्यय का वर्तमान मूल्य है जो कूपों की गहराई और प्रकार (परीक्षण कूप, अन्वेषण कूप, विकसित कूप आदि), स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान कीमतों पर स्थापित सुविधाओं और संयंत्रों पर विचार करते हुए विनिर्धारित किया जाता है और डीकमीशनिंग की अपेक्षित तिथि तक उचित मुद्रास्फीति दर का उपयोग करके बढ़ाई जाती है और उचित जोखिम – मुक्त छूट दर का उपयोग करके छूट दी जाती है।

डीकमीशनिंग देयता प्रावधान के बराबर राशि को संबंधित पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी या अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति (ई एंड ई) के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा भी मामला हो। शुष्क अन्वेषण कूपों के संबंध में डीकमीशनिंग लागत को लाभ और हानि विवरण में अन्वेषण कूप लागत के रूप में व्ययित किया जाता है।

संयुक्त प्रचालन के अंतर्गत परिसंपत्तियों के संबंध में डीकमीशनिंग लागत के लिए प्रावधान ऑपरेटर द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के आधार पर समूह के प्रतिभागिता अधिकार के अनुसार विचार किया जाता है।

डीकमीशनिंग लागत के लिए देयता नवीनतम उपलब्ध तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान लागत पर सालाना अद्यतित की जाती है। छूट की समाप्ति को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है। छूट की समाप्ति के अलावा अनुमानित डीकमीशनिंग प्रावधान के वर्तमान मूल्य में कोई भी परिवर्तन डीकमीशनिंग प्रावधान में समायोजित किया जाता है और वर्तमान अवधि में परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है और भावी मूल्यह्रास (नि:शेषण) के लिए विचार किया जाता है। ऐसे मामले में, जहां डीकमीशनिंग प्रावधान का विपर्यय संबंधित परिसंपत्तियों के संगत वहन मूल्य से अधिक है, अतिरिक्त राशि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

समूह डीकमीशनिंग देयता का अनुमान लगाने में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण कानून के प्रभाव पर विचार करता है।

दायित्व के निपटान पर होने वाली वास्तविक लागत को देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और अंतिम लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जब नामित तेल / गैस क्षेत्र या तेल / गैस क्षेत्रों का समूह उत्पादन करना बंद कर देता है।

1.16.0 वित्तीय विलेख

1.16.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

1.16.1.0 प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित खरीद या बिक्री, जिनके लिए बाज़ार में विनियमन या परिपाटी द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो वह तिथि होती है जिस पर समूह परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होता है या निवेश तिथि, जैसा भी मामला हो।

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य पर मापता है साथ ही, किसी वित्तीय परिसंपत्ति के मामले में जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है, लेनदेन लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर रोप्य होती है, सिवाय व्यापार प्राप्तियों के जिन्हें शुरू में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ले जाए जाने वाली वित्तीय आस्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्ययित किया जाता है।

1.16.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

समूह वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों के आधार पर अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निर्धारित करता है। समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

क. जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाना है (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ या हानि के माध्यम से)। इनमें अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी प्रतिभूतियों और लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर म्यूचुअल फंड और अवकाश नकदीकरण निधि में निवेश शामिल हैं।

ख. जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाना है। इनमें परिशोधित लागत पट ऋण प्रतिभूतियाँ, व्यापार प्राप्य, ऋण प्राप्य, नकद और बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और प्राप्य शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, समूह ने इक्विटी विलेखों (अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के अलावा) के लिए अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है जो व्यापार के लिए धारित नहीं रखे गए हैं।

1.16.1.2 बाद के मापन

ऋण प्रतिभूतियों में लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, उसे अन्य आय व्यय के घटक के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है या क्षरण कर दिया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ और हानि को या तो लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय के माध्यम से दर्ज किया जाता है। विमान्यता पर, ओसीआई में मान्यता प्राप्त संचयी उचित मूल्य परिवर्तन को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

1.16.1.3 नकद और नकद समतुल्य

नकदी और नकद समतुल्य में बैंक में और नकद रोकड़ शामिल है, जिसमें भरपाई किए जाने वाले बैंक ओवरड्राफ्ट और अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं, जिनकी परिपक्वता अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम है।

1.16.1.4 व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य को शुरू में उनके लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है जब तक कि उनमें इंड एएस 115 के अनुसार कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल न हो।

1.16.1.5 वित्तीय परिसंपत्तियों का क्षरण

समूह सभी वित्तीय विलेखों (निवेश, ऋण, जेवी भागीदारों से प्राप्त नकद कॉल, बीमा दावे और अवकाश नकदीकरण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्राप्य) के लिए क्षरण गुंजाइश को आजीवन अपेक्षित ऋण घाटे के बराबर राशि पर मापता है यदि उस वित्तीय विलेख पर ऋण जोखिम इसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है। यदि किसी वित्तीय विलेख पर ऋण जोखिम उसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़ा है, तो समूह उस वित्तीय विलेख के लिए क्षरण गुंजाइश को 12 महीने की अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर मापता है।

तथापि, ग्राहकों के साथ किए गए संविदाओं से राजस्व के संबंध में होने वाले व्यापार प्राप्तियों के लिए, समूह आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर क्षरण गुंजाइश को मापता है।

1.16.1.6 वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य कर देता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय परिसंपत्ति और परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफल को किसी अन्य पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की संपूर्णता में विमान्य होने पर, परिसंपत्ति की वहन राशि और प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की राशि और संचयी लाभ या हानि के बीच का अंतर जिसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी और इक्विटी में संचित किया गया था, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है यदि ऐसा लाभ या हानि अन्यथा उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ या हानि में मान्यता दी गई होती।

1.16.2 वित्तीय देयताएँ और इक्विटी विलेख

1.16.2.1 इक्विटी विलेख

इक्विटी विलेख कोई भी संविदा होती है जो किसी मूल कंपनी की सभी देयताओं को घटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में अवशिष्ट हित को प्रमाणित करता है। समूह द्वारा जारी इक्विटी उपकरणों को प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को घटाकर प्राप्त आय पर मान्यता दी जाती है।

1.16.2.2 वित्तीय देयताएँ

समूह शुरू में उचित मूल्य पर वित्तीय देयता को अभिज्ञात करता है और ऋण और उधार तथा देयताओं के मामले में, सीधे रोप्य लेनदेन लागतों को घटाकर स्वीकृत करता है।

समूह की वित्तीय देयताएँ जो व्यापार के लिए नहीं रखी जाती हैं, उन्हें बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसमें मुख्य रूप से ऋण और उधार, पट्टा देयताएँ, वित्तीय गारंटी संविदा और अन्य वित्तीय देयताएँ शामिल होती हैं। तथापि, मूल कंपनी द्वारा बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए जारी किए गए वित्तीय गारंटी संविदाओं को नीचे निर्धारित विशिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुसार मापा जाता है।

ब्याज व्यय जो किसी परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं है, उसे वित्त लागत' लाइन मद में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं पर लाभ या हानि को परिशोधित लागत पर मापा जाता है और लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

1.16.2.3 वित्तीय गारंटी संविदाएं

समूह द्वारा दी गई वित्तीय गारंटी को शुरू में उनके उचित मूल्यों पर मापा जाता है, उन लेनदेन लागतों के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए रोप्य हैं और बाद में इंड

एएस 109 के अनुसार निर्धारित क्षरण गुंजाइश और शुरू में मान्यता प्राप्त राशि में से मान्यता प्राप्त वित्त आय की संचयी राशि को घटाकर मापा जाता है।

समूह गारंटी अवधि में सीधी रेखा के आधार पर गारंटी के प्रारंभिक उचित मूल्य को परिशोधित करके वित्त आय को मापता है।

1.16.2.4 वित्तीय देयताओं की विमान्यता

समूह वित्तीय देयताओं को विमान्य करता है, तब और केवल तभी, जब समूह के दायित्वों का निर्वहन, विमान्य या उनकी अवधि समाप्त हो जाती है। विमान्य की गई वितीय देयता की वहन राशि और भुगतान और देय प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

1.17.0 खंड रिपोर्टिंग

उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति और संबंधित जोखिमों और रिटर्न पर विचार करते हुए, मूल कंपनी ने अपने उत्पादों और सेवाओं (जैसे कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, पाइपलाइन परिवहन अक्षय ऊर्जा और अन्य) को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंडों के रूप में अंगीकृत किया है। कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

खंड की परिसंपत्तियों, देयताएं, आय और व्यय को या तो सीधे अभिज्ञात किया जाता है या मूल कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार कहने के उद्देश्य से लागत के आवंटन के लिए उपयोग किए जाने वाले समान आधार पर खंडों को आवंटित किया जाता है।

खंडों से संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 50 देखें।

1.18.0 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियों (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को संचित मूल्यहास और संचित क्षरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

निवेश संपत्तियों में शामिल पूर्ण स्वामित्व भूमि का मूल्यहास नहीं किया जाता है। भवन का मूल्यहास अधिग्रहण या निर्माण पूरा होने की तिथि से 30 वर्षों में किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवन यथार्थवादी हैं और उस अवधि का उचित अनुमान दर्शाते है जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है।

यद्यपि, समूह लागत-आधारित माप का उपयोग करके निवेश संपत्तियों को मापता है, निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य टिप्पणियों में प्रकटन किया जाता है (टिप्पणी 48 देखें)। उचित मूल्य एक बाह्य स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्याकन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जो अंतरर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक समिति द्वारा अनुशंसित मूल्यांकन मॉडल को लागू करता है।

एक निवेश संपत्ति को व्ययन पर या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा दिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है, तो उसे विमान्य कर दिया जाता है।

निवेश संपत्तियों में (या उसमें) हस्तांतरण केवल तभी किया जाता है जब ऐसी संपत्ति के उपयोग में आशयित परिवर्तन के बजाय वास्तविक परिवर्तन होता है और उपयोग में परिवर्तन का साक्ष्य होता है। निवेश संपत्ति और स्वामी-कब्जे वाली संपत्ति के बीच स्थानांतरण से हस्तांतरित संपत्ति की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

1.19.0 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल आय की गणना मूल कपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए कर के बाद निवल लाभ को वर्ष के दौरान चकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत सख्या में विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना करने के उद्देश्य से, मूल कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को रोप्य वर्ष के लिए कर के बाद निवल लाभ और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयटों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

1.20.0 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियाँ

समूह गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करता है यदि उनकी अग्रणीत राशि सतत उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी।

इन प्रयोजनों के लिए, बिक्री लेनदेन में गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ विनिमय भी शामिल है, जब विनिमय में वाणिज्यिक सार हो। बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो बिक्री (या निपटान समूहों) के लिए सामान्य और प्रथागत है, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, परित्यक्त नहीं किया जाएगा। समूह परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानता है जब :

क) प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,

ख) खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया जाता है,

ग) परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को सक्रिय रूप से बिक्री के लिए एक ऐसे मूल्य पर विपणन किया जा रहा है जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,

घ) वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता देने की उम्मीद है, और

ड) योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाएं यह संकेत देती हैं कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने या योजना को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां और निपटान समूह को उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में हो जो भी कम हो, उसे बेचने की अनुमानित लागत घटाकर मापा जाता है, सिवाय आस्थगित कर परिसंपत्तियों, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों, वित्तीय परिसंपत्तियों जैसी परिसंपत्तियों के, जिन्हें विशेष रूप से इस आवश्यकता से छूट दी गई है। विक्रय लागतें एक परिसंपत्ति (निपटान समूह) के निपटान के लिए सीधे जिम्मेदार वृद्धिशील लागते हैं, जिसमें वित्त लागत और आयकर व्यय शामिल नहीं है। विक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियां, जिन्हें एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटन टिप्पणी 21 में किए गए हैं। वित्तीय विवरणों के अन्य सभी नोटों में मुख्य रूप से निरंतर प्रचालन के लिए राशियां शामिल होती हैं। जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

1.21.0 लाभांश

शेयरों पर अंतिम लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है, और अंतरिम लाभांश मूल कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

1.22.0 आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होंने से होगी जो पूटरी तरह से मूल कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। वर्तमान दायित्वों के संबंध में एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जहाँ संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है (टिप्पणी 1.15.1 देखें) और अन्य सभी मामलों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

प्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों, गारंटियों, कानूनी मामलों और अन्य से संबंधित आकस्मिक देयताएँ, चाहे विवादित हों या नहीं, प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास / नि:शेषण					क्षरण				निवल वहन राशि
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ नि:शेषण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए क्षरण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुआर
भूमि पूर्णस्वामित्व (टिप्पण 2.4 देखें)	455.87	83.12	-	-	538.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538.99
भवन	1,980.57	355.06	2.04	-	2,333.59	578.10	93.74	1.06	-	670.78	6.08	-	-	6.08	1,656.73
सड़कें और पुल, तेल और गैस परिसंपत्तियाँ	175.11	103.34	0.01	-	278.44	96.28	23.80	-	-	120.08	-	-	-	-	158.36
-अधिग्रहण लागत	263.73	9.47	-	-	273.20	171.19	12.67	-	-	183.86	-	-	-	-	89.34
-उत्पादक कूप	16,830.68	1,971.63	-	-	18,802.31	7,643.60	1,166.84	-	-	8,810.44	107.77	-	-	107.77	9,884.10
-उत्पादन सुविधाएँ, संयंत्र और	3,255.92	278.75	5.24	-	3,529.43	1,224.94	170.90	2.18	-	1,393.66	-	-	-	-	2,135.77
उपकरण	9,227.33	607.56	72.18	-	9,762.71	4,453.43	773.07	51.30	-	5,175.20	59.71	-	-	59.71	4,527.80
फर्नीचर और जुड़नार	120.79	42.55	11.97	-	151.37	63.46	26.92	10.85	-	79.53	-	-	-	-	71.84
वाहन	112.16	5.73	1.78	-	116.11	81.96	8.12	1.11	-	88.97	-	-	-	-	27.14
कार्यालय उपकरण,	546.38	88.41	40.65	-	594.14	383.05	85.39	35.70	-	432.74	-	-	-	-	161.40
रेलवे साइडिंग और चल स्टॉक	29.52	-	-	-	29.52	22.81	0.83	-	-	23.64	-	-	-	-	5.88
कुल	**32,998.06**	**3,545.62**	**133.87**	**-**	**36,409.81**	**14,718.82**	**2,362.28**	**102.20**	**-**	**16,978.90**	**173.56**	**-**	**-**	**173.56**	**19,257.35**
घटाएं : प्रावधान	1.36	-	1.12	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24
उप-योग (क)	**32,996.70**	**3,545.62**	**132.75**	**-**	**36,409.57**	**14,718.82**	**2,362.28**	**102.20**	**-**	**16,978.90**	**173.56**	**-**	**-**	**173.56**	**19,257.11**

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास / नि:शेषण					क्षरण				निवल वहन राशि
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ नि:शेषण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए क्षरण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुआर
उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति															
भूमि	148.96	0.10	-	-	149.06	17.61	4.72	-	-	22.33	-	-	-	-	126.73
भवन	40.80	10.76	12.35	-	39.21	21.37	13.38	12.35	-	22.40	-	-	-	-	16.81
संयंत्र एवं उपकरण	930.09	780.47	622.75	-	1,087.81	648.63	371.64	622.72	-	397.55	-	-	-	-	690.26
वाहन	208.98	60.62	104.39	-	165.21	145.66	40.38	104.39	-	81.65	-	-	-	-	83.56
उप योग (ख)	**1,328.83**	**851.95**	**739.49**	**-**	**1,441.29**	**833.27**	**430.12**	**739.46**	**-**	**523.93**	**-**	**-**	**-**	**-**	917.36
पीपीई (नेट) (क+ख)	**34,325.53**	**4,397.57**	**872.24**	**-**	**37,850.86**	**15,552.09**	**2,792.40**	**841.66**	**-**	**17,502.83**	**173.56**	**-**	**-**	**173.56**	**20,174.47**

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास / नि:शेषण					क्षरण				निवल वहन राशि
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ नि:शेषण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए क्षरण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुआर
भूमि पूर्णस्वामित्व (टिप्पण 2.4 देखें)	382.35	73.52	-	-	455.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.87
भवन	1,924.25	62.25	5.93	-	1,980.57	494.03	86.63	2.56	-	578.10	6.08	-	-	6.08	1,396.39
सड़कें और पुल, तेल और गैस परिसंपत्तियाँ	137.79	37.98	0.66	-	175.11	76.07	20.74	0.53	-	96.28	-	-	-	-	78.83
-अधिग्रहण लागत	233.82	29.91	-	-	263.73	154.47	16.72	-	-	171.19	-	-	-	-	92.54
-उत्पादक कूप	14,687.23	2,143.45	-	-	16,830.68	6,575.87	1,033.07	(34.66)	-	7,643.60	185.60	(43.17)	34.66	107.77	9,079.31
-उत्पादन सुविधाएँ, संयंत्र और	2,783.95	473.10	1.13	-	3,255.92	1,010.33	214.91	0.30	-	1,224.94	-	-	-	-	2,030.98
उपकरण	8,468.11	888.84	129.62	-	9,227.33	3,902.38	665.64	114.59	-	4,453.43	59.71	-	-	59.71	4,714.19
फर्नीचर और जुड़नार	100.84	27.92	7.97	-	120.79	54.92	16.00	7.46	-	63.46	-	-	-	-	57.33
वाहन	110.99	3.59	2.42	-	112.16	73.35	10.01	1.40	-	81.96	-	-	-	-	30.20
कार्यालय उपकरण,	469.18	82.68	5.48	-	546.38	339.36	60.92	17.23	-	383.05	-	-	-	-	163.33
रेलवे साइडिंग और चल स्टॉक	26.52	3.00	-	-	29.52	21.00	1.81	-	-	22.81	-	-	-	-	6.71
कुल	**29,325.03**	**3,826.24**	**153.21**	**-**	**32,998.06**	**12,701.78**	**2,126.45**	**109.41**	**-**	**14,718.82**	**251.39**	**(43.17)**	**34.66**	**173.56**	**18,105.68**
घटाऐं : प्रावधान	1.14	0.22	-	-	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36
उप-योग (क)	**29,323.89**	**3,826.02**	**153.21**	**-**	**32,996.70**	**12,701.78**	**2,126.45**	**109.41**	**-**	**14,718.82**	**251.39**	**(43.17)**	**34.66**	**173.56**	**18,104.32**

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास / नि:शेषण					क्षरण				निवल वहन राशि
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ नि:शेषण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए क्षरण	वर्ष के दौरान विलोपन / समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुआर
उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति															
भूमि	148.28	0.68	-	-	148.96	12.96	4.65	-	-	17.61	-	-	-	-	131.35
भवन	22.28	18.83	0.31	-	40.80	14.19	7.42	0.24	-	21.37	-	-	-	-	19.43
संयंत्र एवं उपकरण	629.26	327.51	26.68	-	930.09	465.53	209.77	26.67	-	648.63	-	-	-	-	281.46
वाहन	181.66	27.32	-	-	208.98	105.21	40.45	-	-	145.66	-	-	-	-	63.32
उप योग (ख)	**981.48**	**374.34**	**26.99**	**-**	**1,328.83**	**597.89**	**262.29**	**26.91**	**-**	**833.27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**495.56**
पीपीई (नेट) (क+ख)	**30,305.37**	**4,200.36**	**180.20**	**-**	**34,325.53**	**13,299.67**	**2,388.74**	**136.32**	**-**	**15,552.09**	**251.39**	**(43.17)**	**34.66**	**173.56**	**18,599.88**

2.1 समूह ने 1 अप्रैल 2015 (संक्रमण तिथि) की स्थिति के अनुसार अभिज्ञात, अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) - मूर्त परिसंपत्तियों के पिछले जीएएपी के अनुसार मापे गए बही मूल्य को जारी रखने के लिए अपनाया है और उस वहन मूल्य को संक्रमण तिथि पर अपनी अनुमानित लागत के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

2.2 चालू वर्ष के दौरान तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में वृद्धि में अनुमानों में परिवर्तन और नए कूपों एवं सुविधाओं के योग के बाद डीकमीशनिंग देयता की लागत के पूंजीकृत हिस्से में गिरावट शामिल है, जिसकी राशि ₹191.79 करोड़ है (पिछले वर्ष के दौरान नीचे की ओर संशोधन ₹ 69.33 करोड़ था)।

2.3 संयंत्र एवं उपकरण में सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्ति से संबंधित ₹0.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.40 करोड़) का वहन मूल्य शामिल है, जिसे पहले टिप्पणी 12 इन्वेंटरी के तहत निपटान की प्रतीक्षा कर रही परिसंपत्ति" के रूप में प्रकट किया गया था।

2.4 परियोजनाओं और वेधन कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण मुख्य रूप से अधिभोगी / पट्टेदारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से किया जाता है। तथापि, यदि द्विपक्षीय वार्ता विफल हो जाती है, तो सरकार के हस्तक्षेप से प्रासंगिक भूमि कानूनों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। सफल वार्ता या सरकारी आदेश के बाद, जैसा भी मामला हो, अधिभोगी / पट्टेदारों से सहमति पत्र प्राप्त किए जाते हैं और भूमि पर खड़ी फसलों के लिए सतही मुआवज़ा तय किया जाता है और इसे या तो पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में या तेल और गैस परिसंपत्तियों के अधिग्रहण लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। साथ ही अधिभोगी / पट्टेदारों को सलाह दी जाती है कि वे भूमि पर अपने कानूनी अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें। इन दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने तक और सतही मुआवज़े के निपटान के बाद, भूमि मूल्य के लिए देयता निर्धारित की जाती है और संबंधित शीर्षों के तहत पूंजीकृत की जाती है। तेल और गैस परिसंपत्तियों में शामिल भूमि की लागत या तो कूप में खोज के आधार पर परिशोधित या चार्ज ऑफ की जाती है।

समूह के अधिभोग में कुल भूमि नीचे संलग्न अनुसार अलग की गई है:

विवरण	क्षेत्रफल (लाख वर्ग मीटर में)
उत्परिवर्तित भूमि	268.64
अधिग्रहित सरकारी भूमि	62.93
अधिग्रहित वन भूमि	82.62
वार्षिक पट्टा भूमि	37.77
उत्परिवर्तन के लिए लंबित भूमि	237.69
पट्टे पर दी गई भूमि	18.11
भूमि मूल्य के भुगतान के लिए लंबित भूमि (जिनके बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किए गए हैं)	92.92
समूह द्वारा अधिग्रहित कुल भूमि	**800.68**

2.5 कुल पूर्ण स्वामित्व भूमि में से 1.61 लाख वर्ग मीटर (पिछले वर्ष 1.61 लाख वर्ग मीटर) सहायक कंपनी मैसर्स एनआरएल द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड को पट्टे पर दी गई है।

टिप्पणी -3

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(` करोड़ में)

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार

विवरण	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में स्थानांतरण	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ							
भूमि एवं भवन (सड़कों एवं पुलों सहित)	409.94	766.13	-	541.52	-	-	634.55
संयंत्र एवं उपकरण	17,699.46	9,665.98	(113.75)	744.25	-	-	26,734.94
पूंजीगत वस्तुएं एवं अन्य परिवहन योग्य वस्तुएं (पूंजीगत भंडार एवं परिवहन योग्य सहित)	835.76	199.27	526.40	-	-	-	508.63

विवरण	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में स्थानांतरण	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 को
तेल और गैस परिसंपत्तियाँ							
अधिग्रहण लागत - भूमि	129.09	59.89	-	0.88	13.40	-	174.70
विकास लागत – कूप	273.21	1,673.03	-	1,639.64	-	-	306.60
विकास लागत - उत्पादन सुविधाएँ	726.71	391.00	(412.78)	278.75	-	-	1,251.74
अमूर्त परिसंपत्तियाँ							
मार्गाधिकार / उपयोग	-	381.07	-	381.07	-	-	-
सॉफ़्टवेयर	-	47.66	-	44.68	-	-	2.98
कुल	**20,074.17**	**13,184.03**	**(0.13)**	**3,630.79**	**13.40**	**-**	**29,614.14**
घटाएँ: प्रावधान	46.51	52.92	0.45	-	11.64	-	87.34
प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य (निवल)	**20,027.66**	**13,131.11**	**(0.58)**	**3,630.79**	**1.76**	**-**	**29,526.80**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार

विवरण	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में स्थानांतरण	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2024 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ							
भूमि एवं भवन (सड़कों एवं पुलों सहित)	247.66	336.04	-	173.75	0.01	-	409.94
संयंत्र एवं उपकरण	9,230.51	9,243.72	(231.26)	1,006.03	-	-	17,699.46
पूंजीगत वस्तुएं एवं अन्य परिवहन योग्य वस्तुएं (पूंजीगत भंडार एवं परिवहन योग्य सहित)	1,224.51	(157.49)	231.26	-	-	-	835.76
तेल और गैस परिसंपत्तियाँ							
अधिग्रहण लागत - भूमि	105.12	54.26	-	29.91	0.38	-	129.09
विकास लागत – कूप	550.10	1,419.89	-	1,696.78	-	-	273.21
विकास लागत - उत्पादन सुविधाएँ	646.50	552.45	-	473.10	(0.86)	-	726.71
अमूर्त परिसंपत्तियाँ							
मार्गाधिकार / उपयोग	-	327.74	-	327.74	-	-	-
सॉफ़्टवेयर	-	19.73	-	19.73	-	-	-
कुल	**12,004.40**	**11,796.34**	**-**	**3,727.04**	**(0.47)**	**-**	**20,074.17**
घटाएँ: प्रावधान	51.21	(4.70)	-	-	-	-	46.51
प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य (निवल)	**11,953.19**	**11,801.04**	**-**	**3,727.04**	**(0.47)**	**-**	**20,027.66**

3.1 (क) 31 मार्च, 2025 तक सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन कार्यक्रम का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएँ	12725.60	8266.21	4499.08	4019.13	29510.02
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	4.32	1.84	0.19	10.43	16.78
कुल	**12729.92**	**8268.05**	**4499.27**	**4029.56**	**29526.80**

3.1 (ख) 31 मार्च, 2024 तक सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन कार्यक्रम का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएँ	10967.09	4765.93	3294.20	994.56	20021.78
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	0.17	0.10	5.61	5.88
कुल	**10967.09**	**4766.10**	**3294.30**	**1000.17**	**20027.66**

3.2.(क) सीडब्ल्यूआईपी पर व्यय की अनुसूची, जहां पूरा होने में देरी हो चुकी है और/या 31 मार्च, 2025 तक इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है, नीचे दी गई है।

(राशि ₹ करोड़ में)

परियोजनाएं	पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
पूर्वी खगोरिजन और नादुआ में उत्पादन सुविधा	617.85	-	-	-
एफजीजीएस बागजान	251.04	-	-	-
एफएचक्यू में अधिकारी आवास कॉलोनी	136.82	-	-	-
परिसंपत्ति विभाग का कार्यालय भवन	34.46	-	-	-
सालिमारी ओसीएस 1 से आईटीएफ तेंगाखाट तक पाइपलाइन	-	3.89	-	-
सीए-400 मिमीX10 किमीपी/एल-हतियाली स्क्रैपर ट्रैप-एफजी	-	13.70	-	-
अन्य परियोजनाएँ *	35.79	-	-	-
कुल	**1075.96**	**17.59**	**-**	**-**

3.2.(ख) सीडब्ल्यूआईपी पर व्यय की अनुसूची, जहां पूरा होने में देरी हो चुकी है और/या 31 मार्च, 2024 तक इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है, नीचे दी गई है।

(राशि ₹ करोड़ में)

परियोजनाएं	पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
पूर्वी खगोरिजन और नादुआ में उत्पादन सुविधा	201.49	-	-	-
एफजीजीएस बागजान	182.98	-	-	-
एफएचक्यू में अधिकारी आवास कॉलोनी	96.34	-	-	-
जयपुर में आवासीय परिसर	53.00	-	-	-
जी एंड आर कार्यालय भवन	32.79	-	-	-
कुमचाई से कुसिजान तक कच्चे तेल की पाइपलाइन	56.74	-	-	-
सालिमारी ओसीएस 1 से आईटीएफ तेंगाखाट तक पाइपलाइन	-	13.00	-	-
हतियाली स्क्रैपर ट्रैप से एफजीजीएस चबुआ तक पाइपलाइन	-	12.34	-	-
अन्य परियोजनाएँ *	9.27	-	-	-
कुल	**632.61**	**25.34**	**-**	**-**

* ₹10 करोड़ से कम के वास्तविक व्यय वाली परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

3.3 वर्तमान वर्ष के दौरान तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में वृद्धि में अनुमानों में परिवर्तन और नए कूपों एवं सुविधाओं के योग को छोड़कर डीकमीशनिंग देयता की लागत के पूंजीकृत हिस्से में कमी का संशोधन शामिल है, जो ₹21.07 करोड़ है (पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि का संशोधन ₹16.62 करोड़ था)।

3.4 विकास लागत-कूपों में वृद्धि में कूपों की ड्रिलिंग के लिए प्रयुक्त रिगों और अन्य सहायक उपकरणों पर ₹212.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹166.75 करोड़) का मूल्यह्रास शामिल है।

3.5 वृद्धि में सावधि ऋण पर 945.54 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 472.20 करोड़ रुपये) की उधार लागत शामिल है।

टिप्पणी - 4

अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(` करोड़ में)

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार

विवरण	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में स्थानांतरण	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 को
निर्माणाधीन अन्वेषण कूप (अमूर्त परिसंपत्तियाँ)							
-अधिग्रहण लागत-अन्य	64.43	14.24	-	8.59	1.83	-	68.25
-अन्वेषण लागत	3843.98	2,116.07	-	331.99	348.92	-	5279.14
कुल	**3908.41**	**2,130.31**	**-**	**340.58**	**350.75**	**-**	**5347.39**
घटाएँ: प्रावधान	2,594.60	545.46	0.26	-	275.08	-	2864.72
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (निवल)	**1313.81**	**1,584.85**	**(0.26)**	**340.58**	**75.67**	**-**	**2482.67**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार

विवरण	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में स्थानांतरण	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2024 को
निर्माणाधीन अन्वेषण कूप (अमूर्त परिसंपत्तियाँ)							
-अधिग्रहण लागत-अन्य	60.77	3.66	-	-	-	-	64.43
-अन्वेषण लागत	3062.91	1,216.38	-	446.67	(11.36)	-	3843.98
कुल	**3123.68**	**1,220.04**	**-**	**446.67**	**(11.36)**	**-**	**3908.41**
घटाएँ: प्रावधान	2072.89	521.71	-	-	-	-	2594.60
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (निवल)	**1050.79**	**698.33**	**-**	**446.67**	**(11.36)**	**-**	**1313.81**

4.1 वर्तमान वर्ष के दौरान अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों में वृद्धि में अनुमानों में परिवर्तन और नए कूपों के जुड़ने के कारण डीकमीशनिंग देयता की अनुमानित लागत में ₹4.55 करोड़ की वृद्धि शामिल है (पिछले वर्ष ₹14.55 करोड़ की वृद्धि)।

4.2 अन्वेषण लागत में वृद्धि में कूपों की ड्रिलिंग के लिए प्रयुक्त रिग और अन्य सहायक उपकरणों पर ₹274.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹115.60 करोड़) का मूल्यह्रास शामिल है।

4.3.(क) 31 मार्च, 2025 तक प्रगतिधीन अन्वेषण कूपों (अमूर्त परिसंपत्तियों) की आयु निर्धारण अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों	अवधि के लिए विकासाधीन अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएँ	1,577.77	420.11	88.51	312.09	2,398.48
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	1.98	1.41	0.05	80.75	84.19
कुल	**1,579.75**	**421.52**	**88.56**	**392.84**	**2482.67**

4.3.(ख) 31 मार्च, 2024 तक प्रगतिधीन अन्वेषण कूपों (अमूर्त परिसंपत्तियों) की आयु निर्धारण अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों	अवधि के लिए विकासाधीन अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएँ	770.79	101.45	149.45	180.74	1,202.43
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	0.10	-	-	111.28	111.38
कुल	**770.89**	**101.45**	**149.45**	**292.02**	**1,313.81**

टिप्पणी – 5

निवेश संपत्ति

(` करोड़ में)

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				वहन राशि
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	31 मार्च 2025 के अनुसार	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 के अनुसार
भूमि	35.60	-	-	35.60	-	-	-	-	35.60
भवन	27.70	-	-	27.70	0.96	0.52	-	1.48	26.22
कुल	**63.30**	**-**	**-**	**63.30**	**0.96**	**0.52**	**-**	**1.48**	**61.82**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				वहन राशि
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	31 मार्च 2024 के अनुसार	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 के अनुसार
भूमि	35.22	0.38	-	35.60	-	-	-	-	35.60
भवन	26.26	1.44	-	27.70	0.47	0.49	-	0.96	26.74
कुल	**61.48**	**1.82**	**-**	**63.30**	**0.47**	**0.49**	**-**	**0.96**	**62.34**

5.1 समूह की निवेश संपत्ति में तीसरे पक्षकार को पट्टे पर दी गई भूमि शामिल है।

5.2 निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय	3.72	4.18
घटाएँ: मूल्यहास	0.52	0.49
अन्य प्रत्यक्ष व्ययों से पहले निवेश संपत्तियों से प्राप्त लाभ	**3.20**	**3.69**

5.3 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹122.01 करोड़ है (पिछले वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹ 120.26 करोड़ था)। निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य उचित मूल्यांकन पदानुक्रम में स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया गया है।

5.4 अन्य प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय अलग से पहचाने जाने योग्य नहीं हैं और उनके महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

टिप्पणी – 6

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(` करोड़ में)

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक					परिशोधन					वहन राशि
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 के अनुसार	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 के अनुसार
मार्ग/उपयोग अधिकार	458.85	381.07	-	-	839.92	-	-	-	-	-	839.92
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	272.93	44.68	0.05	-	317.56	188.05	39.51	0.05	-	227.51	90.05
कुल	**731.78**	**425.75**	**0.05**	**-**	**1,157.48**	**188.05**	**39.51**	**0.05**	**-**	**227.51**	**929.97**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार

विवरण	सकल ब्लॉक					परिशोधन					वहन राशि
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2024 के अनुसार	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान विलोपन/ समायोजन	विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर का प्रभाव	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 के अनुसार
मार्ग/उपयोग अधिकार	131.11	327.74	-	-	458.85	-	-	-	-	-	458.85
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	258.08	19.73	4.88	-	272.93	156.87	36.05	4.87	-	188.05	84.88
कुल	**389.19**	**347.47**	**4.88**	**-**	**731.78**	**156.87**	**36.05**	**4.87**	**-**	**188.05**	**543.73**

6.1 समूह ने अपनी अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसे 1 अप्रैल, 2015 (संक्रमण तिथि) को मान्यता दी गई थी और जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया था, और उस वहन मूल्य को संक्रमण तिथि पर अपनी अनुमानित लागत के रूप में उपयोग किया।

6.2 पाइपलाइन बिछाने का मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) समूह को भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। इसलिए, आरओडब्ल्यू को अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है।

6.3 31 मार्च, 2025 तक शेष उपयोगी जीवन पर कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर का वहन मूल्य

(` करोड़ में)

सॉफ्टवेयर की श्रेणियाँ	शेष उपयोगी जीवनकाल				कुल
	4 से 5 वर्ष	2 से 4 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 वर्ष से कम	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	17.35	29.93	16.31	26.46	90.05

6.4 31 मार्च, 2024 तक शेष उपयोगी जीवन पर कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर का वहन मूल्य

(` करोड़ में)

सॉफ्टवेयर की श्रेणियाँ	शेष उपयोगी जीवनकाल				कुल
	4 से 5 वर्ष	2 से 4 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 वर्ष से कम	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	11.39	33.89	21.16	18.44	84.88

टिप्पणी – 7

निवेश

(` करोड़ में)

		31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
(i) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा-जोखा					
क. इक्विटी शेयर – अनउद्धृत - लागत पर					
- ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	9512.25		9202.54	
घटाएँ: क्षरण प्रावधान		174.00	9,338.25	174.00	9,028.54
- सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		0.00		0.00
- इंडोइल नीदरलैंड बी.वी.	संयुक्त उद्यम	30.86		21.26	
घटाएँ: क्षरण प्रावधान		4.92	25.94	-	21.26
- वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		0.00		0.00
- तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		2,398.78		2,448.04
- वांकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		2,843.64		3,273.14
- दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		218.13		185.26
- असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		96.39		244.98
- इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	453.13		443.78	
जोड़ें: मानित निवेश		14.00	467.13	8.34	452.12
- एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		101.27		102.72
- पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		36.53		31.82
- नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		69.22		49.15
- असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड (पूर्व में असम बायो रिफाइनरी (पी) लिमिटेड)	संयुक्त उद्यम	111.63		250.60	
जोड़ें: मानित निवेश		118.85	230.48	85.37	335.97
- ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	सहयोगी कंपनी	603.66		600.28	
जोड़ें: मानित निवेश		4.99	608.65	4.99	605.27
- एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस	संयुक्त उद्यम		0.41		0.39
ख. अधिमानी शेयर – अनउद्धृत - लागत पर					
10% संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर - ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	संयुक्त उद्यम		3,801.86		3,139.07
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा-जोखा		**(i)**	**20,236.68**		**19,917.73**

		31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
(ii) अन्य निवेश					
क. इक्विटी शेयर - उचित मूल्य पर निर्दिष्ट अन्य व्यापक आय के माध्यम से					
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड - प्रारंभिक लागत पर		2670.75		2670.75	
जोड़ें: संचयी उचित मूल्य लाभ		6630.74	9,301.49	9547.92	12,218.67
ख. कर मुक्त बांड					
1) उद्धृत - परिशोधित लागत पर					
क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड			7.19		7.19
ख) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड			60.40		60.40
ग) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड			534.35		534.35
घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड			19.99		19.99
ङ) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड			300.00		300.00
2) उद्धृत नहीं - परिशोधित लागत पर					
क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड			100.00		100.00
ख) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड			60.00		60.00
ग. डिबेंचर में निवेश - परिशोधित लागत पर					
- द ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड, 5% गैर रिडीमेबल डिबेंचर स्टॉक 1957 (केवल ₹ 1/- के नाममात्र मूल्य पर)			0.00		0.00
- असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (28,00,000 संख्याएँ ₹ 10/- के नाममात्र मूल्य पर) (प्रत्येक)			335.99		259.94
घ. एनआरएल विचार निधि			13.23		12.94
अन्य निवेश	**(ii)**		**10,732.64**		**13,573.48**
कुल निवेश	**(i) + (ii)**		**30,969.32**		**33,491.21**

7.1 उद्धृत न किए गए निवेशों का कुल वहन मूल्य ₹ 20,745.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 20,350.61 करोड़) है।

7.2 उद्धृत निवेशों की कुल राशि ₹ 10,223.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,140.60 करोड़) है।

7.3 उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य ₹ 10,366.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 13,329.69 करोड़) है।

7.4 निवेश के मूल्य में कुल हानि ₹ 178.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 174.00 करोड़) है।

7.5 इक्विटी निवेशों का विवरण निम्नानुसार है: -

कंपनी का नाम	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या (पूर्णत: चुकता)	प्रति शेयर अंकित मूल्य	शेयरों की संख्या (पूर्णत: चुकता)	प्रति शेयर अंकित मूल्य
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	5120	कोई सममूल्य नहीं	5120	कोई सममूल्य नहीं
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	303250000	` 10	303250000	` 10
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	461120000	` 10	444720000	` 10
एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	96000000	` 10	96000000	` 10
पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	43721600	` 10	35596600	` 10
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	68600000	` 10	49000000	` 10
असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड	138467078	` 10	138467078	` 10
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल)	283534000	` 10	283534000	` 10
डीएनपी लिमिटेड	101550000	` 10	81950000	` 10
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	728385744	` 10	728385744	` 10

कंपनी का नाम	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या (पूर्णत: चुकता)	प्रति शेयर अंकित मूल्य	शेयरों की संख्या (पूर्णत: चुकता)	प्रति शेयर अंकित मूल्य
सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	2500000	नायरा 1	2500000	नायरा 1
इंडोइल नीदरलैंड्स बी.वी.	94658	यूरो 454	94658	यूरो 454
वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	20000	यूरो 1	20000	यूरो 1
तास इंडिया पीटीई लिमिटेड	407941731	कोई सममूल्य नहीं	407941731	कोई सममूल्य नहीं
वैंकोर इंडिया पीटीई लिमिटेड	568968589	कोई सममूल्य नहीं	568968589	कोई सममूल्य नहीं
एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस	1	रूबल 1 मिलियन	1	रूबल 1 मिलियन

7.6 समूह के पास 31 मार्च, 2025 तक ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड में बिना सममूल्य मूल्य के 22,708 (31 मार्च, 2024 तक 19,116) पूर्णतः भुगतान किए गए 10% संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर हैं।

ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल) में ऑयल इंडिया के 5120 साधारण इक्विटी शेयर और 19,116 अधिमानी शेयर बीआरईएमएल द्वारा की गई परियोजना वित्त व्यवस्था के तहत एरिया 1 साझा सुरक्षा संरक्षक (स्टैंडर्ड बैंक, एस.ए.) की अभिरक्षा में प्रदान किए गए हैं।

7.7 समूह की संयुक्त उद्यम कंपनी वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, साइप्रस में 50% हिस्सेदारी है (अन्य 50% हिस्सेदारी पेट्रोनेफ्ट रिसोर्सेज पीएलसी, आयरलैंड के स्वामित्व में है) जिसके पास स्टिमुल-टी एलएलसी में 100% वोटिंग इक्विटी है। स्टिमुल-टी एलएलसी एक रूसी पंजीकृत कानूनी इकाई है जो रूसी संघ के टॉम्स्क क्षेत्र में लाइसेंस 61 का स्वामित्व और संचालन करती है। स्टिमुल-टी एलएलसी ने 10 मई, 2023 को टॉम्स्क, रूस के मध्यस्थता न्यायालय में दिवालियापन के लिए आवेदन दायर किया। दिवालियापन के लिए आवेदन मध्यस्थता न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और 8 नवंबर, 2023 के अपने फैसले में एक अस्थायी प्रबंधक (दिवालियापन ट्रस्टी) नियुक्त किया है और दिवालियापन के पर्यवेक्षण चरण की शुरूआत की है जो वर्तमान में प्रगति पर है।

7.8 समूह को मूल कंपनी के संयुक्त उद्यम, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान राइट शेयरों के रूप में ₹10 अंकित मूल्य के 8200000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता आवंटित किए गए हैं।

7.9 समूह को मूल कंपनी के संयुक्त उद्यम, नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान राइट शेयरों के रूप में ₹10 अंकित मूल्य के 19600000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता आवंटित किए गए हैं।

7.10 समूह को मूल कंपनी के संयुक्त उद्यम, डीएनपी लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान राइट शेयरों के रूप में ₹10 अंकित मूल्य के 9200000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता आवंटित किए गए हैं।

7.11 समूह को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल कंपनी के संयुक्त उद्यम, पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्णतः प्रदत्त ₹10 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 8125000 इक्विटी शेयर राइट शेयर के रूप में आवंटित किए गए हैं।

7.12 कर मुक्त बॉण्ड का विवरण निम्नानुसार है :-

कंपनी का नाम	प्रति यूनिट अंकित मूल्य	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	परिपक्वता की तारीख
		यूनिटों की संख्या		
उद्धृत :				
क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	71876	71876	17-10-2035
ख) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	604000	604000	21-12-2030
ग) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	1000000	1000000	19-12-2027
घ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	2000000	2000000	24-09-2028

कंपनी का नाम	प्रति यूनिट अंकित मूल्य	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	परिपक्वता की तारीख
		यूनिटों की संख्या		
ङ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000	3343512	3343512	05-11-2035
च) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड	1000	199864	199864	05-10-2035
छ) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000000	2000	2000	21-11-2027
ज) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000000	3000	3000	15-11-2032
अनुद्धृत :				
क) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000000	1000	1000	29-11-2027
ख) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1000000	600	600	06-12-2027

7.13 संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में महत्वपूर्ण निवेशों की सूची:

कंपनी का नाम	निगमन का देश	संबंध	स्वामित्व अधिकार	
			31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	मॉरीशस	संयुक्त उद्यम	40%	40%
सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	नाइजीरिया	संयुक्त उद्यम	25%	25%
डीएनपी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	49%	49%
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	भारत	सहयोगी कंपनी	20%	20%
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	48.80%	48.80%
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	40%	40%
एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	50%	50%
पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	26%	26%
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	49%	49%

7.14 मानित निवेश संबंधित कंपनी को प्रदान की गई वित्तीय गारंटी के उचित मूल्य को निरूपित करता है।

7.15 निवेश के मूल्यांकन की विधि समेकित वित्तीय विवरणों के 1.16.1 में दी गई है।

टिप्पणी – 8

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : व्यापार प्राप्य

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
(क) अच्छा माना गया – अप्रतिभूत	0.05	17.71
	0.05	**17.71**

8.1(क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य काल प्रभावन अनुसूची नीचे दी गई है:

(` करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**0.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.05**

8.1(ख) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य काल प्रभावन की अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है:

(` करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	-	17.71	-	-	-	-	-	17.71
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**17.71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.71**

टिप्पणी – 9

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : ऋण

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिशोधित लागत पर				
अच्छे माने गए – प्रतिभूत				
कर्मचारियों को ऋण		312.87		267.56
अच्छे माने गए – अप्रतिभूत				
कर्मचारियों को ऋण		0.04		0.58
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि - अप्रतिभूत				
संबंधित पक्षकारों को ऋण				
सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	266.39		266.39	
घटाएँ: संयुक्त उद्यम की हानि के संबंध में देयता	266.39	-	266.39	-
वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	456.02		441.96	
घटाएँ: संयुक्त उद्यम की हानि के संबंध में देयता	456.02	-	441.96	-
असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड		508.19		347.30
ऋण क्षरण				
सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को ऋण	86.99		77.48	
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश	86.99	-	77.48	-
वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को ऋण	367.03		357.16	
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश	367.03	-	357.16	-
		821.10		**615.44**

9.1 समूह के पूर्णकालिक निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों से देय ऋण निम्नानुसार हैं: (` करोड़ में)

विवरण	बकाया ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम राशि*		कुल ऋण का प्रतिशत और ऋण की प्रकृति में अग्रिम	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
निदेशक	1.77	0.69	0.09%	0.04%
अन्य अधिकारी (केएमपी)	0.08	0.09	0.00%	0.01%
संबंधित पक्षकार				
-सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड **	353.38	343.87	17.69%	19.56%
-वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड**	823.05	799.12	41.20%	45.45%
-असम बायो इथेनॉल (प्रा.) लिमिटेड	508.19	347.30	25.44%	19.75%
कुल	**1686.47**	**1491.07**	**84.43%**	**84.80%**

(*) निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋणों में मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण शामिल नहीं हैं।
(**) 100% प्रावधान किया गया है।

9.2 संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋणों में शामिल हैं:

(i) मैसर्स सुनतेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड*:

विवरण	निम्नलिखित तिथि को शेष			
	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	यूएस (मिलियन)	(₹ करोड़ में)	यूएस (मिलियन)	(₹ करोड़ में)
31 जनवरी, 2026 को परिपक्व होने वाले ऋणों पर ब्याज 8.75% है	21.11	182.14	21.11	177.24
प्रोद्भूत ब्याज और पुनर्मूल्यांकन	19.85	171.24	19.85	166.63
कुल	**40.96**	**353.38**	**40.96**	**343.87**

(*) मैसर्स सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को प्रदान किया गया ऋण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज आय का उपार्जन रोक दिया गया है।

(ii) मैसर्स वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड :

विवरण	निम्नलिखित तिथि को शेष			
	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	यूएस (मिलियन)	(₹ करोड़ में)	यूएस (मिलियन)	(₹ करोड़ में)
31 दिसंबर, 2025 को परिपक्व होने वाले ऋणों पर ब्याज दर 3 माह लायबोर प्लस 5.65 प्रतिशत है(*)	45.00	388.22	45.00	377.78
7 अप्रैल, 2021 को परिपक्व होने वाले ऋणों पर ब्याज दर 3 माह लायबोर प्लस 8.65 प्रतिशत है (*) (**)	10.00	86.27	10.00	83.95
7 अप्रैल, 2021 को परिपक्व होने वाले ऋणों पर ब्याज दर 3 माह लायबोर प्लस 8.65 प्रतिशत है (*) (*#) (**)	3.20	27.61	3.20	26.86
1 जुलाई, 2029 को परिपक्व होने वाले ऋणों पर साधारण ब्याज 7.12 प्रतिशत है (##)	0.22	1.85	-	-
प्रोद्भूत ब्याज और पुनर्मूल्यांकन	37.00	319.10	36.99	310.53
कुल	**95.42**	**823.05**	**95.19**	**799.12**

*मूल कंपनी ने 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण राशि बढ़ाने के लिए मैसर्स वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ तीन ब्याज युक्त सुविधा करार किए थे। 31.03.2025 तक, करारों के तहत निकाली गई कुल राशि 58.20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 502.10 करोड़) है। 30 जून 2024 से तीन महीने की लायबोर दरों का प्रकाशन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और "पुरानी संविदाओं" के लिए संक्रमण को आसान बनाने के लिए, तीन महीने की लायबोर के सिंथेटिक संस्करण 30 सितंबर, 2025 तक उपलब्ध हैं। कंपनी ने अभी तक मैसर्स वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को प्रदान किए गए ऋणों के लिए उपयोग की जाने वाली वैकल्पिक ब्याज दरों को अंतिम रूप नहीं दिया है। चूंकि मैसर्स वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को प्रदान किया गया ऋण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए चालू वित्त वर्ष के दौरान ब्याज आय का उपार्जन रोक दिया गया है।

(*#) 31.12.2017 तक 1.20 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान न करने के कारण 3.20 मिलियन अमरीकी डॉलर पर ब्याज को 01.01.2018 से 3 महीने के लायबोर प्लस 13.65% के रूप में संशोधित किया गया।

(**) 8 अप्रैल, 2021 को समाप्त हुए ऋणों के लिए मैसर्स वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ कोई नवीनीकरण करार नहीं किया गया है।

(##) मूल कंपनी ने इच कानूनों का अनुपालन करने हेतु कार्यालय और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने हेतु 7.12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 1.2 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि का ऋण देने हेतु 2 जुलाई 2024 को मैसर्स वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ एक ऋण करार किया था। 31.03.2025 तक, करार के तहत निकाली गई कुल राशि 0.22 मिलियन अमरीकी डॉलर (₹1.85 करोड़) है। 31.03.2025 तक उक्त ऋण पर विनिमय पुनर्मूल्यांकन सहित संचित ब्याज ₹0.07 करोड़ है, जो ₹319.10 करोड़ के कुल संचित ब्याज और विनिमय पुनर्मूल्यांकन में शामिल है।

9.3 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश का विवरण निम्नानुसार है: -

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	1142.99	1126.52
जोड़ें / (घटाएँ): संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश	33.44	16.47
घटाएँ : बट्टे खाते डाले गए	-	-
अंत शेष	**1176.43**	**1142.99**

टिप्पणी – 10

गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : अन्य

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए		
प्रतिभूति जमा	12.75	5.50
स्थल प्रत्यावर्तन निधि के तहत जमा	7.24	6.76
आस्थगित कर्मचारी हितलाभ व्यय	159.97	135.35
इक्विटी/अधिमानी शेयरों के अधिग्रहण के इमित्त अग्रिम	0.05	-
अन्य प्राप्य	6.00	9.00
	186.01	**156.61**

10.1 आवंटन लंबित इक्विटी/अधिमानी शेयरों के अधिग्रहण के निमित्त अग्रिम:

(` करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड (संयुक्त उद्यम)	0.05	-
कुल	**0.05**	**-**

10.2 21 फरवरी 2025 को "एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना की गई, जिसमें कंपनी की 49% और असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 51% इक्विटी भागीदारी है। कंपनी का गठन नवीकरणीय/हरित ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाने, विकास करने, निर्माण करने, स्वामित्व रखने और संचालन करने के लिए किया गया है। ₹ 4.90 लाख का प्रारंभिक पूंजी योगदान इक्विटी के विरुद्ध अग्रिम के रूप में प्रकट किया गया है, जिसके विरुद्ध 17.04.2025 को कंपनी को 49,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे।

10.3 गैर-वर्तमान अन्य प्राप्य राशि ₹ 6.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.00 करोड़) ऑयल इंडिया सामाजिक सुरक्षा योजना निधि से सीड पूंजी की वापसी के लिए प्राप्य राशि को दर्शाती है।

10.4 स्थल प्रत्यावर्तन निधि के अंतर्गत जमा राशि, अनिगमित संयुक्त उद्यम ब्लॉकों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33एबीए के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक में जमा राशि में मूल कंपनी के हिस्से को दर्शाती है। यह राशि केवल योजना में निर्दिष्ट उद्देश्यों अर्थात, परित्याग योजना के अनुसार केंद्र सरकार के साथ सहमत तरीके से उपकरणों और प्रतिष्ठानों को हटाने के लिए ही निकाली जा सकती है। इस राशि को प्रतिबंधित नकदी माना जाता है और इसलिए इसे नकदी और नकदी समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है।

टिप्पणी – 11

अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए		
पूंजीगत अग्रिम	551.59	572.29
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अग्रिम - अन्य	26.97	-
पूर्वदत्त व्यय	4.88	13.17
	583.44	**585.46**

11.1 अग्रिम-अन्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी, 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रीन क्रेडिट सृजन के उद्देश्य से वृक्षारोपण करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को भुगतान की गई राशि को दर्शाता है।

टिप्पणी – 12

मालसूची

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
कच्चा माल		323.79		428.58
प्रगतिधीन कार्य		460.64		477.35
तैयार माल				
कच्चा तेल	166.36		154.97	
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	1.00		0.99	
कन्डेन्सेट पदार्थ	0.24		0.26	
पेट्रोलियम उत्पाद	2116.48	2284.08	1825.61	1981.83
भंडार और पुर्जे	2240.67		1826.42	
घटाएँ: धीमी/अचल माल के लिए भत्ते	378.76	1861.91	340.69	1485.73
परिवहन में भंडार और पुर्जे		113.67		112.23
		5044.09		**4485.72**

12.1 सतत प्रचालन के संबंध में वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त ईंधन सहित भंडार और पुर्जों की लागत ₹ 719.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 598.54 करोड़) थी, जैसा कि टिप्पण संख्या 45 में दर्शाया गया है।

12.2 ₹10.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.07 करोड़) की राशि के कच्चे तेल (भारी कच्चे तेल) की सूची का मूल्यांकन ₹ 9.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.44 करोड़) के निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप टिप्पण 41 के तहत लाभ और हानि खाते के विवरण में ₹ 0.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.63 करोड़) की सूची को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

12.3 समूह की लेखा नीति के अनुसार, हस्तांतरित नहीं किए गए भंडार और पुर्जों (आवक और जावक दोनों) के लिए प्रावधान मद की लागत के 95% की दर से किया जा रहा है। भंडार और पुर्जों के लिए प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

(` करोड़ में)

विवरण	अप्रचलन/कमी सहित धीमी/अवरुद्ध मालसूची	
	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
आरंभिक शेष	340.69	296.04
जोड़ें: परिवर्धन	38.07	44.65
घटाएँ: विपर्यय	-	-
अंतिम शेष	378.76	340.69

12.4 समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1.14.0 में इन्वेंटरी के मूल्यांकन का तरीका दिया गया है।

टिप्पणी – 13

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : निवेश

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर		
अनुद्धृत:		
छुट्टी नकदीकरण निधि		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास	102.99	86.58
ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास	130.03	197.72
म्यूचुअल फंड		
i) नकदी निधि संवृद्धि के अधीन एसबीआई म्यूचुअल फंड की यूनिटें	250.53	606.72
ii) नकदी निधि संवृद्धि के अधीन बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.16	67.42
iii) नकदी निधि संवृद्धि के अधीन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.19	-
	643.90	**958.44**

13.1 म्यूचुअल फंड का विवरण निम्नानुसार है: -

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
	एनएवी (₹)	यूनिटों की सं.	एनएवी (₹)	यूनिटों की सं.
अनुछूत:				
क) नकदी निधि संवृद्धि के अंतर्गत एसबीआई म्यूचुअल फंड	4055.95	6,17,703.42	3779.28	1605384.51
ख) नकदी निधि संवृद्धि के अंतर्गत बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड	2990.69	2,68,031.74	2784.78	242095.64
ग) नकदी निधि संवृद्धि के अंतर्गत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड	383.90	20,88,777.72	-	-

13.2 निवेश के मूल्यांकन का तरीका समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 1.16.1 में दिया गया है।

टिप्पणी – 14

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : व्यापार प्राप्य

(` करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिशोधित लागत पर				
(क) अच्छे माने गए – अप्रतिभूत		3281.69		3333.13
(ख) क्रेडिट क्षीण	62.96		54.42	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए गुंजाइश	62.96	-	54.42	-
		3281.69		**3333.13**

14.1.(क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य काल प्रभावन की अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	-	2,347.60	561.38	295.12	31.88	45.71	-	3,281.69
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	0.08	-	11.02	11.10
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	3.52	3.67	6.46	7.31	30.90	51.86
कुल	**-**	**2,347.60**	**564.90**	**298.79**	**38.42**	**53.02**	**41.92**	**3,344.65**
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्यों के लिए गुंजाइश								62.96
कुल								**3,281.69**

14.1.(ख) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य काल निर्धारिण अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छे माने गए	23.81	2,642.07	531.52	62.73	41.54	31.46	-	3,333.13
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	-	-	-	-	7.97	7.97
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षीण	-	-	3.31	3.79	7.31	7.19	24.85	46.45
कुल	**-**	**2,642.07**	**534.83**	**66.52**	**48.85**	**38.65**	**32.82**	**3,387.55**
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्यों के लिए गुंजाइश								54.42
कुल								**3,333.13**

14.2 व्यापारिक प्राप्यों में मुख्यतः सरकार से संबंधित संस्थाएं शामिल होती हैं। इन सरकारी संस्थाओं में अपने दायित्वों को पूरा करने की अत्यंत प्रबल क्षमता होती है। कंपनी अपने ग्राहकों को भुगतान के लिए 15-30 दिनों की ऋण अवधि प्रदान करती है। सामान्यतः, ग्राहक नियत तिथियों पर या उससे पहले भुगतान कर देते हैं। प्रबंधन को इन ग्राहकों से पहले से प्रदान की गई राशि के अलावा किसी अन्य भुगतान चूक की आशंका नहीं है। इसलिए, मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार, प्रबंधन व्यापारिक प्राप्य की प्रारंभिक पहचान के समय से लेकर रिपोर्टिंग तिथि तक ऋण जोखिम में वृद्धि को महत्वपूर्ण नहीं मानता है।

14.3 इंड एएस 109 के अनुसार, समूह ने प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि गुंजाइश की गणना करके एक व्यावहारिक उपाय अपनाया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव को ध्यान में रखता है और भविष्य-उन्मुख जानकारी के लिए समायोजित किया जाता है।

14.4 संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए गुंजाइश का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	54.42	48.40
जोड़ें/(घटाएँ): संदिग्ध प्राप्यों के लिए गुंजाइश	10.40	4.81
घटाएँ: बट्टे खाते में डालना/विपर्यय	1.86	(1.21)
अंतिम शेष	62.96	54.42

14.5 संबंधित पक्षकारों से बकाया राशि के विवरण के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 56 का संदर्भ लें।

14.6 व्यापार प्राप्यों पर लगाए गए प्रभार के विवरण के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी का संदर्भ लें।

टिप्पणी – 15

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
बैंकों में जमा		
चालू खाते	34.69	67.98
सावधि जमा (3 महीने या उससे कम मूल परिपक्वता अवधि)	563.15	229.34
नकद ऋण खाते*	14.84	18.53
रोकड़ शेष	0.50	0.14
	613.18	**315.99**

15.1 (*) समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60.5 देखें।

टिप्पणी – 16

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
अप्रदत्त लाभांश बैंक खाता	11.61	42.97
प्रत्यावर्तन प्रतिबंधों सहित बैंक शेष	-	0.61
ओवरड्राफ्ट सुविधा (ग्रहणाधिकार में) के निमित्त प्रतिभूति हेतु बैंक में रखे गए शेष	5.13	9.96
एस्क्रो खाता	17.20	17.20
सहायक कंपनियों के निर्धारित शेष	22.01	29.41
सावधि जमा (3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की मूल परिपक्वता)	6528.04	5521.17
	6583.99	**5621.32**

16.1 यदि लाभांश की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसका भुगतान या दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी को लाभांश की कुल राशि, जो भुगतान न की गई हो या जिस पर दावा न किया गया हो, को कंपनी द्वारा अनुसूचित बैंक में खोले गए एक विशेष खाते में "अदत्त लाभांश खाता" के रूप में अंतरित करना होगा। कंपनी के पास पड़े अदत्त लाभांश को, उसकी घोषणा के सात वर्ष की अवधि के बाद, केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना होगा।

16.2 31 मार्च, 2024 को प्रत्यावर्तन प्रतिबंधों सहित बैंक शेष, F.CFA 44,302,163 (INR समतुल्य ₹0.61 करोड़) की राशि को दर्शाता है, जिसे सिटी बैंक, गैबॉन और ओराबैंक गैबॉन द्वारा ब्लॉक शक्ति गैबॉन परियोजना के बैंक खाते में एक कानूनी मामले में गैबॉन अदालत के निर्देश के परिणामस्वरूप फ्रीज कर दिया गया है।

16.3 ओवरड्राफ्ट के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बैंक के पास रखी गई शेष राशि, गैबॉन में ब्लॉक शक्ति के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा खोलने हेतु ओरा बैंक, गैबॉन में जमा की गई राशि को दर्शाती है।

16.4 एस्क्रो खाते में जमा राशि, खारसांग फील्ड के लिए भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में जमा की गई राशि को दर्शाती है, जो उत्पादन साझाकरण अनुबंध (PSC) के अनुसार भारत सरकार को देय ब्याज सहित पेट्रोलियम के लाभ के हिस्से की गणना के संबंध में विवाद से संबंधित है।

16.5 सहायक कंपनियों के निर्धारित शेष में भारत-बांग्ला मैत्री पाइपलाइन के बांग्लादेशी हिस्से के निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय से प्राप्त ₹20.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹27.84 करोड़) की राशि शामिल है। एनआरएल इस परियोजना का कार्यान्वयनकर्ता है।

टिप्पणी – 17

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिशोधित लागत पर				
अच्छे माने गए-प्रतिभूत				
कर्मचारियों को ऋण		58.66		50.62
अच्छे माने गए-अप्रतिभूत				
कर्मचारियों को ऋण		8.17		7.74
क्रेडिट क्षीण				
अंतर कॉरपोरेट जमा	15.00		15.00	
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश	15.00	-	15.00	-
		66.83		**58.36**

17.1 समूह के पूर्णकालिक निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों से देय ऋण निम्नानुसार हैं: (₹ करोड़ में)

विवरण	बकाया ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम राशि*		कुल ऋण का प्रतिशत और ऋण की प्रकृति में अग्रिम	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
निदेशकगण	0.11	0.33	0.13%	0.45%
अन्य अधिकारी (केएमपी)	0.01	0.01	0.01%	0.01%
कुल	**0.12**	**0.34**	**0.14%**	**0.46%**

(*) निदेशकों और केएमपी को दिए गए ऋणों में मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण शामिल नहीं हैं।

17.2 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश का विवरण निम्नानुसार है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	15.00	28.33
जोड़ें / (घटाएँ): संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश	-	-
घटाएँ : बट्टे खाते डाले गए /विपर्यय	-	13.33
अंत शेष	15.00	15.00

टिप्पणी – 18

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां : अन्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
परिशोधित लागत पर				
अच्छे माने गए-प्रतिभूत				
संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद मांग प्राप्य		172.32		118.25
वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रोद्भूत ब्याज		84.68		41.62
बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त प्राप्य दावा		0.84		0.02
आस्थगित कर्मचारी हितलाभ व्यय		22.02		19.81
कर्मचारियों को अग्रिम		11.15		10.55
अग्रिम-अन्य		200.37		44.11
प्रतिभूति जमा		12.98		13.52
अन्य प्राप्य		503.43		80.91
क्रेडिट क्षीण				
संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद मांग प्राप्य	394.97		394.76	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए गुंजाइश	394.97	-	394.76	-
बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त प्राप्य दावा	0.62		0.91	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए गुंजाइश	0.62	-	0.91	-
अग्रिम-अन्य	0.24		0.55	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए गुंजाइश	0.24	-	0.55	-
अन्य प्राप्य	24.61		22.79	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य के लिए गुंजाइश	24.61		22.79	
		1007.79		**328.79**

18.1 अन्य प्राप्य में निम्नलिखित से प्राप्तियां शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
अच्छे माने गए-अप्रतिभूत		
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	114.38	12.87
पेट्रोबांग्ला	285.55	-
ओआईएसएसएफ ट्रस्ट से प्राप्य	3.00	3.00
राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	-	1.00
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	1.24	1.56
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	0.16	0.16
अन्य प्राप्य- मैसर्स ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	40.90	44.20
इंड ऑयल नीदरलैंड (ऑयल इंडिया स्वीडन एबी)	0.81	0.37
वैंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.75	0.72
तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.93	0.90
एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	2.42	0.90
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	0.97	1.23

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	0.37	0.54
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.65	0.88
एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	2.53	-
अन्य विविध सेवाओं के निमित्त	48.77	12.58
कुल अप्रतिभूत, अच्छे माने गए (क)	**503.43**	**80.91**
क्रेडिट क्षीण		
इंड ऑयल नीदरलैंड, जनशक्ति सेकंडमेंट के लिए	20.18	19.67
सुनटेरा नाइजीरिया लिमिटेड, जनशक्ति सेकंडमेंट के लिए	2.00	1.94
राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	1.00	-
अन्य विविध सेवाओं के निमित्त	1.43	1.18
कुल अप्रतिभूत, अच्छे माने गए (ख)	**24.61**	**22.79**
कुल (क+ख)	**528.04**	**103.70**

18.2 मूल कंपनी और ओवीएल के कंसोर्टियम के पास बांग्लादेश में दो विदेशी अन्वेषण ब्लॉकों, एसएस-04 और एसएस-09 में 45-45% पीआई हिस्सेदारी है, जबकि बीएपीईएक्स (नेशनल ऑयल कंपनी) के पास शेष 10% पीआई हिस्सेदारी है, जिसकी प्रारंभिक अन्वेषण चरण (आईईपी) वैधता 16.02.2025 तक है। कंपनी ने नियामक पेट्रोबांग्ला के पक्ष में दोनों ब्लॉकों के लिए ₹ 285.55 करोड़ (USD 33.10 मिलियन) की बैंक गारंटी जारी की थी। चूंकि दोनों ब्लॉकों की वैधता 16.02.2025 तक थी, इसलिए ऑपरेटर ने 21.11.2024 के पत्र के माध्यम से पेट्रोबांग्ला से दोनों ब्लॉकों की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया। तथापि, ब्लॉकों की समाप्ति में कम समय बचा होने के कारण, पेट्रोबांग्ला ने 12.02.2025 को बैंक गारंटी आमंत्रण पत्र जारी किया और विस्तार के संबंध में ईएमआरडी से पुष्टि होने तक दोनों बैंक गारंटी लागू कर दी गईं।

तदुपरांत, ईएमआरडी, मंत्रालय ने दिनांक 19.02.2025 के पत्र के माध्यम से ब्लॉक एसएस-04 और एसएस-09 की प्रारंभिक अन्वेषण अवधि (आईईपी) को 17.02.2025 से बढ़ाकर 16.02.2027 कर दिया। इसके अतिरिक्त, पेट्रोबांग्ला ने उसी राशि के लिए एक नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त पर, आहानित राशि वापस करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

तदनुसार, आहानित बैंक गारंटी प्राप्य है और इसे 31.03.2025 तक "अन्य प्राप्य" के रूप में दर्शाया गया है।

18.3 संदिग्ध प्राप्य के लिए गुंजाइश का विवरण निम्नानुसार है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद मांग प्राप्य		बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त प्राप्य दावा		अग्रिम-अन्य		अन्य प्राप्य	
	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	394.76	394.13	0.91	0.91	0.55	0.55	22.79	22.47
जोड़ें / (घटाएँ): संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश	0.21	0.63	(0.29)	-	(0.31)	-	1.82	0.32
घटाएँ : बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-	-	-	-	-
अंत शेष	394.97	394.76	0.62	0.91	0.24	0.55	24.61	22.79

टिप्पणी – 19

वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रदत्त आयकर (अपील के तहत मांग कर सहित)	4400.90	7071.35
घटाएं: कराधान के लिए प्रावधान	3466.20	6120.75
	934.70	**950.60**

19.1 भुगतान किए गए आयकर में विवादित जमा राशि ₹ 311.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 179.98 करोड़) शामिल है।

टिप्पणी – 20

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम				
अच्छे माने गए – अप्रतिभूत				
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		65.90		57.74
सांविधिक जमा और अग्रिम		375.59		480.57
पूर्वदत्त व्यय		90.64		147.38
क्रेडिट क्षीण				
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	8.46		42.73	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए गुंजाइश	8.46	-	42.73	-
सांविधिक जमा और अग्रिम	641.62		622.85	
घटाएँ: संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए गुंजाइश	641.62	-	622.85	-
सोने के सिक्के		-		0.25
		532.13		**685.94**

20.1 संदिग्ध प्राप्य राशियों के लिए गुंजाइश का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		सांविधिक जमा और अग्रिम	
	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
प्रारंभिक शेष	42.73	8.09	622.85	611.86
जोड़ें / (घटाएँ): संदिग्ध ऋणों के लिए गुंजाइश	(34.27)	34.64	18.77	10.99
घटाएँ : बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-
अंत शेष	8.46	42.73	641.62	622.85

20.2 समूह के पास 133 सोने के सिक्के हैं, जिनमें 5 ग्राम के 100 सिक्के, 10 ग्राम के 32 सिक्के और 20 ग्राम का 1 सिक्का शामिल है।

टिप्पणी – 21

बिक्री हेतु धारित परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्तियाँ	0.99	0.99
घटाएं : बिक्री हेतु धारित परिसंपत्तियों के निमित्त प्रावधान	0.27	0.27
	0.72	**0.72**

21.1 अनुषंगी कंपनी मैसर्स एनआरएल द्वारा बिक्री हेतु धारित गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में संयंत्र एवं मशीनरी, भवन, भूमि, बाउंड्री वॉल आदि जैसी वस्तुएँ शामिल हैं, जिन्हें निपटान हेतु चिन्हित किया गया है। उपरोक्त परिसंपत्तियों में वह भूमि भी शामिल है जो पिछले कुछ वर्षों से निपटान हेतु रखी गई थी, लेकिन प्रबंधन के नियंत्रण से परे कुछ प्रक्रियात्मक कारणों से, वास्तविक बिक्री निश्चित नहीं हो सकी।

टिप्पणी – 22

इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
अधिकृत :		
₹10/- प्रत्येक के 200,00,00,000 (मार्च 31, 2024 : 200,00,00,000) इक्विटी शेयर	**2000.00**	**2000.00**
निर्गत, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः चुकता :		
₹10/- प्रत्येक के पूर्णतः चुकता 162,66,07,791 (मार्च 31, 2024: 1,08,44,05,194) इक्विटी शेयर	**1626.61**	**1084.41**

22.1 इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार:

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य ₹10 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट और लाभांश का अधिकार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने पास मौजूद इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे।

22.2.(क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर					वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	
भारत के राष्ट्रपति	92,15,64,990	56.66%	61,43,76,660	56.66%	-
कुल	**92,15,64,990**	**56.66%**	**61,43,76,660**	**56.66%**	**-**

22.2.(ख) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर					वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार		
	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का प्रतिशत	
भारत के राष्ट्रपति	61,43,76,660	56.66%	61,43,76,660	56.66%	-
कुल	**61,43,76,660**	**56.66%**	**61,43,76,660**	**56.66%**	**-**

22.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	इक्विटी का प्रतिशत	शेयरों की सं.	इक्विटी का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	92,15,64,990	56.66%	61,43,76,660	56.66%
भारतीय जीवन बीमा निगम	10,59,05,894	6.51%	8,71,56,697	8.04%

22.4 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक बकाया शेयरों का समाधान नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
	शेयरों की सं.	शेयरों की सं.
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	1,08,44,05,194	1,08,44,05,194
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	54,22,02,597	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापसी खरीद	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	1,62,66,07,791	1,08,44,05,194

22.5 वित्त वर्ष 2024-25 में ₹10 प्रति इक्विटी शेयर के 54,22,02,597 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता बोनस शेयर के रूप में आवंटित किए गए।

टिप्पणी – 23

अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
I. आरक्षित निधि और अधिशेष				
(क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतर लेखा				
प्रारंभिक शेष	(19.01)		(258.46)	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		(52.68)	
वर्ष के दौरान समायोजित/परिशोधित	19.01	-	292.13	(19.01)
(ख) डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	531.99		531.99	
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(436.06)	95.93	-	531.99
(ग) पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	95.41		95.41	
सामान्य आरक्षित निधि से हस्तांतरित	(95.41)	-	-	95.41
(घ) सामान्य आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	25419.22		25419.22	
प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	1735.30	-	-	
बोनस निर्गम के लिए उपयोग किया गया	(447.27)	-	-	
डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित निधि से हस्तांतरित	436.06	27143.31	-	25419.22
(ङ) प्रतिधारित आय				
प्रारंभिक शेष	17323.90		12935.41	
लाभ-हानि विवरण के अनुसार शेष	6550.93		6335.09	

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
अंतरिम लाभांश	(1626.61)		(1301.29)	
पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश	(406.65)		(596.09)	
अन्य व्यापक आय से हस्तांतरित निवल परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	(16.18)		(49.22)	
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरण	(1735.30)	20090.09	-	17323.90
(च) पूँजी आरक्षित निधि				
प्रारंभिक शेष	78.99		79.00	
मैसर्स एपीएल की शेयरधारिता में परिवर्तन के कारण समायोजन	-	78.99	(0.01)	78.99
(छ) पूँजी आरक्षित निधि- सामान्य नियंत्रण		(6960.25)		(6960.25)
II. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)				
प्रारंभिक शेष	10784.33		5554.76	
एफवीटीओसीआई के रूप में नामित इक्विटी उपकरण	(2768.75)		5909.29	
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि	(322.54)		(679.72)	
अन्य मदें	(16.18)		(49.22)	
प्रतिधारित आय में हस्तांतरित निवल परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	16.18	7693.04	49.22	10784.33
		48141.11		**47254.58**

23.1 आरक्षित निधियों की प्रकृति और उद्देश्य:

(क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण अंतर लेखा: दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद रूपांतरण लेखा में संचित किया जाता है और भारतीय लेखांकन मानक 101 की डी3एए के अंतर्गत अनुमत नीति के अनुसार ऐसे दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(ख) डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित निधि: डिबेंचर आरक्षित निधि कंपनी के लाभों से बनाया जाता है, और ऐसे खाते में जमा की गई राशि का उपयोग कंपनी द्वारा बॉण्ड के मोचन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। वर्ष के दौरान, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अप्रतिभूत 5.375% नोटों के मोचन पर ₹436.06 करोड़ की राशि डिबेंचर आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित की गई है (टिप्पणी 31.1 देखें)।

(ग) पूँजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि: पूँजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि प्रतिभूति प्रीमियम/सामान्य आरक्षित निधि से बनाया जाता है, जो कंपनी द्वारा खरीदे गए पूर्णतः चुकता स्वयं के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि होती है। ऐसे खाते में जमा की गई राशि का उपयोग कंपनी के अप्रकाशित शेयरों के भुगतान में किया जा सकता है, जिन्हें कंपनी के सदस्यों को पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयरों के रूप में जारी किया जाएगा। वर्ष के दौरान, पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि का उपयोग पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयरों को जारी करने के लिए किया गया है।

(घ) सामान्य आरक्षित निधि: सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग समय-समय पर विनियोजन उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। सामान्य आरक्षित निधि कंपनी की मुक्त आरक्षित निधि है और इसका उपयोग बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की वापसी खरीद आदि जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वर्ष के दौरान, पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयरों को जारी करने के लिए ₹ 447.27 करोड़ की सामान्य आरक्षित निधि का उपयोग किया गया है।

(ङ) प्रतिधारित आय: प्रतिधारित आय में अंतरिम और अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, के भुगतान के बाद लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरित लाभ/(हानि) शामिल है। इसमें बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निवल परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है, जिसे लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(च) पूँजी आरक्षित निधि: यह वर्ष 1999-2000 में रिफाइनरी निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹100.00 करोड़ के अनुदान में स्वामित्व के हिस्से को दर्शाती है। इसमें भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुसार लेखांकित संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियों के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण हेतु भुगतान किए गए प्रतिफल से शेयरों के बही मूल्य का आधिक्य भी शामिल है।

(छ) पूंजी आरक्षित निधि - सामान्य नियंत्रण: मैसर्स एनआरएल की अतिरिक्त इक्विटी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, मैसर्स एनआरएल की आनुपातिक शेयर पूंजी और भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच के अंतर को अन्य पूंजी आरक्षित निधियों से अलग, "पूंजी आरक्षित निधि - सामान्य नियंत्रण" के रूप में मान्यता दी गई है। अधिग्रहण का मूल्यांकन सामान्य नियंत्रण के अंतर्गत व्यावसायिक संयोजन के रूप में किया गया है और इसका लेखा भारतीय लेखांकन मानक 103, व्यावसायिक संयोजन के परिशिष्ट ग के अनुपालन में अधिकार-पूलिंग पद्धति के आधार पर किया गया है।

23.2 अन्य व्यापक आय: इसमें अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी विलेखों के मापन पर उत्पन्न संचयी लाभ/हानि शामिल हैं। ऐसे इक्विटी उपकरणों की मान्यता रद्द होने पर निवल राशि प्रतिधारित आय में हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसमें विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर उत्पन्न विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि भी शामिल है।

23.3 मूल कंपनी द्वारा अपने इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित की जा सकने वाली राशि का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 14 सितंबर 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, शेयरधारकों ने प्रति इक्विटी शेयर (बोनस-पूर्व) ₹ 3.75 (37.5%) के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति इक्विटी शेयर (बोनस-पश्चात) ₹ 2.50 (25%) के अंतिम लाभांश में परिवर्तित होता है। 5 नवंबर 2024 और 7 फरवरी 2025 को, मूल कंपनी ने क्रमशः ₹ 3.00 प्रति शेयर (30%) और ₹ 7.00 प्रति शेयर (70%) के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी। अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश का भुगतान किया जा चुका है।

निदेशक मंडल ने 21 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों पर ₹ 1.50 प्रति शेयर (15%) के अंतिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है। यह अंतिम लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन होगा और इसे इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है। भुगतान किया जाने वाला कुल अनुमानित इक्विटी लाभांश ₹ 243.99 करोड़ है।

टिप्पणी – 24

गैर-नियंत्रक अधिकार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
वर्ष की शुरूआत में शेष राशि	4286.70	3371.10
वर्ष के दौरान एनसीआई द्वारा किया गया निवेश	240.30	480.61
वर्ष के लिए लाभ का हिस्सा	488.70	645.35
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा	0.86	(1.53)
भुगतान किया गया लाभांश	(78.48)	(208.83)
	4938.08	**4286.70**

टिप्पणी – 25

गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं : उधार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
प्रतिभूत ऋण		
बैंकों से सावधि ऋण	13325.70	7953.47
अप्रतिभूत ऋण		
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	9028.55	8777.59
बैंकों से विदेशी मुद्रा बाह्य वाणिज्यिक उधार	5409.41	2552.83
	27763.66	**19283.89**

25.1 बॉण्ड दर्शाते हैं :

विवरण	निम्नलिखित तिथि को शेष			
	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	यूएस डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में	यूएस डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में
5.125% नोट 04.02.2019 को जारी किए गए, जारी होने की तारीख से 10 वर्ष बाद आने वाली तारीख को देय।	550.00	4721.21	550.00	4589.00
4% नोट 21.04.2017 को जारी किए गए, जारी होने की तारीख से 10 वर्ष बाद आने वाली तारीख को देय।	500.00	4307.34	500.00	4188.59
कुल	**1050.00**	**9028.55**	**1050.00**	**8777.59**

*17.04.2014 को जारी किए गए 5.375% नोट, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर संदेय हैं, टिप्पणी 31: वर्तमान वित्तीय देयताएं: उधार में दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता के रूप में दर्शाए गए हैं।

25.2 बैंकों से प्राप्त सावधि ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं:

विवरण	निम्नलिखित तिथि को शेष	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
प्रतिभूत सावधि ऋण*	13325.70	7953.47
कुल	**13325.70**	**7953.47**

*अनुषंगी कंपनी मैसर्स एनआरएल ने अपनी रिफाइनरी क्षमता के विस्तार के लिए 30.12.21 को बारह भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम के साथ ₹ 18,904 करोड़ के लिए रुपया टर्म लोन सुविधा में प्रवेश किया है। सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर एसबीआई 6 महीने की एमसीएलआर से जुड़ी है। सावधि ऋण की चुकौती अनुसूची 44 समान त्रैमासिक किस्तों में है जो 31.12.26 से शुरू होगी। सावधि ऋण पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है। कंपनी की परिसंपत्तियों पर सुरक्षा 30.12.21 को दृष्टिबंधक के कार्य को निष्पादित करके बनाई गई है। आवश्यक चार्ज दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार, गुवाहाटी के पास दाखिल किए गए हैं।

इसके अलावा कंपनी ने सुविधा करार के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति की पूर्णता के लिए परियोजना के संयंत्र, संपत्ति और उपकरण पर पहले चार्ज के रूप में बंधक का इंडेंट भी निष्पादित किया है। बंधक अनुबंध का निर्णय/पंजीकरण 30.12.21 को किया गया है और प्रभार भी 07.01.22 को कंपनी रजिस्ट्रार, गुवाहाटी के पास पंजीकृत किया गया है।

25.3 बैंकों से बाह्य वाणिज्यिक उधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

Particulars	निम्नलिखित तिथि को शेष			
	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	यूएस डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में	यूएस डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में
भारित औसत उपयोग तिथि (09.05.2020) की तिथि से 5 वर्ष बाद 1 माह की अवधि एसओएफआर + मार्जिन 0.92% + क्रेडिट समायोजन स्प्रेड 0.11448% की ब्याज दर पर प्रतिदेय	-	-	225.00	1884.87
भारित औसत उपयोग तिथि (15.05.2021) की तिथि से 5 वर्षों के बाद 1 माह की अवधि एसओएफआर + मार्जिन 0.95% + क्रेडिट समायोजन स्प्रेड 0.11448% की ब्याज दर पर प्रतिदेय	50.00	430.25	50.00	417.83
भारित औसत उपयोग तिथि (13.05.2022) से 5 वर्ष बाद 1 माह अवधि एसओएफआर + 0.95% की ब्याज दर पर प्रतिदेय	30.00	257.63	30.00	250.13
भारित औसत उपयोग तिथि (10.05.2024) से 5 वर्ष बाद 3 माह अवधि एसओएफआर + मार्जिन 1.10% की ब्याज दर पर प्रतिदेय	550.00	4721.53	-	-
कुल	**630.00**	**5409.41**	**305.00**	**2552.83**

25.4 टिप्पणी 25.1 और टिप्पणी 25.3 में अमेरिकी डॉलर में दिए गए आंकड़े संबंधित उधारदाताओं से लिए गए उधारों को दर्शाते हैं। भारतीय रुपये में दिए गए आंकड़े रिपोर्टिंग तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित परिशोधित मूल्य को दर्शाते हैं।

25.5 मूल कंपनी ने मोजाम्बिक में रोवुमा 1 अपतटीय ब्लॉक में निवेश के लिए विदेशी मुद्रा बॉण्ड और बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में विदेशी उधारी जुटाई है। यह निवेश संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल) के माध्यम से किया गया है, जिसमें कंपनी की 40% शेयरधारिता है। मोजाम्बिक में रोवुमा एरिया 1 अपतटीय ब्लॉक में बीआरईएमएल की 10% भागीदारी हिस्सेदारी है।

टिप्पणी – 26

गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं : व्यापार संदेय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	-	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य को देय	32.47	23.78
	32.47	**23.78**

26.1.(क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	1-2 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	32.47	-	-	-	-	32.47
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**32.47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.47**

26.1.(ख) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार व्यापार देय काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	1-2 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	23.78	-	-	-	-	23.78
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**23.78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.78**

26.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय राशि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 59 देखें।

टिप्पणी – 27

गैर-वर्तमान : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय गारंटी संविदा देयताएँ	100.24	79.81
प्रतिभूति जमा	23.94	2.32
	124.18	**82.13**

टिप्पणी – 28

गैर-वर्तमान देयताएं : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		455.01		434.20
कूप परित्याग के लिए प्रावधान				
प्रारंभिक शेष	925.55		971.75	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	261.92		-	
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	(11.95)		(46.20)	
		1175.52		925.55
		1630.53		**1359.75**

28.1 कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान नीचे संलग्न परिभाषित हितलाभ योजनाओं को निरूपित करते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
छुट्टी नकदीकरण	285.88	265.62
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	157.71	153.11
कर्मचारी सम्मान योजना	3.60	3.08
पुनर्वास भत्ता	7.82	6.62
अन्य	-	5.77
अन्य	**455.01**	**434.20**

टिप्पणी – 29

गैर-वर्तमान देयताएं : आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयता	4825.18	4489.73
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	(1,657.79)	(1,289.78)
आस्थगित कर देयता (निवल)	**3167.39**	**3199.95**

29.1 समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 51.4 का संदर्भ लें।

टिप्पणी – 30

अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित आय	1533.67	1009.74
	1533.67	**1009.74**

30.1

(i) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को गैस की आपूर्ति हेतु बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु, मूल कंपनी को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से ₹215.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इसे तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी गई है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ-हानि विवरण में अंतरित कर दिया गया है। 31 मार्च, 2025 तक अशोध्य अनुदान राशि ₹4.15 करोड़ (चालू) और ₹69.68 करोड़ (गैर-चालू) है। पिछले वर्ष के आँकड़े ₹3.98 करोड़ (चालू) और ₹73.99 करोड़ (गैर-चालू) हैं।

(ii) इन अनुदानों से जुड़ी कोई भी अधूरी शर्तें या आकस्मिकताएँ नहीं हैं।

(iii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान, मूल कंपनी ने लाभ या हानि विवरण में आस्थगित आय के परिशोधन के रूप में ₹4.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.98 करोड़) की राशि को मान्यता दी है।

30.2 समूह को रिफाइनरी की विस्तार परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि (वीजीए) के रूप में अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक अपरिशोधित अनुदान राशि शून्य (चालू) ₹995.50 करोड़ (गैर-चालू) है। पिछले वर्ष के संगत आंकड़े शून्य (चालू) और ₹720.50 करोड़ (गैर-चालू) हैं।

30.3 केंद्र सरकार की ईपीसीजी योजना के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर शुल्क माफी के संबंध में अनुदान को मान्यता दी गई है। यह योजना उत्पादन-पूर्व और उत्पादन-पश्चात के लिए पुर्जों सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद शून्य शुल्क पर करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि खरीदे गए पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क का 6 गुना (पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित इकाई के लिए 1.5 गुना) निर्यात दायित्व हो। 31 मार्च, 2025 तक अशोधित अनुदान राशि ₹शून्य (चालू) और ₹468.49 करोड़ (गैर-चालू) है। पिछले वर्ष के संगत आंकड़े शून्य (चालू) और ₹215.25 करोड़ (गैर-चालू) हैं।

टिप्पणी – 31

वर्तमान वित्तीय देयताएं : उधार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
प्रतिभूत ऋण		
नकद ऋण	0.04	3.92
बैंकों से कार्यशील पूंजी मांग ऋण	108.71	153.00
अप्रतिभूत ऋण		
बैंकों से कार्यशील पूंजी मांग ऋण	-	0.29
दीर्घावधिक उधारों की वर्तमान परिपक्वता		
विदेशी मुद्रा बॉण्ड	-	4197.33
बैंकों से विदेशी मुद्रा बाह्य वाणिज्यिक उधार	1940.93	-
बैंक ओवरड्राफ्ट	2.27	1.82
	2051.95	**4356.36**

31.1 दीर्घावधिक उधार की वर्तमान परिपक्वता निम्नलिखित को दर्शाती है:

विवरण	निम्नलिखित तिथि को शेष			
	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	यूएस डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में	यूएस डॉलर (मिलियन)	₹ करोड़ में
17.04.2014 को जारी किए गए 5.375% नोट, जारी होने की तिथि से 10 वर्ष बाद आने वाली तिथि को देय हैं।	-	-	500.00	4197.33
बाह्य वाणिज्यिक उधार, भारित औसत उपयोग तिथि (09.05.2020) की तिथि से 5 वर्ष बाद 1 माह की अवधि एसओएफआर + मार्जिन 0.92% + क्रेडिट समायोजन स्प्रेड 0.11448% की ब्याज दर पर प्रतिदेय	225.00	1940.93	-	-
कुल	**225.00**	**1940.93**	**500.00**	**4197.33**

31.2 भारतीय स्टेट बैंक से कार्यशील पूंजी मांग ऋण, अनुषंगी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण को दर्शाता है, जिस पर 7.07% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है। यह ऋण अनुषंगी कंपनी की चालू परिसंपत्तियों, जैसे कच्चे माल, तैयार माल, अर्ध-तैयार माल के स्टॉक, बही ऋण और अन्य चालू परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत है और भूमि एवं भवन को छोड़कर सहायक कंपनी के संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों पर द्वितीय प्रभार है।

31.3 भारतीय स्टेट बैंक से नकद ऋण, अनुषंगी कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा ली गई सुविधा को दर्शाता है और उस पर 8.55% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है। ऋण मांग पर चुकाया जा सकता है। यह ऋण सहायक कंपनी की चालू परिसंपत्तियों, जैसे कच्चे माल, तैयार माल, अर्ध-तैयार माल के स्टॉक, बही ऋण और अन्य चालू परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत है और भूमि एवं भवन को छोड़कर अनुषंगी कंपनी के संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरणों पर द्वितीय प्रभार है।

31.4 टिप्पणी 31.1 में अमेरिकी डॉलर में दिए गए आंकड़े संबंधित उधारदाताओं से लिए गए उधारों को दर्शाते हैं और भारतीय रुपये में दिए गए आंकड़े रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित परिशोधित मूल्य को दर्शाते हैं।

31.5 बैंक ओवरड्राफ्ट, 31.03.2025 तक ओआरए बैंक-गैबॉन और सिटी बैंक-गैबॉन से प्राप्त F.CFA 160,198,753 (भारतीय रुपये के समतुल्य ₹ 2.27 करोड़) की राशि को दर्शाता है।

टिप्पणी – 32

वर्तमान वित्तीय देयताएं : व्यापार संदेय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	48.78	79.61
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य को देय	2256.73	1631.79
	2305.51	**1711.40**

32.1.(क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार व्यापार संदेय काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	14.60	29.59	-	-	-	44.19
(ii) अन्य	907.88	330.74	628.11	7.93	165.29	216.78	2256.73
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	4.59	-	-	-	4.59
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-

32.1.(ख) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार व्यापार संदेय काल प्रभावन अनुसूची का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	बिल तैयार नहीं किया गया	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	79.61	-	-	-	-	79.61
(ii) अन्य	727.99	398.57	104.09	152.12	51.11	197.91	1631.79
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-	-

32.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय राशि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 59 देखें।

32.3 संबंधित पक्षकारों को देय राशि के विवरण के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 56 देखें।

टिप्पणी – 33

वर्तमान : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
प्रोद्भूत ब्याज	171.83	217.66
अदत्त लाभांश	11.61	9.16
वित्तीय गारंटी संविदा देयताएँ	16.41	11.64
अन्य संदेय		
- पूंजीगत व्यय और अन्य देयताएँ	4120.35	3308.34
- प्रतिभूति जमा	913.19	660.95
- संयुक्त उद्यम को देय नकद मांग	68.44	50.62
- कर्मचारी हितलाभ	390.75	287.36
	5692.58	**4545.73**

33.1 7 वर्षों से अधिक अवधि से पड़े ₹0.87 करोड़ के अप्रदत्त लाभांश को 9 अप्रैल, 2025 को नियत तिथि के भीतर निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है।

टिप्पणी – 34

अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देयताएँ	751.64	900.84
ग्राहकों और अन्य लोगों से प्राप्त अग्रिम राशि	39.47	128.49
आस्थगित आय	4.15	3.98
	795.26	**1033.31**

34.1 आस्थगित आय से संबंधित प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 30.1 देखें।

टिप्पणी – 35

वर्तमान देयताएं : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान			90.67			115.82
निम्न के लिए प्रावधान -						
1. कूप परित्याग लागत						
प्रारंभिक शेष	147.03			115.14		
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	(16.16)			31.89		
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	-	130.87		-	147.03	
2. अधूरा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम						
प्रारंभिक शेष	73.09			83.21		
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	276.51			8.38		
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	-	349.60		(18.50)	73.09	
3. रॉयल्टी पर सेवा कर/जीएसटी						
प्रारंभिक शेष	3079.33			-		
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	809.32			3079.33		
वर्ष के दौरान समायोजित/ विपर्यय	-			-		
	3888.65			3079.33		
घटाएँ: आपत्ति दर्ज करते हुए जमा की गई राशि	1489.57	2399.08		1482.56	1,596.77	
4. अन्य						
प्रारंभिक शेष	139.02			153.81		
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	83.45			34.00		
वर्ष के दौरान समायोजित/विपर्यय	-	222.47	3102.02	(48.79)	139.02	1955.91
			3192.69			**2071.73**

35.1 कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान निम्नलिखित को निरूपित करते हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
छुट्टी नकदीकरण और उपदान	58.38	79.04
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	25.65	24.94
पुनर्वास भत्ता	0.42	0.32
कर्मचारी सम्मान योजना	0.04	0.04
ऑयल इंडिया पेंशन फंड के सदस्यों के लिए अनुग्रह राशि	6.18	11.48
कुल	**90.67**	**115.82**

35.2 रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी के प्रावधान में विरोधस्वरूप जमा की गई राशि पर से निवल ब्याज शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 60.7 का संदर्भ लें।

टिप्पणी – 36

वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
कराधान के लिए प्रावधान	619.35	449.15
	619.35	**449.15**

टिप्पणी – 37

प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
उत्पादों की बिक्री				
कच्चा तेल		5539.74		7299.30
प्राकृतिक गैस		4827.53		4609.09
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस		178.34		170.40
कंडेनसेट		30.45		34.13
नवीकरणीय ऊर्जा		111.74		112.30
पेट्रोलियम उत्पाद		25143.86		23730.39
सेवाओं की बिक्री				
पाइपलाइन परिवहन से आय				
कच्चा तेल	317.16		335.82	
प्राकृतिक गैस	12.11	329.27	11.97	347.79
अन्य प्रचालन राजस्व				
अन्य		2.82		0.22
		36163.75		**36303.62**

37.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत की गणना कच्चे तेल की बेंचमार्क अंतरराष्ट्रीय बास्केट की मासिक औसत कीमत पर आधारित है, जिसे गुणवत्ता अंतर के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

37.2 भारतीय लेखांकन मानक 115 - ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व के अनुप्रयोग पर, कच्चे तेल की बिक्री में ग्राहकों को वितरण बिंदु तक अपने कच्चे तेल का परिवहन शामिल है, जो जोखिम और प्रतिफल के हस्तांतरण और अभिरक्षा के हस्तांतरण के साथ मेल खाता है। पाइपलाइन परिवहन से प्राप्त आय में अपने कच्चे तेल के परिवहन के लिए ₹31.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹69.54 करोड़) शामिल हैं।

37.3 पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में लागू उत्पाद शुल्क लाभ शामिल है। चालू वर्ष के लिए वित्तीय प्रभाव ₹5636.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5042.55 करोड़) है।

37.4 प्राकृतिक गैस का विक्रय मूल्य अप्रैल 2023 में संशोधित 'नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014' के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसमें नामित क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य भारतीय क्रूड बास्केट (आईसीबी) मूल्य के 10% पर निर्धारित किया जाता है, जैसा कि पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 4 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू और अधिकतम मूल्य 6.50 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए लागू होगा। इसके बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम मूल्य में 0.25 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू की वृद्धि होगी। पूर्वोत्तर में पात्र ग्राहकों (सरकारी आवंटन तक) के लिए, उपभोक्ता मूल्य घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य का 60% है और घरेलू गैस मूल्य और उपभोक्ता मूल्य के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष के दौरान, प्राकृतिक गैस की बिक्री में प्राकृतिक गैस मूल्य की कम वसूली के लिए ₹ 795.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹784.39 करोड़) के दावे शामिल हैं।

टिप्पणी – 38

अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
निम्न पर ब्याज:				
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	730.31		514.58	
कर प्राधिकारियों से प्रतिदाय पर ब्याज	59.39	789.70	31.85	546.43
निम्न से लाभांश:				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी विलेख		509.87		582.71
अन्य:				
व्यावसायिक विकास सेवाओं से आय	14.04		13.57	
ओएफसी फाइबर लीजिंग से आय	9.28		11.82	
वित्तीय गारंटी दायित्व का परिशोधन	14.30		2.36	
आस्थगित आय का परिशोधन	4.14		3.98	
म्यूचुअल फंड से लाभ	66.86		41.27	
विविध आय	258.10	366.72	140.72	213.72
		1666.29		**1342.86**

38.1 परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय में संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋण से ₹ 0.07 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) ब्याज आय शामिल है।

38.2 म्यूचुअल फंड पर लाभ में ₹ 0.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.69 करोड़) की अप्राप्त लाभ राशि शामिल है।

टिप्पणी – 39

खपत की गई सामग्रियों की लागत

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
खपत किए गए कच्चे माल का विवरण		
कच्चा तेल	5537.53	4699.41
एमटीबीई, रिफॉर्मेट, पाईगैस, नेफ्था और ऑक्टेन बूस्टर	1367.63	1186.64
	6905.16	**5886.05**

टिप्पणी – 40

स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
व्यापार में स्टॉक की खरीद				
प्राकृतिक गैस	237.50		231.24	
नेफ्था	640.95	878.45	544.03	775.27
		878.45		**775.27**

टिप्पणी – 41

तैयार माल की मालसूची में परिवर्तन और प्रगतिधीन कार्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
प्रारंभिक स्टॉक				
कच्चा तेल	154.97		176.06	
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	0.99		0.71	
कंडेनसेट	0.26		0.20	
पेट्रोलियम उत्पाद	1825.61		2591.28	
पेट्रोलियम उत्पाद- प्रगतिधीन कार्य	477.35	2459.18	443.75	3212.00
अंतिम स्टॉक				
कच्चा तेल	166.36		154.97	
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	1.00		0.99	
कंडेनसेट	0.24		0.26	
पेट्रोलियम उत्पाद	2116.48		1825.61	
पेट्रोलियम उत्पाद- प्रगतिधीन कार्य	460.64	2744.72	477.35	2459.18
निवल (वृद्धि) / कमी		**(285.54)**		**752.82**

टिप्पणी – 42

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	2113.42	2136.54
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	448.24	455.03
कर्मचारी कल्याण व्यय	231.17	206.77
	2792.83	2798.34
घटाएं: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	559.69	561.13
	2233.14	**2237.21**

42.1 "कर्मचारी हितलाभ" पर भारतीय लेखांकन मानक-19 के अनुपालन में प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी -53 में दिया गया है।

टिप्पणी – 43

वित्तपोषण लागतें

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
प्रतिभूत बैंक ऋण पर ब्याज व्यय	26.20	31.76
प्रतिभूत बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज व्यय	0.18	0.16
अप्रतिभूत ऋण पर ब्याज व्यय	848.87	800.15
विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरण पर लागू निवल (लाभ)/हानि	102.92	47.61
डीकमीशनिंग देयता का समापन	70.50	70.97
पट्टा देयता का समापन	20.59	13.02
	1069.26	**963.67**

43.1 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, मूल कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स ब्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड (बीआरईएमएल) के माध्यम से मोजाम्बिक में रोवुमा 1 अपतटीय ब्लॉक में 4% भागीदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए विदेशी उधारी जुटाई है, जहाँ मूल कंपनी की 40% शेयरधारिता है। प्रबंधन की राय में, मूल कंपनी के घरेलू संसाधनों से ऐसे विदेशी उधारों की चुकौती के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। ऐसे विदेशी उधारों पर ₹659.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹617.71 करोड़) का ब्याज चुकौती घरेलू संसाधनों से की गई है। मूल कंपनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित किया है कि उपरोक्त लेनदेन के वित्तपोषण के लिए जुटाए गए विदेशी उधारों पर ब्याज चुकौती घरेलू संसाधनों से की जा रही है।

43.2 विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरण पर लागू निवल (लाभ) / हानि विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर को दर्शाता है, जो विदेशी मुद्रा में उधार की लागत की तुलना में कार्यात्मक मुद्रा (₹) में उधार की लागत के बीच अंतर की सीमा तक है।

टिप्पणी – 44

मूल्यह्रास, नि:शेषण तथा परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	1012.39		862.10	
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	251.59	760.80	159.73	702.37
उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	430.12		262.29	
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	262.61	167.51	136.57	125.72
तेल और गैस परिसंपत्तियों का नि:शेषण		1350.41		1264.84
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन		39.51		36.05
		2318.23		**2128.98**

टिप्पणी – 45

अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
सांविधिक शुल्क		5520.35		5481.53
भंडार और पुर्जों की खपत		410.90		320.89
ईंधन की खपत		308.94		277.65
संविदा लागत		1979.58		1561.61
बीमा, किराया, दरें और कर		294.79		298.64
विनिमय हानि-निवल		198.66		268.78
बट्टे खाते डाले गए अन्वेषण कूप		77.43		(11.84)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का क्षरण		-		(43.17)
परिवहन		25.93		37.02
मरम्मत और रखरखाव		210.68		178.76
प्रावधान/बट्टे खाते/(विपर्यय):				
बट्टे खाते डाले गए अन्वेषण कूप	592.23		532.81	
अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत	325.34		24.13	
ऋण और अग्रिम	(23.01)		30.08	
मालसूची	55.08		46.75	
व्यापार प्राप्य	9.96		8.13	
परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना/प्रावधान	29.71		19.92	
निवेश के मूल्य में कमी	(5.51)		(8.03)	
रॉयल्टी पर जीएसटी	809.32		716.61	
अन्य	110.64	1903.76	38.43	1408.83
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय		212.79		208.77
विविध व्यय		421.18		323.03
		11564.99		**10310.50**

45.1 सांविधिक शुल्कों में रॉयल्टी ₹ 2995.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2990.36 करोड़) और उपकर ₹ 2508.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2474.79 करोड़) शामिल हैं।

45.2 रॉयल्टी पर जीएसटी से संबंधित विवरण के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60.7 देखें।

45.3 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
(क) व्यय की जाने वाली कुल राशि	200.48		167.01	
(ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	251.50		222.27	
(ग) संबंधित अवधि से आगे बढ़ाया गया अतिरिक्त सीएसआर व्यय, जिसे वर्तमान अवधि के व्यय से समायोजित किया जाएगा (पीएम केयर फंड में योगदान)	1.90		8.20	
(घ) अवधि के दौरान व्यय की गई राशि	नकद में	अभी नकद में भुगतान किया जाना है	नकद में	अभी नकद में भुगतान किया जाना है
(i) परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	28.37	6.85	24.51	0.59
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	166.64	10.93	178.44	5.23
कुल	**195.01**	**17.78**	**202.95**	**5.82**
	212.79		**208.77**	
(ङ) अवधि के अंत में कमी	-		-	
(च) पिछली अवधि की कमी का कुल योग	-		-	
(छ) कमी का कारण	लागू नहीं		लागू नहीं	
(ज) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण, सतत आजीविका सृजन, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार, पर्यावरण और स्थिरता, खेलों का विकास, कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा, स्वच्छ भारत अभियान (पेयजल और स्वच्छता)।			

45.4 सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिए जाने वाले शुल्क का विवरण (विविध व्यय के अंतर्गत शामिल):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक लेखापरीक्षकों को शुल्क (जीएसटी/सेवा कर सहित):		
(क) लेखापरीक्षक के रूप में	2.20	1.42
(ख) कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.08	0.11
(ग) कंपनी कानून संबंधी मामलों के लिए	-	-
(घ) अन्य सेवाओं-प्रमाणन के लिए	0.24	0.15
(ङ) व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.25	0.23
कुल	**2.77**	**1.91**

टिप्पणी – 46

अपवादात्मक मदें

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी	-	2362.72
अग्नि हानि व्यय-एनआरएल	-	2.84
	-	**2365.56**

46.1 रॉयल्टी पर सेवा कर और जीएसटी से संबंधित विवरण के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60.7 देखें।

टिप्पणी – 47

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
मूल और तनुकृत		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1626607791	1626607791
प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00
जारी प्रचालनों से कंपनी के स्वामियों को देय वर्ष का लाभ (₹ करोड़ में)	6550.93	6335.10
प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालन के लिए) (₹) - मूल	**40.27**	**38.95**
प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालन के लिए) (₹) - तनुकृत	**40.27**	**38.95**
बंद प्रचालनों से कंपनी के स्वामियों को देय वर्ष का लाभ (₹ करोड़ में)	-	-
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद प्रचालनों के लिए) (₹) - मूल	-	-
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद प्रचालनों के लिए) (₹) - तनुकृत	-	-
कंपनी के स्वामियों को देय वर्ष का लाभ (बंद प्रचालनों और सतत प्रचालनों के लिए) (₹ करोड़ में)	6550.93	6335.10
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद प्रचालनों और जारी प्रचालनों के लिए) (₹) - मूल	**40.27**	**38.95**
प्रति इक्विटी शेयर आय (बंद किए गए प्रचालन और जारी प्रचालन) (₹) - तनुकृत	**40.27**	**38.95**

47.1 प्रति शेयर आय की गणना/पुनर्निर्धारण वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें 4 जुलाई, 2024 को 54,22,02,597 बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया गया है।

48. वित्तीय विलेख

48.1.1 पूंजी प्रबंधन

समूह अपनी पूँजी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि समूह पूँजी संरचना के ईष्टतमीकरण के माध्यम से हितधारकों को अधिकतम लाभ पहुँचाते हुए एक चालू समुत्थान के रूप में बने रहने में सक्षम रहे ।

समूह की पूँजी संरचना में कुल इक्विटी और ऋण शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अलावा, समूह किसी भी बाह्य रूप से लागू पूँजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

समूह का प्रबंधन नियमित आधार पर पूँजी संरचना की समीक्षा करता है। इस समीक्षा के भाग के रूप में, प्रबंधन पूँजी की लागत और पूँजी के प्रत्येक वर्ग से जुड़े जोखिमों पर विचार करता है। समूह का लक्ष्य समूह स्तर पर गियरिंग अनुपात को लगभग 45% बनाए रखना है। समूह का गियरिंग अनुपात नीचे दिया गया है।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
कर्ज	29,815.61	23,640.25
इक्विटी*	42,074.68	37,554.66
कुल नियोजित पूंजी	71,890.29	61,194.91
गियरिंग अनुपात	41%	39%

*ऊपर ली गई इक्विटी में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) की मदें शामिल नहीं हैं।

48.2 वित्तीय विलेखों का श्रेणीकरण

48.2.1 वित्तीय परिसंपत्तियों का श्रेणीकरण

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(i) लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियाँ		
(क) म्यूचुअल फंड में निवेश		
- लिक्विड नकदी योजना के अंतर्गत एसबीआई म्यूचुअल फंड की यूनिटें	250.53	606.72
- लिक्विड नकदी के अंतर्गत बड़ौदा म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.16	67.42
- लिक्विड निधि संवृद्धि के अंतर्गत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.19	-
(ख) छुट्टी नकदीकरण निधि निवेश	233.02	284.30
एफवीटीपीएल पर मापी गई कुल परिसंपत्तियाँ	**643.90**	**958.44**
(ii) परिशोधित लागत पर मापी गई परिसंपत्तियाँ		
(क) नकद और नकद समतुल्य	613.18	315.99
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक शेष	6,583.99	5,621.32
(ग) व्यापार प्राप्य	3,281.74	3,350.84
(घ) कर मुक्त बॉण्ड में निवेश		
-पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	107.19	107.19
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	120.40	120.40
- रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	534.35	534.35

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	300.00	300.00
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.99	19.99
(ड़) संबंधित पक्षकारों को ऋण (अप्रतिभूत) - गैर-चालू		
- मैसर्स वर्ल्ड ऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	823.05	799.12
- घटाएं संयुक्त उद्यम की हानि के संबंध में क्रेडिट क्षरण/देयता	823.05	799.12
	-	-
-मैसर्स सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	353.38	343.87
-घटाएं क्रेडिट क्षरण	353.38	343.87
	-	-
(च) कर्मचारियों को ऋण (प्रतिभूत) - गैर-चालू	312.87	267.56
(छ) कर्मचारियों को ऋण (अप्रतिभूत) - गैर-चालू	0.04	0.58
(ज) संबंधित पक्षों को ऋण (अप्रतिभूत) - चालू		
- मैसर्स असम बायो रिफाइनरी (प्रा.) लिमिटेड	508.19	347.30
(झ) कर्मचारियों को ऋण (प्रतिभूत) - चालू	58.66	50.62
(ञ) कर्मचारियों को ऋण (अप्रतिभूत) - चालू	8.17	7.74
(ट) प्रतिबंधित परिसंपत्तियाँ		
-स्थल प्रत्यावर्तन योजना के अंतर्गत जमा राशि	7.24	6.76
(ठ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
-बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त दावा प्राप्य	0.84	0.02
-अन्य प्राप्य	509.43	89.91
-कर्मचारियों को अग्रिम	11.15	10.55
-संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद मांग प्राप्य	172.32	118.25
-सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	84.68	41.62
-प्रोद्भूत (अन्य)	200.37	44.11
परिशोधित लागत पर मापी गई कुल परिसंपत्तियाँ	**13,434.80**	**11,355.10**
(iii) एफवीटीओसीआई पर निर्दिष्ट परिसंपत्तियाँ		
इक्विटी विलेखों में निवेश		
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,301.49	12,218.67
एफवीटीओसीआई पर मापी गई कुल परिसंपत्तियाँ	**9,301.49**	**12,218.67**
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**23,380.19**	**24,532.21**

48.2.2 वित्तीय देयताओं का श्रेणीकरण

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
(i) परिशोधित लागत पर मापी गई देयताएं		
(क) व्यापार देयताएँ	2,337.98	1,735.18
(ख) उधार		
- बैंकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार	7,350.34	2,552.83
- बॉण्ड	9,028.55	12,974.92
- बैंकों से सावधि ऋण (दीर्घावधिक)	13,325.70	7,953.47
- बैंक ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण	111.02	159.03
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं		
- अदत्त लाभांश	11.61	9.16
- पट्टा देयता	829.63	400.25
- उधार पर प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं ब्याज	171.83	217.66
- पूंजीगत व्यय और अन्य के लिए देयताएं	4,120.35	3,308.34
- संयुक्त उद्यम को देय नकद मांग	68.44	50.62
- कर्मचारी हितलाभ	390.75	287.36
परिशोधित लागत पर मापी गई कुल देयताएं	**37,746.20**	**29,648.82**
वित्तीय गारंटी संविदा	116.65	91.45
कुल वित्तीय देयताएं	**37,862.85**	**29,740.27**

48.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

48.3.1 उद्देश्य

समूह जोखिमों की मात्रा और परिमाण के आधार पर जोखिमों का विश्लेषण करके समूह के प्रचालन से संबंधित वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और मूल्य जोखिम सहित), ऋण जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं।

48.3.2 कमोडिटी जोखिम

समूह के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी हैं। कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में किसी भी उतार-चढ़ाव की स्थिति में, समूह का राजस्व उसी के अनुसार प्रभावित होता है। इसलिए, समूह कमोडिटी मूल्य जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

48.3.3 बाजार जोखिम

समूह की गतिविधियाँ इसे मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन, ब्याज दर जोखिम, बाजार जोखिमों के वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, जिन्हें संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करके मापा जाता है।

48.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

समूह विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित लेनदेन करता है; परिणामस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जोखिम से अनावृत है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि इस प्रकार है:

देयताएं	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
यूएस डॉलर	12,381.57	11,826.41
अन्य	3.53	4.05
कुल	**12,385.10**	**11,830.46**
परिसंपत्तियाँ	**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष**
यूएस डॉलर	832.38	587.64
अन्य	0.00	0.00
कुल	**832.38**	**587.64**

समूह द्वारा उत्पादित और बेचे गए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हैं, तथापि इनका बिल और प्राप्ति भारतीय रुपये में होती है। इसलिए, भारतीय रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव का इन उत्पादों की बिक्री से समूह के भावी नकदी प्रवाह पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

48.4.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

समूह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिकी डॉलर) की मुद्रा से अनावृत है।

निम्नलिखित तालिका अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 5% की वृद्धि और कमी के प्रति समूह की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित मौद्रिक मदें शामिल हैं और विदेशी मुद्रा दरों में 5% की वृद्धि और कमी के लिए अवधि के अंत में उनके अनुवाद को समायोजित करता है।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
i) लाभ और इक्विटी पर प्रभाव	432.11	420.50

48.4.2 वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

समूह ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई अग्रिम विदेशी मुद्रा संविदा नहीं की है। तुलन-पत्र की तिथि तक कोई अग्रिम विदेशी मुद्रा संविदा बकाया नहीं है।

48.5 ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

समूह ब्याज दर जोखिम से अनावृत है क्योंकि समूह निर्धारित और परिवर्तनशील दोनों ब्याज दरों पर धन उधार लेता है और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। अस्थायी ब्याज ऋण पर आवधिक ब्याज दर या म्यूचुअल फंड निवेश पर प्राप्य राशि बाजार दरों से जुड़ी होती है। समूह द्वारा जोखिम का प्रबंधन निर्धारित और परिवर्तनशील दर उधारों के बीच उचित मिश्रण बनाए रखकर किया जाता है। समूह नीति आवश्यकतानुसार अग्रिम ब्याज दर करार (एफआरए) या ब्याज दर स्वैप का उपयोग करने की अनुमति देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं पर ब्याज दरों के प्रति समूह के जोखिम का विवरण तरलता जोखिम प्रबंधन में दिया गया है (टिप्पणी 48.8 देखें)।

48.5.1 ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में व्युत्पन्न और गैर-व्युत्पन्न दोनों प्रकार के विलेखों के लिए ब्याज दरों के जोखिम के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। यह विश्लेषण अस्थिर ब्याज दर वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के आधार पर तैयार किया गया है, यह मानते हुए कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया थी।

यदि ब्याज दरें 50 आधार अंक अधिक/कम होतीं और अन्य सभी चर स्थिर रहते, तो समूह का:

लिया गया ऋण

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और इक्विटी में ₹ 77.46 करोड़ की कमी/वृद्धि होगी (31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए: ₹ 39.34 करोड़ की कमी/वृद्धि)।

48.6 मूल्य जोखिम

समूह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी निवेश से उत्पन्न होने वाले इक्विटी मूल्य जोखिमों से अनावृत है।

म्यूचुअल फंड में निवेश

समूह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित कर्ज म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश के माध्यम से अल्पावधिक अधिशेष निधि का प्रबंधन भी करता है। समूह द्वारा अपनाई गई म्यूचुअल फंड योजनाओं पर परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) द्वारा घोषित एनएवी सामान्यतः स्थिर रही है। तथापि, यदि फंड की एनएवी में 5% की वृद्धि/कमी होती है, तो संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिया गया है:

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और इक्विटी में ₹15.37 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी (31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए: ₹ 25.22 करोड़ की कमी/वृद्धि)।

48.6.1 इक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्य जोखिमों के जोखिम के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

यदि इक्विटी मूल्य 5% अधिक/कम होते:

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए अन्य व्यापक आय और इक्विटी में ₹ 406.94 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी (31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए ₹ 549.84 करोड़ की वृद्धि/कमी होगी)।

48.7 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जिसमें कोई प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं कर पाएगा, जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानि होगी। समूह ने चूक से होने वाले वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करने के साधन के रूप में, जहाँ उपयुक्त हो, केवल ऋण-योग्य प्रतिपक्षों के साथ ही लेन-देन करने और पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की नीति अपनाई है। समूह नियमित रूप से बकाया राशि और उसकी आयु की समीक्षा करके अपने प्रतिपक्ष सीमाओं की निगरानी करता है।

संभावित क्रेडिट जोखिम	क्रेडिट जोखिम प्रबंधन
व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम	समूह की महत्वपूर्ण व्यापारिक प्राप्तियों में प्रतिष्ठित और विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/ सरकारी उपक्रमों से प्राप्त राशियाँ शामिल हैं। पीएसयू/सरकारी उपक्रमों (सामूहिक रूप से आईओसीएल, ओएनजीसी, बीवीएफसीएल आदि) से प्राप्त राशियों के अलावा, समूह का किसी भी एक प्रतिपक्ष के प्रति कोई महत्वपूर्ण ऋण जोखिम जोखिम नहीं है। इस अवधि के दौरान किसी भी समय किसी अन्य प्रतिपक्ष के प्रति ऋण जोखिम का संकेंद्रण कुल मौद्रिक परिसंपत्तियों के 2% से अधिक नहीं रहा।
बैंक शेष से संबंधित ऋण जोखिम	समूह के पास प्रत्येक बैंक की स्वीकृत ऋण सीमा के भीतर प्रतिष्ठित और विश्वसनीय बैंकिंग संस्थानों में बैंक शेष हैं।
निवेश से संबंधित ऋण जोखिम	समूह ने अपने अल्पावधिक तरलता उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अत्यधिक तरल सेबी-विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों में निवेश किया है। समूह ने एएए रेटिंग वाले कर-मुक्त सरकारी बॉण्डों में भी निवेश किया है। समूह अपने फंडों में निवेश करने से पहले संबंधित पक्षकार की साख विश्वसनीयता का विश्लेषण करता है।
अन्य क्रेडिट जोखिम	समूह, अनुषंगी /सहयोगी कंपनियों की ओर से दी गई वित्तीय गारंटियों के संबंध में ऋण जोखिम से अनावृत है। यदि 31 मार्च, 2025 तक गारंटी मांगी जाती है, तो इस संबंध में समूह का अधिकतम जोखिम ₹8296.97 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹7158.06 करोड़) है।

समूह की एक क्रेडिट नीति है जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि क्रेडिट जोखिम को मापने और नियंत्रित करने के लिए सुसंगत प्रक्रियाएँ मौजूद हों। क्रेडिट जोखिम को व्यवसाय करने के जोखिम-प्रतिफल संतुलन का एक हिस्सा माना जाता है। किसी भी व्यावसायिक संविदा करते समय, इस बात पर विचार किया जाता है कि व्यवस्था किस हद तक समूह को ऋण जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाती है।

48.8 तरलता (लिक्विडिटी) जोखिम प्रबंधन

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है जिसमें समूह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

समूह अपने पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी, पर्याप्त भंडार बनाए रखने और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का मिलान करके लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करता है।

48.8.1.1 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार प्राक्कलित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
वित्तीय देयताएं								
(i) ब्याज रहित								
- व्यापार संदेय	2,337.98	-	2,305.51	18.36	9.29	0.12	4.70	2,337.98
- अप्रदत्त लाभांश	11.61	-	11.61	-	-	-	-	11.61
- पट्टा देयताएँ	829.63	-	532.62	188.42	126.82	34.47	36.16	918.50
- कर्मचारी हितलाभ	390.75	-	390.75	-	-	-	-	390.75
- पूंजीगत व्यय और अन्य के लिए देयताएँ	4,120.35	-	4,120.35	-	-	-	-	4,120.35
- संयुक्त उद्यम को संदेय नकद कॉल	68.44	-	68.44	-	-	-	-	68.44
	7,758.76		**7,429.28**	**206.78**	**136.11**	**34.59**	**40.86**	**7,846.63**
(ii) ब्याज युक्त								
- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ब्याज सहित)	7,405.36	5.65%	2,244.12	703.43	516.03	5,027.81	-	8,491.39
- बॉण्ड (ब्याज सहित)	9,143.17	4.59%	415.71	415.71	4,729.21	4,950.71	-	10,511.34
- बैंकों से सावधि ऋण (दीर्घावधिक)	13,327.89	8.80%	1,201.80	1,754.14	2,251.86	3,247.29	9,104.54	17,559.63
- बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद कॉल	111.02	8.31%	111.02	-	-	-	-	111.02
	29,987.44		**3,972.65**	**2,873.28**	**7,497.10**	**13,225.81**	**9,104.54**	**36,673.38**
(iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं	116.65	-						116.65

48.8.1.2 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार प्राक्कलित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
(i) ब्याज रहित								
- व्यापार संदेय	1,735.18	-	1,711.40	3.22	8.51	10.53	1.52	1,735.19
- अप्रदत्त लाभांश	9.16	-	9.16	-	-	-	-	9.16
- पट्टा देयताएँ	400.25	-	198.48	109.13	66.00	16.61	10.03	400.25
- कर्मचारी हितलाभ	287.36	-	287.36	-	-	-	-	287.36
- पूंजीगत व्यय और अन्य के लिए देयताएँ	3,308.34	-	3,308.34	-	-	-	-	3,308.34
- संयुक्त उद्यम को संदेय नकद कॉल	50.62	-	50.62	-	-	-	-	50.62
	5,790.91		**5,565.36**	**112.35**	**74.51**	**27.14**	**11.55**	**5,790.91**
(ii) ब्याज युक्त								
- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ब्याज सहित)	2,554.64	6.34%	162.84	1,943.71	438.80	253.67	-	2,799.02
- बॉण्ड (ब्याज सहित)	13,189.86	4.84%	4,611.92	404.53	404.53	9260.91	-	14,681.89
- बैंकों से सावधि ऋण (दीर्घावधिक)	7,954.38	8.53%	680.95	680.95	1,039.94	2,643.11	8,470.74	13,515.69
- बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद कॉल	159.03	7.17%	159.03	-	-	-	-	159.03
	23,857.91		**5,614.74**	**3,029.19**	**1,883.27**	**12,157.69**	**8,470.74**	**31,155.63**
(iii) वित्तीय गारंटी संविदाएं	91.45	-						91.45

48.8.1.3 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार प्राक्कलित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
(i) ब्याज रहित								
व्यापार प्राप्य	3,281.74	-	3,281.69	0.05	-	-	-	3,281.74
इक्विटी विलेखों में निवेश (उद्धृत) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9,301.49	-	-	-	-	-	9,301.49	9,301.49
- बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त दावा प्राप्य	0.84	-	0.84	-	-	-	-	0.84
- अन्य प्राप्य	509.43	-	503.43	3.00	3.00	-	-	509.43
- कर्मचारियों को अग्रिम	11.15	-	11.15	-	-	-	-	11.15
- संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद कॉल प्राप्य	172.32	-	172.32	-	-	-	-	172.32
- सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	84.68	-	84.68	-	-	-	-	84.68
-अग्रिम अन्य	200.37	-	200.37	-	-	-	-	200.37
	13,562.02		**4,254.48**	**3.05**	**3.00**	**-**	**9,301.49**	**13,562.02**
(ii) ब्याज युक्त / पूंजीगत लाभ करमुक्त बॉण्ड में निवेश								
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	107.19	7.38%	7.91	7.91	105.38	1.06	10.12	132.38
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	120.40	7.33%	8.83	8.83	67.43	8.79	63.58	157.46
- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	534.35	7.77%	41.53	41.53	333.90	213.09	48.16	678.21
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड	300.00	7.41%	22.23	22.23	22.23	44.46	358.35	469.50

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.99	7.37%	1.47	1.47	1.47	2.95	28.11	35.47
- स्थल प्रत्यावर्तन योजना के तहत जमा	7.24	6.98%	-	-	-	-	7.24	7.24
म्यूचुअल फंड में निवेश	410.88	7.30%	410.88	-	-	-	-	410.88
छुट्टी नकदीकरण निधि निवेश	233.02	7.51%	233.02	-	-	-	-	233.02
संबंधित पक्षकारों को ऋण	508.19	10.42%	48.17	33.25	40.04	79.91	646.50	847.87
कर्मचारियों को ऋण (ब्याज सहित)	379.74	6.81%	53.10	58.65	70.03	59.64	346.20	587.62
	2,621.00		**827.14**	**173.87**	**640.48**	**409.90**	**1,508.26**	**3,559.65**

48.8.1.4 नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्राक्कलित ब्याज प्राप्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
(i) ब्याज रहित								
व्यापार प्राप्य	3,350.84	-	3,333.13	17.71	-	-	-	3,350.84
इक्विटी विलेखों में निवेश (उद्धृत) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12,218.67	-	-	-	-	-	12,218.67	12,218.67
- बीमा और छुट्टी नकदीकरण के निमित्त दावा प्राप्य	0.02	-	0.02	-	-	-	-	0.02
- अन्य प्राप्य	89.91	-	80.91	3.00	3.00	3.00	-	89.91
- कर्मचारियों को अग्रिम	10.55	-	10.55	-	-	-	-	10.55
- संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद कॉल प्राप्य	118.25	-	118.25	-	-	-	-	118.25

विवरण	वहन राशि	भारित औसत प्रभावी ब्याज दर	1 वर्ष तक	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	4-5 वर्ष	5 वर्ष के पश्चात	कुल संविदात्मक नकदी प्रवाह
- सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	41.62	-	41.62	-	-	-	-	41.62
-अग्रिम अन्य	44.11	-	44.11	-	-	-	-	44.11
	15,873.97		3,628.59	20.71	3.00	3.00	12,218.67	15,873.97
(ii) ब्याज युक्त / पूंजीगत लाभ करमुक्त बॉण्ड में निवेश								
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	107.19	7.38%	7.91	7.91	7.91	105.91	10.65	140.29
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	120.40	7.33%	8.83	8.83	8.83	71.83	67.98	166.30
- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	534.35	7.77%	41.53	41.53	41.53	544.53	50.62	719.73
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड	300.00	7.41%	22.23	22.23	22.23	44.46	380.58	491.73
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.99	7.37%	1.47	1.47	1.47	2.95	29.58	36.94
- स्थल प्रत्यावर्तन योजना के तहत जमा	6.76	6.80%	-	-	-	-	6.76	6.76
म्यूचुअल फंड में निवेश	674.14	7.00%	674.14	-	-	-	-	674.14
छुट्टी नकदीकरण निधि निवेश	284.30	7.16%	284.30	-	-	-	-	284.30
संबंधित पक्षकारों को ऋण	347.30	10.96%	-	60.35	48.53	97.20	800.39	1,006.47
कर्मचारियों को ऋण (ब्याज सहित)	326.50	6.61%	51.38	29.91	28.80	29.07	187.34	326.50
	2,720.93		1,091.79	172.23	159.30	895.95	1,533.90	3,853.17

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं दोनों के लिए परिवर्तनीय ब्याज दर विलेखों के लिए ऊपर शामिल राशियां परिवर्तन के अध्यधीन हैं यदि परिवर्तनीय ब्याज दरों में परिवर्तन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित ब्याज दरों के अनुमानों से भिन्न होते हैं।

48.8.2 समूह की क्रेडिट रेटिंग

प्रबंधन का मानना है कि उसके पास पर्याप्त ऋण वित्तपोषण स्रोतों (पूंजी बाजार) तक पहुँच है, और पूर्वानुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अप्रयुक्त प्रतिबद्ध उधार सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

समूह की वित्तीय समझदारी रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई मज़बूत क्रेडिट रेटिंग में परिलक्षित होती है, जो इस प्रकार है:

श्रेणी	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	अभ्युक्ति
दीर्घावधि रेटिंग	मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज़	बीएए3 (स्थिर)	भारत की सॉवरेन रेटिंग के समकक्ष
दीर्घावधि रेटिंग	फ़िच रेटिंग	बीबीबी-(स्थिर)	भारत की सॉवरेन रेटिंग के समकक्ष
दीर्घावधि सुविधाएँ	क्रिसिल	क्रिसिल एएए (स्थिर)	क्रिसिल द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग
दीर्घावधि सुविधाएँ	केयर रेटिंग	केयर एएए (स्थिर)	केयर द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग
अल्पावधि सुविधाएँ	क्रिसिल	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग
अल्पावधि सुविधाएँ	केयर रेटिंग	केयर ए1+	केयर द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग
क्रेडिट रेटिंग (अनुषंगी कंपनी स्तर)			
दीर्घावधि सुविधाएँ	क्रिसिल रेटिंग	क्रिसिल एएए (स्थिर)	क्रिसिल द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग
अल्पावधि सुविधाएँ	क्रिसिल रेटिंग	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग

48.8.2.1 वित्तपोषण सुविधा

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बाह्य वाणिज्यिक उधार		
- प्रयुक्त राशि	7,376.09	2,560.48
- अप्रयुक्त राशि	-	-
बॉण्ड		
- प्रयुक्त राशि	9,058.35	13,012.25
- अप्रयुक्त राशि	-	-
- बैंकों से सावधि ऋण (दीर्घावधिक)		
- प्रयुक्त राशि	13,325.70	7,953.47
- अप्रयुक्त राशि	5,578.30	10,950.53
- बैंक ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट		
- प्रयुक्त राशि	111.02	159.03
- अप्रयुक्त राशि	-	-

48.9 उचित मूल्य मापन

यह टिप्पणी इस बारे में जानकारी प्रदान करती है कि समूह विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय का उचित मूल्य कैसे निर्धारित करता है।

48.9.1 समूह की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य, जो आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाता है

समूह की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित तालिका इन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से, मूल्यांकन तकनीक(एँ) और प्रयुक्त इनपुट) के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/वित्तीय देयताएं	निम्न तिथि को उचित मूल्य		उचित मूल्य पदानुक्रम	मूल्यांकन तकनीक (तकनीकें) और प्रयुक्त प्रमुख इनपुट
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(क) म्यूचुअल फंड में निवेश				
- नकद निधि संवृद्धि के अंतर्गत एसबीआई म्यूचुअल फंड की यूनिटें	250.53	606.72	स्तर 2	नीचे टिप्पणी 1 देखें
- नकद निधि संवृद्धि के अंतर्गत बड़ौदा म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.16	67.42	स्तर 2	नीचे टिप्पणी 1 देखें
- नकद निधि संवृद्धि के अंतर्गत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की यूनिटें	80.19	-	स्तर 2	
(ख) छुट्टी नकदीकरण निधि निवेश	233.02	284.30	स्तर 2	नीचे टिप्पणी 2 देखें
(ग) इक्विटी विलेखों में निवेश				
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,301.49	12,218.67	स्तर 1	नीचे टिप्पणी 3 देखें
	9,945.39	**13,177.11**		

टिप्पण 1: संबंधित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य।

टिप्पण 2: संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई कीमत के आधार पर उचित मूल्य।

टिप्पण 3: एनएसई से उद्धृत मूल्य के आधार पर उचित मूल्य।

48.9.2 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य, जिन्हें उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)।

निम्नलिखित तालिका में दिए गए विवरण को छोड़कर, समूह का मानना है कि समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनके उचित मूल्यों के अनुमानित है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1-समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।

स्तर 2-स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		उचित मूल्य पदानुक्रम
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
व्यापार प्राप्य	3,281.74	3,281.74	3,350.84	3,350.84	स्तर 2
कर-मुक्त बॉण्ड में निवेश (उद्धृत)					
-पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7.19	8.40	7.19	13.28	स्तर 1

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		उचित मूल्य पदानुक्रम
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य	
-इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	60.40	66.67	60.40	65.23	स्तर 1
-रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	534.35	593.86	534.35	583.17	स्तर 1
- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.99	41.76	19.99	52.19	स्तर 1
- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	300.00	354.00	300.00	364.55	स्तर 1
कर-मुक्त बॉण्ड में निवेश (अनउद्धृत)					
-पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100.00	95.73	100.00	93.37	स्तर 2
-इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	60.00	57.60	60.00	56.20	स्तर 2
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
-स्थल प्रत्यावर्तन योजना के अंतर्गत जमा राशि	7.24	7.24	6.76	6.76	स्तर 2
-वसूली योग्य बीमा दावे	0.84	0.84	0.02	0.02	स्तर 2
-अन्य प्राप्य	509.43	509.43	89.91	89.91	स्तर 2
-कर्मचारियों को अग्रिम	11.15	11.15	10.55	10.55	स्तर 2
-संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद मांग प्राप्य राशि	172.32	172.32	118.25	118.25	स्तर 2
-प्राप्य ब्याज	84.68	84.68	41.62	41.62	स्तर 2
ऋण					
कर्मचारियों को ऋण	379.74	379.74	326.50	296.69	स्तर 2
संबंधित पक्षकारों को ऋण	508.19	508.19	347.30	347.30	स्तर 2
वित्तीय देयताएँ					
व्यापार संदेय	2,337.98	2,337.98	1,735.18	1,735.18	स्तर 2
उधार					
-बैंकों से बाह्य वाणिज्यिक उधार	7,350.34	7,350.34	2,552.83	2,552.83	स्तर 2
-बॉण्ड	9,028.55	9,049.67	12,974.92	12,793.46	स्तर 1
-बैंकों से सावधि ऋण (दीर्घकालिक)	13,325.70	13,325.70	7,953.47	7,953.47	स्तर 2
-बैंक ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण	111.02	111.02	159.03	159.03	स्तर 2
अन्य वित्तीय देयताएँ					
-वित्तीय गारंटी संविदा	116.65	116.65	91.45	91.45	स्तर 2
-अदत्त लाभांश	11.61	11.61	9.16	9.16	स्तर 2
-पट्टा देयता	829.63	829.63	400.25	400.25	स्तर 2
-उधार पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	171.83	171.83	217.66	217.66	स्तर 2
-पूंजीगत व्यय और अन्य देयताएँ	4,120.35	4,120.35	3,308.34	3,308.34	स्तर 2
- संयुक्त उद्यम को संदेय नकद मांग	68.44	68.44	50.62	50.62	स्तर 2
-कर्मचारी हितलाभ	390.75	390.75	287.36	287.36	स्तर 2

उपरोक्त स्तर 2 श्रेणियों में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसार किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट छूट दर है जो प्रतिपक्षियों के ऋण जोखिम को दर्शाती है।

वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य लगभग उनके वहन मूल्य के बराबर होता है।

टिप्पणी – 49

अन्य कंपनियों में धारित अधिकारों का प्रकटीकरण (इंड एएस 112)

क. समूह की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी, जिसके पास महत्वपूर्ण गैर-नियंत्रक अधिकार हैं, के संबंध में संक्षिप्त वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है। नीचे दी गई संक्षिप्त वित्तीय जानकारी अंतर-समूह निष्कासन से पहले की राशि दर्शाती है:

1. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	32,956.71	23,975.37
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	5,451.44	5,537.04
गैर-वर्तमान देयताएं	15,184.18	9,342.67
वर्तमान देयताएं	6,964.24	6,054.83
कंपनी के स्वामियों को देय इक्विटी	16,259.73	14,114.91

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
राजस्व	25,404.82	23,837.98
व्यय	23,189.96	20,931.58
वर्ष के लिए लाभ (हानि)	1,815.87	2,124.98
कंपनी के स्वामियों से संबंधित लाभ (हानि)	-	-
गैर-नियंत्रक अधिकारों से संबंधित लाभ (हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ (हानि)	1,609.17	2,124.98
कंपनी के स्वामियों से संबंधित अन्य व्यापक आय	-	-
गैर-नियंत्रक अधिकारों से संबंधित अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	2.83	(5.04)
कंपनी के स्वामियों से संबंधित कुल व्यापक आय	-	-
गैर-नियंत्रक अधिकारों से संबंधित लाभ कुल व्यापक आय	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	1,612.00	2,119.94
गैर-नियंत्रक अधिकारों से संबंधित लाभांश	-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)	3,392.02	3,179.95
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)	(8,530.30)	(8,982.65)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)	5,281.81	5,822.91
निवल नकदी अंतर्वाह (बहिर्वाह)	143.53	20.21

ख. सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अधिकारों का प्रकटीकरण:

(1) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	पॉलिमर विनिर्माण
निगमन और संचालन का स्थान	भारत
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	आईएनआर 10
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	28,35,34,000
31 मार्च, 2024	28,35,34,000
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	20%
31 मार्च, 2024	20%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(2) दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	पाइपलाइन परिवहन
निगमन और संचालन का स्थान	भारत
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	आईएनआर 10
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	10,15,50,000
31 मार्च, 2024	8,19,50,000
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	49%
31 मार्च, 2024	49%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(3) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	गैस का पाइपलाइन परिवहन
निगमन और संचालन का स्थान	भारत
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	आईएनआर 10
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	46,11,20,000
31 मार्च, 2024	44,47,20,000
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	40%
31 मार्च, 2024	40%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(4) असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	मेथनॉल और फॉर्मेलिन का उत्पादन और बिक्री
निगमन और संचालन का स्थान	भारत
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	आईएनआर 10
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	30,32,50,000
31 मार्च, 2024	30,32,50,000
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	48.80%
31 मार्च, 2024	48.80%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(5) एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की बिक्री
निगमन और संचालन का स्थान	भारत
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	आईएनआर 10
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	9,60,00,000
31 मार्च, 2024	9,60,00,000
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	50%
31 मार्च, 2024	50%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(6) पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	सिटी गैस वितरण
निगमन और संचालन का स्थान	भारत
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	आईएनआर 10
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	4,37,21,600
31 मार्च, 2024	3,55,96,600
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	26%
31 मार्च, 2024	26%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(7) नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	सिटी गैस वितरण
निगमन और संचालन का स्थान	भारत
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	आईएनआर 10

निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	6,86,00,000
31 मार्च, 2024	4,90,00,000
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	49%
31 मार्च, 2024	49%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(8) असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	बायोमास ऊर्जा
निगमन और संचालन का स्थान	भारत
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	आईएनआर 10
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	13,84,67,078
31 मार्च, 2024	13,84,67,078
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	50%
31 मार्च, 2024	50%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(9) सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड.

मुख्य गतिविधि	तेल की खोज और उत्पादन
निगमन और संचालन का स्थान	नाइजीरिया
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	नायरा 1
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	25,00,000
31 मार्च, 2024	25,00,000
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	25%
31 मार्च, 2024	25%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(10) व्यास रोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड

मुख्य गतिविधि	तेल की खोज और उत्पादन
निगमन और संचालन का स्थान	मॉरीशस
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	कोई सममूल्य नहीं
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	5,120
31 मार्च, 2024	5,120
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	40%
31 मार्च, 2024	40%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(11) वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. का संयुक्त उद्यम)

मुख्य गतिविधि	तेल की खोज और उत्पादन
निगमन और संचालन का स्थान	साइप्रस
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	यूरो 1
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	20,000
31 मार्च, 2024	20,000
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	50%
31 मार्च, 2024	50%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(12) इंड ऑयल नीदरलैंड बी.वी. (अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया स्वीडन एबी का संयुक्त उद्यम)

मुख्य गतिविधि	तेल की खोज और उत्पादन
निगमन और संचालन का स्थान	नीदरलैंड
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	यूरो 454
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	94,658
31 मार्च, 2024	94,658
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	50%
31 मार्च, 2024	50%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(13) तास इंडिया प्रा. लि. (अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर का संयुक्त उद्यम)

मुख्य गतिविधि	तेल की खोज और उत्पादन
निगमन और संचालन का स्थान	सिंगापुर
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	यूएसडी 1
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	40,79,41,731
31 मार्च, 2024	40,79,41,731
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	33.50%
31 मार्च, 2024	33.50%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(14) वेंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट सिंगापुर का संयुक्त उद्यम)

मुख्य गतिविधि	तेल की खोज और उत्पादन
निगमन और संचालन का स्थान	सिंगापुर

अंकित मूल्य/प्रति शेयर	यूएसडी 1
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	56,89,68,589
31 मार्च, 2024	56,89,68,589
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	33.50%
31 मार्च, 2024	33.50%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

(15) एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस (अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर का संयुक्त उद्यम)

मुख्य गतिविधि	संपर्क कार्यालय
निगमन और संचालन का स्थान	रूस
अंकित मूल्य/प्रति शेयर	रूबल 1 मिलियन
निम्नलिखित तिथि को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
31 मार्च, 2025	1
31 मार्च, 2024	1
निम्नलिखित तिथि को समूह द्वारा धारित स्वामित्व और मताधिकार का अनुपात:	
31 मार्च, 2025	20%
31 मार्च, 2024	20%
उद्धृत (हाँ/नहीं)	नहीं

टिप्पण 1 सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा-जोखा समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

टिप्पण 2 समूह ने 31.03.2025 को तैयार किए गए ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय 31 मार्च, 2025 को तैयार किए गए तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वैंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस के वित्तीय विवरणों पर विचार किया है। समूह ने ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में दिए गए इस तथ्य पर भरोसा किया है कि प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर 01.01.2025 से 31.03.2025 की अवधि के लिए लेनदेन के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण 3 वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रबंधन ने सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड द्वारा संचालित परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन किया है और प्रचालन में अनिश्चितता और ब्लॉक-ओएमएल 142 के उपलब्ध भंडार के उपयोग न होने के कारण, प्रबंधन ने सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को दिए गए निवेश और ऋण का उचित मूल्य शून्य आंका है। 31 मार्च, 2025 तक, सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड को प्रदान किया गया निवेश और ऋण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और तदनुसार ब्याज आय का संचयन रोक दिया गया है। परियोजना स्तर पर कोई प्रचालन गतिविधि न होने के कारण मैसर्स सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड के वित्तीय विवरण/परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण इस पर विचार किए बिना तैयार किए गए हैं और इनका प्रभाव समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण नहीं है।

टिप्पण 4 समूह ने अपनी स्टेप-डाउन संयुक्त उद्यम कंपनी, इंडोइल नीदरलैंड बीवी के माध्यम से वेनेजुएला में प्रोजेक्ट पेट्रोकारोबोबो एसए में निवेश किया है। 31.03.2025 तक इंडोइल नीदरलैंड बीवी में निवेश का वहन मूल्य ₹25.94 करोड़ है। तथापि, वेनेजुएला की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण, यह अनिश्चित है कि वेनेजुएला में स्थिति कब इस तरह सुधरेगी कि पेट्रोकारोबोबो एसए में निवेश के परिणाम प्राप्त हो सकें।

ग. सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों की वित्तीय स्थिति का प्रकटीकरण

(1) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6,196.43	6,342.26
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	2,139.18	1,677.97
गैर-वर्तमान देयताएं	(3,771.13)	(3,921.77)
वर्तमान देयताएं	(1,546.25)	(1,097.10)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	99.35	36.41
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	1,246.77	512.11
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	3,748.33	329.92
राजस्व	3,822.75	3,199.14
सहयोगी कंपनी के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	15.64	(160.22)
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	15.64	(160.22)
अन्य व्यापक आय	1.23	0.20
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	16.87	(160.02)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	386.42	385.14
ब्याज आय	0.11	0.74
ब्याज व्यय	46.32	31.99
आयकर व्यय या आय	11.10	-
वर्ष के दौरान सहयोगी कंपनी से प्राप्त लाभांश	-	4.03

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात सहयोगी कंपनियों में ब्याज की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	3,018.23	3,001.36
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	603.64	600.28
साख/शुभेच्छा	-	-
मान्य निवेश सहित अन्य समायोजन	4.99	4.99
समूह के अधिकार की वहन राशि	608.64	605.27

(2) दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	565.52	400.23
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	98.71	89.89
गैर-वर्तमान देयताएं	(169.16)	(86.11)
वर्तमान देयताएं	(50.42)	(26.44)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	1.56	4.25
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	38.36	19.09
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	169.16	50.60
राजस्व	105.37	90.39
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	29.39	22.68
पिछले वर्ष के लिए लाभ/(हानि) समायोजन	-	-
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	29.39	23.68
अन्य व्यापक आय	(0.05)	(0.23)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	29.34	23.45
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	17.84	16.43
ब्याज आय	5.39	3.39
ब्याज व्यय	0.35	1.01
आयकर व्यय या आय	12.09	8.47
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	0.38	1.73

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	444.65	364.41
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	217.86	185.01
साख/शुभेच्छा	0.27	-
मान्य निवेश सहित अन्य समायोजन	-	0.25
समूह के अधिकार की वहन राशि	218.13	185.20

(3) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	6,259.85	5,366.31
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	1,019.89	511.65
गैर-वर्तमान देयताएं	(5,315.00)	(4,262.39)
वर्तमान देयताएं	(778.66)	(487.86)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	457.94	262.71
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	182.38	12.79
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	5,333.25	653.02
राजस्व	11.03	5.98
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(16.93)	0.28
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(16.93)	0.28
अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	(16.93)	0.28
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	9.80	0.34
ब्याज आय	4.14	5.16
ब्याज व्यय	0.58	-
आयकर व्यय या आय	9.74	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	1,167.83	1,127.71
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	453.13	451.08
साख/शुभेच्छा	-	-
मान्य निवेश सहित अन्य समायोजन	14.00	(1.04)
समूह के अधिकार की वहन राशि	467.13	452.12

(4) असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	1,892.21	1,869.93
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	120.38	199.60
गैर-वर्तमान देयताएं	(1,208.09)	(1,171.90)
वर्तमान देयताएं	(606.99)	(395.65)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	4.16	12.35
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	61.09	38.62
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	1208.09	1,164.81
राजस्व	416.20	89.50
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(304.47)	(78.64)
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(304.47)	(78.64)
अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	(304.47)	(78.64)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	78.22	0.95
ब्याज आय	2.02	-
ब्याज व्यय	94.14	2.10
आयकर व्यय या आय	1.56	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	197.51	501.99
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	96.14	244.35
साख/शुभेच्छा	0.25	0.63
अन्य समायोजन	-	-
समूह के अधिकार की वहन राशि	96.39	244.98

(5) एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	670.97	648.13
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	35.38	33.86
गैर-वर्तमान देयताएं	(442.67)	(425.11)
वर्तमान देयताएं	(61.15)	(51.44)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	16.82	17.05
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	45.34	11.76
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	442.67	419.96
राजस्व	285.26	202.41
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	9.29	9.67
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	9.29	9.67
अन्य व्यापक आय	0.01	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	9.30	9.67
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	21.73	15.22
ब्याज आय	2.34	0.84
ब्याज व्यय	22.10	15.26
आयकर व्यय या आय	0.21	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	202.54	205.44
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	101.27	102.72
साख/शुभेच्छा	-	-
अन्य समायोजन	-	-
समूह के अधिकार की वहन राशि	101.27	102.72

(6) पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	423.81	285.50
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	34.56	40.90
गैर-वर्तमान देयताएं	(281.46)	(155.92)
वर्तमान देयताएं	(36.42)	(48.09)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	30.53	37.31
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	12.75	12.79
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	281.46	155.35
राजस्व	10.55	9.13
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(13.15)	(11.68)
पिछले वर्ष के लिए लाभ/(हानि) समायोजन	-	-
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(13.15)	(11.68)
अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	(13.15)	(11.68)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	5.45	5.77
ब्याज आय	0.99	1.46
ब्याज व्यय	0.19	0.62
आयकर व्यय या आय	1.79	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	140.49	122.39
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	36.53	31.82
साख/शुभेच्छा	-	-
अन्य समायोजन	-	-
समूह के अधिकार की वहन राशि	36.53	31.82

(7) नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	78.41	6.92
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	83.10	96.23
गैर-वर्तमान देयताएं	(0.63)	-
वर्तमान देयताएं	(19.60)	(2.83)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	47.98	93.29
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	2.69	0.77
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	0.63	1.06
राजस्व	8.94	3.09
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	0.96	0.32
पिछले वर्ष के लिए लाभ/(हानि) समायोजन	-	-
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	0.96	0.32
अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.96	0.32
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	0.89	0.18
ब्याज आय	5.84	3.09
ब्याज व्यय	0.10	0.03
आयकर व्यय या आय	1.01	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	141.27	100.32
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	69.22	49.15
साख/शुभेच्छा	-	-
अन्य समायोजन	-	-
समूह के अधिकार की वहन राशि	69.22	49.15

(8) असम बायो इथेनॉल (प्रा.) लिमिटेड (अनुषंगी कंपनी मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	4,492.83	3,465.83
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	34.37	53.99
गैर-वर्तमान देयताएं	(3,993.38)	(2,989.77)
वर्तमान देयताएं	(325.19)	(367.02)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	35.75	68.03
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
राजस्व	0.38	0.23
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(7.62)	(19.35)
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(7.62)	(19.35)
अन्य व्यापक आय	(0.10)	(0.03)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	(7.72)	(19.38)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	1.09	0.95
ब्याज आय	-	-
ब्याज व्यय	-	-
आयकर व्यय या आय	-	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	223.26	231.07
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	111.63	115.54
साख/शुभेच्छा	-	-
अन्य समायोजन	-	135.03
समूह के अधिकार की वहन राशि	111.63	250.57

(9) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	14,290.90	12,262.92
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	539.77	513.04
गैर-वर्तमान देयताएं	-	-
वर्तमान देयताएं	(339.70)	(209.91)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	1.35	0.63
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	(0.77)	(0.75)
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
राजस्व	213.92	181.72
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	(12.61)	(10.00)
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(95.59)	(127.85)
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(95.59)	(127.85)
अन्य व्यापक आय	364.42	190.10
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	268.83	62.25
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	0.01	0.02
ब्याज आय	(213.92)	(181.72)
ब्याज व्यय	0.76	0.74
आयकर व्यय या आय	-	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	14,490.97	12,566.05
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	5,796.39	5,026.42
साख/शुभेच्छा	3,541.86	7,315.56
अन्य समायोजन		-
समूह के अधिकार की वहन राशि	9,338.25	12,341.61

(10) इंड ऑयल नीदरलैंड बी.वी. (अनुषंगी कंपनी ऑयल इंडिया स्वीडन एबी का संयुक्त उद्यम)

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	90.58	70.85
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	0.33	0.04
गैर-वर्तमान देयताएं	-	-
वर्तमान देयताएं	(29.19)	(28.39)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	0.32	0.04
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
राजस्व	-	-
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(0.58)	(0.56)
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(0.58)	(0.56)
अन्य व्यापक आय	1.65	0.86
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	1.07	0.30
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-
ब्याज आय	-	-
ब्याज व्यय	-	-
आयकर व्यय या आय	-	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	61.72	42.50
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	30.86	21.26
साख/शुभेच्छा	-	-
अन्य समायोजन	(4.92)	-
समूह के अधिकार की वहन राशि	25.94	21.26

(11) तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	3,341.23	3,897.42
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	3,825.48	4,188.22
गैर-वर्तमान देयताएं	-	(0.16)
वर्तमान देयताएं	(6.17)	(22.35)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	3,689.37	3,680.34
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
राजस्व	104.53	164.61
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	1,491.44	1,378.54
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	438.30	964.24
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	438.30	964.24
अन्य व्यापक आय	(782.84)	(918.60)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	(344.55)	45.64
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	(0.38)	0.37
ब्याज आय	104.53	164.61
ब्याज व्यय	0.07	0.03
आयकर व्यय या आय	-	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	7,160.55	8,063.13
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	2,398.78	2,701.15
साख/शुभेच्छा	-	-
अन्य समायोजन	-	-
समूह के अधिकार की वहन राशि	2,398.78	2,701.15

(12) वेंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	5,941.27	7,619.35
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	2,554.95	3,090.69
गैर-वर्तमान देयताएं	(0.65)	-
वर्तमान देयताएं	(7.10)	(16.01)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	2,382.58	1,978.25
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
राजस्व	73.43	152.55
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	645.79	1,008.57
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	(60.97)	800.20
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(60.97)	800.20
अन्य व्यापक आय	(1,471.44)	(1,591.78)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	(1,532.41)	(791.58)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	1.08	1.00
ब्याज आय	73.43	152.55
ब्याज व्यय	0.03	0.04
आयकर व्यय या आय	-	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	8,488.46	10,694.03
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	2,843.64	3,582.50
साख/शुभेच्छा	-	-
अन्य समायोजन	-	-
समूह के अधिकार की वहन राशि	2,843.64	3,582.50

(13) एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)

क. वित्तीय जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	0.29	3.13
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	3.04	1.52
गैर-वर्तमान देयताएं	-	(1.24)
वर्तमान देयताएं	(1.26)	(1.44)
उपरोक्त परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकदी और नकदी समतुल्य	-	-
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार संदेय और प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
राजस्व	9.55	8.29
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ/(हानि)	0.64	(0.32)
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	0.64	(0.32)
अन्य व्यापक आय	(0.58)	(0.46)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.06	(0.77)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-
ब्याज आय	-	-
ब्याज व्यय	-	-
आयकर व्यय या आय	-	-
वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश	-	-

ख. समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की वहन राशि के साथ उपरोक्त संक्षेपित वित्तीय जानकारी का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियाँ	2.07	1.96
समूह के स्वामित्व अधिकार का अनुपात	0.41	0.39
साख/शुभेच्छा	-	-
अन्य समायोजन	-	-
समूह के अधिकार की वहन राशि	0.41	0.39

घ. अनिगमित संयुक्त उद्यमों में अधिकार और वित्तीय स्थिति का प्रकटीकरण

समूह कंपनी ने 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियों के रूप में तेल और गैस अन्वेषण के लिए भारत में विभिन्न जेवीसी/पीएससी/आरएससी निष्पादित किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

भारत में संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियाँ

क. प्रचालित/संयुक्त रूप से प्रचालित

क्र. सं.	ब्लॉक	संदर्भ टिप्पणी सं.	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
1	एए-ओएनएन-2010/2	i.	50%	50%	ओएनजीसीएल – 30%, गेल-20%	ओएनजीसीएल – 30%, गेल-20%
2	एए-ओएनएन-2010/3	ii.	40%	40%	ओएनजीसीएल– 40%, बीपीआरएल-20%	ओएनजीसीएल– 40%, बीपीआरएल-20%
3	केजी-ओएनएन-2004/1	iii.	90%	90%	जीजीआर - 10%	जीजीआर - 10%
4	एमजेड-ओएनएन-2004/1	iv.	85%	85%	शिववानी - 15%	शिववानी - 15%
5	आरजे-ओएनएचपी-2017/8 (ओएएलपी-I)	vi.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
6	एए-ओएनएचपी-2017/10 (ओएएलपी-I)	xxvi.	70%	70%	ओएनजीसी - 30%	ओएनजीसी - 30%
7	एए-ओएनएचपी-2017/12 (ओएएलपी-I)	xx.	60%	60%	आईओसीएल - 20%, बीपीआरएल - 10%, एनआरएल - 10%	आईओसीएल - 20%, बीपीआरएल - 10%, एनआरएल - 10%
8	एए-ओएनएचपी-2017/13 (ओएएलपी-I)	xxi.	70%	70%	ओएनजीसी - 30%	ओएनजीसी - 30%
9	एए-ओएनएचपी-2017/20 (ओएएलपी-I)	v.	70%	70%	एनआरएल – 20% एएचईसीएल – 10%	एनआरएल – 20% एएचईसीएल – 10%
10	एए-ओएनएचपी-2017/16 (ओएएलपी-I)	xxvii.	100%	100%	शून्य	शून्य
11	एए-ओएनएचपी-2017/17 (ओएएलपी-I)	xxii.	100%	100%	शून्य	शून्य
12	एए-ओएनएचपी-2017/18 (ओएएलपी-I)	xxiii.	100%	100%	शून्य	शून्य
13	आरजे-ओएनएचपी-2017/9 (ओएएलपी-I)	vi.	100%	100%	शून्य	शून्य
14	एए-ओएनएचपी-2018/2 (ओएएलपी-III)	vii.	100%	100%	शून्य	शून्य
15	एए-ओएनएचपी-2018/3 (ओएएलपी-III)	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
16	एए-ओएनएचपी-2018/5 (ओएएलपी-III)	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
17	एमएन-ओएनएचपी-2018/1 (ओएएलपी- II)	ix.	100%	100%	शून्य	शून्य
18	एमएन-ओएनएचपी-2018/2 (ओएएलपी II)	ix.	100%	100%	शून्य	शून्य
19	एएन-ओएसएचपी-2018/1 (ओएएलपी II)	x.	100%	100%	शून्य	शून्य
20	एएन-ओएसएचपी-2018/2 (ओएएलपी II)	x.	100%	100%	शून्य	शून्य
21	एमएन-ओएनएचपी-2018/5 (ओएएलपी III)	xi.	100%	100%	शून्य	शून्य
22	केके-ओएसएचपी-2018/1 (ओएएलपी III)	xii.	100%	100%	शून्य	शून्य
23	एए/ओएनडीएसएफ/तुलमाटा/2018	xiii.	100%	100%	शून्य	शून्य
24	केजी/ओएसडीएसएफ/जीएसकेडब्ल्यू/2018	xiv.	100%	100%	शून्य	शून्य
25	एमएन-ओएनएचपी-2018/3 (ओएएलपी II)	xv.	100%	100%	शून्य	शून्य
26	एमएन-ओएनएचपी-2018/4 (ओएएलपी II)	xv.	100%	100%	शून्य	शून्य
27	आरजे-ओएनएचपी-2018/2 (ओएएलपी III)	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
28	एए-ओएनएचपी-2019/01 (ओएएलपी V)	xviii	100%	100%	शून्य	शून्य
29	एए-ओएनएचपी-2019/02 (ओएएलपी V)	xix.	100%	100%	शून्य	शून्य
30	आरजे-ओएनएचपी-2019/02	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%
31	आरजे-ओएनएचपी-2019/03	viii.	70%	70%	आईओसीएल- 30%	आईओसीएल- 30%

क्र. सं.	ब्लॉक	संदर्भ टिप्पणी सं.	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
32	एए-ओएनएचपी-2020/1(ओएएलपी-VI)	xxiv.	100%	100%	शून्य	शून्य
33	एए-ओएनएचपी-2020/3 (ओएएलपी -VI)	xxiv.	100%	100%	शून्य	शून्य
34	एए-ओएनएचपी-2021/2(ओएएलपी-VII)	xxv.	100%	100%	शून्य	शून्य
35	एए-ओएनएचपी-2021/3(ओएएलपी-VII)	xxv.	100%	100%	शून्य	शून्य
36	आरजे/ओएनडीएसएफ/बखरीतिब्बा/2021	xvi.	100%	100%	शून्य	शून्य
37	एएस-ओएनएचपी-2022/1 (धेकियाजुली)	xvii.	100%	-	शून्य	-

टिप्पणियां

सं.	ब्लॉक	टिप्पणियां
i.	एए-ओएनएन-2010/2	ब्लॉक एए-ओएनएन-2010/2 के प्रारंभिक अन्वेषण चरण (आईईपी) को 14.01.2026 तक बढ़ा दिया गया है। भूकंपीय एमडब्ल्यूपी और 2 एमडब्ल्यूपी कूपों में से 1 कूप की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। दूसरे स्थान की ड्रिलिंग के लिए पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ वर्तमान में प्रगति पर हैं।
ii.	एए-ओएनएन-2010/3	ब्लॉक का प्रारंभिक अन्वेषण चरण (आईईपी) 17.05.2023 को समाप्त हो गया। ओआईएल ने 11.04.2023 के पत्र के माध्यम से ब्लॉक में एक प्रतिस्थापन कूप खोदने के लिए डीजीएच से 3 वर्ष की विशेष छूट देने का अनुरोध किया है। 04.07.2024 को ओआईएल और एमओपीएनजी के बीच हुई एक बैठक में, एमओपीएनजी ने ओआईएल को एक संशोधित समय-सीमा के साथ आने की सलाह दी ताकि मार्च 2026 तक ड्रिलिंग अभियान पूरा हो सके। संशोधित समय-सीमा 08.07.2024 को एमओपीएनजी को प्रस्तुत की गई।
iii.	केजी-ओएनएन-2004/1	ओआईएल ने दिनांक 06.08.2021 के पत्र द्वारा ब्लॉक छोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उपरोक्त प्रस्ताव पर एमसी का निर्णय प्रतीक्षित है। इस बीच, ब्लॉक की वैधता 16/03/2023 को समाप्त हो गई। पीएससी के तहत न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) प्रतिबद्धता पहले ही पूरी हो चुकी है।
iv.	एमजेड-ओएनएन-2004/1	2डी और 3डी भूकंपीय सहित सभी जीएंडजी एमडब्ल्यूपी और 5 एमडब्ल्यूपी कूपों में से 4 कूपों की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। ओआईएल को 5वें प्रतिबद्ध कूप की ड्रिलिंग करनी बाकी है। यह ब्लॉक 15.04.2025 तक वैध था, तथापि, ओआईएल ने 13.07.2024 के पत्र द्वारा ब्लॉक को छोड़ने के लिए आवेदन किया (यह पत्र 15.07.2024 को डीजीएच पीएससी प्रबंधन पोर्टल पर भी अपलोड किया गया)।
v.	एए-ओएनएचपी -2017/20 (ओएएलपी-I)	31.83 वर्ग किलोमीटर का 3डी भूकंपीय एपीआई पूरा हो गया है और 1 कूप खोदा गया है। दूसरे स्थान (09.07.2024 को खोदा गया) की ड्रिलिंग प्रगति पर है। ब्लॉक की वैधता 23.11.2024 तक थी। 10.12.2024 को आयोजित 9वीं एमसीएम में पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने में देरी के कारण आईईपी के 14 अतिरिक्त दिनों के विस्तार की सिफारिश की गई। आधिकारिक सूचना प्रतीक्षित है। सीटीई प्रदान करने में देरी के कारण डीजीएच में आईईपी का आगे विस्तार विचाराधीन है। एसइपी के लिए सीडब्ल्यूपी के रूप में दूसरे कुएँ पर विचार करने के अनुरोध के साथ दिनांक 06.03.2025 के पत्र द्वारा एसइपी के लिए आवेदन किया गया। डीजीएच से उत्तर प्रतीक्षित है।
vi.	आरजे-ओएनएचपी -2017/8 (ओएएलपी-I) और आरजे-ओएनएचपी-2017/9 (ओएएलपी-I)	पीईएल 02.05.2023 तक वैध था और हाइड्रोकार्बन की खराब संभावना के कारण दोनों ब्लॉकों का परित्याग कर दिया गया है। दोनों ब्लॉकों के शेष सीडब्ल्यूपी के लिए एलडी का भुगतान कर दिया गया है।

सं.	ब्लॉक	टिप्पणियां
vii.	एए-ओएनएचपी-2018/2 (ओएएलपी-III)	ब्लॉक के लिए पीईएल अभी तक संबंधित सरकारों से प्राप्त नहीं हुआ है।
viii.	एए-ओएनएचपी-2018/3, एए-ओएनएचपी-2018/5, आरजे-ओएनएचपी-2018/2, आरजे-ओएनएचपी-2019/02 और आरजे-ओएनएचपी-2019/03	ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2018/3 (दीमा-हसाओ) में 2डी और 3डी भूकंपीय एपीआई और 1 कूप की ड्रिलिंग पूरी हो गई है। दूसरे स्थान की ड्रिलिंग के लिए सांविधिक मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है जो वन क्षेत्र में आता है। ब्लॉक की वैधता 28.02.2025 को समाप्त हो गई। एफसी के अनुदान में देरी के कारण अंतरिम अतिरिक्त दिनों के लिए आवेदन किया गया। डीजीएच से जवाब का इंतजार है। ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2018/5 (दक्षिण त्रिपुरा) में क्रमशः 200 एलकेएम और 185 वर्ग किलोमीटर के 2डी और 3डी सिस्मिक का सीडब्ल्यूपी और 6 कूपों की ड्रिलिंग है। 142.65 एलकेएम का 2डी भूकंपीय अधिग्रहण और 194 वर्ग किमी का 3डी भूकंपीय अधिग्रहण पूरा हो चुका है, जिसमें शेष 57.35 एलकेएम 2डी भूकंपीय के लगभग 9 वर्ग किमी के समतुल्य 3डी भूकंपीय अधिग्रहण शामिल हैं। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2018/5 के परिचालन क्षेत्र में नागरिक अशांति के कारण डीजीएच द्वारा एक (1) वर्ष और तत्पश्चात 580 दिनों का अनंतिम विस्तार प्रदान किया गया है। ब्लॉक का प्रारंभिक अन्वेषण चरण 24.04.2026 तक बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2018/2, आरजे-ओएनएचपी-2019/2 और आरजे-ओएनएचपी-2019/03 में भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है। ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2018/2 और आरजे-ओएनएचपी-2019/2 में प्रत्येक एक स्थान पर ड्रिलिंग की गई है। ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2019/2 और आरजे-ओएनएचपी-2019/3 में ड्रिलिंग के लिए प्रत्येक दो स्थान जारी किए गए हैं। ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2018/2 में दूसरे जारी किए गए स्थान की ड्रिलिंग के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। ब्लॉक की वैधता 28.02.2025 को समाप्त हो गई है। डीजीएच से दूसरे स्थान की ड्रिलिंग के लिए 3 महीने की छूट का अनुरोध किया गया है। आरएससी के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2019/2 और आरजे-ओएनएचपी-2019/3 के लिए नौ (9) महीने का विस्तार भी दिया गया है। जिससे ब्लॉक की वैधता 16.03.2025 तक हो गई। ब्लॉक की वैधता अब समाप्त हो गई है। डीजीएच से ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2019/2 में 4½ महीने (31.07.2025 तक) और ब्लॉक आरजे-ओएनएचपी-2019/3 में 6½ महीने (30.09.2025 तक) की विशेष छूट का अनुरोध किया गया है। अभी तक डीजीएच से कोई जवाब नहीं मिला है।
ix.	एमएन-ओएनएचपी-2018/1 (ओएएलपी-II) और एमएन-ओएनएचपी-2018/2 (ओएएलपी II)	दोनों ब्लॉकों में 2डी और 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और ड्रिलिंग के लिए 6 स्थान तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 1 एमएन-ओएनएचपी-2018/1 (सीडब्ल्यूपी 5 कूप) और 5 एमएन-ओएनएचपी-2018/2 (सीडब्ल्यूपी 3 कूप) में है। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/1 में 175.95 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त 3डी भूकंपीय क्षेत्र भी अधिग्रहित किया गया है। ओआईएल ने ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/2 में 3 सीडब्ल्यूपी कूपों की ड्रिलिंग पूरी कर ली है। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/1 में 1 जारी किए गए स्थान के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। जल्द ही सिविल कार्य शुरू होगा। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/2 में ड्रिलिंग के लिए जारी किए गए अतिरिक्त 2 स्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। दोनों ब्लॉकों की वैधता 28.02.2025 तक थी। दोनों ब्लॉकों में एक वर्ष के लिए विशेष छूट के अंतर्गत विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। डीजीएच से उत्तर की प्रतीक्षा है।
x.	एएन-ओएसएचपी-2018/1 (ओएएलपी II) और एएन-ओएसएचपी-2018/2 (ओएएलपी II)	दोनों ब्लॉकों के लिए आईईपी 16.08.2025 तक मान्य हैं। दोनों ब्लॉकों में 2डी भूकंपीय एपीआई सीडब्ल्यूपी पूरा हो चुका है। ब्लॉकों में 3 स्थान जारी किए गए हैं: एएन-ओएसएचपी-2018/1 में 2 और एएन-ओएसएचपी-2018/2 में 1। ब्लॉक एएन-ओएसएचपी-2018/2 में 1 कूप (विजयपुरम-1) की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। दोनों ब्लॉकों के लिए, सीआरजेड मंजूरी में देरी के बदले 198 दिनों के विस्तार और विशेष छूट के तहत 2 साल के लिए विस्तार के लिए आवेदन किया गया है। डीजीएच से जवाब की प्रतीक्षा है।

सं.	ब्लॉक	टिप्पणियां
xi.	एमएन-ओएनएचपी-2018/5 (ओएएलपी III)	2डी और 3डी भूकंपीय सीडब्ल्यूपी पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग के लिए 3 स्थान जारी किए गए हैं। 2 कूपों के लिए ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। शेष 1 स्थान के लिए ड्रिलिंग-पूर्व गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। ब्लॉक की वैधता 28.02.2025 तक थी। 1 वर्ष की विशेष छूट के अंतर्गत विस्तार के लिए आवेदन किया गया है। डीजीएच से उत्तर प्रतीक्षित है।
xii.	केके-ओएसएचपी-2018/1 (ओएएलपी III)	ब्लॉक के लिए प्रारंभिक अन्वेषण अवधि (आईईपी) 07.12.2025 तक है। विशेष छूट के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। डीजीएच से उत्तर प्रतीक्षित है। 3डी भूकंपीय सीडब्ल्यूपी पूरा हो चुका है और 1 स्थान ड्रिलिंग के लिए जारी किया गया है। स्थान पर ड्रिलिंग हेतु पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।
xiii.	एए/ओएनडीएसएफ/तुलमाटा/2018 (डीएसएफ-II)	विकास अवधि को 30.10.2025 तक बढ़ा दिया गया है। सीडब्ल्यूपी के अनुसार 4 विकास स्थलों को ड्रिलिंग के लिए जारी कर दिया गया है। इन स्थलों पर ड्रिलिंग हेतु पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।
xiv.	केजी/ओएसडीएसएफ/जीएसकेडब्ल्यू /2018	विकास अवधि को 14.10.2025 तक बढ़ा दिया गया है। सीडब्ल्यूपी के अनुसार 6 विकास स्थलों को ड्रिलिंग के लिए जारी कर दिया गया है। इन स्थलों पर ड्रिलिंग हेतु पूर्व-ड्रिलिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।
xv.	एमएन-ओएनएचपी-2018/3 (ओएएलपी II) और एमएन-ओएनएचपी-2018/4 (ओएएलपी II)	दोनों ब्लॉकों में 3डी भूकंपीय सीडब्ल्यूपी पूरा हो गया है। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/3 में 154.19 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त 3डी भूकंपीय कार्य भी पूरा हो गया है। ड्रिलिंग के लिए एक स्थान जारी किया गया है। ड्रिलिंग-पूर्व गतिविधियाँ वर्तमान में प्रगति पर हैं। ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/3 28.02.2025 तक वैध था। 1 वर्ष की विशेष छूट के अंतर्गत विस्तार के लिए आवेदन किया गया है। डीजीएच से उत्तर की प्रतीक्षा है। चूँकि ब्लॉक एमएन-ओएनएचपी-2018/4 में कोई भी स्थान परिपक्व नहीं हो सका, इसलिए ब्लॉक को दिनांक 28.03.2025 के पत्र द्वारा त्यागने के लिए आवेदन किया गया है।
xvi.	आरजे/ओएनडीएसएफ/बख्रिटिब्बा/2021	विकास अवधि 15.06.2026 तक वैध है। सीडब्ल्यूपी के अनुसार 3 विकास स्थलों को ड्रिलिंग के लिए जारी किया गया है। तीनों कूपों में उत्पादन परीक्षण पूरा हो चुका है।
xvii.	एएस-ओएनएचपी-2022/1 (देखियाजुली)	2डी और 3डी भूकंपीय अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है। भूकंपीय डेटा प्रसंस्करण प्रगति पर है। ब्लॉक की वैधता 13.02.2024 तक थी।
xviii	एए-ओएनएचपी-2019/01 (ओएएलपी- V)	भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है और 1 स्थान ड्रिलिंग के लिए जारी कर दिया गया है। ड्रिलिंग-पूर्व गतिविधियाँ और सांविधिक मंज़ूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। आरएससी के अनुच्छेद 3 के तहत 3 महीने के लिए विस्तार दिए जाने और उसके बाद, जारी किए गए स्थान के लिए ईसी प्राप्त करने के बदले में 34 दिनों के अतिरिक्त अंतरिम दिनों के अनुदान के बाद, ब्लॉक की वैधता 01.07.2024 तक थी। ऑयल इंडिया ने 24.06.2024 के पत्र के माध्यम से ईसी प्राप्त करने के बदले में 23 दिनों के अतिरिक्त दिनों के लिए आवेदन किया, तथापि, डीजीएच ने सूचित किया कि इस संबंध में अतिरिक्त दिनों के किसी भी अन्य प्रस्ताव की अंतिम मंज़ूरी मिलने के बाद जाँच की जाएगी। ओआईएल ने दिनांक 10.07.2024 के पत्र द्वारा डीजीएच से दो वर्ष की विशेष छूट प्रदान करने और ब्लॉक की समाप्ति तिथि से दो वर्ष की विशेष छूट प्रदान करने की तिथि तक की मध्यवर्ती अवधि को नियमित करने का अनुरोध किया, ताकि ब्लॉक चालू रहे और चल रही सांविधिक मंज़ूरियों और ड्रिलिंग-पूर्व गतिविधियों से संबंधित आवश्यक गतिविधियाँ संचालित की जा सकें। डीजीएच से उत्तर की प्रतीक्षा है।
xix	एए-ओएनएचपी-2019/02 (ओएएलपी-V)	ब्लॉक में भूकंपीय एपीआई पूरा हो चुका है, लेकिन किसी भी स्थान पर परिपक्वता नहीं आ सकी। ओआईएल ने 28.02.2024 को 1 कूप के अधूरे कार्य कार्यक्रम के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलडी भुगतान करके आरएससी के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार ब्लॉक के परित्याग के लिए आवेदन किया।

सं.	ब्लॉक	टिप्पणियां
xx	एए-ओएनएचपी-2017/12 (ओएएलपी-I)	ब्लॉक (2डी-200 एलकेएम और 3डी-100 वर्ग किमी) में भूकंपीय एपीआई पूरा हो गया है और ड्रिलिंग के लिए 1 स्थान जारी किया गया है (सीडब्ल्यूपी 2 कूप)। यह स्थान डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। जारी किए गए स्थान पर ड्रिलिंग के लिए सांविधिक मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की उपस्थिति के कारण, डीजीएच ने ब्लॉक क्षेत्र को 489 वर्ग किमी से घटाकर 309.87 वर्ग किमी करने की मंजूरी दी और आनुपातिक रूप से सीडब्ल्यूपी को घटाकर 2डी-127 जीएलकेएम, 3डी-63 वर्ग किमी और कूप-1 कर दिया। वन मंजूरी के बदले 350 दिनों के अतिरिक्त दिनों के अनुदान के बाद ब्लॉक के लिए आईईपी 08.02.2026 तक मान्य है। लोकेशन ओडब्ल्यूएमए के लिए स्थल की पहचान कर ली गई है। इस स्थान को ईआरडी (विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग) के रूप में ड्रिल करने की योजना है।
xxi	एए-ओएनएचपी-2017/13 (ओएएलपी-I)	ब्लॉक (2डी-180 एलकेएम) में भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है और 1 स्थान ड्रिलिंग के लिए जारी कर दिया गया है। यह स्थान वन क्षेत्र में आता है। वन मंजूरी के बदले 132 अतिरिक्त अंतरिम दिनों की अनुमति मिलने के बाद यह ब्लॉक 04.06.2025 तक वैध है।
xxii	एए-ओएनएचपी-2017/17 (ओएएलपी-I)	ब्लॉक (2डी-180 एलकेएम) में भूकंपीय एपीआई का काम पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग के लिए एक स्थान जारी किया गया है। चूँकि यह स्थान अरूणाचल प्रदेश के डी'एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य के 10 किलोमीटर के संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के अंतर्गत आता है, इसलिए ड्रिलिंग के लिए वन्यजीव मंजूरी अनिवार्य है। सांविधिक मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। वन्यजीव मंजूरी के बदले 267 अतिरिक्त दिनों की मंजूरी के बाद ब्लॉक 15.11.2025 तक वैध है। ओआईएल ने डीजीएच से क्षेत्र में सड़क-बुनियादी ढांचे के विकास तक ब्लॉक का विस्तार देने का अनुरोध किया है।
xxiii	एए-ओएनएचपी-2017/18 (ओएएलपी-I)	ब्लॉक में भूकंपीय एपीआई पूरा हो चुका है और ड्रिलिंग के लिए एक स्थान जारी किया गया है। चूँकि एक कूप के सीडब्ल्यूपी की ड्रिलिंग ब्लॉक की वैधता अवधि अर्थात 23.11.2024 तक पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ओआईएल ने 20.08.2024 के पत्र के माध्यम से एसईपी में प्रवेश करने और एक अधूरे कूप के लिए एलडी का भुगतान करने के लिए आवेदन किया। ओआईएल ने एक कूप के अधूरे कार्य कार्यक्रम के लिए 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलडी भुगतान करके ब्लॉक के लिए एसईपी में प्रवेश करने के लिए आवेदन किया। कूप की ड्रिलिंग वर्तमान में प्रगति पर है। एसईपी के लिए डीजीएच से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
xxiv	एए-ओएनएचपी-2020/1 (ओएएलपी-VI) और एए-ओएनएचपी- 2020 /3 (ओएएलपी-VI)	दोनों ब्लॉकों में भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है। ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2020/1 में 2 स्थान और ब्लॉक एए-ओएनएचपी-2020/3 में 1 स्थान ड्रिलिंग के लिए चिन्हित किया गया है। ब्लॉक के लिए आईईपी, अप्रत्याशित घटना के तहत 351 दिनों के विस्तार के बाद 12.04.2026 तक वैध है।
xxv	एए-ओएनएचपी-2021/2 (ओएएलपी-VII) और एए-ओएनएचपी-2021/3 (ओएएलपी-VII)	दोनों ब्लॉकों में भूकंपीय एपीआई का कार्य पूरा हो चुका है। प्रत्येक ब्लॉक में ड्रिलिंग के लिए एक जीआईबी स्थान चिन्हित किया गया है। ब्लॉक 08.02.2026 तक वैध है।
xxvi	एए-ओएनएचपी-2017/10 (ओएएलपी-I)	भूकंपीय एवं ड्रिलिंग सीडब्ल्यूपी 23.11.2024 की ब्लॉक वैधता के भीतर पूरा हो गया है। उत्पादन परीक्षण प्रगति पर है। आरएसआर के प्रावधानों के अनुसार 1 कूप समर्पित करने के बाद एसईपी के लिए आवेदन किया गया है। डीजीएच से अनुमोदन की प्रतीक्षा है। कोबोचापोरी-1 कूप के विस्तारित परीक्षण के लिए 2 वर्ष के विस्तार का भी अनुरोध किया गया है।
xxvii	एए-ओएनएचपी-2017/16 (ओएएलपी-I)	भूकंपीय सीडब्ल्यूपी पूरा हो गया है। ड्रिलिंग के लिए कोई भी स्थान तैयार नहीं हो सका। ब्लॉक 23.11.2024 तक वैध था।

उपर्युक्त ब्लॉकों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेखापरीक्षित ब्लॉक		अलेखापरीक्षित ब्लॉक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	169.40	312.05	0.44	2.01
नकद और नकद समतुल्य	0.34	0.76	-	-
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	1,223.21	143.45	0.02	-
वर्तमान देयताएँ	239.49	166.70	72.32	1.93
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	344.90	167.94	0.80	1.93
गैर-वर्तमान देयताएँ	19.12	12.45	0.39	-
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
राजस्व	-	-	-	-
सतत प्रचालनों से लाभ या (हानि)	(990.28)	(76.46)	(81.24)	(0.16)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	(990.28)	(76.46)	(81.24)	(0.16)
मूल्यह्रास और परिशोधन	10.39	(3.37)	0.02	-
ब्याज आय	0.06	0.03	-	-
ब्याज व्यय	-	-	-	-

टिप्पणी : परित्याग के लिए आवेदित निम्नलिखित ब्लॉकों (अनुमोदन लंबित) की वर्तमान वर्ष की वित्तीय स्थिति पर उपरोक्त विवरण में विचार नहीं किया गया है:

एए-ओएनएचपी-2019/2

एमएन-ओएनएचपी-2018/4

आरजे-ओएनएचपी-2017/8

आरजे-ओएनएचपी-2017/9

केजी-ओएनएन-2004/1

ख गैर-प्रचालित

क्र. सं.	ब्लॉक	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
1	एएपी-ओएन-94/1*	44.086%	44.086%	एचओईसी(ओ) - 26.882%, आईओसीएल - 29.032%	एचओईसी(ओ) - 26.882%, आईओसीएल - 29.032%
2	जीके-ओएसएन- 2010/1#	30%	30%	ओएनजीसी (ओ)- 60%, गेल – 10%	ओएनजीसी (ओ)- 60%, गेल – 10%
3	खरसांग पीएससी*	40%	40%	जियोएनप्रो (ओ) - 10%, जियोपेट्रोल-25%, जेईकेपीएल प्राइवेट लिमिटेड-25%	जियोएनप्रो (ओ) - 10%, जियोपेट्रोल-25%, जेईकेपीएल प्राइवेट लिमिटेड-25%
4	इब्ल्यूबी-ओएनएन- 2005/4	25%	25%	ओएनजीसी (ओ)- 75%	ओएनजीसी (ओ)- 75%
5	खेरेम**	40%	40%	एचओईसी(ओ)-40% प्राइज़ पेट्रोलियम 20%	एचओईसी(ओ)-40% प्राइज़ पेट्रोलियम 20%

(ओ) ऑपरेटर

*एनईएलपी -पूर्व ब्लॉक

** डिस्कवर स्मॉल फील्ड बोली 2016 के अंतर्गत। राज्य सरकार से पीईएल न मिलने के कारण कंसोर्टियम ने ब्लॉक की गतिविधियों को जारी न रखने का निर्णय लिया।

01.08.2021 को ब्लॉक की समाप्ति के बाद, ब्लॉक में कोई और गतिविधि नहीं की गई है। ऑपरेटर ने वैधता विस्तार के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था, हालाँकि, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच, ब्लॉक में खोजों की पहचान हाल ही में शुरू किए गए डीएसएफ-IV बोली दौर में बोली लगाने के लिए की गई है और बोली प्रक्रिया पूरी होने पर ब्लॉक को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित करना होगा। तदनुसार, कंपनी ने ब्लॉक के लिए ₹ 32.76 करोड़ की अन्वेषण कुओं की लागत के लिए हानि प्रावधान पहले ही दर्ज कर लिया है।

टिप्पणी: ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1के संबंध में राजस्व ब्याज अप्रैल 2022 से अक्तूबर 2022 तक 39.692% और नवंबर 2022 से 44.086% है।

उपरोक्त ब्लॉकों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेखापरीक्षित ब्लॉक		अलेखापरीक्षित ब्लॉक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	46.20	82.09	40.51
नकद और नकद समतुल्य	-	0.27	03.61	0.84
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	119.44	195.85	107.12
वर्तमान देयताएँ	-	20.76	10.24	36.80
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	-	20.76	49.05	36.80
गैर-वर्तमान देयताएँ	-	4.40	11.26	6.44
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
राजस्व	-	263.61	263.27	40.20
जारी प्रचालनों से लाभ या (हानि)	-	195.80	142.08	(1.72)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	-	195.80	142.08	(1.72)
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	8.15	8.38	1.87
ब्याज आय	-	-	-	-
ब्याज व्यय	-	-	-	-

टिप्पणी : एए/ओएनडीएसएफ/खेरेम/2016 ब्लॉक की वित्तीय स्थिति पर ऊपर विचार नहीं किया गया है क्योंकि कंसोर्टियम ने राज्य सरकार से पीईएल प्रदान न किए जाने के कारण ब्लॉक गतिविधियों को जारी न रखने का निर्णय लिया है।

विदेश स्थित ब्लॉकों का संयुक्त प्रचालन

क. कंपनी ने विदेशी ब्लॉकों में तेल और गैस अन्वेषण के लिए भी संविदाएं निष्पादित की हैं। ब्लॉकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	ब्लॉक / क्षेत्र संख्या	मूल देश का नाम	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
1	ब्लॉक एसएस-04	बांग्लादेश	45%	45%	ओवीएल(ओ) -45%, बेपेक्स – 10%	ओवीएल(ओ) -45%, बेपेक्स – 10%
2	ब्लॉक एसएस-09	बांग्लादेश	45%	45%	ओवीएल(ओ) -45%, बेपेक्स – 10%	ओवीएल(ओ) -45%, बेपेक्स – 10%
3	शक्ति	गैबॉन	50%	50%	आईओसीएल – 50%	आईओसीएल – 50%

क्र. सं.	ब्लॉक / क्षेत्र संख्या	मूल देश का नाम	कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार		अन्य प्रतिभागिता अधिकार	
			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
4	फ़ारसी (अपतटीय) ब्लॉक	इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान	20%	20%	ओवीएल(ओ) – 40%, आईओसीएल – 40%	ओवीएल(ओ) – 40%, आईओसीएल – 40%
5	क्षेत्र 95/96	लीबिया	25%	25%	सिपेक्स (ओ)- 50%, आईओसीएल – 25%	सिपेक्स (ओ)- 50%, आईओसीएल – 25%

(ओ) ऑपरेटर

टिप्पणी: ओआईएल और आईओसीएल के कंसोर्टियम ने 50% पीआई के साथ ब्लॉक शक्ति-II जी-245 के लिए डीजीएच, गैबॉन के साथ पीएससी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ओआईएल ऑपरेटर है। पीएससी का चरण-I पूरा हो गया है और पीएससी के चरण-II की प्रारंभिक वैधता 16.04.2017 से 15.04.2020 तक प्रदान की गई थी। प्रारंभिक वैधता अवधि समाप्त होने पर, ओआईएल ने आगे विस्तार के लिए आवेदन किया और डीजीएच, गैबॉन ने एक वर्ष का विस्तार और उसके बाद एक-एक वर्ष का विस्तार अंतिम विस्तार की वैधता तक प्रदान किया, जो 15.04.2025 को समाप्त हो गया।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, ओआईएल ने वैधता अवधि के आगे विस्तार के लिए 20.02.2025 के पत्र के माध्यम से आवेदन किया। ब्लॉक को 15.04.2025 से आगे बढ़ाने के ऑयल इंडिया लिमिटेड के अनुरोध के जवाब में, डीजीएच, गैबॉन ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को 08.05.2025 को गैबॉन में एक बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संबंध में वर्तमान में चर्चा चल रही है।

उपरोक्त ब्लॉकों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेखापरीक्षित ब्लॉक		अलेखापरीक्षित ब्लॉक	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	1.67	350.73	140.39
नकद और नकद समतुल्य	-	3.75	13.59	46.21
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	(0.02)	152.52	144.95
वर्तमान देयताएँ	-	15.52	-	302.42
वर्तमान वित्तीय देयताएँ	-	19.43	58.99	68.55
गैर-वर्तमान देयताएँ	-	-	-	-
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
राजस्व	-	-	-	-
जारी प्रचालनों से लाभ या (हानि)	-	1.10	56.79	(6.16)
अन्य व्यापक आय	-	-		-
कुल व्यापक आय	-	1.10		(6.16)
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	0.08	0.17	0.02
ब्याज आय	-	-	-	-
ब्याज व्यय	-	-	0.18	-

50. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 108-खंड रिपोर्टिंग के अनुसरण में जानकारी :

50.1 समेकित खंड राजस्व और परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
राजस्व		
बाह्य बिक्री		
कच्चा तेल	15,740.82	16,123.45
प्राकृतिक गैस	5,514.09	5,189.98
रिफाइनरी उत्पाद	25,146.68	23,730.61

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
एलपीजी	178.34	170.40
पाइपलाइन परिवहन	572.23	533.66
नवीकरणीय ऊर्जा	111.74	112.30
कुल राजस्व	**47,263.90**	**45,860.40**
घटाएं: अंतर खंड राजस्व	11,100.15	9,556.78
प्रचालनों से निवल बिक्री/आय	**36,163.75**	**36,303.62**
परिणाम		
कच्चा तेल	6138.16	6,602.77
प्राकृतिक गैस	2565.30	2,790.76
रिफाइनरी उत्पाद	2051.60	3,003.80
एलपीजी	107.38	90.84
पाइपलाइन परिवहन	(71.86)	(52.69)
नवीकरणीय ऊर्जा	20.78	31.45
खंड परिणाम	**10,811.36**	**12,466.93**
जोड़ें: इक्विटी पद्धति का उपयोग करके सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लाभ का हिस्सा	(58.65)	457.08
घटाएँ: अनाबंटित व्यय	1,913.30	4,457.28
जोड़ें: अनाबंटित आय	366.72	213.72
प्रचालनात्मक लाभ	**9,206.13**	**8,680.45**
जोड़ें: ब्याज/लाभांश आय	1,299.57	1,129.14
घटाएँ: ब्याज व्यय	1,069.27	963.67
कर-पूर्व लाभ	**9,436.43**	**8,845.92**
कर-व्यय	2,396.80	1,865.46
कर-पश्चात लाभ	**7,039.63**	**6,980.46**
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय		
कच्चा तेल	2,607.23	1,923.48
प्राकृतिक गैस	2,187.94	1,898.96
रिफाइनरी उत्पाद	9,406.22	8,807.26
एलपीजी	4.30	6.25
पाइपलाइन परिवहन	385.76	164.87
नवीकरणीय ऊर्जा	14.52	-
अनाबंटित	708.36	215.56
वर्ष के दौरान कुल पूंजीगत व्यय	**15,314.34**	**13,016.38**
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन		
कच्चा तेल	1107.65	929.62
प्राकृतिक गैस	474.90	521.20
रिफाइनरी उत्पाद	399.55	353.87
एलपीजी	17.96	18.15
पाइपलाइन परिवहन	151.77	160.86
नवीकरणीय ऊर्जा	43.64	48.25
अन्य	-	-
अनावंटित	122.76	97.03
कुल मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन	**2,318.23**	**2,128.98**

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन के अलावा अन्य गैर-नकद व्यय		
कच्चा तेल	590.97	306.68
प्राकृतिक गैस	497.12	228.90
रिफाइनरी उत्पाद	-	16.22
एलपीजी	-	-
पाइपलाइन परिवहन	-	-
नवीकरणीय ऊर्जा	-	-
अनावंटित	1091.76	84.68
मूल्यह्रास, नि:शेषण और परिशोधन के अलावा कुल गैर-नकद व्यय	**2,179.85**	**636.48**
राजस्व का समाधान		
कुल खंड राजस्व	36163.75	36,303.62
जोड़ें: अनाबंटित आय	366.72	213.72
जोड़ें: ब्याज/लाभांश आय	1299.57	1,129.14
वर्ष के लिए कुल राजस्व	**37,830.04**	**37,646.48**

50.2 खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
खंड परिसंपत्तियाँ		
कच्चा तेल	12,528.07	10,022.95
प्राकृतिक गैस	11,734.41	9,978.49
रिफाइनरी उत्पाद	35,707.45	27,691.93
एलपीजी	75.26	72.17
पाइपलाइन परिवहन	1,986.82	1,617.44
नवीकरणीय ऊर्जा	417.09	448.49
अनाबंटित परिसंपत्तियाँ	41,995.57	42,321.40
कुल परिसंपत्तियाँ	**1,04,444.67**	**92,152.86**
खंड देयताएं		
कच्चा तेल	4,038.91	3,098.85
प्राकृतिक गैस	3,470.73	2,628.62
रिफाइनरी उत्पाद	5,378.01	4,701.23
एलपीजी	58.61	44.98
पाइपलाइन परिवहन	350.91	246.10
नवीकरणीय ऊर्जा	15.53	12.67
अनाबंटित देयताएं	36,426.17	28,794.73
देयताएं	**49,738.87**	**39,527.17**
शेयरधारकों की निधियां	54,705.80	52,625.69
कुल इक्विटी और देयताएं	**1,04,444.67**	**92,152.86**

टिप्पणी :

1. ऊपर उल्लिखित राजस्व, बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है। एक ही कंपनी के अन्य प्रचालन खंडों के साथ लेनदेन से कोई राजस्व उत्पन्न नहीं होता है।
2. खंडों से सीधे पहचाने जाने योग्य राजस्व और व्यय संबंधित प्राथमिक रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित किए गए हैं।
3. खंडों से सीधे पहचाने जाने योग्य परिसंपत्तियाँ और देयताएं संबंधित खंडों को आवंटित की गई हैं।
4. खंडों से सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं परिसंपत्तियाँ और देयताएं अनाबंटित के रूप में प्रकट की गई हैं।
5. अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश, अन्य निवेश, ऋण और चालू एवं आस्थगित कर परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी परिसंपत्तियाँ रिपोर्ट योग्य खंडों को आवंटित की जाती हैं।
6. इक्विटी पद्धति द्वारा लेखांकित सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि ₹20,236.68 करोड़ (पिछले वर्ष समाप्त ₹ 19,917.74 करोड़) है, जो अनाबंटित परिसंपत्तियों में शामिल है।
7. कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

8. प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी:

समूह का महत्वपूर्ण राजस्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को बिक्री से आता है। 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे पीएसयू को कुल बिक्री ₹36,147.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹31,671.84 करोड़) थी। समाप्त वर्ष के दौरान ऐसे पीएसयू को की गई बिक्री कुल बिक्री का लगभग 99.95% (पिछले वर्ष 87.24%) थी। समूह ने 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस की कम वसूली के दावे के निमित्त पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ₹795.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹784.39 करोड़) का दावा किया है। 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री राजस्व में प्राकृतिक गैस की कम वसूली के दावे का योगदान 2.20% (पिछले वर्ष 2.16%) है। 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए किसी अन्य एकल ग्राहक ने समूह के राजस्व में 10% या उससे अधिक का योगदान नहीं दिया।

51 जारी रहने वाले प्रचालनों से संबंधित आयकर

51.1 लाभ या हानि में अभिज्ञात आयकर

((₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्तमान कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	2,281.87	2,620.12
पिछले वर्ष के संबंध में	-	(3.25)
कुल	**2,281.87**	**2,616.87**
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	114.93	(751.41)
कुल	**114.93**	**(751.41)**
वर्तमान वर्ष में अभिज्ञात कुल आयकर व्यय	**2,396.80**	**1,865.46**

51.2 वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ के साथ निम्न प्रकार से समाधान किया जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
कर पूर्व लाभ		**9,436.43**		**8,845.91**
आयकर व्यय की गणना 25.168% पर की गई (2024-2025: 22%+10% अधिभार + 4% एचईसी=25.168%)		2,374.96		2,232.86

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
जोड़ें:				
कर योग्य लाभ के निर्धारण में कटौती योग्य न होने वाले व्ययों का कर प्रभाव	66.64		66.88	
अवितरित लाभ पर अभिज्ञात आस्थगित कर	73.96		-	
इक्विटी लेखांकित कंपनियों का कर प्रभाव	-		-	
अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम के घाटे के हिस्से पर अभिज्ञात नहीं की गई आस्थगित कर परिसंपत्तियां	64.17		40.61	
अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों /संयुक्त उद्यम द्वारा लाभांश के भुगतान पर आस्थगित कर का विपर्यय	153.85	358.62	321.88	429.37
घटाएं				
नई कर व्यवस्था / विभेदक कर दरों का प्रभाव	-		-	
डीटी-वीएसवीएस, 2020 के कारण समायोजन	-		-	
कर से मुक्त आय पर कर प्रभाव	20.57		20.69	
अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों /संयुक्त उद्यम लाभ पर अभिज्ञात नहीं की गई आस्थगित कर देयता	1.20		117.00	
अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम के स्थायी अंतर पर आस्थगित कर	29.77		108.76	
आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-VIA के अंतर्गत कटौती	282.27		468.53	
इक्विटी लेखांकित कंपनियों का कर प्रभाव	-		-	
विभेदक कर दरों और कर घाटे के कारण अतिरिक्त कर प्रभाव	-		-	
पूर्व अवधि आयकर समायोजन	-		3.25	
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन	2.97	336.78	78.54	796.77
लाभ या हानि में अभिज्ञात आयकर व्यय		**2,396.80**		**1,865.46**

51.3 अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात आयकर

वर्तमान एवं आस्थगित कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात आय और व्यय से उत्पन्न:		
एफवीटीओसीआई में पीआईआई और आईओसीएल के इक्विटी फंड में निवेश पर निवल उचित मूल्य लाभ पर आस्थगित कर	(148.43)	633.59
परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मापन पर वर्तमान कर	(6.30)	(14.00)
कुल	**(154.73)**	**619.59**
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात कुल आयकर	**(154.73)**	**619.59**
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात आयकर का विभाजन:		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(154.73)	619.59
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है	-	-
कुल	**(154.73)**	**619.59**

51.4 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

तुलन-पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देयताओं) का विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1,657.79	1,289.78
आस्थगित कर देयताएँ	(4,825.18)	(4,489.73)
कुल	**(3,167.39)**	**(3,199.95)**
आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता के घटक:		
आस्थगित कर देयता:		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(3,788.67)	(3,306.68)
निवेश पर उचित मूल्य लाभ	(719.47)	(867.90)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी द्वारा कवर किया गया व्यय	-	-
कर्मचारी आस्थगित हितलाभ व्यय	(37.34)	(31.61)
अन्य	(79.60)	(100.10)
अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से संबंधित		
अवितरित लाभ पर आस्थगित कर	(200.10)	(183.44)
कुल	**(4,825.18)**	**(4,489.73)**
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी द्वारा कवर किया गया व्यय	681.33	481.97
संदिग्ध अग्रिम/ऋण/भंडार के लिए प्रावधान	499.36	434.10
आस्थगित आय	18.58	19.62
अन्य	446.63	332.81
स्टॉक रिजर्व (परिसंपत्ति) पर आस्थगित कर	11.89	21.28
कुल	**1,657.79**	**1,289.78**
निवल आस्थगित कर देयता	**(3,167.39)**	**(3,199.95)**

समूह ने अनुषंगी कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी के समेकन समायोजनों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी है। अनुषंगी कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी के समेकन समायोजनों से संबंधित कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के परिणामस्वरूप ₹3,167.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,199.95 करोड़) की सीमा तक आस्थगित कर देयता (निवल) का सृजन हुआ है।

54.4.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयता) संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए					31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				
	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	प्रतिधारित आय में अभिज्ञात	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	प्रतिधारित आय में अभिज्ञात	अंतिम शेष
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर (देयताएं)/परिसंपत्तियाँ :										
संदिग्ध अग्रिमों/ऋणों/भंडारों के लिए प्रावधान	434.10	65.26	-	-	499.36	418.34	15.76	-	-	434.10
धारा 43बी के अंतर्गत आने वाला व्यय	481.97	199.36	-	-	681.33	(370.18)	852.15	-	-	481.97
अन्य मदें	220.72	128.49	(0.94)	-	348.27	56.09	162.96	1.67	-	220.72
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	(3,306.68)	(481.99)	-	-	(3,788.67)	(2,923.18)	(383.50)	-	-	(3306.68)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए					31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				
	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	प्रतिधारित आय में अभिज्ञात	अंतिम शेष	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में अभिज्ञात	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	प्रतिधारित आय में अभिज्ञात	अंतिम शेष
इक्विटी निवेश पर उचित मूल्य लाभ	(867.90)		148.43	-	(719.47)	(232.64)	-	(635.26)	-	(867.90)
अनुषंगी कंपनी संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी	(162.16)	(26.05)	-	-	(188.21)	(266.20)	104.04	-	-	(162.16)
कुल	**(3,199.95)**	**(114.93)**	**147.49**	**-**	**(3,167.39)**	**(3,317.77)**	**751.41**	**(633.59)**	**-**	**(3,199.95)**

52 तेल एवं गैस उत्पादक गतिविधियों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी (इंड एएस) के अनुसार प्रकटीकरण:

(भंडार के आकलन की प्रक्रिया के लिए टिप्पण संख्या 1.2.1 (क) देखें)

(i) 31.03.2025 तक तेल (कंडेनसेट और हैवी ऑयल सहित) और प्राकृतिक गैस के प्रमाणित भंडार में हितधिकार की निवल मात्रा:

प्रचालन का क्षेत्र	कच्चा तेल					प्राकृतिक गैस			
	01 अप्रैल 2024 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	उत्पादन मात्रा	परिवर्तन*	31 मार्च 2025 की स्थिति	01 अप्रैल 2024 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	समायोजित बिक्री मात्रा	31 मार्च 2025 की स्थिति
	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एमएमटी)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क+ ख ग-घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क + ख-ग)
असम	28.7307	2.5771	3.3593	(0.0345)	27.9830	27774	1205	2822	26157
अरुणाचल प्रदेश	0.5389	0.0808	0.0315	(0.0008)	0.5890	0	399	0	399
राजस्थान	0.7512	0.0405	0.0330	0.0001	0.7586	1235	1003	199	2039
संयुक्त उद्यम ब्लॉक #	0.0738	0.0318	0.0139	(0.0048)	0.0965	1183	18	80	1121
विदेशी संयुक्त उद्यम (गैर-प्रचालित)	9.1081	0.7926	1.1925	-	8.7082	12113	162	314	11637
कुल	**39.2027**	**3.5228**	**4.6302**	**(0.0400)**	**38.1353**	**42305**	**2787**	**3415**	**41353**

(*) विभिन्न रूपांतरण कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।

(#) कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार की सीमा तक दर्शाया गया है।

भंडार की गणना मिलियन मीट्रिक टन के संदर्भ में की जाती है।

टिप्पणी :

परिसंपत्तियों के लिए अनुमानित विदेशी आंकड़े - रूस: तास युर्याख और वानकोर्नेफ्ट, वेनेजुएला: काराबोबो और मोजाम्बिक: गोल्फिन्हो-अतुम (क्षेत्र-1)।

दिवालियापन कार्यवाही पूरी होने तक, लाइसेंस-61 के 1पी, 2पी और 3पी भंडार, 31.04.2023 तक, 31.03.2024 तक आकस्मिक संसाधन 1सी, 2सी और 3सी के रूप में दर्ज किए गए हैं।

(ii) 31.03.2024 तक कच्चे तेल (कंडेनसेट और हैवी ऑयल सहित) और प्राकृतिक गैस के प्रमाणित भंडार में अधिकारों की निवल मात्रा:

प्रचालन का क्षेत्र	कच्चा तेल					प्राकृतिक गैस			
	01 अप्रैल 2023 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	उत्पादन मात्रा	परिवर्तन*	31 मार्च 2024 की स्थिति	01 अप्रैल 2023 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	समायोजित बिक्री मात्रा	31 मार्च 2024 की स्थिति
	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एमएमटी)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क+ ख ग-घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क + ख-ग)
असम	29.0186	3.0625	3.2657	0.0847	28.7307	25231	5191	2648	27774
अरुणाचल प्रदेश	0.5629	0.0102	0.0327	0.0015	0.5389	0	0	0	0
राजस्थान	0.5414	0.2349	0.0251	0.000	0.7512	1492	(86)	171	1235
संयुक्त उद्यम ब्लॉक #	0.0882	0.0000	0.0154	(0.0010)	0.0738	1273	0	90	1183
विदेशी संयुक्त उद्यम (गैर-प्रचालित)	11.5309	0.5785	1.2551	0.000	9.1081	12612	(144.63)	354.09	12113.48
कुल	**41.742**	**3.8861**	**4.594**	**0.0852**	**39.2027**	**40608**	**4960.37**	**3263.09**	**42305.48**

(*) विभिन्न रूपांतरण कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।

(#) कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार की सीमा तक दर्शाया गया है।

भंडार की गणना मिलियन मीट्रिक टन के संदर्भ में की जाती है।

(iii) 31.03.2025 तक तेल (कंडेनसेट और हैवी ऑयल सहित) और प्राकृतिक गैस के प्रमाणित विकसित भंडारों में हितधिकार की निवल मात्रा:

प्रचालन का क्षेत्र	कच्चा तेल					प्राकृतिक गैस			
	01 अप्रैल 2024 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	उत्पादन मात्रा	परिवर्तन*	31 मार्च 2025 की स्थिति	01 अप्रैल 2024 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	समायोजित बिक्री मात्रा	31 मार्च 2025 की स्थिति
	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एमएमटी)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क+ ख ग-घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क + ख-ग)
असम	26.2106	1.9767	3.3593	(0.0314)	24.8594	27774	1205	2822	26157
अरुणाचल प्रदेश	0.2951	0.0287	0.0315	(0.0004)	0.2927	0	399	0	399
राजस्थान	0.5293	0.2624	0.0330	0.0001	0.7586	1235	1003	199	2039
संयुक्त उद्यम ब्लॉक #	0.0738	0.0318	0.0139	(0.0048)	0.0965	1183	18	80	1121
विदेशी संयुक्त उद्यम (गैर-प्रचालित)	5.5634	1.3923	1.1925	-	5.7632	2347	22	314	2056
कुल	**32.6722**	**3.6919**	**4.6302**	**(0.0365)**	**31.7704**	**32539**	**2647**	**3415**	**31772**

(*) विभिन्न रूपांतरण कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।

(#) कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार की सीमा तक दर्शाया गया है।

भंडार की गणना मिलियन मीट्रिक टन के संदर्भ में की जाती है।

(iv) 31.03.2024 तक तेल (कंडेनसेट और हैवी ऑयल सहित) और प्राकृतिक गैस के प्रमाणित विकसित भंडारों में हितधिकार की निवल मात्रा:

प्रचालन का क्षेत्र	कच्चा तेल					प्राकृतिक गैस			
	01 अप्रैल 2023 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	उत्पादन मात्रा	परिवर्तन*	31 मार्च 2024 की स्थिति	01 अप्रैल 2023 की स्थिति	परिवर्धन / संशोधन	समायोजित बिक्री मात्रा	31 मार्च 2024 की स्थिति
	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एम एमटी)	(एमएमटी)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)	(एमएम घन मीटर)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क+ ख ग-घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (क + ख-ग)
असम	26.4355	3.1179	3.2657	0.0771	26.2106	25231	5191	2648	27774
अरुणाचल प्रदेश	0.2976	0.0310	0.0327	0.0008	0.2951	0	0	0	0
राजस्थान	0.5414	0.0129	0.0251	(0.0001)	0.5293	1492	(86)	171	1235
संयुक्त उद्यम ब्लॉक #	0.0882	0.0000	0.0154	(0.0010)	0.0738	1273	0	90	1183
विदेशी संयुक्त उद्यम (गैर-प्रचालित)	5.9917	0.9379	1.2551	0.0000	5.5634	2752	(50)	354	2347
कुल	**33.3544**	**4.0997**	**4.594**	**0.0768**	**32.6722**	**30748**	**5055**	**3263**	**32539**

(*) विभिन्न रूपांतरण कारकों के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।

(#) कंपनी के प्रतिभागिता अधिकार की सीमा तक दर्शाया गया है।

भंडार की गणना मिलियन मीट्रिक टन के संदर्भ में की जाती है।

टिप्पणी :

i. परिसंपत्तियों के लिए प्राक्कलित विदेशी आंकड़े-रूस: तास युर्याक, वांकोनेंफ्ट, लाइसेंस-61: यूएसए: निओबरारा और वेनेज़ुएला: कैराबोबो और मोजाम्बिक: गोल्फिन्हो-अतुम (क्षेत्र-1) केवल।

ii. तेल (कंडेनसेट सहित) और गैस के प्रमाणित और प्रमाणित विकसित भंडारों का तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप प्रत्येक वर्ष के अंत में आंतरिक रूप से समीक्षा की जाती है। भंडारों की समय-समय पर बाहरी विशेषज्ञों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। प्रमाणित और प्रमाणित विकसित भंडारों के आकलन के उद्देश्य से, कंपनी द्वारा नियतात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। उत्पादन पैटर्न विश्लेषण, पूरे किए जाने वाले अतिरिक्त कूपों की संख्या, उन्नत पुनर्प्राप्ति तकनीकों का अनुप्रयोग, खनन पट्टा करारों की वैधता, बिक्री के लिए करार/एमओयू को भंडार मात्रा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

53 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 19- 'कर्मचारी हितलाभ' के अनुसरण में प्रकटीकरण :

53.1 ऑयल इंडिया लिमिटेड, मूल कंपनी :

53.1.1 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ऑयल इंडिया सेवानिवृति हितलाभ योजना निधि (ओआईएसबीएसएफ़) और एनपीएस में कंपनी का अंशदान इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
ऑयल इंडिया सेवानिवृति हितलाभ योजना निधि (ओआईएसबीएसएफ़)	132.29	97.36
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)	29.08	27.30

ओआईएसबीएसएफ़ में अंशदान को एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि के लिए भुगतान किया जाता है।

53.1.2 परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी में क्रियान्वित विभिन्न हितलाभ योजनाओं में ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईएलईपीएफ़), ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईएलएसपीएफ़), ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआईजीएफ), ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईईपीएफ), ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईपीएफ़), छुट्टी नकदीकरण निधि, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ शामिल हैं। इन दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, जो प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी हितलाभ हकदारी के अतिरिक्त यूनिट में वृद्धि के रूप में मानती है और अंतिम दायित्व को आकार देने के लिए प्रत्येक यूनिट को अलग अलग मापती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि तुलन पत्र तिथि को योजना परिसंपत्तियां के उचित मूल्य को घटाकर है।

ये योजनाएं आमतौर पर समूह को बीमांकिक जोखिमों जैसे : निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घजीवन जोखिम और वेतन जोखिम से अनावृत करता है।

निवेश जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना छूट दर का उपयोग करके की जाती है जो सरकारी बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की प्राप्तियों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अन्य परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए, छूट की दर उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की प्राप्तियों के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जब इस तरह के बॉण्ड के लिए एक गहरा बाजार होता है; यदि योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटा पैदा करेगा। वर्तमान में, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण विलेखों में निवेश का अपेक्षाकृत संतुलित मिश्रण है।
ब्याज दर जोखिम	बॉण्ड ब्याज दर में कमी से योजना की देयता बढ़ जाएगी; तथापि, योजना के ऋण निवेशों पर प्रतिफल में वृद्धि से इसकी आंशिक भरपाई हो जाएगी।
दीर्घविधि जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों की रोज़गार के दौरान और उसके बाद मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि हो जाएगी।
वेतन जोखिम	परिभाषित हितलाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि हो जाएगी।

योजना परिसंपत्तियों का हालिया बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2025 तक भारतीय बीमांकिक संस्थान की एक सदस्य फर्म द्वारा किया गया। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत को अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके मापा गया।

53.1.3 बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :

31 मार्च 2025

विवरण	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
मृत्यु दर	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	लागू नहीं	आई आई एएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआ ईएएम 2012-2015 अंतिम
सेवानिवृति आयु (वर्ष)	60	60	60	60	लागू नहीं	60	60	60
समय पूर्व सेवानिवृत्ति और अशक्तता (प्रति हजार प्रति वर्ष 10)	1%	1%	1%	1%	लागू नहीं	1%	1%	1%
-45 वर्ष से अधिक आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-35 से 45 वर्ष के बीच आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-31 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-30 वर्ष से कम आयु	-	-	0.4% प्र.व.	-	-	-	-	-
छूट दर	-	-	6.72%	6.72%	लागू नहीं	6.72%	6.72%	6.72%
पूंजी पर प्रतिफल	8.25%	8.25%	6.72%	6.72%	लागू नहीं	6.72%	लागू नहीं	6.72%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	-	-	6.00%	6.00%	लागू नहीं	6.00%	-	लागू नहीं
संघर्षण दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	लागू नहीं	1.00%	1.00%	1.00%
कर्मचारियों की संख्या	9277	1999	6432	6141	लागू नहीं	6432	6432	6432
मूल वेतन (₹करोड़ में	लागू नहीं	लागू नहीं	73.88	67.83	लागू नहीं	73.88	73.88	लागू नहीं
शेष कार्यक्षम जीवन (वर्ष)	15	15	15	15	लागू नहीं	15	15	15
औचित्य	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	लागू नहीं	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि

31 मार्च 2024

विवरण	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
मृत्यु दर	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम	आईआईएएम 2012-2015 अंतिम
सेवानिवृति आयु (वर्ष)	60	60	60	60	60	60	60	60
समय पूर्व सेवानिवृत्ति और अशक्तता (प्रति हजार प्रति वर्ष 10)	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
-45 वर्ष से अधिक आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-35 से 45 वर्ष के बीच आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-31 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आयु	-	-	0.2% प्र.व.	-	-	-	-	-
-30 वर्ष से कम आयु	-	-	0.4% प्र.व.	-	-	-	-	-
छूट दर	-	-	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%
पूंजी पर प्रतिफल	8.15%	8.15%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	-	6.97%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	-	-	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	-	-
संघर्षण दर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
कर्मचारियों की संख्या	8320	2340	6518	6497	1	6518	6518	6518
मूल वेतन (इकरोड़ में	लागू नहीं	लागू नहीं	73.68	69.41	-	73.68	73.68	लागू नहीं
शेष कार्यक्षम जीवन (वर्ष)	14	14	14	14	0	14	14	14
औचित्य	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि

53.1.4 प्रमाणित बीमांकिक आंकड़े

निम्नलिखित सारणी इंड एएस-19 के अंतर्गत यथा अपेक्षित परिभाषित हितलाभ योजनाओं की स्थिति दर्शाती है:

क. नियोजन पश्चात हितलाभों के लिए तुलन-पत्र में दर्शाई गई राशि :

(₹ करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान वर्ष	1505.89	1428.79	383.69	2963.05	-	322.48	213.02	93.04
	पूर्व वर्ष	1569.84	1405.41	395.90	3082.03	25.51	306.06	206.80	80.00
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	वर्तमान वर्ष	1604.18	1442.96	391.96	2890.20	-	233.02	लागू नहीं*	51.52
	पूर्व वर्ष	1571.43	1375.15	372.65	2887.58	49.45	284.31	लागू नहीं*	37.91
वर्ष के अंत में निधि की स्थिति (निवल परिसंपत्तियां)/ निवल देयता	वर्तमान वर्ष	98.29	14.17	8.27	(72.85)	-	(89.46)	लागू नहीं*	लागू नहीं*
	पूर्व वर्ष	1.59	(30.26)	(23.25)	(194.45)	(23.94)	(21.75)	लागू नहीं*	लागू नहीं*

लागू नहीं*: लागू नहीं क्योंकि योजना वित्तपोषित नहीं है।
सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई– पूर्व वर्ष

ख. परिभाषित हितलाभ दायित्वों के आरंभिक और अंतिम शेष का मिलान:

(₹ करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान वर्ष	1569.84	1405.41	395.90	3082.04	-	306.06	206.80	80.00
	पूर्व वर्ष	1584.57	1363.31	413.05	3197.37	3.89	287.88	183.17	91.13
वर्तमान सेवा लागत	वर्तमान वर्ष	138.49	91.65	39.58	92.04	-	67.69	17.07	-
	पूर्व वर्ष	137.50	82.98	38.23	100.22	-	65.83	16.57	-
ब्याज लागत	वर्तमान वर्ष	118.31	108.29	24.44	189.07	-	18.51	11.28	4.93
	पूर्व वर्ष	118.32	105.48	26.41	196.91	0.19	18.10	10.59	6.01
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	वर्तमान वर्ष	1.36	1.27	8.46	38.58	-	8.14	5.88	2.13
	पूर्व वर्ष	-	-	7.55	35.02	-	6.88	5.23	1.93

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
जनसांख्यिकीय धारणा के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	वर्तमान वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-
	पूर्व वर्ष	-	-	(1.82)	(18.23)	-	(0.13)	16.97	(10.62)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	वर्तमान वर्ष	(50.53)	7.88	(20.30)	98.18	-	(16.61)	49.91	19.18
	पूर्व वर्ष	(5.08)	(8.20)	(19.34)	315.21	23.87	(16.19)	36.64	1.45
भुगतान किए गए हितलाभ	वर्तमान वर्ष	(271.58)	(185.71)	(64.39)	(536.86)	-	(61.31)	(77.92)	(13.20)
	पूर्व वर्ष	(265.47)	(138.16)	(68.18)	(744.47)	(2.44)	(56.31)	(62.37)	(9.90)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान वर्ष	1,505.89	1428.79	383.69	2963.05	-	322.48	213.02	93.04
	पूर्व वर्ष	1569.84	1405.41	395.90	3082.03	25.51	306.06	206.80	80.00

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

ग. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	वर्तमान वर्ष	1571.43	1375.15	372.65	2887.58	-	284.31	-	37.91
	पूर्व वर्ष	1664.18	1317.90	389.45	2387.10	49.68	241.92		24.74
ब्याज आय	वर्तमान वर्ष	129.64	113.45	25.04	194.05	-	19.11	-	2.55
	पूर्व वर्ष	135.63	107.41	27.14	166.38	3.46	16.86		1.72
अंशदान	वर्तमान वर्ष	138.49	91.65	23.25	194.45	-	(11.88)	-	24.33
	पूर्व वर्ष	137.50	82.98	23.60	735.00	-	79.95		24.74
भुगतान किए गए हितलाभ	वर्तमान वर्ष	(271.58)	(185.71)	(64.39)	(536.86)	-	(61.31)	(77.92)	(13.20)
	पूर्व वर्ष	(265.47)	(138.16)	(68.18)	(744.47)	(2.44)	(56.31)	(62.37)	(9.90)
ब्याज आय को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	वर्तमान वर्ष	36.19	48.42	35.41	150.98	-	2.79	लागू नहीं	(0.07)
	पूर्व वर्ष	(100.41)	5.02	0.64	343.56	(1.25)	1.89		(3.39)
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	वर्तमान वर्ष	1604.17	1442.96	391.96	2890.20	-	233.02	लागू नहीं	51.52
	पूर्व वर्ष	1571.43	1375.15	372.65	2887.58	49.45	284.31		37.91

लागू नहीं*: योजना वित्तपोषित नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

घ. लाभ/हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआईई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वर्तमान सेवा लागत	वर्त वर्ष	138.49	91.65	39.58	92.04	-	67.69	17.07	-
	पूर्व वर्ष	137.50	82.98	38.23	100.22	-	65.83	16.57	-
निवल ब्याज लागत	वर्त वर्ष	(11.33)	(5.16)	(0.60)	(4.97)	-	(0.60)	11.28	2.38
	पूर्व वर्ष	(17.31)	(1.93)	(0.73)	30.53	(3.28)	1.24	10.59	4.28
बीमांकिक लाभ/ हानि	वर्त वर्ष	-	-	-	-	-	(11.26)	-	-
	पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-	(11.33)	-	-
लाभ/हानि विवरण में अंकित व्यय	वर्त वर्ष	127.16	86.49	38.98	87.07	-	55.83	28.35	2.38
	पूर्व वर्ष	120.19	81.05	37.50	130.75	(3.28)	55.75	27.17	4.28

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

ङ. अन्य व्यापक आय:

(₹ करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईई एलई पीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईई एलएस पीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआईई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	वर्त वर्ष	1.36	1.27	8.46	38.58	-	8.14	5.88	2.13
	पूर्व वर्ष	-	-	7.55	35.02	-	6.88	5.23	1.93
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	वर्त वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-
	पूर्व वर्ष	-	-	(1.82)	(18.23)	-	(0.13)	16.97	(10.62)
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	वर्त वर्ष	(50.53)	7.88	(20.30)	98.18	-	(16.61)	49.91	19.18
	पूर्व वर्ष	(5.08)	(8.20)	(19.34)	315.21	23.87	(16.19)	36.64	1.45
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल,	वर्त वर्ष	(36.19)	(48.42)	(35.41)	(150.98)	-	(2.79)	-	0.07
	पूर्व वर्ष	100.41	(5.02)	(0.64)	(343.56)	1.25	(1.89)	-	3.39
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए निवल (आय)/व्यय	वर्त वर्ष	(85.36)	(39.27)	(47.25)	(14.22)	-	(11.26)	55.79	21.38
	पूर्व वर्ष	95.33	(13.22)	(14.25)	(11.56)	25.12	(11.33)	58.83	(3.85)

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

च. सेवानिवृत्ति ट्रस्ट निधियों में निवेश :

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवेश की प्रतिशतता											
	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)		ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएसपीएफ़)		ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआईजीएफ)		ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईईपीएफ)		ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईपीएफ़)		सामाजिक सुरक्षा योजना निधि	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सरकारी प्रतिभूतियाँ और संबंधित निवेश	60.92	59.55	53.55	53.87	26.45	55.37	55.16	53.93	-	16.17	-	-
ऋण विलेख और संबंधित निवेश	25.88	31.28	32.64	36.01	55.05	25.23	39.20	40.93	-	-	-	-
इक्विटी और संबंधित निवेश	1.16	-	3.40	-	2.91	17.11	5.11	0	-	-	-	-
अन्य*	12.04	9.17	10.41	10.12	15.59	2.29	0.53	5.14	-	83.83	100	100
कुल	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**100.00**	**100**	**100**

*अन्य में जीवन बीमा कंपनियों में निवेश और नकद एवं बैंक शेष शामिल हैं।

छ. सेवानिवृत्ति ट्रस्ट निधि देयताओं का वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण		ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएसपीएफ़)	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)	छुट्टी नकदीकरण निधि	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ	सामाजिक सुरक्षा योजना निधि
वर्तमान देयता	वर्त वर्ष	176.06	28.50	54.57	380.75	-	36.61	55.31	8.55
	पूर्व वर्ष	158.29	192.36	65.28	395.58	25.51	40.44	53.69	8.94
गैर-वर्तमान देयता	वर्त वर्ष	1329.83	1400.30	329.12	2582.30	-	285.87	157.71	84.49
	पूर्व वर्ष	1411.55	1213.06	330.62	2686.46	-	265.62	153.11	71.06
कुल	वर्त वर्ष	1505.89	1428.79	383.69	2963.05	-	322.48	213.02	93.04
	पूर्व वर्ष	1569.84	1405.41	395.90	3082.04	25.51	306.06	206.80	80.00

सीवाई – वर्तमान वर्ष, पीवाई - पूर्व वर्ष

ज. संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)		ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)		ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)		ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)		ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)		छुट्टी नकदीकरण निधि		सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ		सामाजिक सुरक्षा योजना निधि	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
क) छूट दर (-/+ 0.5%)																
वृद्धि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	367.12	380.50	2841.18	2970.99	लागू नहीं	24.81	306.57	292.05	204.07	201.09	89.13	76.37
वृद्धि (%)	-	-	-	-	(4.320%)	(3.890%)	(4.113%)	(3.603%)	लागू नहीं	(2.76%)	(4.933%)	(4.576%)	(2.76%)	(2.76%)	(4.205%)	(4.544%)
कमी (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	401.77	412.63	3095.50	3202.21	लागू नहीं	26.21	339.93	321.38	215.55	212.40	97.30	76.37
कमी (%)	-	-	-	-	4.711%	4.225%	4.470%	3.899%	लागू नहीं	2.71%	5.411%	5.007%	2.71%	2.71%	4.579%	(4.544%)
ख) वेतन वृद्धि/ लाभ मुद्रास्फीति (-/+ 0.5%)																
वृद्धि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	390.41	402.13	3016.65	3126.36	लागू नहीं	-	339.89	321.38	214.84	206.49	94.70	80.00
वृद्धि (%)	-	-	-	-	1.750%	1.572%	1.809%	1.438%	लागू नहीं	-	5.398%	5.007%	2.37%	(0.15%)	1.783%	0.00%
कमी (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	376.81	389.58	2908.50	3036.88	लागू नहीं	-	306.47	291.93	204.79	207.11	91.35	80.00
कमी (%)	-	-	-	-	(1.795%)	(1.598%)	(1.841%)	(1.465%)	लागू नहीं	-	(4.965%)	(4.616%)	(2.42%)	0.15%	(1.821%)	0.00%
ग) संघर्षण दर (-/+ 0.5%)																
वृद्धि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	383.79	396.01	2963.73	3082.87	लागू नहीं	25.48	322.50	306.09	209.55	206.26	93.06	80.08
वृद्धि (%)	-	-	-	-	0.024%	0.027%	0.023%	0.027%	लागू नहीं	(0.15%)	0.007%	0.011%	(0.15%)	(0.26)%	0.025%	0.098%

विवरण	ऑयल इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि (ओआई एलईपीएफ़)		ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआई एलएस पीएफ़)		ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआई जीएफ)		ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआई ईपीएफ)		ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआई पीएफ़)		छुट्टी नकदीकरण निधि		सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा हितलाभ		सामाजिक सुरक्षा योजना निधि	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
कमी (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	383.60	395.80	2962.37	3081.17	लागू नहीं	25.55	322.46	306.03	210.18	207.34	93.02	80.08
कमी (%)	-	-	-	-	(0.024%)	(0.027%)	(0.023%)	(0.028%)	लागू नहीं	0.15%	(0.007%)	(0.011%)	0.15%	0.26%	(0.025%)	0.098%
घ) मृत्यु दर (-/+ 10%)																
वृद्धि (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	383.93	396.14	2966.13	3085.18	लागू नहीं	25.45	322.49	306.08	209.32	211.70	93.14	80.27
वृद्धि (%)	-	-	-	-	0.062%	0.059%	0.104%	0.102%	लागू नहीं	(0.26%)	0.003%	0.007%	(0.26%)	2.37%	0.109%	0.331%
कमी (₹ करोड़ में)	-	-	-	-	383.46	395.66	2959.97	3078.89	लागू नहीं	25.58	322.47	306.04	210.41	201.80	92.94	80.27
कमी (%)	-	-	-	-	(0.062%)	(0.060%)	(0.104%)	(0.102%)	लागू नहीं	0.26%	(0.003%)	(0.007%)	0.26%	(2.42%)	(0.110%)	0.331%

53.2 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, अनुषंगी कंपनी:

53.2.1 नियोजन पश्चात हितलाभ योजनाएं :

परिभाषित अंशदान योजना- पेंशन:

कंपनी में 1 जनवरी 2007 से नई पेंशन योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत कंपनी कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कुल पात्रता में से अंशदान करती है। इस निधि का रखरखाव एक ट्रस्ट के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी में वित्त वर्ष 2019-20 से राष्ट्रीय पेंशन योजना भी लागू की गई है, जो एनपीएस ट्रस्ट के अंतर्गत आती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लाभ और हानि विवरण में अभिज्ञात राशि: परिभाषित अंशदान योजना - पेंशन	22.85	23.81

परिभाषित हितलाभ योजना

कंपनी की निम्नलिखित परिभाषित हितलाभ योजनाएँ हैं:

उपदान(ग्रेच्युटी):

कंपनी के पास एक परिभाषित हितलाभ उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्टी ट्रस्ट में किए गए अंशदान, उसमें निवेश आदि का प्रबंधन करते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, अंशदान उस ट्रस्ट को दिया जाता है जो एलआईसीआई में निवेशित है। उपदान का भुगतान उस कर्मचारी को किया जाता है जिसने न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा की हो, और यह सेवनिवृति के उपरांत, त्यागपत्र देने पर, बर्खास्तगी पर या मृत्यु होने पर उसके नामिती को दी जाती है ।

अन्य परिभाषित हितलाभ:

(क) कर्मचारियों, पट्टी/पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता-पिता के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ योजना (ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित)।

(ख) सेवानिवृत्ति के समय अंतिम तैनाती के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से बसने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला पुनर्वास भत्ता।

(ग) 70 वर्ष से 100 वर्ष तक के प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मान पुरस्कार योजना।

ये परिभाषित हितलाभ योजनाएं कंपनी को बीमांकिक जोखिमों, जैसे दीर्घायु जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम से अनावृत करती हैं।

(क) इंड एएस 19 - "कर्मचारी हितलाभ" की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के शेष का समाधान	उपदान: वित्तपोषित		सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ: वित्तपोषित		पुनर्वास भत्ता: गैर-वित्तपोषित		कर्मचारी सम्मान: गैर-वित्तपोषित	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष की शुरूआत में परिभाषित दायित्व	91.56	81.38	121.75	105.63	6.93	6.09	3.13	2.67
ब्याज लागत	6.61	6.12	8.79	7.94	0.50	0.46	0.23	0.20
वर्तमान सेवा लागत	1.92	1.35	5.81	5.23	1.23	1.03	0.17	0.15
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-		
कटौती पर (लाभ)/ हानि								
प्रदत्त हितलाभ	(2.75)	(0.60)	(1.15)	(1.05)	(0.12)	(0.25)	-	(0.01)

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के शेष का समाधान	उपदान: वित्तपोषित		सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ: वित्तपोषित		पुनर्वास भत्ता: गैर-वित्तपोषित		कर्मचारी सम्मान: गैर-वित्तपोषित	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
जनसांख्यिकीय अवधारणा पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अवधारणा पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	2.71	1.98	10.50	7.47	0.23	0.15	0.24	0.16
अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(0.91)	1.33	(14.30)	(3.48)	(0.52)	(0.55)	(0.12)	(0.05)
वर्ष के अंत में परिभाषित दायित्व	**99.14**	**91.56**	**131.40**	**121.75**	**8.25**	**6.93**	**3.65**	**3.12**

(ख) उपदान/सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ निधि के संबंध में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के शेषों का समाधान

(₹ करोड़ में)

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के शेष का समाधान	उपदान: वित्तपोषित		सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ: वित्तपोषित		पुनर्वास भत्ता: गैर-वित्तपोषित		कर्मचारी सम्मान: गैर-वित्तपोषित	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष की शुरूआत में उचित मूल्य	**86.91**	**82.32**	**150.51**	**139.68**	**-**	**-**	**-**	**-**
अपेक्षित प्रतिफल	6.28	6.19	10.87	10.50	-	-	-	-
बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-	-	-				
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	0.68	(0.99)	0.84	1.37	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(2.75)	(0.60)	(1.15)	(1.05)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**95.76**	**86.91**	**161.07**	**150.51**	**-**	**-**	**-**	**-**
तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि (क-ख)	**3.38**	**4.65**	**(29.67)**	**(28.76)**	**8.25**	**6.93**	**3.64**	**3.13**
लाभ-हानि में अभिज्ञात राशि								
वर्तमान सेवा लागत	1.92	1.35	5.81	5.23	1.23	1.03	0.17	0.15
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
कटौती पर (लाभ)/ हानि								
ब्याज लागत	(0.34)	(0.07)	(2.08)	(2.56)	0.50	0.46	0.23	0.20
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल								
बीमांकिक (लाभ)/हानि								
अवधि के लिए व्यय	**2.26**	**1.28**	**3.74**	**2.67**	**1.73**	**1.49**	**0.40**	**0.35**

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के शेष का समाधान	उपदान: वित्तपोषित		सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ: वित्तपोषित		पुनर्वास भत्ता: गैर-वित्तपोषित		कर्मचारी सम्मान: गैर-वित्तपोषित	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात राशि								
अवधि के लिए दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.80	3.31	3.81	3.99	(0.29)	(0.40)	0.12	0.11
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	(0.68)	0.99	(0.84)	(1.37)	-	-	-	-
ओसीआई में अभिज्ञात शुद्ध (आय)/व्यय	**1.12**	**4.31**	**4.65**	**2.62**	**(0.29)**	**(0.40)**	**0.12**	**0.11**

प्रमुख बीमांकिक अवधारणाएँ	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
छूट दर	6.83%	7.22%	6.83%	7.22%	6.83%	7.22%	6.83%	7.22%
वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	-	-	-	-	-	-
भावी हितलाभ लागत मुद्रास्फीति	-	-	7.00%	7.00%	-	-	-	-
संघर्षण दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	6.83%	7.22%	6.83%	7.22%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31.03.2025 तक निवेश का निधियन पैटर्न	**बीमित निधि**		**बीमित निधि**		**गैर-वित्तपोषित**		**गैर-वित्तपोषित**	

बीमांकिक मूल्यांकन में, भविष्य में वेतनवृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है।

योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल, संबंधित दायित्व की संपूर्ण अवधि में प्रतिफल के लिए, अवधियों की शुरुआत में बाजार की अपेक्षाओं पर आधारित होता है।

निधि के लिए निवेश पैटर्न	उपदान-वित्तपोषित		सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा-वित्तपोषित	
	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
परिसंपत्ति की श्रेणी	%	%	%	%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	100	100	100	100
अन्य - राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा				

वित्तपोषित योजनाओं के लिए, ट्रस्ट परिपक्वता के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए उचित निधि संतुलन बनाए रखता है। परिसंपत्ति-देयता मिलान के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति अपनाई जाती है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

ऊपर वर्णित प्रत्येक महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणा के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण, जो दर्शाता है कि 31.03.2025 तक 1% की वृद्धि/कमी को ध्यान में रखते हुए, परिभाषित हितलाभ दायित्व कैसे प्रभावित होगा, नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	उपदान-वित्तपोषित			
	31 मार्च 25		31 मार्च 24	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (1% परिवर्तन)	(6.68)	7.63	(6.31)	7.19
भावी वेतन वृद्धि (1% परिवर्तन)	1.19	(1.26)	1.03	(1.18)
भावी लागत मुद्रास्फीति (1% परिवर्तन)	-	-	-	-
भावी कर्मचारी टर्नओवर (1% परिवर्तन)	(2.31)	2.55	2.50	(2.75)

(₹ करोड़ में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	पीआरएमबी: वित्तपोषित			
	31 मार्च 25		31 मार्च 24	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (1% परिवर्तन)	(24.69)	33.38	(22.60)	3.06
भावी वेतन वृद्धि (1% परिवर्तन)	-	-	-	-
भावी लागत मुद्रास्फीति (1% परिवर्तन)	33.29	(24.81)	30.34	(22.74)
भावी कर्मचारी टर्नओवर (1% परिवर्तन)	(11.55)	13.76	(11.05)	13.07

(₹ करोड़ में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	पुनर्वास भत्ता: गैर-वित्तपोषित			
	31 मार्च 25		31 मार्च 24	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (1% परिवर्तन)	(0.56)	0.64	(0.49)	0.56
भावी वेतन वृद्धि (1% परिवर्तन)	-	-	-	-
भावी लागत मुद्रास्फीति (1% परिवर्तन)	-	-	-	-
भावी कर्मचारी टर्नओवर (1% परिवर्तन)	(0.61)	0.70	(0.54)	0.61

संवेदनशीलता विश्लेषण	कर्मचारी सम्मान : गैर-वित्तपोषित		कर्मचारी सम्मान : गैर-वित्तपोषित	
	31 मार्च 25		31 मार्च 24	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (1% परिवर्तन)	(0.58)	0.73	(0.50)	0.63

महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए संवेदनशीलता की गणना मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त एक बीमांकिक मान्यता में परिवर्तन करके तथा अन्य सभी बीमांकिक मान्यताओं को स्थिर रखकर की जाती है।

(₹ करोड़ में)

अनुमानित अंशदान	उपदान-वित्तपोषित	पीआरएमबी: वित्तपोषित	पुनर्वास भत्ता: गैर-वित्तपोषित	कर्मचारी सम्मान : गैर-वित्तपोषित
रिपोर्टिंग की तिथि से भावी वर्षों में देय अनुमानित हितलाभ				
प्रथम अनुवर्ती वर्ष	6.19	1.79	0.42	0.04
द्वितीय अनुवर्ती वर्ष	4.14	1.82	0.10	0.05
तीसरा अनुवर्ती वर्ष	9.52	1.88	0.77	0.07

अनुमानित अंशदान	उपदान-वित्तपोषित	पीआरएमबी: वित्तपोषित	पुनर्वास भत्ता: गैर-वित्तपोषित	कर्मचारी सम्मान : गैर-वित्तपोषित
चौथा अनुवर्ती वर्ष	12.58	1.91	1.17	0.08
पाँचवां अनुवर्ती वर्ष	13.26	1.98	1.27	0.12
6 वर्ष से 10 वर्ष	54.61	7.69	4.99	0.56

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अन्य विवरण

विवरण	विवरण	पीआरएमबी: वित्तपोषित	पुनर्वास भत्ता: गैर-वित्तपोषित	कर्मचारी सम्मान: गैर-वित्तपोषित
अनुमानित हितलाभ दायित्व की भारित औसत अवधि (वर्षों में)	9	23	9	14
अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (₹ करोड़ में)	5.57	-	-	-

इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका में उपदान योजना की स्थिति और तुलन-पत्र की तिथि पर कंपनी के वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात राशियों को दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 25	31 मार्च 24
कुल कर्मचारी हितलाभ देयताएं		
गैर-वर्तमान	11.43	9.70
वर्तमान	3.85	5.01

भविष्य निधि:

कंपनी का भविष्य निधि में योगदान, पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भेजा जाता है और लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

54 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 "पट्टे" के अनुसरण में जानकारी

कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 से भारतीय लेखांकन मानक 116 "पट्टे" को अंगीकृत किया है और पट्टा देयता के समान राशि और कार्यमुक्ति (डीकमीशनिंग) दायित्व के प्रारंभिक अनुमान के बराबर राशि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को मापने के लिए संशोधित भावी पारगमन दृष्टिकोण को लागू करने का चुनाव किया है, यदि पारगमन की तिथि पर लागू हो।

कंपनी ने वाहनों, रिगों, क्रेनों, क्रॉलरों, कम्प्रेसरों, भवनों आदि के किराये की संविदाओं में भारतीय लेखांकन मानक 116 लागू किया है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि इन संविदाओं में पट्टा घटक शामिल हैं या नहीं। संविदा के निबंधन और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के दायरे में आने वाले ऐसी संविदाओं के पट्टा घटकों का मूल्यांकन किया है। कुछ अपवादों को छोड़कर, पट्टा संविदाओं को वित्तीय विवरणों में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों, संबंधित पट्टा देयताओं और कार्यमुक्ति (डीकमीशनिंग) दायित्व के प्रारंभिक अनुमान के रूप में अभिज्ञात की जाती है। पट्टा देयताओं को शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा गया और भारत सरकार की बॉण्ड दर का उपयोग करके डिस्काउंट किया गया।

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत उपलब्ध निम्नलिखित व्यावहारिक उपायों को भी लागू करने का निर्णय लिया है:

क) **अल्पावधिक पट्टे/कम मूल्य वाली परिसंपत्तियाँ:** कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार मान्यता छूट के लिए अल्पावधिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को चुना है। कंपनी अल्पावधिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों से जुड़े पट्टा किराया भुगतान को लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में अभिज्ञात करती है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, अल्पावधिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में लाभ-हानि विवरण में प्रभारित व्यय इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अल्पावधिक पट्टों से संबंधित व्यय	272.86	81.60
कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय	-	-

ख) **छूट दर:** कंपनी ने समान आर्थिक परिवेश में समान अंतिम दर वाली समान परिसंपत्तियों के प्रत्येक पट्टे पर छूट कारक के रूप में वृद्धिशील उधार दर लागू की है। भारत सरकार के बॉण्ड की दर को 0-3 वर्ष, 3-5 वर्ष, 5-10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उन अवधियों में आने वाले विभिन्न पट्टा संविदाओं में विभाजित किया गया है। कंपनी ने समान आर्थिक परिवेश में समान अंतिम तिथि वाली समान परिसंपत्तियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एक ही छूट दर लागू की है।

वाहन किराये पर लेना, ड्रिलिंग रिग किराये पर लेना, बंडल सेवा संविदाएं आदि जैसी संविदाओं में कार्मिक लागत, रखरखाव, ड्रिलिंग संबंधी गतिविधियाँ, उपभोग्य वस्तुएँ और अन्य वस्तुओं सहित कई अतिरिक्त सेवाएँ और घटक शामिल होते हैं। ऐसी अधिकांश संविदाओं में, अतिरिक्त सेवाएँ/गैर-पट्टा घटक समग्र संविदा मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जहाँ अतिरिक्त सेवाओं/गैर-पट्टा घटकों का अलग-अलग मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है, वहाँ भुगतान की गई राशि पट्टा और गैर-पट्टा घटकों की सापेक्षिक एकल कीमतों के आधार पर आवंटित की गई है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित प्रभाव दिए गए हैं:

तुलन-पत्र :

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं का संचलन इस प्रकार है:

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	भूमि	भवन	पी एंड एम	वाहन	कुल
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष	131.35	19.43	281.46	63.32	**495.56**
परिवर्धन	0.10	10.76	780.47	60.62	**851.95**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	4.72	13.38	371.64	40.38	**430.12**
वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	-	-	0.03	-	**0.03**
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष	**126.73**	**16.81**	**690.26**	**83.56**	**917.36**

पट्टा देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार शेष राशि	**400.25**
परिवर्धन	851.95
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्तीय लागत	48.73
पट्टा देयताओं का भुगतान	446.94
रूपांतरण अंतर	2.33
वर्ष के दौरान विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार शेष राशि	**856.31**
वर्तमान	**560.57**
गैर-वर्तमान	**295.74**

लाभ एवं हानि का विवरण

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 के अनुप्रयोग का व्ययों के वर्गीकरण पर प्रभाव पड़ा है। इसने लाभ-हानि विवरण में दर्शाए गए व्ययों के समय को प्रभावित किया है। पहले संविदा लागत के रूप में वर्गीकृत संविदा किराये पर लेने पर होने वाले व्यय, तेल और गैस परिसंपत्तियों को आवंटित सीमा को छोड़कर, लाभ-हानि विवरण में मूल्यह्रास, नि:शेषण एवं परिशोधन तथा ब्याज व्यय के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ-हानि विवरण पर प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
कुल मूल्यह्रास	430.12	262.29
घटाएँ - वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(262.61)	(136.57)
लाभ-हानि विवरण में मूल्यह्रास	167.51	125.72
पट्टा देयता पर वित्तीय लागत	20.59	31.22
रूपांतरण अंतर	2.33	1.25
पट्टा किराया का प्रत्यावर्तन	(158.64)	(129.97)
कुल	**31.79**	**28.23**

नकदी प्रवाह विवरण

परिसंपत्तियों की संविदा हायरिंग संबंधी व्यय को नकदी प्रवाह विवरण में वित्तीय गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो पट्टा देयता के मूलधन और ब्याज के भुगतान को दर्शाता है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, नकदी प्रवाह विवरण में वित्तीय गतिविधियों के रूप में शामिल संविदा लागत ₹471.97 करोड़ है।

पट्टा भुगतानों के लिए अनुमानित भविष्य के बिना छूट वाले नकदी प्रवाह:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष के अंत से देय भावी पट्टा भुगतान	**991.21**	**473.55**
एक वर्ष तक	522.42	211.88
2 - 3 वर्ष तक	328.71	202.38
4 - 5 वर्ष तक	40.05	19.75
पाँच वर्ष से अधिक	100.03	39.54
कुल	**991.21**	**473.55**
घटाएँ: छूट का प्रभाव	134.90	73.30
निवल पट्टा देयता	**856.31**	**400.25**
जोड़ें: सतत पट्टा देयता	-	-
कुल पट्टा देयताएँ	**856.31**	**400.25**

55. भारतीय लेखांकन मानक (इंड –एएस) 115 – "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुसरण में प्रकटीकरण

राजस्व का विपुंजन

कंपनी 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व को उत्पाद श्रृंखलाओं के अनुसार अलग-अलग प्रस्तुत करती है। कंपनी का मानना है कि यह विभाजन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है कि हमारे राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, मात्रा, समय और अनिश्चितता उद्योग, बाजार और अन्य आर्थिक कारकों से कैसे प्रभावित होती है।

उत्पादों या सेवाओं के प्रकार के अनुसार, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
क. कच्चा तेल	5,539.74	7,299.30
ख. प्राकृतिक गैस	4,827.53	4,609.09
ग. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	178.34	170.40
घ. कंडेनसेट	30.45	34.13
ङ. नवीकरणीय ऊर्जा	111.74	112.30
च. पेट्रोलियम उत्पाद		
मोटर स्पिरिट (एमएस)	6,483.03	5,910.36
हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी)	16,491.54	15,903.45
सुपीरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ)	78.12	156.14
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलजी)	339.92	236.88
विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ)	302.22	281.38
पैराफिन वैक्स	477.87	407.79
अन्य	971.16	834.61
कुल	**35,831.66**	**35,955.61**
सेवाओं की बिक्री		
क. पाइपलाइन परिवहन		
कच्चा तेल	317.16	335.82
प्राकृतिक गैस	12.11	11.97
कुल	**329.27**	**347.79**

भारतीय लेखा मानक 115 - 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के अनुप्रयोग पर, कच्चे तेल की बिक्री में वितरण बिंदु तक अपने कच्चे तेल का परिवहन शामिल है, जो आमतौर पर जोखिम और प्रतिफल के हस्तांतरण और अभिरक्षा के हस्तांतरण के साथ मेल खाता है। पाइपलाइन परिवहन से आय में अपने कच्चे तेल के परिवहन के लिए ₹95.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹69.54 करोड़) शामिल हैं।

56. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 24 – "संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण" के अनुसरण में जानकारी

56.1 संबंधित पक्षकार संबंध

संबंधित पक्षकारों के नाम और संबंध का विवरण निम्नानुसार है:

i. संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम
1.	ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड
2.	सुनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड
3.	डीएनपी लिमिटेड
4.	इंडऑयल नीदरलैंड्स बी.वी. (ऑयल इंडिया स्वीडन एबी की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम
5.	तास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)
6.	वैंकोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)
7.	एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)
8.	वर्ल्डऐस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी. की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)
9.	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
10.	असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड
11.	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
12.	पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड
13.	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
14.	असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी का संयुक्त उद्यम)*
15.	एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड**

*असम बायो इथेनॉल (प्रा.) लिमिटेड (पूर्व में असम बायो रिफाइनरी (प्रा.) लिमिटेड)

**21 फरवरी 2025 को "एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की स्थापना की गई, जिसमें मूल कंपनी की 49% और असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 51% इक्विटी भागीदारी है। मूल कंपनी का गठन नवीकरणीय/हरित ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाने, विकास करने, निर्माण करने, स्वामित्व रखने और संचालन के लिए किया गया है। `4.90 लाख का प्रारंभिक पूंजी योगदान इक्विटी के निमित्त अग्रिम के रूप में घोषित किया गया है।

मूल कंपनी के निदेशक मंडल ने 07 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में असम के नामरूप में एक नए अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स, नामरूप-IV उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में 18% इक्विटी भागीदारी को मंजूरी दी।

ii. सहयोगी कंपनी :

क्र. सं.	सहयोगी कंपनियों का नाम
1.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

iii. ट्रस्ट निधियां :

क्र. सं.	ट्रस्ट निधियों का नाम
1.	ऑयल इंडिया लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि (ओआईएलईपीएफ)
2.	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि (ओआईएलएसपीएफ)
3.	ऑयल इंडिया सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना निधि (ओआईएसबीएसएफ)
4.	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (ओआईईपीएफ)
5.	ऑयल इंडिया पेंशन निधि (ओआईपीएफ)
6.	ऑयल इंडिया उपदान निधि (ओआईजीएफ)
7.	ऑयल इंडिया सामाजिक सुरक्षा योजना निधि (ओआईएसएसएसएफ)

56.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क. पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक:

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. रंजीत रथ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री सलोमा योमदो	निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) [19.07.2024 से प्रभावी]
3.	श्री अभिजीत मजूमदार	निदेशक (वित्त) [20.11.2024 से प्रभावी]
4.	श्री त्रैलोक्य बरगोहांई	निदेशक (प्रचालन) [17.12.2024 से प्रभावी]
5.	डॉ अंकुर बरुआ	निदेशक (मानव संसाधन) [16.04.2025 से प्रभावी]
6.	श्री हरीश माधव	निदेशक (वित्त) [30.06.2024 तक]
7.	डॉ मानस कुमार शर्मा	निदेशक (अन्वेषण एवं विकास) [30.06.2024 तक]
8.	श्री पंकज कुमार गोस्वामी	निदेशक (प्रचालन) [30.09.2024 तक]
9.	श्री अशोक दास	निदेशक (मानव संसाधन) [31.12.2024 तक]

ख कंपनी सचिव :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अजय कुमार साहू	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ग स्वतंत्र निदेशक :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सुश्री पूजा सूरी*	स्वतंत्र निदेशक [28.03.2025 से प्रभावी]
2.	श्री राजू रेवाणकर*	स्वतंत्र निदेशक [28.03.2025 से प्रभावी]
3.	श्री बलराम नंदवानी	स्वतंत्र निदेशक [28.03.2025 से प्रभावी]
4.	श्री मोती लाल मीना	स्वतंत्र निदेशक [17.05.2025 से प्रभावी]

*पूर्व अवधि 07.11.2024 तक

घ सरकार द्वारा नामित निदेशक :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री रोहित माथुर	संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय [13.05.2024 से प्रभावी]
2.	श्री विनोद शेषन	निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय [09.05.2024 तक]
3.	श्री जॉर्ज थॉमस	उप सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय [13.05.2024 से 21.03.2025 तक]

ङ मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफ़ओ) :

क्र.सं.	नाम	अवधि
1	श्री अभिजीत मजूमदार	18.12.2024 से प्रभावी
2	श्री रूपम बरुआ	01.07.2024 से 17.12.2024 तक
3	श्री हरीश माधव	30.06.2024 तक

च. अनुषंगी कंपनियों के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक – एनआरएल :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री. भास्कर फुकन	प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए (19.07.2022 से) तथा 18.07.2024 तक निदेशक तकनीकी का अतिरिक्त प्रभार संभाला।
2	श्री संजय चौधरी	निदेशक (वित्त), 28.02.2025 तक
3	श्री प्रतुल कुमार सैकिया	मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.03.2025 से प्रभावी)

56.3 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन :

i संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन:

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क. निम्नलिखित को उत्पाद की बिक्री :			
i) डीएनपी लिमिटेड	प्राकृतिक गैस और उत्पादों की बिक्री	16.78	13.15
ii) असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	प्राकृतिक गैस की बिक्री	429.71	397.24
iii) असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड	उत्पादों की बिक्री	4.19	-
iv) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	उत्पादों की बिक्री	760.40	686.25
ख. अग्रिम :			
i) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	अधिमानी शेयरों के निमित्त अग्रिम	447.59	409.29
	अधिमानी शेयरों का आवंटन	(662.79)	(543.04)
ii) एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	-	8.00
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	-	(23.50)
iii) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	16.40	48.72
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(16.40)	(48.72)
iv) पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	8.13	3.90
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(8.13)	(3.90)
v) असम पेट्रो - केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	-	0.75
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	-	(0.75)
vi) एनईजीडीसीएल	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	19.60	0.49
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(19.60)	(0.49)
vii) एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	0.05	-
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	-	-
	निगमन शुल्क के लिए अग्रिम	2.53	-
viii) डीएनपी लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	10.40	-
	इक्विटी शेयरों का आवंटन	(10.40)	-

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
ग.	**अन्य आय:**			
i)	दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड	लाभांश आय	0.81	3.69
ii)	सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	ऋण पर ब्याज आय	-	-
iii)	असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड	ऋण पर ब्याज आय	101.79	49.05
iv)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	वित्तीय गारंटी कमीशन	0.75	0.32
v)	असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड	वित्तीय गारंटी कमीशन	12.57	1.36
घ.	**इनके उत्पाद खरीदे गए:**			
i)	असम पेट्रो - केमिकल्स लिमिटेड	फॉर्मेलिन की खरीद	0.24	0.26
ङ.	**निम्नलिखित को सेवाएं प्रदान की गईं:**			
ii)	वेंकोर इंडिया पीटीई लिमिटेड	जनशक्ति एवं अन्य सेवाएँ	3.09	2.87
iii)	तास इंडिया पीटीई लिमिटेड	जनशक्ति सेवाएँ एवं अन्य सेवाएँ	3.80	3.57
iv)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	जनशक्ति सेवाएँ एवं अन्य सेवाएँ	3.77	4.34
v)	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	जनशक्ति एवं अन्य सेवाएँ	2.82	3.34
vi)	पुरबा भारती गैस प्रा. सीमित	जनशक्ति एवं अन्य सेवाएँ	1.52	1.96
vii)	असम पेट्रो - केमिकल्स लिमिटेड	जनशक्ति सेवाएँ	0.65	0.65
viii)	डीएनपी लिमिटेड	कैथोडिक संरक्षण एवं विविध सेवाएँ	0.62	0.76
ix)	भारत एनर्जी	जनशक्ति सेवाएँ	-	-
x)	एनईजीडीसीएल	जनशक्ति सेवाएँ	2.47	0.88
xi)	एलएलसी भारत एनर्जी कार्यालय	जनशक्ति सेवाएँ	-	3.17
xii)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	जनशक्ति सेवाएँ	12.68	5.70
		पट्टा किराया	3.13	-
च.	**अन्य सेवाएं:**			
i)	असम बायो इथेनॉल (प्रा.) लिमिटेड	दी गई सेवाएँ	-	15.81
		पट्टा किराया	0.57	0.64
ii)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	पट्टा किराया	177.16	3.00
iii)	असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	दी गई सेवाएँ	-	0.40
iv)	डीएनपी लिमिटेड	पट्टा किराया	120.87	-
छ.	**दिए गए ऋण :**			
i)	असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड		-	279.04
ज.	**जारी की गई वित्तीय गारंटी:**			
i)	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	92.00	224.00
ii)	असम बायो इथेनॉल (प्रा.) लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	824.73	2,180.35

2. संयुक्त उद्यमों के पास बकाया शेष :

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क. प्राप्य राशि :			
i) डीएनपी लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	1.72	1.59
ii) डीएनपी लिमिटेड	अन्य प्राप्य	-	0.28
iii) असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	534.71	333.55
iv) असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.16	0.16
v) सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	अन्य प्राप्य	2.00	1.94
	प्रावधान	(2.00)	(1.94)
vi) इंडऑयल नीदरलैंड बी.वी.	अन्य प्राप्य	20.18	19.67
	प्रावधान	(20.18)	(19.67)
vii) वैंकोर इंडिया पीटीई लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.75	0.72
viii) तास इंडिया पीटीई लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.93	0.90
ix) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	अन्य प्राप्य	1.65	2.14
x) एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	अन्य प्राप्य	2.42	0.90
xi) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	अन्य प्राप्य	-	1.56
xii) पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	अन्य प्राप्य	0.37	0.54
xiii) एनईजीडीसीएल	अन्य प्राप्य	0.65	0.88
xiv) असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड	अन्य प्राप्य	44.85	3.12
xv) एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	अन्य प्राप्य	2.53	-
xvi) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	अन्य प्राप्य	44.83	64.54
ख. ऋण :			
i) सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	ऋण	353.38	343.87
	प्रावधान	(353.38)	(343.87)
ii) असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड	ऋण	373.50	-
ग. इक्विटी के निमित्त अग्रिम :			
i) एपीजीसीएल ऑयल ग्रीन पावर लिमिटेड	इक्विटी के निमित्त अग्रिम	0.05	-
घ. संदेय राशि			
i) डीएनपी लिमिटेड	अन्य संदेय	8.15	13.52
इ. जारी की गई वित्तीय गारंटी:			
i) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	99.12	96.46
ii) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	224.00	264.00
iii) असम बायो इथेनॉल (पी) लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	3,005.08	2,180.35

3. सहयोगी कंपनियों के साथ लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**निम्नलिखित को उत्पाद की बिक्री :**			
i)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों की बिक्री	1,972.48	1,748.34
ख.	**अन्य**			
i)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	लाभांश आय	-	8.06
ii)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	पट्टा किराया	0.57	0.46

4. सहयोगी कंपनियों के पास बकाया शेष :

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम		लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**प्राप्य राशि :**			
i)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	107.49	167.23
		लाभांश प्राप्य	-	-
ख.	**सहयोगी कंपनी की ओर से जारी वित्तीय गारंटी:**			
i)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	वित्तीय गारंटी	1.26	1.26

56.4 अलग ट्रस्ट निधियों के माध्यम से प्रबंधित नियोजन पश्चात हितलाभ योजनाओं के साथ लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ट्रस्ट निधि का नाम	योजना	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
			नियोक्ता द्वारा अंशदान	बकाया/ प्राप्य/ (संदेय)	नियोक्ता द्वारा अंशदान	बकाया/ प्राप्य/ (संदेय)
1.	ऑयल इंडिया लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	परिभाषित हितलाभ	60.91	(15.40)	62.45	(15.59)
2.	ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टाफ भविष्य निधि	परिभाषित हितलाभ	46.68	(11.41)	44.44	(11.26)
3.	ऑयल इंडिया सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना निधि	परिभाषित अंशदान	132.29	(39.97)	97.36	(8.93)
4.	ऑयल इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि	परिभाषित हितलाभ	194.45	(72.85)	735.00	(194.45)
5.	ऑयल इंडिया पेंशन निधि	परिभाषित हितलाभ	-	25.01	-	23.94
6.	ऑयल इंडिया उपदान निधि	परिभाषित हितलाभ	23.24	8.25	23.60	(23.25)
7.	ऑयल इंडिया सामाजिक सुरक्षा योजना निधि	परिभाषित हितलाभ	24.27	(15.19)	23.07	11.56

56.5 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक :

क. मूल कंपनी

1. पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ	4.05	4.59
नियोजन पश्चात हितलाभ	0.86	0.91
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	0.21	0.14
कुल	**5.12**	**5.64**

2 स्वतंत्र निदेशक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
बैठक शुल्क	0.20	0.33
कुल	**0.20**	**0.33**

ख. अनुषंगी कंपनी – एनआरएल

1 पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ	3.16	2.09
नियोजन पश्चात हितलाभ	0.45	0.31
अन्य दीर्घावधिक हितलाभ	-	-
कुल	**3.61**	**2.40**

2 स्वतंत्र निदेशक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
बैठक शुल्क	0.20	0.29
कुल	**0.20**	**0.29**

57. भारतीय लेखांकन मानक 36 – "परिसंपत्तियों का क्षरण" के अंतर्गत प्रकटीकरण :-

57.1 मूल कंपनी मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन में लगी हुई है। तेल और गैस परिसंपत्तियों के लिए नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) का क्षरण परीक्षण, सिवाय राजस्थान के क्षेत्रों के जहाँ सामान्य सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, सभी क्षेत्रों को एक सीजीयू मानकर किया जाता है और राजस्थान के क्षेत्रों के लिए समग्र रूप से क्षरण परीक्षण किया जाता है।

प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन/विकास के उपयोग मूल्य का अनुमान प्रमाणित और संभावित भंडार (2पी) के आधार पर लगाया जाता है। जहाँ सीजीयू में क्षेत्रों का आगे विकास कार्य प्रगति पर है, वहाँ उपयोग मूल्य का निर्धारण करते समय भविष्य के विकास की अपेक्षित लागत पर भी विचार किया जाता है।

उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग और उनके उपयोगी जीवन के अंत में उनके निपटान से

अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को, भारित औसत पूंजी लागत को छूट दर के रूप में लागू करके, उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। (31 मार्च, 2025 को: 12.04% और 31 मार्च, 2024 को: 13.47%)।

57.2 मूल कंपनी, वर्तमान व्यावसायिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, भविष्य की आर्थिक स्थितियों की आंतरिक और बाह्य जानकारी/संकेतकों के आधार पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की भावी कीमतों का आकलन करती है। आकलन के आधार पर, सीजीयू का वसूली योग्य मूल्य वहन राशि से अधिक है और तदनुसार, उत्पादक/विकासशील परिसंपत्तियों के संबंध में चालू वर्ष के दौरान कोई क्षरण हानि नहीं हुई है।

57.3 संबंधित सीजीयू के लिए निम्नलिखित 2पी भंडार को 31 मार्च, 2025 तक क्षरण परीक्षण के आधार के रूप में माना गया:

सीजीयू का नाम	क्षरण मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त 2(पी) आरक्षित निधियों की मात्रा (एमएमटीओई में)
असम और अरुणाचल प्रदेश तेल एवं गैस क्षेत्र	117.8408
राजस्थान तेल एवं गैस क्षेत्र	3.1074
संयुक्त रूप से प्रचालित तेल एवं गैस ब्लॉक	0.1224

57.4 मूल कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, निर्माणाधीन अन्वेषण कूपों लिए प्रतिवर्तन के बाद ₹ 569.06 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 532.81 करोड़) के क्षरण का प्रावधान किया गया है।

57.5 मूल कंपनी ने पाइपलाइन, एलपीजी संयंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी अन्य सीजीयू इकाइयों का भी क्षरण परीक्षण किया है और इनमें से प्रत्येक को अलग-अलग नकदी उत्पादक इकाइयाँ माना है। चूँकि इन सीजीयू इकाइयों का उपयोग मूल्य उनके वहन मूल्य से अधिक था, इसलिए वर्ष के दौरान कोई हानि नहीं हुई।

57.6 मूल कंपनी के अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के क्षरण के लिए जाँच तब की जाती है जब कोई महत्वपूर्ण संकेत मिलता है कि उन निवेशों में क्षरण हुआ है। वर्ष के दौरान ऐसे निवेशों का क्षरण मूल्यांकन किया गया और ऐसे निवेशों की वसूली योग्य राशि उनके वहन मूल्य से अधिक थी और तदनुसार, वर्ष के दौरान ऐसे निवेशों पर कोई क्षरण नहीं हुआ।

58 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 37 के आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं के अनुसरण में अनुसार प्रकटीकरण

58.1 आकस्मिक देयताएं :

क. समूह के निमित्त दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
i.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सेवा कर और जीएसटी के अंतर्गत	784.63	736.39
ii.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत	320.52	285.83
iii.	अन्य अधिनियमों के अंतर्गत	16.84	16.83
iv	मध्यस्थता/न्यायालय में लंबित संविदाकार द्वारा	118.36	112.91
v.	जेवीसी/पीएससी खाते पर दावा	197.48	178.97
vi.	असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) संशोधन अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 2023 तक की माँग*	2,377.11	2,300.80
vii.	वनीकरण के निमित्त सीसीएफ (असम) द्वारा 2% एनपीवी की अतिरिक्त माँग	82.77	82.77
viii.	मध्यस्थता/न्यायालय में लंबित संविदाकार द्वारा दावे - नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	38.55	31.28
ix.	कराधान मामलों पर - नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	899.26	7.31

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
x.	सीमा शुल्क - नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	52.52	39.05
xi.	अन्य - नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	1.86	1.49
xii.	भूमि अधिग्रहण - ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	20.70	4.14
xiii.	संविदाकार द्वारा दावा - ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	512.46	104.99
xiv.	कराधान संबंधी मामले - ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	5.94	-
xv.	अन्य - ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	2.00	0.40
xvi.	आर्थिक हित समनुदेशन और प्रचालन करारों के विरुद्ध - सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	99.69	99.69
xvii.	अन्य दावे - इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	0.17	-
xviii.	अन्य दावे - डीएनपी लिमिटेड	0.46	-
xix.	हस्ताक्षर बोनस - ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	493.81	477.88
xx.	केंद्रीय बिक्री कर मांग (वित्त वर्ष 2015-16) - असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	0.22	0.11
xxi.	जीएसटी अपील (वित्त वर्ष 2019-20) - असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	80.86	
xxii.	आयकर मामले - असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	-	0.16
xxiii.	वैट और अन्य - असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	1.65	0.80
	कुल	**6,107.86**	**4,481.80**

*₹2377.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,300.80 करोड़) में असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) संशोधन अधिनियम, 2004 के अंतर्गत उठाई गई मांग के संबंध में कर अधीक्षक, नाहरकटिया, असम को जारी ₹702.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹702.02 करोड़) की बैंक गारंटी शामिल है, जिसका प्रकटन टिप्पणी संख्या 58.1.(ख).(i) के तहत किया गया है।

ख. गारंटियों के संबंध में :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
i.	असम कराधान (निर्दिष्ट भूमि पर) संशोधन अधिनियम, 2004 के अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2005 से 2009 तक की अवधि के लिए की गई मांग के संबंध में कर अधीक्षक, नाहरकटिया, असम को जारी की गई बैंक गारंटी।	702.02	702.02
ii.	घरेलू न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) प्रतिबद्धता के लिए बैंक गारंटी	628.49	703.20
iii.	विदेशी न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) प्रतिबद्धता के लिए बैंक गारंटी	-	277.87
iv	एनएलडी, सौर और शहरी गैस वितरण के संबंध में बैंक गारंटी	1,089.00	974.00
v.	ओएएलपी के निमित्त बैंक गारंटी	1,086.40	1,214.96
vi.	डीएसएफ ब्लॉकों के निमित्त बैंक गारंटी	158.75	158.57
vii.	साख पत्र के निमित्त	78.95	167.62
viii.	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में बैंक गारंटी	0.30	0.30
ix.	एनईजीडीसीएल के संबंध में बैंक गारंटी	90.00	44.10

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
x.	अन्य बैंक गारंटी	53.38	4.75
xi.	बैंक गारंटी - नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	88.01	93.47
xii.	साख पत्र के निमित्त - नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	67.36	200.67
xiii.	आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में बैंक गारंटी - बीसीपी लिमिटेड	1.29	0.26
xiv.	साख पत्र के निमित्त - ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	29.71	0.93
xv.	बैंक गारंटी - इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	32.58	12.90
xvi.	बैंक गारंटी - पीबीजीएल	66.00	19.11
कुल		**4,172.24**	**4,574.73**

ग. अन्य मामले जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:

(क) पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ:

(i) पूँजी लेखा में निष्पादित किए जाने हेतु शेष और लेखाओं में प्रावधानित नहीं की गईं संविदाओं की अनुमानित राशि ₹187.33 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 846.50 करोड़)।

(ii) गैर-प्रचालित संयुक्त उद्यम ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 में मूल कंपनी की पूँजीगत प्रतिबद्धता का हिस्सा शून्य है (पिछले वर्ष ₹9.59 करोड़)।

(iii) गैर-प्रचालित संयुक्त उद्यम ब्लॉक खारसांग-पीएससी में मूल कंपनी की पूँजीगत प्रतिबद्धता का हिस्सा ₹21.32 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹20.63 करोड़)।

(iv) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की पूंजी प्रतिबद्धता ₹5571.84 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹12,525.48 करोड़)

(v) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की पूंजी प्रतिबद्धता ₹252.09 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹68.75 करोड़)

(vi) एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड की पूंजी प्रतिबद्धता ₹38.60 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹117.07 करोड़)

(vii) इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की पूंजी प्रतिबद्धता ₹2,127.14 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1,061.6 करोड़)

(viii) पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड की पूंजी प्रतिबद्धता ₹309.49 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 80.94 करोड़)

(ix) ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड की पूंजी प्रतिबद्धता ₹8,920.39 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹4,055.32 करोड़)

(x) डीएनपी लिमिटेड की पूंजी प्रतिबद्धता ₹63.79 करोड़ है (पिछले वर्ष शून्य)

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ:

(क) राजस्व लेखा में निष्पादित किए जाने हेतु शेष और लेखाओं में प्रावधानित नहीं की गईं संविदाओं की अनुमानित राशि: ₹ 83.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 69.89 करोड़)

(ख) भारत सरकार के साथ एनईएलपी ब्लॉकों के लिए की गईं उत्पादन साझाकरण संविदाओं (पीएससी) के अंतर्गत मूल कंपनी द्वारा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम प्रतिबद्धता (एमडब्ल्यूपी) का शेष ₹3515.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,095.10 करोड़) है। यह प्रतिबद्धता बैंक गारंटी द्वारा कवर की गई है जैसा कि बिंदु संख्या 58.1.(ख)(ii) में उल्लिखित है।

(ग) विदेशी ब्लॉकों के लिए की गईं उत्पादन साझाकरण संविदाओं (पीएससी) के अंतर्गत मूल कंपनी द्वारा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम प्रतिबद्धता (एमडब्ल्यूपी) का शेष ₹442.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹432.34 करोड़) है।

(घ) मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के राइट इश्यू के प्रति प्रतिबद्धता ₹550.95 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1,101.90 करोड़)।

(ड़) मूल कंपनी को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) के निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) के तहत पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सड़क, क्रॉस नालियों, सौर ऊर्जा सहित विद्युतीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं, फसल और चारे की पैदावार बढ़ाने के लिए स्थानीय किसानों को वैज्ञानिक सहायता और जागरूकता, वर्षा जल संचयन, मिट्टी की नमी संरक्षण कार्य, एवेन्यू वृक्षारोपण, सामुदायिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण आदि के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी गतिविधियों को पूरा करना आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना के आसपास प्रभावित क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक आवश्यकता मूल्यांकन आदि के आधार पर पर्यावरण मंजूरी प्रदान करते समय इन गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धताओं का निर्णय लिया जाता है। कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के प्रति मूल कंपनी की कुल बकाया प्रतिबद्धताएं 31 मार्च, 2025 तक ₹63.96 करोड़ है (31 मार्च, 2024 तक ₹ 79.50 करोड़)।

59 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

एमएसएमई विक्रेताओं से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद करते समय, समूह एमएसएमई विक्रेताओं के साथ गैर-एमएसएमई विक्रेताओं के समान व्यवहार करता है। तथापि, कंपनी एमएसएमई अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान करती है।

कंपनी ने उन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहचान की है जिन पर समूह का बकाया है, जो 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार बकाया हैं।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क) किसी आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि का भुगतान न किया जाना	48.78	79.61
ख) किसी आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज का भुगतान न किया जाना	-	-
ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही उस अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के बाद किए गए भुगतान की राशि।	-	-
घ) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान की गई है), लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
ङ) प्रोद्भूत और देय ब्याज की राशि।	-	-
च) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

60 अन्य प्रकटीकरण :

60.1 पीएमएल की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क :

असम सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने खनन पट्टे के नवीनीकरण सहित तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और अन्य खनिजों के खनन पट्टों के कार्यों के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना हेतु प्रतिफल के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पर दिनांक 1 सितंबर, 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या E-274398/2023/85 जारी किया। वर्तमान में, पीएमएल क्षेत्रों के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना और भुगतान डेड रेंट के आधार पर की जाती है। लेकिन का. ज्ञा. में डेड रेंट के बजाय पीएमएल क्षेत्र के लिए स्वीकृत उत्पादन मात्रा हेतु पट्टा अवधि के दौरान देय औसत वार्षिक रॉयल्टी के आधार पर गणना करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

कार्यप्रणाली में बदलाव का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिसका विश्वसनीय रूप से आकलन नहीं किया जा सकता। कंपनी का मानना है कि डेड रेंट के आधार पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना लागू अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार है। आधार में परिवर्तन और उसे लीज़ अवधि के दौरान अनुमानित उत्पादन से जोड़ने का वर्तमान कदम संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है। कंपनी ने इस संबंध में असम सरकार को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। कंपनी के पीएमएल क्षेत्रों के किसी भी अनुदान/नवीनीकरण से संबंधित संबंधित विभाग से कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, असम सरकार द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की वैधता के संबंध में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) से राय मांगी गई थी और एएसजीआई ने 24.12.2024 की अपनी राय में स्पष्ट किया था कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 26 का प्रावधान उस स्थिति पर लागू होता है जहां रॉयल्टी किराए के रूप में या किराए के एक हिस्से के रूप में प्राप्त होती है। तथापि, तेल क्षेत्रों के नियमन और रॉयल्टी के भुगतान के लिए एक विशेष अधिनियम, यानी तेल क्षेत्र (विनियमन) और विकास अधिनियम, 1948 (ओआरडीए) है। संपत्ति पर काम किया गया है या नहीं, इसके बावजूद किराया देय होगा और यह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन पर निर्भर नहीं है। दूसरी ओर, रॉयल्टी का मूल्य हमेशा खनिज तेल के उत्पादन के परिणाम के आधार पर परिवर्तनशील होता है और इसलिए खनन पट्टे के निष्पादन की तिथि पर हमेशा अनिश्चित रहने की संभावना होती है। इसलिए, उन्होंने कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 26 पेट्रोलियम खनन पट्टे पर लागू नहीं होती है और इसलिए स्टाम्प शुल्क की गणना के लिए रॉयल्टी को शामिल करना उचित और वैध नहीं है।

तदनुसार, इस मुद्दे पर किसी मांग/स्पष्टता के अभाव में, असम सरकार द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के कारण उत्पन्न होने वाली निश्चित देयता या आकस्मिक देयता की राशि का पता लगाना असंभव है।

60.2 ऊर्जा क्रय करार (पीपीए) की समाप्ति पर प्रकटीकरण

कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) किया था, जिसकी वैधता 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई। कंपनी ने पत्र संख्या आर/टीएस/आरई/2019-80 दिनांक 26 मार्च 2019 के माध्यम से, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन ढांचे के अंतर्गत, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) को शेष उपयोगी जीवन के लिए दोनों सौर ऊर्जा संयंत्रों के पीपीए की वैधता बढ़ाने का अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

करार के निष्पादन में जेडीवीवीएनएल की ओर से प्रतिक्रिया में अत्यधिक देरी को देखते हुए, कंपनी ने विद्युत क्रय करार को अंतिम रूप देने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में एक रिट याचिका दायर की है। 5 नवंबर 2019 को हुई सुनवाई के दौरान, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने आदेश दिया कि रिट याचिका के निपटारे तक, बिना किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, संयुक्त मीटर रीडिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाएँ। मामले की अंतिम सुनवाई 13.05.2024 को सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन न्यायालय के अवकाश के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आगे की सुनवाई 22.07.2024 को हुई, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक हलफनामा दायर करने और मामले को 27.08.2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। उसके बाद से आज तक कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है।

वित्तीय विवरण के नोट 33 में दर्शाई गई नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री में सौर ऊर्जा संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के संबंध में ₹6.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7.10 करोड़) की राशि शामिल है। जेडीवीवीएनएल के साथ विद्युत क्रय करार (पीपीए) के नवीनीकरण तक माननीय राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा निर्धारित दर (₹3.14 प्रति यूनिट) के अनुसार राजस्व की पहचान की गई है। पीपीए को अंतिम रूप देने पर होने वाले किसी भी समायोजन का लेखा-जोखा घटना वर्ष में किया जाएगा। प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, पीपीए के निष्पादन पर अंतिम मूल्य में समायोजन महत्वपूर्ण नहीं होगा।

60.3 शेष राशि की पुष्टि

मूल कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, व्यापार और अन्य प्राप्य, व्यापार और अन्य संदेय और ऋणों के कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अध्यधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के बाद उसका हिसाब लगाया जाएगा, जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं होगा।

60.4 रूस और यूक्रेन संघर्ष

समूह ने रूसी संघ में रुचि रखने वाले संयुक्त उद्यमों में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जैसा कि वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 7 में बताया गया है। फरवरी 2022 में रूसी संघ द्वारा यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने रूसी सरकार, प्रमुख वित्तीय संस्थानों और रूस में कुछ अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों पर अतिरिक्त कड़े प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा, रूसी संस्थाओं को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाए गए। इन घटनाओं के कारण वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है और रूसी कारोबारी माहौल में आर्थिक अनिश्चितता का स्तर काफी बढ़ गया है। इसे समूह और तेल एवं गैस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है क्योंकि इसका तेल की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति सीमित हो सकती है।

प्रबंधन ने प्रतिबंधों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया है:

(क) प्रबंधन ने अपने विधिक सलाहकार से परामर्श किया है और यह आकलन किया है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का तत्काल प्रभाव रूस संघ में कंपनी के निवेश पर पड़ने की संभावना नहीं है; और

(ख) इन वित्तीय विवरणों की तिथि तक, रूस में संयुक्त उद्यमों, अर्थात् जेएसस्री वैंकोरनेफ्ट और टीवाईएनजीडी एलएलसी, के प्रचालन प्रतिबंधों से तत्काल प्रभावित नहीं हुए और निर्बाध रूप से जारी रहे क्योंकि इसके प्रमुख ग्राहक चीन में स्थित हैं, जिसने रूसी सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

तदनुसार, प्रबंधन का विचार है कि समूह के वित्तीय विवरणों की तैयारी में चालू समुत्थान आधार उपयुक्त है क्योंकि समूह लाभ में है और उसके पास अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है।

60.5 प्रभार का विवरण :

(क) मूल कंपनी ने नकद ऋण/साख पत्र/बैंक गारंटी सुविधा प्राप्त करने के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों के निमित्त ₹1027.45 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹922.45 करोड़ के अनुरूप) का प्रभार सृजित किया है।

(ख) अनुषंगी कंपनी, मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने सुविधा करार के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति की पूर्णता के लिए परियोजना के संयंत्र, संपत्ति और उपकरण पर प्रथम प्रभार के रूप में बंधक का अनुबंध निष्पादित किया है। बंधक का अनुबंध 30.12.21 को अधिनिर्णित/पंजीकृत किया गया है और 07.01.22 को कंपनी रजिस्ट्रार, गुवाहाटी के पास प्रभार भी पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, मैसर्स एनआरएल की परिसंपत्तियों पर 30.12.21 को दृष्टिबंधक विलेख निष्पादित करके सुरक्षा सृजित की गई है। आवश्यक प्रभार दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार, गुवाहाटी के पास दाखिल कर दिए गए हैं।

60.6 सरकारी अनुदान

i. व्यवहार्यता अंतराल निधि (वीजीएफ)

अनुषंगी कंपनी को रिफाइनरी की विस्तार परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि के रूप में अनुदान प्राप्त हुआ है। 31 मार्च 2025 तक अपरिशोधित अनुदान राशि ₹995.50 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24: ₹720.50 करोड़) है।

ii. ईपीसीजी अनुदान

केंद्र सरकार की ईपीसीजी योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर शुल्क माफी के संबंध में स्वीकृत अनुदान, जो पूर्व-उत्पादन और उत्पादन के बाद के पुर्जों सहित पूंजीगत वस्तुओं की खरीद शून्य शुल्क पर करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि खरीदे गए पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क का 6 गुना (पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित इकाई के लिए 1.5 गुना) निर्यात दायित्व हो। 31 मार्च 2025 तक अशोधित अनुदान राशि ₹468.49 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24: ₹215.25 करोड़) है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनी ने अनुदान के परिशोधन के रूप में लाभ और हानि के विवरण में शून्य (वित्त वर्ष 2023-24: शून्य) को मान्यता दी है।

60.7 रॉयल्टी भुगतान पर सेवा शुल्क एवं जीएसटी

मार्च, 2016 से जून, 2017 की अवधि के लिए मूल कंपनी पर सेवा कर की मांग की गई थी, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के तहत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर भुगतान की गई रॉयल्टी पर सेवा कर लगाने की मांग की गई थी। मूल कंपनी ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करके विभिन्न आधारों पर मांग को चुनौती दी है। हालाँकि, रिटों के लंबित रहने तक, मूल कंपनी ने ₹ 257.13 करोड़ की पूरी सेवा कर मांग विरोध के तहत जमा कर दी है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था और सीबीआईसी द्वारा जारी सरकारी सेवाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी पर जीएसटी देय है। हालाँकि, मूल कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के तहत देय/भुगतान की गई रॉयल्टी पर सेवा कर/जीएसटी देय नहीं है। तदनुसार, मूल कंपनी ने इस तरह के शुल्क को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ दायर की हैं। इसके अलावा, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर, 2021 के अपने अंतरिम आदेश के माध्यम से अगले आदेश तक असम राज्य में मूल कंपनी द्वारा किए गए रॉयल्टी भुगतान पर जीएसटी पर रोक लगा दी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, मूल कंपनी ने जीएसटी विभाग, अरुणाचल प्रदेश को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में इस मद में जीएसटी का भुगतान वर्तमान में रोक दिया गया है।

31 मार्च, 2025 तक आपत्ति दर्ज करते हुए जमा की गई कुल जीएसटी राशि ₹1,256.86 करोड़ है। इसके अलावा, उपर्युक्त राशि में से मूल कंपनी को असम राज्य में ₹24.42 करोड़ का रिफंड प्राप्त हुआ है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष मूल कंपनी के सभी लंबित मामलों को नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 14 मार्च, 2024 के अपने आदेश के तहत सिविल अपील संख्या 4056-4064/1999 से मामलों को अलग कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत एक समान मामले पर 25.07.2024 के अपने आदेश के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा है कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत भुगतान की गई रॉयल्टी कर नहीं है। हालाँकि, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम के तहत भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की प्रकृति का निर्णय न्यायालय द्वारा अलग से किया जाना है, क्योंकि इसमें अलग संवैधानिक प्रावधान है।

मामले की सुनवाई में काफी समय बीत जाने, अनुकूल निर्णय प्राप्त करने में अनिश्चितता और भारी राशि के संचय को देखते हुए, मूल कंपनी ने मामले की आंतरिक समीक्षा की और विवेकपूर्ण एवं रूढ़िवादी सिद्धांत के आधार पर रॉयल्टी पर सेवा कर/जीएसटी के लिए प्रावधान किया। 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए प्रदान की गई राशि ₹204.41 करोड़ है, जिसमें ₹75.33 करोड़ का ब्याज शामिल है (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹269.46 करोड़ के ब्याज सहित ₹809.32 करोड़)। 31 मार्च, 2025 तक रॉयल्टी पर विवादित सेवा कर/जीएसटी के लिए प्रदान की गई कुल राशि ₹3888.65 करोड़ है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान असाधारण मद के रूप में दर्शाई गई ₹2362.72 करोड़ की राशि, 31 मार्च, 2023 तक रॉयल्टी (₹80.04 करोड़ ब्याज सहित) पर सेवा कर/जीएसटी की राशि को दर्शाती है।

हालाँकि, मामले का निर्णय लंबित रहने तक, आपत्ति दर्ज करते हुए भुगतान किए गए सेवा कर/जीएसटी को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्वीकार्य कटौती के रूप में दावा किया जा रहा है।

60.8 विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी):

भारत सरकार (जीओआई) ने 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 05/2022 के तहत 1 जुलाई, 2022 से कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) लगाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित और अधिसूचित किया जाता रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, एसएईडी से संबंधित ₹780.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,404.79 करोड़) की राशि, मूल कंपनी द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की ऐसी मात्रा को छोड़कर, जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित कच्चे तेल से अधिक है, लागू मात्रा पर गणना करके "उत्पाद शुल्क" शीर्षक के अंतर्गत लाभ-हानि विवरण में दर्शाई गई है।

60.9 मोज़ाम्बिक क्षेत्र 1 परियोजना के ऋण चुकौती वचनबंध पर प्रकटीकरण

मोजाम्बिक क्षेत्र 1 परियोजना, जिसमें ओआईएल की बीआरईएमएल के माध्यम से 4% भागीदारी अधिकार (पीआई) है, ने निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) प्रत्यक्ष ऋण, ईसीए कवर सुविधाओं, वाणिज्यिक बैंक सुविधाओं और अफ्रीकी विकास बैंक से ऋण सुविधा के तहत 15.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता हासिल की है। परियोजना के प्रत्येक प्रायोजक द्वारा ऋण चुकौती वचनबंध (डीएसयू) प्रदान करना परियोजना वित्त व्यवस्था के तहत पूर्व शर्तों में से एक है। डीएसयू प्रदाता के रूप में ओआईएल अपने दायित्व के हिस्से का भुगतान करने का वचन

देता है जो परियोजना में उसके पीआई के आधार पर किसी निश्चित समय पर अग्रिमों की कुल राशि के आनुपातिक हिस्से के बराबर है। ओआईएल के मामले में, वरिष्ठ लेनदारों द्वारा दावा की जा सकने वाली अधिकतम राशि 768 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित कर दी गई है। 31 मार्च 2025 तक, परियोजना स्तर पर ऋणदाताओं से 287.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर (26 मार्च, 2021 को आहरित 199.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 1 अप्रैल 2021 को आहरित 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का ऋण लिया जा चुका है। डीएसयू में ओआईएल की 4% हिस्सेदारी 11.49 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

60.10 समूह ने सिंगापुर में पंजीकृत संयुक्त उद्यम इकाई के माध्यम से रूस में तेल ब्लॉकों में निवेश किया है। रूसी तेल ब्लॉकों की स्टेप डाउन इकाइयों ने लाभांश घोषित किया है जो रूस में सिंगापुर संयुक्त उद्यम इकाई के बैंक खाते में प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, रूस से धन हस्तांतरण पर रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रूस के केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों (जो अभी 30 सितंबर 2025 तक मान्य हैं) के कारण, उक्त प्रतिबंध लागू रहने तक धनराशि सिंगापुर वापस नहीं भेजी जा सकती।

61 समेकित वित्तीय विवरण 21 मई, 2025 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

62 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

हस्ता/-
(सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

हस्ता/-
(ए के साहू)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(अभिजीत मजूमदार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
(डॉ. रंजीत रथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

फॉर्म एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग"क" अनुषंगी कंपनियां

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में सूचना ₹ राशि के साथ प्रस्तुत की जाए)

क्र. सं. .	विवरण	ऑयल इंडिया स्वीडन एबी		नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.		ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	
1	अनुषंगी कंपनी के अधिग्रहण की तिथि	26.02.2010		26.03.2021	31.01.2025	02.05.2014		06.05.2016	
2	रिपोर्टिंग वर्ष/अवधि समाप्त	31.03.2025		31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025		31.03.2025	
3	रिपोर्टिंग मुद्रा	यूरो		₹ करोड़	₹ करोड़	यूएसडी		यूएसडी	
4	विनिमय दर (31.03.2025 तक)	यूरो 1 = ₹93.90		लागू नहीं	लागू नहीं	यूएसडी 1 = ₹86.27		यूएसडी 1 = ₹86.27	
		यूरो	₹ करोड़	₹ करोड़	₹ करोड़	यूएसडी	₹ करोड़	यूएसडी	₹ करोड़
5	शेयर पूंजी	39,08,333	302.21	1,687.05	5.00	3,20,20,590	218.73	53,37,07,277	3,488.68
6	आरक्षित और अधिशेष	(4,79,713)	(270.01)	14,572.68	(0.91)	(13,97,56,398)	(1148.17)	(15,66,90,878)	(236.16)
7	कुल संपत्ति	34,56,376	32.46	38,408.15	5.00	64,012	0.55	93,84,49,928	8,096.01
8	कुल देयताएं	27,756	0.26	22,148.42	0.91	10,77,99,820	929.98	56,14,33,529	4,843.49
9	निवेश	4,69,31,867	440.69	1233.88	-	1	-	60,77,23,664	5,242.83
10	टर्न ओवर	-	-	25,146.68	-	-	-	-	-
11	कर पूर्व लाभ	(61,675)	(0.57)	2,216.67	(0.91)	(69,17,849)	(59.67)	1,29,09,939	109.96
12	कर प्रावधान	-	-	607.51	-	2,356	0.02	31,07,692	26.47
13	कर पश्चात लाभ	(61,675)	(0.57)	1,609.16	(0.91)	(69,20,205)	(59.69)	98,02,247	83.49
14	प्रस्तावित लाभांश	-	-	562.88	-	-	-	-	-
15	शेयरधारिता का %	100%		69.63%	100.00%	100%		100%	

टिप्पणियाँ:

1. उन अनुषंगी कंपनियों के नाम जिनका प्रचालन अभी शुरू होना है
   क) शून्य
2. उन अनुषंगी कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन हो चुका है या जिन्हें बेच दिया गया है
   क) शून्य
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े हानि दर्शाते हैं।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
(सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(ए के साहू)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(अभिजीत मजूमदार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
(डॉ. रंजीत रथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

भाग-ख : सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

	सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का नाम	दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	ब्यास टोवुमा एनर्जी मोजाम्बिक लिमिटेड	सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड
1.	**नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि**	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2025	31.12.2021
2.	वह तिथि जिस दिन सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम संबद्ध हुआ या अधिग्रहित हुआ	14.01.2008	05.09.2006	30.11.2018	10.08.2018	21.09.2018	19.11.2019	11.11.2023	07.01.2014	31.08.2007
3.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के शेयर**									
	संख्या (इक्विटी)	47660000	141767000	96000000	728385744	303250000	43721600	68600000	5120	2500000
	संख्या (वरीयता)								22708	
	सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹करोड़ में)	47.66	141.77	96.00	230.56	303.25	43.72	68.60	10640.46	0.05
	धारित की सीमा %	23%	10%	50%	20%	48.80%	26%	49%	40%	25%
4.	**महत्वपूर्ण प्रभाव होने के कारणों का विवरण**	20% से अधिक स्टेक और शेयरधारक करार	10% स्टेक और महत्वपूर्ण लेनदेन सहित बोर्ड में प्रतिनिधित्व*	50% स्टेक और बोर्ड में प्रतिनिधित्व।	संयुक्त उद्यम करार के अनुसार 20% स्टेक	एक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने के अधिकार सहित 48.79% स्टेक	संयुक्त उद्यम करार के अनुसार 26% स्टेक	संयुक्त उद्यम करार के अनुसार 49% स्टेक	पारस्परिक रूप से सहमत संयुक्त करार प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार	शेयरधारक करार के अनुसार
5.	**सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	**नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारित पर रीप्य नेट वर्थ (₹करोड़ में)**	102.25	301.82	101.27	233.57	96.39	36.53	69.22	5796.39	(266.39)
7.	**वर्ष के लिए लाभ/हानि**									
	i. समेकन में विचारित (₹करोड़ में)	4.66	1.14	(1.09)	(3.62)	(148.59)	(3.42)	0.35	(38.24)	-
	ii. समेकन में जिन पर विचार नहीं किया गया (₹करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* सहयोगी कंपनी को निरूपित करता है:

टिप्पणियां:

1. उन सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया है - शून्य
2. उन सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बेच दिया गया है – शून्य

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
(सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(ए के साहू)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(अभिजीत मजूमदार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
(डॉ. रंजीत रथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

अतिरिक्त जानकारी - अनुसूची III का निर्देश संख्या 2

कंपनी का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल परिसंपत्तियों में से देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	अन्य व्यापक आय में हिस्सा समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मूल कंपनी	83.05%	45,434.90	86.85%	6,114.19	89.71%	(2,787.01)	84.60%	3,327.18
अनुषंगी कंपनियाँ:								
भारतीय								
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	20.70%	11,321.65	15.92%	1,120.47	-0.06%	1.97	28.54%	1,122.44
ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.01%	4.09	-0.01%	(0.91)	0.00%	-	-0.02%	(0.91)
विदेशी								
ऑयल इंडिया स्वीडन एबी	-0.69%	(377.63)	-0.01%	(0.86)	0.02%	(0.51)	-0.03%	(1.36)
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बी.वी.	-1.70%	(929.44)	-0.85%	(59.69)	0.75%	(23.40)	-2.11%	(83.09)
ऑयल इंडिया इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड	5.95%	3,252.52	1.19%	83.49	20.81%	(646.58)	-14.32%	(563.09)
सभी अनुषंगी कंपनियों में अल्पमत अधिकार	9.03%	4,938.08	6.94%	488.70	-0.03%	0.86	12.45%	489.56
सहयोगी कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स लिमिटेड	0.22%	119.77	0.02%	1.56	0.00%	0.12	0.04%	1.69
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
दुलियाजान नुमालीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड	0.08%	41.12	0.09%	6.62	0.00%	(0.01)	0.17%	6.61
एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	0.01%	3.94	-0.02%	(1.45)	0.00%	0.00	-0.04%	(1.45)
इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	-0.01%	(4.20)	-0.05%	-3.66	0.00%	-	-0.09%	(3.66)
असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड	-0.38%	(206.86)	-2.11%	(148.59)	0.00%	-	-3.78%	(148.59)
पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड	-0.01%	(7.19)	-0.05%	(3.42)	0.00%	-	-0.09%	(3.42)
नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.00%	0.47	0.01%	0.47	0.00%	-	0.01%	0.47
विदेशी								
ब्यास रोवुमा एनर्जी मोज़ाम्बिक लिमिटेड	4.89%	2,673.65	-0.54%	(38.24)	-11.20%	347.94	7.87%	309.70
सनटेरा नाइजीरिया 205 लिमिटेड	-0.49%	(266.45)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
अंतर-समूह उन्मूलन	-20.64%	(11,292.62)	-7.37%	(519.05)	0.00%	-	-13.20%	(519.05)
कुल	100.00%	54,705.80	100.00%	7,039.63	100.00%	(3,106.61)	100.00%	3,933.02

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 002803सी

हस्ता/-
(सीए गौतम शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं.: 079225

कृते आरकेपी एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 322473ई

हस्ता/-
(सीए(डॉ.) कमल मौर)
भागीदार
सदस्यता सं. 067544

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(ए के साहू)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(अभिजीत मजूमदार)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 10788427

हस्ता/-
(डॉ. रंजीत रथ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 08275277

स्थान : नोएडा
दिनांक : 21 मई, 2025

चयनित ऊर्जा एवं वित्तीय शब्दावली

क. उर्जा संबंधी पारिभाषिक शब्द

मूल्यांकन कूप: एक मूल्यांकन वेधन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वेधित एक कूप, जिसका वेधन तेल और गैस के भंडारों की वास्तविक मात्रा व उसकी विशेषताओं के साथ साथ उस क्षेत्र की संभावित उत्पादन दर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

बीएस एंड डब्ल्यू: यह बेसिक सेडिमेंट और (जल) वाटर का संक्षिप्ताक्षर है। इसके अंतर्गत अबाधित जल, तलछट और इमल्शन शामिल होते है और इसे उत्पादक स्ट्रीम के एक मात्रात्मक प्रतिशत के रूप में मापा जाता है।

कंडेनसेट: प्राकृतिक गैस के साथ उत्पादित तरल हाइड्रोकार्बन, जिसे प्रशीतण(कूलिंग) तथा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथक किया जाता है।

विकास: खोजों के उपरांत वेधन, निर्माण तथा संबंधित गतिविधियां जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन आरंभ करने तथा परिवहन के लिए आवश्यक होती है।

विकासात्मक कूप: किसी तेल और गैस कुंड के प्रमाणित क्षेत्र के भीतर उत्पादन योग्य क्षितिज की गहनता तक वेधित एक कूप।

अन्वेषण: स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूगर्भिक अध्ययन, भूभौतिकीय सर्वेक्षण, भूकंपीय सर्वेक्षण और वेधित कूपों का उपयोग करते हुए तेल और/अथवा प्राकृतिक गैस की खोज करना।

अन्वेषण कूप: तेल अथवा गैस के उत्पादन के उद्देश्य से किसी अप्रमाणित क्षेत्र में वेधित कूप। यह ऐसा कूप होता है जो एक विकासात्मक कूप, एक सेवा प्रदायक कूप अथवा स्तरीकृत परीक्षण कूप नहीं होता है।

भारी कच्चा तेल: भारी हाइड्रोकार्बन भिन्नताओं तथा धात्विक सामग्री की एक उच्च अनुपात में उपस्थिति के कारण उच्च विशिष्टता गुरुत्व व एक अल्प एपीआई गुरुत्व से युक्त कच्चा तेल।

वर्धित दोहन: रिजर्वोयरों में प्राकृतिक बलों को अनुपूरित करते हुए प्राकृतिक रूप से अस्तित्व धारित रिजर्वोयरों के प्राथमिक दोहन से अधिक मात्रा में अतिरिक्त पेट्रोलियम की निकासी ही वर्धित दोहन कहलाता है। इसमें जलीय फ्लडिंग, गौण प्रक्रियाएं, तृतीयक प्रक्रियाएं तथा प्राकृतिक रिजर्वोयरों से प्राप्ति को संयोजित करने की प्रक्रियाओं जैसे किन्ही अन्य साधनों को शामिल किया जाता है। (इसे वर्धित दोहन भी कहा जाता है)

द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी): वह गैस जो कि अत्यंत शीत तापमान और उच्च दाब के तहत तरलीकृत होती है।

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी): कच्चे तेल के परिशोधन से प्राप्त ब्यूटेन, प्रोपेन तथा अन्य हल्के हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण। सामान्य तापमान पर यह एक गैस होती है, परंतु इसे भंडारण और परिवहन की सुविधा के लिए दबाव के आधार पर प्रशीतित किया जा सकता है।

खनन पट्टा: विकास और उत्पादन संबंधी गतिविधियों के प्रचालन के लिए तटीय क्षेत्र में स्थित परिसंपत्तियों के लिए जारी किए गए लाइसेंस।

एमएमबीटीयू: इसे ऊष्मा की ऊर्जा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक मिलियन ब्रिटिश थर्मल इकाइयाँ, 252,000 किलो कैलोरी अथवा 293 किलो वॉट घंटों को दर्शाता है।

तेल समतुल्य गैस (ओईजी): प्राकृतिक गैस की वह मात्रा जिस उसी मात्रा में ऊष्मा प्रदान करने के लिए जलाया जाता है जितनी ऊष्मा तेल के बैरल से प्राप्त होती है (6,000 घन फीट गैस एक बैरल तेल के समान होती है)।

पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस: ये अन्वेषण संबंधी गतिविधि के प्रचालन के लिए तटवर्ती परिसंपतियों हेतु जारी किए गए लाइसेंस होते हैं।

उत्पादक संपत्ति: इन्हें उन कच्चे तेल अथवा गैस भंडारों को सौंपे गए मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उत्पादन मौजूदा सुविधाओं से किया जा सकता है। यह संपत्ति निःशेषण पर आधारित होती है।

भंडार : भूमिगत चट्टानी संरचनाओं में निहित तेल एवं प्राकृतिक गैस को रिजर्वायर कहा जाता है। प्रमाणित भंडार वह अनुमानित मात्रा होती है जिन्हें भूगर्भिक और इंजीनियरिंग आंकड़ों द्वारा दर्शाया जाता है जिनका यथोचित रूप से सुनिश्चित उत्पादन मौजूदा आर्थिक और प्रचालन परिस्थितियों के तहत अभिज्ञात रिजर्वायरों से किया जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होने पर भंडार अनुमान परिवर्तित हो जाते हैं। वसूली योग्य भंडार वे होते हैं जिन्हें सभी प्रकार के अभिज्ञात प्राथमिक और वृद्धिशील वसूली प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए उत्पादित किया जा सकता है।

शेल गैस: शेल संरचनाओं से उत्पादित प्राकृतिक गैस जहां गैस के स्रोत शेल के भीतर ही स्थापित होते हैं और वे चट्टानों में अल्प सरंध्रता तथा अत्यंत अल्प पारगम्यता के साथ फंसे होते हैं। शेल गैस के उत्पादन कार्य में गैस के उत्पादन के लिए हाइड्रोलिक भंजन की आवश्यकता होती है।+

अम्लीय कच्चा तेल: उच्च सल्फर युक्त सामग्री सन्निहित कच्चा तेल।

मृदु कच्चा तेल: अल्प सल्फर युक्त सामग्री सन्निहित कच्चा तेल।

उत्पादन इकाई पद्धति: मूल्यहास (निःशेषण) की पद्धति जिसके तहत मूल्यहास (निःशेषण) की गणना उत्पादन की संख्या अथवा उस उद्यम द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त की जाने योग्य उसी के समान अपेक्षित इकाइयों के आधार पर की जाती है।

वर्क ओवर: प्रवाह की दर को बढ़ाने के लिए किसी कूप के भीतर, कूप पाइप संबंधी कार्य अथवा प्रयासों से संबंधित उपकरणों का सुधारात्मक कार्य।

ख. वित्त संबंधी पारिभाषिक शब्द

परित्यक्तता लागत: परित्यक्तता लागतें वे लागतें होती हैं जो परिसंपत्ति के सभी प्रकार के प्रचालनों को स्थगित करने तथा उन्हें उस परिसंपत्ति को समर्पित करते हुए स्वामी को वापिस करने पर व्यय की जाती हैं। ये लागतें कूपों के परित्याग, कूप शीर्षों, उत्पादन व परिवहन साधनों का भंजन करने तथा उत्पादन क्षेत्रों की बहाली से संबंधित होती हैं।

बही मूल्य: वह राशि जिस पर किसी मद को लेखा बहियों अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के विशिष्ट आधार का उल्लेख नहीं किया जाता है जिसके आधार पर राशि को निर्धारित किया जाता है अर्थात लागत, प्रतिस्थापना मूल्य,

आदि।

नियोजित पूंजी: किसी उद्यम द्वारा निवल अचल संपत्ति, निवेश और कार्यशील पूंजी में नियोजित किया गया वित्त। तथापि, किसी प्रचालन में नियोजित की गई पूंजी में से उस प्रचालन से बाहर किए गए निवेश को हटाया जा सकता है।

उप-कर: यह तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत कच्चे तेल की मान्य व रिफाइनरी में प्राप्त की गई मात्रा पर लगाया गया एक प्रशुल्क है तथा यह केन्द्र सरकार को देय होता है।

आकस्मिक देयता: किसी मौजूदा स्थिति अथवा परिस्थिति से संबंधित कोई दायित्व जो एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाक्रमों के घटित होने अथवा घटित न होने की निर्भरता पर भविष्य में उत्पन्न हो सकता है।

मूल्यहास: अवक्षय, खपत अथवा उपयोग, समय के प्रवाह अथवा प्रौद्योगिकी और बाजार में परिवर्तनों के माध्यम से अप्रचलन के कारण उत्पन्न मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों के मूल्य से संबंधित अन्य घाटों का प्रमाप।

निःशेषण: किसी बेकार परिसंपत्ति (उत्पादक परिसंपत्ति) के कार्य समापन का आवधिक रूप से बट्टे खाते में डाली गई लागत के माध्यम से दर्शाया गया प्रमापन।

आस्थगित व्यय: वह व्यय जिसका भुगतान किया गया है अथवा जिसे किसी देयता के संदर्भ में व्यय किया गया है परंतु उसे इस पूर्वानुमान के आधार पर अग्रेनीत किया गया है कि यह किसी तदुपरांत अवधि अथवा अवधियों में लाभप्रद होगा। इसे आस्थगित राजस्व व्यय भी कहा जाता है।

लाभांश: शेयरधारकों को लाभ अथवा आरक्षिति राशियों में से किया गया वितरण जो इसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध होता है।

विकास संबंधी लागत: उत्पादन के लिए प्रमाणित भंडारों को तैयार करने में व्यय की गई लागतें अर्थात प्रमाणित भंडारों तक पहुंचने के लिए तथा निकासी, संग्रहण का प्रशोधन व तेल और गैस का भण्डारण करने के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए व्यय की गई लागतें।

प्रति शेयर अर्जन: अर्जन प्रत्येक इक्विटी से संबद्ध मौद्रिक शब्दावली है।

असाधारण मद: लाभ या हानि, जो घटनाओं अथवा लेन-देनों से उत्पन्न होती हैं वे उद्यम की सामान्य गतिविधियों से भिन्न होती हैं और जो निरंतर अथवा नियमित रूप ही पुनरावृत न होने योग्य वास्तविक तथा अपेक्षित दोनों प्रकार के होती हैं। इसमें वे परिस्थितिजन्य बाध्यकारी वास्तविक समायोजन भी शामिल होंगे जो तथापि पूर्व अवधि से संबंधित होते है, परंतु वे वर्तमान अवधि में निर्धारित किए जाते हैं।

अन्वेषण लागत: अन्वेषण परिसंपत्ति पर व्यय की गई लागत। अन्वेषण में अन्वेषण कूपों के वेधन सहित अभिज्ञात क्षेत्र जिनके परीक्षण किए जा सकते हैं तथा विशिष्ट क्षेत्रों का जांच कार्य शामिल होता है।

सकल मार्जिन: सकल मार्जिन मूल्यहास, आस्थगित राजस्व व्यय, ऋण पर ब्याज, पूर्वविधि के समायोजन कर और आरक्षित जमा के विनियोग की प्रदायकता से पूर्व व्यय पर आय की अधिकता को दर्शाता है।

क्षरण: एक क्षरण हानि वह राशि है जिसमें किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

निवल वर्तमान मूल्य: निवल वर्तमान मूल्य, भावी नकद प्रवाह के वर्तमान (रियायती) मूल्य में से नकद बाह्य प्रवाह के वर्तमान मूल्य को घटाने को दर्शाता है।

निवल मूल्य: यह विविध व्यय में कटौती के बाद शेयरधारकों के कोष को दर्शाता है।

अप्रचलन: तकनीकी परिवर्तनों, उत्पादन विधियों में सुधार, परिसंपत्ति के उत्पाद या सेवा उत्पादन के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन, या विधिक या अन्य प्रतिबंधों के कारण किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना, जो कि पुरानी हो जाना या कम उपयोगी हो जाना है।

निवल लागत: यह विविध व्ययों को घटाने के पश्चात शेयरधारकों की निधि को दर्शाता है।

प्रतिभागिता अधिकार: उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) में प्रत्येक पक्षकार के अधिकारों व दायित्वों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया अंश।

पूर्व अवधि मद: ऋण का एक वास्तविक प्रभार जो एक या एक से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हुई त्रुटियों या चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होता है।

उत्पादन साझेदारी संविदा: सरकार और संविदाकारों (सामान्यता एक तेल और गैस कंपनी) के बीच एक समझौता जिससे उत्पादन की एक पूर्व-योजनाबद्ध तरीके से दोनों पक्षकारों के बीच साझा किया जाता है। संविदाकार द्वारा सामान्यतया सभी प्रकार की अन्वेषण, विकास और उत्पादन लागतों को वहन किया जाता है, जो तदुपरांत किसी भी भावी पीएससी उत्पादन की सहमति प्राप्त हिस्सेदारी, में से वसूली योग्य होते हैं, जिन्हें लागत वसूली तेल और/अथवा गैस कहा जाता है।

उत्पादन लागत: तेल और गैस को सतह तक उठाने और तेल और गैस के संग्रहण, प्रशोधन और भंडारण में व्यय की गई लागतें।

प्रावधान: परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के अवमूल्यन के लिए प्रावधान के माध्यम से किसी राशि को बट्टे खाते में डालना अथवा प्रतिधारित रखना अथवा किसी भी अभिज्ञात देयता, जिसे पर्याप्त सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, के लिए प्रावधान करने के माध्यम से प्रतिधारित रखना।

रॉयल्टी: यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के तहत लगाया गया एक प्रशुल्क होता है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर पट्टा (अपतटीय क्षेत्र के मामले में केन्द्र सरकार) प्रदान करते हुए केन्द्र सरकार के संबंधित राज्य में देय होता है।

प्रगतिधीन कार्य: प्रगतिधीन कार्य में सभी प्रकार की वे सामग्रियां शामिल होती हैं जो विनिर्माण या प्रसंस्करण प्रचालनों के अंतर्गत आती है परंतु जिन पर आगामी प्रचालन, विक्रय के लिए तैयार उत्पाद से पूर्व आवश्यक होते हैं।

कार्यशील पूंजी: निधियां जो किसी उद्यम के दैनिक प्रचालन के आयोजन के लिए उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा, इसे वर्तमान परिसंपत्तियों के अल्पकालिक ऋणों सहित मौजूदा देयताओं के आधिक्य द्वारा दर्शाया जाता है।

ग. शब्दकोश

एनजीआरबीसी	जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश
ईएंडपी	अन्वेषण एवं उत्पादन
पीएससी	उत्पादन साझाकरण संविदा
एनईएलपी	नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति
ईसीएस	सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति
सीआईएस	स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल
एफआईपीआई	भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ
जीईएम	सरकारी ई-मार्केटप्लेस
आईपीआईसीए	अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग पर्यावरण संरक्षण संघ
ईआरएम	उद्यम जोखिम प्रबंधन
ओआरएमसी	प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समितियाँ
आरएमएससी	जोखिम प्रबंधन संचालन समिति
आरएमसी	जोखिम प्रबंधन समिति
ओएएलपी	खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति
सीएसएस	साइक्लिक स्टीम स्टिम्यूलेशन
एनआरएल	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधारी
वीएसवीएस	विवाद से विश्वास योजना
एजीजी एंड जीएम	वायुजनित गुरुत्व ग्रेडियोमेट्री और गुरुत्व-चुंबकीय
एफएचक्यू	क्षेत्र मुख्यालय
पीएसएम	पेट्रोलियम प्रणाली मॉडलिंग
एसएचएआरपी	दबाव इतिहास और रिजर्वायर दाब
सीसीएस	कार्बन कैप्चर और भंडारण
ओआईएसडी	तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
डीजीएमएस	महानिदेशालय खान सुरक्षा
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
पीईएसओ	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन
पीएचक्यू	पाइपलाइन मुख्यालय
ओआईएफआर	व्यावसायिक बीमारी आवृत्ति दर
एसएमईटीडीसी	सासोनी मेरबील इको टूरिज्म विकास समिति
जेआईपी	संयुक्त उद्योग परियोजना
सीडब्ल्यूआई	कार्बोनेटेड जल इंजेक्शन
एनडीसी	राष्ट्रीय निर्धारित योगदान
ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
एनएबीईटी	राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद
डीपीई	सार्वजनिक उद्यम विभाग
आईवीआर	इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस
ईआरपी	उद्यम संसाधन योजना
सीपीपीपी	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल




OIL INDIA LTD.
TANK-002
SERVICE: CRUDE OIL
CAPACITY: 10000 KL
DC LIGHT





ऑयल इंडिया
OIL INDIA

पंजीकृत कार्यालय :
दुलियाजान, जिला डिब्रूगढ़, - 786602
असम, भारत, फोन: + 91 + 374 - 2804510
www.oil-india.com